लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(चौदहवाँ सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 46 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 26 मार्च, 1934/6 चैत्र, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 23, पंक्ति 19, "(क) से (घ)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये।

पृष्ठ 33, पंक्ति 12 के पश्चात् पृष्ठ 34-35 पर दिये गये "विवरण-लाभान्वित किये गये समस्याग्रस्त ग्रामों के जिलावार आंकड़े" को अंत:स्थापित करके पढ़िये।

पृष्ठ 58, पंक्ति 2, "श्री सबत कुमार मण्डल" के स्थान पर "श्री सनत कुमार मण्डल" पढ़िये।

पृष्ठ 73, पंक्ति 20, "(क) तथा (क)" के स्थान पर "(क) तथा (ख)" पढ़िये।

पृष्ठ 74, पंक्ति 11, "डा०ए०र०आजमा" के स्थान पर "डा०ए०यू०आजमी" पढ़िये।

पृष्ठ 99, पंक्ति 17, "श्री बी०एय०विजयराघवन" के स्थान पर "श्री वी०एस० विजयराघवन" पढ़िये।

पृष्ठ 108, पंक्ति 10, "श्री बालासाहिब बिखे पाटिल" के स्थान पर "श्री बालासाहिब विखे पाटिल" पढ़िये।

पृष्ठ 146, पंक्ति 14, "4748" के स्थान पर "4768" पढ़िये।

पृष्ठ 207, पंक्ति 15 और पृष्ठ 208, पंक्ति 4, "श्री दलोप सिंह भूरिया" के स्थान पर "श्री दिलोप सिंह भूरिया" पढ़िये।

पृष्ठ 302, पंक्ति 10 के पश्चात तथा "उपाध्यक्ष महोदय" से पूर्व "गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा):" अंत: स्थापित करिये।

पृष्ठ 365, पंक्ति 2, "के सभापति महोदय" के स्थान पर "सभापति महोदय: आपको. . ." पृथक पंक्ति के रूप में पढ़िये।

पृष्ठ 365, पंक्ति 26 में, "x x" के स्थान पर "x" पढ़िये और दूसरे पाद-टिप्पण में "x x" के स्थान पर "x" पढ़िये।

पृष्ठ 372, पंक्ति 2 और पंक्ति 10 "श्री जयपाल कश्यप" के स्थान पर "श्री जयपाल सिंह कश्यप" पढ़िये।

विषय सूची

सप्तम माला, खण्ड 46, चौदहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 46, सोमवार 26 मार्च, 1984/6 चैत्र, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—17
*तारांकित प्रश्न संख्या : 407, 408, 410 और 411	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	17—294
तारांकित प्रश्न संख्या : 405, 406, 409, 412 से 421, 423, 424 और 306	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4660 से 4698, 4700 से 4703, 4705 से 4742, 4744 से 4749, 4751 से 4769, 4771 से 4787 और 4789 से 4894	
सभापटल पर रखे गए पत्र	294—298
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	298—311
देश के विभिन्न भागों में नकली शराब पीने के कारण हुई मौतों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के कानपुर और फर्रुखाबाद जिलों में हाल ही में हुई मौतों के समाचार	
श्री सैफुद्दीन चौधरी	298
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	298
श्री भीखाभाई	303
श्री राम विलास पासवान	306
प्रो० सैफुद्दीन सोज	310
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	311

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले :	311—316
(एक) आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) और अन्य अभिकरणों द्वारा राजस्थान के डूंगरपुर-बांसवाड़ा जिलों में रहने वाले आदिवासियों के लिए छोटे मकानों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	311
श्री भीखाभाई	
(दो) मिर्जापुर के बर्तन उद्योग के विकास हेतु कदम उठाने की आवश्यकता	312
श्री उमा कांत मिश्र	
(तीन) दो कब्रिस्तानों को अन्यत्र ले जाने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण वाराणासी में व्याप्त तनाव	313
श्री मनीराम बागड़ी	
(चार) भारत कारपेट लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा अपने कर्मचारियों को चार महीनों का वेतन न दिया जाना और कर्मचारियों से एकत्रित भविष्य निधि की राशि को भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा न कराना	313
श्री रशीद मसूद	
(पांच) "समाचार भारती" की तालाबंदी उठाने हेतु उपाय करने तथा इसके कार्यकरण की अपेक्षित जांच करवाने की आवश्यकता	14
श्री राम विलास पासवान	
(छः) डायमंड हार्बर और सियालदाह के बीच और अधिक रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता	315
श्री निर्मल सिन्हा	
(सात) रायगुडा और झारसुगुडा के बीच एक और यात्री रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता	315
श्री रास बिहारी बहेरा	
(आठ) राजस्थान के बाड़मेर तथा जालोर जिलो में नहरी जल योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता	315
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1984-85	316—404
गृह मंत्रालय	
श्री सोमनाथ चटर्जी	317
श्री जैनुल बशर	352
श्रीमती शालिनी पाटिल	358
श्री सी० टी० दंडपाणि	360
श्री अरविन्द नेताम	368
श्री जयपाल सिंह कश्यप	372
श्री जमीलुर्रहमान	378
श्री राम जेठमलानी	385
श्री गिरधारी लाल डोगरा	400
श्री उत्तम राठौर	404

लोक सभा

सोमवार, 26 मार्च, 1984/6 चैत्र, 1906 (शक)

लोक सभा म० पू० 11.05 पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे बड़ी सख्त हमदर्दी है ।

श्री मनीराम बागड़ी : हम तो हमेशा तैयार मिलते हैं ।

सुब्रह्मण्यम स्वामी : लोक सभा ने शनिवार और रविवार को खेले गए दोनों मैच जीत लिए । आपको हमें बधाई देनी चाहिए···हम टीम के कप्तान हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री जी० वाई० कृष्णन—यहां नहीं हैं श्री एन० ई० होरो—भी अनुपस्थित हैं । श्री लकप्पा ।

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : आप सीधे 377 ले सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वानिकी अनुसंधान और शिक्षा के लिए केन्द्रीय परिषद

*407. **श्री के० लकप्पा** :

श्री दौलतसिंह जी जदेजा :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वानिकी अनुसंधान और शिक्षा के लिए देश में एक केन्द्रीय परिषद स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और इसके कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) सातवीं योजना में वन सम्पदा के अनुरक्षण में राज्यों को इस परिषद् से किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद् पहले से ही विद्यमान है। इसका ब्यौरा 29 मई, 1978 के संकल्प में दिया गया है, जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 8008/84]

(ग) परिषद् का मुख्य कार्य देश में वन अनुसंधान तथा शिक्षा का समन्वय तथा संवर्धन करना है, जिसका उद्देश्य ही देश की वन सम्पदा का संस्करण तथा सम्वर्धन करना है।

श्री के० लकप्पा : जहां तक देश के वानिकी के बारे में केन्द्रीय अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी प्रलेखन का प्रश्न है, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह प्रणाली है क्या ? देश में वानिकी का पूरा इतिहास एक बहुत ही खराब स्थिति में जा रहा है क्योंकि जहां कहीं भी आप देखते हैं, वहां ही वनों और वानिकी का सफाया किया जा रहा है तथा वन सम्पदा को न केवल नष्ट किया जा रहा है बल्कि अनेक राज्यों में भारत सरकार द्वारा दिए गये मार्गनिर्देशों तथा केन्द्रीय वन अनुसंधान परिषद् के विचारों और निष्कर्षों के अनुसार उनका संरक्षण भी नहीं किया जा रहा है। मैं उस प्रणाली के बारे में जानना चाहूंगा, जिसके द्वारा आपके वर्तमान प्रलेखन और अनुसंधान वानिकी के आकार पर मूल्यांकन किया जाता है और क्या इस प्रकार के मार्गनिर्देशों का किन्हीं राज्यों द्वारा पालन नहीं किया गया है और यदि हां, तो कितने राज्यों द्वारा किया गया है और कितने राज्यों ने इनका पालन नहीं किया है तथा केन्द्रीय वन अनुसंधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों और दिए गये मार्गनिर्देशों पर क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अनुसंधान के बारे में राज्यों को कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि वहां अनुसंधान संस्थाएं हैं···

श्री के० लकप्पा : मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं आपको स्पष्ट उत्तर दे रहा हूं। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान अनुसंधान कार्य कर रहा है। फिर, कई अन्य कृषि विश्वविद्यालय भी हैं जो अनुसंधान कार्य कर रहे हैं तथा देहरादून स्थित इन अनेक संस्थाओं के अन्तर्गत कई अनुसंधान संस्थाएं कार्यरत हैं। कोयम्बटूर, बंगलौर, जबलपुर और बरनीहाट में चार क्षेत्रीय केन्द्र भी हैं जो वानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : मैंने आपके द्वारा अनुसंधान संस्था के गठन तथा विभिन्न राज्यों में हो रहे कार्य और कार्यरत कार्यालयों के बारे में कभी नहीं पूछा। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन से मार्गनिर्देश दिए गये हैं और इस प्रकार की अनुसंधान संस्था में हो रहे अनुसंधान के क्या परिणाम निकले हैं तथा वानिकी को बढ़ावा देने के लिए इस देश के लोगों को इस सम्बन्ध में क्या शिक्षा दी जा रही है तथा राज्यों द्वारा कौन से मार्गनिर्देश स्वीकार किए गये हैं और ऐसे कौन से राज्य हैं, जिन्होंने इन मार्गनिर्देशों का पालन नहीं किया है। इस प्रकार मैं भारत सरकार और विशेषकर आपके मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत

प्रतिष्ठानों के विकास और परिणामों के बारे में समग्र स्थिति से अवगत होना चाहूंगा। यह मेरा पहला प्रश्न था। इसके बाद मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके कहने का मतलब यह है कि इन परिषदों का कार्य आपने अपने हाथ में ले लिया है ?

श्री के० लकप्पा : आपको पता है कि आपने स्वयं ही इस सदन में इस बारे में अपने विचार रखे थे कि देश में वानिकी कैसे विकसित हुई और कैसे उसमें सुधार हुआ।

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : माननीय सदस्य का पहला प्रश्न यह था कि क्या देश में वानिकी अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक केन्द्रीय परिषद स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा हमने जो इसका उत्तर दिया है वह यह है कि यह परिषद 1978 में स्थापित कर दी गई थी और माननीय सदस्य को इतना भी नहीं पता कि यह परिषद अस्तित्व में है भी या नहीं।

श्री के० लकप्पा : सरकार द्वारा जारी किए गये मार्गनिर्देशों का राज्यों द्वारा कहां तक पालन किया गया है ?

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : मंत्री महोदय इसके विरुद्ध हैं क्योंकि यह परिषद जनता सरकार द्वारा बनाई गई थी।

राव वीरेन्द्र सिंह : परिषद् की बैठकें समय-समय पर हुई। एक केन्द्रीय वानिकी बोर्ड भी है। न्यूनाधिक इन दो बोर्डों का कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। वन समवर्ती सूची का विषय है। यह सही है कि वन राज्य सरकारों के हैं। केन्द्रीय सरकार के कोई वन नहीं हैं। इस प्रकार किसी भी विधान या किन्ही मार्गनिर्देशों को केवल राज्य सरकारों द्वारा ही लागू किया जाता है। हम प्रयास करने और वन सम्पदा का संरक्षण करने में केवल उनकी मदद करते हैं, फिर भी, केन्द्रीय सरकार का यह मुख्य उत्तरदायित्व केन्द्रीय शिक्षा व्यवस्था प्रदान करता है और उसके लिए हमारे पास देहरादून में स्थित, एशिया में सबसे अच्छी संस्था, वन अनुसंधान संस्थान है। वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् की पिछली बैठक में हमने यह भी निर्णय किया है कि देहरादून स्थित इस संस्थान को एक विश्वविद्यालय में बदल देना चाहिए। इसके लिए हमने शिक्षा मंत्रालय से पहले ही अनुरोध किया है क्योंकि अन्ततः इसकी अनुमति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त होनी है। हम इस पर भी विचार कर रहे है कि पूरे देश में वानिकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए तथा सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की तरह ही एक वानिकी अनुसंधान परिषद् भी होनी चाहिए। इस प्रकार हम शिक्षा के लिए सुविधायें प्रदान करने तथा और अधिक वानिकी कालेज शुरू करने के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते है। इस समय हमारी वानिकी अनुसंधान संस्था में, शिक्षा के अन्तर्गत, जिसके अन्तर्गत भारतीय वानिकी कालेज और वन प्रदेश कालेज भी हैं, न्यूनाधिक, केवल सेवा कालीन सम्बन्धी प्रशिक्षण ही प्रदान किया जाता है, परन्तु, हमने इनमें कुछ कम्पनियों द्वारा भेजे गए अन्य लोगों को भी शामिल करने का प्रयास किया है, हम देश से बाहर के लोगों को भी सुविधायें प्रदान करते हैं। हमारी अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली व्यापक है। और भारत सरकार की यह बड़ी इच्छा है कि इसकी स्थापना काफी सुदृढ़ आधार पर की जायें।

अध्यक्ष महोदय : आप यह और कह सकते हैं कि अनुसंधान आखिर अनुसंधान है। इसका अर्थ

है एक नई खोज निरन्तर नया ज्ञान।

श्री के० लकप्पा : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। इसमें सन्देह नहीं है कि माननीय मन्त्री ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि वे स्थिति बेहतर बनायेंगे और वानिकी के क्षेत्र में भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जैसी संस्था की स्थापना करेंगे। आपको यह भी पता है कि यह सच है कि देश के अनेक भागों में वन, राज्य का विषय होने के कारण ग्रामीण वानिकी चल रही है। कर्नाटक सहित देश के विभिन्न भागों में वन विलुप्त होते जा रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण वानिकी तक का भी विकास करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप देश में पारिस्थतिकी असन्तुलन है जिसके विनाशकारी परिणाम सामने आते हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री इस बात पर विचार करेंगे कि वन, समवर्ती सूची में होने चाहिए और वे यह भी देखेंगे कि और अधिक केन्द्रीय मार्गनिर्देश जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : अनुसंधान तो अनुसंधान है। कोई मार्गनिर्देश नहीं। यह तो नई बातों का पता लगाने का खोज कार्य है।

श्री के० लकप्पा : मैं यह जानना चाहूंगा कि उन अनुसंधानों के क्या परिणाम निकले और वे किस सीमा तक जनता तक पहुंचे हैं ;

श्री योगेंद्र मकवाना : महोदय, जैसाकि मेरे वरिष्ठ साथी ने आपके माध्यम से पहले ही बता दिया है, वन समवर्ती सूची के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु उसके बावजूद भी बार-बार पूछ रहे हैं कि हम वनों को राज्य सूची से कब निकालेंगे ? मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह फिर दोहराऊंगा कि वन संविधान की समवर्ती सूची में हैं वृक्ष गिराने के विरुद्ध राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। जहां तक सामाजिक वानिकी की बात है, गांवों में ईंधन लकड़ी के लिए और पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखने के लिए सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने हेतु सरकार के पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी सामाजिक वानिकी का प्रावधान है।

श्री डी० के० नायकर : महोदय, यद्यपि यह समवर्ती सूची का विषय है फिर भी वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए राज्य वन अधिनियम हैं, परन्तु इनका संरक्षण नहीं किया जा रहा है। इसका लगभग प्रत्येक राज्य में बुरा प्रभाव पड़ा है। अब माननीय मन्त्री ने यह स्पष्ट उत्तर दिया है कि अनुसंधान संस्था की स्थापना 1978 में की गई थी। हमें यह जानना चाहिए कि जहां तक इस संस्था का सम्बन्ध है, अब तक वनों के संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरह वन और प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसलिए इस समय ऐसी कोई परिषद नहीं है। वन अनुसंधान संस्था बहुत पुरानी है। यह 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, हमारे देश में हजारों आदिवासी हैं जो अपनी जीविका के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। इसलिए जब भारत सरकार वनों के संरक्षण का प्रयास करती है—जोकि मानवजाति के लिए भी बराबर का महत्व रखते हैं—तो क्या उसने ऐसा करते समय आदिवासियों की

जीविका के किन्हीं वैकल्पिक साधनों पर भी विचार किया है और क्या यह भी सोचा है कि अपने जीवन निर्वाह के लिए वनों का दोहन करने सम्बन्धी उनका अधिकार समाप्त न हो ? सरकार इन दो उद्देश्यों में किस प्रकार सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास कर रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, आदिवासियों के जिन्दा रहने के लिए भी वनों का संरक्षण अत्यधिक आवश्यक है तथा नई वन नीति में, जो कि अभी तैयार की जा रही है, हमने पहले ही प्रारूप तैयार कर लिया है जिसे मन्त्रिमण्डल के सम्मुख लाया जा रहा है। जिसमें हमने वन क्षेत्रों में और उनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेषकर आदिवासियों के बारे में विशेष ध्यान दिया है। जहां तक वनों के ठेके दिए जाने का सम्बन्ध है, तो सरकार ने राज्यों को ठेका प्रणाली समाप्त करने के लिए निर्देश जारी किए हैं ताकि आदिवासियों का शोषण न किया जा सके। जहां तक छोटे वन उत्पादों के एकत्र करने सम्बन्धी आदिवासियों के अधिकार का सम्बन्ध है, तो इस बारे में मैंने पहले ही माननीय सदस्य को सूचित कर दिया है कि नई वन नीति में इसका ध्यान रखा जाएगा।

केरल में नकदी फसलों के पुनःरोपण के लिए सहायता

*408 **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नकदी सफलों के पुनःरोपण के लिए केन्द्र सरकार से 603 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केरल सरकार ने 603 करोड़ रुपये की सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें नवीकरण के अलावा अन्य घटक और नकदी फसलों के अलावा अन्य फसलें भी शामिल हैं। पांच वर्ष तक की अवधि के लिए सहायया मांगी गई है।

(ख) सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. लोचयुक्त शर्तों पर आदान राज सहायता के लिए 262 लाख रु० की अग्रिम प्लान सहायता दी गई थी और इसे बागानी फसलों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

2. नारियल को बीजों और उर्वरकों के मिनी किटों की सप्लाई के प्रयोजन हेतु तिलहन फसल के रूप में शामिल किया गया है, ताकि 1983-84 के दौरान केरल में नारियल के उत्पादकों को सहायता दी जा सके।

3. फलों और ईंधन के बागानों के लिए भारत सरकार द्वारा 50,000 रु० प्रति खंड की दर से उपलब्ध कराई गई सहायता नारियल के लिए भी दी गई है।

4. नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से नारियल विकास के लिए 49 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है, ताकि जड़ मुरझान रोग से प्रभावित ताड़

के वृक्षों को हटाया जा सके और नारियल के पौधों की सप्लाई की जा सके।

5. इलायची बोर्ड द्वारा एक योजना "इलायची के पुनः वृक्षारोपण के लिए ऋण एवं राज सहायता" क्रियान्वयन के लिए मंजूर की गई है। जिसमें 7 वर्ष की अवधि के लिए 272.50 लाख रुपये नगद राज सहायता तथा 126.50 लाख रुपए ब्याज राज सहायता का प्रावधान है। सरकार ने पोलीथीन की थैलियों में इलायची की पौद उगाने के लिए इलायची बोर्ड की योजना को भी मंजूर किया है, जिसमें 1983-84 के लिए 1.80 लाख रु० के व्यय का प्रावधान है।

6. सूखे की स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए सरकार ने 2.60 करोड़ रु० परिव्यय वाली काफी बोर्ड के "फसल भाराक्रांति ऋण योजना" को संशोधित करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है।

श्री एम० एम० लारेंस : केरल राज्य मुख्यतया नकदी फसलों का उत्पादन कर रहा है। पिछले वर्ष के भारी सूखे के कारण लगभग 50 प्रतिशत नारियल के पेड़ सूख गए हैं। शेष पेड़ों की पैदावार बहुत कम हो गई है। नारियल के पेड़ पुनः लगाने पर भारी लागत आयेगी। परन्तु सरकार ने थोड़ी सी धनराशि स्वीकृत की है। राज्य सरकार ने 603 करोड़ रु० के लिए अनुरोध किया था। यह अनुरोध न केवल नारियल के पेड़ों के लिए था, अपितु इलायची, काली मिर्च, अदरक के पौधों आदि के लिए भी था। सूखे की गम्भीरता के कारण ये सारे पौधे सूख गए परन्तु मन्त्री ने अपने उत्तर में बताया है :

"प्रादान राज सहायता के रूप में लचीली शर्तों पर 262 लाख रु० की अग्रिम प्लान-सहायता दी गई थी और इसे बागानी फसलों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।"

मैं माननीय मन्त्री के उत्तर को समझ सकता हूं। महोदय, केरल में एक कहावत है : जब कोई पूछता है, कटहल का क्या भाव है, तो विक्रेता जवाब देता है। 'यह बहुत मीठा है' मन्त्री महोदय भी उसी तरह का जवाब देते हैं। मैं इसे समझ सकता हूं। यदि ये पौधे लगाये जाते, उनसे पैदावार प्राप्त करने में 5 से 6 साल लग जायेंगे। वे गेहूं या धान जैसी फसल नहीं है। सरकार के पिछले वर्ष के भारी सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में क्या मूल्यांकन किया है? उन्हें कितना नुकसान हुआ है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ने केरल में नारियल रोपण और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं सम्बन्धी जानकारी मांगी है। महोदय, अनेक योजनाएं हैं। केन्द्र द्वारा भी प्रायोजित कुछ योजनाएं हैं। नारियल बोर्ड, इलायची बोर्ड जैसे बोर्ड भी हैं।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाएं हैं। नारियल के लिए एक पैकेज कार्यक्रम है और छठी पंच-वर्षीय योजना में 210 लाख रु० का योजना आवंटन है। जहां तक केरल का सम्बन्ध है, उसे 98.46 लाख रु० आवंटित किए जायेंगे और वर्ष 1983-84 के लिए केरल को 14.87 लाख रु० दिए गए हैं। नारियल विकास बोर्ड के अन्तर्गत अच्छी किस्म के नारियल के बीज के उत्पादन के लिए एक परियोजना है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना के लिए 77.55 लाख रु० का योजना आवंटन है। इसमें से केरल के लिए 20 लाख रु० और वर्ष 1983-84 के लिए यह 6 लाख रु० है। इसके अतिरिक्त नारियल उत्पादकों को 'विल्ट' रोग से प्रभावित जड़ वाले पौधों को हटाने के लिए वित्तीय सहायता देने

की एक परियोजना है । छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान के अकेले केरल के लिए कुल योजना आवंटन 24.75 लाख रु० है और वर्ष 1983-84 के लिए आवंटन की राशि 8.25 लाख रु० है ।

इसके अलावा नारियल के अधीन क्षेत्र का विस्तार करने की एक परियोजना है । इस परियोजना के अन्तर्गत कुल योजना आवंटन की राशि 109.50 लाख रु० है । केरल के लिए परिव्यय की राशि 21.25 लाख रु० और वर्ष 1983-84 के लिए 4.37 लाख रु० है । प्राथमिक परिष्करण और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देने की एक परियोजना है । इसके लिए कुल योजना आवंटन 74.20 लाख रु० हैं । केरल के लिए यह राशि 6 लाख रु० और वर्ष 1983-84 के लिए 2 लाख रु० हैं । इसके अतिरिक्त पैकेज कार्यक्रमों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है ।

श्री एम० एम० लारेंस : वह तो काजू के लिए है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ये सभी योजनाएं नारियल के सम्बन्ध में हैं और सरकार उनकी मदद करने के लिए बहुत उत्सुकहै , नारियल विकास कार्यक्रम के लिए 71 करोड़ रु० से अधिक की राशि दी गई है अर्थात नारियल विकास कार्यक्रम के लिए 71.59 करोड़ रु० दिये गए हैं ।

श्री एम० एम० लारेंस : जैसाकि माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है, यह धनराशि विभिन्न फसलों के लिए स्वीकृत की गई है । माननीय मंत्री के उत्तर से कोई भी समझ सकता है कि विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत की गई धनराशि बहुत कम है । परन्तु मैं कहता हूं कि एक नारियल की कीमत 4 रुपए है । अब सरकार द्वारा नारियल और इलायची के बीज और पौधे लगाने के लिए स्वीकृत की गई धनराशि बहुत कम है । अतः, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार स्वीकृत राशि में वृद्धि करने को तैयार है जैसा कि केरल राज्य सरकार ने अनुरोध किया है । यह अनुरोध योजना आवंटन से किसी अग्रिम राशि की मांग से सम्बन्धित नहीं है । यह केवल सहायता है, जो राज्य सरकार चाहती है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ये सभी उपाय सातवें वित्त आयोग के अनुसार हैं । इसमें नारियल शामिल नहीं है । परन्तु इसमें अधिकांश योजनाएं हैं और उसके अन्तर्गत सूखा राहत भी दी जाती है कई राज्य हैं, जो सूखे से प्रभावित हैं और सरकार के पास धन की कमी है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नारियल का उत्पादन आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में होता है, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि इन राज्यों की या तो पूर्णतया अथवा राज्य सरकारों द्वारा 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करने के आधार पर मदद के लिए कोई खास प्रयास किये जा रहे हैं, विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नारियल के पेड़ों की जड़ व्याधियों से और वे अन्य कीड़ों से प्रभावित हो रहे हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में अभी आंकड़े दिए हैं । मैंने छठी पंचवर्षीय योजना का योजना आवंटन दिया है और यह न केवल केरल के लिए ही है अपितु पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, असम आदि के लिए भी है । सभी राज्य इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गए हैं ।

मैंने केरल के लिए अलग आंकड़े दिये हैं क्योंकि सम्बन्धित प्रश्न केरल से आये एक सदस्य द्वारा पूछा गया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रतनसिंह राजदा ऐसा लगता है कि आज नारियल में उनकी बहुत रुचि है।

श्री रतनसिंह राजदा : हम नारियल की फसल के पुनःस्थापन के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक नकदी फसल है और हम इस पर छः सौ करोड़ रु० खर्च कर रहे हैं सामान्यतया, मनुष्य को 55 या 60 वर्ष की उम्र के बाद च्यवनप्राश या कोकस आदि का सेवन करने की सलाह दी जाती है। मैं जानना चाहूंगा कि इस नकदी फसल को नया जीवन देने के लिए किन चीजों का उपयोग किया जाता है··· (व्यावधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है उन्हें यह प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री से पूछना होगा। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, अनुसंधान में लगे वैज्ञानिक इस बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए और उसके इलाज की व्यवस्था करने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इन्हें क्या तकलीफ है? महोदय, अच्छा हो, आप इस बारे में पता करें।

अध्यक्ष महोदय : कोई आक्षेप मत कीजिये।

श्री जेवियर अराकल : महोदय, केरल राज्य सरकार ने 603 करोड़ रुपये के लिए अनुरोध किया और राज्य सरकार को लगभग 3 करोड़ रु० मात्र दिये गए। दी गई कुल राशि लगभग 10 करोड़ रु० है राज्य सरकार को 3 करोड़ रु० और विभिन्न केन्द्रीय बोर्डों को 6 करोड़ रु०। मैं इस सभा में मांग करता हूं कि बोर्डों को सहायता दी जाये जिससे राज्य सरकारों के साथ-साथ वे भी काम कर सकें। केन्द्रीय सरकार द्वारा सूखे से हुए नुकसान और उससे सम्बन्धित आवश्यकताओं को मूल्यांकन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। केन्द्रीय समिति ने नुकसान और सूखे के कारण उत्पन्न आवश्यकताओं के संबंधध में क्या सिफारिश की। दूसरे, अन्य फसलों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है। उन्होंने यहां केवल इलायची, कॉफी और नारियल का उल्लेख किया। मैं इन बोर्डों के कार्यकरण और मांगों को पूरा करने में उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में नहीं पूछ रहा हूं। फिर भी, मैं अन्य नकदी फसलों के सम्बन्ध में जानना चाहूंगा। क्या हम देश के लिए सफल बीमा योजना लागू करेंगे? ये बुनियादी प्रश्न में है। राज्य सरकार को केवल 3 करोड़ रुपए क्यों दिये गए जबकि उनकी मांग 603 करोड़ रुपये की थी?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह राशि केरल सरकार को एक विशेष मामले के रूप में दी गई है। हमें केरल सरकार से तीन ज्ञापन प्राप्त हुए, एक ज्ञापन जनवरी 1983 में प्राप्त हुआ, जिसमें 23.56 करोड़ रु० के लिए अनुरोध किया गया था, दूसरा 229.60 करोड़ रुपये के लिए और तीसरा 603 करोड़ रु० के लिए। सरकार ने विभिन्न अवसरों पर 4.10 करोड़ रु०, 36.77 करोड़ रु० और 5.69 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत की। यह विशेष सहायता है।

श्री जेवियर अराकल : आपको उत्तर में इसका उल्लेख करना चाहिए था।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह उत्तर विशेष व्यवस्था के सम्बन्ध में है और मैंने इसके बारे में विशेष

जानकारी दी है। परन्तु यह भेजे गए तीसरे ज्ञापन के सम्बन्ध में है और वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकृत कुल राशि 42.46 करोड़ रु० है। वर्ष 1982-83 के लिए यह राशि 4.10 करोड़ रु० थी।

माननीय सदस्य ने नकदी फसलों के सम्बन्ध में योजना आवंटन और अन्य बातों के सम्बन्ध में जानना चाहा। मैंने पहले ही सदस्य के प्रश्न के उत्तर में नारियल के सम्बन्ध में जानकारी दी। जहां तक काजू का सम्बन्ध है, छठी पंचवर्षीय योजना में 544 करोड़ रु० का प्रावधान है। इसमें से केरल के लिए 119.35 करोड़ रु० और वर्ष 1983-84 के लिए 26.93 करोड़ रु० उसके बाद विश्व बैंक परियोजना है, अर्थात सात साल के लिए 63 करोड़ रु० की केरल कृषि विकास परियोजना और बहु राज्यीय काजू फसल परियोजना भी है, कुल राशि 793.39 करोड़ रुपये है, और केरल के लिए पांच वर्ष के लिए 36.38 करोड़ रु० है।

रबड़, इलायची और अन्य फसलें भी हैं। मैं इनसे सम्बन्धित जानकारी सभा पटल पर रखने को तैयार हूं। यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। परन्तु माननीय सदस्य और समूची सभा की जानकारी के लिए मैं इसे सभापटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 409। श्री सन्तोष मोहन देव अनुपस्थित हैं। प्रश्न संख्या 410। श्री जगपाल सिंह यहां नहीं हैं। श्री जयपाल सिंह कश्यप।

वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत योजनाओं की मंजूरी

*410. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** ;

श्री जगपाल सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात पाहड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, सड़क निर्माण योजनाओं, पेयजल विस्तार योजनाओं पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है और पहाड़ी क्षेत्रों में उपर्युक्त बहुत से निर्माण कार्य कई वर्षों तक कार्यान्वित नहीं हो पाते ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रक्रिया को समाप्त करने पर विचार कर रही है ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी के साथ और बिना विलम्ब के कार्यान्वित किया जा सके ; और

(घ) यदि ऐसा करने में कोई कठिनाई है तो उसका ब्यौरा क्या है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उद्देश्य आरक्षित वनों की आरक्षण मुक्ति की तीव्रगति पर तथा वन भूमि को गैर वन भूमि प्रयोजनों में परिवर्तित किए जाने पर रोक लगाना है, क्योंकि पिछले लगभग 30 वर्षों में देश की लगभग 43 लाख हैक्टर वन भूमि इस प्रकार से खोयी जा चुकी है।

अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी आरक्षित वन को आरक्षण-मुक्त करने से पहले या वन भूमि को गैर-वन प्रयोजनों के लिए परिवर्तित करने से पहले केन्द्रीय सरकार की अग्रिम स्वीकृति लेना आवश्यक है। इसलिए ऐसे सभी निर्माण कार्य या योजनाएं जिनमें वन भूमि का गैर वन भूमि प्रयोजन हेतु उपयोग शामिल है, उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) से (घ) 25-10-1980 (जब वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया था) और 29-2-1984 के बीच उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से सम्बन्धित कुल 261 प्रस्ताव राज्य सरकार से कृषि मंत्रालय को प्राप्त हुए। इनमें से अब केवल 10 प्रस्ताव लम्बित हैं। ये सभी 10 प्रस्ताव पिछले दो महीनों में प्राप्त हुए हैं और आशा है कि बहुत शीघ्र ही इन सबका निपटान भी कर दिया जाएगा। वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावों से सम्बन्धित कार्रवाई की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है और ऐसे मामलों को अविलम्ब निपटाने के लिए समस्त राज्य सरकारों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। इस प्रक्रिया को छोड़ देने का प्रश्न ही नहीं होता।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक पर्वतीय क्षेत्र के विकास का सम्बन्ध है, वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास को वरीयता दी जाए लेकिन वन संरक्षण कानून विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। पर्वतीय क्षेत्र में सड़कें, पेय जल की व्यवस्था अथवा इस प्रकार के जो अन्य विकास के कार्य हैं उनके रास्ते में वन संरक्षण कानून बाधा उत्पन्न करता है इसलिए यह आवश्यक है कि इस कानून के अन्तर्गत विकास कार्यों को एग्जेम्शन दिया जाए। क्या सरकार उतना हिस्सा डिलीट कर देगी, या निरस्त कर देगी या एक्जेम्प्ट कर देगी जिनसे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव पड़ता हो। जैसे 56 सड़कें अलगोड़ा और उत्तर प्रदेश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्वीकृत थी। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती थी कि उनको जल्द से जल्द बनाया जाय, लेकिन आपके इस कानून के मुताबिक उनकी स्वीकृति में बड़ा समय लगा, यहां तक कि कई योजनाओं को निरस्त करना पड़ा। आपके इस वन-संरक्षण कानून के कारण कितनी योजनाओं को निरस्त करना पड़ा आपके इस वन-संरक्षण कानून के कारण कितनी योजनाओं को निरस्त करना पड़ा—इसके बारे में भी बतलायें ?...

अध्यक्ष महोदय : एक-एक सवाल पूछिये।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पहले ही बतलाया है कि हमारे पास 10 प्रपोजल्ज पेण्डिंग हैं और वे भी अभी हाल में आई हैं, इसलिए यह कहना कि गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के पास लम्बे अर्से तक प्रपोजल्ज पड़ी रहीं, यह ठीक नहीं है। यह बात मैं यू० पी० के बारे में और खास कर हिली एरियाज के बारे में कह रहा हूं। पूरे यू० पी० से 299 प्रपोजल्ज आई थीं, उनमें हिली एरियाज की 261 प्रपोजल्ज थीं, उनमें से 147 एप्रूव की जा चुकी हैं, 18 अण्डर-कन्सीडेशन हैं और वे भी अभी हाल में आई हैं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : पर्वतीय विकास की दृष्टि से उनको वरीयता दी जानी चाहिए थीं। वहां पर आपका यह कानून एक्जेम्प्शन नहीं देता है जिससे डिले होती है। बहुत सी चीजें आपकी डिस्क्रीशन पर हैं, जैसे 12 मामले निरस्त कर दिए गए। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को दृष्टि में रखते हुए आप इस कानून से एक्जेम्प्शन दें या कानून में इस तरह का संशोधन करें जिससे विकास कार्य में बाधा न पड़े और काम जल्द से जल्द हो।

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : फारेस्टस ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। अगर पर्वतीय क्षेत्रों को इस कानून की जद से निकाल दिया जाएगा। तो फिर फारेस्ट कहां रहेंगे जिन पर यह कानून लागू किया जाएगा। सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के पूरी तरह हक में है, लेकिन यह भी देखना पड़ता है कि कहीं फारेस्ट एरियाज में सड़क बनाने से ज्यादा हानि तो नहीं हो रही है। हमें वाइल्ड-लाइफ प्रीजवेशन के बारे में भी सोचना पड़ता है, किसी रिजर्व्ड फारेस्ट एरिए में लोगों का आना-जाना बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उससे कितना नुकसान होगा, आप इसको समझ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि पहले से देखा जाय कि हिली एरियाज में कौन सी स्कीमें जरूरी है जिनको मंजूर किया जाय और कौन सी ऐसी हैं जिनसे फारेस्ट को बचाया जा सकता है।

माननीय सदस्य को परेशानी इस बात से है कि बहुत सी प्रपोजल्ज स्टेट गवर्नमेंट के अपने लेवल पर मुखतलिफ जगहों पर रुकी पड़ी हैं। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट कान्फिडेन्ट नहीं है कि कौन सी प्रपोजल्ज सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास भेजी जाय तो इसमें सैन्ट्रल गवर्नमेंट का क्या दोष है। मेरा अन्दाजा है ढाई-तीन हजार प्रपोजल्ज नीचे के लेवल पर, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर के लेवल पर पड़ी हुई हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन तमाम प्रपोजल्ज के लिए हम कैसे इजाजत दे सकते हैं कि वह जो चाहे करें। अगर इस तरीके से फारेस्ट एरिया को छोड़ दिया जाय, तो जैसा मेरे साथी ने बतलाया है—43 लाख हैक्टेअर से ज्यादा फारेस्ट एरिया पिछले 30 सालों में कम हो गया है, इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। अगर यह कानून पार्लियामेंट न बनाती तो अगले 10 वर्षों में फारेस्ट का नामो-निशान भी न रहता। जब इस तरह से फारेस्ट खत्म हो रहे थे तो यह पाबन्दी लगाना लाजमी था और उस पर अमल किया जाना भी जरूरी थी। इसलिए सवाल पैदा नहीं होता कि फारेस्ट को इस की जद से निकाला जाय।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत केवल वे ही क्षेत्र अधिसूचित नहीं हैं, जो प्रमुखतः वन हैं, बल्कि वे क्षेत्र भी जो वन नहीं है, इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए हैं। अतः वे क्षेत्र जिन्हें सरकार यह महसूस करती है कि इनको वनों के रूप में विकसित किया जा सकता है, उनको भी अधिसूचित किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन सघन जंगलों की बात कर रहे हैं जिनको अब तैयार किया जा रहा है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : बम्बई में नहीं, बल्कि बम्बई के निकट। जिन क्षेत्रों के मामले में सरकार यह महसूस करती है कि इन पर वन अधिनियम लागू किया जा सकता है। उनको अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में भी छः हजार फुट ऊंचे एक तालुक में 35 हरिजन परिवार रहते हैं, जो नीचे आने के लिए प्रयास करते रहे हैं, क्योंकि वे मैदानी क्षेत्र में रहना चाहते हैं, क्योंकि पहाड़ ही इतना अधिक सीधा है कि उनको सीढ़ीनुमा रास्ते से जाना पड़ता है। अब महाराष्ट्र सरकार ने इस गांव छाग्वा गांव के बारे में निर्णय कर लिया है, जो सीधा छः हजार फुट तक ऊंचा है जहां पर 35 परिवार रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उनको लिखा है, जिसमें उनसे यह कहा गया है कि सरकार उन्हें मैदानी क्षेत्र में एक भूखण्ड आवंटित करना चाहती है, जिसे एक जंगल नहीं बताया जा सकता है। लेकिन इसे वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने उनसे परामर्श किया है और केन्द्रीय सरकार ने सभी प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया है। क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ही स्वनिर्णय है अथवा क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावों को केवल 'अस्वीकृत' ही किया जाता है अथवा क्या इस

प्रकार के कोई प्रस्ताव थे जिन पर विचार किया गया हो और जिन पर सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की हो।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह प्रश्न विशेषरूप से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं प्रश्न के भाग (क) के बारे में बात कर रहा हूं। जो सामान्य है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह प्रश्न विशेषरूप से उत्तर प्रदेश और वहां के पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में है। लेकिन यदि माननीय सदस्य मुझे लिखते हैं तो हम उस पर ध्यान देंगे। लेकिन सारे देश में निम्न-स्तरीय वन क्षेत्र हैं और हम वहां पर वनों का विकास करना चाहते हैं। अन्यथा इन क्षेत्रों को भी किसी अन्य प्रयोजनों के प्रयोग में लाया जायेगा और वन कम हो जायेंगे। पहले नियुक्त किए गए कृषि आयोग के अनुसार देश का 33 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए ; जबकि इस समय हमारे देश का केवल 22 प्रतिशत क्षेत्र ही वनों से आच्छादित है। अतः हमें अपने वनों की ओर ध्यान देना है और यह अधिनियम केवल वन भूमि तथा क्षेत्रों पर ही लागू होता है जिन्हें वनों के रूप में घोषित किया गया है, और अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता हैं।

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बतलाई है कि पहाड़ी फारेस्ट्स को बचाया जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं—फारेस्ट्स बचाने के लिए पहाडी क्षेत्रों में गैस की एजेन्सियां दिलायें ताकि जंगलात बच सकें। मन्त्री जी ने फिगर्स दी हैं कि 200 से ऊपर एप्लीकेशन्ज आई हैं, मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश से कितनी एप्ली-केशन्ज आई हैं। उनमें कितनी ऐसी हैं जो सड़के, पाइप बैठाने, बिजली के तार लगाने के बारे में हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप उनको लिख कर भेजना, वे आपको जवाब भेज देंगे।

श्री राम प्यारे पनिका : इसमें सन्देह नहीं है कि जंगलों का कायम रहना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जो छठी पंचवर्षीय योजना बनी थी, 1980 से 1985 के लिए उसमें विभिन्न राज्यों में ट्राइबल इलाकों के डवेलपमेंट के लिए बांध, सड़कें, बिजली के तार लगाने, नहर निकालने, स्कूल और पंचायत घर बनाने के लिए प्लान किया था लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना में ट्राइब्लस और हरिजनों के लिए जो स्कीमें थीं, कन्जर्वेशन एक्ट आने के बाद 75 प्रतिशत वे प्रभावित हो गई हैं। इस चीज की गंभीरता को देखते हुए कि खर्चा भी दुगुना बढ़ जाएगा और उनका डेवलपमेंट नहीं होगा चाहे इलैक्ट्रि-फिकेशन हो, चाहे सड़कें हों चाहे अस्पताल हों और चाहे इर्रीगेशन का मामला हो, क्या मन्त्री जी इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि यह कान्करेन्ट लिस्ट में है, स्टेट गवर्नमेंट को आदेश देंगे एग्जम्पशन के लिए और यह कहेंगे कि वह इस काम को शुरू कर दे और जो स्कीमें और प्रोग्राम हरिजनों और ट्राइब्लस के लिए बने हुए हैं, उनको पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को इजाजत देगी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम राज्य सरकारों को इतनी व्यापक अनुमति नहीं दे सकते। ट्रान्स-मीशन लाइनों को बिछाने तथा पेयजल पूर्ति योजना के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है। इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है और राज्य सरकारों को संक्षिप्त प्रक्रिया का सुझाव दिया है। हम यथा-शीघ्र स्वीकृति प्रदान करते हैं, लेकिन इस प्रकार की व्यापक अनुमति किसी भी राज्य सरकार को नहीं

दी जा सकती, क्योंकि राज्य सरकारों, विशेषत: उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश ने पहले ही अधिनियम का उल्लंघन किया है।

बारह-मासी सड़कों से जुड़े हुए गांव

*411. +**श्रीमती माधुरी सिंह :**

श्री गुलाम मोहम्मद खां :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कुल कितने गांवों को बारह-मासी, अर्थात् मौसमों में यातायात योग्य रहने वाली सड़कों से जोड़ा जा चुका है तथा चालू वर्ष में इस कार्य के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि सड़कों के विकास के मामले में विभिन्न राज्यों में काफी असमानता है ; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास की गति को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां, ।

(ग) ग्रामीण सड़कों का निर्माण-कार्य राज्य सरकारों द्वारा मुख्यत: न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया जाता है जो कि राज्य क्षेत्र में है।

राज्य सरकारों द्वारा और अधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण-कार्य शुरू करने हेतु इस मन्त्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि वे इन निर्माण-कार्यों को हाल ही में आरम्भ किए गए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू करें। राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य आरम्भ करने की भी अनुमति दी गई है।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासितक्षेत्र	सभी मौसमों में यातायात योग्य रहने वाली सड़कों से जोड़े गए गांवों की संख्या (31-3-83 की स्थिति)	1983-84 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	10682	11.50
2. असम	11789	7.50

1	2	3
3. बिहार	20996	30.00
4. गुजरात	10577	5.00
5. हरियाणा	6583	0.05
6. हिमाचल प्रदेश	6755	6.50
7. जम्मू तथा काश्मीर	3571	4.00
8. कर्नाटक	7857	10.00
9. केरल	1268	4.00
10. मध्य प्रदेश	15148	12.00
11. महाराष्ट्र	11730	18.50
12. मणिपुर	412	2.25
13. मेघालय	2305	1.00
14. नागालैंड	628*	0.50
15. उड़ीसा	1242	5.50
16. पंजाब	12018	—
17. राजस्थान	5737	7.60
18. सिक्किम	210	3.00
19. तमिलनाडु	12246	11.34
20. त्रिपुरा	1745	3.10
21. उत्तर प्रदेश	10056	58.00
32. पश्चिम बंगाल	17250	8.00

*31-3-1982 की स्थिति

1	2	3
23. अंदमान निकोबार दीप समूह	15	0.80
24. अरुणाचल प्रदेश	207	2.00
25. चंडीगढ़	22	—
26. दादरा तथा नगर हवेली	52	—
27. दिल्ली	236	0.02
28. गोवा दमन तथा द्वीव	403	0.05
29. लक्षद्वीप	£	—
30. मिजोरम	100	2.75
31. पांडिचेरी	298	0.20
योग :	172138	215.66

£यहां कोई गांव नहीं हैं। द्वीप हैं ।

श्रीमती माधुरी सिंह : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 31-3-83 तक 20,996 गांवों को सभी मौसम में काम आने वाली सड़कों से जोड़ दिया गया है परन्तु यह नहीं बताया गया है कि कुल कितने ऐसे गांव बिहार राज्य में है, जिन्हें जोड़ना है तथा अभी तक कुल गांवों का कितना प्रतिशत ऐसी सड़कों से जोड़ा गया है ?

श्री हरिनाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उत्तर दिया है, उसके लिए पहले प्रश्न को देखा जाए कि उस में क्या कहा गया है :

> "अब तक कुल कितने गांवों को बारह-मासी, अर्थात् सभी मौसमों में यातायात योग्य रहने वाली सड़कों से जोड़ा जा चुका है तथा चालू वर्ष में इस कार्य के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है।"

ये आंकड़े थे, जो मैंने दे दिए है। अब कितने प्रतिशत इस तरह की रोड्स हैं, जो आल वेदर रोड्स बनाई गई हैं, वह मैं नहीं बता सकता। इतना मैं कह सकता हूं कि मैंने जो सूचना यहां पर दी, वह भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों से जो सूचना संकलित की गई है, उस के आधार पर दी है। मिनीमम नीड्स प्रोग्राम, जिसका हम ने हवाला दिया है, उसके लिए दरअसल प्लानिंग कमीशन जब प्लान आऊटलेज

भिन्न-भिन्न सरकारों के लिए निश्चित करता है उसीमें रोड्स के लिए कुछ रकम इयरमार्क कर देता है। उन्हीं के आधार पर मैंने उत्तर दिया है। दरअसल, मेरा मंत्रालय तो एक पोस्ट आफिस की तरह काम कर रहा है। मुझे जो सूचना मिली है, उसी के आधार पर मैंने जवाब दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि नोडल मिनिस्ट्री हम लोगों की है।

श्रीमती माधुरी सिंह : छठी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1164 करोड़ रुपए का प्रावधान है और इस मंत्रालय का सीधा उत्तरदायित्व है लेकिन ग्रामीण सड़क विकास कार्य में बड़ी विषमता है। बिहार के गांवों में सड़कों की बड़ी कमी है परन्तु 1983-84 के लिए केवल 30 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है जो बहुत कम है। क्या सरकार अब गांवों के लिए सड़कें बनाने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाना चाहती है।

श्री हरिनाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सुझाव दिया है, उससे मैं प्लानिंग कमीशन को और राज्य सरकार को अवगत करा दूंगा। प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि मेरे मंत्रालय से भी नेशनल रुरल लैण्डलेस इम्प्लायमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत सड़कों की मंजूरी दी जाती है। बिहार के सम्बन्ध में मैं अभी नहीं बता सकता लेकिन जो 600 करोड़ रुपया उपलब्ध था उसमें से 400 करोड़ से ज्यादा वितरित किया जा चुका है भिन्न-भिन्न राज्यों को। इस 400 करोड़ में से 217·68 करोड़ रुपया इस तरह की सड़कों के निर्माण के लिए दिया है। जहां तक एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम है, उसमें मैं पक्की सड़क के सम्बन्ध में नहीं कह सकता, लेकिन 367627 किलोमीटर सड़क बनाई गई है, कच्ची या पक्की, यह मैं अभी नहीं कह सकता।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल भारत के गांवों की सड़कों से सम्बन्धित है। सड़क एक ऐसा साधन है जिसके बगैर विकास नहीं हो सकता। गांधी जी ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है। मंत्री महोदय का यह जवाब कि यह मेरा मंत्रालय नहीं है, यह उचित नहीं है। सभी मंत्रालयों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। दूसरे मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करना मंत्री महोदय का कर्त्तव्य है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि बुनियादी सवाल है कि कुल कितने गांव सड़क के बिना हैं और कब तक सरकार उन गांवों में सड़क देगी। क्या सरकार की यह मंशा है ?

श्री हरिनाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके संबंध में केवल यही सूचना देना चाहता हूं :—

1,500 तथा उससे ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1,000 में 1,500 तक की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को **वर्ष 1988** तक सभी मौसम सड़कों से जोड़ा जाना है। पहाड़ी, आदिवासी, रेगिस्तानी तथा समुद्रतटीय क्षेत्रों के मामलों में एक समूह गांव परियोजना को अपनाना है, जहां पर 1,000 से भी कम जनसंख्या वाले गावों को भी सम्मिलित किया जा सकेता है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रम को यथार्थ रूप में 50 प्रतिशत तक प्राप्त कर लिया जायेगा।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। यह नीतियों का सवाल है। ऐसे गांव हैं जहां दलदल है और बारिश में वे बिल्कुल कट जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नीति तो यही है कि सारी सड़कें बनाई जाएंगी।

श्री मनोराम बागड़ी : मेरी बात का जबाव नहीं आया है। मंत्री महोदय स्वयं भी बिहार के रहने वाले हैं।

श्री ए० आर० मल्लू : क्या भारत सरकार के ध्यान में ऐसे उदाहरण लाए गए हैं, जिनमें राज्यों विशेषतः आन्ध्र प्रदेश द्वारा सड़क कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में भारत सरकार के मार्ग निदेशों की उपेक्षा की गई हो, और यदि ऐसा है तो प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पेय जल की व्यवस्था के लिए कर्नाटक सरकार को वित्तीय सहायता

*405 **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य द्वारा 1982-83 में राज्य में सूखे से प्रभावित गांवों और समस्याग्रस्त गांवों को पेय-जल उपलब्ध कराने के लिए कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है ;

(ख) कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी और हाल के सूखे के दौरान कितने समस्याग्रस्त गांवों में पेय-जल उपलब्ध कराया गया ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता देने और इसके उचित उपयोग की जांच करने के लिए किसी एजेंसी को प्राधिकृत किया गया है ; और

(घ) क्या आवंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा गया है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) कृषि मंत्रालय जिसका सम्बन्ध सूखा राहत विषय से है, ने बताया है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल पूर्ति के लिए 23.56 करोड़ रुपये तक की राहत सहायता के लिए कर्नाटक सरकार की मांग की तुलना में, वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान व्यय की निम्नांकित अधिकतम सीमा की मंजूरी दी गई थी :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में 6500 नलकूपों की खुदाई के लिए नलकूप कार्यक्रम	11.05 करोड रुपए
(ii) शहरी जल पूर्ति	1.54 करोड़ रुपये
(iii) पेय जल लाना-लेजाना	0.50 करोड़ रुपये
	13.09 करोड़ रुपये

इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में 15,456 गांवों का समस्याग्रस्त गांवों के रूप में पता लगाया गया था। इनमें से, 31 दिसम्बर, 1983 तक 13,748 गांवों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 1983-84 के दौरान, 31-12-83 तक 3279 गांवों को लाभान्वित किया गया। सूखा राहत के लिए दी गई निधियों में से लाभान्वित समस्याग्रस्त गांवों की संख्या निर्माण और आवास मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) जलपूर्ति राज्य का विषय है और जल पूर्ति मुहैया करने के लिए योजनाएं स्वयं राज्यों द्वारा बनाई जाती हैं, उनका कार्यान्वयन एवं प्रबोधन किया जाता है। जहां तक समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित किए जाने का संबंध है, निर्माण और आवास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वित्तीय तथा वास्तविक दोनों में त्रैमासिक रिपोर्टें प्राप्त करता है। पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने में प्राप्त प्रगति के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों के साथ समय-समय पर चर्चा भी की जाती है।

(घ) इस मंत्रालय के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेय-जल की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता

*406. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष और 1982-83 के दौरान सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) हाल के सूखे के दौरान कितने समस्या वाले गांवों को पेय-जल उपलब्ध कराया गया है ; और

(घ) बिहार राज्य में समस्या वाले गाँवों में पेय-जल सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने बिहार सरकार से सूखा राहत के लिए व्यय की अधिकतम सीमा स्वीकृत की गई। इसमें 1982-83 के दौरान पेय जल पूर्ति के लिए 138.25 लाख रुपये शामिल हैं। 1983-84 के दौरान सूखा राहत सहायता के एक भाग के रूप में पेय जलपूर्ति के लिए 104.50 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय स्वीकृत किया गया था। उपर्युक्त नियतनों की तुलना में उपयोग की गई राशि के ब्यौरे इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ग) बिहार सरकार ने 1982-83 के दौरान 3015 समस्याग्रस्त गांव तथा 1983-84 के दौरान 31 दिसम्बर, 1983 तक 1720 समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित किया। सूखा राहत के अन्तर्गत की निधियों में से समस्याग्रत गांवों को लाभान्वित करने के सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना इस मंत्रालय में अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार बिहार में पता लगाये गए 15,194 समस्याग्रस्त गांवों में से दिसम्बर, 1983 तक 10,095 समस्याग्रस्त गांव लाभान्वित किए गए थे। शेष गांवों का छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लाभान्वित करने का प्रस्ताव है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी विकास योजना

*409 **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी विकास योजना तैयार कर ली गई है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए एक में अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 राज्य अर्थात असम, मेघालय, नागालैंड त्रिपुरा और मणिपुर तथा 2 संघ शासित क्षेत्र अर्थात मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों सहित प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के सम्बन्ध में छठी पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में तथा अलग-अलग वर्षों के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा कृषि के लिए विकास योजना तैयार की गयी है। वास्तविक लक्ष्यों तथा वित्तीय परिव्ययों के रूप में वार्षिक योजनाओं पर प्रतिवर्ष राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन द्वारा योजना आयोग और कृषि मंत्रालय के साथ चर्चा करके उनको अंतिम रूप दिया जाता है।

(ख) तथा (ग) जी, हां। पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक अनुसंधान कम्प्लेक्स कृषि के विकास के लिए वर्ष 1975 से कार्य कर रहा है। इस कम्प्लेक्स का मुख्यालय शिलांग में है तथा क्षेत्रीय केन्द्र बस्सर (अरुणाचल प्रदेश), झारनापाणि (नागालैण्ड), इम्फाल (मणिपुर) तथा कोलासिब (मिजोरम) में है। गत 8-9 वर्षों के दौरान, इन अनुसंधान केन्द्रों ने पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्यों में कृषि विकास कार्यकलापों के लिए एक अनुसंधान आधार प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। झूम खेती के एक विकल्प के रूप में उपयुक्त खेती पद्धति का विकास किया गया है। गेहूं और सरसों की फसलें शुरू की गयी हैं। अवनत नींबूजातीय बागानों में सुधार करने के लिए पैकेज पद्धतियों का विकास किया गया है। इस क्षेत्र के स्थानीय आहार और चारा के संसाधनों का सर्वेक्षण करके उत्तम चारा फसलों को उगाने की सस्यप-द्धतियों का विकास किया गया है।

खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और लाभ

*412. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधायें/शिक्षा वृत्ति और वित्तीय लाभ अन्य देशों की तुलना में कम है ;

(ख) खेल, मंत्रालय का गठन किए जाने के बाद भारतीय खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजनायें तैयार की गई हैं ; और

(ग) प्रत्येक योजना के लिए आबंटित धन का ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में उपमंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) यद्यपि हमारे देश में उपलब्ध सुविधाओं की तुलना में विदेशों में दी गई सुविधाओं, शिक्षावृत्तियों तथा वित्तीय लाभ का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी कुछ विदेशों 1. में अधिक व्यापक आधार पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होने की सम्भावना है।

2. खेल विभाग के अलग स्थापित होने के समय पर पहले से चल रही योजनाओं को जारी रखने के अलावा विभाग ने पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं, शिक्षा वृत्तियां तथा वित्तीय लाभ से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं को संचालित किया है अथवा उन्हें गतिशीलता दी है :—

(i) खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष 1983 में शुरू किया गया था। कोष हमारे उत्कृष्ट पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों के लिए कई लाभ प्रदान करता है।

(ii) खेलों को बढ़ावा देने तथा एशियाड स्टेडियमों के प्रबन्ध तथा रख-रखाव के लिए व्यापक शक्तियों के साथ भारतीय खेल प्राधिकरण को हाल ही में स्थापित किया गया है।

(iii) प्रशिक्षण शिविरों में राष्ट्रीय प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध कराई गई भोजन राशि की दरों को बढ़ाया गया है ताकि उनके लिए अच्छे पोषक आहार की व्यवस्था की जा सके।

(iv) ब्लाक, जिला तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मात्रा बढ़ा दी गई है ताकि ग्रामीण खेलों को बढ़ावा दिया जा सके।

(v) ब्लाक, जिला तथा राज्य स्तरों पर महिला प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी बढ़ाई गई है।

(vi) खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1984-85 के लिए खेल विभाग की प्रस्तावित बजट व्यवस्था लगभग 1163 लाख रु० है, जब कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 695 लाख रुपये की बजट-व्यवस्था है जिससे बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

3. उपर्युक्त के अनुसार खेलों को बढ़ावा देने के लिए उपर्युक्त योजनाओं को विभाग की समग्र बजट व्यवस्था से 1984-85 में वित्त-पोषित किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष का इस समय 8·45 लाख रुपये का संग्रह है। 1984-85 के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए 400 लाख रुपये की विशेष व्यवस्था की गई है जो 1163 लाख रुपये के पूरे आंकड़ों में शामिल है।

कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटियों को भूमि का आबंटन

*413. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटियों के भूमि आबंटन सम्बन्धी कितने मामले सरकार की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं ;

(ख) इस प्रकार के आबंटन के आधार क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार की सोसायटियों के प्रबन्धकों द्वारा भूमि का दुरुपयोग किए जाने की कोई सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस प्रकार के दुरुपयोग और कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सहकारी आवास समितियों को भूमि के आबंटन में सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि इसके ध्यान में आए हुए भूमि के दुरुपयोग के बारे में पट्टे की शर्तों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। पृथक-पृथक मामलों तथा किसी दुरुपयोग के बारे में सूचना संकलित करने के कार्य में समय लगेगा तथा सम्भावित परिणामों के समतुल्य नहीं होगा।

विवरण

(क) सहकारी गृह निर्माण समितियां

इनको 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है :—

समूह-I वे गृह निर्माण सहकारी समितियां जिनके पक्ष में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 तथा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना 13 नवम्बर, 1959 से पहले जारी की गई है।

समूह-II वे गृह निर्माण सहकारी समितियां जिन्होंने प्राइवेट सौदे के माध्यम से 13 नवम्बर, 1959 से पहले भूमि स्वयं खरीदी थी।

समह-III वे गृह निर्माण सहकारी समितियां जिनकी भूमि निर्माण और आवास मन्त्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम की कतिपय योजनाओं के लिए अधिगृहीत करके ले ली गई थी।

समूह-IV वे सहकारी गृह निर्माण समितियां जिन्होंने भूमि के आबंटन की मांग की थी।

समूह-I समितियों को उतनी ही भूमि आबंटित की गई थी जितनी कि उनके पक्ष में 13-11-1959 से पहले अधिसूचित कर दी गई थी।

समूह-II समितियों को उतनी ही भूमि के बराबर भूमि आबंटित की गई थी जितनी

24-12-1966 से पहले ही सदस्यता के आधार पर उनके पास 13-11-1959 से पहले थी।

समूह-III की समितियों को उतनी ही भूमि के बराबर भूमि आबंटित की गई थी जितनी उनसे अर्जित की गई थी।

समूह-IV की समितियों को, समिति की प्रारम्भिक मांग के आधार पर अथवा प्रति एकड़ 10-12 प्लाटों के आधार पर निकाली गई भूमि की मात्रा इसमें से जो भी कम हो, के आधार पर भूमि आबंटित की गई थी।

(ख) सहकारी सामूहिक आवास समितियां

1979 से पहले की सहकारी सामूहिक आवास समितियों को 15 प्रतिशत फेरबदल सहित 50 रिहायशी एकक प्रति एकड़ के आधार पर भूमि आबंटित की गई है। बाद की सहकारी आवास समितियों, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1981 में पंजीकृत की गई थी, को 60 रिहायशी एकक प्रति एकड़ के आधार पर भूमि आबंटित की गई है।

ग्रामीण विकास के लिए धनराशि का खर्च किया जाना

*414. **श्री के० मालन्ना :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने ग्रामीण विकास तथा कल्याण योजनाओं के लिए पूरी धनराशि खर्च नहीं की है या यह धनराशि अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च कर दी है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विद्यमान स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन दल नियुक्त किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए रखी गई धनराशि को किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च कर लिए जाने का कोई मामला भारत सरकार के ध्यान में नहीं आया है। तथापि, इस मन्त्रालय के मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत, विशेष रूप से निम्नलिखित राज्यों में, निधियां कम उपयोग में लाई गई हैं :—

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम :

मुख्यतया उत्तर-पूर्वी राज्य, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर और पश्चिम बंगाल।

(2) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम :

कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

(3) मरुभूमि विकास कार्यक्रम :

जम्मू तथा कश्मीर।

(4) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :

मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादरा तथा नगर हवेली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम को निरन्तर चालू रखने के लिए आबंटन का कम से कम 25 प्रतिशत पाइपलाइन में रहने की उम्मीद की जाती है। उन राज्यों में निधियों के उपयोग को पर्याप्त समझा जाता है जिनके पास वर्ष के अन्त में अगले वर्ष के लिए जाने हेतु निधियां उपलब्ध निधियों की लगभग 25 प्रतिशत हैं।

(ख) और (ग) इन सभी कार्यक्रमों के मूल्यांकन का कार्य योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को सौंपा गया है। रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना

*415. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या खेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना (नेशनल सर्विस वालंटियर स्कीम) का लक्ष्य क्या है तथा इस योजना के अधीन कितने युवक कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उत योजना पर 1982-83 में कुल कितनी राशि खर्च की गई और इस योजना से अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में उन स्थानों के राज्यवार नाम क्या हैं जहां पर, विशेषकर गत दो वर्षों के दौरान इस योजना को क्रियान्वित किया गया है?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना का लक्ष्य, ऐसे छात्रों को जिन्होंने अपनी प्रथम डिग्री पूरी कर ली है जो पूर्णकालिक आधार पर स्वयं स्वैच्छिक रूप में राष्ट्र निर्माण कार्यकलापों में शामिल होना चाहते हैं, को सुअवसर प्रदान कराना है। इस समय राष्ट्रीय सेवा, स्वयं सेवक प्रौढ़ शिक्षा तथा केन्द्रों के चल रहे अन्य कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देने के लिए नेहरू युवक केन्द्रों में लगे हुए हैं। 1983-84 के दौरान 400 से अधिक स्वयं सेवक तैनात किये गये थे।

1982-83 के दौरान इस योजना पर किया गया कुल खर्च (लगभग) 9.23 लाख रुपये था। 1982-83 के दौरान, 1.37 लाख से अधिक दाखिल छात्रों सहित, लगभग 4500 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवकों की सहायता से आयोजित किए गए थे। इन स्वयं सेवकों ने खेल-कूद, कार्य शिविर, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर इत्यादि जैसे अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में भी नेहरू युवक केन्द्रों की सहायता की थी। ऐसे राज्यवार जिलों के नाम, जहां 1982-83 और/अथवा 1983-84 के दौरान योजना लागू है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8009/84]

ग्रामीण कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण योजनाएं

*416. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर केन्द्रीय सरकार के संस्थान और योजनाएं क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में उत्साही कार्यकर्ता विशेषकर महिलाएं ग्रामीण विकास संस्थानों में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती है ; और

(ग) ग्रामीण विकास के लिए प्रशिक्षण तथा विकास कार्यों के लिए उनके समर्पण की भावना जागृत करने हेतु और अधिक व्यक्तियों को प्रेरित और आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीया सदस्या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक आम लोगों को प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में पूछ रही हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में ऐसे ग्रामीण कार्यकर्ताओं को औपचारिक प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित फिलहाल कोई विशिष्ट केन्द्रीय योजना नहीं है।

भारत सरकार के मुद्रणालयों में काम करने वाले मैकेनिकों के वेतन निर्धारित करने में असंगतियां

*417. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 के वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के विभिन्न मुद्रणालयों में काम करने वाले मैकेनिकों का वेतन निर्धारित करते समय कुछ असंगतियां शेष रह गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार के ऐसे कौन-कौन से मुद्रणालय हैं ;

(ग) क्या इन असंगतियों की वजह से भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ में कार्यरत मैकेनिकों को भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों में कार्यरत उनके समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में अब भी कम वेतन मिल रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार का विचार इन असंगतियों को दूर करने का है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस प्रकार का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूखी भूमि पर खेती करने के लिए उपाय

*418. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक सूखी भूमि पर खेती करने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक वर्ष में कितने रकबे में शुष्क भूमि में खेती की गई ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1983-84 में सीमांत कृषकों की सहायता करने के उद्देश्य से सूखी भूमि पर खेती करने के लिए प्रारम्भ की गई योजना का ब्यौरा और तत्सम्बन्धी लक्ष्य क्या है ; और

(ग) उक्त वर्ष में योजना से लाभांवित होने वाले किसानों की राज्यवार संख्या कितनी है और कितने क्षेत्र को खेती के अन्तर्गत लाया गया तथा कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) ऐसे क्षेत्रों जहां वर्षा सिंचित परिस्थितियों में परम्परागत पद्धति से खेती की जाती है, कन्टूर बन्डिंग, भूमि को समतल करने, बह जाने वाले पानी (रन आफ) का प्रबन्ध, उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी, बागवानी, चरागाह विकास, वनरोपण आदि जैसे उपायों के माध्यम से उन्नत बारानी खेती की पद्धतियों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। यह नीति तथा परियोजना के घटक 1980-82 में तैयार किये गए और इसके बाद योजनाएं बनाई गईं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र नीचे दिया गया है :—

(लाख हैक्टर में)

	1982-83	1983-84
उन्नत बारानी खेती पद्धतियां	174.52	176.75
समेकित पनधारा प्रबन्ध	29.19	33.09

"बारानी खेती क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण/संचयन प्रौद्योगिकी का प्रचार" सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 1983-84 में माडल पनधारा विकास के अन्तर्गत प्रत्येक अभिज्ञात जिले में 225 हैक्टार क्षेत्र लाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। "बारानी कृषि के विकास" सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अभिज्ञात जिले में कृषकों के खेतों पर प्रत्येक 0.5 हैक्टर के 2600 प्रदर्शन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन योजनाओं से छोटे और सीमांत किसानों, जिनकी भूमि अभिज्ञात पनधाराओं में है, सहित सभी कृषकों को लाभ होगा। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में व्यक्तिगत भूमियों पर भूमि और जल विकास कार्यों, आदानों आदि पर 75 प्रतिशत राजसहायता प्रदान की जाएगी तथा सामुदायिक कार्यों के सम्बन्ध में पूरी लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में प्रदर्शन करने के लिए 400 रु० के आदानों को निःशुल्क प्रदान किए जाने तथा बीज और उर्वरक ड्रिल को खरीदने के लिए 400 रु० की राजसहायता देने के लिए व्यवस्था की गई है। दोनों योजनाओं के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह निर्धारित किया गया है कि छोटे और सीमांत किसानों को वरीयता दी जानी चाहिए।

चावल, दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि न होना

*419. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चावल, दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि रुक सी गयी है और इनका प्रति हैक्टेयर उत्पादन लगभग 1960 के वर्षों के बराबर ही चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1960-61, 1965-66, 1970-71, 1975-76, 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में चावल, दालों और तिलहनों का प्रति हैक्टेयर तथा कुल उत्पादन कितना था ;

(ग) क्या आर्थिक सलाहकार परिषद ने इस समस्या पर विचार किया है और कुछ सिफारिशें की हैं ;

(घ) यदि हां, तो पता लगाए गए कारणों का ब्यौरा क्या है और क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं। चावल के उत्पादन एवं उत्पादकता में 1960-61 से अब तक वास्तव में काफी अधिक वृद्धि रिकार्ड की गई है। चावल का उत्पादन जो 1960-61 में 346 लाख मीटरी टन था, 1980-81 में बढ़कर 536 लाख मीटरी टन हो गया तथा चालू वर्ष 1983-84 में इसके बढ़कर 570 लाख मीटरी टन हो जाने की आशा है। चावल की पैदावार का स्तर भी, जो 1960-61 में 1013 किलोग्राम प्रति हैक्टार था, 1980-81 में बढ़कर 1336 किलोग्राम प्रति हैक्टार हो गया तथा चालू वर्ष में इस स्तर से भी ज्यादा पैदावार होने की आशा है। जहां तक तिलहनों का सम्बन्ध है, पांच मुख्य तिलहनों (मूंगफली, तोरिया एवं सरसों, तिल, अलसी तथा अरण्ड) का उत्पादन, जो 1960-61 में 69.8 लाख मीटरी टन था, 1980-81 में बढ़कर 109.9 लाख मीटरी टन हो गया और आशा है कि चालू वर्ष 1983-84 में यह बढ़कर 111.4 लाख मीटरी टन हो जाएगा। तिलहनों की प्रति हैक्टर पैदावार के स्तर में वर्ष दर वर्ष उतार-चढ़ाव आता रहा है क्योंकि तिलहनों का एक बड़ा भाग अर्द्ध-शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा सिंचित परिस्थितियों में पैदा किया जाता है। तथापि, प्रति हैक्टार पैदावार का स्तर, जो 1960-61 में 507 किलोग्राम था, 1981-82 में बढ़कर 654 किलोग्राम हो गया तथा चालू वर्ष 1983-84 में इसके इसी स्तर पर रहने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज तथा कुसुम जैसे गैर-परम्परागत तिलहनों की खेती में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 1983-84 में उत्पादन में इनसे लगभग 12 लाख मीटरी टन के योगदान की आशा है, जबकि 1970-71 में यह 2.5 लाख मीटरी टन से भी कम था।

दलहनों के सम्बन्ध में, गत चार वर्षों के दौरान इनके उत्पादन एवं उत्पादकता में भी निश्चित

प्रगति दिखाई दी है। दलहनों का उत्पादन, जो 1980-81 में 106 लाख मीटरी टन था, 1982-83 में बढ़कर 116 लाख मीटरी टन हो गया तथा चालू वर्ष में इसके बढ़कर 125 लाख मीटरी टन हो जाने की आशा है। इस अवधि में पैदावार के स्तर में भी निरन्तर वृद्धि होती रही है।

(ख) विनिर्दिष्ट वर्षों के लिए चावल, दलहनों तथा 5 प्रमुख तिलहनों का अखिल भारतीय कुल उत्पादन और प्रति हैक्टर उपज नीचे दी गई है :—

(उत्पादन दस लाख मीटरी टन)
(प्रति हैक्टार पैदावार किलोग्राम में)

वर्ष	चावल		कुल दलहन		तिलहन*	
	उत्पादन	पैदावार	उत्पादन	पैदावार	उत्पादन	पैदावार
1960-61	34.6	1013	12.7	539	6.98	507
1965-66	30.6	862	9.9	438	6.40	419
1970-71	42.2	1123	11.8	524	9.26	601
1975-76	48.7	1235	13.0	533	9.91	651
1980-81	53.6	1336	10.6	473	8.38	539
1981-82	53.3	1308	11.5	483	10.99	654
1982-83	46.5	1230	11.6	517	9.35	562
1983-84 (प्रत्याशित)	57.0		12.5		11.14	

* 5 प्रमुख तिलहनों में मूंगफली, तोरिया और सरसों, तिल, अरण्डी तथा अलसी शामिल है।

(ग) जी, हां। आर्थिक सलाहकार परिषद ने कृषि विशेषकर गेहूं, कपास और ज्वार तथा कुछ हद तक चावल जैसी कुछ फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में हुई वृद्धि के बारे में भी विचार किया है। उन्होंने कुछ फसलों के प्रगतिरोध का भी उल्लेख किया है।

(घ) आर्थिक सलाहकर परिषद ने, पूर्वी और मध्य भारत में मौजूदा कम उपज के स्तरों और तीन दक्षिणी राज्यों अर्थात तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में चावल के उत्पादन के लगभग स्थिर स्तरों की वजह से चावल की पैदावार में वृद्धि की कम दरों का उल्लेख किया है। उसने दालों और तिलहनों की कम वृद्धि दर का भी उल्लेख किया है।

परिषद ने सुझाव दिया है कि "विशेष पूर्वी क्षेत्र में चावल के उत्पादन में अधिक तेजी से वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि इस क्षेत्र में विस्तृत आधार पर भूमिगत जल की उपलब्धता जैसे बहुत से प्राकृतिक लाभ इसके पक्ष में हैं। इस उद्देश्य के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने की सिफारिश की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ दालों और तिलहनों के लिए भी विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया गया है और देश के अर्द्ध-शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए ज्ञात तकनीकों के प्रसार की समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया है।

(ङ) सरकार आर्थिक सलाहकार परिषद की सिफारिशों पर विचार कर रही है और पूर्वी क्षेत्र के लिए चावल कार्यक्रम तैयार करने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक विचार-विमर्श किया जा चुका है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में खर्च की गई धनराशि

*420. **श्री जैनुल बशर :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई तथा वर्ष 1984-85 में कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) पूरे देश में कुल जनसंख्या के अनुपात में, कितने प्रतिशत लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाने हैं तथा उत्तर प्रदेश के लिए कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, वहां के लिए कोई विशेष सहायता प्रदान की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 47.08 करोड़ रु० की धनराशि का उपयोग किया गया है। 1984-85 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 39.22 करोड़ रुपये का अनन्तिम केन्द्रीय आबंटन करने का प्रस्ताव है।

चूंकि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू किया गया है इसलिए निधियों के उपयोग की कोई रिपोर्टें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के लिए 17.05 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है तथा वर्ष 1984-85 के लिए 85.25 करोड़ रु० का अनन्तिम आबंटन किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे देश के लिए 3222.60 लाख श्रम दिवसों के रोजगार सृजन के लक्ष्य के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में 550.47 लाख श्रम दिवसों के रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि 17.08 प्रतिशत बनता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को निधियों का

आबंटन एक निर्धारित मानदण्ड के आधार पर किया जाता है, जिसके अन्तर्गत खेतिहर मजदूरों तथा सीमांत कृषकों की संख्या का 75 प्रतिशत तथा गरीबी के प्रभाव को 25 प्रतिशत बल दिया जाता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है।

स्वीकृति के लिए विचाराधीन सिंचाई परियोजनाएं

*421. **श्री चित्त महाटा** : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से अब तक केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की कितनी सिंचाई परियोजनाओं को, राज्य-वार, स्वीकृति दी है ; और

(ख) कितनी सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति के लिए (राज्य-वार) केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन हैं और उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क)सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना तथा संस्वीकृति राज्य सरकार द्वारा स्वयं की जाती है और उनका क्रियान्वयन भी वे खुद ही करते हैं। तथापि, बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाए योजना आयोग की मंजूरी हेतु भारत सरकार को भेजी जाती हैं।

अप्रैल, 1980 से अब तक विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई 104 बृहद मध्य सिंचाई परियोजनाएं विकास योजनाओं में शामिल करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृति की गई थी। राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा भेजी गई 49 बृहद तथा 41 मध्यम सिंचाई स्कीमें केन्द्र के पास लम्बित पड़ी हैं। स्कीम के जांच करने की पद्धति यह है कि केन्द्रीय जल आयोग में स्कीमें प्राप्त होने के पश्चात उनकी उपयुक्त निदेशालयों में जांच की जाती है तथा राज्यों को टिप्पणियां भेजी जाती हैं। यदि इन टिप्पणियों पर राज्य सरकार के उत्तर स्वीकार्य होते हैं तो स्कीमों की स्वीकृति के लिए सिफारिश की जाती है। यदि उत्तर स्वीकार्य नहीं होते हैं तो राज्य सरकार से और पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। 90 स्कीमों में से, 49 स्कीमों तक तकनीकी सलाहकार समिति में विचार किया गया है और उन पर योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है, जबकि शेष 41 स्कीमें जांच के विभिन्न चरणों में हैं।

लम्बित स्कीमों के राज्य-वार ब्यौरे विवरण दो में दिए गए हैं।

विवरण-एक

1-4-1980 से अब तक (15-3-1984) की अवधि के दौरान योजना आयोग द्वारा स्वीकृति परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	राज्य का नाम	1980-81 से 1983-84 के दौरान योग		
		बृहद	मध्यम	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1	2
2.	असम	1	1	2
3.	बिहार	1	10	11
4.	गुजरात	2	10	12
5.	हरियाणा	2	—	2
6.	राजस्थान	—	4	4
7.	जम्मू और कश्मीर	—	1	1
8.	हिमाचल प्रदेश	—	1	1
9.	कर्नाटक	—	1	1
10.	केरल	1	1	2
11.	मध्य प्रदेश	2	14	16
12.	महाराष्ट्र	4	29	33
13.	गोवा, दमन और दीव	—	1	1
14.	मणिपुर	1	1	2
15.	उड़ीसा	—	4	4
16.	पंजाब	2	—	2
17.	तमिलनाडु	—	4	4
18.	त्रिपुरा	—	1	1
19.	उत्तर प्रदेश	3	—	3
	योग	20	84	104

विवरण-दो

15-3-1984 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग/योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए पड़ी नई सिंचाई/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	बृहद	मध्यम	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	—	2
2.	असम	—	—	—
3.	बिहार	9	9	18
4.	गुजरात	3	1	4
5.	हरियाणा	2	—	2
6.	हिमाचल प्रदेश	—	1	1
7.	जम्मू और कश्मीर	—	3	3
8.	कर्नाटक	—	—	—
9.	केरल	2	1	3
10.	मध्य प्रदेश	9	2	11
11.	महाराष्ट्र	6	13	19
12.	मणिपुर	1	—	1
13.	मेघालय	—	—	—
14.	नागालैण्ड	—	—	—
15.	उड़ीसा	3	6	9
16.	पंजाब	1	—	1
17.	राजस्थान	1	5	6

1	2	3	4	5
18.	सिक्किम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	—	—	—
20.	त्रिपुरा	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	3	—	3
22.	पश्चिम बंगाल	6	—	6
	संघ राज्य क्षेत्र			
23.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	1
	कुल जोड़	49	41	90

गुजरात के समस्या वाले गांवों को पेयजल की सुविधा

*423. **श्री नवीन रावणी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में छठी योजना अवधि के आरम्भ में समस्या वाले गांवों की जिलेवार संख्या कितनी थी ;

(ख) गुजरात राज्य में छठी योजना अवधि के दौरान पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया ;

(ग) 31 दिसम्बर, 1983 तक कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है ;

(घ) पानी की कमी का सामना करने वाले जिलों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) निर्धारित समय में लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या उपाय किए जा रहे है ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) से (ग) 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में समस्याग्रस्त गांव 1980-81 से 1983-84 (31 दिसम्बर, 1984 तक) की अवधि के दौरान लाभान्वित किए गए समस्याग्रस्त गांव और लाभान्वित किए जाने वाले शेष समस्याग्रस्त गांवों के जिलेवार आंकड़े सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं :

1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। 1982-83

तथा 1983-84 के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :—

1982-83	800 समस्याग्रस्त गांव
1983-84	1000 समस्याग्रस्त गांव

(घ) समस्याग्रस्त गांवों वाले जिलों के ब्यौरे सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) जल पूर्ति राज्य का विषय है और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है। सम्पूर्ण छठी योजनावधि के 6500 लाख रुपयों के परिव्यय की तुलना में छठी योजना के प्रथम चार वर्षों (1980-81 से 1983-84 तक) के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 4705 लाख रु० की राशि उपलब्ध थी। केन्द्रीय क्षेत्र के त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को जल पूर्ति की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 1980-81 से 1983-84 के दौरान गुजरात राज्य को 1444.86 लाख रुपये की राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा प्रवर्तित नई प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निष्पादन के आधार पर गुजरात राज्य को 350 लाख रुपये की राशि दी गई थी।

प्रयोग किए गए आदान तथा कृषि उत्पादन

*424. **श्री ए० के० राय** : क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार उर्वरक, अधिक उपज देने वाले बीज और सिंचाई आदि के रूप में कृषि आदानों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना थी ;

(ग) वस्तुत: कितनी वृद्धि हुई है ;

(घ) क्या दोनों में कोई अन्तर है ;

(ङ.) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) 1979-80 से 1983-84 तक के दौरान अधिक उपज देने वाली किस्में, उर्वरकों तथा कृमिनाशी औषधियों सहित उन्नत किस्मों के प्रमाणीकृत। बेहतर बीजों की खपत तथा 1976-77 तथा 1980-81 के दौरान सकल सिंचित क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला विवरण-I संलग्न है।

2. कृषि उत्पादन अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों इत्यादि का संयुक्त पारस्परिक क्रिया का फल है। इन पहलुओं में से प्रत्येक द्वारा किए जाने वाले वास्तविक योगदान को पृथक नहीं किया जा सकता है। 1982-83 के समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों के लिए खाद्यान्नों, तिलहनों, रेशों, तथा गन्ना के अखिल भारतीय उत्पादन को प्रदर्शित करने वाला विवरण-II संलग्न है।

3. यहां यह उल्लेखनीय है कि 1979-80 तथा 1982-83 के वर्षों के दौरान देश को अभूत-पूर्व सूखे का सामना करना पड़ा जिसका कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

विवरण

लाभान्वित किए गए समस्याग्रस्त ग्रामों के जिलावार आंकड़े

क्रम सं०	जिला	1-4-80 को लाभान्वित किए गए समस्या ग्रस्त गांव	लाभान्वित किए गए समस्या ग्रस्त गांवों की संख्या				1980-84 दिसम्बर, 83 तक लाभान्वित किए गए कुल समस्याग्रस्त ग्राम (4+3+6+7)=8
			1980-81 आंशिक तथा पूर्ण रूप से	1981-82 पूर्ण तथा आंशिक रूप से	1982-83 पूर्ण तथा आंशिक रूप से	1983-84 दिसम्बर, 83 तक	
1.	अहमदाबाद	171	17	31	30	9	87
2.	अमरेली	167	7	10	12	19	48
3.	बनासकण्ठा	315	23	33	36	30	122
4.	बड़ोदा	406	26	49	80	47	202
5.	भरूच	361	46	31	54	53	184
6,	भाव नगर	219	9	8	25	32	74
7.	बुंलसर	490	83	122	68	55	328
8.	डंग्ज	43	—	—	14	—	14
9.	गांधी नगर	11	4	3	1	3	11

10. जामनगर	165	21	17	28	10	76
11. जूनागढ़	410	12	21	35	63	131
12. कुच	402	9	10	23	14	56
13. खेड़ा	263	13	45	42	38	135
14. मेहसिना	191	23	29	39	16	107
15. पंचमहल	516	97	61	39	114	311
16. राजकोट	275	15	17	31	36	99
17. सावरकण्ठ	376	40	47	71	27	185
18. सूरत	335	63	29	54	53	199
19. सुरेन्द्र नगर	202	17	18	30	9	74
योग :	5318	525	581	712	625	2443 (46 प्रतिशत)

विवरण-I

अधिक उपज देने वाली किस्मों, उर्वरकों, कृमि नाशियों सहित उन्नत प्रमाणीकृत 1 बेहतर बीजों की खपत तथा सकल सिंचित क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला विवरण (अखिल भारत)

आदान	एकक	वर्ष				
		1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (लक्ष्य)
अधिक उपज देने वाले बीज	लाख क्विंटल	14.00	25.01	29.81	42.06	58.85
उर्वरक	लाख मीटरी टन	52.55	55.16	60.64	63.88	72.00
कृमिनाशी	000 मीटरी टन	50	45	47	50	72
सिंचाई	दस लाख हैक्टार	43.55	46.21	48.31	49.18	49.59
		(1976-77)	(1977-78)	(1978-79)	(1979-80) (अस्थायी)	(1980-81) (अस्थायी)

विवरण-II

खाद्यान्नों, तिलहनों, रेशों तथा गन्ना के उत्पादन के अनुमान प्रदर्शित करने वाला विवरण (अखिल भारत)

उत्पादन (दस लाख मीटरी टन)

फसल	मौसम	वर्ष				
		1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5	6	7
चावल	पतझड़	23.25	18.27	22.77	24.81	22.21
	शरद	26.09	20.21	27.32	24.43	20.48
	खरीफ चावल	49.34	38.48	50.09	49.24	42.69
	ग्रीष्म	4.43	3.85	3.54	4.01	3.79
	योग	53.77	42.33	53.63	53.25	46.48
ज्वार	खरीफ	7.93	7.72	7.50	8.77	7.62
	रबी	3.51	3.93	2.93	3.29	3.06
	योग	11.44	11.65	10.43	12.06	10.68

1	2	3	4	5	6	7
बाजरा		5.57	3.95	5.34	5.54	5.13
मक्का		6.20	5.60	6.96	6.90	6.28
रागी		3.20	2.72	2.42	2.96	2.61
छोटे कदन्न		1.89	1.43	1.58	1.64	1.24
गेहूं		35.51	31.83	36.41	37.45	42.50
जौ		2.14	1.62	2.29	1.99	1.86
मोटे धान्य		30.44	26.57	29.02	31.09	27.80
धान्य	खरीफ	74.13	59.80	73.89	75.05	65.57
	रबी	45.59	41.23	45.07	46.74	51.21
	योग	119.72	101.13	118.96	121.79	116.78
दलहन						
खरीफ-तर (अरहर)		1.89	1.76	1.96	2.24	1.92
अन्य खरीफ दलहन		2.06	1.59	1.80	2.09	2.00
योग खरीफ दलहन		3.95	3.35	3.76	4.34	3.92

रबी-चना		5.74	3.36	4.33	4.64	5.09
अन्य रबी दलहन		2.49	1.86	2.54	2.54	2.56
योग रबी की दलहन		8.23	5.22	6.87	7.18	7.65
योग दलहन		12.18	8.57	10.63	11.51	11.57
खाद्यान्न	खरीफ	78.08	63.25	77.65	79.38	69.49
	रबी	53.82	46.45	51.94	53.92	58.86
	योग	131.90	109.70	129.59	133.30	128.35
नारियल	खरीफ	52.1	47.3	37.2	55.2	38.1
	रबी	10.0	10.7	12.9	17.0	17.4
	योग	62.1	57.7	50.1	72.2	55.5
एरेड		2.3	2.3	2.0	3.1	3.8
तिल		5.1	3.5	4.5	5.9	5.0
तौरिया तथा सरसों		18.6	14.3	23.0	23.8	24.7
अलसी		5.3	2.7	4.2	4.8	4.8
रामतिल		1.5	1.0	1.5	1.6	1.2
कुसुम		2.1	2.8	3.3	4.2	3.7

1	2	3	4	5	6	7
सूरजमुखी	खरीफ	0.7	0.2	0.5	1.0	1.4
	रबी	0.3	0.1	0.2	0.6	0.8
	योग	1.0	0.3	0.7	1.6	2.2
सोयाबीन		3.0	2.8	4.4	4.7	4.9
योग नो						
तिलहन	खरीफ	64.7	57.1	50.0	71.5	54.0
	रबी	36.3	30.3	43.7	50.4	51.5
	योग	101.0	87.4	93.7	121.9	105.5
कपास ×		79.6	76.5	70.1	78.8	77.2
पटसन तथा मेस्ता ××		83.3	79.6	81.6	83.7	71.7
गन्ना (केन)		1516.6	1288.3	1542.5	1863.6	1891.3

× प्रत्येक 170 कि० ग्राम की लाख गांठों के रूप में।

×× प्रत्येक 180 कि० ग्राम की लाख गांठों के रूप मे।

राज्यों को चावल आवंटन

*306. **श्री चित्त महाटा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अनुमानत: कितनी मात्रा में चावल का उत्पादन हुआ और प्रत्येक राज्य तथा संघ-शासित क्षेत्र को उसकी कितनी मात्रा आबंटित की गई है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र को चावल के आबंटन के लिए क्या मानदण्ड है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) वर्ष 1983-84 के लिए चावल के आवंटन के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, इस समय यह अन्दाज लगाया गया है कि कुल उत्पादन 570 लाख मीटरी टन के आस-पास हो सकता है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को चावल के आवंटन केन्द्रीय भण्डार के स्टाक से किए जाते हैं और एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें वर्ष 1983 के दौरान और 1984 की प्रथम तिमाही में राज्यवार आबंटनों का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय भण्डार से विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को चावल के आवंटन केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं तथापि, केन्द्रीय भण्डार से आवंटन केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं।

विवरण

(आंकडे हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1983	आबंटित की गई चावल की मात्रा
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1128.0	240.0
असम	270.0	60.0
बिहार	215.0	60.0
गुजरात	90.0	22.5
हरियाणा	23.4	6.6

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	30.0	7.5
जम्मू तथा कश्मीर	144.0	36.0
कर्नाटक	180.0	60.0
केरल	1305.0	330.0
मध्य प्रदेश	245.0	60.0
महाराष्ट्र	300.0	75.0
मणिपुर	36.0	9.0
मेघालय	76.5	19.5
नागालैंड	45.5	12.0
उड़ीसा	190.0	15.0
पंजाब	6.0	1.5
राजस्थान	12.0	3.0
सिक्किम	42.0	10.5
तमिलनाडु	245.0	110.0
त्रिपुरा	88.0	22.5
उत्तर प्रदेश	305.0	75.0
पश्चिमी बंगाल	1330.0	330.0
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	12.3	3.0
अरुणाचल प्रदेश	35.63	10.7
चण्डीगढ़	2.5	0.75
दादर तथा नगर हवेली	0.92	0.3

1	2	3
दिल्ली	180.0	45.0
गोआ, दमन तथा दीव	36.0	9.0
पांडिचेरी	20.0	6.0
मिजोरम	68.5	15.0
लक्षद्वीप	5.5	—
जोड़ सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश	6667.75	1655.35

दिल्ली/नई दिल्ली में कार्यरत वाणिज्यिक परियोजनाएं

4660. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली/नयी दिल्ली में राजेन्द्र प्लेस, नेहरू प्लेस आदि जैसे वाणिज्यिक परियोजनाओं की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां कार्यरत हैं ;

(ख) क्या नई दिल्ली में और अधिक व्यापारिक केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने केन्द्र और खोले जायेंगे और कहां-कहां खोले जायेंगे तथा इनके कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका से सम्बन्धित वाणिज्यिक परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. दिल्ली विकास प्राधिकरण

इस समय छः जिला केन्द्र हैं जो दिल्ली में चल रहे हैं नामतः नेहरू प्लेस (कालका जी), भीका जी कामा प्लेस (रामकृष्णपुरम), लक्ष्मी नगर (शाहदरा में) राजेन्द्र प्लेस (पूसा रोड़) शिवाजी प्लेस (राजौरी गार्डन) तथा जनकपुरी। वृहत योजना में पन्द्रह जिला केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से छः पहले ही चल रहे हैं। खैबर पास, शाहदरा (उत्तरी बांध क्षेत्र), लोनी रोड़ (उत्तरी शाहदरा), दिलशाद गार्डन (शाहदरा बार्डर), नागलोई (रोहतक रोड़ के दक्षिण में), शकूरबस्ती, बजीरपुर, शालीमार गार्डन, मालवीय नगर, अन्य स्थान हैं। इनमें से चार केन्द्र अर्थात खैबरपास, वजीरपुर, शालीमार गार्डन तथा मालवीय नगर योजना के विभिन्न सोपानों में हैं।

II. दिल्ली नगर निगम

निगम के सामान्य स्कन्ध ने कुछ छोटी वाणिज्यिक योजनाएं आरम्भ की हैं, दिल्ली नगर निगम के नगर आयोजना विभाग द्वारा तैयार की गई योजनाएं निम्न प्रकार हैं :

1. नानीवाला बाग में वाणिज्यिक परिसर
2. रणजीत नगर में सामुदायिक केन्द्र
3. मिलन सिनेमा (नजफगढ़ रोड़) के पास सामुदायिक केन्द्र
4. मुखर्जी नगर (किंग्जवे कैम्प) में सामुदायिक केन्द्र
5. आरामबाग में स्थानीय विपणन केन्द्र

आरामबाग में स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र के अलावा ऊपर बताए गए वाणिज्यिक परिसरों का विकास किया गया है और परिसरों में वाणिज्यिक भवन या तो तैयार हो गए है या तैयार हो रहे हैं।

III. नई दिल्ली नगर पालिका

नई दिल्ली नगर पालिका की निम्नलिखित परियोजनाएं उनके सामने दी गई तारीखों को पूर्ण हो गई हैं/उनके पूर्ण होने की आशा :—

1. यशवन्त प्लेस परिसर चाणक्यपुरी	पूर्ण हो गया है ।
2. क्यू प्वांइट परिसर खान मार्किट	कार्यालय एवं दुकानों वाला प्रथम चरण पूरा हो गया है।
3. विपणन एवं कार्यालय परिसर, सेक्टर-13, रामकृष्णपुरम	अप्रैल, 1984
4. विपणन एवं कार्यालय परिसर, रामकृष्ण आश्रम मार्ग	दिसम्बर, 84 तक
5. फायर ब्रिगेड लेन वाणिज्यिक परिसर	होस्टल का प्रथम चरण 30-6-85 तक पूर्ण किया जाना है।
6. उप-जिला केन्द्र, गोल मार्किट	निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका को भूमि का कब्जा देने के बाद ही गोल मार्किट में उप-जिला केन्द्र का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका ने केन्द्र की डिजाइन संकल्पना के लिए एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता चलाई है।

पानी के बिलों पर अनेक कम्पनियों के विज्ञापन

4661. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल प्रदाय विभाग के पानी के बिलों पर अनेक कम्पनियों के विज्ञापन छपे होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विज्ञापनों से कितनी आय अर्जित हुई तथा यह आय किन मदों पर खर्च की गई ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निर्यात संस्थान के अनुसार प्रचार ठेकेदार द्वारा देय रायल्टी की राशि निम्न प्रकार है :—

1978-79	14,400 रु०
1979-80	16,032 रु०
1980-81	17,880 रु०
1981-82	20,088 रु०
1982-83	26,600 रु०

इस संस्थान ने सूचित किया है कि रायल्टी की राशि संस्थान के सामान्य खाते में जमा की जाती है ।

गुन्टूर के निकट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की पशु प्रजनन अनुसंधान परियोजना

4662. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुन्टूर के निकट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कोई पशु प्रजनन अनुसंधान परियोजना केन्द्र कार्य कर रहा है और यदि हां, तो उसका स्थान, आरम्भ किए जाने का वर्ष क्या है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्षवार कितनी धनराशि दी गई और उससे कितनी आय हुई और उससे कुल कितना दुग्ध उत्पादन हुआ और दुधारू और दूध न देने वाली गायों की पृथक् पृथक् संख्या कितनी है और आरम्भ से अब तक 15 मार्च, 1984 तक प्रजातिवार, वर्गवार तथा वर्षवार मादा पशुओं की संख्या कितनी है ;

(ख) 1975 से अब तक मूल्यांकन समिति, यदि कोई हो, के सदस्यों और उनके दौरे की तारीखों का ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं और 1975 से अब तक कितनी कार्यशालाएं आयोजित की गई तथा प्रत्येक मुख्य सिफारिश पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा 15 मार्च, 1984 तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या पशु परियोजना फार्म में पानी और सिंचाई सुविधाओं की कमी है और वहां पर चारे का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है तथा जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं है ; और

(घ) क्या सरकार इस केन्द्र के कार्य-निष्पादन से सन्तुष्ट है और यदि नहीं, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और कब ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्। अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना 1970 से ही आंध्र प्रदेश में गुंटूर के नजदीक लाम में कार्य कर रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा रिलीज की गई वर्षवार निधि, उससे प्राप्त आय और कुल दूध उत्पादन से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है। दूध देने वाली और दूध न देने वाली गायों की संख्या, योजना के आरंभ से 1 दिसम्बर, 1983 तक वर्षवार मादा पशुओं की संख्या, तथा वर्गवार आनुवंशिकी का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। 15 मार्च, 1984 तक की सूचना प्राप्त की जा रही है और उसे यथा समय सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) गोपशु प्रायोजना के कार्य का परिषद के दिनांक 9 जून, 1980 के पत्र संख्या 14-3/80 ए० एस० आर० के द्वारा गठित मध्य-अवधि समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति थे :—

1. डा० सी० कृष्णा राव	अध्यक्ष
2. डा० डी० सुन्दरेसन	सदस्य
3. श्री वी० एन० आम्बले	,,
4. डा० पी० भट्टाचार्या	,,
5. डा० ओ० बी० टन्डन	,,
6. डा० बी० जी० कटपताल	,,

समिति ने लाम एकक में 9 नवम्बर, 1980 से 11 नवम्बर, 1980 तक दौरा किया था तथा यह बतलाया कि एकक के कार्य में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है जोकि विशेषकर अवस्थापन संबंधी सुविधाओं आदि के रूप में हो। समिति ने प्रायोजना के सुधार के लिए कई उपाय सुझाए थे जोकि एकक के लिए स्टाफ, आवास तथा निधि से सम्बन्धित थे।

एकक के कार्य की भी 1975 से निम्नलिखित कार्यशालाओं में जांच की गई थी ।

1. गोपशु प्रायोजना पर तीसरी कार्यशाला पूना/उरलीकंचन में 9 फरवरी, 1976 से 11 फरवरी, 1976 तक आयोजित की गई ।

2. गोपशु प्रायोजना पर चौथी कार्यशाला दिनांक 16 अप्रैल से 19 अप्रैल, 1978 तक गुन्टूर में हुई ।

3. गोपशु प्रायोजना पर पांचवीं कार्यशाला 21 से 23 अप्रैल, 1980 तक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में हुई ।

4. गोपशु प्रायोजना पर छठी कार्यशाला 28 से 30 अगस्त, 1983 तक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में हुई ।

इन कार्यशालाओं की सिफारिशें एककों तथा प्रायोजना समन्वयकों (ए बी) को उनके कार्यान्वयन हेतु भेज दी गई थी ।

(ग) 1969-70 और 1979 में हुई सर्वे से यह प्रकट होता है कि भूगत जल खारा, सीमित मात्रा में है और सिचाई के लिए उपयुक्त नहीं है । इस प्रकार इससे चारा उत्पादन पर असर पड़ता है । जल निकासी की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी । इन समस्याओं को दूर करने के लिए आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अब नागार्जुन सागर नहर से जल प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और आन्ध्र प्रदेश सरकार ने लिफ्ट सिचाई पद्धति से वेगु नदी से एक क्यूसेक जल प्राप्त करने के लिए स्थाई आधार पर अनुमति प्रदान कर दी है ।

(घ) भा० कृ० अ० प० ने यूनिट के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए समय-समय पर सभी सम्भव उपाय किए हैं तथा अवस्थापन सम्बन्धी संसाधनों की सीमाओं के अन्दर कार्य सन्तोषजनक है ।

विवरण-I

अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना
भा० कृ० अ० प० द्वारा रिलीज किए गए फण्डों, प्राप्त आय तथा कुल उत्पादित दूध का विवरण

यूनिट : ए० पी० ए० यू०, लाभ

वर्ष	भा० कृ० अ० प० द्वारा रिलीज किये गये फण्ड (रुपये लाख में)	प्राप्त आय (रुपये लाख में)	उत्पादित दूध (क्विन्टल)
1	2	3	4
1970-71	5.58	एन०ए०	एन०ए०
1971-72	35.09	एन०ए०	एन०ए०

1	2	3	4
1972-73	13.95	1.02	950.00
1973-74	11.29	1.58	1774.00
1974-75	8.44	1.34	1404.35
1975-76	13.32	1.52	1113.00
1976-77	12.87	2.36	1558.15
1977-78	12.22	4.03	3017.96
1978-79	10.96	7.30	4828.32
1979-80	7.13	8.95	6704.56
1980-81	7.65	10.72	5961.90
1981-82	5.33	7.71	4417.94
1982-83	12.89	11.29	4958.65
1983-84	10.58*	जारी	जारी

*15 मार्च 1984 तक

एन० ए०—उपलब्ध नहीं

विवरण-II

अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना

वर्ष के 31 मार्च को दूध देने वाली गायों, दूध न देने वाली गायों और मादाओं की कुल संख्या

यूनिट : ए० पी० ए० यू०, लाख

आनुवंशिकी ग्रुप/मादाओं की श्रेणी	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984*
स्थानीय													
दूध देने वाली गायें	23	189	89	151	141	65	40	8	—	—	—	—	—
दूध न देने वाली गायें	13	178	451	375	298	156	71	30	10	—	—	—	—
कुल मादाएं	49	598	632	560	465	228	112	38	10	—	—	—	—
1/2एफ० 1/20													
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	6	28	97	81	128	92	101	84	137
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	2	14	57	45	53	44	60	—
कुल मादाएं		—	27	93	165	184	201	197	198	157	148	145	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
1/2 बी० 1/20													
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	6	18	60	47	65	39	43	2	—
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	3	6	37	27	31	17	7	—
कुल मादाएं	—	—	11	57	103	106	109	98	98	75	62	9	—
1/2 जे० 1/20													
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	4	11	14	51	41	40	20	10
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	2	32	21	42	37	13	—
कुल मादायें	—	—	—	5	34	79	105	98	100	92	82	33	10
1/2 एफ 1/4 बी० 1/40													
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	16	19	86
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	24	
कुल मादाएं	—	—	—	—	2	9	31	37	65	79	95	98	93
1/2 एफ० 1/4जे० 1/40													
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	17	12	80

दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16			
कुल मादाएं	—	—	—	—	8	20	44	74	990	107				99
1/2 बी० 1/4 एफ 1/40														
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	3	1	5	9	16				66
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	2	1	4	7				
कुल मादाएं	—	—	—	2	7	32	26	54	71	78	85			78
1/2 जे० 1/4 एफ० 1/40														
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	2	7	22	22			69
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	1	1	5	11	25			
कुल मादाएं	—	—	—	—	4	27	41	75	85	93	99			84
1/2 एफ० 1/4 बी 1/40 (आई)														
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
कुल मादाएं	—	—	—	—	—	—	1	—	8	14				17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	14
1/2बी० 1/4 एफ० 1/40 (आई)													
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
कुल मादाएं	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	10	16	25
1/2 एफ० 1/4 जे० 1/40 (आई)													
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
कुल मादाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	14	26
1/2 जे० 1/4 एफ० 1/40 (आई)													
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
कुल मादाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	18	27	34

1/2 एफ० 1/20 (आई)													
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
कुल मादायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	33	54
1/2 बी० 1/20 (आई)													
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल मादाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
1/2 जे० 1/20 (आई)													
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल मादाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	18
अन्य													
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल मादाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—

* 1-12-1983 को

धान की भूसी से तेल निकालने के लिए उत्तर प्रदेश में एक मिल की स्थापना

4663. **श्री राम लाल राही** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के पिसवान खण्ड में धान की भूसी से तेल निकालने हेतु एक मिल स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र की निर्धनता और पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उक्त मिल स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : धान की भूसी में बहुत अल्प मात्रा में तेल होता है और इसलिए धान की भूसी में से तेल निकालने के लिए मिल स्थापित करना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी प्रस्ताव नहीं समझा जाता।

खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि

4664. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष स्थापित किया है ;

(i) ऐसे खिलाड़ी जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं के दौरान भी जख्मी हुए थे, उन्हें, चोट की किस्म के आधार पर, उपयुक्त सहायता प्रदान करना ;

(ii) ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश के लिए ख्याति प्राप्त करते हैं तथा जो अपने कड़े प्रशिक्षण के बाद अथवा अन्यथा अपंग हो जाते हैं, उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान करना तथा चिकित्सा, उपचार द्वारा अथवा मासिक पेंशन अथवा दोनों के जरिए उन्हें प्रत्येक मामलों के गुणदोष के आधार पर, सहायता प्रदान करना ;

(iii) सामान्य तौर पर खिलाड़ियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कल्याण कोष

की राशि का उपयोग और व्यवस्था करना ताकि उनमें तथा उनके अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे आश्रितों के दुःख को कम किया जा सके ; और

(iv) अन्य सभी कार्य भी करना जो उपर्युक्त लक्ष्यों से संगत है।

दालों का उत्पादन बढ़ाने हेतु आदानों के प्रयोग को बढ़ाना

4665. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को दालों के उत्पादन में आदानों के प्रयोग को बढ़ावा देने के आदेश दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उन्नतशील बीजों, फासफेट उर्वरकों, कृमि नाशकों और राइजोविनयम कल्चर की सप्लाई के रूप में महत्वपूर्ण दाल उत्पादन जिलों को कितनी सहायता दी है ;

(ग) उड़ीसा जैसे पूर्वी राज्यों में दालों के उत्पादन को बढ़ा देने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) उस राज्य की जलवायु में उग सकने वाली दालों की किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देने और आदानों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु राज्य सरकार की सलाह से इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं ; और

(च) क्या सरकार का विचार दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के किसी फेडरेशन का गठन करने का है, यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित। केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत बढ़िया बीजों, फास्फेट युक्त उर्वरकों, कृमिनाशियों और राजोबियन कल्चर की सप्लाई के जरिए सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 1983-84 के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) दलहन विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सुलभ कराई गई सहायता निम्नलिखित है :—

घटक	मात्रा	धनराशि (लाख रुपये)
बढ़िया बीज	11,681 मीटरी टन	211.02
वनस्पति रक्षण के रसायन	33,830 मीटरी टन	169.15
राजोबियन कल्चर	3,94 लाख पैकेट	11.82

(2) छोटे और सीमान्त किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत तिलहनों और दलहनों के बीजों तथा उर्वरकों के मिनिकिटों का नि:शुल्क वितरण, भूमि विकास और स्टाफ के खर्च के लिए प्रति खण्ड एक लाख रुपए की एक मुश्त सहायता का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि भूमि विकास और स्टाफ पर खर्च के लिए सुलभ कराई गई धनराशि का इस्तेमाल न किये जाने की स्थिति में इस धनराशि को मिनिकिटों के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बीजों, उर्वरकों और राइजोबियन कल्चर को मिलाकर दलहनों के कुल 9.65 लाख मिनिकिट छोटे और सीमान्त किसानों में वितरित किए जा चुके हैं।

(3) मिनिकिट प्रदर्शन की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत, किसानों में राइजोबियन कल्चर सहित बीजों के 4.58 लाख मिनिकिटों का नि:शुल्क वितरण किया जा चुका है।

(ग) कृषि-अर्थ अनुसंधान केन्द्र, विश्वभारती, शान्ति निकेतन द्वारा उड़ीसा में मूंग की खेती विषयक अध्ययन शुरू किया गया है।

(घ) और (ङ) अध्ययन अभी पूर्ण नहीं किया गया है और इसके पूरा हो जाने पर, इसके सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से कार्यवाही की जाएगी। केन्द्रीय क्षेत्र 1 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अब राज्य सरकारों को दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

(च) किसानों के हितों की रक्षा के लिए दलहनों के बढ़े हुए उत्पादन के लिए विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त विपणन सुविधाएं सुलभ कराने की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय राज्यों में वर्तमान सहकारी विपणन तन्त्र और राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ (नेफेड) दलहनों का विपणन सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं। बढ़ते हुए उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए मौजूदा संरचना के कार्य निष्पादन को मद्देनजर रखते हुए, यदि आवश्यक हुआ, तो दलहनों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय संघ का गठन किया जायेगा।

एशियाई खेल गांव स्थित फ्लैटों और अन्य स्थलों की बिक्री

4666. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक बेचे गए एशियाई खेल गांव स्थित फ्लैटों और अन्य स्थलों का ब्योरा क्या है ;

(ख) उनके खरीदारों के नाम, बिक्री की तारीख, स्थान, क्षेत्रफल और रुपयों में मूल्य क्या हैं ;

(ग) उनकी बिक्री से अब तक कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ; और

(घ) क्या कुछ सरकारी उपक्रम भी इन फ्लैटों आदि को खरीद रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) शून्य।

(ग) धरोहर राशि के रूप में 4,65,00/-अमरीकी डालर प्राप्त हुए हैं।

(घ) जी, हां। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों ने खेल गांव में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों आदि की खरीद के लिए प्रस्ताव किया है। उनके मामलों पर किया जा रहा है।

गरीबों और मध्यम आय वर्ग के लोगों को फ्लैटों का आवंटन करने की योजना

4667. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण का गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोगों को किराया खरीद के आधार पर फ्लैट आवंटित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना बनाई जाएगी ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत सभी श्रेणियों में आवंटन 50 प्रतिशत नकद भुगतान आधार पर तथा 50 प्रतिशत किराया खरीद आधार पर किया जाता है। परन्तु नई पद्धति योजना 1979 के मामले में जनता और निम्न आय वर्ग श्रेणियों में नकद भुगतान और किराया का अनुपात 25 तथा 75 है और मध्यम आय वर्ग श्रेणी के मामले में 40 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत है।

इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक आवंटित फ्लैटों के ब्यौरे इस प्रकार है :—

सामान्य आवास योजना		**नई पद्धति आवास योजना**	
मध्यम आय वर्ग	21398	मध्यम आय वर्ग	4764
निम्न आय वर्ग	20741	निम्न आय वर्ग	8369
जनता	15881	जनता	10617
योग	58,020		23.50

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सरकारी कार्यालयों के लिए किराए में लिया गया आवास

4668. **श्री सबत कुमार मण्डल** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय व राजधानी में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए किराए पर लिए आवास का क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष कितने किराए का भुगतान किया जाता है ;

(ग) इतनी अधिक जगह किराए में लेने का क्या औचित्य है ; और

(घ) राजधानी में केन्द्रीय सरकार के अधिक कार्यालयों को खोलने पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के ले-आउट प्लान्स की मंजूरी दिया जाना

4669. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली की किन-किन कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के पटपड़गंज और रोहिणी आवास क्षेत्रों में ले आऊट प्लान्स को मंजूरी दे दी गई है और मकान निर्माण करने की अनुमति प्रदान कर गई है ;

(ख) क्या सरकार को यह पता चला है कि कुछ सोसायटियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपने प्लान भेजने के तुरन्त बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली शहरी कला आयोग को स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बगैर पटपड़गंज और रोहिणी आवास क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

रेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत दो वर्षों के दौरान पटपड़गंज क्षेत्र में निम्नलिखित सहकारी ग्रुप आवास समितियों के निर्माण के विन्यास नक्शे अनुमोदित किए हैं।

(1) प्रिंस सहकारी ग्रुप आवास समिति

(2) दिल्ली सहकारी ग्रुप आवास समितियां

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को ज्ञात हुआ है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर कला आयोग से अपने नक्शों को पास कराये बिना दो समितियों ने स्थल पर निर्माण गतिविधियां आरंभ कर दी हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दोनों समितियों को नोटिस जारी किए हैं।

गुजरात की सड़कों से नहीं जुड़े गांव

4670. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के प्रत्येक जिले में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिन्हें 31 दिसम्बर, 1983 तक सड़कों से नहीं जोड़ा गया है ; और

(ख) गुजरात में शेष बचे ऐसे सभी गांवों को सड़कों के साथ जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) इस प्रकार की जिला-वार सूचना मन्त्रालय में नहीं रखी जाती है। तथापि, पूरे गुजरात राज्य में उन गांवों जिन्हें 31-12-83 तक सड़कों से नहीं जोड़ा गया था, की संख्या 7698 है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना प्रलेख में यह परिकल्पना की गई है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 से ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000-1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को 1990 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ दिया जायेगा तथा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस लक्ष्य का 50 प्रतिशत पूरा कर लिया जायेगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए निधियां राज्य सरकारों द्वारा सुलभ की जाती हैं। ये निधियां निर्धारित की जाती हैं तथा इन्हें किसी अन्य प्रयोजनों हेतु खर्च नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकारें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य भी शुरू कर सकती है जिसके लिए व्यय राज्यों और केन्द्र द्वारा बराबर-बराबर आधार पर वहन किया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है, के अन्तर्गत भी यह कार्य शुरू किया जा सकता है।

किसानों को ऋण देने में भूमि विकास बैंकों द्वारा अनियमितताएं

4671. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि विकास बैंक, किसानों को ऋण देने के मामले में अनियमितताएं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का कमीशन लेने की प्रथा और उनमें विद्यमान अन्य अनितमितताओं को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ग) क्या इन बैंकों के कार्यकरण की कोई जांच की जाएगी ;

(घ) यदि हां, तो कब तक ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) भूमि विकास बैंक अपने उप-नियमों तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए अधिनियमों तथा कानूनों के प्रावधानों के तहत किसानों को ऋण तथा पेशगियां देते हैं जब कभी अनियमितताएं पाई जाएंगी तो इन प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ग) से (ङ) भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने भूमि विकास बैंकों के कार्य के सम्बन्ध में पहले ही व्यापक अध्ययन किए हैं। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने सम्बन्धी समिति ने भी भूमि विकास बैंकों के कार्य की जांच पड़ताल की है।

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं

4672. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे कार्यान्वित किए जाने और राज्य सरकारों के सहयोग से लागत का हिस्सा बांटकर क्रियान्वित किए जाने वाली ग्रामीण विकास सम्बन्धी कोई परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार में अलग मन्त्रालय बन जाने के समय से केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सीधे या संयुक्त रूप से ऐसी कोई परियोजना क्रियान्वित की हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता/आवंटन किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे ही कार्यान्वित किए जाने के लिए ग्रामीण विकास की कोई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास नहीं हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से मन्त्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य कार्यक्रम हैं। इन योजनाओं पर किया जाने वाला व्यय राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित किया जाता है परन्तु इसका कार्यान्वयन भी राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से किया जाता है। छठी योजना की वार्षिक योजना के दौरान योजनाओं तथा कार्यक्रमों के निष्पादन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध कराई गई निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध की गई निधियां (केन्द्रीय अंश)

(लाख रुपए में)

राज्य : हिमाचल प्रदेश	बंटित निधियां (केन्द्रीय अंश)				छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहाय्यित परिवारों की संख्या	
कार्यक्रम का नाम	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1980-81 से 1982-83 तक	1983-84 (जनवरी, 84 तक)
1	2	3	4	5	6	7
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	167.55	176.18	264.00	182.00	128722	34208
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	377.95	120.00	120.00	79.475		
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार* गारंटी कार्यक्रम	—	—	—	60.00		
मरुभूमि विकास कार्यक्रम	50.00	25.00	22.47	50.00		

* 1983-84 में आरम्भ किया गया।

हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर अब तक मुख्य वास्तविक उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

क्षेत्र	1977-78 से 1982-83 तक
1. वनरोपण	
(1) चरागाह विकास सहित पौधे लगाना (हैक्टेयर)	1313
(2) शेल्टर बेल्ट्स (कि० मी०)	—
(3) रेत के टीले जमाना (हैक्टेयर)	206
2. सृजित सिंचाई क्षमता (हैक्टेयर)	81
3. कृषि	
भूमि संरक्षण में शामिल क्षेत्र (हैक्टेयर)	131
4. सृजित रोजगार (श्रम दिन)	596

गुजरात के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धि

4673. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में, विशेषत: इसके आदिवासी क्षेत्रों में, चलाए गए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपलब्धि का कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो आदिवासियों की समग्र स्थिति को सुधारने में इससे कितनी सहायता मिली है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राज्य सरकार द्वारा कुछ अध्ययन किए गए हैं।

(ख) महात्मा गांधी डिपार्टमेंट आफ रूरल स्टडीज, दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बारदोली तालुका में किए गए एक अध्ययन जिसका ब्यौरा उपलब्ध है, से पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति के सहायता प्राप्त परिवारों का प्रतिशत नमूना परिवारों का 92.3 प्रतिशत बनता है। अध्ययन के अनुसार, 1980 तथा 1981 में सहायता प्राप्त नमूना परिवारों के 32.4 प्रतिशत परिवार गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर आ गए हैं, गरीबी की सीमा रेखा 3500/- रुपए मानी गई है। परिसम्पत्तियां अर्जित करने के पश्चात् लाभ भोगियों की औसत आय में यदि आय को कृषि मजदूरों के जीवन स्तर सूचकांक में समायोजित न किया जाए तो 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यदि आप मूल्य सूचकांक में समायोजित की जाए, तो यह वृद्धि 12.9 प्रतिशत है।

बिहार के धनवाद जिले में वनों के अंतर्गत क्षेत्र

4674. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1984 को बिहार के धनवाद जिले में कितने क्षेत्र में वन थे तथा वे किन-किन स्थानों में स्थित थे ;

(ख) वह क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहां पर 1 जनवरी, 1984 को वन विद्यमान थे ;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान किन-किन क्षेत्रों में वन लगाए गए हैं ; और

(घ) क्या वनों के लिए निर्धारित क्षेत्रों में वनों के पुन:रोपण का कार्य पूरा करने का कोई समय-बद्ध कार्यक्रम है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) धनवाद जिले में वन क्षेत्र लगभग 264 वर्ग किलोमीटर (26,4000 हेक्टार) है, जो चास, टन्दी, गोविन्दपुर, झरिया, निरसा, टोपचांची और चन्दनक्यारी के सात थानों में फैला हुआ है।

(ग) तथा (घ) वित्तीय तथा अन्य उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जिले में वृक्षारोपण की वार्षिक दर गत दो वर्षों में लगभग 1400 हैक्टार थी। इसके तहत लिया गया क्षेत्र नीचे दिया गया है :—

1982-83 1333 हैक्टार

1983-84 1287 हैक्टार

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वर्ष 1970-1977 के दौरान कार्य प्रभारित कर्मचारियों के स्थायी पद

4675. **श्री के० ए० राजन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1970 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न जोनों/रीजनों में प्रत्येक श्रेणी के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के कुल कितने पद थे ;

(ख) वर्ष 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 और 1977 में प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को प्रत्येक जोन/रीजन में इसके बाद श्रेणीवार कितने स्थायी पदों का सृजन किया गया ; और

(ग) 1 अप्रैल, 1977 को प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक जोन/रीजन में कितने स्थायी पद थे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही हे तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नयी दिल्ली में पेय जल की सप्लाई

4676. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नयी दिल्ली में श्रेणी-III के क्वार्टरों को सप्लाई किया जाने वाला पानी पीने योग्य नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक के पेय जल का परीक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली में टाइप-III क्वार्टरों को सप्लाई किया जा रहा पानी पीने के लिए उपयुक्त है तथा इस विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को "आबंटित दुकानें/स्टाल्स"

4677. **श्री भीखा भाई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक कितनी दुकानों/स्टाल्स का निर्माण करके जनता

को आबंटित किया है तथा उसके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के कितनेलोगों के नामों पर विचार किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों और स्टालों के आबंटन के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के लिए अब तक कोई आरक्षण नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दुकानों और स्टालों के आबंटन के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निम्न प्रकार :—

निर्मित की गई दुकानों/स्टालों/ कियोस्को/प्लेट-फार्मों की कुल संख्या	कुल आबंटन की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आबंटित
दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्य		
5143	2822	272
मालन बस्ती तथा झुग्गी झोंपड़ी, दिल्ली विकास प्राधिकरण		
4365	2703	1015

मलिन बस्ती तथा झुग्गी झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत शेष 1662 स्टालों की विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आबंटित किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार की नीति के अनुसार निम्न प्रकार से आरक्षण किया गया है :—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	12.8 प्र० श०
सरकार द्वारा जिन लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई	10 प्र० श०
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को	5 प्र० श०
भूतपूर्व सैनिक	2 प्र० श०
स्वतन्त्रता सेनानियों को	1 प्र० श०

घोषित किए गए राष्ट्रीय फल

4678. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ फलों को राष्ट्रीय फल घोषित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन फलों के नाम क्या हैं ;

(ग) इन फलों का चयन करते समय क्या मानदण्ड अपनाए गए ; और

(घ) क्या सरकार का संतरा आदि को राष्ट्रीय फल घोषित करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

वन क्षेत्र

4679. **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितनी भूमि पर वन हैं तथा इसमें से कितनी भूमि पर उत्पादनकारी वन हैं और कितनी भूमि अनुत्पादनकारी, बेकार और बंजर पड़ी है ;

(ख) एशिया और विश्व में उत्पादनकारी वन क्षेत्र में वृद्धि की तुलना में भारत में यह वृद्धि कितनी हुई हैं ; और

(ग) क्या ऐसे उद्योगों को, जो वन सम्पदा को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, वृक्षारोपण की अनुमति देने का कोई कार्यक्रम है जिससे कि पर्यावरण विकास और औद्योगिक विकास का दोहरा लाभ हो सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत की कुल भूमि लगभग 750 लाख हैक्टार है, जिसमें से 610 लाख हैक्टार क्षेत्र में उत्पादक वन हैं और 140 लाख हैक्टार भूमि अनुत्पादक, बेकार और बंजर भूमि आदि शामिल है।

(ख) विश्व के कई देशों में वन सम्पत्ति-सूची नहीं रखी जाती है। फिर भी, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्पादक वनों की अनुमानित औसत वार्षिक वृद्धि निम्न प्रकार है :—

भारत : 0.32 घनमीटर/हैक्टार

एशिया : 1.02 घनमीटर/हैक्टार

विश्व : 0.74 घनमीटर/हैक्टार

(ग) फिलहाल, वनाधारित उद्योगों को औद्योगिक वनरोपण की अनुमति देने के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद द्वारा ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाना

4680. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की गतिविधियों का ब्योरा क्या है ;

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और कितने ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिया ;

(ग) क्या संस्थान द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन किया गया था ;

(घ) क्या यह सच है कि इस राष्ट्रीय संस्थान के कार्यक्रमों का प्रभाव एक आम ग्रामीण कार्यकर्त्ता पर नहीं पड़ा है ; और

(ङ) इस संस्थान की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार के विचाराधीन कौन से उपाय हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की गतिविधियों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1980-83 के दौरान 139 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे तथा 3321 ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया गया था।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के कार्य तथा ग्रामीण विकास की प्रणाली के संदर्भ में एक नाडल संस्था के रूप में इसकी भूमिका की गहराई से पुनरीक्षा करने हेतु मार्च, 1983 में एक समिति स्थापित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 1984 में प्रस्तुत की है। रिपोर्ट विचाराधीन है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की गतिविधियों का ब्योरा निम्नलिखित है :—

(1) राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों के जिला स्तरीय अथवा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों, बैंकों तथा प्रौद्योगिकी संगठनों के अधिकारियों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों तथा गैर-सरकारी तथा अन्य व्यक्तियों के लिए ग्रमीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना।

(2) ग्रामीण विकास के विकासात्मक तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन आयोजित करना।

(3) प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अनुसंधान अध्ययनों के माध्यम से महत्वपूर्ण निवेश उपलब्ध कराना ताकि अधिकारियों तथा ऐजेंसियों को ग्रामीण क्षेत्रों की कायापलट के विभिन्न पहलुओं को कार्यान्वित करने हेतु प्रभावकारी उपाय सुझाए जा सकें तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के नीति विकल्पों के विचार-विमर्श में सहायता देना।

(4) भारत सरकार के मन्त्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, एशिया तथा प्रान्तीय क्षेत्र हेतु समन्वित ग्रामीण विकास केन्द्र और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रायोजित अनुसंधान अध्ययनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(5) प्रकाशनों के माध्यम से सूचना का प्रचार व प्रसार करना।

सरकारी भवनों पर सफेद पेंट करना

4681. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी कार्यालयों, सरकारी नियन्त्रण के सार्वजनिक भवनों, आवासीय बंगलों और क्वार्टरों पर सफेद पेन्ट किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो रंग की योजना में यह परिवर्तन करने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) रंग में इस प्रकार का कोई आम परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोचमपाद सिंचाई परियोजना के बारे में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया अध्ययन

4682. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के द्वारा किए गये अध्ययन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि साउथ कनाल परियोयजना के लिए मिट्टी की खुदाई और पहले 113 किलोमीटर नहर के निर्माण में 4 वर्ष का विलम्ब होगा ;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश की पोचमपाद सिंचाई परियोजना के मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकन संगठन ने अन्य क्या मुद्दे उठाए हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) पोचमपाद सिंचाई परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्षों में से एक यह है कि विस्फोटकों की कमी के कारण पहले 113 किलो मीटर के लिए दक्षिण नहर की मिट्टी की खुदाई और भवन संरचनाओं के निर्माण में 4 वर्ष की देरी हुई है।

(ख) मूल्यांकन रिपोर्ट के महत्व निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) यह रिपोर्ट उपयोगी पाई गई है और इसके निष्कर्षों को देश में सभी कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को उनके मार्गदर्शन हेतु ध्यान में ला दिया जाएगा।

विवरण

पोचमपाद सिंचाई परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट (1980-82) के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

1. बांध को 334 मीटर की ऊंचाई तक और उमड़ मार्ग क्रेस्ट को 318.50 मीटर की ऊंचाई तक ऊंचा करने के लक्ष्य को, जैसाकि आई० डी० ए० के करार के अन्तर्गत परिकल्पना की गई थी, पूरा कर लिया गया था। 9.243 टी० एम० सी० की सक्रिय जल-संचयन क्षमता भी सृजित कर ली गई थी। परन्तु मुख्य रूप से विस्फोटकों की कमी के कारण, दक्षिणी नहर के पहले 113 कि० मी० तक मिट्टी की खुदाई तथा संरचनाओं के निर्माण को पूरा करने में 4 वर्ष तक की देरी हुई है।

2. मुख्य नहर को पक्का करने में 2 वर्षों की देरी हुई थी जबकि शाखा तथा वितरण नहरों और माइनरों, जिसमें कपाट वाले आउटलेट शामिल हैं, के निर्माण में 6 वर्ष तक की देरी हुई थी। आन्तरिक गांव/अयाकट सड़कों के निर्माण के मामले में भी 6 वर्षों का अधिक समय लगा।

3. एक लाख हैक्टेयर प्रणाली के लिए फार्मों को सिंचित करने हेतु जल की वास्तविक उपलब्धता में सात वर्ष का समय लगा।

4. विशेषतः अनिवार्य इनपुट्स की प्राप्ति में कमियां रही थीं जिनके परिणामस्वरूप समय और लागत में इतनी भारी वृद्धि हुई है। सकल समय तथा लागत के प्रतिबन्धों के भीतर सृजित की गई सिंचाई क्षमता के उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों के अधिक दक्षतापूर्ण उपयोग के आयोजन के उद्देश्य से इस आकार की परियोजना के लिए आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों को अपनना लाजमी है।

5. यह सुझाव दिया गया था कि विस्तार मशीनरी को अर्जित करने के अतिरिक्त विधान के जरिए भूमि विकास को अनियार्य बनाया जाना चाहिए और कार्य को कृषि औद्योगिक निगम को सौंपा जा सकता है।

6. निम्नवर्ती क्षेत्रों में जल-जमाव एवं लवणता को रोकने के लिए प्राकृतिक जल-निकास प्रणाली के सुधार की आवश्यकता थी। भूमिगत जल के स्तर पर प्रणाली युक्त एवं नियमित मानीटरिंग करना समान रूप से अनिवार्य है।

7. यह सुझाव है कि कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के इन्जीनियरी खंड को रखरखाव के कार्य

सौंपे जा सकते हैं। इस पर किया गया खर्च किसानों से भू-राजस्व एकत्र करने के साथ वसूल किया जा जा सकता है।

8. यह सुझाव है कि ग्राम विस्तार अधिकारी भूमिका, कृषि भूमि विकास, प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित सभी क्रिया-कलापों में उत्प्रेरक एजेंट के रूप में होनी चाहिए। ग्राम विस्तार अधिकारी द्वारा प्रदर्शन कार्यकलापों के पर्याप्त रूप से करने की भी आवश्यकता है।

9. सिंचाई जल की उपलब्धता सामान्यत: किसानों को पूरी तरह से सिंचित खाद्यान्न फसलों को आरम्भ करने में सहायता करता है। दालों और वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत गैर-सिंचित खाद्यान्न के खर्च पर सिंचित एवं इसके साथ ही कुल क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

मुंह-खुर की बीमारी के बारे में अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजना के अन्तर्गत अध्ययन

4683. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं में मुंह-खुर की बीमारी को नियन्त्रित करने के उपाय खोजने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा गठित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा मुंह-खुर की बीमारी के जानपरिक अध्ययन करने के कोई प्रयास किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) देश के विभिन्न भागों में व्याप्त विभिन्न प्रकार के खुरपका और मुंहपका विषाणु रोग से सम्बन्धित बेसलाइन डाटा एकत्र करने के उद्देश्य से खुरपका और मुंहपका रोग से सम्बन्धित अखिल भारतीय समन्वित महामारी विज्ञान अध्ययन अनुसंधान प्रायोजना प्रारम्भ की गई जिसका उद्देश्य इस बीमारी के नियन्त्रण के लिए कारगर नीति तैयार करना था। आंकड़ों से देश में बीमारी के महामारी विज्ञान के प्रतिमान का स्पष्टरूप से पता लगा लिया गया जिससे कि व्याप्त विषाणुओं के लिए उचित टीका तैयार किया जा सके। पशुओं को नियमित रूप से टीका लगाने और बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय करने के परिणामस्वरूप बीमारी को काफी हद तक नियन्त्रित किया जा सकता है।

दिल्ली पट्टा प्रणाली

4684. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा दिल्ली में विद्यमान पट्टा प्रणाली के अंतर्गत भूमि के पावंटन के लिए निर्धारित वर्तमान प्रक्रिया क्या है ;

(ख) क्या दिल्ली में पट्टा प्रणाली को समाप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रणाली कब से समाप्त करने का विचार है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार द्वारा दिल्ली भूमि का आबंटन बृहत योजना क्षेत्रीय विकास योजना आदि के अनुसार स्थल, अनुमेय भूमि की उपलब्धता जैसे घटकों को ध्यान में रख कर किया जाता है। ऐसे आबंटनों पर प्रीमियम और वार्षिक भूमि किराया आबंटन के समय प्रचलित दरों के अनुसार वसूल किया जाता है।

(ख) तथा (ग) : रिहायशी पट्टों से सम्बन्धित लीज होल्ड पद्धति को समाप्त करने अथवा संशोधन करने के प्रश्न पर इसके सभी पहलुओं से विचार किया जा रहा है।

महात्मा गांधी की मूर्ति का लगाया जाना

4685. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डिया गेट पर महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने का अपना विचार त्याग दिया है।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो मूर्ति लगाने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ; और

(घ) वहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति का कब तक अनावरण किए जाने की सम्भावना है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्लास्टर कास्ट तक महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाने के लिए मूर्तिकार से किये जाने वाले करार को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) मूर्तिकार द्वारा प्रतिमा का प्लास्टर कास्ट पूर्ण होने तक प्रतिमा लगाने का सम्भावित समय बताना सम्भव नहीं है।

दिल्ली दुग्ध योजना के टाइम कीपरों द्वारा सेलेक्शन ग्रेड की मांग

4686. **श्री अनवार अहमद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के टाइम कीपर बहुत दिनों से सेलेक्शन ग्रेड की मांग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें सेलेक्शन ग्रेड न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें सेलेक्शन ग्रेड कब तक दिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : टाइम कीपर के एक पद को प्रवरण ग्रेड में बदलने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया गया। तथापि, इस प्रकार का कोई पद सृजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार के पद का सृजन सम्बन्धी शर्तें पूरी नहीं हैं।

भारतीय कृषि उर्वरक निगम (इफ्को) का बंद होना

4687. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषक उर्वरक निगम (इफ्को) वर्ष 1982 की तुलना में वर्ष 1983 के दौरान कितने दिन तक बन्द रहा तथा बन्द होने के क्या कारण थे ; और

(ख) इसके बन्द रहने के परिणामस्वरूप कितना नुकसान हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1983 और 1982 के दौरान इफ्को के संयंत्र निम्नानुसार बन्द रहे :—

	1983 (जनवरी-दिसम्बर) (दिन)	1982 (जनवरी-दिसम्बर) (दिन)
क्लोल यूरिया	44	57
कांडला एन० पी० के०/डी० ए० पी०	144	135
फूलपुर यूरिया	124	120

श्रमिक दिवसों की हुई क्षति के कारण ये हैं—यांत्रिक खराबी, कच्चेमाल। माध्यमिक उत्पादों अन्तःनिर्भर उपयोगिताओं की कमी, बिजली और जल की कमी, खत्तियों में सीमित जगह और वार्षिक चक्र परिवर्तन (ऐनुअल टर्न ऐराउण्ड)।

(ख) क्लोल यूरिया संयंत्र में उत्पादन में कोई क्षति नहीं हुई थी, जहां 1983 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान वास्तविक उत्पादन 4 लाख मीटरी टन था, जबकि 3.96 लाख मीटरी टन की लाइसेंसशुदा क्षमता की तुलना में 1982 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान 3.99 लाख मी० टन उत्पादन हुआ था। कांडला संयंत्र में 1983 और 1982 के दौरान वास्तविक उत्पादन क्रमशः 2.54 लाख मी० टन और 2.77 लाख मी० टन था, जबकि लाइसेंसशुदा क्षमता 2.60 लाख मी० टन थी। फूलपुर यूरिया संयंत्र के सम्बन्ध में, जिसने मार्च 1981 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था, क्षमता का उपयोग मुख्यतया नेपथ्य में अत्यधिक सुगन्धित तत्वों के होने के कारण सीमित था। इसका वास्तविक उत्पादन 1983 में 3.69 लाख मी० टन और 1982 में 3.54 लाख मी० टन था, जबकि लाइसेंसशुदा क्षमता 4.95 लाख मीटरी टन थी। उत्पादन में गिरावट का कारण कच्चे माल और माध्यमिक उत्पादों की कमी और यांत्रिकी खराबी थी।

नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया जाना

4688. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय और अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले नैमित्तिक मजदूरों को एक निश्चित समय के पश्चात् स्वतः नियमित कर दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान उनके मन्त्रालय में कितने नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया गया है ;

(घ) कितने ऐसे मजदूर हैं, जो दो वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं किन्तु अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

(ङ) क्या सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

किसानों को वित्तीय राज-सहायता उपलब्ध कराना

4689. **श्री सुभाष चंद्र बोस अल्लूरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों के लाभ के लिए गत वर्ष जिन वस्तुओं पर वित्तीय राज सहायता उपलब्ध कराई गई थी इनके नाम क्या हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार का विचार इस वर्ष किसानों को किस प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने बीजों मिनीकिटों, उर्वरकों, वनस्पति रक्षण, कृषि उपस्करों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, सामुदायिक पौधशालाएं उगाने, मछली तालाबों के सुधार, फलोद्यानों की स्थापना, प्रदर्शन आदि जैसी मदों पर किसानों के लाभ के लिए विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत गत वर्ष राजसहायता मंजूर की थी । इस प्रकार की योजनाएं इस वर्ष भी जारी रखी जा रही हैं ।

गृह-निर्माण-ऋण

4690. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय तथा दिल्ली/नई दिल्ली स्थित उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों

में ऐसे कितने सरकारी कर्मचारियों को जो सरकारी मकान के आबंटन के पात्र हैं गत तीन वर्षों के दौरान गृह निर्माण ऋण मंजूर किया गया है और कितने मामलों में उनका मकान निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी मकानों में थे और उनमें से कितने कर्मचारी आबंटित सरकारी मकानों को खाली करके अपने मकानों में चले गये ; और

(ग) सम्बद्ध नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध की कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण

4691. **डा० ए० यू० आजमा** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय और दिल्ली/नई दिल्ली स्थित उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत तथा गृह-निर्माण ऋण पाने के पात्र कितने सरकारी कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान गृह निर्माण ऋण मंजूर किए गए और कितनों ने अपने मकानों का निर्माण पूरा कर लिया है ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को सरकारी आवास आबंटित थे और उनमें से कितने कर्मचारी सरकारी आवास खाली करके अपने मकानों में चले गए हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का क्या ब्यौरा है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) खेल विभाग हाल ही में स्थापित किया गया है। इस विभाग द्वारा अभी तक कोई भवन निर्माण ऋण मंजूर नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

संसदीय कार्य विभाग के कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋण

4692. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में कार्यरत ऐसे कितने कर्मचारियों को जो सरकारी मकान के आबंटन के पात्र हैं, गत तीन वर्षों के दौरान आवास निर्माण अग्रिम राशि मंजूर की गई है और कितने मामलों में उनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) उनमें कितने कर्मचारी सरकारी मकानों में थे और उनमें से कितने कर्मचारी उन्हें आवंटित सरकारी मकानों को खाली करके अपने मकानों में चले गये ; और

(ग) इस विषय से सम्बन्धित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 12 कर्मचारियों को गृह-निर्माण अग्रिम राशि मंजूर की गयी। यह सभी सरकारी मकान के आबंटन के पात्र थे। नौ कर्मचारियों ने या तो मकान निर्माण कार्य पूरा कर लिया है अथवा उनको आबंटित फ्लेटों का कब्जा ले लिया है ;

(ख) नौ कर्मचारियों को सरकारी मकान आबंटित किए गए हैं और किसी ने भी सरकारी मकान खाली नहीं किया है ; और

(ग) विभाग की जानकारी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि सरकारी कर्मचारी को दिल्ली में मकान का स्वामी बनने पर सरकारी मकान खाली करना पड़ेगा। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों का कार्यान्वयन

4693. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** भूमि सीमा कानूनों को लागू करने के बारे में 12 मार्च, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 219 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतिहर मजदूरों और सीमान्त किसानों को मिलाकर उनकी कुल प्रतिशतता और छोटे किसानों को इन दोनों श्रेणियों से मिलाकर इसकी कुल प्रतिशतता ग्रामीण जनसंख्या और समग्र रूप से राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में क्रमशः कितने प्रतिशत हैं ;

(ख) बटाईदारों के अधिकारों के सम्बन्ध में रैय्यतदारी कानूनों की राज्य-वार विशिष्ट बातें क्या हैं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ; और

(ग) ब्याज की राज्य-वार कानूनी दर क्या है, और ऋण देने/ऋण राहत और ऋण समाप्त करने सम्बन्धी कानूनों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) भारत की 1981 की जनगणना से लिए गए कुल जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या तथा कृषि मजदूरों के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण I में दिए गए हैं। चालू जोतों की 1976-77 की कृषि गणना से ली गई छोटे किसानों और सीमान्त किसानों की संख्या भी विवरण में दर्शाई गई है। चूंकि विवरण में दिए गए आंकड़ों के स्रोत भिन्न-भिन्न हैं तथा संदर्भित अवधियां भी अलग-अलग हैं, इसलिए अनुपात नहीं निकाले गए हैं क्योंकि वे स्थिति को ठीक तरह से नहीं दर्शाएंगें। इसीलिए, सभी आंकड़े पूर्ण संख्या में दिए गए हैं।

(ख) देश के सभी राज्यों के काश्तकारी कानूनों में बटाईदारों सहित काश्तकारों के लिए काश्त संबंधी सुरक्षा का प्रावधान है। अधिकतम लगान कुल मिलाकर कुल उपज के 1/4 और 1/5 के बीच निर्धारित किया गया है। काश्तकारों तथा बटाईदारों की बेदखली की शर्तों की केवल विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे भूमि का दुरुपयोग करने और लगान का भुगतान न करने पर प्रतिबन्धित किया

जाता है। इन कानूनों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इनका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर उनसे अनुरोध किया गया है।

(ग) ऋण समाप्त करने, ऋण राहत तथा ऋण देने का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य-सूची में है। ऋण देने के कार्यों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों तथा सीमान्त कृषकों जैसे समाज के कमजोर वर्गों को गैर-संस्थागत ऋणों से पूर्ण छुटकारा दिलाने तथा छोटे किसानों के ऋणों को कम करने के लिए एक अन्तरिम कार्रवाई के रूप में ऋण की वसूली पर ऋण स्थगन को लागू करने हेतु उपयुक्त विधान बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को अगस्त 1975 में मार्ग-निर्देश जारी किए थे। राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने इन मार्ग-निर्देशों के आधार पर उपयुक्त विधान बना लिए हैं तथा इन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं। 22 राज्यों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि 4.35 लाख लाभभोगियों के 21.34 करोड़ रुपये के गैर-संस्थागत ऋण अब तक समाप्त किए जा चुके हैं। ऋणग्रस्तता से राहत का प्रावधान 20-सूत्री कार्यक्रम की एक मद है। हाल ही में कृषि मन्त्रालय ने सभी राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को कार्यान्वयन तन्त्र को और तीव्र करने के लिए लिखा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभभोगियों को अधिकतम राहत पहुंचे। 9 राज्यों में सुरक्षित ऋणों पर साहूकारों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज की दरों को दर्शाने वाला विवरण II संलग्न है।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	कुल जनसंख्या (लाख में)	ग्रामीण जनसंख्या (लाख में)	खेतीहर मजदूर (हजार में)	सीमांत किसान (हजार में)	छोटे किसान (हजार में)
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	535.9	411.3	8325	2868	252
असम	—	—	—	1344	510
बिहार	698.21	611.2	7367	7216	1191
गुजरात	339.6	234.0	2488	655	541
हरियाणा	128.5	100.3	590	307	181
हिमाचल प्रदेश	42.4	39.1	40	340	137
जम्मू और कश्मीर	—	—	64	682	161
कर्नाटक	370.4	263.3	3655	1274	888
करेल	254.0	206.3	1917	5069	280
मध्य प्रदेश	521.4	415.5	4858	1979	1095

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	627.2	407.5	6471	15015	1142
मणिपुर	14.1	10.4	29	70	49
मेघालय	13.3	10.9	58	58	51
नागालैण्ड	7.7	6.5	30	10	14
उड़ीसा	262.7	231.7	2397	1675	1044
पंजाब	166.7	120.5	1092	637	273
राजस्थान	342.1	269.7	765	1320	799
सिक्किम	3.1	2.6	5	10	8
तमिलनाडु	482.9	323.7	6038	3951	1126
त्रिपुरा	204.7	182.2	146	145	60
उत्तर प्रदेश	1109.9	909.1	5177	11774	2781
पश्चिम बंगाल	540.9	400.5	3892	3503	1082
केन्द्र शासित क्षेत्र					
अंदमान और निकोबर द्वीप समूह	1.9	1.4	2	1	1
अरुणाचल प्रदेश	6.3	5.9	8	6	12
चंडीगढ़	4.5	0.3	1	1	अप्राप्य
दादरां और नगर हवेली	1.0	1.0	5	3	4
दिल्ली	2.0	44.4	16	15	5
गोआ, दमन और दीव	10.8	7.3	32	59	10
लक्षदीप	.4	.2	—	4	अप्राप्य
मिजोरम	4.9	3.7	5	17	20
पांडिचेरी	6.0	2.9	55	23	5
अखिल भारत :	6581.4	5019.5	55500	44523	14728

नोट : (1) कालम 2, 3 और 4 के आंकड़े भारतीय जनगणना 1981 पर आधारित हैं।

(2) कालम 4, 5 और 6 के आंकड़े राउन्ड फिगर में दिए गए हैं जो कि प्रकाशित वास्तविक आकड़ों के काफी निकट हैं।

विवरण II

विभिन्न राज्यों में साहूकारों द्वारा सुरक्षित/असुरक्षित ऋणों पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्यों के नाम	वसूल की जाने वाली ब्याज की दर
1.	बिहार	12 प्रतिशत सुरक्षित ऋण पर और 15 प्रतिशत असुरक्षित ऋण पर
2.	गुजरात	9 प्रतिशत सुरक्षित ऋण पर और 16 प्रतिशत असुरक्षित ऋण पर
3.	हिमाचल प्रदेश	6 प्रतिशत सुरक्षित ऋण पर और 12 प्रतिशत असुरक्षित ऋण पर
4.	कर्नाटक	8 प्रतिशत सुरक्षित ऋण पर और 12 प्रतिशत असुरक्षित ऋण पर
5.	केरल	किसी भी ऋण पर 12 प्रतिशत से अधिक नहीं।
6.	उड़ीसा	9 प्रतिशत सुरक्षित ऋण पर और 12 प्रतिशत असुरक्षित ऋण पर
7.	सिक्किम	किसी भी ऋण पर 12 प्रतिशत से अधिक नहीं।
8.	तमिलनाडु	9 प्रतिशत सुरक्षित ऋण पर और 12 प्रतिशत असुरक्षित ऋण पर
9.	उत्तर प्रदेश	14 प्रतिशत सुरक्षित ऋण पर और 17 प्रतिशत असुरक्षित ऋण पर

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन उड़ीसा से प्राप्त प्रस्ताव

4694. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के नाम क्या हैं ;

(ख) उनमें से कितने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए हैं, वापस कर दिए गए हैं तथा स्वीकृति के लिए लंबित हैं ; और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति देने में देरी के कारण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम को राज्य में, विशेषकर उपरोक्त क्षेत्रों में फैलाया नहीं जा सका है ; और

(घ) उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति देते समय उनके मंत्रालय द्वारा उन्हें क्या प्राथमिकता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सभी प्राप्त प्रस्तावों को उचित वरीयता दी जाती है और उन्हें अविलम्ब मंजूरी दी जाती है।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत फरवरी, 1984 तक उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

क्र०सं०	जिले का नाम	हैक्टार में क्षेत्र	प्रयोजन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	पुरी	1.58	मोडानल्ला लघु सिंचाई परियोजना	अनुमोदित
2.	सम्बलपुर	52.5	रायरखोल से डांडा संचारण लाइन	—तदैव—
3.	सुन्दरगढ़	41.26	भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा टेलिंग बांध	—तदैव—
4.	क्योंझर	2.7	जल आपूर्ति योजना	—तदैव—
5.	बालासोर	48.16	रक्षा मंत्रालय द्वारा उपयोग	—तदैव—
6.	कटक	139.29	नारियल रोपण	—तदैव—
7.	फूलबनी	22.40	सिंचाई परियोजना	—तदैव—

1	2	3	4	5
8.	बोलांगीर	115.00	मै० वी० ए० एल० सी० ओ० द्वारा खनिज उपयोग	—तदैव—
9.	मयूरभंज	169.80	टाइगर रिजर्व के बाहर ग्रामीणों का पुनर्वास	—तदैव—
10.	पुरी	3.43	माइक्रोवेव केन्द्र	—तदैव—
11.	सम्बलपुर	6.6	रायरखोल में संचारण लाइन	—तदैव—
12.	सम्बलपुर	43·62	डाइवरशन सड़क	—तदैव—
13.	पुरी	1·58	सिंचाई परियोजना	—तदैव—
14.	सम्बलपुर	52.5	रायरखोल में संचारण लाइन	—तदैव—
15.	पुरी	40.00	काजू रोपण	—तदैव—
16.	बालासोर	92.00	रक्षा मन्त्रालय द्वारा उपकरण (इन्स्ट्रूमेंटेशन) केन्द्र	—तदैव—
17.	कालाहांडी	419.00	अपर जोंक सिंचाई परियोजना	—तदैव—
18.	कालाहांडी	1.95	पैंडरावन लघु सिंचाई परियोजना	—तदैव—
19.	सम्बलपुर	41.46	संचारण लाइन	—तदैव—
20.	कालाहांडी	21.78	जलाशय	—तदैव—
21.	सुन्दरगढ़	0.15	दूरदर्शन रिले केन्द्र	—तदैव—
22.	कोरापुट	12.00	मुनीगुडा-डांगसोराडा संचारण लाइन	—तदैव—
23.	कोरापुट	10.609	स्फटिक के लिए सुरंग लगाना	अस्वीकृत
24.	कोरापुट	15.00	वडानाल्ला मध्यम सिंचाई परियोजना	अपर्याप्त सूचना के कारण तथा पूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत करने हेतु लौटाई गई

1	2	3	4	5
25.	कोरापुट	23.4	जयपुर से तेलचर तक संचरण लाइन	—तदैव—
26.	कोरापुट	89.98	संचरण लाइन	—तदैव—
27.	पुरी	20	होटल परियोजना	—तदैव—
28.	ढेंकानल	81.89	समाकोई सिंचाई परियोजना	—तदैव—
29.	पुरी	50.949	संचरण लाइन	—तदैव—
30.	कोरापुट	88.98	येरुवल्ली से केसिंगा तक संचरण लाइन	—तदैव—
31.	सम्बलपुर	24.32	रेंगाली बांध पुनर्वास परियोजना	विचाराधीन
32.	क्योंझर	2.098	खान कर्मचारियों हेतु एकीकृत जल आपूर्ति योजना	—तदैव—
33.	कोरापुट	732·00	मैसर्स एन० ए० एल० सी० ओ० की सुरंग लगाने की परियोजना	—तदैव—
34.	फूलवनी	45.34	लखापर्बत लघु सिंचाई परियोजना	—तदैव—
35.	फूलवनी	23.2	पारहेल लघु सिंचाई परियोजना	—तदैव—
36.	फूलवनी	29.2	घुमकछ लघु सिंचाई परियोजना	—तदैव—
37.	पुरी	87.577	कुमार खुंटी लघु सिंचाई परियोजना	—तदैव—

विदेशों से मंगाये गए वटर आयल की मात्रा

4695. **श्री हरीश कुमार गंवार** : क्या कृषि मंत्री विदेशों से मंगाए गए वटर आयल की मात्रा के बारे में 5 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1252 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किए गएं वार्षिक समझौतों के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप मिलने वाले वटर आयल के लिए इसको सप्लाई के आरम्भ से 1984 तक प्रतिवर्ष कितना गुणवता मानक निश्चित किया गया तथा प्राप्त हुई वटर आयल की प्रत्येक खेप में उसकी गुणवता की जांच कैसे की गई और खेप-वार जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ;

(ख) तरल दुग्ध में इसे पुनः मिलाने के योग्य समझने से पूर्व वटर आयल का गुणवता मानक क्या तय किया गया है तथा गत वर्षों के दौरान उक्त मानक में क्या परिवर्तन किए गए हैं ;

(ग) तरल दुग्ध में मिलाने के लिए उपहार स्वरूप प्राप्त इस वटर आयल को खाना पकाने के माध्यम की तुलना में इसे तरल दुग्ध में मिलाने से होने वाले लागत लाभ का ब्यौरा क्या है तथा इसकी प्राप्ति आरम्भ होने से लेकर प्रति वर्ष इसमें क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं ; और

(घ) सरकार यूरोपियन आर्थिक समुदाय के अलावा और कहां-कहां से उपहार स्वरूप वटर आयल प्राप्त करने का प्रयास कर रही है तथा तत्संबंधी वार्ताएं किस रूप में हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों से लिए जाने वाला ब्याज

4696. **श्री त्रिलोक चन्द :**

श्री छोटे सिंह यादव :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों से (सोसायटी-वार) उनके द्वारा देर में अदायगी करने के कारण ब्याज की कितनी राशि ली गई है ;

(ख) क्या उन सोसायटियों द्वारा जमा धनराशि पर जिनको भूमि का आबंटन नहीं किया गया है, ब्याज देने की कोई व्यवस्था है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सोसायटियों द्वारा अदायगी देर से करने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ब्याज लेने के क्या कारण हैं ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मलिकार्जुन) : (क) विलम्ब से भुगतान करने के कारण सहकारी ग्रुप आवास समितियों को ब्याज देना होता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1979 से पूर्व के ग्रुप की तीन सहकारी आवास समितियों से संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे अनुसार ब्याज वसूल किया है ।

जिन सहकारी ग्रुप आवास समितियों को हाल ही में भूमि आबंटित की गई है उन्हें भी विलम्बित भुगतानों पर ब्याज देना है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) समितियों द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज देने के लिए आबंटन की शर्तों में कोई प्रावधान नहीं है। भूमि के आबंटन की पेशकश करते समय भुगतान करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है। यदि समितियां निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं करती हैं तो उन्हें निर्धारित दरों पर ब्याज देना होता है।

विवरण

क्रम सं०	समिति का ब्याज	वसूल की गई ब्याज की राशि
1.	गालिब मेमोरियल सहकारी ग्रुप आवास समिति	8075.45 रुपए
2.	टी० सी० पी० ओ० आफिसर्ज सहकारी ग्रुप आवास समिति	10,433.33 रुपए
3.	ए० आई० आई० एम० एस० सहकारी ग्रुप आवास समिति	97,948.44 रुपए

जम्मू और काश्मीर तथा अन्य राज्यों में हिमस्खलनों में मारे गये व्यक्ति

4697. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-फरवरी, 1984 के दौरान जम्मू और काश्मीर तथा अन्य राज्यों में, हिमस्खलनों में कितने व्यक्ति मारे गए ; और

(ख) इस सम्बन्ध में 29 फरवरी, 1984 तक कितनी राहत-राशि मंजूर की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि हिम-स्खलनों के कारण 24 व्यक्ति मारे गए। नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने जानकारी दी है कि जनवरी और फरवरी, 1984 के दौरान हिम-स्खलनों से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

जम्मू और कश्मीर सरकार तथा अन्य संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जवाब प्राप्त होना है।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने नकद 24880/- रु० की मंजूरी दी है। आश्रितों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीड़ितों को नि:शुल्क दवाइयों, कम्बल तथा राशन भी दिए गए थे। राज्य सरकार ने उन पीड़ितों को जिनके घर नष्ट हो गए हैं, नि:शुल्क इमारती लकड़ी, जी० आई० शीटें/स्लेटें देने के अतिरिक्त, राहत कार्य के लिए 5.00 लाख रुपए भी मंजूर किए हैं।

सुवर्ण रेखा परियोजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप विस्थापित लोग

4698. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप कितने गांवों के कितने लोग विस्थापित हो जायेंगे;

(ख) उपर्युक्त अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन स्वरूप उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्य-वार कितने गांव जलमग्न हो जायेंगे ;

(ग) विस्थापित लोगों को कहां-कहां पर फिर बसाये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) बिहार की सुवर्ण-रेखा बहुद्देशीय परियोजना में चांडिल पर सुबर्णरेखा नदी पर एक बांध और ईचा पर खारखाई नदी पर एक बांध गालुडीह तथा खारखाई पर बराज और नहर प्रणालियों के निर्माण की व्यवस्था है। खारखाई बांध में बिहार तथा उड़ीसा दोनों की भूमि जलमग्न होती है जबकि चांडिल बांध में केवल बिहार में ही भूमि जलमग्न होती है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा की सुबर्णरेखा सिंचाई परियोजना के अधीन कमान में तीन जलाशय हैं जिनके कारण भी जलमग्नता होगी। सुबर्णरेखा परियोजना में बराज के गांवों तथा पश्चिम बंगाल की नहरों का जलमग्न होना शामिल नहीं है।

बिहार तथा उड़ीसा में जलमग्नता के कारण, प्रभावित हुए गांवों तथा व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) बिहार और उड़ीसा की सरकारों द्वारा उन स्थानों के बारे में अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है, जहां पर विस्थापितों के पुनर्वास की सम्भावना है।

विवरण

अन्तर्राज्यीय सुबर्णरेखा परियोजनाओं के कार्यान्वित होने से प्रभावित व्यक्ति तथा गांव

बिहार	**गांवों की संख्या**	**व्यक्तियों की संख्या**
चांडिल	32 (पूर्णतः)	36,000
	68 (अंशतः)	
खारखाई बांध	8 (पूर्णतः)	
(ईचा बांध)	33 (अंशतः)	17,000
उड़ीसा		
खारखाई बांध	1 (पूर्णतः)	
(ईचा बांध)	12 (अंशतः)	43,000
कमान क्षेत्र बांध		
हल्दिया बांध	11 (अंशतः)	1,258
जम्भीरा बांध	5 (पूर्णतः)	5,581
	30 (अंशतः)	
बोरा बांध	9 (पूर्णतः)	4,117
	16 (अंशतः)	

राज्यों में नेहरू युवक केन्द्रों का कार्यकरण

4700. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय नेहरू युवक केन्द्र राज्यवार कौन-कौन से जिलों में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उन पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ;

(ग) क्या उपरोक्त केन्द्र चलाकर लोक-जागरूकता के बारे में वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में नेहरू युवक केन्द्र का कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) ऐसे जिलों के राज्य-वार नाम, जिनमें इस समय देश में नेहरू युवक केन्द्र चल रहे हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 8010/84]

(ख) चालू वित्तीय वर्ष (1983-84) के दौरान प्रत्येक विद्यमान नेहरू युवक केन्द्र को 87,000/- रुपये की राशि आबंटित की गयी है। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए प्रति केन्द्र 1,300/- रुपये की दर से अलग से धनराशि दी जाती है।

(ग) नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यों की समीक्षा सरकार द्वारा स्थापित एक दल द्वारा जनवरी, 1978 में की गई थी। समीक्षा दल का कुल मिलाकर मूल्यांकन यह था कि नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यक्रम ग्रामीण युवकों को अच्छाई के लिए उपयोगी है और उनमें प्रचुर अन्तः शक्ति है। समीक्षा दल ने यह सिफारिश की थी कि नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यक्रम जारी रहने चाहिए और योजना के स्थापित लक्ष्यों को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न कार्यकलापों को तैयार करने के लिए प्रयास किए जाए।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों का आयात किया जाना

4701. **श्री बी० वी देसाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने देश में खाद्य तेलों की कमी को दूर करने और अन्य खाद्य तेलों के मूल्य कम करने के लिए भारी मात्रा में सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों का आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य-व्यापार निगम ने ताड़ के तेल का आयात बन्द कर दिया है क्यों कि उसके मूल्य बहुत अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिए कुल कितनी मात्रा में सोयाबीन के तेल का आयात किया जायेगा और क्या वह देश में उपलब्ध तेल की तुलना में सस्ता होगा ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति उप मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम देशीय तेलों की मांग व उपलभ्यता के अन्तर को पूरा करने के लिए विभिन्न खाद्य तेलों, जिसमें सोयाबीन का तेल तथा सूरजमुखी का तेल शामिल है, का आयात करता है।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने ताड़ के तेल का आयात, उसकी उपलभ्यता न होने और परिणाम-स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उसके मूल्य ऊंचे हो जाने के कारण, स्थायी तौर पर रोक दिया था। तथापि वे मलेशिया में ताड़ के तेल के बाजार का पता लगा रहे हैं, ताकि उपयुक्त समय पर ताड़ के तेल की और खरीदारी की जा सके।

(ग) तेल वर्ष 1983-84 के दौरान आयात की जाने वाली सोयाबीन के तेल की कुल मात्रा राज्य सरकारों द्वारा मांगे जाने वाले विभिन्न किस्म के अन्य तेलों, जैसे ताड़ का तेल, पामोलियन, रेपसीड तेल आदि की उपलभ्यता तथा उनके तुलनात्मक मूल्यों व अन्य सम्बन्धित बातों पर निर्भर करेगी। आयातित खाद्य तेल, देशीय तेलों की तुलना में सस्ते हैं।

/

पटसन उत्पादकों को अलाभकारी मूल्य दिया जाना

4702. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि पटसन उत्पादकों को उनकी उपज का लाभ-कारी मूल्य मिले, सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, नहीं। पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य निश्चित कराने और उनके हितों की सुरक्षा के लिए सरकार हर वर्ष कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों और अन्य सुसंगत तत्वों के आधार पर कच्चे पटसन के सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। कृषि मूल्य आयोग कच्चे पटसन के लिए मूल्य की सिफारिश करते समय अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन की लागत, मांग-आपूर्ति स्थिति, बाजार मूल्य, व्यापार की शर्तें आदि को ध्यान में रखता है। कृषि मूल्य आयोग मानव, पशु और मशीन श्रम, बीज, उर्वरक, खाद, कीटनाशक औषधियों, सिंचाई के खर्चे, भूराजस्व, अचल और कार्यकारी पूंजी पर ब्याज, परिवार के श्रम का आरोपित मूल्य और अन्य विविध खर्चों के लिए चुकायी गई सभी लागतों को शामिल करता है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में उत्पादन की लागत शामिल है और यह (मूल्य) निवेश और उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराता है।

इसके अतिरिक्त, एक सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी, नामशः भारतीय पटसन निगम, पटसन उत्पादक क्षेत्रों में समर्थन मूल्य पर खरीद सम्बन्धी कार्य भी करता है।

आंध्र प्रदेश सरकार को खांडसारी के मूल्य निर्धारित करने का अधिकार देना

4703. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को बिना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के खंडसारी के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का अधिकार देने का अनुरोध किया है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह बात मान ली है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक समझा जाता है क्योंकि राज्य के खण्डसारी क्षेत्र के बारे में अलग से नहीं सोचा जा सकता है और चीनी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर ध्यान में रखना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न स्वीटनिंग तत्वों अर्थात गुड़, खण्डसारी और चीनी की उपलब्धता और उनके मूल्यों के बीच सन्तुलन बिगड़ने न पाए।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के ऋणों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

4705. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में कृषि परियोजनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के ऋणों से वित्तपोषित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्योरा क्या है तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के कितनी धनराशि के ऋणों को स्वीकृति दी गई ; और

(ग) लोगों की ईंधन लकड़ी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त परियोजनाओं से रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जानकारी विवरण में दी गयी है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8011/84]

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के लिए धनराशि का आबंटन

4706. **श्री राम नाथ दुबे** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के लिए धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वह कितनी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र शासित सरकारों को केन्द्रीय सहायता आबंटित की जाती है तथा राज्य/केन्द्र शासित सरकारों से किए गए आबंटनों में से राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में निष्पादित करने हेतु विशिष्ट परियोजनाएं तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जिलों को धनराशि आबंटित नहीं की जाती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बकरी अनुसंधान योजनाओं से अमेरिका के वैज्ञानिकों का सम्बन्ध

4707. **श्री नारायण चौबे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा बकरी अनुसंधान में कुछ रुचि दिखाई गई है, तथा वे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा स्वीकृत योजनाओं से सम्बद्ध है, यदि हां, तो 1970 से स्वीकृति योजनाओं के नाम, स्थल, अवधि, स्वीकृत की गई राशि तथा प्रत्येक के मुख्य जांच कर्ताओं के नाम क्या हैं और अब तक उनका क्या परिणाम रहा है ;

(ख) क्या सरकार अमेरिका के सहयोग समर्थन द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की सभी बकरा अनुसन्धान योजनाओं के कार्य-निष्पादन से सन्तुष्ट है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अकुशलतापूर्वक लगातार चल रहे कार्यक्रमों का समर्थन करने वालों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक/दण्डनीय कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और कब ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं, श्रीमान्। अमेरिका के किसी वैज्ञानिक ने भारत में बकरी अनुसंधान में कोई रुचि नहीं दिखाई और न तो वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत प्रायोजना से सम्बद्ध ही रहे।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रेगिस्तानी क्षेत्रों के समस्याग्रस्त गांवों में पेय जल प्रदान करने संबंधी नीति में छूट प्रदान करना

4708. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर और जोधपुर नामक रेगिस्तानी जिलों में ऐसे अनेक गांव हैं, जो 25 से 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह नीति निर्धारित की है कि जिन गांवों में 1.6 किलोमीटर की दूरी से पानी लाना पड़ता है उन्हें समस्याग्रस्त गांव घोषित कर दिया जाना चाहिए ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार समस्या ग्रस्त गांवों में पेयजल के लिए केवल एक ही स्थल प्रदान किया जाना चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस नीति को कब तक उदार बनायेगी तथा राज्य में रेगिस्तान क्षेत्रों के ऐसे गांवों में एक से अधिक पेयजल स्थल कब मुहैया करेगी जहां केवल एक पेयजल स्थल मुहैया करने से गांववासियों को पेयजल लाने हेतु 10 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) इस विषय में सुस्पष्ट सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगी।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) छठी योजना अवधि के दौरान तथा नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 1-4-1980 को पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को 31 मार्च, 1985 तक स्वच्छ पेयजल के कम-से-कम एक स्रोत सहित लाभान्वित करने का प्रयास है। समस्याग्रस्त ग्राम में पेय जल के अपेक्षाकृत अधिक स्रोत तभी मुहैया किए जा सकते हैं यदि समस्याग्रस्त ग्राम में प्रत्येक 250-300 व्यक्तियों के लिए एक स्रोत की दर पर अपेक्षा हो। अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक कार्यक्रम का उद्देश्य मार्च, 1991 तक 100 प्रतिशत जनसंख्या को जलपूर्ति सुविधाओं से लाभान्वित करने का है।

जलपूर्ति राज्य का विषय है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया करने की योजनाएं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं राज्यों द्वारा बनाई एवं कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, केन्द्र पता लगाए गए समस्या ग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देकर राज्यों के संसाधनों को पूरा करता है। जबकि समस्या ग्रस्त ग्रामों में कतिपय न्यूनतम पेयजल सुविधाएं मुहैया करने का आसन्न ध्येय है, राज्यों को जलपूर्ति के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करने पड़ेंगे। त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के लिए तकनीकी अनुमोदन 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मानदण्ड तथा 250-300 व्यक्तियों के लिए जल के एक स्रोत के आधार पर दिया जाता है।

बम्बई में गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए बहुमंजिले मकानों के निर्माण हेतु जमीन का प्रावधान

4709. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार हेबिटेट इण्डिया को गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए बहुमंजिले

मकानों के निर्माण हेतु बम्बई में 127 एकड़ जमीन देने पर सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए धन की कमी के कारण पक्के मकानों की व्यवस्था करने के स्थान पर केवल मूल सुविधाओं की व्यवस्था करने का फैसला किया है और विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत एक स्थल तथा सेवाएं कार्यक्रम भी मंजूर किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने हैबीटेट योजना को किन शर्तों पर मंजूर किया और क्या बैंकों और वित्तीय संस्थानों को केवल इस योजना के लिए अपनी ऋण नीति बदलने के निर्देश दिए हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

वन आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता

4710. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में वन पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रतिवर्ष कुल कितने टन वन सामग्री की आवश्यकता है ;

(ख) क्या सम्बद्ध राज्य उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है ;

(ग) यदि नहीं, तो कितनी कमी है और इसको किस प्रकार पूरा किया जा रहा है ; और

(घ) क्या यह सच है कि अब सरकार द्वारा सभी वन आधारित उद्योगों को अपनी आवश्यकता को पूरा करने हेतु वन उगाने के लिए आवश्यक भूमि के आवंटन पर विचार किया जा रहा है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में 1980 में औद्योगिक लकड़ी की कुल आवश्यकता 200 लाख मीटरी टन थी। अनुमान है कि 1985 तक यह 240.2 लाख मीटरी टन हो जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1980 में यह कमी 92 लाख मीटरी टन थी और 1985 तक 82.6 लाख मीटरी टन की कमी हो जाने का अनुमान है। इस कमी को पूरा करने के लिए वानिकी उत्पादन कार्यक्रम के तहत औद्योगिक वृक्षों के रोपण किए जा रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम से संलग्न बहुमंजिला भवन

4711. **श्री के० टी० कोसलराम :**

श्री दिगम्बर सिंह :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम से संलग्न 4.5 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया 350 कमरों वाला बहुमंजिला भवन पिछले आठ महीनों से खाली और बन्द पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रति मास 30 लाख रुपए की घाटे की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ; जबकि 4 लाख वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र को 7.50 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से किराए पर दिया जा सकता है ; और

(ग) इस भवन को किराए पर दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम से सटी हुई एक बहुमंजिली इमारत अभी भी निर्माणाधीन है।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इमारत के पूर्ण होते ही दिल्ली विकास प्राधिकरण का इसको उपयोग करने का प्रस्ताव है।

केरल का अरालम फार्म

4712. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के केन्द्रीय राज्य अरालम फार्म के पास कितनी एकड़ भूमि है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और यदि इससे लाभ हुआ हो तो वह कितना है ;

(ग) इसमें कितने कर्मचारी और श्रमिक काम करते हैं और उनके प्रतिमाह वेतन और मजदूरी कितनी है ; और

(घ) क्या सरकार के पास इसे एक आदर्श फार्म का रूप देने के लिए योजना का विस्तार अथवा सुधार करने की कोई योजना है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय राज्य फार्म, अरालम के

अधिकार में 3060 हैक्टार क्षेत्र है।

(ख) निगम के वित्तीय वर्ष 1982-83 के अन्त में अरालम फार्म में 386.08 लाख रुपए का निवेश था। इसके अलावा, राज्य सरकार की फार्म के लिए भूमि प्राप्ति की लागत हेतु 18.90 लाख रुपए दिए हैं। गत 5 वर्ष के दौरान फार्म को हुआ लाभ/हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

गत 5 वर्ष के लिए निकल लाभ (+)/हानि (—)

1978-79	रु०	4.38	लाख (—)
1979-80	रु०	20.13	लाख (—)
1980-81	रु०	2.90	लाख (+)
7981-82	रु०	1.85	लाख (+)
1982-83	रु०	5.30	लाख (—)

(ग) 31-1-1984 को निगम के पास 169 नियमित कर्मचारी और 1308 आकस्मिक कर्मचारी थे। इन कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी लगभग 4.78 लाख रुपये प्रति माह है।

(घ) जी, हां। एक पशु पालन एकक उन रोगों, जहां जंगली पशुओं द्वारा फसल नष्ट कर दी जाती है, में अन्तरवर्ती बागानी फसलें उगाना और विभिन्न बागवानी फसलों की उत्तम पाद सामग्री की कृषि प्रारम्भ करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय मानक संस्था द्वारा भारतीय राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण

4713. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मानक संस्था द्वारा इसकी स्थापना से अब तक वर्गवार कितने भारतीय राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण किया गया है ;

(ख) उद्योगों द्वारा भारतीय प्रमाण चिन्ह अधिनियम के अन्तर्गत वर्गवार कितने मानक लिए गए हैं और भारतीय मानक संस्था को कितना वार्षिक शुल्क प्राप्त हो रहा है ;

(ग) अनुसंधान प्रयोगशाला में अनुसंधान के बाद कितने मानक निर्धारित किए गए हैं ; और

(घ) भारतीय प्रमाण चिन्ह अधिनियम के उल्लंघन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ग	31-12-83 को लागू भारतीय मानकों की संख्या	31-12-1983 को भारतीय मानक संस्था प्रमाण चिन्ह के तहत लाए गए भारतीय मानकों* की संख्या	अनुसंधान प्रयोगशाला में अनुसंधान पर आधारित भारतीय मानकों की संख्या
कृषि जन्य तथा खाद्य उत्पाद	1197	166	170
रसायन	1207	134	65
सिविल इंजीनियरी	1519	150	297
उपभोक्ता उत्पाद तथा चिकित्सा उपकरण	969	53	14
इलेक्ट्रोटेक्नीकल	919	118	205
इलेक्ट्रोनिकी तथा दूर संचार	732	4	6
समुद्री, माल की ढुलाई तथा पेकिंग	524	8	5
मैकेनिकिल इंजीनियरी	1954	115	15
पेट्रोलियम, कोयला तथा संबंधित उत्पाद	820	69	90
ढांचे सम्बन्धी तथा धातुएं	1133	165	35
कपड़ा	911	61	23
अन्य	79	—	—
	11964	1043	925

* वर्ष 1982-83 के दौरान लाइसेंस शुल्क तथा प्रमाणन चिन्ह योजना चलाने से भारतीय मानक संस्था की 3.25 करोड़ रुपए आय हुई।

विवरण-II

1.	1 अप्रैल, 1975 से 30 जून, 1983 तक प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या	1383
2.	जिन शिकायतों की जांच की गई तथा कार्यवाही की गई वे इस प्रकार हैं :	
	(क) शिकायतें जिनका कोई औचित्य नहीं है	42
	(ख) शिकायतें जिनकी पुष्टि नहीं हो सकी	205
	(ग) शिकायतें जिनका निपटारा उपभोक्ताओं के साथ कर दिया गया	510
	(घ) कानूनी कार्यवाही की गई	12
		769
3.	शिकायतें, जिनकी जांच चल रही है	614

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रियायती मूल्य पर गेहूं के वितरण में प्रगति

4714. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरजभान :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरस्थ ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों को 1.50 रु० प्रति किलो की दर से गेहूं सप्लाई करने में राज्यवार क्या प्रगति हुई है और इस सम्बन्ध में वितरण व्यवस्था का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितने लोगों को फायदा पहुंचा है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) खाद्यान्नों की रियायती दरों पर सप्लाई करने के लिए अनुदेश 19 जनवरी, 1984 को जारी किये गये थे। यद्यपि, कुछ राज्यों ने यह सूचित किया है कि वे इन अनुदेशों पर अमल कर रहे हैं, फिर भी, वास्तविक उपयोग के बारे में रिपोर्ट कुछ समय के पश्चात आनी शुरू होंगी। पात्र मजदूरों को खाद्यान्नों का वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से अथवा कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा सीधे किया जाना है।

पेशाशी परियोजना का निर्माण

4715. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर केरल में पेशाशी परियोजना की निर्माण सम्बन्धी प्रगति क्या है ;

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) इस परियोजना को द्रुत गति से पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सम्भवतः केरल की पेशाशी सिंचाई परियोजना का उल्लेख किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के निकट है। परियोजना की 55 करोड़ की अनुमानित लागत की तुलना में मार्च, 1984 तक 43.84 करोड़ रु० के खर्च होने की सम्भावना है।

(ख) इस परियोजना के 1986-87 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) इस परियोजना के पूर्ण होने में देरी का मुख्य कारण परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने में असमर्थ रहना है। हाल ही में केरल सरकार ने बताया है कि इस परियोजना के अयाकट का बड़ा भाग परस्सीनी-काडावु एक्वेडेक्ट से आगे वलापटिनम् नदी क्रोसिंग के ऊपर पड़ता है जिस पर कार्य के अब से लगभग तीन वर्षों में पूरा होने की सम्भावना है जो नहर प्रणाली के पूरा होने में देरी के लिए एक और कारण है।

(घ) सिंचाई एक राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए निधियों एवं अन्य संसाधनों की स्वयं राज्य सरकार को व्यवस्था करनी होती है। केरल की सरकार सहित विभिन्न सरकारों पर निर्माणाधीन परियोजनाओं को उन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त परिव्ययों की व्यवस्था करके पूरा करने के वास्ते समय-समय पर जोर दिया जाता रहा है। केन्द्र दुर्लभ सामग्रियों जैसे सीमेंट आदि की सप्लाई में कठिनाइयों को, यदि कोई हों, दूर करने में सहायता करता है तथा मांगे जाने पर तकनीकी परामर्श देने की व्यवस्था भी करता है।

उड़ीसा में कृषि विस्तार कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता

4716. **श्री रासबिहारी बहेरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने उड़ीसा राज्य में कृषि विकास कार्यक्रम चलाने के लिए सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) कृषि आर्थिक कार्यों की जांच करने, कृषि प्रणाली और कृषि पद्धतियों आदि की नई किस्मों सम्बन्धी उद्देश्यों में कितनी सफलता मिली है ; और

(ग) ऐसे कार्यक्रम किन क्षेत्रों में चलाए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) जी, हां, 1977 से।

(ख) इन उद्देश्यों की पूर्ति निम्न प्रकार की गई :—

(1) राज्य के चार कृषि-परिस्थितिकी क्षेत्रों अर्थात उत्तरी पठार, केन्द्रीय पठार भूमि, पूर्वी घाट का क्षेत्र और तटीय मैदानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि-आर्थिक प्रणालियों की जांच करने के लिए रेंज स्तर पर अनुकूली परीक्षण केन्द्रों की स्थापना।

(2) राज्य कृषि विश्वविद्यालय और केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्थान के साथ विस्तार सम्बन्ध स्थापित करना जिससे सिंचित तथा बारानी क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं जुटाने तथा उचित प्रौद्योगिकी के सृजन में सहायता मिली।

(3) सीमांत धान वाली भूमि के तिलहन तथा दलहनों की खेती में परिवर्तन करने के लिए किसानों को सहमत करने तथा विस्तार सम्बन्धी प्रयत्न करना।

(4) आदिवासी पोकेटों में टी-9 उड़द तथा पूसा बैशाखी मूंग जैसी उन्नत किस्मों को लोकप्रिय बनाना ; और

(5) विस्तार के माध्यम से विभिन्न फसलों के लिए संहत क्षेत्र प्रणाली की खेती शुरू करना।

(ग) इस कार्यक्रम के तहत उड़ीसा राज्य के सभी जिलों को लिया गया है।

भूमि सेना

4717. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा "भूमि सेना" में नौजवानों तथा समर्थ व्यक्तियों को भर्ती करके कृषकों के एक बड़े बल का सृजन करने के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सातवीं योजना के दौरान इस प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जायेगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों में अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं

4718. **श्री एन० डेनिस** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में अपूर्ण पड़ी सिंचाई परियोजनाओं का (राज्यवार) ब्यौरा क्या है ;

(ख) यह योजनाएं इस समय किस स्थिति में हैं ; और

(ग) इन कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) निर्माणाधीन बृहद सिंचाई स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में किया गया है। निर्माणाधीन मध्यम स्कीमों तथा उनमें से 1984-85 तक पूरा होने की सम्भावना वाली स्कीमों की संख्या संलग्न विवरण-दो में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8012/84]

(ग) इन कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे मुख्य उपाय ये हैं :—

(1) निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए अधिकतम सम्भव राशि आबंटित करके पूरा करने की प्राथमिकता।

(2) कम आपूर्ति वाली निर्माण सामग्री की पर्याप्त सप्लाई तथा परियोजना स्थलों पर ऐसी सामग्री के ले जाने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर विशेष प्रयास।

(3) राज्य स्तर पर परियोजनाओं तथा केन्द्रीय स्तर पर चुनिन्दा परियोजनाओं की मानीटरिंग।

कर्नाटक में जवाल्गेर सेन्ट्रल स्टेट फार्म में हड़ताल

4719. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में जवाल्गेर सेन्ट्रल स्टेट फार्म के श्रमिक 31 जनवरी, 1984 से हड़ताल पर हैं ;

(ख) क्या ये श्रमिक केन्द्र द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं ;

(ग) उनकी अन्य मांगें क्या हैं ; और

(घ) फार्म के प्रबन्धकों का उनकी मांगों के बारे में अब तक फैसला न कर पाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जवाल्गेर केन्द्रीय राज्य फार्म के दैनिक श्रमिकों ने 31 जनवरी, 1984 से हड़ताल कर दी थी। यह हड़ताल 26 फरवरी, 1984 को समाप्त हो गई।

(ख) दैनिक श्रमिकों की मांग थी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी के स्थान पर दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 10 रुपए प्रतिदिन की जाए।

(ग) श्रमिकों की अन्य मांगें निम्नलिखित थीं :—

(1) दैनिक श्रमिकों का नियमन करना।

(2) सहायक के नियमित पदों का सृजन करना।

(3) 4 ट्रैक्टर मालिकों का केन्द्रीय राज्य फार्म चेंगम में पुनः स्थानांतरण करना, जो वहां से फार्म के ट्रैक्टरों सहित स्थानांतरण कर दिए गए थे।

(4) दैनिक मजदूरी तथा ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को बोनस का भुगतान करना।

(5) फार्म के शिविर-I में स्कूल की सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(6) श्रमिकों के विरुद्ध अपराध सम्बन्धी मामलों को वापिस लेना।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि दैनिक मजदूरों की दर 6.50 रु० प्रतिदिन भुगतान करने के समझौते के आधार पर हड़ताल 26-2-1984 को समाप्त हो गई थी।

उत्तर प्रदेश की परिरक्षक मिलों (कस्टोडियन मिल्स) द्वारा गन्ने के लिए बकाया राशि की अदायगी न किया जाना

4720. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितनी परिरक्षक मिलों (कस्टोडियन मिल्स) ने गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य की पूरी अदायगी कर दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में कई परिरक्षक मिलों (कस्टोडियन मिल्स) ने गन्ना उत्पादकों को गन्ने के लिए मूल्य की अदायगी 1982-83 तक नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक परिरक्षक मिलों से गन्ने के मूल्य प्राप्त कर सकें इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश की पांच चीनी मिलों का प्रबन्ध परिरक्षकों द्वार किया जा रहा है। एक विवरण संलग्न है जिसमें इन मिलों के बारे में गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का ब्योरा दिया गया है।

(ग) 1982-83 तक के मौसमों के लिए बकाया मामूली राशि का भुगतान विवादों अथवा सह दावेदारों को पहचानने में कठिनाइयां होने के कारण नहीं किया गया है। उचित जांच करने के बा भुगतान करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जैसाकि अभिरक्षक ने सूचित किया है उत्तर प्रदे की अधिसूचित चीनी प्रतिष्ठानों की गन्ने की मूल्य की बकाया राशि।

विवरण

(आंकड़े लाख/रुपयों में)

फैक्ट्री का नाम	1983-84 मौसम की 29-2-84 को बकाया राशि	1982-83 और पहले के मौसमों की 29-2-84 को बकाया राशि
अजुध्या शुगर मिल्स, राजा-का-सहसपुर	70.16	9.09*
देवरिया मुगर मिल्स, देवरिया	16.56	—
आर०बी०एन० सिंह शुगर मिल्स लक्सर	159.17	13.83@
सेकसरिया शुगर मिल्स, बभनान	29.04	—
श्री सीताराम शुगर मिल्स, बैतालपुर	33.56	—

* यह राशि तीन मौसमों, 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के बकायों से सम्बन्धित है।

@ यह राशि मौसम 2978-79 के बकायों से सम्बन्धित है।

पशु-दौड़ को खेल के रूप में मान्यता

4721. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु-दौड़ को एक खेल रूप में मान्यता देने हेतु पालघाट, केरल के पशुदौड़ क्लब (कैटल रेस क्लब) से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) क्लब द्वारा अखिल भारतीय खेल परिषद को अनुरोध करने के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) क्लब को किसी विशेष खेल में राष्ट्रीय संघ के रूप में मान्यता देने पर विचार करने से पहले संगठन द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों के बारे में सूचित किया गया है।

बिहार में गन्ने की खेती में कमी

4722. **श्री चन्द्र देव वर्मा :**

श्री एन० ई० होरो :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में गन्ने की कीमत की अदायगी न होने के कारण किसानों ने राज्य में गन्ना न उगाने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार किया कार्यवाही करने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि बिहार के किसानों ने उन्हें गन्ने के बकायों का भुगतान न होने के कारण गन्ना न उगाने का फैसला किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में पेय जल की समस्या से ग्रस्त गांव

4723. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत:** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तथा कोटा जिले के दक्षिण पूर्व भाग में कितने गांवों को पेयजल की समस्या से ग्रस्त गांव के रूप में घोषित किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि जिन गांवों को सरकारी रिकार्ड में समस्याग्रस्त गांव घोषित नहीं किया गया है, वे भी पानी की गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं ; और

(ग) क्या बदली हुई परिस्थिति में, सरकार का विचार इन गांवों का सर्वेक्षण कराने तथा वहां रहने वाले लोगों को राहत प्रदान करने का है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में 571 गांवों तथा कोटा जिले में 639 गांवों को निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार समस्याग्रस्त ग्राम चुना गया था।

(ख) तथा (ग) 1-4-80 को पूर्ण देश में समस्याग्रस्त ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया तथा पता लगाया गया। पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को 31 मार्च, 1985 तक स्वच्छ पेयजल के कम से कम एक स्त्रोत से लाभान्वित करने का प्रयास है। कुछ राज्यों ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि कतिपय अन्य गांवों में कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है जिन्हें समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में शामिल नहीं किया गया है तथापि, कोई नया सर्वेक्षण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक का लक्ष्य 1991 तक शतप्रतिशत जनता को लाभान्वित करने का है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों की परियोजनाएं

4724. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों से प्राप्त योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) अब तक कितनी योजनाओं (राज्य-वार) को मंजूर किया गया है ; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान कितनी धनराशि (राज्य-वार) "रिलीज" की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र की सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे परियोजना प्रस्ताव तैयार करें और उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें। राज्य/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा परियोजनाएं प्रस्तुत करना एक सतत प्रक्रिया है। कुछ परियोजनाओं की जांच करने के बाद उन्हें पुन: तैयार करने/संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी तो इन परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा वापिस भी ले लिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र की सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की स्थिति में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं।

(ख) और (ग) राज्य-वार स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 27-2-84 तक अनुमोदित अनुमानित लागत तथा 1983-84 के दौरान राज्य-वार दी गई धन राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत 27-2-84 तक अनुमोदित परियोजनाओं की अनुमानित लागत

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजनाओं की लागत (लाख रु० में)	आबंटन 1983-84 (लाख रु० में)	1983-84 के लिए बंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	2	7192.58	990.0	990.0
2. असम	1	*	216.0	216.0
3. बिहार	9	1757.622	1425.0	1425.0

1	2	3	4	5
4. गुजरात	8	705.88**	320.0	320.0
5. हरियाणा	1	69.605***	84.0	84.0
6. हिमाचल प्रदेश	1	200.00	60.0	60.0
7. जम्मू और कश्मीर	1	70.66	75.0	75.0
8. कर्नाटक	4	887.007	470.0	470.0
9. केरल	3	3479.78	470.0	470.0
10. मध्य प्रदेश	10	5147.89	780.0	780.0
11. महाराष्ट्र	4	1441.67****	790.0	790.0
12. मणिपुर	—	—	11.0	11.0
13. मेघालय	—	—	15.0	15.0
14. नागालैंड	1	10.0	10.0	10.0
15. उड़ीसा	5	471.23	450.0	450.0
16. पंजाब	4	174.31	135.0	135.0
17. राजस्थान	16	1729.31	240.0	240.0
18. सिक्किम	3	8.56	8.0	8.0
19. तमिलनाडु	6	6067.02	890.0	89.00
20. त्रिपुरा	2	45.497	33.0	33.0
21. उत्तर प्रदेश	16	3447.71	1705.0	1705.0
22. पश्चिम बंगाल	7	3397.25	770.0	770.0
केन्द्र शासित क्षेत्र				
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	8.0	—

1	2	3	4	5
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	8.0	—
25. चण्डीगढ़	1	4.57	2.0	1.75
26. दादरा और नगर हवेली	—	—	4.0	—
27. दिल्ली	—	—	4.0	—
28. गोवा, दमन और दीव	1	64.36	9.0	—
29. लक्षदीप	—	—	2.0	—
30. मिजोरम	1	55.60	8.0	—
31. पांडिचेरी	1	52.74	8.0	8.0
योग :	108	37462.391		

* असम सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई 130 लाख रु० की संयुक्त परियोजना में से तालाबों के नवीकरण तथा सिंचाई कार्य जिनमें बांध भी शामिल हैं, से सम्बन्धित घटकों को 24-1-84 को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया था। कोई राशि नहीं दर्शायी गई है क्योंकि राज्य सरकार से कुछ सूचना प्राप्त की जा रही है।

** लघु सिंचाई तालाबों के नवीकरण की परियोजना जिसमें 106.78 लाख रुपये की अनुमानित लागत शामिल है, जो 24-1-84 को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित परियोजना में कुल 116.00 लाख रुपये का परिव्यय शामिल है। यह विचाराधीन है इसलिए इस परियोजना के लिए कोई राशि शामिल नहीं की गई है।

*** राज्य सरकार द्वारा दी गई 40.53 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं है।

**** गहन वाटर शेड विकास की परियोजना के अलावा, 288.63 लाख रुपये की अनुमानित लागत 17-11-83 को केन्द्रीय समिति द्वारा सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दी गई थी। इस राशि को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि जोतों के पैटर्न के बारे में ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने रोजगार के लिए ऋण

4725. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य के तीन पिछड़े जिलों राजगढ़, गुना और विदिशा में वर्ष 1981,

1982 और 1983 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अपना रोजगार खोलने के लिए कुल कितने बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण दिए गए ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में उपरोक्त व्यक्तियों को दिए गए ऋणों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जिस काम के लिए ऋण लिया गया है उसी पर खर्च किया जाय और वह ऋण पाने वाले के लिए लाभप्रद किस्म का निरीक्षण तंत्र स्थापित किया गया है ;

(घ) उपरोक्त तीन जिलों में पिछले तीन वर्ष में ऋण किस्तों की अदायगी के रूप में बैंकों ने कितनी धनराशि वसूल की है ; और

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत उपरोक्त तीन जिलों के लिए वर्ष 1984 हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और लाभान्वित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है इस कार्यक्रम पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निष्पादित किए जा रहे निर्माण कार्यों पर ग्रामीण बेरोजगारों/अल्प रोजगार वाले व्यक्तियों को नियोजित करके रोजगार सृजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई ऋण स्वीकृत नहीं किए जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय स्तर पर जिलों के लिए रोजगार सृजन के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं तथापि, सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य के लिए 29.40 करोड़ रुपये की कुल आवंटित धनराशि के मुकाबले में वर्ष 1983-84 के लिए 252.00 लाख श्रमदिनों के रोजगार सृजन का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाए जाने के बारे में विशेष समिति की सिफारिशों

4726. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हिमालय क्षेत्र में पेड़ गिराने सम्बन्धी नीति की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समिति ने काफी पहले अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थीं और ये सिफारिशें अन्तिम स्वीकृति के लिए मंत्रालय में पड़ी हैं ;

(ग) यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट कितने समय से मंत्रालय में पड़ी है तथा इस बारे में अभी तक स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क)जी, हां। यह समिति अगस्त, 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित की गई थी।

(ख) से (घ) समिति ने मार्च, 1982 को अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत की जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी जांच की थी और उन्होंने अपनी टिप्पणियों के साथ इस रिपोर्ट को सितम्बर, 1982 में कृषि मंत्रालय को भेजा। पर्यावरण विभाग सहित सभी सम्बद्धों से विचार-विमर्श करने के बाद भारत सरकार के विचार जून, 1983 में राज्य सरकार को भेज दिए गए थे। दिसम्बर, 1983 में राज्य सरकार द्वारा यह मामला पुनः कृषि मंत्रालय को भेजा गया था। सहमत समाधान तैयार करने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ हाल ही में विचार-विमर्श किया गया है जिस पर सरकार विचार कर रही है। इस बीच 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई तथा 45 डिग्री से अधिक के प्लानों के क्षेत्रों में हरे वृक्षों की कटाई बिलम्बन जारी है।

नारियल विस्तार कार्यक्रम के लिए सहायता

4727. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा नारियल विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनसे इस प्रकार के कार्यक्रम इस समय कार्यान्वयन अधीन है ;

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए छठी योजना (वर्ष-वार) के दौरान उड़ीसा राज्य को केन्द्र द्वारा कुल कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई ; और

(घ) उपर्युक्त अवधि में उड़ीसा में कार्यान्वित किए गए नारियल विस्तार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पांडिचेरी, लक्षदीप, गोवा और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के नारियल उत्पादन करने वाले सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ग) तथा (घ) नारियल विस्तार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। वर्षवार धनराशि नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	योजना का नाम	योजना परिव्यय (लाख रुपए में) 1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	योग
1.	**केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना**						
1.	पैकेज कार्यक्रम (पुरी जिला)	—	0.54	0.60	0.62	0.48	2.24
2.	टी० × डी० नारियल पौदों का उत्पादन (पुरी जिला)	0.72	0.94	0.33	0.36	0.38	2.73
3.	विश्वान्हकानी में डी० × टी० फार्म की स्थापना (कटक जिला)	0.85	0.98	1.00	1.00	1.02	4.85
	योग :	1.57	2.46	1.93	1.98	1.88	9.82
2.	**नारियल विकास बोर्ड परियोजनाएं**						
4.	नहरों के किनारे नारियल का पौधरोपण	—	—	14.51	23.43	32.30	70.24
5.	क्षेत्रीय पौधशालाओं की स्थापना	—	—	4.72	2.48	2.49	9.69
6.	पूंजी की राज सहायता मुहैय्या करके क्षेत्र का विस्तार	—	—	1.25	1.68	1.62	4.55
7.	सहकारी विपणन तथा परिसंस्करण समितियों को वित्तीय सहायता	—	—	1.00	1.00	1.00	3.00
	योग :	—	—	21.48	28.59	37.41	87.48
	कुल योग :	1.57	2.46	23.41	30.57	39.29	97.30

कीड़ों से कपास की खेती को नुकसान

4728. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष देश के कई भागों में कीड़ों से कपास की खेती को भारी नुकसान हुआ है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सहायता दी है, यदि हां, तो कितनी धनराशि दी है और सहायता देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ;

(ग) क्या गुजरात के कई भागों में ओलावृष्टि से कपास की खेती को भारी नुकसान हुआ है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में भी इस प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और यदि हां तो कितनी और कब तक और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) कीटों की वजह से पंजाब और हरियाणा में कपास की फसल को भारी क्षति और महाराष्ट्र और गुजरात में मामूली सी क्षति पहुंची है।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को 10.00 करोड़ रु० की राशि निर्मुक्त की है जिसमें 6.00 करोड़ रु० साधनोपाय पेशगी के रूप में और 4.00 करोड़ रु० अग्रिम योजना सहायता के रूप में दिए गये हैं ताकि वे कीटों से कपास की खड़ी फसल को क्षति के कारण किये जाने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति कर सकें। कीट प्रकोप से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु अपेक्षित सहायता के मामलों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) गुजरात के उत्तरी भाग में ओलावृष्टि और शीत लहर के कारण कपास की फसल को क्षति पहुंची है।

(घ) गुजरात राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

शीत लहर के कारण फसलों को नुकसान

4729. **श्री बिरदा राम फुलवारिया :**

श्री सत्यनारायण जटिया :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत, राजस्थान और गुजरात में अभूतपूर्व शीत लहर के कारण करोड़ों रु० मूल्य की फसल को नुकसान हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फसलों के हुए इस नुकसान का अनुमान लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो कुल कितना नुकसान हुआ है तथा सरकार द्वारा किसानों को क्या सहायता प्रदान करने का विचार किया गया है और तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश, तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ एवं दिल्ली ने शीत लहर से फसलों को

क्षति होने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। राजस्थान सरकार ने शीत लहर से फसलों को क्षति होने की सूचना दी है परन्तु क्षति मी मात्रा का मूल्यांकन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने प्रारम्भिक मूल्यांकन के आधार पर भिवानी, वारनोल, जिन्द तथा रोहतक जिलों में अनुमानत: 3.05 लाख हैक्टार क्षेत्र में शील लहर से फसलों को क्षति होने की सूचना दी है। फसलों को हुई क्षति की मात्रा सिरसा जिले में 5 से 30 प्रतिशत के बीच तथा हिसार जिले में 25 प्रतिशत के लगभग है। राहत देने के प्रश्न पर क्षति की मात्रा का मूल्यांकन होने के बाद विचार किया जाएगा।

गुजरात राज्य से अभी उत्तर नहीं मिला है और उत्तर प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

प्रोत्साहित एककों के लिए अतिरिक्त निःशुल्क चीनी

4740. **श्री बाल्या साहिब** विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के उत्पादन सीजन में प्रोत्साहित एककों को कारखाने वार बिक्री के लिए जारी की गई निःशुल्क चीनी की अतिरिक्त मात्रा क्या है ; और

(ख) इन वर्षों के दौरान इस प्रकार के प्रत्येक कारखाने को बिक्री के लिए जारी की गई : निशुल्क चीनी की कुल प्रतिशतता कितनी है ?

इलेक्ट्रानिक विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) दो विवरण परिशिष्ट-I और परिशिष्ट-II के रूप में अलग-अलग संलग्न हैं, जिनमें 1981-82 और 1982-83 के मौसमों के उत्पादन में से प्रोत्साहन यूनिटों को निर्मुक्त की गई मुक्त बिक्री की अतिरिक्त फैक्ट्रीवार मात्रा और 1981-82 तथा 1982-83 के मौसम के उत्पादन में से ऐसी प्रत्येक चीनी फैक्ट्री दोनों विस्तार परियोजनाओं और नई स्थापित की गई चीनी फैक्ट्रियों को निर्मुक्त की गई मुक्त बिक्री की कुल प्रतिशतता का ब्यौरा दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 80/13/84]

हरियाणा में डेरी विकास योजना का असफल होना

4731. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हरियाणा में केन्द्रीय सहायता प्राप्त डेरी विकास योजना की असफलता की ओर आकर्षित किया गया है और यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय किए गये हैं। 29 फरवरी, 1984 का बिजनेस स्टैण्डर्ड), और

(ख) क्या यह सच है कि मृत "दुधारू पशुओं" के मामले में झूठे बीमा दावे मन्जूर किए गये थे और यदि हां, तो क्या सरकार का केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का विचार है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान 29 फरवरी, 1984 के बिजनेस स्टैण्डर्ड में कथित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है। तथापि, यह योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है और यह केन्द्रीय अथवा केन्द्र प्रायोजित योजना नहीं है।

केरल में नारियल के पेड़ों को क्षति

4732. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रूट विल्ट" और "लीफ रूट" नामक बीमारियों के कारण केरल में नारियल के पेड़ों को भारी क्षति पहुंची है, और

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई हैं ;

कृषि मंत्री कृषि मन्त्रालय में राज्य (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) : जी हां।

(ख) केरल सरकार से मिली रिपोर्ट के अनुसार, जड़-मुर्झान तथा पत्तो-गलन रोगों से लगभग 2,50,000 हैक्टार के नारियल बागान को क्षति पहुंची है जिसके कारण 30 करोड़ गिरियों की सालाना क्षति होने का अनुमान है।

सिंचाई परियोजनाओं का समय से पूरा होना

4733. **श्री चतुर्भुज** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी बड़ी, मंझोली और छोटी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण-कार्य समय पर पूरा हो गया है और उन सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिनको समय से पूरा नहीं किया जा सका तथा उनके लिए समय बढ़ाया गया ; और

(ख) उन सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिनको समय पर पूरा नहीं किया जा सका तथा इसके परिणामस्वरूप उन पर अतिरिक्त धनराशि खर्च हुई और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सिंचाई एक राज्य विषय है, अतः परियोजनाएं वास्तव में समय पर पूरी की गई या नहीं, बढ़ाई गई समयावधि यदि कोई हो, तथा परियोजनाओं के समय पर पूरा न किए जाने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में विशिष्ट सूचना नहीं दी जा सकती।

1983-84 के दौरान राज्यों को खाद्य तेल का आबंटन

4734. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्यों को आयातित खाद्य तेल की कुल कितनी मात्रा

आबंटित की गई ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस वर्ष (1983-84) कुछ राज्यों को आयातित खाद्य तेल का अतिरिक्त आबंटन करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो 1983-84 वित्तीय वर्ष के अन्त तक उड़ीसा को कुल कितने मीट्रिक टन अतिकिक्त आयातित खाद्य तेल के आबंटन का विचार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सभी राज्यों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन मासिक आधार पर किया जाता है। मार्च, 1983 के दौरान, राज्यों को खाद्य तेलों की 28,200 मी० टन मात्रा आबंटित की गई थी। वित्तीय वर्ष 1983-84 के प्रारम्भ से इस आबंटन में वृद्धि की गई। अप्रैल, और मई, 1983 में यह प्रतिमाह 35,355 मी० टन था और बाद में इसे क्रमशः बढ़ाया गया तथा फरवरी, 1984 में यह 75,000 मी० टन पर पहुंच गया। मार्च, 1984 के दौरान इसे इसी स्तर पर बनाए रखा गया। सरकार, जब तक स्थिति की मांग है, तब तक राज्यों को मौजूदा स्तर पर आबंटन बनाए रखने का विचार रखती है। वर्तमान आबंटन को पर्याप्त समझा जाता है। वित्तीय वर्ष 1983-84 (अप्रैल 1983 से मार्च, 1984) के दौरान उड़ीसा को कुल 24,660 मी० टन मात्रा आबंटित की गई है।

संकर पौधों में फल पैदा करने की क्षमता को पता लगाने की तकनीक

4735. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने, विशेषकर नारियल जैसे संकर पौधों में, फल पैदा करने की क्षमता का पता लगाने का एक तकनीक विकसित किया है और यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है (पैट्रिओट-3 फरवरी, 1984) ;

(ख) क्या हमारी अनुसन्धान और विकास प्रयोगशालाओं में इसी प्रकार के स्पैक्ट्रम-फलुओरी-मीटर हैं और यदि हां, तो उनका इस समय क्या प्रयोग किया जा रहा है ;

(ग) क्या हमारे वैज्ञानिक इस नई तकनीक का प्रयोग करेंगे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने अन्त में नारियल में "विल्ट" रोग होने के कारणों का पता लगा लिया है जिसके लिए इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप प्राप्त किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) परिषद को 3 फरवरी, 1984 के

विवरण

अप्रैल, 1983 से मार्च, 1984 तक की अवधि के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सार्वजनिक विवरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों का आबंटन दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	अप्रैल 1983	मई 1983	जून 1983	जुलाई 1983	अगस्त 1983	सितम्बर 1983	अक्तूबर 1983	नवम्बर 1983	दिसम्बर 1983	जनवरी 1984	फरवरी 1984	मार्च 1984
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	4000	4000	1500	6500	6500	7000	7000	9000	8000	7500	8000	8000
2.	असम	630	630	800	850	850	850	850	850	850	850	900	900
3.	बिहार	350	350	455	455	755	800	800	800	800	1200	1300	1300
4.	गुजरात	3600	3600	4500	7000	7000	7000	7000	7000	5000	4500	5000	5000
5.	हरियाणा	220	220	260	260	260	330	500	500	500	700	900	1000
6.	हिमाचल प्रदेश	625	625	790	790	790	790	1000	1000	1000	1030	1100	800
7.	जम्मू और कश्मीर	120	120	170	170	270	270	270	270	270	270	300	300
8.	कर्नाटक	1235	1235	1700	1700	3700	3700	4500	4500	4000	3500	4000	4000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	केरल	1950	1950	2325	2325	3325	4300	5000	5000	5000	5000	5000	5500
10.	मध्य प्रदेश	1030	1030	1050	1050	2050	2050	3000	3000	3000	3000	3000	3000
11.	महाराष्ट्र	4850	4850	5845	5845	7845	10000	12000	12500	11500	11000	11500	11500
12.	मणिपुर	265	265	265	265	310	310	400	400	400	450	500	500
13.	मेघालय	230	230	290	290	440	440	440	440	440	440	500	500
14.	नागालैंड	60	60	65	65	100	100	150	200	200	250	300	300
15.	उड़ीसा	770	770	1030	1030	2030	2030	2500	2500	2500	3000	3200	3300
16	पंजाब	1130	1130	1645	1645	2645	2645	2645	2645	2645	2600	2600	2000
17.	राजस्थान	350	350	510	510	1010	1010	1010	1010	1010	1000	1000	1000
18.	सिक्किम	155	155	180	180	200	200	200	200	200	200	200	200
19.	तमिलनाडु	3530	3530	4500	4500	6500	7500	7500	7500	7000	7000	7500	7500
20.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	100	50	50	60	60
21.	उत्तर प्रदेश	2345	2345	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	3000	4000	4200

22. पश्चिम बंगाल	5950	5950	7045	7045	8545	9000	10000	10000	10000	10000	11000	11000
23. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	25	25	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50
25. चण्डीगढ़	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	50	50
26. दादरा व नगर हवेली	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
27. दिल्ली	1430	1430	1820	1820	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
28. गोवा, दमन व दीव	295	295	350	350	350	350	350	350	350	350	400	400
29. लक्षद्वीप	—	—	—	—	28	—	—	15	15	15	20	20
30. मिजोरम	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	200	200
31. पांडिचेरी	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	200	200
	35355	35355	43370	61020	61048	66220	73160	75325	69775	69980	75000	75000

पैट्रिओट समाचार-पत्र में प्रकाशित केवल समाचार मद के विषय में जानकारी है। फिलहाल, प्रतिवेदित यंत्र के बारे में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपकरण/यन्त्र एक नई खोज है तथा अभी तक यह भा० कृ० अ० प० के संस्थानों में उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद इस समय इस स्थिति में नहीं है कि भारतीय स्थितियों के अन्तर्गत इसके उपयोग की सम्भावनाओं के विषय में अपना विचार व्यक्त कर सके।

(घ) स्वस्थ नारियल ऊतकों और जड़ "मुरझान" रोग से प्रभावित नारियल के नमूनों की जांच के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शी यन्त्र का उपयोग किया जा रहा है। स्टेफेनिटिस टाइपीकस कीड़े के ऊतकों की इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शी यन्त्र से जांच करने पर पता चला कि मस्तिष्क ऊतकों में माइको-प्लाज्मा जैसे जीव (एम०एल०ओ०एस०) होते हैं। इस दिशा में प्रसारण परीक्षणों के साथ किए गए और आगे अध्ययनों से नारियल को जड़ "मुरझान" रोग को पैदा करने वाले कारकों के रूप में माइको-प्लाज्मा जैसे जीवों की भूमिका की पुष्टि पर कार्य जारी है।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यनिष्पादन की तुलना में केन्द्रीय भांडागार निगम की गतिविधियों का विस्तार

4736. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांडागार निगम की भंडारण क्षमता कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम के और आगे विस्तार पर रोक लगाने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है क्योंकि यह एक निष्क्रिय विशालकाय निगम हो गया है, और क्या यह केन्द्रीय भांडागार निगम के पिछले एक दशक से अधिक समय से अच्छे कार्य-निष्पादन को देखते हुए उसे और अधिक कार्य सौंपने पर विचार करेगी ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांडागार निगम की अपनी और किराए की मिलाकर ढकी हुई भण्डारण क्षमता 31-12-1983 को क्रमशः 171.7 लाख मीटरी टन और 45.4 लाख मीटरी टन थी। भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता में केन्द्रीय भांडागार निगम से किराये पर ली गई 16.7 लाख मीटरी टन की क्षमता शामिल है।

(ख) से (घ) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांडागार निगम को भिन्न-भिन्न और अलग-

अलग भूमिका सौंपी गई है। अतः भारतीय खाद्य निगम के विस्तार और केन्द्रीय भांडागार निगम की भूमिका के प्रसार को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सुपर बाजार द्वारा सप्लायरों को भुगतान

4737. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री सुपर बाजार द्वारा सप्लायरों को भुगतान के बारे में 12 दिसम्बर, 1983 ने अतारांकित प्रश्न संख्या 3113 के उत्तर के सम्बन्ध से एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 12 महीनों के दौरान सप्लायरों ने किस तारीख को माल सप्लाई किया था और उन्हें किस तारीख को भुगतान किया गया था और सप्लाई सम्बन्धी दोषों के बारे में सप्लायरों को किस तारीख को बताया गया था और उनका उत्तर किस तारीख को मिला था ; और

(ख) माल बिकने की सम्भाव्यता और रखने के लिए स्थान पर विचार किए बिना नई मदों को रखने के क्या कारण हैं और क्या स्थान को बढ़ाए बगैर सभी नई मदों को बिना किसी उपवाद के उन सभी ब्रांचों के रेक्स में रखा गया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1983 की अवधि के दौरान सुपर बाजार, नई दिल्ली द्वारा कुछ असंगतियों के कारण सप्लायरों को देरी से किए गए भुगतान के मामले, सप्लायरों के नाम, भुगतान के लिए देय तारीख तथा भुगतान की वास्तविक तारीख और देरी से भुगतान के कारण, दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 8014/84]

(ख) सुपर बाजार द्वारा नई मदों की बिक्री सुपर बाजार की क्रय उप-समिति द्वारा उन मदों की उचित मांग पर विचार करने के बाद तथा शाखाओं में स्थान की उपलभ्यता को ध्यान में रखते हुए शुरू की जाती है। बिक्री के लिए शामिल की गई नई मदों को, शाखाओं को, शाखा विशेष में बिक्री की सम्भावनाओं तथा उक्त शाखा में स्थान की उपलभ्यता का अनुमान लगाने के बाद भेजा जाता है।

जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान में रिसाव के मामले

4738. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान के रिसाव संसूचन सैल द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए और ठीक किए गए रिसाव के मामलों में वृद्धि और कमी का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी राशि व्यय की गई ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली जलपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान से यथा प्राप्त सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	पता लगाए गए रिसाव की संख्या
1980-81	265
1981-82	285
1982-83	898

संस्थान ने पुष्टि की है कि सभी रिसावों को बन्द कर दिया गया है।

(ख) संस्थान के अनुसार निम्नलिखित राशि खर्च की गई :—

1980-81	3.62 लाख रु०
1981-82	4.00 लाख रु०
1982-83	4.27 लाख रु०

किसानों का प्रशिक्षण

4739. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने विस्तार सम्बन्धी गतिविधियों के एक भाग के रूप में कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए उर्वरक उत्पादकों और विपणन संगठनों के साथ दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसानों सहित किसानों को प्रशिक्षण देने का है ;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार इस प्रकार के कितने केन्द्र खोले जाएंगे ; और

(ग) किसानों को उर्वरकों और उन्नत किस्म के बीजों, कीटनाशकों और फफूंद नाशकों जैसे अन्य आदानों के सही प्रयोग के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रामीण विकास के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से अनुदान

4740. **श्री के० प्रधानी** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, ग्रामीण विकास के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से कुछ अनुदान प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी अनुदान राशि मिलने की आशा है ;

(ग) कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या उड़ीसा के कोरापुट जैसे पिछड़े जिलों में भी इस प्रकार की कोई परियोजना शुरू की जाएगी ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) ब्रुसेल्स में स्थित हमारे मिशन ने यह सूचित किया है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने दो परियोजनाओं अर्थात् (1) ग्रामीण विकास में अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण हेतु राज्य केन्द्र (6.5 मिलियन ई०सी०यू०) और (2) तमिलनाडु में तालाब द्वारा सिंचाई की पद्धति के आधुनिकीकरण (25. मिलियन ई० सी० यू०) को वित्त-पोषित करने हेतु वर्ष 1983 के सहायता कार्यक्रम के भाग के रूप में अनुदान देने का निर्णय लिया है। (1 ई० सी०यू० = 1.1 अमेरिकी डालर) ।

यह भी सूचित किया गया है कि उर्वरक आयात करने हेतु भारत सरकार को 33.5 ई०सी०यू० मिलने की सम्भावना है। आयातित उर्वरकों की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रतिरूप निधियों को तीन परियोजनाओं में लगाने का प्रस्ताव है । प्रतिरूप निधियों में से जिन दो परियोजनाओं पर व्यय किया जाएगा, वे सिंचाई परियोजनाएं ये हैं—(1) महाराष्ट्र में खारी भूमि के सुधार हेतु परियोजना (20 मिलियन ई० सी० यू०) तथा (2) लघु सिंचाई तालाब परियोजना--प्रथम चरण गुजरात (7.5 मिलियन ई०सी०यू०)।

उड़ीसा को खाद्य तेलों की सप्लाई

4741. **श्री के० प्रधानी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने 1984-85 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए खाद्य तेलों और खाद्यान्नों की कितनी मात्रा मांगी है और केन्द्र द्वारा अपने पुल से कितनी मात्रा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) राज्य सरकार की सम्पूर्ण मांग को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई करने के लिए राज्य सरकारों को खाद्यान्नों और आयातित खाद्य तेलों का आबंटन, राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के यथार्थपरक अनुमान, राज्य में मण्डियों में उनकी उपलभ्यता और अन्य सम्बन्धित बातों को देखते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। अप्रैल, 1984 माह, जिससे वर्ष 1984-85 का आरम्भ होता है, के लिए उड़ीसा सरकार को 5,000 मी० टन चावल और 18,000 मी० टन गेहूं का आबंटन किया गया है, जबकि राज्य सरकार की मांग 15,000 मी० टन चावल और 20,000 मी० टन गेहूं की थी। तेल वर्ष 1983-84 (नव० 1983 से अक्तू० 1984) के लिए उड़ीसा को, उनकी 8,000 मी० टन प्रति माह की औसत मासिक मांग की तुलना में, अप्रैल 1984 में लगभग 3,300 मी० टन आयातित खाद्य तेल आबंटित करने का प्रस्ताव है।

(ख) राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आबंटन और आयातित खाद्य तेलों का

आबंटन केवल अनुपूरक स्वरूप का होता है। ये आबंटन किसी भी राज्य सरकार की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं।

उड़ीसा में मछली पकड़ने के लिए बन्दरगाह

4742. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में मछली पकड़ने वाली कितने बन्दरगाहों को स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या विकास योजनाएं तैयार की गई हैं तथा कितनी केन्द्रीय मदद के मिलने की सम्भावना है ;

(ग) इस समय मछली व्यापार में संलग्न औद्योगिक घराने तथा कम्पनियों के नाम क्या हैं जो उड़ीसा तट से अपना व्यापार कर रही हैं ; और

(घ) उनके द्वारा मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए कितनी धनराशि दी जाती है तथा इन कम्पनियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों की तुलना में यह कितनी है और इस प्रकार गरीब मछुआरों का शोषण किया जा रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उड़ीसा की राज्य सरकार ने कंसबांस, कासाफल, पठारा और खतपाडा में माल उतारने के छोटे केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) प्रस्तावों के स्वीकृत होने के बाद केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य स्वीकृत लागत को बराबर रूप में वहन करेंगे।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

मछुआरों के लिए बीमा योजना

4744. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष सैंकड़ों मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ते समय दुर्घटनाओं के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है ;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने मछुआरों के लिए कोई बीमा योजना शुरू की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सभी राज्यों विशेष रूप से समुद्र तटीय राज्यों को अपने यहां मछुआरों के लिए ऐसी योजना शुरू करने हेतु उपाय करने सम्बन्धी सुझाव देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां, परन्तु इनकी संख्या प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न रहती है। वर्ष 1982-83 के दौरान तमिलनाडु में 36, केरल में 20, आंध्र प्रदेश में 20, गुजरात में 12, महाराष्ट्र में 6 और पांडिचेरी में 5 व्यक्तियों के मरने की सूचना प्राप्त हुई थी। शेष राज्यों में किसी व्यक्ति के मरने की सूचना नहीं मिली।

(ख) और (ग) गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी ने सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक जोखिम बीमा हेतु राजसहायता सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित किया है। केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी बीमा योजनाओं में संशोधन किया है।

(घ) और (ङ) सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को उपरोक्त योजना की सूचना भेज दी गई है। अभी तक सभी तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी ने ही इस योजना को क्रियान्वित किया है।

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों का लागू किया जाना

4745. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है ;

(ख) विभिन्न राज्य भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों को लागू करने हेतु क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं ; और

(ग) प्रधान मन्त्री के संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत फालतू जमीन को तेजी से वितरित करने हेतु कार्यान्विति में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों को जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) सभी संबंधित राज्यों के कानूनों में कुल मिलाकर भूमि धारकों, जिनके पास मूल्यांकन करने पर फालतू भूमि प्रतीत हुई है, द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने का प्रावधान है। उनके द्वारा अपनी भूमि की जोतों का ब्यौरा, उनका वर्गीकरण उनके परिवारों का आकार तथा संरचना आदि दिया जाना अपेक्षित है ताकि भूमि की उपयुक्त अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सके। उन भूमि धारकों जो अपनी विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, की विवरणियों को तैयार करने हेतु आंकड़े प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी का भी प्रावधान है। कानूनों में निर्धारित पद्धति के अनुसार इन विवरणियों की जांच-पड़ताल की जाती है तथा फालतू क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। कानूनों में निर्धारित प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील करने तथा पुनरीक्षण करने का भी प्रावधान है।

(ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकतम सीमा से फालतू घोषित भूमि के वितरण की प्रगति की पुनरीक्षा प्रतिमाह की जाती है कमियों का पता लगाया जाता है तथा राज्यों को उपचारी उपाय सुझाए जाते हैं। अधिकारियों द्वारा की जा रही मानीटरिंग के अतिरिक्त, ग्रामीण मंत्री समय-समय पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर उनका ध्यान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कमियों की ओर

आकृष्ट करते हैं तथा उपचारी उपाय सुझाते हैं। उदाहरणार्थ, राज्यों को उन जिलों में विशेष सेल थापित करने के लिए कहा गया है जहां बड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित मामले अभी लम्बित पड़े हुए हैं।

विवरण

भूमि की अधिकतम सीमाएं

राज्य का नाम	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि
आंध्रप्रदेश	10 से 27 एकड़	35 से 54 एकड़
असम	50 बीघा (16.2/3 एकड़)	50 बीघा (16.2/3 एकड़)
बिहार	15 से 25 एकड़	30 से 45 एकड़
गुजरात	10 से 27 एकड़	20 से 54 एकड़
हरियाणा	7.25 हेक्टेयर से 10.9 हेक्टेयर	21.8 हेक्टेयर
हिमाचल प्रदेश	10 से 15 एकड़	30 से 70 एकड़
जम्मू और कश्मीर	8-13/14 से 12.5 एकड़	14-12/17 से 22-8/11 एकड़
कर्नाटक	10 से 30 एकड़	54 एकड़
केरल	12 से 15 एकड़	12 से 15 एकड़
मध्य प्रदेश	18 से 27 एकड़	54 एकड़
महाराष्ट्र	18 से 36 एकड़	54 एकड़
मणिपुर	5 हेक्टेयर	6 हेक्टेयर
मेघालय	—	—
उड़ीसा	10 से 15 एकड़	30 से 45 एकड़
पंजाब	7 से 11 हेक्टेयर	20.5 हेक्टेयर
राजस्थान	18 से 27 एकड़	54 से 175 एकड़
सिक्किम	12.5 से 50 एकड़	12.5 से 50 एकड़
तमिलनाडु	12 एकड़	60 एकड़
त्रिपुरा	4 से 12 हेक्टेयर	4 से 12 हेक्टेयर
उत्तर प्रदेश	7.30 हेक्टेयर	10.95 से 18.25 हेक्टेयर
पश्चिम बंगाल	5 हेक्टेयर	7 हेक्टेयर

डी० डी० ए० द्वारा ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों को भूमि की बिक्री

4746. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में अनेक हाऊसिंग सोसायटियों को भूमि बेची है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सोसायटियों को भूमि आबंटित की गई है ;

(ग) क्या उन सभी सोसायटियों से भूमि की पूरी कीमत अब तक वसूल कर ली गई है और यदि हां, तो उनसे कितनी धनराशि वसूल की गई ;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली शहरी कला आयोग से ग्रुप हाऊसिंग योजना के लिए नक्शा स्वीकृत कराने से पहले ही इन सोसायटियों को भूमि बेच दी थी ;

(ङ) क्या ऐसा करने से शहरी कला आयोग द्वारा सहकारी समितियों की नक्शा योजनाओं को स्वीकृति देने में देरी हुई है; और

(च) यदि हां, तो इस चूक के लिए जिम्मेदार डी० डी० ए० के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) आबंटन की चालू योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 424 सहकारी ग्रुप आवास समितियों को भूमि आबंटित की थी।

(ग) जी, हां। समितियों ने 47.25 करोड़ रु० के कुल भूमि प्रीमियम का भुगतान किया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) विन्यास नक्शों को स्वीकृत करने में कुछ विलम्ब हुआ था।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण को ऐसा विलम्ब न करने को सुनिश्चित करने की सलाह दी जा रही है।

सरकारी कालोनियों में मेनहोलों पर ढक्कन लगाने की व्यवस्था

4747. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कालोनियों में विशेषकर नई दिल्ली के डी० आई० जैड०

एरिया के सैक्टर-डी में अधिकांश मेन होलों पर ढक्कन नहीं हैं ;

(ख) क्या वहां नियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी मेन होलों पर ढक्कन लगाने की परवाह नहीं करते जिसके परिणामस्वरूप नालियां अक्सर बन्द हो जाती हैं तथा खुले पड़े मेन होलों से क्षेत्र में बदबू फैल जाती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डी० आई० जैड० क्षेत्र के सैक्टर "डी" में वहां के निवासियों द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भी छतों पर लगाए गये सीमेंट के टैंकों को उनकी स्थापना के बाद से एक बार भी साफ नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच कराने तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को शीघ्रता से कार्य करने के निदेश देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) जब कभी चोरी या किसी अन्य कारण से मेन होलों के ढक्कनों को गायब हुआ पाया जाता है तभी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नए प्रबलित ढक्कन लगा दिये जाते हैं।

(ग) सेक्टर "डी" डी० आई० जेड० क्षेत्र में टंकियों में जमा पानी केवल प्रक्षालन प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। व्यक्तिगत अनुरोध प्राप्त होने पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा टंकियों की सफाई की जाती है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि इस प्रकार की टंकियों को साफ करने के लिए कोई आवेदन लम्बित नहीं पड़ा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के लिए स्थान

4748. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए किस स्थल का चयन किया गया है तथा इस सम्बन्ध में की गई अन्य कार्यवाही का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इस योजना की रूप-रेखा का प्रारूप क्या है तथा उद्देश्यय को प्राप्त करने हेतु या केन्द्र कब तक काम करना शुरू कर देगा ?

कृषि मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए एक स्थान के चयन हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक विशेषज्ञ दल गठित किया था। दल ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट की है तथा उपयुक्त स्थान के चयन के लिए शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

(ख) ऐसी आशा है कि केन्द्र मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में विभिन्न कृषि पारिस्थितकी

के अन्तर्गत खेती के लिए उपयुक्त सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली रोग और सूखा विरोधी किस्मों के विकास हेतु जर्मप्लाज्म का संग्रह, संरक्षण और उपयोग पर अनुसंधान कार्य हाथ में लेगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र से यह भी आशा की जाती है कि वह फसल के लिए विभिन्न पहलुओं की खेती तथा उसे कीटों तथा रोगों से बचाने के लिए मूल अनुसंधान चलायेगा। इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जैव-उर्वरकीकरण के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान हो क्योंकि सोयाबीन की फसल की सफलता के लिए उचित किस्म के राइजोबियल कल्चर के सहयोग की आवश्यकता होती है।

ऐसी आशा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र कार्य करना शुरू कर देगा।

समस्याग्रस्त गांवों के लिए हानि रहित पेयजल की व्यवस्था

4749. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990 में विश्व पेयजल और सफाई दशक की समाप्ति तक देश में प्रत्येक समास्याग्रस्त गांव के लिए हानिरहित पेय जल की व्यवस्था करने की कोई ठोस योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त तारीख तक सभी समस्याग्रस्त गांवों को तथा ऐसे गांवों के सभी घरों को यह सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य और आबंटन निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में प्रगति सन्तोषजनक रही है;

(घ) यदि हां, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं तथा वहां लक्ष्य प्राप्ति में कितनी कमी रही है;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) सरकार का उद्देश्य निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार छठी योजना के अन्त तक अर्थात/कम से कम एक स्रोत मुहैया करके 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त गावों को लाभान्वित करना है। अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में ग्रामीण जनसंख्या सहित शतप्रतिशत जनता को मार्च 1991 तक पेयजल पूर्ति सुविधाओं से लाभान्वित करने का प्रयास है।

(ख) तथा (घ) : जल पूर्ति राज्य का विषय है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजनाओं में दी गई निधियों से राज्यों द्वारा योजनाओं को स्वयं बनाया, कार्यान्वित तथा प्रबोधन किया जाता है। तथापि, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने के लिए केन्द्र राज्यों/संघ राज्यों को अनुदान सहायता मुहैया करके उनके संसाधनों को बढ़ाता है। राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी

योजना के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1980-81 से 1983-84 के दौरान दिया गया अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को निष्पादन पर आधारित दिए गये अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

1980-81 तथा 1981-82 के दौरान समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। 1982-83 के दौरान 42342 समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था जिसकी तुलना में 45844 गांवों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1983-84 के दौरान 48,846 गांवों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसकी तुलना में 31 दिसम्बर, 1983 तक 30,305 गांवों को लाभान्वित किया गया है। 2,30,784 समस्याग्रस्त गांवों में से 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार 31 दिसम्बर, 1983 तक 1,31,964 गांवों को लाभान्वित किया गया है। ब्योरे संलग्न विवरण IV में दिए गए हैं।

(ग) तथा (ङ) : विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों द्वारा किया गया वास्तविक व्यय तथा मुहैया की गई निधियां कुल मिलाकर वास्तविक उपलब्धियों के समतुल्य होती हैं। तथापि, कुछ राज्यों/संघ राज्यों ने बताया है कि वे मार्च, 1985 तक पता लगाये गये सभी समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित नहीं कर सकेंगे।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना (1985)—जलपूर्ति क्षेत्र (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में स्वीकृत परिव्यय

(करोड़ रुपयों में)

1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	95.00
2.	असम	30.00
3.	बिहार	75.00
4.	गुजरात	65.00
5.	हरियाणा	80.00
6.	हिमाचल प्रदेश	35.00
7.	जम्मू और कश्मीर	45.00
8.	कर्नाटक	19.00

1	2	3
9.	केरल	45.00
10.	मध्य प्रदेश	60.00
11.	महाराष्ट्र	230.00
12.	मणिपुर	17.50
13.	मेघालय	19.50
14.	नागालैंड	11.75
15.	उड़ीसा	34.00
16.	पंजाब	68.00
17.	राजस्थान	106.29
18.	सिक्किम	6.00
19.	तमिलनाडु	50.00
20.	त्रिपुरा	12.00
21.	उत्तर प्रदेश	220.00
22.	पश्चिम बंगाल	48.00
23.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	4.05
24.	अरुणाचल प्रदेश	12.77
25.	चण्डीगढ़	—
26.	दादर तथा नागर हवेली	0.60
27.	दिल्ली	7.00
28.	गोआ दमन और दीव	1.70
29.	लक्षद्वीव	0.13
30.	मिजोरम	8.00
31.	पांडिचेरी	0.82
	योग	1407.11

विवरण-II

त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम

1983-84 के दौरान कार्यों के लिए दी गई निधियां निधियों का नियतन 1980-84
(कार्यघटकों के लिए)

(राशि लाख रुपयों में)

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम दी गई राशि 80-84
1	2	3
1.	आन्ध्रप्रदेश	1829.72
2.	असम	2032.57
3.	बिहार	2991.16
4.	गुजरात	1444.86
5.	हरियाणा	1263.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1450.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	3239.51
8.	कर्नाटक	2390.54
9.	केरल	2666·95
10.	मध्य प्रदेश	4365.45
11.	महाराष्ट्र	2647.55
12.	मणिपुर	557.67
13.	मेघालय	1121.68
14.	नागालैंड	712.96
15.	उड़ीसा	2549.32
16.	पंजाब	676.12

1	2	3
17.	राजस्थान	7656.62
18.	सिक्किम	370.71
19.	तमिलनाडु	2677.52
20.	त्रिपुरा	391.07
21.	उत्तर प्रदेश	7239.23
22.	पश्चिम बंगाल	3454.58
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	44.14
24.	अरुणाचल प्रदेश	067.00
25.	चण्डीगढ़	—
26.	दिल्ली	23.00
27.	दादर तथा नागर हवेली	—
28.	गोआ दमन तथा द्वीव	97.72
29.	लक्ष द्वीप	—
30.	मिजोरम	35.25
31.	पाण्डिचेरी	48.58
	योग :	54144.40

विवरण III

दी गई राशि

(आंकड़े लाख रु० में)

1	2	3
1.	आन्ध्रप्रदेश	400.00
2.	असम	420.00
3.	बिहार	277.00

1	2	3
4.	गुजरात	350.00
5.	हरियाणा	450.00
6.	हिमाचल प्रदेश	200.00
7.	जम्मू और कश्मीर	—
8.	कर्नाटक	72.00
9.	केरल	400.00
10.	मध्य प्रदेश	600.00
11.	महाराष्ट्र	93.00
12.	मणिपुर	135.00
13.	मेघालय	—
14.	नागालैंड	115.00
15.	उड़ीसा	450.00
16.	पंजाब	150.00
17.	राजस्थान	750.00
18.	सिक्किम	125.00
19.	तमिलनाडु	500.00
20.	त्रिपुरा	70.00
21.	उत्तर प्रदेश	750.00
22.	पश्चिम बंगाल	300.00
23.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—

1	2	3
25.	चण्डीगढ़	—
26.	दिल्ली	—
28.	गोआ दमन और द्वीव	4.00
29.	लक्षद्वीव	—
30.	मिजोरम	—
31.	पाण्डिचेरी	—
	योग :	6611.00

विवरण-IV

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1-4-80 को समस्याग्रस्त गांव	दिसम्बर, 83 तक लाभान्वित किए गए समस्याग्रस्त ग्राम	लाभान्वित किए जाने वाले शेष समस्याग्रस्त ग्राम
1	2	3	4	5
1.	आध्र प्रदेश	8206	5900	2306
2.	असम	15743	5461	10282
3.	बिहार	15194	10095	5099
4.	गुजरात	5318	2443	2875
5.	हरियाणा	3440	1169	2271
6.	हिमाचल प्रदेश	7815	4117	3698
7.	जम्मू और कश्मीर	4698	1138	3560
8.	कर्नाटक*	15456	13748	1708
9.	केरल	1158	3398	760
10.	मध्य प्रदेश*	24944	22191	2753

1 2	3	4	5
11. महाराष्ट्र*	12935	8554	4381
12. मणिपुर	1212	527	685
13. मेघालय	2927	361	2566
14. नागालैण्ड	649	294	355
15. उड़ीसा	23616	13383	10333
16. पंजाब	1767	311	1456
17. राजस्थान	19803	12249	7554
18. सिक्किम	296	158	138
19. तमिलनाडु	6649	5364	1285
20. त्रिपुरा*	2800	1714	1086
21. उत्तर प्रदेश	28505	13607	14898
22. पश्चिम बंगाल*	25243	7582	17661
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	173	92	81
24. अरुणाचल प्रदेश	1740	930	810
25. चण्डीगढ़	—	—	—
26. दिल्ली	99	89	10
27. दादर तथा नागर हवेली	—	—	—
28. गोआ दमण और द्वीप	66	44	22
29. लक्षद्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	214	57	157
31. पांडिचेरी	118	88	30
योग :	230784	131964	98820

* इन राज्यों के आंकड़ों में आंशिक रूप से लाभान्वित किए गए ग्राम शामिल हैं तथा दिसम्बर, 1933 को समाप्त होने वाली तिमाही के आंकड़े अनन्तिम हैं।

वन अधिकारियों द्वारा "शिकार" के संदेह में किसानों को बंदी बनाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग

4751. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वित्त वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वन अधिकारियों ने "शिकार" करने के सन्देह में किसानों को बन्दी बनाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा भविष्य में अधिकारों के इस प्रकार के दुरुपोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए नये क्वार्टरों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव

4752. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूर्वी जोन में कर्मचारियों के लिए क्वार्टर हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मकान कहां-कहां पर हैं और प्रत्येक नगर/हवाई अड्डे पर प्रत्येक श्रेणी के क्वार्टरों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या नये क्वार्टरों का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए नए मकानों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव

4753. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पश्चिमी जोन के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मकान हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मकान कहां-कहां पर हैं और प्रत्येक शहर/हवाई अड्डे पर प्रत्येक श्रेणी के मकानों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या नये मकानों का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए नए क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव

4754. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में ऐसे क्वार्टर हैं और प्रत्येक नगर में हवाई अड्डे पर प्रत्येक टाईप के कितने क्वार्टर हैं ; और

(ग) क्या नए क्वार्टर बनाने के लिए कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए नए मकानों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव

4755. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के "फूड जोन" में दिल्ली के बाहर कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मकान हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मकान कहां-कहां पर हैं और प्रत्येक नगर/हवाई अड्डे पर प्रत्येक श्रेणी के मकानों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या नए मकानों का निर्माण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है । तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न जोनों/क्षेत्रों को वर्क चार्ज स्टाफ के स्थायी पदों का आवंटन

4756. **श्री के० ए० राजन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1970 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्जड स्टाफ के

स्थायी पद विभिन्न जोनों/क्षेत्रों में आबंटित कर दिए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उस समय विभाग के केन्द्रीय कार्यालय में कुछ पद आरक्षित रखे गए थे ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक जोन/क्षेत्र को श्रेणी-वार कितने-कितने पद आबंटित किए थे तथा केन्द्रीय कार्यालय में कितने स्थान आरक्षित रखे गए थे ;

(घ) क्या जो पद आरक्षित रखे गए थे उन्हें अब विभिन्न जोनों/क्षेत्रों को आबंटित कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के फालतू कर्मचारियों को खपाया जाना

4757. **श्री के० ए० राजन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एम० आर० एम० सर्किल नं० 1 को कुछ कार्य प्रभारित कर्मचारी महेन्द्र राज मार्ग परियोजना के क्रम में कमी हो जाने के कारण फालतू हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार ऐसे कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को भारत में खपाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो श्रेणी-वार कितने कर्मचारी खपाए गए हैं और उन्हें किन डिवीजनों में खपाया गया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) 441

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
वरिष्ठ आपरेटर (विशेष श्रेणी)	7
फोरमैन	1
वरिष्ठ मैकेनिक/वरिष्ठ आपरेटर	15
वर्क असिसटेंट	30

आपरेटर/मोटर लारी ड्राइवर/रोड रोलर ड्राइवर/बढ़ई/फिटर मैकेनिक/ राजमिस्त्री/पेण्टर/टर्नर/वायरमैन/वैण्डर लाइन मैन/नुहार.	225
सहायक आपरेटर/सहायक मैकेनिक/सहायक पेंटर/सहायक फिटर/ सहायक नलसान/सहायक वायरमैन	37
चौकीदार/डाक रनर/सफाई कर्मचारी/मेट/खलासी/बेलदार	126
	441

(ग) 143 कर्मचारियों को भारत में खपा लिया गया है। जिन शेष कर्मचारियों ने भारत में नियुक्ति की पेशकश को स्वीकार नहीं किया है, उन्हें छटनी का मुआवजा दिया गया है।

(घ) 143 ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

श्रेणी	मण्डल		संख्या
चौकीदार	लोक निर्माण विभाग मण्डल (xxvii)	(दि० प्र०)	7
	लोक निर्माण विभाग मण्डल (xi)	,, ,,	1
	लोक निर्माण विभाग मण्डल (xxviii)	,, ,,	2
	लोक निर्माण विभाग मण्डल (xxiii)	,, ,,	3
	लोक निर्माण विभाग मण्डल (xx)	,, ,,	2
	लोक निर्माण विभाग विद्युत परिमण्डल	,, ,,	3
	लोक निर्माण विभाग मण्डल (xxvi)	,, ,,	1
	वातानुकूलन मण्डल-I, नई दिल्ली		1
	अधीक्षक इंजीनियर, लो० नि० वि०	,, ,,	1
	लोक निर्माण विभाग मण्डल (iv)	,, ,, नई दिल्ली	1
	कानपुर केन्द्रीय मण्डल		1
	लोक निर्माण विभाग मण्डल (xii)	,, ,,	1
	केन्द्रीय भण्डार मण्डल-I		1
	इलाहाबाद केन्द्रीय मण्डल		.

श्रेणी	मण्डल		संख्या
	दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल-II		1
	लोक निर्माण विभाग मण्डल (xxv)	,, ,,	1
	लोक निर्माण विभाग मण्डल (iii)	,, ,,	1
	जी० मण्डल		1
	माधोपुर केन्द्रीय मण्डल		1
			31
सफाई कर्मचारी को चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया			
	लोक निर्माण विभाग (xxviii) एफ० मण्डल	(दि० प्र०)	1
			2
वरिष्ठ मैकेनिक			
	मैकेनिकल वर्कशाप मण्डल		3
	डा० राममनोहर लोहिया विद्युत मण्डल		1
	कानपुर विद्युत मण्डल		1
			5
मैकेनिक एम० एल० ड्राइवर	मैकेनिक वर्कशाप डिविजन		3
	मद्रास केन्द्रीय मण्डल-I		2
	वातानुकूलन मण्डल, नई दिल्ली		1
	केन्द्रीय डिजाइन संगठन		1
	जी० टी० बी० एच० सी० मण्डल		1
	मैकेनिकल वर्कशाप मण्डल		1
	बम्बई केन्द्रीय विद्युत मण्डल		1
	लोक० नि० वि० परिमण्डल (i) (दिल्ली प्रशासन)		1
	जी० मण्डल, नई दिल्ली		1
			9

श्रेणी	मण्डल	संख्या
डाक रनर	लोक० नि० वि० विद्युत मण्डल (दि० प्र०)	1
को चौकीदार	इलाहाबाद केन्द्रीय मंडल	1
के रूप में	संसद मंडल (i)	1
तैनात किया	सफदरजंग होस्पीटल मंडल	1
गया	इलाहाबाद केन्द्रीय परिमंडल (i)	1
		5
सहायक	मैकेनिकल वर्कशाप डिवीजन (i)	2
मैकेनिक	वातानुकूल मण्डल (iv)	1
	विद्युत (viii) दिल्ली	1
		4
फीटर	वातानुकूलन मंडल (iv) नई दिल्ली	1
	इन्दौर केन्द्रीय मण्डल	1
		2
वरिष्ठ आपरेटर	मैकेनिकल वर्कशाप मंडल, दिल्ली	2
		2
खलासी	बम्बई केन्द्रीय विद्युत मंडल (ii)	4
	बम्बई केन्द्रीय विद्युत मंडल (iv)	5
	हिंडन केन्द्रीय विद्युत मंडल, गाजियाबाद	10
		19
आपरेटर	नागपुर केन्द्रीय विद्युत मंडल	3
	हैदराबाद केन्द्रीय विद्युत मंडल	3
	दिल्ली केन्द्रीय विद्युत परिमंडल (iv)	1
	हिंडन केन्द्रीय विद्युत मण्डल	5
	दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल (v)	1
		13

श्रेणी	मण्डल	संख्या
आर० आर० डी०	मैकेनिकल वर्कशाप डिवीजन, दिल्ली	3
		3
वायर मैन	केन्द्रीय विद्युत मंडल (iv), दिल्ली	1
	केन्द्रीय विद्युत मंडल (xi), दिल्ली	3
	इन्दौर केन्द्रीय विद्युत मंडल	2
		6
सहायक फिटर	मैकेनिकल वर्कशाप डिविजन, दिल्ली	1
		1
तुहार	राष्ट्रपति सम्पदा मण्डल	1
सहायक आपरेटर	विद्युत मंडल (vi) दिल्ली	1
	हैदराबाद केन्द्रीय विद्युत मंडल	6
		8
बेलदार	मद्रास केन्द्रीय मंडल (iii)	7
	कोयम्टूर केन्द्रीय मंडल	3
		10
मेसन	मद्रास केन्द्रीय मंडल (iii)	1
		1
सहायक पेंटर	मद्रास केन्द्रीय मंडल (iii)	1
		1

श्रेणी	मण्डल	संख्या
लाइनमैन	देहरादून विद्युत मंडल	1
	कानपुर केन्द्रीय विद्युत मंडल	1
		2
वर्क सहायक	मद्रास केन्द्रीय मंडल, (iii)	2
	मद्रास केन्द्रीय परिमंडल	1
	कलकत्ता केन्द्रीय मंडल, (iv)	1
	नागपुर केन्द्रीय मंडल	1
	पूणे केन्द्रीय मंडल (i)	1
	इलाहाबाद केन्द्रीय मंडल	1
		7
मेठ की वेलदार के रूप में तैनाती	मद्रास केन्द्रीय मण्डल, (iii)	3
	कोयम्बटूर केन्द्रीय मंडल	1
	रांची केन्द्रीय मंडल	2
		6
मेठ की चौकीदार के रूप में तैनाती	लोक निर्माण विभाग परिमण्डल (v)	1
		1
पेंटर	देहरादून केन्द्रीय मण्डल	1
		1

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में समन्वय कार्य

4758. **श्री के० ए० राजन :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दिनांक 1 अक्तूबर, 1983 से कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के समन्वय कार्य को करने के लिए एक नया रिजन "डी" गठित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये आदेश विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर लागू होते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) इन्हें कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

महेन्द्र राजमार्ग परियोजना, नेपाल के केन्द्रीय लोककर्मचारियों की बकाया राशियों का भुगतान

4759. **श्री के० ए० राजन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और के०लो०नि० वि० का महेन्द्र राजमार्ग परियोजना नेपाल के कार्य भारित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1976 से 31 मार्च, 1979 की अवधि के लिए संशोधित वेतनमानों की बकाया राशि का भुगतान करने के बारे में कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी कर्मचारियों को, जिन्हें नेपाल में फालतू घोषित कर दिया गया था और अब भारत में रोजगार दे दिया गया है, बकाया राशियों का भुगतान कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) बकाया राशि के भुगतान करने के आदेश अक्तूबर, 1983 में जारी किए गए थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के पेयजल समस्या वाले गांव

4760. **श्री जैनुल बशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है कि 1972 में तैयार की गई सूची में शामिल गांवों के अलावा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के कितने गांव इस समय पेयजल की कमी का सामना कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इन गांवों में भी पेयजल सुविधा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) 1-4-1980 को इस मन्त्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्याग्रस्त ग्रामों का सर्वेक्षण किया था। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार, 1-4-1980 को गाजीपुर में 1037 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराई जानी थीं। इसकी तुलना में इस जिले का समावेशन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	समावेशित समस्याग्रस्त ग्राम
1980-81	73
1981-82	62
1982-83	44
1983-84	64
(31-12-83 तक)	243

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना तथा नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मद में संख्या 8 के अन्तर्गत मार्च, 1985 तक पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत मुहैया कराए जाने का प्रयास है। 1983-84 के दौरान, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को 3335.40 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था। इसके अतिरिक्त 750 लाख रुपये निष्पादन पर आधारित नवीन केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दिए गए थे। यह राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 के लिए 3500 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय सहित है। यह आशा है कि इन परिव्ययों तथा 1984-85 के दौरान दिए जाने वाले अतिरिक्त अनुदान से उत्तर प्रदेश सरकार 31 मार्च, 1985 तक सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने की स्थिति में होगी।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को आबंटित धनराशि

4761. **श्री जैनुल बशर** : क्या **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को वर्ष 1983-84 और 1984-85 के लिए जिला-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(ख) जिला-वार वास्तविक व्यय की तुलना में 29 फरवरी, 1984 तक वास्तव में कितनी धनराशि रिलीज की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 34.50 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने बराबर के अंशदान के रूप में इतनी ही धनराशि जुटायें। 28 फरवरी, 1984 तक 31.04 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता बंटित की गई है। वर्ष 1984-85 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को अनन्तिम रूप से 39.22 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गयी है।

वर्ष 1983-84 के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 17.05 करोड़ का आबंटन किया गया है। यह कुल धनराशि बंटित कर दी गयी है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984-85 के लिए अनन्तिम तौर पर 85.25 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गयी है। चूंकि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू किया गया है, इसलिए धनराशि के उपयोग की कोई रिपोर्टें अभी तक प्राप्त हुई हैं।

केन्द्रीय स्तर पर जिला-वार आबंटन नहीं किए जाते हैं।

कृषि विश्वविद्यालय

4762. **श्री नवीन रावणी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितने कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) इन विश्वविद्यालयों में कितने छात्र पढ़ रहे हैं ;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जैसे कि शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश के 16 बड़े राज्यों में 22 कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, गृह विज्ञान और कृषि अभियान्त्रिकी के संकाय हैं। इन विश्वविद्यालयों के नाम व स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इन विश्वविद्यालयों में पूर्व स्नातक कक्षाओं के अन्तर्गत करीब 8505 छात्र नाम दर्ज करा सकते हैं तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में 3873 छात्र प्रवेश ले सकते हैं। इन विश्वविद्यालयों में सभी कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 42,000 होगी।

(ग) जी हां, श्रीमान। शिक्षा आयोग (1964-66) ने यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक राज्य

में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए।

(घ) सरकार उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाती रही है। अब तक देश 16 बड़े राज्यों में 22 कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। राजस्थान राज्य में अभी एक पृथक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना है। तथापि, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में कृषि, पशुचिकित्सा विज्ञान, गृह विज्ञान और कृषि अभियांत्रिकी के संकाय हैं। इस राज्य में एक पृथक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के प्रश्न पर भी सहमति ली जा रही है। विभिन्न राज्यों/उत्तर पूर्वी क्षेत्र के केन्द्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

विवरण

भारत में कृषि विश्वविद्यालयों के नाम तथा उनके स्थान

क्रम सं०	कृषि विश्वविद्यालय के नाम	स्थान
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	राजेन्द्र नगर हैदराबाद (आ० प्र०)
2.	असम कृषि विश्वविद्यालय	जोरहाट (असम)
3.	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	हरिन्घट्टा, जिला-नाडिया (प० बंगाल)
4.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	रांची (बिहार)
5.	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	कानपुर (उ० प्र०)
6.	गुजरात कृषि विद्यालय	दातिवाड़ा (गुजरात)
7.	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	पन्त नगर (उ० प्र०)
8.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	हिसार (हरियाणा)
9.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	पालमपुर (हि० प्र०)
10.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय	जबलपुर (म० प्र०)
11.	केरल कृषि विश्वविद्यालय	मन्नुथी, त्रिचूर (केरल)

1	2	3
12.	कोंकण कृषि विद्यापीठ	डपोली (एम० एस०)
13.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ	राहुरी (महाराष्ट्र)
14.	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	फैजाबाद (उ० प्र०)
15.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय	परभनी (महाराष्ट्र)
16.	उड़ीसा कृषि एवं प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय	भुवनेश्वर (उड़ीसा)
17.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	लुधियाना (पंजाब)
18.	पंजाब राव कृषि विद्यापीठ	अकोला (महाराष्ट्र)
19.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	पूसा, जिला-समस्तीपुर (बिहार)
20.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय	कोयम्बटूर (त० ना०)
21.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	बंगलौर (कर्नाटक)
22.	शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	श्री नगर (जम्मू और कश्मीर)
23.	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय	उदयपुर (राजस्थान)

खेलों को बढ़ावा देने हेतु और अधिक खेल के मैदान तथा खेल शिक्षण केन्द्रों की स्थापना

4763. **श्री नवीन रावणी :** क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए एक नियमित योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रशिक्षण केन्द्रों सहित इस समय कितने खेल मैदान उपलब्ध हैं ;

(घ) जिन खेलों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है ;

(ङ) खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ;

(च) क्या देश में निकट भविष्य में और अधिक खेल मैदान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई कार्यक्रम है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) से (छ) देश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु लागू केन्द्रीय सरकार की योजनाओं का लक्ष्य, अन्य बातों के साथ-साथ, खेलों हेतु खेल के मैदानों, प्रतिभा खोज तथा खिलाड़ी व्यक्तियों के प्रशिक्षण और कोचिंग जैसी अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने में, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करना है। ये योजनाएं, सामान्य योजना प्रक्रिया के ढांचे के अन्दर और विशेषकर छठी पंचवर्षीय योजना में संचालित की जाती है। जबकि देश में उपलब्ध खेल मैदानों की कोई गणना नहीं की गयी है, फिर भी, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, देश में खेल मैदानों सहित खेल सुविधाएं रखने वाले, 116 जिला स्तरीय स्टेडियम विद्यमान है। केन्द्रीय सरकार की क्षेत्रीय प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत, देश के विभिन्न भागों में 25 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। देश में सभी लोकप्रिय खेल विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

2. खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में, उदीयमान खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्तियां, प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए भोजन धनराशि, विदेशों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय दलों के सदस्यों को हवाई किराए की अदायगी, खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष के अन्तर्गत राहत, केन्द्रीय सरकार के वर्ग "ग" और "घ" के पदों में खिलाड़ियों को भर्ती करने में वरीयता देना, खेल प्रतियोगिताओं इत्यादि में भाग लेने के लिए, रेलवे रियायत आदि शामिल हैं ।

श्री सनातन धर्म सोसायटी दिल्ली को भूमि का आबंटन

4764. **श्री मोखा भाई : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी दिल्ली की श्री सनातन धर्म सोसायटी (पंजीकृत) तिहाड़ टेनामेंन्ट्स नई दिल्ली-18 द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए भूमि के आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को किस तारीख को आवेदन किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि सोसायटी से मांगी गई तमाम जानकारी फार्म प्रमाण पत्र आदि काफी समय पहले ही डी० डी० ए० को भेजे जा चुके हैं और यदि हां, तो सोसायटी को अब तक भूमि आबंटित न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सोसायटी को धार्मिक प्रयोजनों के लिए कब तक भूमि का आबंटन कर दिया जाएगा ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) श्री सनातन धर्म समिति ने दिल्ली के उप-राज्यपाल को भूमि के आबंटन हेतु आवेदन दिया था तथा उनका आवेदन दिल्ली विकास प्राधिकरण में 26-4-1983 को प्राप्त हुआ था।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि समिति ने 30-11-83 को

मूलभूत औपचारिकताएं पूरी कर दी थीं। समिति के बारे में उपायुक्त, दिल्ली से मांगी गई रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जब सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी, आबंटन पर विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना

4765. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सातवीं योजना के दौरान अनुसंधानन के परिणामों का खेलों में प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु हाल में राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यों को यदि कोई मार्गदर्शी निदेश जारी किए गए हैं तो वे क्या हैं। तथा विस्तार कैडर प्रबन्ध मंडल का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यदल गठित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी सिफारिश का ब्यौरा क्या है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य उप-परियोजना और विशेष उप-परियोजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों को मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं। तथापि, विस्तार संवर्ग प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खारे पानी की मछली और झींगा मछली पैदा करने के लिए महाराष्ट्र का प्रस्ताव

4766. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खारे पानी की मछली और झींगा मछली पैदा करने के संबन्ध में महाराष्ट्र सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

कृषि मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) महाराष्ट्र सरकार से खारे पानी में मछली पालने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) महाराष्ट्र सरकार में 24.78 लाख रु० की लागत से असानगांव में 47 हैक्टार खारे जल क्षेत्र को मछली फार्म के रूप में विकसित करने का विचार है। बाड़ा पोखर में झींगा हैचरियों का

निर्माण करके इसे मदद पहुंचाई जाएगी जिस पर 23.10 लाख रु० की लागत आने की सम्भावना है। इस हेचरी में लगभग 250 लाख झींगा डिम्पोना के उत्पादन की योजना है। खर्च में भारत सरकार का शेयर, सहायता की स्वीकृत पद्धति के अनुसार ऊपर बताई गई कुल लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित होगा।

राष्ट्रीय पशु जेनेटिक संसाधन ब्यूरो और पशु जेनेटिक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव

4767. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पशु जेनेटिक संसाधन ब्यूरो और पशु जेनेटिक संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में लिए गए निर्णय और स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) नये पदों को छोड़कर प्रस्ताव को कार्यान्वयन के लिए पास कर दिया गया है। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल की यह योजना दक्षिण क्षेत्रीय स्टेशन बंगलोर के लिए है।

डी० डी० ए० के फ्लैटों के आवंटन हेतु जाली आय प्रमाणपत्र पेश करना

68

4748. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मयूर विहार में पुनर्वास योजना के अन्तर्गत जिन 450 लोगों को मकान दिए जाऐंगे उनमें आधे से अधिक व्यक्तियों ने अपनी आमदनी के जाली प्रमाण पत्र पेश किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन मामलों में एक उच्चस्तरीय जांच बिठायेगी ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है ऐसा कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान से प्राप्त की गई परियोजनाएं

4769. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के गांवों में भूमिहीन मजदूरों के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत रोजगार सुविधाएं उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजनाएं तथा स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन करने सम्बन्धी कार्यक्रम क्या हैं ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए विभिन्न परियोजनाएं भेजी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी कार्यक्रम की केन्द्रीय संस्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु भेजी है। परियोजनाएं प्राप्त होने के पश्चात केन्द्रीय संस्वीकृति समिति राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ इन पर विचार विमर्श करती हैं। इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप राज्यों के लिए आबंटन को ध्यान में रखते हुए कुछ परियोजनाएं संशोधित की जाती हैं अथवा वापस भी ले ली जाती हैं अथवा उनमें कांट-छांट कर दी जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

राजस्थान से प्राप्त ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम परियोजनाओं की सूची जिनका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति द्वारा 27-2-1984 तक अनुमोदन किया गया है

परियोजना का नाम	केन्द्रीय समिति द्वारा मंजूर की धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1. राजस्थान में सड़क परियोजनाएं	608.00
2. भूमि तथा जल संरक्षण निर्माण-कार्य खादीन तथा एनीकट	66.27
3. राजस्थान में बंजर भूमि पर पुनः वनरोपण	562.00
4. राजस्थान में सामुदायिक भूमि पर पौधरोपण	
5. चित्तौड़गढ़ जिले में एनीकट्स तथा उठाऊ सिंचाई योजनाओं और मौजूदा तालाबों की मरम्मत सहित तालाबों का निर्माण	21.06
6. 9 जिलों अर्थात् बांसवाड़ा, चुरू, डुंगरपुर, जैसलमेर जालोर, झुंझुन, जोधपुर, नागोर तथा पाली में सम्पर्क सड़कों और पहुंच सड़कों का निर्माण	300.00

1	2	3
7.	पाली जिले में तालाबों का नवीकरण	30.26
8.	बांसवाड़ा जिले में तालाबों की मरम्मत एवं नवीकरण	18.30
9.	कोटा जिले में लघु सिंचाई निर्माण कार्य	120.00
10.	सिरोही जिले में तालाबों के नवीकरण, एनीकट्स तथा स्पर्स के निर्माण हेतु परियोजना	
11.	भीलवाड़ा जिले में लघु सिंचाई निर्माण कार्य	
12.	जालोर जिले में लघु सिंचाई निर्माण कार्य तथा एनीकट्स का निर्माण	
13.	उदयपुर जिले में एनीकट्स का निर्माण एवं नवीकरण	
14.	बीकानेर जिले में पक्के तालाबों का निर्माण	
15.	अजमेर जिले में लघु सिंचाई निर्माण कार्य	
16.	जयपुर जिले में लघु सिंचाई निर्माण-कार्य, भू-संरक्षण कार्य तथा स्कूल-भवन	

उड़ीसा में चीनी कारखानों के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त धनराशि

4771. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नये चीनी कारखानों की संख्या क्या है जिन्हें देश के विभिन्न भागों में लाइसेंस दिये गए हैं तथा उनको किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा ;

(ख) उनमें से कितने उड़ीसा में हैं ; और

(ग) उड़ीसा में नये चीनी कारखानों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन०सी०डी०सी०) से धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए 52 आशय पत्र/लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 2 उड़ीसा में हैं। एक विवरण संलग्न है, जिसमें इस सम्बन्ध में ब्यौरा दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने नयागढ़, जिला पुरी और बादम्बा, जिला कटक में

स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित सहकारी चीनी फैक्ट्रियों में अंश पूंजी लगाने के लिए उड़ीसा सरकार को अनुपूरक सहायता प्रदान करने का हाल ही में सिद्धान्त रूप में निर्णय किया है। सहायता मंजूर करने के विषयक प्रश्न पर प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर तभी विचार किया जाएगा जब सहकारी समितियां योजना में विहित पात्रता की शर्तें पूरी कर लेती हैं।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए जारी किए गए आशय पत्रों/लाइसेंससों का ब्यौरा

क्रम सं०	फैक्ट्री का पूरा नाम, स्थान और जिला	आशय पत्र/लाइसेंस जारी करने की तारीख	गन्ना पेरने की दैनिक क्षमता (मीटर टन)	संयुक्त क्षेत्र/ सहकारी/ सरकारी क्षेत्र
1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र			
1.	मैसर्स विघनाहर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मार्फत शिरोली बी० के० कृषक सेवा सहकारी संस्था (एम), 68, भगत पीठ, जुन्नार, जिला पूना (स्थान तह० जुन्नार, जिला पूना)	26-3-81	1250	सहकारी
2.	मैसर्स वसन्तराव दादा पाटिल सहकारी शक्कर कारखाना, विथेवाड़ी, लोहनेर, तालु, कल्वान, बगलान, जिला नासिक	26-3-81	1250	सहकारी
3.	अटपाड़ी सहकारी शक्कर कारखाना, अटपाड़ी जिला सांगली	30-6-81	1250	सहकारी
4.	महानकालीसहकारी शक्कर कारखाना लि०, पोस्ट कवाठे, महानकाल जिला सांगली	6-7-81	1250	सहकारी
5.	अंजिकयात्रा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, (स्थान ग्राम शिन्द्री तहसील और जिला सतारा)	6-7-81	1250	सहकारी

1	2	3	4	5
6.	नियोजित संजय एस० एस० के० लि०, विजयनगर, पोस्ट नवलनगर, जिला धुले (स्थान बिलाड़ी, तहसील और जिला धुले)	9-7-81	1250	सहकारी
7.	यशवन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि० खानापुर; जिला सांगली (स्थान अम्बेगांव आन वीटा खराद रोड़, तालुक खानापुर जिला सांगली)	31-12-81	1250	सहकारी
8.	समर्थ सहकारी शक्कर कारखाना लि० अम्बाद (स्थान तीर्थपुरी तालुक अम्बाद जिला जालना)	31-12-81	1250	सहकारी
9.	शिरपुर शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, एट एण्ड पोस्टर, शिरपुर, जिला धुले	15-3-82	1250	सहकारी
10.	मैसर्स परनेर तालुक सहकारी कारखाना पोस्ट एण्ड तालुक परनेर, जिला अहमदनगर	22-3-82	1250	सहकारी
11.	मै० जालना सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शाहबाजार, जिला औरंगाबाद, (स्थान-तहसील तथा जिला जालना)	1-12-83	1250	सहकारी
12.	मैसर्स मंजरा शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मार्फत एडव० बी०बी काले, मित्रानगर, लातुर-413512 (स्थान तालुक चिनचोलीराव जिला लातूर)	29-11-83	1250	सहकारी
13.	मै० श्रीराम सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मार्फत महाराष्ट्र स्टेट कोआप० लैंड डवलेपमेंट बैंक, 29 फार्मलैंड, रामदासपीठ, नागपुर (ग्राम बबदेव, तहसील मौड़ा, जिला नागपुर)	6-12-83	1250	सहकारी

1	2	3	4	5
14.	मैसर्स तुलजा भवानी शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना, नलदुर्ग, तालुक तुलजापुर, (जिला उसमानाबाद)	6-12-83	1250	सहकारी
15.	मैसर्स शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, धमनगांव, तालुक चन्दुर-रेलवे जिला अमरावती	6-12-83	1250	सहकारी
16.	मैसर्स शंकर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, फुले नगर, नानदेद (तह० भोकर, जिला नानदेद)	6-12-83	1250	सहकारी
17.	जय जवान जय किसान कोआप० शुगर फैक्ट्री लि०, नालेगांव, तालुक अहमद-पुर, जिला उसमानाबाद	22-6-82	1250	सहकारी
18.	मैसर्स गजानन कोआप० शुगर फैक्ट्री नवाफूल, सुभाष रोड, बीड़-431122 एट तालुक और जिला बीड़	16-6-82	1250	सहकारी
19.	हुतात्मा किसान अहीर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, वाल्वा, जिला सांगली	26-3-81 ——— 28-1-84	1250	सहकारी
20.	महात्मा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, ठाकरे मार्किट, मैन रोड, वर्धा (तहसील सिलू, जिला वर्धा)	19-12-83	1250	सहकारी
	हरियाणा			
21.	मैसर्स दि जीन्द कोआप० शुगर मिल्स लि०, तहसील तथा जिला जीन्द	7-7-81 ——— 31-12-83	1250	सहकारी
22.	दि पलवल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, तहसील पलवल, जिला फरीदाबाद	7-7-81	1250	सहकारी
23.	शाहबाद कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि० शाहबाद, मरखण्डा, जिला कुरुक्षेत्र (स्थान ग्राम शाहबाद, तहसील थानेश्वर	14-7-81 ——— 31-12-83	1250	सहकारी

1	2	3	4	5
	पंजाब			
24.	मैसर्स दि पटियाला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, जिला पटियाला (स्थान ग्राम घबलान, तहसील तथा जिला पटियाला)	14-7-81 — 26-11-83	1250	सहकारी
25.	मैसर्स फाजिल्का कोआप० शुगर मिल्स लि०, फाजिल्का, जिला फिरोजपुर	12-7-82	1250	सहकारी
26.	मैसर्स पंजाब स्टेट इन्डस्ट्रीयल डैवलेपमेंट कारपोरेशन लि०, एस० सी० ओ० 54-56, सेक्टर-17-ए, चण्डीगढ़ (तहसील मंसा, जिला भटिण्डा)	16-7-82	1250	सहकारी क्षेत्र
27.	मैसर मझा कोआप० शुगर मिल्स लि०, सैरों, तहसील तरण तारण, जिला अमृतसर	23-6-83	1250	सहकारी
28.	मैसर्स दि दोराहा कोआप० शुगर मिल्स लि०, दोराहा, तहसील समराला, जिला लुधियाना।	24-6-83	1250	सहकारी
29.	दि सतलुज कोआप० शुगर मिल्स लि०, नाकोदर, पो० आ० नाकोदर, तहसील नाकोदर, जिला जालन्धर	1[illegible]-10-83	1250	सहकारी
	मणिपुर			
30.	मैसर्स मणिपुर शुगर मिल्स एण्ड डिस्टिलरी प्लांट काबोवाकचिंग, नामबोल सेन्ट्रल जिला मणिपुर (स्थान तहसील बिशनपुर जिला सेन्ट्रल)	4-6-81	1250	सरकारी क्षेत्र
	मध्य प्रदेश			
31.	मैसर्स नवल सहकारी शक्कर कारखाना लि०, बुरहानपुर, जिला खंडवा (तह० बुरहानपुर, जिला फास्ट निमार खंडवा)	10-6-83	1250	सहकारी

1	2	3	4	5
32.	मैसर्स मध्य प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रिज कार-पोरेशन महेश्वर भवन, सिविल लाइनस भोपाल-2 (स्थान तहसील तथा जिला नरसिंहपुर)	15-3-82	1250	सरकारी क्षेत्र
	उड़ीसा			
33.	दि कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लि०, (स्थान तहसील नयागढ़, जिला पुरी)	31-12-83	1250	सहकारी
34.	दि बादम्बा कोआप० शुगर इंडस्ट्रीज लि०, बादम्बा (स्थान तह० बांकी जिला कटक)	9-1-84	1250	सहकारी
	तमिलनाडु			
35.	तिरुत्तनी कोआप० शुगर मिल्स लि०, 47, अन्ना सलाई, मद्रास (स्थान तह० तिरुत्तनी, जिला चिंगलेपेट	15-3-82 ——— 28-1-83	1250	सहकारी
36.	मैसर्स पोन्नी शुगर एण्ड केमिकल्स लि०, फर्स्ट फ्लोर, 109, नुगौबक्कम रोड, (एट पल्ली पलयम, तालुक तिरुचेंगोडे, जिला सालेम, मद्रास-60034	3-6-82 ——— 3-1-84	1250	सरकारी
37.	श्री एस9 पेरियान्नम 6-18 वेस्टरन एक्स-टेंशन, चौथा क्रास रोड, तिल्लई नगर, तिरुचिरापल्ली (तहसील मनमदुराई, जिला रामनाड)	30-6-83	1250	संयुक्त क्षेत्र
38.	श्री के०एस० तिरुमलीस्वामी, 47, मेटट्र रोड, जिला पेरियार, भवानी, पेरियार जिला मैसर्स बन्नारियामन शुगर्ज लि०, (ग्राम-मलयाडीपुडर, तह० सत्यामार-गलम, जिला पेरियार)	19-10-83	1250	संयुक्त क्षेत्र
	गुजरात			
39.	श्री उकाई विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, एट पोस्ट पनियारी, जिला सूरत	24-6-82 ——— 3-12-83	1250	सहकारी

1	2	3	4	5
	दादर तथा नगर हवेली			
40.	दादर तथा नगर हवेली सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पंचायत बिल्डिंग, दादर तथा नगर हवेली, सिल्वासा, तह० सिल्वासा)	12-7-82	1250	सहकारी
	उत्तर प्रदेश			
41.	मैसर्स घोसी शुगर फैक्ट्री, तहसील घोसी जिला आजमगढ़	31-12-80	1250	सहकारी
42.	यू० पी० कोआप० शुगर फैक्ट्रिज फैडरेशन लि० लखनऊ (स्थान तहसील सितारगंज, जिला नैनीताल)	16-1-81	1250	सहकारी
43.	मैसर्स यू० पी० कोआप० शुगर फैक्ट्रिज फैडरेशन लि०, लखनऊ (स्थान तहसील जनसठ, जिला मुजफ्फरनगर)	31-12-80	1250	सहकारी
44.	मैसर्स नानपाड़ा शुगर फैक्ट्री, जिला बहराइच (तहसील नानपाड़ा) जिला बहराइच	23-3-81	1250	सहकारी
45.	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सेमी-खेड़ा, तहसील और जिला बरेली)	28-3-81	1250	सहकारी
46.	मैसर्स यू० पी० कोआ० शुगर फैक्ट्रिज फैडरेशन लि०, लखनऊ (स्थान सम्पूर्णा-नगर, तहसील जिधासन, जिला लखीमपुर खीरी)	9-3-82	1250	सहकारी
47.	मैसर्स यू० पी० कोआप० शुगर फैक्ट्रिज फैडरेशन लि०, लखनऊ (स्थान तहसील पूर्णपुर, जिला पीली भीत)	9-3-82	1250	सहकारी
48.	मैसर्स छाता शुगर कं० लि०, पो० आ० छाता, (तहसील-घाटमपुर, जिला	10-6-83	1250	सरकारी क्षेत्र

1	2	3	4	5
	कानपुर)			
49.	मैसर्स दि बाजपुर कोआप० शुगर फैक्ट्री लि०, पो० आ० बाजपुर, मदारपुर, जिला नैनीताल)	10-6-83	1250	सहकारी
	कर्नाटक			
50.	मैसर्स सहकारी शक्कर कारखाना नियामित तहसील अलन्द, जिला गुलबरगा	6-12-83	1250	सहकारी
51.	श्री हला सिद्धनाथ सहकारी शक्कर कारखाना लि०, निपानी जिला बेलगौम, (तह० चिकोड़ी)	9-7-82	1250	सहकारी
	आन्ध्र प्रदेश			
52.	श्री पी० चेंगल रेड्डी, नं० 1, शेष विल्लास, 3-6-293, हैदरगुड़ा हैदराबाद (तह० पुंगानूर, जिला चित्तूर)	19-10-83	1250	संयुक्त क्षेत्र

संयुक्त क्षेत्र = संयुक्त स्टाक (प्राइवेट) क्षेत्र

राज्य व्यापार निगम को खाद्य तेलों का आयात करने की अनुमति देना

4772. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम की स्वदेशी तेलों के वर्तमान मूल्यों में कमी लाने के लिए बिना किसी मात्रा सीमा के खाद्य तेल आयात करने की पूर्ण अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि देश की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए कितने खाद्य तेलों की आवश्यकता होगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पिछले कुछ वर्षों से देश में देशीय खाद्य तेलों की मांग व उनकी उपलभ्यता के बीच अन्तर रहा है । अन्तर को अन्शतः आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है । सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में आयात की जाने वाली खाद्य तेलों की मात्रा का निर्णय, देश में देशीय तेलों की मांग व उत्पादन, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों के मूल्य और उनकी उपलभ्यता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर किया जाता है । इस समय खाद्य तेलों की अनुमानित मांग लगभग 45 लाख मी० टन है और चालू तेल वर्ष के दौरान देशीय तेलों का प्रत्याशित उत्पादन 33 लाख मी० टन के लगभग होने का अनुमान है ।

राज्य सरकारों को सूखा राहत के लिए आवंटन

4773. **श्री चित्त महाटा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सूखा राहत उपायों के लिए राज्य सरकारों को कुल कितनी राशि दी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से उन राज्यों में सूखा समस्या से निपटने के लिए अधिक धन दिए जाने के बारे में कोई निवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की है और राज्य सरकारों को सूखा राहत उपाय उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में सूखा राहत कार्य हेतु राज्यों को उपलब्ध कराई गई धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) धनराशियों की निर्मुक्ति भारत सरकार द्वारा अनुमोदित व्यय की अधिकतम सीमा तथा राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए इन अधिकतम सीमाओं पर आधारित व्यय विवरणों के अनुसार की जाती है । जब भी अन्तिम व्यय विवरण प्राप्त हो जाते हैं, राज्यों को धनराशियां निर्मुक्त कर दी जाती हैं ।

सूखा प्रभावित राज्यों से केन्द्रीय सहायता की मांग का ज्ञापन प्राप्त होने पर उनका विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है और एक केन्द्रीय दल जिसमें सम्बन्धित मन्त्रालयों और योजना आयोग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, गठित किया जाता है और उसे स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए राज्यों में तैनात किया जाता है । केन्द्रीय दल की रिपोर्ट को राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति के सामने प्रस्तुत किया जाता है । समिति राज्य सरकार द्वारा मांगी गई और केन्द्रीय दल द्वारा मूल्यांकित मदवार सहायता पर विचार करती है । समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार प्रत्येक मद के लिए व्यय की अधिकतम सीमा के रूप में आवश्यक सहायता मंजूर करती है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	अधिकतम सीमा	अब तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमानित पात्रता	अब तक निर्मुक्त की गई धनराशि (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	28.26	26.18	25.00
2.	असम	—	—	—
3.	बिहार	8.98	मार्जिन धनराशि से पूरा किया जायेगा	
4.	गुजरात	9.18	—	—
5.	हरियाणा	—	—	2.56 × ×
6.	हिमाचल प्रदेश	—	5.00	5.00
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
8.	कर्नाटक	14.00	10.79	10.66 ×
9.	केरल	42.46	39.57	34.00
10.	मध्य प्रदेश	22.29	21.51	21.00
11.	महाराष्ट्र	11.63	9.13	5.00
12.	मणिपुर	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—
14.	नागालैण्ड	—	—	—
15.	उड़ीसा	24.65	15.03	13.00
16.	पंजाब	केन्द्रीय दल ने अभी दौरा करना है		4.00 × ×
17.	राजस्थान	39.85	30.57	30.00 ×

1	2	3	4	5
18.	सिक्किम	0.13	0.12	—
19.	तमिलनाडु	59.15	49.27	49.27 ×
20.	त्रिपुरा	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	1.57	सीमान्त धनराशि से पूरा करना है।	
22.	पश्चिम बंगाल	30.59	16.99	15.00

× × यह 1982-83 के लिए बकाया दर्शाता है।

× इसमें 1983-84 के लिए राहत हेतु 1982-83 में अग्रिम निर्मुक्त किए गए 6.66 करोड़ रु० शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1982-83 की बाढ़ों के लिए गैर-योजना अनुदान के रूप में निर्मुक्त किए गए 1.24 करोड़ रुपये को माज्य की 1983-84 के लिए पात्रता की तुलना में चालू वर्ष के सूखा राहत के लिए अग्रिम योजना सहायता के रूप में परिवर्तित करना पड़ा है।

यह कपास की फसल को कृमियों से हुई क्षति हेतु सहायता से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त साधनोपाय अग्रिम के रूप में 6.00 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

इसमें 1983-84 के सूखा राहत हेतु 1982-83 में अग्रिम निर्मुक्त किए गए 11 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसमें 1983-84 के सूखा राहत हेतु 1982-83 में अग्रिम निर्मुक्त 6.42 करोड़ रुपये शामिल हैं।

लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर सहकारी आंदोलन का प्रभाव

4774. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर सहकारी आन्दोलन के प्रभाव की समीक्षा की है ;

(ख) क्या कुछ राज्यों में सहकारी आन्दोलन कमजोर है और धीमा चल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(घ) सहकारी आन्दोलन को देश भर में पूरी तरह से सफल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सहकारी समिति एक ऐसा आर्थिक संगठन है, जिसका प्राथमिक सामाजिक उद्देश्य कमजोर वर्गों की सहायता करना है। सहकारी सिद्धांत किसान, कर्मचारी, कारीगर और उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने हेतु विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्यकलापों को शुरू करने के लिए अपनाया गया है। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा समय-समय पर कृषि ऋण, कृषि उत्पाद के परिसंस्करण और विपणन, लघु स्तरीय उद्योगों, जनजातियों हेतु सहकारी समितियों और शहरी ऋण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली की सम्बन्धित क्षेत्रों में उनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहकारी संरचना को सुदृढ़ करने के विचार से क्षेत्रीय समीक्षा की गई है।

(ख) तथा (ग) देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के समस्त राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, तथा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह को सहकारी रूप से अल्प विकसित माना गया है।

(घ) तथा (ङ) पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी आंदोलन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राज्य योजनाओं में "सहकारिता" के लिए विशेष परिव्यय के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तैयार की हैं, जिन्हें सहकारी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने और सहकारी समितियों के विकास में आने वाली क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए भी कार्यान्वित किया जा रहा है। सहकारी आंदोलन के वरिष्ठ और माध्यमिक वर्ग के कार्मिकों के लिए सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था पूर्णत: केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। एक स्वायत्तशासी और आत्मनिर्भर सहकारी आंदोलन, जो विशेष रूप से कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाएगा, को तैयार करने क लिए यह प्रयास किया जा रहा है।

भूमिगत जल-स्रोतों का पता लगाया जाना

4775. **श्री के० लकप्पा** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिगत जल स्रोतों को, विशेष रूप से शुष्क-कृषि क्षेत्रों में पता लगाने तथा इस प्रकार उपलब्ध पानी का सिंचाई प्रयोजनों हेतु प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) अब तक सिंचाई के लिए भूमिगत जल स्रोतों का कितना प्रगोग हुआ है ; और

(ग) भूमिगत जल स्रोतों का प्रयोग करने के लिए मध्यम दर्जे के और छोटे किसानों को पम्पसैट जैसी प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड देश में भूमिगत जल संसाधनों का अन्वेषण करने के लिए जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा समन्वेषी ड्रिल्लिग करता रहा है। जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, बोर्ड ने मार्च, 1983 तक देश में 17.99 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर लिया था। इसमें से लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समन्वेषी ड्रिल्लिग की गई है। शुष्क कृषि क्षेत्रों में इन कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

(ख) देश में पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन क्षमता 42.286 मिलियन हैक्टेयर मीटर प्रति वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से लगभग 10.008 मिलियन हैक्टेयर मीटर क्षमता का इस समय सिंचाई तथा अन्य उपयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ग) अनुमान है कि भूमिगत जल और भूतल जल लघु सिंचाई स्कीमों के अंतर्गत मार्च, 1983 तक देश में बिजली और डीजल के लगभग 81.76 लाख पम्प सैट प्रतिष्ठापित किए गए थे। मध्यम और छोटे किसानों को दिए गए पम्पसैटों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्य चालन पर लेखा परीक्षा आपत्तियां

4776. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1981-82 और 1982-83 अवधियों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्य चालन पर गम्भीर लेखा परीक्षा आपत्तियों की जांच कर ली हैं और यदि हां, तो इसमें इन दोनों में से प्रत्येक वर्ष में आपत्तिवार कौन से संस्थान अवधि और कितनी धनराशि सम्मिलित थी और सरकार ने 1 मार्च, 1984 तक आपत्तिवार क्या कार्यवाही की ;

(ख) सरकारी धनराशि के ऐसे दुरुपयोग के लिए आई० सी० ए० आर० मुख्यालय के वित्तीय और तकनीकी प्रबन्ध अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार दुरुपयोग को रोकने और आदान उत्पादन क्षमता की निगरानी करने वाली आई० सी० ए० आर० की वित्तीय और तकनीकी निगरानी प्रणाली का पुनर्गठन करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्तशासी सोसायटी है जो सोसायटीज एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। यह पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा इसके संस्थानों के लेखाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। सोसायटी के नियमों और उपनियमों के तहत सोसायटी की शासी निकाय, जिसमें शासकीय और गैर-शासकीय सदस्यों के साथ-साथ तीन संसद सदस्य भी है, लेखा परीक्षकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर गौर करती है और उचित आवश्यक कार्यवाही करती है। सोसायटी नियमों के अन्तर्गत आगे यह प्रावधान है कि सोसायटी के लेखा परीक्षित लेखा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सोसायटी की वार्षिक सामान्य बैठक में तथा लोक सभा के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी।

वर्ष 1981-82 और 1982-83 की लेखा परीक्षित रिपोर्टों की विस्तृत रूप में सुसंगत जांच निकाय द्वारा और सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक में क्रमशः वर्ष 1983 और 1984 में की जा चुकी है। वर्ष 1981-82 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर क्रमशः 9 मई, 1983 और 10 मई, 1983 को रखा गया। वर्ष 1982-83 की लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच मार्च 1984 में हुई शासी निकाय और सामान्य निकाय की बैठक में की गई तथा इसे नियत अवधि में संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

पिछले अनुच्छेदों से यह स्पष्ट है कि भा० कृ० अ० प० के नियमों में इस बात के लिए पर्याप्त प्रावधान है कि भा० कृ० अ० प० के लेखाओं के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा की टिप्पणियों पर प्रभावी तरीके से कार्यवाई की जाए। प्रत्येक टिप्पणी की भा० कृ० अ० प० द्वारा जांच की जाती है और जहां कहीं किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को लापरवाही के लिए दोषी पाया जाता है उसके लिए उचित सुधार कदम उठाया जाता है ताकि प्रक्रियात्मक अनियमितताएं न हों तथा साथ ही उचित कार्यवाई भी की जाती है।

(ख) ऐसे अनुच्छेदों के बारे में शासी निकाय/सामान्य निकाय की बैठकों में विचार किया गया और प्रत्येक लेखा परीक्षा अनुच्छेद पर लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाई की गई है।

(ग) वर्तमान नियमों में जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, लेखा परीक्षा अनुच्छेदों की जांच और लिए गए निर्णय, ऐसे अनुच्छेदों के सम्बन्ध में प्रभावी जांच और अन्तिम निर्णय के लिए पर्याप्त सक्षम हैं, इसलिए भा० कृ० अ० प० की वित्तीय और तकनीकी प्रबोधन प्रणाली को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव नहीं है।

भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत किसानों को राहत

4777. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा :

क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेरोजगार हो रहे किसानों को राहत देने और अर्जित भूमि के लिए मुआवजे का भूमि पर कब्जे की तारीख से भुगतान करने का उपबन्ध करने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1895 का संशोधन करने का विचार है ; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां पर भूमि अर्जन अधिनियम, 1895 लागू है और उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में संशोधन हेतु एक विधेयक (1982 का विधेयक संख्या 67) 30 अप्रैल, 1982 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। कुछ और संशोधनों हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 नागालैण्ड तथा जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है। चूंकि भूमि अर्जन संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में एक विषय है अतः स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार राज्य विधान मण्डलों द्वारा समय-समय पर संशोधन किए जा रहे हैं।

पोल वाल्ट

4778. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय पोल वाल्ट खिलाड़ियों को बांसों

और स्टील की पाइपों से अभ्यास करना पड़ता है जबकि अन्य देश फाईबर ग्लास के पोलों से अभ्यास कर रहे हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला को इस सम्बन्ध में वैश्य हाई स्कूल भिवानी के पोल वाल्ट और जैवेलियन के कोच से अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) ऐसे पोल वाल्टर्स को जिन्हें राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में शामिल करने के लिए काफी अच्छा पाया जाता है, उन्हें ऐसे शिविरों में अभ्यास के लिए फाईबर ग्लास वाल्टिंग पोल्स दिए जाते हैं।

(ख) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसे किसी अनुरोध की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कावेरी जल विवाद

4779. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी जल विवाद को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या प्रगति की है

(ख) यह मामला अब किस अवस्था में है ; और

(ग) इस जल-विवाद के कब तक हल हो जाने की आशा है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार कावेरी जल-विवाद को हल करने के लिए अधिकारी स्तर तथा मंत्री स्तर पर पक्षकार राज्यों के साथ बातचीत द्वारा 1970 से लगातार प्रयास करती आ रही है केन्द्र द्वारा मुख्य मन्त्रियों की 5 अप्रैल, 1983 को आयोजित की गई पिछली बैठक में कर्नाटक के मुख्य मन्त्री, लम्बित मामलों को हल करने के लिए मुख्य मन्त्री, तमिलनाडु के साथ द्विपक्षीय बातचीत करना चाहते थे। कावेरी जल विवाद पर विचार-विमर्श करने के लिए दोनों मुख्य मन्त्रियों ने 5 जनवरी, 1984 को बंगलौर में बैठक की थी और इस बातचीत को शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है। उनसे अनुरोध किया गया है कि इस बातचीत को शीघ्र कर लें ताकि बेसिन राज्यों के सम्बन्धित मुख्य मन्त्रियों की आगामी बैठक आयोजित की जा सके।

(ग) इस विवाद को कब तक हल कर लिया जाएगा, निश्चित रूप से यह बताना संभव नहीं है।

लक्षद्वीप समूह में मछली उद्योग का विकास

4780. **श्री राम विलास पासवान : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लक्ष द्वीप समूह में मछली उद्योग के विकास के उपायों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन अर्थोपायों पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में सक्रिय मछुआरों के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएं चालू की हैं :—

1. सक्रिय मछुआरों के लिए दुर्घटना बीमा की योजना पर राज सहायता ।
2. मछुआ समुदाय का तकनीकी-सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण ।
3. मिनीकाय और अगाती नामक दो लघु पत्तनों पर मत्स्य नौकाओं को घाट पर लगाने और अवतरण सम्बन्धी सुविधाएं ।
4. द्वीप के चारों ओर के क्षेत्र में विद्यमान समुद्री जीविका साधनों का सर्वेक्षण ।

इसके अतिरिक्त, छठी योजना के दौरान लक्षद्वीप प्रशासन मात्स्यकी विकास की अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है । इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

1. मछली पकड़ने वाली यंत्रीकृत नौकाओं के विनिर्माण और मछुआरों को आबंटन के लिए राज सहायता ।
2. मछुआरों को "इन बोर्ड और आऊट बोर्ड" इंजनों की सप्लाई ।
3. समन्वेषी और प्रदर्शन मत्स्यन ।
4. मछुआरों को राज सहायता पर लम्बी लाइन वाले गिअर उपलब्ध कराना और मछली पकड़ने के लिए जरूरी साज सामान का पूरी कीमतों पर वितरण ।
5. कार्मिकों का प्रशिक्षण ।
6. यंत्रीकृत नौकाओं का रखरखाव और मरम्मत ।

बिहार में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सर्किल कार्यालय का स्थानांतरण

4781. **श्री राम विलास पासवान : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने डिविजन कार्य कर रहे हैं तथा वे कहां-

कहां पर स्थिति हैं ;

(ख) वर्तमान सर्किल कार्यालय कहां पर स्थित है ;

(ग) क्या यह सच है कि सर्किल कार्यालय के राज्य के बाहर स्थित होने के कारण परियोजना सम्बन्धी निर्माण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का सर्किल कार्यालय को बिहार राज्य में स्थानान्तरित करने का विचार है ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) निम्नलिखित 4 मण्डल :—

(i) पटना में एक सिविल तथा एक विद्युत मण्डल

(ii) रांची में एक सिविल मण्डल

(iii) धनबाद में एक सिविल मण्डल।

(ख) परिमण्डल कार्यालय कलकत्ता में है।

(ग) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई नहीं हुई है अथवा इस विभाग के ध्यान में आई है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विस्तार कर्मचारियों की कार्मिक समस्याओं का अध्ययन

4782. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का विस्तार कर्मचारियों से सम्बन्धित विभिन्न कार्मिक समस्याओं का राज्य-वार गहन अध्ययन करवाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को इस प्रयोजन के लिए क्या मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना से सम्बन्धित अध्ययन के लिए किसी कार्यकारी दल का गठन किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को कृषि विस्तार के कार्मिक प्रबन्ध में किन्हीं कार्मियों का पता चला है ; और

(ङ) यदि हां, तो विस्तार सेवा "जिसके बिना आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को किसान वर्ग में सफलतापूर्वक अन्तरित नहीं किया जा सकता" के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) यह विषय राज्य सरकारों से सम्बन्धित है और केन्द्रीय सरकार का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है। तथापि, जब कभी भी केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय स्तर बैठकों का आयोजन करती है कृषि विस्तार की समस्याओं की व्यापक रूप में समीक्षा की जाती है। राज्य सरकारों को विस्तार प्रणाली अधिक कारगर बनाने के लिए उपयुक्त उपाय करने की सलाह दी गई है।

(ग्र) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि

4783. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे, जिसमें नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार अभी कब्जे में ली जाने वाली भूमि तथा जिनके कब्जे में ऐसी भूमि इस समय है, उनका विवरण दर्शाया गया हो ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : अधिशेष रिक्त भूमि का अनुमान, राज्य सरकार के नाम से अर्जित एवं निहित रिक्त भूमि की सीमा तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियम अधिनियम, 1976 के तहत अभी भी अर्जित की जाने वाली रिक्त भूमि की सीमा का राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिशेष रिक्त भूमि का अनुमान	अर्जित तथा निहित अधिशेष रिक्त भूमि की सीमा	अभी भी अर्जित की जाने वाली अधिशेष रिक्त भूमि की सीमा (कालम2-3)
1	2	3	4
			—हैक्टेयरों में—
आन्ध्र प्रदेश	6120.27	1059.33	5060.94
असम	—	—	—
बिहार	3204.62	24.34	3180.28
गुजरात	49035.00	186.00	48849.00
कर्नाटक	29889.17	729.32	29159.85

1	2	3	4
महाराष्ट्र	53522.00	1832.00	51690.00
मध्य प्रदेश	21760.12	1512.72	20247.40
उड़ीसा	28.24	9.31	19.03
पंजाब	775.82	68.06	707.76
राजस्थान	6865.86	316.00	6549.86
उत्तर प्रदेश	169153.31	1283.36	167869.95
पश्चिमी बंगाल	5007.00	96.49	4910.51
चण्डीगढ़ प्रशासन	0.86	—	0.86
दिल्ली	232.06	25.12	206.93
पाण्डिचेरी	0.07	—	0.07
छावनी क्षेत्र	752.74	—	752.74
योग :	346347.23	7142.05	339205.18

अभी भी अर्जित की जाने वाली आधिक्य रिक्त भूमि में से एक पर्याप्त भाग अधिनियम की धारा 19 तथा 20 के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट तथा धारा 21 के अन्तर्गत दी जाने वाली अनुमति के कारण वास्तविक अर्जन के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

नहर कानून

4784. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1873 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नहर कानून अब भी अपने मूल रूप में लागू है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समय बदलने के साथ सरकार का विचार इस कानून में कोई परिवर्तन करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो ये परिवर्तन कब से लागू किए जाएंगे और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब

तक किसानों को हो रही कठिनाइयों को सरकार का कैसे दूर करने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) माननीय सदस्य द्वारा संभवत: "उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873" का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम को कई बार अंशत: संशोधित अथवा निरसित किया गया है अथवा इसमें परिवर्धन/परिवर्तन किया गया है।

सिंचाई एक राज्य-विषय है और परिवर्तन पर्यावरण तथा सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विद्यमान सिंचाई अधिनियम में परिवर्धन अथवा परिवर्तन करने के लिए कानून बनाने के सम्बन्ध में विचार करना राज्य सरकारों का कार्य है।

इस सम्बन्ध में उनकी सहायता करने के लिए केन्द्र द्वारा एक माडल सिंचाई विधेयक तैयार किया गया था और राज्यों को परिचालित किया गया था। सितम्बर, 1976 में हुए राज्यों के सिंचाई मन्त्रियों के दूसरे सम्मेलन में इस विधेयक पर विचार किया गया था। सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकारों द्वारा इस विधेयक पर ऐसे आशोधनों के साथ, जो स्थानीय स्थितियों को देखते हुए आवश्यक समझे जाएं, अपनाने के लिए विचार किया जाए।

सर्व हितकारी सहकारी आवास निर्माण समिति

5785. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग चार माह पूर्व उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि को-आपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या सर्व हितकारी सहकार आवास निर्माण समिति द्वारा उसके सदस्यों को किया गया आबास आबंटन इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के सम्मति आदेश के अनुरूप था ;

(ख) यदि हां, तो रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटीज अब तक की चार महीनों की अवधि के दौरान अपना निर्णय देने में समर्थ क्यों नहीं हो सके हैं ; जबकि इसमें उन्हें केवल समिति के ही लगभग 280 सदस्यों के मामलों की छानबीन करनी थी ; और

(ग) रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटीज द्वारा इस मामले में अपनी मंजूरी देने में कितना और समय लगने की संभावना है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारयीय उच्चतम न्यायालय ने 6 सितम्बर, 1983 को पंजीकार, सहकारी समिति दिल्ली को यह निदेश देते हुए एक आदेश पारित किया था कि सर्व हित कारी गृह निर्माण समिति द्वारा पहले ही किए तथा अभी किए जाने वाले आबंटनों की समीक्षा करके उन्हें 20 जुलाई, 1983 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पहले पारित सहमति आदेश के अनुरूप बनाए।

(ख) सहकारी समिति/पंजीकार ने मामले का अनुसरण किया है परन्तु इसमें विरोधी दावे

शामिल हैं तथा इनकी गहराई से जांच की आवश्यकता है अतः कोई दृष्टिकोण फरवरी, 1984 के अन्त तक बनाया जा सकता है। एक प्रपत्र भी तैयार किया गया था तथा समिति को इसके सभी सदस्यों के ब्यौरे प्रस्तुत करने को कहा गया था। समिति ने अपेक्षित ब्यौरे 6 मार्च, 1984 को प्रस्तुत किए थे।

(ग) पंजीकार, सहकारी समिति, सूची की जांच करने के बाद, उच्च न्यायालय के सहमति आदेश के अनुसार प्लाटों के आकार सहित अन्तिम सूची संभवतः ही प्रकाशित करेगा।

देश में उचित दर की दुकानों की स्थापना

4786. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 3,50,000 उचित दर की दुकानें स्थापित करने का निर्णय किया है जिससे पिछली योजना के अन्तिम वर्ष तक देश की समूची जनता को इस व्यवस्था के अन्तर्गत ले आया जाएगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि वितरण प्रणाली में प्रति 2000 लोगों के लिए उचित दर की एक दुकान हो ;

(ग) यदि हां, तो देश में इस समय कुल कितनी उचित दर की दुकानें कार्य कर रही हैं और कितने लोग उचित दर की एक दुकान के अन्तर्गत आते हैं ;

(घ) क्या उचित दर की दुकानें खोलने की योजना से लोगों को सहायता मिली है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सातवीं योजना के दौरान उचित दर की और अधिक दुकानें खोली जाएंगी ; और

(च) यदि हां, तो सातवीं योजना अवधि के दौरान कितनी दुकानें खोली जाएगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्रि (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (च) अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गठन और प्रशासन के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। उन्हें सलाह दी गयी कि वे और उचित दर की दुकानें खोलें, ताकि 3.50 लाख उचित दर की दुकानों का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे प्रत्येक 2000 व्यक्तियों के पीछे एक उचित दर की दुकान के मानदण्ड को प्राप्त करें, तथापि छितरी आबादी वाले दूर-दराज के इलाकों के मामले में इस मानदण्ड में छूट दी जा सकती है।

1-10-1983 को देश में उचित दर की दुकानों की कुल संख्या 2.97 लाख के लगभग थी, तथापि, एक उचित दर की दुकान के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की संख्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में और एक ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भी अलग-अलग होती है। उचित दर की दुकानों के खोलने से, आम आदमी, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को, उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने

में सहायता मिली है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सलाह दी गई है कि अपने-अपने क्षेत्रों की आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाये। उचित दर की दुकानें खोलने हेतु सातवीं योजनावधि के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

मार्डन फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए किराए पर मकान लिया जाना

4787. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्डन फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड ने कम्पनी लीज पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए गैर-सरकारी रिहायशी मकान किराए पर ले रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान क्रमश: कितने प्राइवेट मकान व कितने दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकान किराए पर लिए गए हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कम्पनी को प्राइवेट मकान किराए पर लेने का कोई अधिकार नहीं है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कम्पनी ने ऐसे अनेक मकानों को खाली नहीं किया है, जिनका लीज समझौता काफी पहले समाप्त हो चुका है ;

(ङ) क्या सरकार को उपरोक्त मकानों को खाली करने के लिए मकान मालिकों की ओर से कानूनी नोटिस प्राप्त हुए हैं ; और

(च) यदि हां, तो इन मकानों को खाली करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) मार्डन फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड ने अपनी कम्पनी के अधिकारियों के लिए निजी रिहायशी मकान पट्टे के आधार पर किराए पर लिया है।

(ख) कम्पनी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से कोई मकान किराए पर नहीं लिया है। कम्पनी द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान किराये पर लिए गए मकानों की संख्या नीचे दी जाती है :

वर्ष	किराए पर लिए गए मकानों की संख्या
1979-80	1
1980-81	1
1981-82	2
1982-83	शून्य
1983-84	5

(ग) कम्पनी के पास किराए पर प्राइवेट मकान लेने के प्राधिकार हैं।

(घ) कम्पनी द्वारा दिल्ली में किराए पर लिए गए 7 मकानों, जो कि इस समय इसके पास हैं, में से दो मकानों का पट्टा समाप्त हो गया है और इसे और बढ़ाने के लिए बात-चीत चल रही है।

(ङ) कम्पनी के पास किराए के एक मकान, जिसके पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है, को खाली करने के लिए एक कानूनी नोटिस प्राप्त हुआ है।

(च) कम्पनी इस मामले पर विचार कर रही है।

पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति

4789. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में अनेक रिसर्च परियोजनाओं में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है क्योंकि उसके लिए केन्द्रीय सरकार ने धन राशि उपलब्ध नहीं की ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके विशिष्ट कारण क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सिंचाई एक राज्य विषय है और ऐसी सिंचाई परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था राज्य योजना के अन्तर्गत की जाती है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा वह किसी विशिष्ट परियोजना या विकास के सेक्टर से जुड़ी हुई नहीं होती।

औद्योगिक घरानों द्वारा चलाए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रम

4790. **श्री के० प्रधानी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक घरानों में से किसी ने, जिन्होंने उड़ीसा में फैक्ट्रियां और सन्यन्त्र लगाये हैं, राज्य के किसी पिछड़े क्षेत्र में कोई ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया है ;

(ख) यदि हां, तो उन घरानों के नाम क्या हैं और उन्हें प्रत्येक कार्यक्रम में कितनी पूंजी लगाया है ;

(ग) प्रत्येक कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उन्होंने उद्योग मंत्रालय के माध्यम से कभी किसी स्तर पर इस सम्बन्ध में इन औद्योगिक घरानों से ऐसे कार्यक्रम शुरू करने का अनुरोध किया था, और उसके क्या परिणाम निकले ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) औद्योगिक घराने यदि कोई ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाना चाहते हैं तो वे ग्रामीण विकास मंत्रालय से परामर्श किए

बिना ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इस मंत्रालय के पास प्रस्तुत करने हेतु कोई सूचना नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

सम्पर्क सड़कों का निर्माण

4791. **श्री राम नाथ दुबे** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1978-79 में ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी बिछाकर सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए एक योजना बनाई गई थी तथा इस योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण किया गया ;

(ख) क्या सरकार ने इन सड़कों पर पानी की निकासी के लिए पुलिया बनाने की भी कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि दी गई है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना वर्ष 1977-78 के दौरान आरम्भ की गई थी, परन्तु इसे वर्ष 1978-79 में बंद कर दिया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु अतिरिक्त निधियां 1978-79 की राज्य योजनाओं में सीधे उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

(ख) व (ग) इन सड़कों पर पुलियों के निर्माण का कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में सामान्य ग्रामीण सड़क कार्यक्रम और/अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया जा सकता है।

गुजरात में भूमिहीन गरीबों को प्लाटों का वितरण

4792. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में कितने श्रमिकों और भूमिहीन गरीबों को पिछले दो वर्षों के दौरान मकान बनाने के लिए भूमि के वितरण सम्बन्धी योजना का लाभ मिला है ; और

(ख) गुजरात में 20 सूत्री कार्यक्रम की इस योजना के अन्तर्गत अब तक जिलेवार आवंटित प्लाटों की संख्या कितनी है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) देश में आवास स्थल वितरण की योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए भूमिहीन निर्धनों की संख्या इस प्रकार है :

1981-82	10,76,146 परिवार
1982-83	10,07,466 परिवार

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात में वितरित प्लाटों के जिलावार ब्यौरे सुलभता से उपलब्ध नहीं हैं।

शहरी सफाई कार्यक्रम की पुनरीक्षा

4793. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में शहरी सफाई कार्यक्रम में अब तक हुई प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए किसी कार्यदल का गठन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में केन्द्रीय सरकारी परियोजनाओं के अन्तर्गत शहरों की बेहतर सफाई सुनिश्चित करने के लिए अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) गत दो वर्षों के दौरान राज्यों में नगरीय स्वच्छता कार्यक्रम में की गई प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार ने कार्यकारी दल गठित नही किया है। छोटे तथा मध्यम दर्ज के नगरों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा परिवर्तित योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता को सुधारने तथा मानवीय अपशिष्ट की सफाई के लिए कम लागत के स्वच्छता के उपायों के लिए कम लागत स्वच्छता योजना के अन्तर्गत राज्य कम लागत स्वच्छता के लिए प्रति नगर अधिकतम 40 लाख रुपए के अतिरिक्त 15 लाख रुपए तक अनुदान सहायता के पात्र हैं।

छठी योजना में शुष्क भूमि खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन

4794. **श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना में शुष्क भूमि पर कृषि संबंधी निर्धारित कार्यक्रमों और नीतियों का कार्यान्वयन असंतोषजनक रहा है जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की कमी हुई और प्रति वर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपये मूल्य का आयात करना पड़ा (दिनांक 23 फरवरी, 1984 का इकानामिक टाइम्स), और

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में की गई सिफारिशों की भी काफी हद तक उपेक्षा हुई है और यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। छठी योजना में उन्नत बारानी खेती करने के कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए तैयार की गई नीतियों का जोरदार ढंग से अनुसरण किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं। सरकार राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन में गहरी रुचि ले रही है। आयोग द्वारा की गई समग्र सिफारिशों के 80 प्रतिशत से अधिक के कार्यान्वयन के लिए पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है।

सातवीं योजना में कमान क्षेत्र में फील्ड नहरों के निर्माण के लिए पर्याप्त संसाधन

4795. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्री पी० एम० सईद :

क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में फील्ड नहरों के निर्माण के लिए राज्यों से सातवीं योजना में पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सिंचाई क्षमता के उपयोग में भारी अन्तर को कम करने में सहायता मिलेगी ;

(ग) क्या सृजित सिंचाई क्षमता और इसके उपयोग के बीच इस समय चार मिलियन हैक्टेयर का अन्तर होने का अनुमान है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय ने राज्य सरकारों को, अगली योजना में बहुत सी अपूर्ण परियोजनाओं में धन न फंसाकर चालू परियोजनाओं को पूरा करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहा है ;

(ङ) यदि हां, तो सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अन्य किन विषयों पर लिखा गया है ; और

(च) कितने राज्यों ने छठी योजना अवधि के दौरान आरम्भ की गई सिंचाई योजनाएं पूरी कर ली हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) योजना आयोग ने बृहद एवं मध्यम सिंचाई तथा खेत नालियों सहित देश में मकान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए सातवीं योजना के प्रस्तावों को तैयार करने हेतु कार्यकारी दलों का गठन किया है। कार्यकारी दलों द्वारा अभी अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत किया जाता है।

(ख) खेत नालियों के निर्माण में तेजी लाने से सृजित की गई सिंचाई क्षमता एवं उसके उपयोग के बीच अन्तर को कम करते में सहायता मिलेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्र सरकार उन सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए विशेषकर ऐसी परियोजनाएं जिन्हें पहली तीन योजनाओं के दौरान आरंभ किया गया था, इष्टतम परिव्ययों की व्यवस्था करके पूरा करने के वास्ते राज्य सरकारों पर जोर डालती आ रही है।

(ङ) सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के ध्यान में लाई गई अन्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) छठी योजना के दौरान ही यथासंभव अधिक से अधिक बृहद तथा मध्यम परियोजनाओं को पूरा करना और उनके लेखों को बन्द करना।

(2) चौथी योजना तक शुरू की गई सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए आगे लाई गई पूर्ण लागत की व्यवस्था करके उनको सातवीं योजना के दौरान पूरा करना।

(3) अब तक हाथ में ली गई सभी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को सातवीं योजना के दौरान पूरा करना।

(च) ग्यारह राज्यों ने अब तक छठी योजना के दौरान कुछ सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया है।

राज्यों से चालू सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का अनुरोध

4796. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से चालू सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए कहा है ;

(ख) क्या जल्द ही पूरी होने वाली सभी सिंचाई योजनाओं का पता लगा लिया गया है और यह सिफारिश भी की गई है कि उन्हें आवश्यक राशि उपलब्ध की जाये ताकि उन्हें चालू योजना के अन्त तक पूरा किया जा सके ;

(ग) यदि हां, क्या राज्यों को हाल ही में हुई वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान केन्द्र के दृष्टिकोण से अवगत करा दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो कितने राज्य सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पिछड़े हुए हैं ; और

(ङ) सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में कितने राज्यों ने केन्द्र निदेशों का पालन किया है और इस सम्बन्ध में राज्यों से प्राप्त अद्यतन प्रगति क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) राज्यों को सभी निर्माणाधीन स्कीमों को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि पर्याप्त परिव्ययों की व्यवस्था करके उन स्कीमों को चालू योजना में ही पूरा करने के लिए उच्चतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना तक आरंभ दी गई थीं। इन अनुदेशों को वार्षिक योजना पर विचार-विमर्शों के समय सहित, सरकारी स्तर के विचार विमर्शों में दोहराया गया था। छठी योजना में राज्यों में निर्माणाधीन परियोजनाओं को राज्यवार संख्या और उन परियोजनाओं की संख्या, जिनके छठी योजना के दौरान पूर्ण हो जाने की आशा है, संलग्न विवरण में दी गई है। सिंचाई एक राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन और क्रियान्वयन राज्यों द्वारा

किया जाता है। उपलब्ध संसाधनों, परियोजनाओं की प्रगति पर निर्भर करते हुए तथा विभिन्न अंचलों/क्षेत्रों के समूचे विकास को ध्यान में रखते हुए परियोजना के लिए पर्याप्त आबंटन करने के लिए राज्य सभी प्रयत्न करते हैं।

विवरण

निर्माणाधीन वृहद तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों की राज्यवार संख्या और उन स्कीमों की संख्या, जिनके 1984-85 तक पूरा किए जाने की संभावना है, को दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	बृहद स्कीमों की संख्या	पूर्ण हो जाने वाली संभावित बृहद स्कीमों की संख्या	मध्यम स्कीमों की संख्या	पूर्ण हो जाने वाली संभावित मध्यम स्कीमों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	2	30	19
2.	असम	1	शून्य	11	3
3.	बिहार	15	1	46	16
4.	गुजरात	12	3	49	10
5.	हरियाणा	9	8	5	6
6.	हिमाचल प्रदेश	—	शून्य	2	2
7.	जम्मू और कश्मीर	1	शून्य	14	6
8.	कर्नाटक	13	2	19	4
9.	केरल	9	4	2	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	21	3	66	35
11.	महाराष्ट्र	29	3	106	18
12.	मणिपुर	3	शून्य	3	1

1	2	3	4	5	6
13.	मेघालय	—	शून्य	—	शून्य
14.	नागालैंड	—	शून्य	—	शून्य
15.	उड़ीसा	7	1	31	13
16.	पंजाब	6	7	—	शून्य
17.	राजस्थान	4	6	10	शून्य
18.	सिक्किम	—	शून्य	—	शून्य
19.	तमिलनाडु	5	2	16	12
20.	त्रिपुरा	—	शून्य	1	शून्य
21.	उत्तर प्रदेश	28	9	22	9
22.	पश्चिम बंगाल	4	शून्य	16	शून्य
	संघ राज्य क्षेत्र	1	शून्य	—	शून्य
	जोड़	176	52	447	154

रबी और खरीफ के उत्पादन में वृद्धि करना

4797. **श्री बी वी देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार खरीफ के मौसम में 84 करोड़ टन खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उत्पादन खरीफ मौसम के लिए 8.3 करोड़ टन के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में एक करोड़ टन अधिक था ;

(ग) खरीफ उत्पादन सम्बन्धी अद्यतन स्थिति क्या है ;

(घ) खरीफ उत्पादन के लक्ष्य पूरा हो जाने पर सरकार को खाद्य समस्या के हल हो जाने की कहां तक आशा है ;

(ङ) रबी फसल के उत्पादन को भी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(च) वर्ष 1984 में खरीफ और रबी की फसलों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को क्या सहायता दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) विभिन्न राज्य सरकारों से मिली प्राथमिक रिपोर्टों तथा अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि चालू वर्ष में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 840 लाख मीटरी टन होगा। इस स्तर 1983-84 के खरीफ मौसम के लिए निर्धारित 830 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के लक्ष्य की तुलना में खरीफ खाद्यान्नों की पैदावार 10 लाख मीटरी टन के लगभग अधिक होगी। चालू वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 140-160 लाख मीटरी टन और 1981-82 में प्राप्त किए गए 1333 लाख मीटरी टन के पिछले रिकार्ड उत्पादन से लगभग 100-110 लाख मीटरी टन अधिक होगा। इस वृद्धि का देश में खाद्यान्नों की सप्लाई तथा मूल्य स्थिति पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

(ङ) सरकार ने रबी खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. सिंचाई के तहत के क्षेत्र का विस्तार करना।
2. अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत के क्षेत्र का विस्तार करना।
3. अच्छी किस्म के बीजों के वितरण में वृद्धि करना।
4. उर्वरकों का अधिक तथा दक्षता से उपयोग करना।
5. विस्तृत क्षेत्र में पर्याप्त पौध रक्षण के उपाय करना।
6. पम्पसैटों के लिए डीजल और बिजली की पर्याप्त उपलब्धि।
7. मृदा तथा जल संरक्षण और बारानी भूमि में खेती करने की उन्नत पद्धतियों पर अधिक बल देना।
8. पुनर्गठित विस्तार पद्धति-प्रशिक्षण तथा दौरों के माध्यम से तकनोलोजी का अन्तरण करना।
9. किसानों तथा विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।
10. अनुसंधान को तेज करना।
11. उपयुक्त मूल्य निर्धारण नीतियों का अपनाना।
12. ऋण को आसानी से उपलब्ध कराना।

इसके अतिरिक्त, रबी उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आदान पखवाड़ा 26 सितम्बर से 10 अक्तूबर 1983 तक मनाया गया था।

(च) खरीफ तथा रबी का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं तथा उन्नत बीजों के मिनिकिटों का निःशुल्क वितरण, अच्छे किस्म के बीजों की उपलब्धता बढ़ाना, आदानों के वितरण के तन्त्रों का विस्तार करना, विभिन्न आदानों के लिए राज-सहायता की व्यवस्था करना और फसल प्रदर्शन आदि जैसे कार्यक्रमों के जरिए राज्य सरकारों की मदद की जाती है। इसके अलावा, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबरी के योगदान वाली 250 करोड़ रुपए के परिव्यय से छोटे सीमांत किसानों के लिए एक योजना शुरू की गई है। प्राकृतिक आपदाओं के समय अल्पावधि ऋणों को मध्यमकालीन ऋणों में बदलने के लिए सहकारी संस्थानों द्वारा रखी जाने वाली ऋण स्थिरीकरण निधि में योगदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को 19.99 करोड़ रुपये की कुल धनराशि दी है।

राज्यों को खाद्य तेलों का मासिक आबंटन

4798. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री पी० एम० सईद :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 के दौरान केवल 11.5 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च, से नवम्बर, 1983 तक खाद्य तेलों का मासिक आबंटन बढ़ाया गया था ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1984 के दौरान कितना कोटा बढ़ाया जायेगा ;

(घ) क्या खाद्य तेलों के दाम बढ़ रहे हैं और मांगों को पूरा करने तथा दामों को कम करने के लिए आयातित खाद्य तेल पर्याप्त नहीं है ;

(ङ) राज्यों की खाद्य तेलों की कुल मांग कितनी है ;

(च) केन्द्र सरकार ने उनकी मांग कहां तक पूरी की है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां, तेल वर्ष 1982-83 (नवम्बर, 1982 से अक्तूबर, 1983 तक) के दौरान।

(ख) जी हां, अप्रैल, 1983 से आबंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकारों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन मासिक आधार पर किया जाता है। वर्ष 1984 के प्रारम्भ से यह आबंटन काफी उच्च स्तर पर बनाए रखा गया है। जनवरी, 1984 में यह 69.980 मीटरी टन था, जिसे फरवरी, 1984 के दौरान बढ़ाकर 75,000 मीटरी टन कर दिया गया और मार्च, 1984 में उसी स्तर पर बनाये रखा गया। इस आबंटन को, जब तक स्थिति की मांग हो, इसी स्तर पर बनाये रखने का प्रस्ताव है।

(घ) तेल वर्ष 1982-83 के दौरान खाद्य तेलों के मूल्य में, तिलहन उत्पादक राज्यों में पड़े सूखे और फलस्वरूप तिलहनों के उत्पादन में आई गिरावट के कारण कुछ वृद्धि हुई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों का आबंटन बढ़ाकर आपूर्ति कायम रखी गयी जिससे खुले बाजार मूल्यों में स्थिरता आई।

(ङ) तेल वर्ष 1983-84 (नवम्बर, 1983 से अक्तूबर, 1984) के लिए राज्य सरकारों की खाद्य तेलों की कुल मांग 14.58 लाख मीटरी टन के लगभग है।

(च) राज्यों को आयातित तेल का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इसका उद्देश्य राज्य सरकारों की कुल मांग को पूरा करना नहीं होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों को आबंटन मासिक आधार पर किया जाता है और इसमें उनकी मांग, स्थानीय उपलब्धता, राज्य व्यापार निगम के पास स्टाक, आबंटन को उठाने की गति आदि को ध्यान में रखा जाता है। नवम्बर, 1983 से मार्च, 1984 तक राज्यों को लगभग 3.65 लाख मीटरी टन मात्रा का आबंटन किया जा चुका है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय सहायता

4799. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन, स्कूल भवनों, सामुदायिक सदनों, सड़कों तथा सिंचाई कार्यों के लिए छोटे तालाबों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अधीन विभिन्न राज्यों में गत दो वर्षों के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत विशेषकर उड़ीसा में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जोकि अभी भी केन्द्रीय सरकार के पास अनुमति के लिए लम्बित पड़ी हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो बराबर-बराबर अंशदान के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है, के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल भवनों, सामुदायिक सदनों, सड़कों तथा सिंचाई कार्यों के लिए छोटे तालाबों के निर्माण सहित सभी प्रकार के सामुदायिक निर्माण-कार्य आरम्भ किए जा सकते हैं।

(ख) वर्ष 1980-81 से लेकर 1983-84 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं जिला ग्रामीण विकास ऐजेन्सियों द्वारा तैयार तथा संस्वीकृत की जाती हैं और इन्हें केन्द्र अथवा राज्य स्तर पर अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए, उड़ीसा सहित किसी भी राज्य की कोई भी परियोजना केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन हेतु लम्बित पड़ी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1980-81 से लेकर 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियां

क्रम संख्या	परिसम्पत्तियों का स्वरूप	यूनिट	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84*
1.	सरकारी भूमि पर वनरोपण तथा सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लिया गया क्षेत्र	(हैक्टेयर)	54,567	1,03,319	1,00,984	32,901
2.	वृक्ष लगाए गए	(संख्या लाख में)	—	—	—	1,60,495
3.	पेय जल कुओं, सामुदायिक सिंचाई कुओं का निर्माण, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए सामूहिक आवास तथा भूमि विकास	(संख्या)	—	90,423	1,58,971	40,478
4.	ग्रामीण तालाबों का निर्माण	(संख्या)	—	13,709	15996	5,378
5.	लघु सिंचाई कार्य जिसमें बाढ़-बचाव, जल निकासी तथा जल लग्नता निवारक कार्य, माध्यमिक तथा मुख्य नालियों और खेत की नालियों की निर्माण तथा सिंचाई परि-योजनाओं के कमांड क्षेत्रों में भूमि समतली-करण शामिल है, से लाभांवित क्षेत्र	(हेक्टेयर)	3,85,144	1,05,640	1,66,408	14,716

6. भूमि तथा जल संरक्षण और भूमि सुधार के माध्यम से लाभांवित क्षेत्र	(हेक्टेयर)	2,28,130	1,36,971	37,823	48,828
7. निर्मित/सुधारी गई ग्रामीण सड़कें	(किलोमीटर)	1,66,463	73,010	1,04,498	23,656
8. स्कूल तथा बालबाड़ी भवनों, पंचायत घरों, सामुदायिक केन्द्रों, जंगली पशुओं के लिए पेय जल स्रोतों का निर्माण, मुर्गीपालन, पिंजरापौलों, गौशालाओं, सामुदायिक मुर्गीपालन तथा सूअरपालन गृहों, नहाने तथा कपड़े धोने के प्लेटफार्म आदि।	(संख्या)	16,001	21,302	75,402	19,286
9. अन्य निर्माण-कार्य	(संख्या)	1,41,539	7,276	15,683	4,751

* अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर

विवरण

1981-82, 1982-83 और 1983-84 (31 दिसम्बर, 1983 तक) के वर्षों के दौरान "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण विकास मन्त्रालय तथा उसके सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन द्विभाषिक रूप में जारी किए गए दस्तावेजों की प्रतिशतता का क्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	कार्यालय	क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन द्विभाषी रूप में जारी किए गए दस्तावेजों की प्रतिशतता		
			1981-82	1982-83	1983-84 (31-12-83 तक)
1.	ग्रामीण विकास मन्त्रालय	"क"	99.9%	100%	100%
2.	सम्बद्ध कार्यालय	"क"	81.2%	71.5%	95.5%
		"ख"	5.6%	3.7%	22.2% (30-9-83 तक)
		"ग"*	—	—	—

* "ग" क्षेत्र में कोई सम्बद्ध कार्यालय नहीं है।

किसानों के लिए कृषि सेवा केन्द्र खोलना

4800. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाथ के औजारों और कृषि के विकसित यन्त्रों को लोकप्रिय बनाने और किराए पर लेने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और किसानों के लिए कृषि सेवा केन्द्र खोलने के लिए कुछ धनराशि मन्जूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं और मन्जूर धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना में तीन समेकित घटक शामिल हैं :--

(1) 600 ब्लाकों में प्रति खण्ड 2 केन्द्र की दर से 1200 किसानों के कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करना। वे पशु चालित पशु उन्नत उपस्करों, हस्तचालित औजारों और पम्पसेटों, शक्ति से चालित छिड़कावक यन्त्रों और बहु-फसल थ्रैसर जैसे छोटे यन्त्रों को भाड़े पर लेने के लिए प्राथमिक कस्टम भाड़े के केन्द्र होंगे।

(2) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के 9 राज्यों के लगभग 100 जिलों के 600 खण्डों में पशु चालित उन्नत उपस्करों का गहन प्रदर्शन करना।

(3) सीमांत कृषकों के लिए 33-1/3 प्रतिशत, छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत तथा आदिवासी किसानों के लिए 50 प्रतिशत की दर पर पशु चालित उन्नत उपस्करों और हस्तचालित उपस्करों की खरीद करने के लिए राज सहायता, इस कार्यक्रम के प्रथम दोनों घटक 9 राज्यों के 600 खण्डों में क्रियान्वित होंगे तथा यह घटक शेष राज्यों के अतिरिक्त 300 खण्डों में भी क्रियान्वित किया जायेगा। विभिन्न राज्य सरकारों को मन्जूर की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उन्नत कृषि उपस्करों को कस्टम भाड़े पर लेने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों के कृषि सेवा केन्द्रों की योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए राज्यों को मन्जूर की गई धनराशि का ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य का नाम	मन्जूर की गई रकम (लाख रुपये)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4.42
2.	असम	2.26

1	2	3
3.	बिहार	4.77
4.	गुजरात	0.61
5.	हरियाणा	0.075
6.	हिमाचल प्रदेश	0.146
7.	जम्मू व कश्मीर	0.146
8.	केरल	0.422
9.	कर्नाटक	3.36
10.	मध्य प्रदेश	9.07
11.	महाराष्ट्र	6.88
12.	मणिपुर	0.066
13.	मेघालय	0.052
14.	नागालैंड	0.038
15.	उड़ीसा	5.76
16.	पंजाब	0.079
17.	राजस्थान	0.554
18.	सिक्किम	0.025
19.	त्रिपुरा	0.053
20.	तमिलनाडु	4.58
21.	उत्तर प्रदेश	6.29
22.	पश्चिम बंगाल	0.918
	योग	50.574

सूदखोरी विरोधी कानूनों को लागू करना

4801. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सूदखोरी-विरोधी कानूनों को पूरे देश में विशेषत: केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में, कठोरता से लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : ऋण देने सम्बन्धी विषय और सूद-खोरी-विरोधी कानून लागू करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में 30वीं प्रविष्टि के अनुसार)/समय-समय पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे सूदखोरी-विरोधी कानूनों तथा ऋण देने सम्बन्धी कानूनों को सख्ती से लागू करें।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का क्रियान्वयन

4802. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मदों को देश के "क", "ख" और "ग", तीनों क्षेत्रों के राज्यों के लिए द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय तथा "क", "ख" और "ग" क्षेत्र के राज्यों में स्थित उसके विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों में वर्ष 1981-82, 1982-83, और 1983-84 में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) की क्रियान्विति की प्रतिशतता का राज्यवार और वर्षवार ब्योरा क्या है ;

(ग) तीनों क्षेत्रों के राज्यों में उक्त सभी 14 मदों सम्बन्धी कार्य को शत-प्रतिशत द्विभाषी करने में क्या कठिनाई है ; और

(घ) सरकार द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (31-12-83 तक) के वर्षों के दौरान मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन द्विभाषी रूप में जारी किए गए दस्तावेजों की क्षेत्रवार प्रतिशतता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इस मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन कोई अधीनस्थ कार्यालय अथवा उपक्रम नहीं है।

(ग) और (घ) मन्त्रालय (मुख्य) द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के प्रावधानों की पूरी तरह से अनुपालना की जा रही है। जहां तक सम्बद्ध कार्यालयों का सम्बन्ध है, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) से सम्बन्धित काम-काज को शत-प्रतिशत करने में आने वाली कठि-

नाइयां पर्याप्त हिन्दी स्टाफ की उपलब्धता, हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित है। तथापि, मन्त्रालयों के सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्वरूप के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के प्रावधानों की अनुपालना करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

बम्बई की गन्दी बस्तियों में रहने वालों का पुनर्वास

4803. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हैबिटैट इण्डिया" ने बम्बई की गन्दी बस्तियों में रहने वालों को फिर बसाने सम्बन्धी कार्य में हाथ बंटाने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो "हैबिटैट इण्डिया" क्या है और सस्ते मकानों के निर्माण के क्षेत्र में उसका पिछला अनुभव क्या है ;

(ग) लगभग आठ लाख परिवारों के लिए हैबिटैट प्रणाली में मकान बनाने के कार्यक्रम पर कितनी लागत आयेगी ;

(घ) क्या वित्त मन्त्री ने उक्त योजना को स्वीकृति दे दी है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, महाराष्ट्र आवास विकास निगम को इस योजना के लिए ऋण देने का निदेश दिया है ; और

(च) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

शाहदरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरा होने में विलम्ब

4804. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में 100 एम०जी० डी० शाहदरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य पूरा होने में देरी के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण

निगम के उप ठेकेदार जान-बूझकर धीमी गति से कार्य कर रहे हैं; और

(घ) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्ण ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) तथा (घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा भुगतान में जान-बूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। परन्तु राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम वित्तीय संकटों का सामना कर रहा है। परियोजना को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को 50 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया है ।

विवरण

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम जो शाहदरा, दिल्ली में 100 एम०जी०डी० क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र के निष्पादन के ठेकेदार हैं, ने बताया है कि उन्होंने उप-ठेकेदारों मैसर्स कैण्डी फिल्टर्स (इण्डिया) लि० को भुगतान में विलम्ब नहीं किया है। जहां तक अन्य उप-ठेकेदार मैसर्स हिन्दुस्तान डोर आलिवर लि० का सम्बन्ध है, यह बताया गया है कि उनके द्वारा सप्लाई किए गए उपकरण में कुछ खराबी हो गई है जिसके कारण कुछ पुर्जों का बदलना जरूरी हो गया है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने यह भी बताया है कि विकट वित्तीय स्थिति के कारण, उनकी ओर से कुछ अभिकरणों के थोड़े से बिलों का निपटान नहीं किया जा सका । परन्तु इससे कार्य की प्रगति प्रभावित नहीं हो रही है ।

परियोजना के निर्माण में कुछ प्रारम्भिक रुकावटों (i) सीमेंट की कमी, (ii)अतिक्रमणों के कारण भूमि उपलब्ध न होना, (iii) उपकरण प्राप्त करने में विलम्ब और (iv) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की साधनों की विकट स्थिति के कारण हुई थी।

दिल्ली नगर निगम ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को यह परियोजना 15-9-80 को प्रारम्भ करने की तारीख तथा 14-3-83 पूर्ण होने की तारीख सहित सौंपी थी। 25 एम०जी०डी० क्षमता का यूनिट फरवरी, 1984 में पहले ही चालू हो गया है। अन्य 50 एम०जी०डी० क्षमता वाला यूनिट सिवाय छुटपुट कार्य के व्यवहारिक रूप से तैयार है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के अनुसार, समूची परियोजना का 1984-85 के दौरान पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4805. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त, 1983 को घोषित "ग्रामीण भूमिहीन" रोजगार गारंटी कार्यक्रमों को सभी राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो रोजगार पाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, दिनों की कुल संख्या, दर्ज

किया गया व्यय तथा प्रत्येक राज्य में बांटे गए खाद्यान्नों के संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस भय से कि राज्य सरकार की 2 रु० प्रति किलो चावल देने की योजना अलोकप्रिय न हो जाए, इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस योजना के अधीन लाभार्थी को चावल 1.85 रु० प्रति किलोग्राम के मूल्य पर दिया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई राज्य सरकार जनता को केन्द्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित कर सकती है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे विशिष्ट परियोजनाएं तैयार करें तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की केन्द्रीय संस्वीकृति समिति के अनुमोदन तथा संस्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें। अब तक मेघालय राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दिल्ली तथा लक्षद्वीप के केन्द्र शासित क्षेत्रों को छोड़ कर सभी राज्यों से कुछ परियोजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति के अनुमोदन हेतु प्राप्त हुई है।

(ख) रोजगार पाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, दिनों की कुल संख्या, दर्ज किया गया व्यय तथा प्रत्येक राज्य में बांटे गए खाद्यान्नों की मात्रा के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि यह कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया है।

(ग) से (ङ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु 7833.78 लाख रुपये की अनुमानित लागत की दो परियोजनाएं प्रस्तुत की थी। इन परियोजनाओं को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति द्वारा 24 जनवरी, 1984 को हुई बैठक में स्वीकृति दे दी गई है। 3 फरवरी, 1984 को राज्य सरकार को 990.0 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। इसके अलावा, 14 फरवरी, 84 को राज्य सरकार को 600 मीटरी टन चावल की मात्रा बंटित की गई है। कार्यान्वयन के बारे में प्रगति रिपोर्ट मार्च, 1984 के बाद प्राप्त होंगी।

भूतपूर्व मंत्रियों/भूतपूर्व संसद सदस्यों पर बकाया धनराशि

4806. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1984 को भूतपूर्व मंत्रियों/भूतपूर्व संसद सदस्यों पर मंत्री अथवा सदस्य न रहने पर भी राजधानी में सरकारी आवास में रहने के लिए किराए की कितनी धनराशि बकाया है ;

(ख) अभी भी किन-किन भूतपूर्व मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के पास सरकारी आवास हैं तथा

उनके आवासों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन मामलों में इन बंगलों में रह रहे व्यक्तियों के बंगलों को या तो राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार में लिया गया है और जिनमें उन्होंने राज्यपाल अथवा केन्द्रीय सरकार के सरकारी उपक्रमों का कार्यालय स्थापित कर लिया है और इन सरकारी अथवा सरकारी उपक्रमों से प्रत्येक बंगले आदि के लिए कितना किराया वसूल किया गया तथा इस बारे में पट्टे की अवधि तथा उसको विनियमित करने वाली अन्य शर्तें क्या हैं ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल के आरालम फार्म में हड़ताल

4807. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के आरालम फार्म के श्रमिकों द्वारा 6 अगस्त, 1983 को सांकेतिक हड़ताल की गई थी ;

(ख) श्रमिकों द्वारा क्या-क्या मांगें उठाई गईं ;

(ग) सरकार द्वारा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा सरकार द्वारा किन-किन मांगों को मंजूर किया गया है ; और

(घ) यदि कोई मांग मंजूर नहीं की गई है तो कोई कदम न उठाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) श्रमिकों की निम्नलिखित मांगें थीं :—

1. श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा संबंधी सुविधाएं।
2. विभिन्न पदों पर दैनिक श्रमिकों की शैक्षिक योग्यताओं तथा अनुभव में छूट देकर नियुक्ति करना,
3. मजदूरी में वृद्धि करना,
4. दैनिक श्रमिकों को नियमित करना,
5. 15 प्रतिशत की दर से बोनस की अदायगी।
6. श्रमिकों के लिए आवास व्यवस्था।

(ग) और (घ) : केरल स्थित आरालम फार्म का प्रबन्ध भारतीय राज्य फार्म निगम लि० द्वारा

किया जाता है। निगम ने निम्नलिखित बातें मान ली हैं :—

1. श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करना,

2. उपयुक्त मामलों में निगम के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यताओं में छूट,

3. आरालम फार्म के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी के अलावा एक रुपए का भुगतान

4. पूरे वर्ष में कार्य की उपलब्धि के आधार पर दैनिक श्रमिकों को नियमित करना। निगम बोनस अदायगी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने श्रमिकों को बोनस की अदायगी कर रहा है तथा श्रमिकों को मकान प्रदान करने के लिए यथा सम्भव प्रयास किए जाते हैं।

उड़ीसा में वनों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

4808. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को वनों के विकास के लिए 1982-83 और 1983-84 के दौरान कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कितनी सहायता राशि का उपयोग किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि धनराशि की कमी के कारण वनों के विकास का कार्य अवरुद्ध हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान ग्रामीण जलावन लकड़ी वनरोपण सहित सामाजिक वानिकी की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता तथा उड़ीसा राज्य द्वारा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए)

वर्ष	निर्मुक्त की गई राशि	उपयोग की गई राशि
1982-83	56.88	54.42
1983-84	56.65	60.00 (प्रत्याशित)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए उड़ीसा को अनुदान

4809. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार को वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान ब्लाक ऋणों के रूप में सहायता अनुदान की कुल कितनी राशि दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं के लिए नियत अनुदान की राशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार की वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए में)

1982-83

1. राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

	ऋण	**अनुदान**	**जोड़**
(क) सामान्य योजना	9133·152	3914.208	13047.360
(ख) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1041.98	446.57	1488.55
2. (एक) प्राकृतिक आपदाओं के लिए अग्रिम योजनागत सहायता	1405.27	805.27	2210.54
(दो) योजना-भिन्न अनुदान	—	12158.15	12158.15

1983-84

(क) सामान्य योजना	9707.845	4160.505	13868.350
(ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए अग्रिम योजनागत सहायता	910.00	390.00	1300.00
(ग) योजना-भिन्न अनुदान	—	1500.00	1500.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सिंचाई मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्कीमों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता की व्यवस्था की गई है :—

(लाख रुपए)

	1982-83	1983-84
रंगली परियोजना का बाढ़ नियन्त्रक घटक	385	300
आठ बाढ़ नियन्त्रण स्कीमें	—	20

इसके बाद, पुनर्वास मन्त्रालय ने उड़ीसा सरकार को पोत्तेरु सिंचाई परियोजना पर उनके द्वारा किए गए खर्चे की प्रतिपूर्ति के लिए 1982-83 तथा 1983-84 के वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 7-7 करोड़ रुपए सहायता अनुदान दिया है।

(ख) और (ग) राज्यों की केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा वह किसी विशेष स्कीम या विकास के क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं होती है। राज्य सरकारें इन परियोजनाओं/स्कीमों की वित्त-व्यवस्था अपनी विकास की प्राथमिकताओं के आधार पर करती हैं।

रंगाली परियोजना के बाढ़ नियन्त्रण घटक तथा अन्य बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों को ऋण सहायता तभी दी जाती है जब राज्य सरकार कार्य की प्रगति तथा पूर्ण उपयोगिता की सम्भाव्यता को सुनिश्चित कर लेती है। पोत्तेरु सिंचाई परियोजना के लिए उड़ीसा सरकार की सहायता अनुदान के रूप में की गई अदायगी उनके द्वारा पहले से ही किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में है।

भूमि सुधार योजना के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को वित्तीय सहायता

4810. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान अब तक उड़ीसा राज्य को भूमि सुधार योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटियों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत उड़ीसा को वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 (फरवरी, 1984 तक) के लिए क्रमशः 11,33,879 रुपये और 9,21,021 रुपये दिए गए थे।

बासमती चावल का उत्पादन तथा निर्यात

4811. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ तथा मध्य पूर्व देशों को बासमती चावल का भारी मात्रा

में निर्यात किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 की अवधि के दौरान इस किस्म के चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस किस्म के चावल का उत्पादन करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा देश में लोगों के उपयोग वाली लोकप्रिय सस्ती किस्म के चावल की उपेक्षा की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय ने बासमती चावल के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े पृथक से एकत्र नहीं किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

ग्रामीण निर्धनों के मकान के लिए स्थल और निर्माण सहायता प्रदान करना

4812. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण निर्धनों को मकान के लिए स्थल और निर्माण सहायता प्रदान करने तथा गन्दी बस्तियों के वातावरण को सुधारने पर अत्यधिक बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू योजना अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1984-85 में उपरोक्त प्रयोजन के लिए किए जाने वाले वित्तीय आबंटन का ब्यौरा क्या है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) छठी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 68 लाख परिवारों को आवास स्थल तथा 36 लाख परिवारों को निर्माण सहायता मुहैया करने का विचार है। छठी योजना में 100 लाख मलिन बस्ती निवासियों को लाभान्वित करने पर भी विचार किया गया है।

(ग) दोनों ही योजनाएं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में हैं तथा केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समेकित ऋण एवं समेकित अनुदान मुहैया करती है।

मंजूरी के लिए लंबित पड़ी राजस्थान की सिंचाई योजनाएं

4813. **श्री भीखा भाई** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की पृथक्-पृथक् कितनी प्रमुख और मध्यम सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय जल आयोग के पास लंबित पड़ी हैं ; और

(ख) मंजूरी कब तक दिए जाने की आशा है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने 8 बृहद और 12 मध्यम सिंचाई स्कीमों की परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय जल आयोग को तकनीकी जांच तथा योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की थीं।

इन स्कीमों का जिला-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

	बृहद	मध्यम
1. बूंदी	1	1
2. सिरोही	—	1
3. झालावाड़	1	3
4. कोटा	—	5
5. सवाई माधोपुर	1	1
6. भीलवाड़ा	1	—
7. गंगानगर	1	—
8. जालोर	—	1
9. चित्तोड़गढ़	1	—
10. कोटा, बूंदी तथा सवाई माधोपुर को लाभ देने वाली	1	1
11. टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर को लाभ देने वाली	1	—
	8	12

अन्तिम स्वीकृति, केन्द्रीय जल आयोग/योजना आयोग की सलाहकार समिति की टिप्पणियों की राज्य द्वारा अनुपालना की गति और योजनाओं में परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए राज्य के वित्त विभाग की सहमति की सूचना देने पर निर्भर करती है।

डूंगरपुर में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम

4814. **श्री भीखा भाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डूंगरपुर के आदिवासी जिले में गोदाम की व्यवस्था के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला विचार के किस चरण तक पहुंचा है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान राज्य भाण्डागार निगम ने डूंगरपुर में प्रारम्भ में 1,800 मीटरी टन की क्षमता के भण्डारण गोदाम का निर्माण करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है। अतः भारतीय खाद्य निगम वहां किसी भण्डारण क्षमता का निर्माण करना आवश्यक नहीं समझता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को फ्लैटों/मकानों का आबंटन

4815. **श्री भीखा भाई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार तथा श्रेणी वार कितने फ्लैटों/मकानों का आबंटन किया गया है ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए पंजीकरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए अलग-अलग कितने फ्लैट आरक्षित रखे गए थे ; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को दिए जाने वाले फ्लैटों में प्रत्येक श्रेणी में कितनी कमी रही ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में (उप मंत्री श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को किए गए आबंटन निम्न प्रकार हैं :—

सामान्य आवास योजना

	1979	1980	1981	1982	1983
मध्यम आय वर्ग	49	25	14	37	7
निम्न आय वर्ग	99	19	130	122	18
जनता	249	403	272	359	106

नई पद्धति योजना-1979 (हुडको)

मध्यम आर्य वर्ग	—	—	216	130	834
निम्न आय वर्ग	—	—	246	899	944
जनता	—	—	822	1166	681

स्ववित्त पोषित योजना

	31	22	29	71	191

स्ववित्त पोषित योजना में कोई वर्गवार रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) पंजीकरण के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। आबंटन/नियतन के समय उनके लिए 25 प्रतिशत फ्लैट आरक्षित किए जाते हैं।

(ग) कोई कमी नहीं है। अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के जिन लोगों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अपना नाम पंजीकृत कराया था और जब भी आवेदन पत्र आमंत्रित करने पर उन्होंने आवेदन किया उन सभी को फ्लैट आबंटित कर दिए गए थे बशर्ते कि लाटरी में उनका नाम निकला हो।

नर्मदा परियोजना की प्रगति

4816. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री मोहन लाल पटेल :

क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था ;

(ख) इस परियोजना के पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ;

(ग) क्या यह सच है कि नर्मदा परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति बहुत धीमी है ;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ङ) इस परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सम्भवत: गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना का उल्लेख किया गया है। इस परियोजना पर निर्माण-कार्य 1980 में शुरू किए गए थे।

(ख) 1981-82 को मूल वर्ष मानकर नहर प्रणाली सहित सरदार सरोवर परियोजना को 17 वर्ष की अवधि में अर्थात् 1998-99 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) से (ङ) इस नई बृहद परियोजना के कार्यान्वियन के लिए गुजरात सरकार जो निधियां उपलब्ध करा सकी है, उसको देखते हुए परियोजना पर किए गए निर्माण कार्यों की प्रगति अब तक संतोषजनक है।

सरदार सरोवर परियोजना को विश्व बैंक की सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है। बैंक के दलों द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जा चुका है तथा अन्तिम निर्णय लेने में अब अधिक समय नहीं लगेगा। परियोजना के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने के उद्देश्य से, राज्य ने नर्मदा विकास विभाग नामक एक पृथक् विभाग का सृजन किया है।

गुजरात में लगाए गए नलकूप

4817. **श्री अमर सिंह राठवा : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान सिंचाई कार्यों के लिए गुजरात राज्य के प्रत्येक जिले में कितने नलकूप लगाए गए हैं ;

(ख) सिंचाई सुविधा देने के सम्बन्ध में सबसे पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में कितने नलकूप लगाए गए हैं ; और

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान गुजरात राज्य में ट्यूबवैल नदी उठाऊ परियोजना आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है और इस कार्य के लिए केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी गई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) गुजरात सरकार द्वारा अपने लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा किसानों द्वारा निजी रूप से भी सिंचाई कार्यों के लिए नलकूप लगाए गए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, गुजरात में पिछले तीन वर्षों में लगाए गए सरकारी नलकूपों की संख्या निम्नानुसार है :—

1981-82	1982-83	1983-84 (संभावित)
259	225	350

जिलावार सूचना तथा विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में लगाए गए नलकूपों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1982 तक सिंचाई कार्यों के लिए सरकार तथा निजी रूप से लगाए गए कुल नलकूपों की संख्या 8862 है। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकार के 1984-85 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम में निर्माणाधीन नलकूपों को पूरा करने तथा नए नलकूपों का निर्माण करने की परिकल्पना है। ब्यौरा निम्नानुसार है :—

मद	1984-85 की वार्षिक योजना में प्रस्तावित राशि (लाख रुपए में)
चालू परियोजनाएं	
1. निर्माणाधीन 100 नलकूपों को पूरा करना	30.0
नए कार्यक्रम	
2. नए 150 नलकूप (नवार्ड स्कीम)	102.0
3. पिछड़े क्षेत्र तथा खाखरिया ताप्पा विशेष नलकूप-40	80.0
4. मेहसान जिले तथा उसके इतर नलकूपों की रिड्रिलिंग (20 नलकूप)	34.0

संविधान के अन्तर्गत 'जल' एक राज्य विषय है। इसलिए नलकूपों की स्थापना तथा नदी लिफ्ट परियोजनाएं जहां भी व्यवहार्य हों गुजरात सरकार द्वारा अपने लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की जाती हैं। राज्य सरकार, सहकारी लिफ्ट सिंचाई स्कीमों की सोसायटियों के माध्यम से, जिन्हें कुल परियोजना लागत का लगभग 45 प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है, हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहन देती है। आदिवासी किसानों के मामले में यह आर्थिक सहायता 75 प्रतिशत है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को ब्लाक ऋण तथा, अनुदान देती है जो किसी विशिष्ट परियोजना या विकास के क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं होती। तथापि, देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता देने की दृष्टि से 1983-84 के दौरान 250 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम स्वीकृत की गई है। इसमें केन्द्र तथा राज्यों का आधा-आधा हिस्सा होगा। इस स्कीम के अन्तर्गत, 5.0 लाख रुपए प्रति ब्लाक के औसतन परिव्यय में से 3.5 लाख रुपए छोटे तथा सीमांत किसानों को एकीकृत ग्राम विकास प्रक्रिया के अनुसार सामुदायिक स्कीमों सहित, खुदाई-कुएं, उथले नलकूप या फिल्टर प्वाइन्ट्स के निर्माण, कुएं खोदने और उन्हें गहरा करने तथा पम्पसेटों की खरीद जैसे लघु सिंचाई कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देने में खर्च किए जायेंगे।

विवरण

1982 तक कुल नलकूपों की संख्या

जिला	निजी नलकूपों की कुल संख्या	सरकारी नलकूपों की कुल संख्या	गुजरात जल संसाधन विकास निगम लि० के नलकूपों की कुल संख्या	कुल जोड़
1	2	3	4	5
अहमदाबाद	553	169	162	894
बंसकंठा	376	106	755	1237
बड़ोदा	104	58	343	505
बुलसाड	11	—	—	11
बड़ौच	61	45	375	481
कैरा	211	113	618	942
मेहसाना	3199	433	277	3409
पंचमहल	—	1	—	1

1	2	3	4	5
साबरकंठा	159	31	54	244
सूरत	15	—	—	—
अम्रेली	—	—	—	—
भावनगर	12	—	—	12
जामनगर	—	—	—	—
जूनागढ़	4	—	—	4
कच्छ	100	65	190	355
राजकोट	6	—	—	6
सुरिन्दरनगर	18	2	100	120
गांधीनगर	54	72	—	126
दांग	—	—	—	—
	4883	1105	2874	8862

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बरेली स्थित संस्थान में पशुओं को शीरा खिलाया जाना

4818. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के बरेली स्थित संस्थान में 1980 से 1982 के बीच पशुओं को शीरा खिलाने की व्यवस्था में इसकी खरीद, भण्डारण और इसकी ढुलाई आदि में कदाचार हुआ तथा संकर नस्ल के कीमती पशुओं को इसकी अधिक मात्रा खिलाई गई किन्तु अभी तक इसकी जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है ;

(ख) वर्ष-वार शीरा की कितनी मात्रा खरीदी गई, इसका मूल्य तथा लागत सहित इसकी ढुलाई का साधन प्रयोग की अनुसूचित, मासिक खाद दर क्या थी तथा इसकी तुलना में तदनुसार पशुओं से कितना दूध प्राप्त हुआ ;

(ग) क्या यह सच है कि इसकी जांच की गई थी और यदि हां, तो जांच अधिकारी, जांच की

अवधि, निष्कर्ष तथा की गई कार्रवाई का विवरण क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कथित संस्थान तथा आई० सी० ए० आर० मुख्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का इस मामले की जांच के लिए एक न्यायिक समिति का गठन करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) संस्थान में शीरे की आपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए परमिटों के अनुरूप प्राप्त की गयी थी और इसे बरेली स्थित चीनी फैक्टरी से भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, परिसर, इज्जतनगर में टैंकरों द्वारा लाया गया था। मार्च, 1981 में छद्मनामी शिकायत मिली थी, जिसमें वर्ष 1978-79/ 1979-80 के दौरान इसकी प्राप्ति, भण्डारण और परिवहन में बरती गयीं अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। फिर भी, उस शिकायत में वर्ष 1980 से 82 के बीच संकर नस्ल के महंगे गोपशुओं को शीरे को अधिक मात्रा में खिलाने से सम्बन्धित कोई आरोप नहीं लगाये गये थे।

(ख) (1) वर्ष 1980 से 82 तक वर्षवार प्राप्त किये गये शीरे की मात्रा परिवहन के तरीके सहित इसके मूल्य और लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(2) शीरे का मासिक उपभोग, दुग्ध उत्पादन और प्रतिदिन दूध देने वाले पशुओं की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पशुओं को खिलाया गया शीरा यथेच्छ था।

(ग) महालेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के लेखा परीक्षा दल ने जब 1979-80 वर्ष के लिए इस संस्थान के लेखों का लेखा परीक्षण किया था वो उसने फरवरी-मार्च, 1980 की अवधि के दौरान शीरे की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच की थी, जिन्हें प्रभारी अधिकारी, एल० पी० आर० (सी० और बी०) ने उनको उपलब्ध कराया था। उन अभिलेखों को देखने और प्रभारी अधिकारी, एल० पी० आर० द्वारा उनकी लेखा परीक्षा टिप्पणी के लिए दिये गये जवाब के बाद लेखा परीक्षा दल ने वर्ष 1979-80 की अपनी अन्तिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इसे शामिल करना उचित नहीं समझा तथा इस मामले को छोड़ दिया गया। आरोपों को साबित करने के किसी भी सीधे अथवा समानान्तर साक्ष्य के अभाव में जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

पालघाट, केरल में जल प्रबन्ध योजना

4819. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन पालघाट, केरल में जल प्रबन्ध योजना शुरू करने तथा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना का एक उप-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इनके स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

विवरण

शीरे की प्राप्ति/उपभोग, लागत तथा परिवहन का तरीका

वर्ष	शेष (क्विं०)	खरीद (क्विं०)	उपभोग (क्विं०)	भाव/** क्विं० (रु०)	परिवहन की दर/ क्विं० (रु०)	परिवहन का तरीका	परिवहन खर्च को निकाल-कर शीरे की लागत (रु०)
1980	311.00	2432.50	2583.50	7.32	3.50[1] और 3.75[2] (एच० आर० चीनी फैक्टरी, बरेली से)	ट्रक-टैंकर, ड्रम	17802.25
1981	160.00	9.00*	169.00	—	—	—	—
1982	शून्य	5842.20	5806.15	9.15	7.25 (तिलहार से)	ट्रक-टैंकर	53124.90

* आहार प्रौद्योगिकी यूनिट से स्थानान्तरण किया गया।

** सभी करों सहित।

1. 2000 क्विंटल के लिए
2. 1000 क्विंटल के लिए

शीरे का मासिक उपभोग, कुल दुग्ध उत्पादन और दुधारू गायों की औसत संख्या

महीना	उपभोगित शीरा (क्विं०)	दुग्ध उत्पादन 1980 (किग्रा०)	दुधारू गायें	उपभोगित शीरा (क्विं०)	दुग्ध उत्पादन 1981 (किग्रा०)	दुधारू गायें	उपभोगित शीरा (क्विं०)	दुग्ध उत्पादन 1982 (किग्रा०)	दुधारू गायें
जनवरी	287.00	67449.0	349	159.00	71826.1	371	—	77793.0	353
फरवरी	400.00	63666.6	352	7.00	64557.5	379	—	69869.7	356
मार्च	475.00	69568.4	320	—	68043.3	388	—	76270.7	358
अप्रैल	232.00	66885.4	332	3.00	63690.0	383	475.12	68837.7	371
मई	492.00	71984.6	343	—	65240.0	377	1291.00	74507.0	385
जून	76.00	60981.6	341	—	59528.5	376	1286.00	64889.0	385
जुलाई	8.00	56052.5	348	—	54657.7	326	1182.00	63760.8	383
अगस्त	—	51406.0	341	—	51761.0	315	577.00	60334.3	379
सितम्बर	96.50	47987.8	336	—	51815.8	327	385.00	56673.3	378
अक्तूबर	235.00	46855.7	332	—	55720.8	335	314.00	59276.1	366
नवम्बर	88.00	52521.2	336	—	59151.3	334	160.00	53803.1	378
दिसम्बर	193.50	59072.7	361	—	66542.9	338	154.00	59386.9	381

(ग) इन्हें अविलम्ब स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) जी हां, श्रीमान्। केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वयन हेतु 21.72 लाख रु० के परिव्यय से 28 फरवरी, 1983 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रस्ताव पर यथावत विचार किया गया था तथा उसे पहले ही स्वीकृति दे दी गई थी। प्रायोजना में, जैसे कि स्वीकृति दी गई थी, वर्तमान चालाकूडी, थम्बेरमुझी तथा अलाथूर केन्द्रों में जल प्रबन्ध कार्यक्रम को हाथ में लेने के अतिरिक्त पालघाट जिले के इरूथामपाथी में नये केन्द्र की स्थापना पर विचार किया गया।

(ख) तथा (ग) इरूथामपाथी में केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पर्याप्त भूमि सुविधाएं प्राप्त की जानी थी, क्योंकि पालघाट जिले में केन्द्र को नये रूप में स्थापित किया जाना है। उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। जैसे ही केरल कृषि विश्वविद्यालय को भूमि प्राप्त हो जाती है वैसे ही प्रायोजना के संघटक को कार्यान्वित किया जायेगा।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवारों को ऋण

4820. **श्री रामलाल राही** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उन लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है, जिन्हें अब तक ऋण दिए गए हैं और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में दिए गये ऋण सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) भारत सरकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम पहले से ही कार्यान्वित कर रही है जिसके अन्तर्गत गरीबी की सीमा रेखा से नीचे बसर कर रहे लक्षित वर्ग के परिवारों को उपदान तथा ऋण दिए जा रहे है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में दिए गए ऋण निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	वितरित किए गए आवधिक ऋण (लाख रुपये में)
1981-82	225.00
1982-83	412.00
1983-84	313.46

(फरवरी, 1984 तक)

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभभोगियों की संख्या तथा 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च, 1983 तक दिए गए ऋण की धनराशि को राज्य-वार दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	सहायता प्राप्त लाभभोगियों की संख्या	वितरित किया गया आबधिक ऋण (लाख रु० में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	690112	13788.72
2.	असम	82044	1290.66
3.	बिहार	891153	12118.82
4.	गुजरात	395382	6062.56
5.	हरियाणा	285831	2574.03
6.	हिमाचल प्रदेश	128722	1294.81
7.	जम्मू और काश्मीर	72481	1100.12
8.	कर्नाटक	330222	6842.83
9.	केरल	304718	6286.46
10	मध्य प्रदेश	779731	16421.71
11.	महाराष्ट्र	472191	11009.40
12.	मणिपुर	14753	3.59
13.	मेघालय	18769	—
14.	नागालैण्ड	29296	—
15.	उड़ीसा	491569	7198.31
16.	पंजाब	248663	4039.68

1 2	3	4
17. राजस्थान	387661	7539.93
18. सिक्कम	3449	14.24
19. तमिलनाडु	885111	13989.83
20. त्रिपुरा	30274	579.03
21. उत्तर प्रदेश	2094126	32528.53
22. पश्चिम बंगाल	200360	1773.95
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73	—
24. अरुणाचली प्रदेश	22342	—
25. चंडीगढ़	405	—
26. दादरां और नगर हवेली	249	4.48
27. दिल्ली	9628	221.75
28. गोआ, दमन और दीव	16992	314.34
29. लक्षद्वीप	312	—
30. मिजोरम	4169	—
31. पांडिचेरी	4834	64.40
	88,95,612	1470,62.18

सीतापुर के किसानों को उर्वरकों की सप्लाई

4821. **श्री रामलाल राही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर भारत के सीतापुर और हरदोई जिलों में मूंगफली की अधिकतम उपज को देखते हुए वहां के किसानों को रियायती दरों पर फास्फेटिक उर्वरक और जिप्सम देने का है ;

(ख) यदि हां तो यह सप्लाई कितने समय में कर दी जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना की विशेष परियोजनाओं के तहत लाए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्रों में किसानों को उपलब्ध की जाने वाली फास्फेटिक उर्वरक तथा जिप्सम पर राज सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है। मूंगफली सम्बन्धी विशेष परियोजना के अन्तर्गत आध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के राज्य लिए गए हैं। फिर भी, उत्तर प्रदेश में मूंगफली विकास कार्यक्रम को राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के सघन तिलहन विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सघन तिलहन विकास कार्यक्रम में फास्फेटिक उर्वरक तथा जिप्सम पर राज सहायता की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि 1984-85 में बीज तथा उर्वरकों के मिनीकिटों को सघन तिलहन विकास कार्यक्रम के तहत मुहैय्या करने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश राज्य में सीतापुर और हरदोई जिले मूंगफली उत्पादन के लिए सक्षम हैं। इन जिलों को 1984-85 के दौरान सघन तिलहन विकास कार्यक्रम के तहत लाने का प्रस्ताव है।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की उपलब्धियां

4822. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1979-80, 1980-81 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के वास्तविक लक्ष्य पूरा करने में काफी गिरावट आई है ;

(ख) क्या सरकार 1981-82 के कार्य-निष्पादन से संतुष्ट है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का निर्णय लिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) वर्ष 1979-80 से लेकर 1982-83 के दौरान मुख्यतः फसल उगाना, सिंचाई, पशुपालन और डेयरी विकास जैसे कुछेक क्षेत्रों में लक्ष्यों को प्राप्त करने में गिरावट देखने में आई है। यह गिरावट मुख्यतः कुछ क्षेत्रों में विद्यमान अभूतपूर्व सूखे की स्थिति, पर्याप्त ऋण सुविधाओं तथा निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता, सिंचाई कार्यों के निर्माण के लिए भूमि अर्जन में विलम्ब, लाभभोगी उन्मुख योजनाओं के कार्यान्वयन में निष्पादन एजेन्सियों की पहले से व्यस्तता के कारण थी।

(ग) अभी तक जुटाए गए निवेशों को देखते हुए इस कार्यक्रम का निष्पादन कुल मिलाकर संतोष जनक है। इसके कार्यान्वयन की सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ लगातार पुनरीक्षा की जा रही है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाती है कि जहां आवश्यक हो, उपचारी कदम उठाएं।

ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

4823. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में भाग लेने से वंचित

रखा जाता है और इस प्रकार भारत अच्छे खिलाड़ियों से वंचित रह जाता है ;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ; और

(ग) उन विभिन्न खेलों का ब्यौरा क्या है, जिनमें भाग लेने पर खिलाड़ियों को धन दिया जाता है और इस सम्बन्ध में विभिन्न भारतीय खिलाड़ियों की क्या स्थिति है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय ग्रामीण खेल कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर, प्रतियोगितायें आयोजित करने के लिए, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, खेलों में प्रतिभाशाली छात्र, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी शामिल हैं, छात्रवृत्तियों के लिए पात्र हैं । केन्द्रीय सरकार, राज्य खेल परिषदों को ग्रामीण खेल केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुदान की योजना के अन्तर्गत भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) सरकार खिलाड़ियों को किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई धनराशि नहीं देती है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभान्वित व्यक्तियों की आय में वृद्धि

4824. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभान्वित व्यक्तियों की आय में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के लाभान्वित व्यक्तियों की आय में वृद्धि की दर क्या है ;

(ग) यदि कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इन कारणों को सुनिश्चित करने के कोई प्रभावशाली तरीके अपनाये हैं ;

(ङ) क्या सरकार इस कार्यक्रम में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए कोई कदम उठा रही है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राज्य सरकारों द्वारा किये गए कुछेक अध्ययनों से पता चलता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभभोगियों की आय में वृद्धि हुई है ।

(ख) मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में किए गए किसी विशिष्ट अध्ययन के बारे में भारत सरकार

को जानकारी नहीं है।

(ग) से (च) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठते।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवारों को दिया गया लाभ

4825. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक जिले में ऐसे विकास खण्डों की संख्या कितनी है जिनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 600 परिवारों को लाभ दिया गया है ;

(ख) उन राज्यों तथा जिलों की संख्या कितनी है जिन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकतम लाभ दिया गया है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में 600 परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पहुंचाया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत प्रति वर्ष 600 परिवारों को सहायता दी जाती है, मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के सभी खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सहाय्यित परिवारों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। मध्य प्रदेश में लक्ष्य के मुकाबले में सहायता प्राप्त परिवारों की प्रतिशतता लगभग 94.6 प्रतिशत बनती है। खण्ड-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों पर बल दिया गया है कि वे पूरे लक्ष्य को प्राप्त करें।

विवरण

मध्य प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहाय्यित परिवारों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	वर्ष	खण्डों की संख्या	प्रति वर्ष प्रति खण्ड 600 परिवारों की दर से लक्ष्य	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या
1.	1980-81	458	274800	234000
2.	1981-82	458	274800	231861
3.	1982-83	458	274800	313870
		1374	824400	779731 (94.6 प्रतिशत)

जिला और खण्ड स्तर पर स्टेडियम की स्थापना का निर्णय

4826. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा भारतीय खेल प्राधिकरण ने देश में राज्यों/खेल अथवा ग्रामीण कल्याण/विकास संगठनों के अंशदान से अथवा बिना उसके स्टेडियम की स्थापना का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं को किस प्रकार वित्त पोषित किया जाएगा ;

(ग) क्या नई योजना के अन्तर्गत ऐसे किसी स्टेडियम का निर्माण किया गया है/मंजूरी दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या 1984-85 के दौरान ऐसी कोई परियोजना प्रारम्भ की जाएगी और यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार आवंटन क्या है ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ङ) यद्यपि केवल जिला और खण्ड स्तर पर स्टेडियमों की स्थापना अथवा इस प्रयोजनार्थ एक नयी योजना चलाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, फिर भी केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत पहले ही राज्य खेल परिषदों को अनुदान देने की एक योजना विद्यमान है जिसके अन्तर्गत ये स्टेडियमों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। खेल एक राज्य विषय होने के नाते यह मुख्यतया राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्दर स्टेडियमों का निर्माण करें। तथापि, 1 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता, बराबरी के आधार पर, स्टेडियमों के निर्माण के लिए स्वीकृत की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में, अनुमानित व्यय के 75 प्रतिशत के आधार पर 2.5 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती हैं। योजना के अन्तर्गत धनराशि का राज्यवार आवंटन उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, खेल स्टेडियम पहले ही देश के 116 जिलों में विद्यमान हैं।

मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति-2 में हुई प्रगति

4827. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा 1983 तक मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति-2 दुग्ध योजना के अन्तर्गत क्या प्रगति की गई है ;

(ख) 1984 और 1985 के दौरान विकास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कौन-कौन से क्षेत्र चुने गए हैं ;

(ग) मध्य प्रदेश के राजगढ़ गुना और विदिशा जिलों में कितने (1) निरोगीकरण प्रशीतक संयंत्र, (2) डेरी निगम, (3) दुग्ध संग्रह केन्द्र आरम्भ किए गए हैं ; और

(घ) जिलावार कितने पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिसम्बर, 1983 तक हुई प्रगति निम्न प्रकार है :—

(1)	गठित की गई डेरी सहकारी समितियां :	12 2
(2)	कृषक सदस्यों की संख्या	68,000
(3)	खरीदे गए दूध की मात्रा	2,48000
		(कि०ग्रा० प्रतिदिन)

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) राजगढ़, गुना और बिदिशा आपरेशन फ्लड-2 कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं किए गए हैं।

संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1956 के अधीन उल्लंघन के मामले

4828. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1979 तक सम्बन्धित सभी राज्यों (संघ शासित क्षेत्रों सहित) में सरकार को संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के उल्लंघन के कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है अथवा प्राधिकारियों ने ऐसे कितने मामले पकड़े हैं ;

(ख) उल्लंघन किस प्रकार के थे और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इनमें से कितने मामले मन्त्रालयों द्वारा अथवा सम्बन्धित विभागों और पुलिस विभाग द्वारा पकड़े गए और जनता अथवा अलग-अलग व्यक्तियों ने कितने मामलों की रिपोर्ट दी है ; और

(घ) इनमें से कितने मामलों में राष्ट्र, ध्वज राष्ट्र प्रतीक अशोक चक्र और छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मागांधी जी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधान मन्त्री, संसद भवन, अशोक चक्र अथवा धर्म चक्र, राज्य विधान मण्डल सदनों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नामों अथवा उनके चित्रों के सम्बन्ध में उल्लंघन किया गया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री संजीवी राव) : (क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सभी राज्यों में श्वेत क्रांति-दो शुरू करने का प्रस्ताव

4829. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में श्वेत क्रांति-दो कार्यक्रम शुरू करने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त कार्यक्रम अभी तक सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में शुरू नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में, जहां अभी तक श्वेत क्रांति-दो कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है, यह कार्यक्रम लागू करने में देरी के क्या कारण हैं ;

(घ) उन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम क्या है जहां ऐसा कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है ; और

(ङ) जिन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है वहां इसकी प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 22 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों की आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। जिसका ब्यौरा निम्नलिखि हैं—

असम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, गोवा, दमन आर दीव, अण्डमान निकोबार, पांडिचेरी और मिजोरम।

(ग) आधुनिक डेरी उद्योग के लिए दुग्ध हेतु उनकी क्षमता के आधार पर राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा पहचाने गए लगभग 155 दुग्धशाला जिलों को आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत लाया जायेगा।

(घ) कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर दिसम्बर 1983 तक आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत लाए गए सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

(ङ) दिसम्बर, 1983 तक प्राप्त किए गए कार्यक्रम के चुनींदा महत्वपूर्ण घटकों की वास्तविक प्रगति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

31-12-1983 तक आपरेशन फ्लड-2 के तहत उपलब्ध वास्तविक प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	घटक	दिसम्बर, 1983 तक की उपलब्धि
1.	संगठित समितियां (हजार में)	23.32
2.	शामिल की गई दुग्धशालाएं	92
3.	कृषक सदस्य (लाख)	25.23
4.	ग्रामीण डेरी परिसंस्करण क्षमताएं (एल० एल० पी० डी०)	55.74
5.	दुग्ध अधिप्राप्ति (औसत एल० के० पी० डी०)	49.14 (दिस० 83)
6.	पशु आहार मिश्रित क्षमता (मी० टन 1 दिन)	2455
7.	ए आई के अन्तर्गत समितियों की संख्या	5058
8.	किए गए कृत्रिम गर्भाधान (ए आई) की संख्या (हजार में वार्षिक)	487.35 (अप्रैल 83-दिस० 83)
9.	पैदा हुई बछड़ियों की संख्या (हजार में)	68.42 (अप्रैल 83-दिस० 83)
10.	श्रेणी 1 नगरों और छोटे शहरों में किया गया (एल० एल० पी० डी०) औसतन दुग्ध विपणन	11.35 (दिसम्बर 83)
11.	मेट्रो डेरियों द्वारा किया गया (एल० एल० पी० डी०) औसतन दुग्ध का विपणन	27.69
12.	मेट्रो डेरी क्षमता (एल० एल० पी० डी०)	35

टिप्पणी—अन्यथा उल्लिखित आंकड़ों को छोड़कर सभी आंकड़े संचयी है।

एल० एल० पी० डी०—प्रतिदिन लाख लीटर

एल० के० पी० डी० = प्रतिदिन किलोग्राम

उड़ीसा में मिट्टी की अम्लता के कारण कम उत्पादकता

4830. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिट्टी की अम्लता के कारण उड़ीसा में उच्च भूमि के बहुत बड़े क्षेत्रों में उत्पादकता बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने ऐसी भूमि को अधिक अम्लता से बचाने तथा उनमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) उड़ीसा राज्य में उच्च भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र की मिट्टी अधिक अम्लता से प्रभावित है ।

(ख) तथा (ग) 1976-77 से 1978-79 तक उड़ीसा राज्य के संहत क्षेत्रों में अम्ल मिट्टी का सुधार करने सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना चालू की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों के अनुसार, 1979-80 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दी गई थी। इन तीन वर्षों के दौरान, 16.37 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 1980-81 से प्रारम्भ होने वाले पिछले चार वित्तीय वर्षों में सुधार कार्य के लिए 75 लाख रुपए के विशेष राहत अनुदान की व्यवस्था की।

वन अधिनियम के अधीन पाटली बगड़-गण-नाथ मोटर मार्ग के निर्माण के लिए अनुमति

4831. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दल अधिनियम के अधीन पाटली बगड़-गणनाथ मोटर मार्ग के निर्माण के लिए उनके मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पहली बार किस तारीख को प्राप्त हुआ था ;

(ख) उक्त प्रस्ताव को आवश्यक स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) राज्य सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे पहला प्रस्ताव 16-8-1982 को प्राप्त हुआ था और केन्द्रीय सरकार की मंजूरी 23-4-1983 को राज्य सरकार को भेजी गई थी। दूसरा प्रस्ताव 10-11-1983 को प्राप्त हुआ, जो बिलकुल अधूरा था इसलिए उस पर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। इस मामले पर निर्णय तभी लिया जा सकता है जब राज्य सरकार पूरा विवरण भेज दे।

उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडियां

4832. **श्री हरीश रावत** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कृषि उत्पादन मंडियों की संख्या कितनी है तथा कितनी मंडियों

के निर्माण का कार्य चल रहा है ;

(ख) इन मण्डी स्थलों के निर्माण के लिए इस वर्ष कितनी विदेशी सहायता मिलने की संभावना है ;

(ग) क्या इन मण्डी स्थलों पर निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक है ; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य की गति तेज करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकारों को दी जाने वाली आवश्यक सहायता का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रत्येक जिले में स्टेडियम का निर्माण

4833. **श्री हरीश रावत** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी योजना अवधि के दौरान देश के प्रत्येक जिले में एक स्टेडियम का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) देश के कुल कितने जिलों में खेलों के लिए स्टेडियम हैं तथा साथ ही उत्तर प्रदेश के उन जिलों के क्या नाम हैं जहां स्टेडियमों की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश के उन जिलों के क्या नाम हैं जहां भविष्य में स्टेडियमों का निर्माण करने के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं और इस कार्य पर कुल कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सातवीं पंच-वर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने की स्थिति अभी नहीं आई है। तथापि, केन्द्रीय सरकार, पहले ही, राज्य खेल परिषदों को अनुदान की एक योजना चला रही है जिसके अन्तर्गत ये स्टेडियमों के निर्माण, जो अन्य स्थानों के साथ-साथ, जिलों में भी हो सकता है, के लिए सहायता प्रदान करके, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

(ख) गत वर्ष राज्यों में एकत्र की गई सूचना के अनुसार देश के 116 जिलों में खेल स्टेडियम विद्यमान हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के 11 जिले, अर्थात लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, झांसी, बरेली, आगरा इलाहाबाद, बिजनौर, गोरखपुर, गाजीपुर और पिथौड़ागढ़ भी शामिल हैं।

(ग) राज्य सरकार से, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में स्टेडियम निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव, राज्य खेल परिषदों को अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत, 1983-84 के दौरान, प्राप्त नहीं हुआ था।

राजस्थान में कार्यान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाएं

4834 **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी भाग में मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जहां कार्य चल रहा है।

(ख) चित्तौड़गढ़ और कोटा जिलों में किन-किन स्थानों पर निकट भविष्य में मध्य दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) सम्भवतः राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी भाग में चित्तौड़गढ़ तथा कोटा जिलों का जिक्र किया गया है। इन दोनों जिलों को लाभ देने वाली छठी योजना की निर्माणाधीन और नई स्कीमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिला
क.	छठी योजना की निर्माणाधीन स्कीमें	
	बृहद	
1.	चम्बल	कोटा
	मध्यम	
2.	वागोन अपवर्तन	चित्तौड़गढ़
3.	बस्सी	चित्तौड़गढ़
4.	गोसुण्डा	चित्तौड़गढ़
ख.	छठी योजना की नई स्कीमें	
	बृहद	
5.	चम्बल लिफ्ट स्कीम	कोटा
6.	कोटा बराज को ऊंचा करना	कोटा
7.	जवाहर सागर	कोटा
	मध्यम	
8.	बिलास	कोटा
9.	सावन भादों	कोटा

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार ने इन दोनों जिलों को लाभ देने वाली एक नई बृहद तथा 5 मध्यम सिंचाई स्कीमें केन्द्रीय जल आयोग को तकनीकी जांच करने तथा योजना आयोग को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की हैं। ये नई स्कीमें निम्नलिखित हैं :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम	लाभान्वित जिला
क.	बृहद स्कीमें	
1.	गम्भीर नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	चित्तौड़गढ़
ख.	मध्यम स्कीमें	
1.	बरनी सिंचाई	कोटा
2.	लहासी सिंचाई	कोटा
3.	बेधाली सिंचाई	कोटा
4.	चाकेन सिंचाई	कोटा
5.	अलनिया सिंचाई का आधुनिकीकरण	कोटा

सिंचाई एक राज्य-विषय है। राज्य के किसी भाग को लाभ देने के लिए नई स्कीमों से संबंधित सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा परियोजना रिपोर्टों को तैयार करना और क्रियान्वित करना पूर्ण रूप से राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। केन्द्र को इस बात की जानकारी नहीं है कि राजस्थान सरकार उपर्युक्त दोनों जिलों को लाभ देने वाली कोई अन्य स्कीमें तैयार कर रही है या नहीं।

सूखा-राहत उपायों के लिए आन्ध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

4835. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को सूखा-राहत उपायों के लिए कुल कितनी राशि दी है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने हाल ही में अधिक धन के लिए निवेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1983-84 में सूखा राहत के लिए मंजूर की गई 28.26 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता में से चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को अब तक 25 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गयी हैं।

(ख) तथा (ग) उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्मुक्त की जाने वाली शेष धनराशि 1.18

करोड़ रुपए है। यह धनराशि तभी निर्मुक्त की जा सकती है जब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा मांगी गई कतिपय जानकारी राज्य सरकार प्रस्तुत कर दे।

तिलहनों दालों और सब्जियों के अच्छी किस्म के बीजों की कमी

4836. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में तिलहनों, दालों और सब्जियों के अच्छी किस्म के बीजों की कमी संबंधी जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितनी मात्रा में बीजों का उत्पादन होता है और वर्ष 1983-84 में उसमें कितनी वृद्धि की सम्भावना है ; और

(ग) क्या यह सच है कि संसार के कई देशों में भारतीय बीजों की भारी मांग है, यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। देश में तिलहनों, दलहनों तथा सब्जियों के कुछ अच्छी किस्मों के बीजों की कुछ कमी हुई है।

(ख) 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान तिलहनों, दलहनों तथा सब्जियों के बीजों का उत्पादन तथा प्रत्याशित वृद्धि नीचे दी गई है :—

फसल	1982-83 (क्विंटल में)	1983-84 (क्विंटल में प्रत्याशित)	1982-83 की तुलना में प्रत्याशित वृद्धि प्रतिशत
तिलहन	1,64,899	5,98,688	263.06
दलहन	2,07,373	2,57,265	24.06
सब्जिया ×	8,664	22,000	153.92

× टिप्पणी : केवल राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किया गया बीच का उत्पादन।

(ग) जी, हां। निम्नांकित देशों से धान्यों, दलहनों और सब्जियों के बीच की मांग हुई है :

फसल	देश
गेहूं	बंगलादेश, यमन (पी० डी० आर०), यमन (ए० आर०) इन्डोनेशिया, रूस, ओमान, भूटान तथा अफगानिस्तान
धान	नेपाल, ओमान तथा अफगानिस्तान
बाजरा	जाम्बिया तथा ओमान,

सोरघम	यू० के० तथा माल दीप
मक्का	अफगानिस्तान, सीरिया, मालदीप, इराक तथा पूर्वी जर्मनी
दलहन	बारबोड़ास, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान
सब्जिया	बंगलादेश, भूटान, केन्या, सूडान, गुयाना तथा माल दीप

रोहिणी योजना के अन्तर्गत विकसित किए गए प्लाट

4837. **श्री अनवार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत श्रेणी वार कितने प्लाटों को विकसित किया जा रहा है तथा 31 जनवरी, 1984 तक विकसित किये गए प्लाटों की संख्या क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि योजना के अधीन सभी श्रेणियों के प्लाटों के लिए आवेदकों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध प्लाटों की संख्या से कम है और यदि हां, तो बकाया प्लाटों की बिक्री किस प्रकार से की जायेगी ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रोहिणी योजना के अन्तर्गत कुल 16,150 मध्य आय वर्ग, 45900 निम्न आय वर्ग तथा 5 ,000 आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता प्लाटों को विकसित किया जाना है। 31 जनवरी, 1984 तक विकसित प्लाटों के वर्गवार ब्यौरे निम्न-लिखित है :—

मध्यम आय वर्ग	3806
निम्न आय वर्ग	8789
जनता	7794

(ख) योजना में व्यवस्थित प्लाटों की संख्या निम्न आय वर्ग तथा जनता श्रेणी के आवेदकों की अपेक्षा अधिक है। मध्यम आय वर्ग श्रेणी में प्लाटों की संख्या आवेदकों से कम है।

निम्न आय वर्ग तथा जनता श्रेणी के शेष प्लाटों को बेचने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली में गंगा जल की सप्लाई

4838. **श्री अनवार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लोगों को गंगा जल सप्लाई करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) दिल्ली में गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध योजना का ब्यौरा क्या है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि शाहदरा जल शोधन क्षेत्र संयंत्र (भागीरथी) के कुछ भाग पहले ही चालू कर दिए गए हैं तथा यमुनापार क्षेत्र तथा दक्षिणी दिल्ली के भागों को पानी सप्लाई किया जा रहा है।

(ख) संस्थान के अनुसार, उक्त संयंत्र से मार्च, 1984 के अन्त तक 25 एम० जी० डी० पानी सप्लाई करना निर्धारित किया है और शेष मात्रा (75 एम० जी० डी०) 1985 तक उत्तरोत्तर सप्लाई की जाएगी।

दक्षिण दिल्ली के शहरी गांवों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना

4839. **श्री अनवार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण दिल्ली के दस शहरी गांवों जैसे चिराग दिल्ली, जमरूदपुर, कोटला मुबारकपुर आदि को गन्दी बस्ती घोषित करने के विस्तृत कारण क्या हैं ;

(ख) इन 10 शहरी गांवों को गन्दी बस्तियां घोषित करने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनमें दी गई अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है, और इन गांवों के विकास के लिए प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) इन गांवों में नागरिक सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार 10 शहरी गांवों तथा कोटला मुबारकपुर को मलिनबस्ती क्षेत्र घोषित करने का इन क्षेत्रों में मूल-भूत सुविधाओं का अभाव है जिनके कारण इन क्षेत्रों में रह रहे समुदाय की सुरक्षा, स्वास्थ्य , स्वच्छता तथा आदर्श के लिए यह क्षेत्र हानिकारक है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निधियों की उपलब्धता के अनुसार इन सभी गांवों में सभी जनसुविधाएं मुहैया कराये जाने की सम्भावना है।

विवरण

गांव का नाम तथा कार्य	व्यय (रुपए)
1. अरमपुर बाग मोची	
पहुंच मार्ग	95,773.23
फुटपाथ	88,811.65
चौपाल	33,403.59
स्ट्रीट लाईट मुहैया करना	60,785.00
	2,78,773.47

2. हरिनगर आश्रम	
स्ट्रीट लाइट मुहैया करना	33,193.60
3. किलोकरी तथा सिद्धार्थ बस्ती	
चहार दिवारी तथा ग्रिल	2,04,847.35
शौचालय ब्लाक	1,29,781.27
समतल करना तथा दरेसी करना	7,895.25
चौपाल	1,35,884.16
मल निर्यास लाइन	49,364.69
गली में सीमेंट कंक्रीट बिछाना	3,72,428.80
स्ट्रीट लाइट मुहैया करना	45,012.65
	9,45,214.17
4. सराय काले खां गांव नांगली	
समतल तथा दरेसी करना	1,38,135.20
चौपाल	44,059.73
चहार दीवारी	1,57,669.28
नाला	1,30,391.10
सार्वजनिक नल	7,345.94
पटरी बिछाना	2,59,899.75
पहुंच मार्ग	1,34,938-77
स्ट्रीट लाइट	64,212.45
	9,36,652.22
5. चिराग दिल्ली	
जल की मुख्य नांलियां	9,22,478.11
वाटर बाण्ड मेकेडम रोड (जलबद्ध रोड)	1,13,021.03

शौचालय ब्लाक	1,01,337.46
पटरी बिछाना	3,41,833.74
स्ट्रीट लाइट मुहैया करना	93,736.45
	15,72,406.79

6. गढ़ी झड़ीया मड़िया

लाल पत्थर बिछाना	1,84,178.91
चहार दिवारी	28,490.90
पूर्व मिश्रित	2,72,634.23
मल निर्यास लाइन	57,543.54
स्ट्रीट लाइट मुहैया करना	92,285.37
	6,35,132.95

7. बसन्त गांव

पम्प हाऊस	28,654.01
लाल पत्थर बिछाना	2,00,013.18
स्ट्रीट लाइट मुहैया करना तथा जल पूर्ति के लिए विद्युत पम्प मुहैया करना	3,02,700.72
	5,31,367.91

8. कोटला मुबारकपुर

शौचालय ब्लाक	55,013.72
नालियां तथा मल निर्यास	63,403.72
लाल पत्थर बिछाना	45,280.54
चोपाल	19,645.16
पटरी बिछाना	6,85,672.11
स्ट्रीट लाइट मुहैया करना	94,083.75
	9,63,099.00

9. मदनगीर

स्ट्रीट लाइट का प्रावधान 30,761.22

19. खिड़की

स्ट्रीट लाइट का प्रावधान 15,098.12

11. जमरुदपुर 34,244.73

स्ट्रीट लाईट का प्रावधान

भूतपूर्व सैनिकों को फ्लैटों, दुकानों और स्टालों का आबंटन

4840. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1 जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1984 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों और विकलांग व्यक्तियों को कितने मध्यम आय वर्ग के फ्लैट और कितने जनता फ्लैट और कितनी दुकानें और स्टाल आबंटित किए गए और उनके लिए कितने प्रतिशत कोटा आरक्षित है ; और

(ख) उक्त आरक्षित कोटे में से इलाका-वार कितने भूतपूर्व सैनिकों को फ्लैट, दुकानें और स्टाल आबंटित किए गए और इनमें से कितनों ने कब्जा ले लिया है और जिन व्यक्तियों ने अभी कब्जा नहीं लिया है, उनके सम्बन्ध में पदों सहित सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) फ्लैट

1-10-80 से 31-1-84 तक की अवधि के दौरान मध्यम आय वर्ग एवं जनता श्रेणियों के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों और विकलांग व्यक्तियों को आबंटित/नियतित फ्लैटों की संख्या इस प्रकार है :—

योजना	मध्यम आय वर्ग	जनता
सामान्य आवास योजना	167	50
नवीन पद्धति आवास योजना	121	166

भूतपूर्व सैनिकों और विकलांग व्यक्तियों, प्रत्येक के लिए आरक्षित कोठ की प्रतिशतता आबंटित कुल फ्लैटों का एक प्रतिशत है।

दुकानें

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जो बनाई दुकानों/स्टालों/कियोस्कों में भूतपूर्व सैनिकों 2 प्रतिशत और विकलांग व्यक्तियों के लिए 5 प्रतिशत का आरक्षण रखा है ।

(क) फ्लैट

(i) भूतपूर्व सैनिकों को आबंटित फ्लैटों की श्रेणीवार कुल संख्या संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ii) जिन आबंटियों ने कब्जा नहीं लिया है, उनकी कुल संलग्न विवरण II में दी गई है।

(iii) सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982 के दौरान क्रम संख्या 10 से 17 तक (मध्यम आय वर्ग) और 1983 में क्रम संख्या 1 से 6 तक जो आबंटन/नियतन किया गया था, मध्यम आय वर्ग की श्रेणी के तहत पीतमपुरा, कालकाजी और जनकपुरी में तथा जनता श्रेणी के अन्तर्गत बौडेला में विशेष फ्लैटों के लिए लाटरी निकाली गई थी। इन मामलों में मांग पत्र अभी भी जारी किए जाने हैं और मांग पत्रों को जारी करने के पश्चात् और भुगतान प्राप्त होने पर, कब्जा सौंपे जाने के पत्रों का प्रश्न उठेगा।

दुकानें

1-1-80 से 31-1-84 तक की अवधि के दौरान, भूतपूर्व सैनिकों को 9 दुकानें एवं विकलांग व्यक्तियों को 175 दुकानें आबंटित की गई हैं। भूतपूर्व सैनिकों को आबंटित दुकानों के ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं।

विवरण I

दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास) सामान्य

1-1-1980 से 31-1-84 तक भूतपूर्व सैनिकों को फ्लैटों का आबंटन एवं नियतन

मध्यम आय वर्ग

क्रम संख्या	योजना	भूतपूर्व सैनिक
1980		
1.	राजौरी गार्डन	—
2.	मयूर बिहार	—
3.	मस्जिद मोठ	1
		1
1981		
1.	शालीमार बाग	9
2.	राजौरी गार्डन	3

3.	दिलशाद गार्डन	2
4.	अशोक विहार	1
5.	लारेन्स रोड	1
6.	मयूर विहार	1
		17

1982

1.	मयूर विहार	1
2.	शालीमार बाग	2
3.	राजौरी गार्डन	1
4.	पश्चिमपुरी	13
5.	लारेन्स रोड	2
6.	कालकाजी	7
7.	दिलशाद गार्डन	3
8.	मयूर विहार	5
9.	शेख सराय	2
10.	पीतमपुरा	2
11.	पश्चिमपुरी	2
12.	कालकाजी	16
13.	जनकपुरी	3
14.	गुलाबी बाग	1
15.	दिलशाद गार्डन	2
16.	अशोक विहार	3
17.	शालीमार बाग	3
		68

1983

1.	मयूर विहार	1
2.	सिद्धार्थ विस्तार	7
3.	शालीमार बाग	14
4.	राजौरी गार्डन	5
5.	जनकपुरी	3
6.	बोडेला	5
		35

जनता श्रेणी

1980

1.	वसन्त गांव	1
2.	पश्चिमपुरी	—
3.	शालीमार बाग	—
4.	दिलशाद गार्डन	1
		2

1981

1.	पश्चिमपुरी	—
2.	पीतमपुरा	5
3.	शेखसराय	1
4.	कालकाजी	2
5.	अवन्तिका	—
		8

1982		
1.	दक्षिणपुरी	1
2.	शालीमार बाग	1
3.	दिलशाद गार्डन	1
4.	पीतमपुरा	1
5.	पश्चिमपुरी	3
6.	नन्द नगरी	—
		7
1983		
1.	पश्चिमपुरी	2
2.	बोडेला	2
		4

दिल्ली विकास प्राधिकरण नवीन पद्धति योजना-1979

1-1-80 से 31-1-84 तक भूतपूर्व सैनिकों को फ्लैटों का आबंटन एवं नियतन

श्रेणी	स्थान	आबंटियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने फ्लैटों का कब्जा ले लिया है।
मध्यम आय वर्ग	दिलशाद गार्डन	19	2
	विकासपुरी	32	6
	रामपुरा	1	1
	त्रिलोकपुरी	10	शून्य
जनता	शालीमार बाग	6	6
	राजौरी गार्डन	3	2
	नन्द नगरी	11	9
	आवन्तिका	13	12
	पीतमपुरा	3	2
	विकासपुरी	7	5
	दिलशादगार्डन	6	शून्य

विवरण-II

उन व्यक्तियों की संख्या, नाम तथा पदनाम जिन्होंने आबंटित फ्लैटों का कब्जा नहीं लिया है

शेखसराय (मध्यम आय वर्ग) सामान्य

क्रम संख्या	नाम तथा पदनाम	कब्जा पत्र जारी किया गया अथवा नहीं	कारण
क. भूतपूर्व सैनिक			
1.	श्री जी० एस० ग्रेवाल लेफ्टीनेन्ट कर्नल	पत्र जारी नहीं किया गया	कतिपय कागजातों की आवश्यकता है।
2.	श्री वी० सी० चतुर्वेदी, मुख्य प्रतियोगिता अधिकारी (संयुक्त जफर ब्यूरो) रक्षा मन्त्रालय	—वही—	—वही—
कालकाजी			
(क)	भूतपूर्व सैनिक		
1.	श्रीमती सुभाषन मुदगिल, विधवा स्वर्गीय श्री सुभाषन शर्मा, एल० टी० ओ०	—वही—	—वही—

नवीन पद्धति (हुडको) योजना-1979

क्र० सं०	श्रेणी	आबंटी का नाम तथा पदनाम	क्षेत्रफल जिसमें फ्लैट आबंटित किया गया	फ्लैट का कब्जा न सौंपने के कारण
1	2		3	4
	मध्यम आय वर्ग	सर्वश्री		
1.		ओम प्रकाश, सारजेन्ट	बोडेला	फ्लैट अपूर्ण है। उनके अनुरोध पर आबंटन रद्द किया गया।
2.		एम० एस० छिब्बर, एस० आई०	—वही—	—वही—

1	2	3	4
3.	आई० एम० सहगल, सारजेन्ट	दिलशाद गार्डन	फ्लैट अपूर्ण है। उनके अनुरोध पर आबंटन रद्द किया गया।
4.	आर० एस० भाटिया, सारजेन्ट	—वही—	फ्लैट अभी पूर्ण नहीं हुए हैं।
5.	ओ० पी० बब्बर, सारजेन्ट	—वही—	—वही—
6.	एच० आर० बस्सी, मास्टर चीफ ई० आर० ए०	—वही—	— वही—
7.	टी० टी० वाघवानी, लेफ्टीनेन्ट	—वही—	—वही—
8.	कौड़ सिंह, नायक	—वही—	—वही—
9.	सुन्दरलाल, कारपोरल	—वही—	—वही
10.	जी० आर० मूर्ति, कैप्टन	—वही—	—वही—
11.	एस० पी० नागिया, सारजेन्ट	—वही—	—वही
12.	ए० आर० परमार, सूबेदार	—वही—	—वही—
13.	ओम प्रकाश, एस० 1 मैन	—वही—	—वही—
14.	डी० पी० शर्मा, एयरमैन	—वही—	—वही—
15.	आर० एन शर्मा, हवलदार	—वही—	—वही—
16.	आर० रामबदरन, युद्ध अधिकारी	—वही—	—वही—
17.	मलकीत सिंह, माननीय कप्तान	—वही—	—वही—
18.	जे० पी० दत्ता, कैप्टन	—वही—	—वही—
19.	एस० के० चोपड़ा, यू० डी० सी०	—वही—	—वही—
20.	डी० सी० खुलबी, कैप्टन	बोडेला	—वही—
21.	गुरु दयाल सिंह, लेफ्टीनेन्ट	—वही—	—वही—

1	2	3	4
22.	श्रीमती जेनेवा चौधरी, एम० डब्ल्यू० आफिसर	—वही—	—वही—
23.	हरचरण सिंह, कार्यालय अधीक्षक	—वही—	—वही—
24.	सहदेव भट्ट, वारेन्ट अधिकारी	—वही—	—वही—
25.	एम० एल० सिंगल, एयरमैन	—वही—	—वही—
26.	जी० एस० सोधी, एन० सब	—वही—	—वही—
27.	एन० नटराजन, हवलदार	—वही—	—वही—
28.	चतुर सिंह, सारजेन्ट	—वही—	—वही—
29.	आर० एम० दरिया नौसेना निवृत्त	—वही—	—वही—
30.	एस० पी०, पुरी, रेडियो फिटर	—वही—	—वही—
31.	एस० पी० बहल, फ्लाइंग लेफ्टीनेन्ट	—वही—	—वही—
32.	एम० के शर्मा, एल० । एस०	—वही—	—वही—
33.	लक्ष्मण दास, एन० । सब	बोडेला	फ्लैट अभी पूर्ण नहीं हुए हैं।
34.	जगदीश चन्द, एस । मैन	—वही—	—वही—
34.	एस० डी० सिंह, हवलदार	—वही—	—वही—
36.	सी० वी० पुंजापन, सूबेदार	—वही—	—वही—
37.	जे० एस० जोशन, लेफ्टीनेन्ट टेली०	—वही—	—वही—
38.	डी० आर० बख्शी, हवलदार लिपिक	—वही—	—वही—
39.	सुरेन्द्र कुमार, सूबेदार	—वही—	—वही—
40.	वी० दत्ता, फ्लाइंग आफिसर	—वही—	—वही—
41.	एम० एल० जुनेजा, सारजेन्ट	—वही—	—वही—

1	2	3	4
42.	एस०एस० एस० चड्ढा, सूबेदार	—वही—	—वही—
43.	कंवलजीत सिंह, नव० सेर	त्रिलोकपुरी	—वही—
44.	श्रीमती सन्तोष गम्भीर	—वही—	—वही—
45.	डी० सी० कौशल, रेडियो फिटर	—वही—	—वही—
46.	जी० एल० गम्भीर, कारपोरेल	—वही—	—वही—
47.	के० के० चडेढा, कैप्टन	—वही—	—वही—
48.	एच० एस० रावत, लिपिक	—वही—	—वही—
49.	एल० एस० लोहमोरह कारपोरल	—वही—	—वही—
50.	अमर सिंह, सहायक	—वही—	—वही—
51.	गगन सिंह, सपाही क्लर्क	—वही—	—वही—
52.	एम० वी देवासन, हवलदार क्लर्क	—वही—	—वही—
53.	अशोक कुमार, क्लर्क	बोडेला	—वही—

क्र० सं०	श्रेणी	आबंटी का नाम तथा पदनाम	क्षेत्र जिसमें फ्लैट आबंटित किया गया	फ्लैट का कब्जा न देने का कारण
1	2	3	4	5
	जनता	सर्वश्री		
1.		हरिचन्द, लेन्स नायक	राजौरी गार्डन	उसके अपने अनुरोध पर रद्द किया गया
2.		भगवत स्वरूप, सिपाही	नन्द नगरी	—वही—
3.		राजेन्द्र नाथ भसीन (आबंटी द्वारा डिसचार्ज सर्टीफिकेट नहीं दिए गए)	—वही—	क्योंकि आबंटी डिसचार्ज सर्टीफिकेट नहीं दिया है अतः कब्जा पत्र जारी नहीं किया गया है।
4.		हरपाल सिंह	अवन्तिका	वह भूतपूर्व सैनिक नहीं था। उसकी सेवाएं पुलिस विभाग से समाप्त की गई थी। अतः आरक्षित कोटे में इसका अस्थायी आबंटन रद्द कर दिया गया है।
5.		हरगोविन्द सिंह, सूबेदार	प्रीतमपुरा	जनता श्रेणी में आधिक्य आय होने के कारण पंजीकरण तथा आबंटन रद्द कर दिया गया था।
6.		इन्द्र सिंह हवलदार	विकासपुरी	दोहरे आबंटन के विवादग्रस्त मामले के कारण कब्जा नहीं दिया गया था।

1	2	3	4	5
7.		ज्ञान चन्द ड्राईवर	—वही—	आबंटी मर गया, आबंटन रद्द कर दिया गया।
8.		सुरेन्द्र कुमार मलिक, सूबेदार	दिलशाद गार्डन	फ्लैट पूर्ण नहीं है।
9.		माखन लाल, हवलदार	—वही—	—वही—
10.		राम मेहता, कारपोरल	—वही—	—वही—
11.		कृष्ण मुरारी, फ्योड सेफटी आपरेशन-II	—वही—	—वही—
12.		बृज कुमारी (श्रीमती) (उसका पति सी० आर० पी एफ० सेन्टर रुड़की में निम्न श्रेणी लिपिक था)	—वही—	—वही—
13.		श्रीमती राजरानी (उसका पति सेना में नायक स्टोर मैन था)	—वही—	—वही—

विवरण

10-1-80 को की गई सीमित नीलामी के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को बेची गई दुकानों/स्टालों की सूची।

क्रम संख्या	दुकान नं०	योजना का नाम	नीलामी से खरीदने वाले का नाम
1.	7	एस० सी० ब्लाक बी०, जनकपुरी शिवनगर	श्री बलवन्त सिंह दहिया
2.	8	—वही—	श्री कृष्ण लाल
3.	5	सी० एस० सी पाकेट "जे" पूर्वी पीतमपुरा	भूतपूर्व सूबेदार श्री चुन्नी लाल दुआ।
4.	18	एल० एस० सी० सारस्वती विहार(पीतमपुरा)	मैसर्स कोलोनलसरनास इण्टरप्राइजेज
5.	19	—वही—	श्री कस्तूरी लाल मिनोचा
6.	बी०-9	सी० सी० नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, प्लाट नं० 7 तथा 8	श्री सेवा राम आनन्द
7.	33	एल० एस० सी०/सी० एस० सी० ईस्ट आफ कैलाश, सूरज प्रभात ब्लाक सी०	मैसर्स कोलोनल सरनास इण्टरप्राइसेज
8.	294	डिफेन्स कालोनी, फ्लाई ओवर	श्री प्रेम सिंह
9.	295	—वही—	श्री प्रेम कुमार

आधुनिक तेल काम्पलेक्सों की स्थापना

4841. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में आधुनिक तेल काम्पलैक्स स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1984-85 में ऐसे कितने आधुनिक तेल काम्पलैक्स स्थापित करने का विचार है ;

(ग) इन तेल काम्पलैक्सों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(घ) उड़ीसा में इसके लिए चयन किए गए स्थानों का तथा तेल काम्पलैक्सों की स्थापना में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) इस समय, अमृतसर आइल वर्क्स, अमृतसर, पंजाब में जो कि एक राष्ट्रीयकृत सरकारी उपक्रम है, एक आधुनिक तेल कम्प्लैक्स स्थापित किया जा रहा है। और तेल कम्प्लैक्स स्थापित करने की संभावना पर सातवीं योजना के अंग के रूप में विचार किया जायेगा।

(ग) अमृतसर परियोजना की अनुमानित लागत 3.82 करोड़ रुपये है।

(घ) उड़ीसा में कम्प्लैक्स स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

मत्स्य पत्तन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव

4842. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1983 तक किन-किन राज्यों से पत्तन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उनमें से अब तक कितने प्रस्तावों की स्वीकृति दी जा चुकी है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1983 के दौरान गुजरात, केरल उड़ीसा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप से मत्स्यन पत्तन परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) तथा (ग) इनमें से 71.16 लाख रुपए की अनुमानित लागत से केरल के लिए तीन प्रस्तावों और 18.95 लाख रुपए की अनुमानित लागत से लक्षद्वीप के लिए दो प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है।

चीनी का लेवी मूल्य

4843. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री** जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के सीजन के लिए क्षेत्र-वार चीनी के लेवी मूल्यों को निर्धारित करने, जिन्हें 11 जनवरी, 1984 को अधिसूचित किया गया था ; का आधार तथा ब्यौरा क्या है ;

(ख) विभिन्न जोनों को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजन हेतु विभिन्न प्रदेशों के लिए सीजन के दौरान कितनी चीनी वसूल की गई ;

(ग) उपर्युक्त उल्लिखित मूल्यों के निर्धारण में क्षेत्र-वार कितना समय लगा तथा कितनी वसूली की गई ;

(घ) लेवी मूल्य में लाभांश के रूप में कितनी धनराशि की अनुमति दी गई है ;

(ङ) प्रत्येक जोन में खरीद कर/गन्ना शुल्क सोसायटी के कमीशन के रूप में कितनी धनराशि की अनुमति दी गई है ;

(च) प्रत्येक जोन के लिए "ड्राएज" सहित गन्ने का क्या मूल्य है ; और

(छ) प्रत्येक जोन के लिए परिवर्तित मूल्य क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) चीनी वर्ष 1983-84 हेतु विभिन्न जोनों के लिए लेवी मूल्यों का हिसाब उच्च-स्तरीय समिति द्वारा अभिस्तावित पैरामीटरों के आधार पर लगाया गया है : केन्द्रीय सरकार ने उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों की वैधता को चीनी वर्ष 1983-84 तक बढ़ा दिया है।

(ख) से (छ) व्यस्ततम अवधि में जोनवार रिकवरी का हिसाब नहीं लगाया जाता है उच्च स्तरीय समिति द्वारा अभिस्तावित विभिन्न पैरामीटरों, जोकि पिछले तीन वर्षों से लागू हैं और जिनके बारे में आम जानकारी है, को ध्यान में रखते हुए चीनी वर्ष 1983-84 हेतु विभिन्न जोनों के लिए मूल्यों का हिसाब लगाया गया है। इन मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चीनी वर्ष 1983-84 के लिए जनवरी 11, 1984 को अधिसूचित किए गए ग्रेड डी-30 की चीनी के निकासी लेवी मूल्यों को बताने वाला विवरण

क्रम सं०	जोन	चीनी रुपये प्रति क्विंटल अधिसूचित निकासी मूल्य
1	2	3
1.	पंजाब	336.11
2.	हरियाणा	342.22
3.	राजस्थान	372.92
4.	पश्चिमी उ० प्र०	300.81
5.	मध्य उ० प्र०	319.68

1	2	3
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	332.07
7.	उत्तरी बिहार	337.44
8.	दक्षिणी बिहार	403.90
9.	गुजरात	296.24
10.	मध्य प्रदेश	362.90
11.	महाराष्ट्र	297.66
12.	कर्नाटक	300.04
13.	आन्ध्र प्रदेश	322.12
14.	तमिलनाडु तथा पाण्डिचेरी	329.36
14.	असम, उड़ीसा पश्चिम बंगाल और नागालैण्ड	334.67
16.	केरल तथा गोआ	347.81

नोट :—मूल्य अधिसूचना की अनुसूची-6 में सम्मिलित कमजोर यूनिटों के मामले में मूल्य में अतिरिक्त 26/- रुपये प्रति क्विंटल की अनुमति दी गई है।

सुनेई और बाकाबल सिंचाई परियोजनाओं के कार्य की प्रगति

4844. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सुनेई और बांकाबल परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से लगाई जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण-कार्य कब शुरू हुआ था ;

(ग) क्या उनके निर्माण कार्य के पूरा होने में असाधारण देरी हुई है ;

(घ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उक्त दोनों सिंचाई परियोजनाओं के कब यक पूरा हो जाने की आशा है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) उड़ीसा सिंचाई

दो परियोजनाओं (क्रे० 740 आई० एन०) के अधीन सुनेई सिंचाई परियोजना 1977-78 के दौरान शुरू की गई थी जबकि बांकाबल सिंचाई परियोजना बाद में 1981-82 में इसमें जोड़ दी गई थी।

(ग) और (घ) उमड़ मार्ग के डिजाइन में परिवर्तन होने, भूमि अधिग्रहण में देरी तथा ठेकेदारों को बदलने के कारण सुनेई सिंचाई परियोजना के पूरा होने में कुछ विलम्ब हुआ था।

हेड रेगुलेटर के डिजाइन में कुछ आवश्यक परिवर्तन किए जाने के कारण बांकाबल सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रहा है।

(ङ) सुनेई परियोजना के मार्च, 1986 तक तथा बांकाबल परियोजना के मार्च, 1987 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

कन्ट्रोल के कपड़ों और बाजार में उपलब्ध उस प्रकार के कपड़ों के बीच मूल्य में अन्तर

4845. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित कण्ट्रोल के कपड़ों और बाजार में उपलब्ध उसी प्रकार के कपड़ों के बीच मूल्यों में जितने प्रतिशत अन्तर है उसकी तुलना में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाली चीनी, गेहूं, चावल, तेल जैसी अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य और उनके बाजार मूल्यों में पाये जाने वाले अन्तर की प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कन्ट्रोल के कपड़ों और खुले बाजार में उपलब्ध उसी प्रकार के कपड़ों के बीच मूल्यों में थोड़ा-सा अन्तर रहने के कारण, कण्ट्रोल के कपड़ों की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित कण्ट्रोल के कपड़ों की बिक्री धीमी है ; और

(घ) यदि हां, तो समाज के कमजोर वर्ग की सहायता हेतु काफी समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाजार मूल्य की तुलना में कण्ट्रोल के कपड़ों को काफी कम मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए जाएंगे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) कण्ट्रोल के कपड़े की विशिष्टियां गैर-कण्ट्रोल के कपड़े की विशिष्टियों से भिन्न होती हैं। अत: मूल्यों में सही-सही प्रतिशत अन्तर को बता सकना कठिन है। तथापि, कण्ट्रोल के कपड़े पर सरकार द्वारा धोतियों व साड़ियों के लिए प्रति वर्ग मीटर 2 रुपये और लांग क्लाथ के लिए प्रति वर्ग मीटर 1.50 रु० की दी जाने वाली राज-सहायता के कारण कण्ट्रोल के कपड़े का अन्तिम मूल्य कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त कण्ट्रोल के कपड़े पर राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ का वितरण-मार्जिन 15 प्रतिशत है, जबकि खुले बाजार में गैर-कण्ट्रोल के कपड़े के मामले में यह मार्जिन 25-35 प्रतिशत

है। केन्द्रीय सरकार गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेलों जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की नियत एवं उचित मूल्यों पर आपूर्ति की व्यवस्था करती है और ये मूल्य आमतौर पर बाजार मूल्यों से कम होते हैं। इन वस्तुओं के खुले बाजार में खुदरा मूल्य, अलग-अलग स्थानों व समय-समय पर, बाजार की मांग और आपूर्ति की बाध्यताओं तथा उनकी गुणवत्ता के कारण, घटते-बढ़ते रहते हैं। अतः इन सुविधाओं के लिए प्रतिशत में सही-सही मूल्य-अन्तर को बता सकना कठिन है।

(ख) कण्ट्रोल के कपड़े और गैर-कण्ट्रोल के कपड़े में मूल्य का अन्तर कम नहीं है।

(ग) पिछले छः महीनों में कण्ट्रोल का कपड़ा उठाने की औसत मासिक गति 241.66 लाख वर्ग मीटर के औसत उत्पादन की तुलना में 294.91 लाख वर्ग मीटर है। उठाने की गति सामान्य है।

(घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

नर्मदा सागर परियोजना पर गुजरात और मध्य प्रदेश द्वारा खर्च की गई धनराशि

4846. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना पर, उसमें अन्तर्ग्रस्त कुल परिव्यय की तुलना में अब तक कितनी धनराशि खर्च की है और उसकी मौजूदा प्रगति के परिप्रेक्ष्य में इसके कितने वर्षों में पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा सागर परियोजना पर, इसमें अन्तर्ग्रस्त कुल परिव्यय की तुलना में, अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसकी मौजूदा प्रगति के परिप्रेक्ष्य में, इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार इस सम्बन्ध में अत्यन्त धीमी गति से कार्य कर रही है और यदि हां, तो प्रगति की रफ्तार को तेज करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ; और

(घ) इन दोनों परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता दी गई है तथा उसकी शर्तें क्या हैं और इन शर्तों को किस तरह पूरा किया जाएगा ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) सरदार सरोवर परियोजना पर मार्च, 1984 तक 268.24 करोड़ रु० व्यय होने की प्रत्याशा है जबकि परियोजना की अनुमानित लागत 4240 करोड़ रु० है। बांध को 10 वर्षों में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है और नहर प्रणाली को 1981-82 के मूल वर्ष के आधार पर 17 वर्षों की अवधि में अर्थात् 1998-99 तक पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ख) नर्मदा सागर परियोजना पर मार्च, 1984 तक 7.37 करोड़ रु० व्यय होने की प्रत्याशा है जबकि परियोजना की अनुमानित लागत 1393 करोड़ रु० है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1983-84 के मूल वर्ष के आधार पर बांध को 10 वर्षों में पूरा करने की योजना बनाई है।

(ग) योजना आयोग द्वारा नर्मदा सागर परियोजना अभी अनुमोदित की जानी है और निर्माण-कार्य क्रियान्वयन की बिल्कुल प्रारम्भिक अवस्था में है। वित्त-पोषण की सुविधा में सुधार लाने के लिए इस परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) विश्व बैंक के शिष्टमण्डल ने सरदार सरोवर परियोजना का मूल्यांकन पूरा कर लिया है। नर्मदा सागर परियोजना का मूल्यांकन विश्व बैंक द्वारा अभी किया जाना है। दोनों परियोजनाएं विश्व बैंक द्वारा क्रेडिट/ऋण की स्वीकृति मिलने की स्थिति में नहीं पहुंची हैं।

गुजरात में चीनी मिलों की स्थापना

4847. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में चीनी मिलों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कुल कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं ;

(ख) यह आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के पास कब से लम्बित पड़े हैं ;

(ग) प्रत्येक आवेदक द्वारा चीनी मिल के स्थान और क्षमता के दिए गए सुझाव सहित उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति की तारीख क्या है और प्रत्येक परियोजना की स्थापना पर क्या लागत आएगी ;

(ङ) राज्य सरकार की सिफारिशों के बावजूद प्रत्येक मामले में मन्जूरी न दिए जाने के विशेष कारण क्या हैं ; और

(च) प्रत्येक मामले में अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा।

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) (क) से (घ) 1250 मीटरी टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता की चीनी मिल कोंधवतारिया, ताल्लुका बलिया, जिला भारूच, गुजरात में स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु केवल एक आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। यह आवेदन पत्र औद्योगिक विकास विभाग (उद्योग मन्त्रालय) में 21-2-83 को प्राप्त हुआ था। 1250 मीटरी टन की दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता की फैक्ट्री स्थापित करने पर इस समय सामान्यतया 9 करोड़ के आसपास लागत आती है।

(ङ) इस प्रस्ताव पर इस मन्त्रालय की जांच समिति द्वारा 2 सितम्बर, 1983 को हुई अपनी बैठक में विचार किया गया था जिसमें स्थल पर ही निरीक्षण कर इस परियोजना की तकनीकी आर्थिक सक्षमता के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक उप-समिति का गठन करने का निर्णय किया गया था और यह भी निर्णय किया गया था कि उप-समिति की रिपोर्ट और सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उप-समिति प्रस्तावित चीनी फैक्ट्री के क्षेत्र में फरवरी, 1984 में गई थी। जांच समिति उसकी रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(च) इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक समय बताना सम्भव नहीं है कि निर्णय कब तक उपलब्ध हो जाएगा।

1984-85 में उड़ीसा में विकास के लिए जल धाराओं का पता लगाया जाना

4848. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 में विकास के लिए उड़ीसा में कितनी जल धाराओं का पता लगाया गया है ;

(ख) विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उड़ीसा राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क और (ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2760 लाख रु० की लागत से 1984-85 में विकास से लिए 138 पनधाराओं का पता लगाया गया है।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

वर्ष 1977 और इस समय आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

4849. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं अर्थात गेहूं, चावल, वनस्पति, प्रति कप चाय, दूध, अण्डे (प्रति दर्जन), दाल, अरहर तथा दाल उड़द, पूर्ण आकार की डबल रोटी, दियासलाई (एक दर्जन), साबुन, समाचारपत्र, डाक लिफाफा, पेट्रोल, सीमेंट, नमक, प्याज, सरसों का तेल, चीनी, उर्वरक की कीमतें इस समय की कीमतों की अपेक्षा वर्ष 1977 में क्या थी ;

(ख) क्या उपरोक्त वस्तुओं की बाजार कीमतें स्थिर हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सम्बन्धित जानकारी संलग्न विवरण I, II और III में दी गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित वस्तुओं के मूल्य 1977 की तुलना में अब अधिक हैं। 1977-1984 की अवधि के दौरान विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण इन बातों को कहा जा सकता है : 1979 और 1982 का भारी सूखा, कुछ कृषि पदार्थों के समर्थन/वसूली/निर्गम मूल्यों में वृद्धि, निवेशों की लागत में वृद्धि और आयातित कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र योजनाओं के तहत 1984-85 के दौरान उड़ीसा को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	योजना का नाम	ऐसी पनघाराओं की संख्या (चल रही+नई) जिनमें 1984-85 के लिए कार्यक्रम का प्रस्ताव है	1984-85 के दौरान प्रदान किया जाने वाला प्रस्तावित अस्थायी आवंटन/धनराशि (लाख रुपये)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	हीराकुण्ड, मछकुण्ड तथा नदी घाटी परियोजनाओं के रेंगाली मंदिरा शरण क्षेत्र में मृदा संरक्षण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना।	25	140.00	100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत ऋण है।
2.	बारानी खेती के लिए जल संरक्षण उपयोग प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए मार्गदर्शी परियोजना की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना।	7	*	छठी योजना का परिव्यय 25.00 लाख रु० है और 1983-84 के दौरान 3.157 लाख रु० निर्मुक्त किए गए हैं। 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, जिसमें 75 प्रति० अनुदान तथा 25 प्रति० ऋण शामिल है।

1	2	3	4	5
3.	कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों की सहायता के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना।	314 खण्ड	**	**1983-84 के दौरान 433.32 लाख रु० निर्मुक्त किए गए हैं। 25 प्रतिशत राजसहायता छोटे किसानों को, 33-1/3 प्रतिशत राजसहायता सीमांत किसानों को तथा 50 प्रतिशत राजसहायता अनुसूचित आदिवासियों को।

विवरण-I

चुनी वस्तुओं के मास अन्त के खुदरा मूल्य

(रु० प्रति मि० प्रा०)

वस्तु/केन्द्र	मास के अन्त के खुदरा मूल्य	
	फरवरी, 1977	फरवरी, 1984
1	2	3
गेहूं (लाल)		
बम्बई	1.38 (उ०द०दु०)	2.05 (उ०द०दु०)
मद्रास	1.50 (,,)	3.00
कलकत्ता	1.40 (,,)	1.96 (उ०द०दु०)
दिल्ली	1.50	2.20
चावल (मोटा)		
बम्बई	1.64 (उ०द०दु०)	2.75
मद्रास	1.90 (,,)	3.60
कलकत्ता	1.84	2.40
दिल्ली	2.20 (9-6-78)	4.00
वनस्पति		
बम्बई	10.60	16.50
मद्रास	12.78	17.00
कलकत्ता	10.20	19.00
दिल्ली	10.42	14.20
दुग्ध		
बम्बई	1.80	6.00
मद्रास	2.50	4.00 (10-2-84)
कलकत्ता	1.80	5.50
दिल्ली	2.80	4.00

1	2	3
अरहर की दाल		
बम्बई	3.80	7.50
मद्रास	3.60	9.20 (10-2-84)
कलकत्ता	3.60	7.50
दिल्ली	3.60	6.50
उड़द की दाल		
बम्बई	4.20	7.50
मद्रास	3.70	7.20 (10-2-84)
कलकत्ता	3.25	6.30
दिल्ली	4.00	6.75
दियासलाई		
बम्बई	1.25 (प्रति दर्जन)	0.25 (प्रति बाक्स)
मद्रास	0.12 (,,)	2.25 (प्रति दर्जन)
कलकत्ता	0.12 (,,)	2.50 (,,)
दिल्ली	0.13 (,,)	0.25 (प्रति बाक्स)
प्याज		
बम्बई	1.24	1.50
मद्रास	1.10	1.40 (10-2-84)
कलकत्ता	1.40	2.00
दिल्ली	1.20	1.25
सरसों का तेल		
कलकत्ता	11.00	19.00
दिल्ली	11.00	17.00
नमक (कामन)		
बम्बई	0.50 (16-6-78)	0.60

1	2	3
मद्रास	0.20	0.35 (10-2-84)
दिल्ली	0.50 (6-1-78)	0.50
चीनी		
बम्बई	3.50 (28-4-78)	5.00
मद्रास	4.30	4.90 (10-2-84)
कलकत्ता	4.10 (6-1-78)	5.30
दिल्ली	4.10 (6-1-78)	5.25
साबुन (लाइफ ब्वाय) प्रति टिकिया		
दिल्ली	1.15	2.45
बम्बई	1.25 (31-3-78)	2.50
मद्रास	1.19 (6-1-78)	2.40
कलकत्ता	1.25 (6-1-78)	2.30
अण्डे (प्रति दर्जन)		
बम्बई	4.20 (5-5-78)	7.80
मद्रास	4.56 (5-5-78)	5.80 (10-2-84)
कलकत्ता	6.60 (4-1-80)	7.20
दिल्ली	4.80	6.25
डबल रोटी (400 ग्राम)		
बम्बई	0.90 (8-9-78)	1.90
मद्रास	1.10	1.75 (10-2-84)
दिल्ली	0.95	1.50
चाय (प्रति कप) तैयार शुदा		
दिल्ली	0.35	0.60

उ०द०दु० =उचित दर की दुकान

टिप्पण =ऊपर दिए गए मूल्य फरवरी, 1977 तथा फरवरी, 1984 के हैं यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों।

विवरण II

डाक लिफाफे का मूल्य

मार्च, 1977		मार्च, 1984	
1. 15 ग्राम तक	0.25 रु०	1. 10 ग्राम तक	50 पैसे
2. अतिरिक्त 15 ग्राम	0.15 रु०	2. उसके बाद प्रति 10 ग्राम	20 पैसे

(क) प्रति उत्कीर्ण लिफाफे पर 1-3-1983 से 5 पैसे का लेखन सामग्री प्रभार लगाया जाता है।

उर्वरक का मूल्य

(रु० प्रति मी० टन)

उत्पाद	मार्च, 1977	मार्च, 1984
यूरिया (46% एन)	1650	2150
डी० ए० पी० (18 : 46 : 0)	2210	3350
एम० ओ० पी० (60% के 2 ओ)	805	1200
एस० ओ० पी० (50% के 2 ओ)	1200	1950
एमोनिया सलफेट (21% एन)	935	(मूल्यों पर 8 जून, 1980 से नियंत्रण
सी० ए० एल० (26% एन)	1060	(हटा लिया गया
15 : 15 : 15	1520	1950

सीमेन्ट का मूल्य

1. प्रति मी० टन सीमेन्ट का मूल्य जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल है परन्तु राज्य बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय कर आदि शामिल नहीं है।

अवधि	मूल्य
मार्च, 1977	337.60 रु० प्रति मी० टन
फरवरी 1984	* 796.73 रु० प्रति मी० टन आर्डिनेरी पोर्टलैंड सीमेन्ट
	* 781.73 रु० प्रति मी० टन पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेन्ट
	*लेवी सीमेन्ट का मूल्य

(ii) गैर-लेवी सीमेंट का मूल्य :

(खुदरा मूल्य/बोरी

करों तथा स्थानीय करों सहित

फरवरी, 1984

बम्बई	65.00 रु०
मद्रास	66.00 रु०
कलकत्ता	62.50 रु०
दिल्ली	62.50 से 63.50 रु० तक

पेट्रोल का मूल्य

(रु० प्रति लिटर)

	1-3-1977	1-3-1984
बम्बई	3.39	6.32
मद्रास	3.29	6.27
दिल्ली	3.39	6.09
कलकत्ता	3.38	6.24

विवरण III

प्रमुख समाचार पत्रों के नाम तथा उनके मूल्य

(पैसों में)

	1977	1984
1. टाइम्ज आफ इंडिया (अंग्रेजी) बम्बई	40	70
2. महाराष्ट्र टाइम्स (मराठी) बम्बई	30	55
3. लोक सत्ता (मराठी) बम्बई	30	60
4. हिन्दू (अंग्रेजी) मद्रास	45	70

5. दीनामनी (तमिल) मदूरे	30	50
6. आनन्द बाजार पत्रिका (बंगाली) कलकत्ता	30	70
7. स्टेट्समैन (अंग्रेजी) कलकत्ता	40	70
8. अमृत बाजार पत्रिका (अंग्रेजी) कलकत्ता	34	55
9. नव भारत टाइम्स (हिन्दी) दिल्ली	30	55
10. हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) दिल्ली	35	70
11. हिन्दुस्तान टाइम्स (हिन्दी) दिल्ली	30	55
12. इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) दिल्ली	35	70

फल उत्पाद आदेश में संशोधन

4850. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार फल उत्पाद आदेश में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है।

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राय) : (क) और (ख) फल उत्पाद आदेश, 1955 को संशोधित करने विषयक प्रस्ताव विचाराधीन है।

किराये के भवनों में कार्यालय

4851. **श्री के० वी० एस० मणि** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालय कब से दिल्ली में किराये के भवनों में हैं ;

(ख) प्रत्येक कार्यालय का नाम क्या है और इन कार्यालयों द्वारा किराये पर लिए गए भवनों का मासिक किराया कितना है ;

(ग) किराये पर लिए जाने के दिन से 29 फरवरी, 1984 तक प्रत्येक भवन के लिए कुल कितने किराये का भुगतान किया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार अपने कार्यालयों को किराये के भवनों से सरकारी भवनों में

स्थानान्तरित नहीं करना चाहती है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा राजकोष पर भार को कम करने के लिए अपने कार्यालयों को किराये के भवनों से स्थानान्तरित करने हेतु अब तक कोई प्रभावी कदम न उठाये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कृषि मन्त्रालय के अंतर्गत उर्वरक लेखा स्कंध नामक एक कार्यालय कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली में 2 जनवरी, 1973 से मुख्य सुपर बाजार की बिल्डिंग में स्थित है। किराये पर लिए गए परिसर के लिए सेवा शुल्क के रूप में इस समय 22,460.50 रु० की राशि प्रतिमाह अदा की जा रही है।

(ग) 2 जनवरी, 1973 से 29 फरवरी, 1984 तक 24,92,850,80 रु० की कुल राशि सुपर बाजार सहकारी भण्डार को सेवा शुल्क के रूप में अदा की गई।

(घ) तथा (ङ) सरकार अपने कार्यालयों को सरकारी भवनों में ही रखना चाहती है। तथापि, उपर्युक्त कार्यालय के सम्बन्ध में ऐसा करना सम्भव नहीं हो पाया है क्योंकि ऐसे सरकारी आवास की उपलब्धि अपर्याप्त है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को दी गई सहायता

4852. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1977-78 से 1983-84 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को प्रत्येक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष कितनी सहायता प्रदान की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए मध्य प्रदेश को भारत सरकार द्वारा बंटित निधियां

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	बंटित नहीं की गई	607.05	388.93	708.94	1374.00	1814.00	1358.00
2. काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	125.00	1655.00	3212.60	3542.60	1320.00	1704.50	1470.00
3. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	300.00	283.73	78.75	194.00	184.17	278.45	162.37
4. ग्रामीण भूमि-हीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (1983-84 में शुरू	—	—	—	—	—	—	780.00

* 20 मार्च 1984 तक

तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान और विकास की असफलता

4853. **श्री टी० एस० नेगी** . क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिलहनों नारियल आदि की उत्पादकता बढ़ाने के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास पूर्णतः असफल रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष के दौरान 1200 करोड़ रु० मूल्य से अधिक का आयात किया जा रहा है। (स्टेट्समैन, दिनांक 16 फरवरी, 1984) और

(ग) क्या यह भी सच है कि विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार वर्ष 1990 तक भारत को 3000-4000 करोड़ रु० मूल्य के वनस्पति तेल का आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तिलहनों का देशी उत्पादन देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों, विदेशी मुद्रा आदि की उपलब्धता जैसी पहलुओं पर विचार करके ही भारत सरकार द्वारा खाद्य तेल के निर्यात के बारे में निर्णय लिया जाता है। विश्व बैंक जैसी एजेंसी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है।

तटीय राज्यों में संकर बीज बागान फार्म

4854. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में विशेष रूप से तटीय राज्यों में कोई संकर बीज बागान फार्म नहीं है ;

(ख) क्या बागान फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार का विचार अच्छी किस्म के बीजों और संकर नस्ल के पौधों के उत्पादन के लिए देश में बीच फार्मों की एक श्रृंखला स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से सुन्दर बन क्षेत्र में ऐसा कोई फार्म स्थापित किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) इस समय संकर नारियल के उत्पादन के लिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में तीन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनके नाम हैं; (1) टी × डी संकर नारियल पौदों का उत्पादन एवं वितरण ; (2) टी × टी बीज पौदों के उत्पादन के लिए कर्नाटक में उत्तम बीज फार्म की स्थापना; तथा (3) डी × टी संकर के उत्पादन के लिए उत्तर बीज फार्म की स्थापना।

इस समय सुन्दरवन में ऐसे किसी फार्म के खोले खाने का प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल में किसानों को पटसन के बीजों की सप्लाई के लिए एजेंसी

4855. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय पश्चिम बंगाल में पटसन उत्पादक क्षेत्रों में पटसन उत्पादकों को पटसन के अच्छी किस्म के बीज, विशेषकर प्रणाणित बीज, उपलब्ध कराने की कोई एजेंसी न होने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय बीज निगम अथवा भारतीय पटसन निगम जैसी किसी एजेंसी के माध्यम से उत्पादकों को अच्छे किस्म के बीज सप्लाई करने की वांछनीयता पर विचार किया है क्योंकि इनके कर्मचारी का काम वाली अवधि के दौरान काफी समय के लिए खाली होते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और यदि नहीं, तो क्या किसानों के अच्छी किस्म के पटसन के बीजों के वितरण के लिए कोई एजेंसी बनाने के लिए जल्द कार्यवाही की जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में पटसन के बीजों का वितरण, पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम प्राइवेट बीज व्यापारियों आदि जैसी राज्य संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। पटसन के अधिकांश प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन राज्य से बाहर किया जाता है। राज्य में राष्ट्रीय बीज निगम, महाराष्ट्र राज्य बीज निगम आदि पटसन बीज के प्रमुख सप्लायर पश्चिम बंगाल को पटसन बीज की मांग पूरा करने के लिए सभी प्रयत्न किए गए हैं।

राज्य में कृषि जलवायु की परिस्थितियां पटसन बीजों का अधिकतम उत्पादन करने के उपयुक्त नहीं है। पटसन के बीज अधिकांश महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश में पैदा किए जाते हैं। गत दो वर्षों के दौरान इन राज्यों में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरूप पश्चिम बंगाल में पटसन के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हुए। पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में पटसन बीज के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

तिलक नगर, दिल्ली में अनुसूचित जाति कालोनी को नियमित करना

4856. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलक नगर, दिल्ली में अनुसूचित जाति कालोनी कब बनी थी और वहां अनुसूचित जाति के कितने परिवार रह रहे हैं ;

(ख) इस कालोनी को नियमित करने में क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं और क्या इस कालोनी को नियमित करने का प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन हैं ;

(ग) 30 जून, 1977 से पहले बनी कितनी कालोनियों को अब तक नियमित किया गया है ;

(घ) क्या सरकार अनुसूचित जातियों को आवास प्रदान करने अथवा उनको फिर से बसाने के लिए वचनबद्ध है और यदि हां, तो तिलक नगर में अनुसूचित कालोनी को नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि 20 जून, 1977 से पहले बनने वाली कालोनियों को नियंमित कर दिया गया है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि जिस भूमि पर वह अनुसूचित जाति कालोनी बनाई गई है, मूलत: वह भूमि अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकाजुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पुनर्वास मन्त्रालय द्वारा पुनर्वास के लिए पता लगाए गए 280 परिवारों में से, इस कालोनी में सन् 1964 में 22 हरिजन परिवारों को 80 वर्ग गज के रिहायशी प्लाटों का आबंटन किया गया था। यह भी बताया गया है कि 1983 में किए गए कालोनी के सर्वेक्षानुसार, वहां 450 परिवार रह रहे हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि तिलक नगर को अनधिकृत कालोनियों जिन पर नियमितकरण के लिए विचार किया जा रहा है, की सूची में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि पुनर्वास मन्त्रालय ने मलिन बस्ती उन्मूलन एवं पर्यावरणीय सुधार के अन्तर्गत सन्दर्भाधीन भूमि शहरी नवीकरण के लिए अन्तरित की थी बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए पुनर्वास मन्त्रालय द्वारा पता लगाए गए 280 हरिजन परिवारों को बसाया जाए। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कालोनी के नियमितीकरण के प्रश्न पर नीति मार्ग निर्देशनों के अन्तर्गत एवं व्यवहार्यता के अनुसार विचार किया जाएगा।

(ग) 529 कालोनियों को नियमित कर दिया गया है।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त (ख) में है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पुनर्वास मन्त्रालय द्वारा स्लमविभाग को भूमि अन्तरित की गई थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आबंटियों द्वारा अतिरिक्त मंजिल का निर्माण

4857. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न कालोनियों में मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के मालिकों द्वारा अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण के बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) इस प्रकार की अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण की सीमा क्या है ; और

(ग) क्या इन फ्लैटों का आधार ढांचा इतना मजबूत है कि वह इस प्रकार के अतिरिक्त निर्माण के भार और दबाव को सम्भाल सके ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण सामूहिक आवास योजना के अन्तर्गत इसके द्वारा

बनाए गए प्लैटों पर अतिरिक्त तलों के निर्माण की अनुमति नहीं देता है। मामले के गुणावगुणों पर केवल परिवर्धन/परिवर्तन अनुमेय हैं। अतिरिक्त तलों के निर्माण की स्वीकृति एक मंजिले मकानों के मामलों में, जहां विनियमों में अनुमेय हो, दी जाती है।

(ख) अतिरिक्त तलों का निर्माण, जहां अनुमेय हो, भुगतान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण में उपलब्ध मानक नक्शे के अनुसार तथा प्राधिकरण के भवन विभाग से नक्शा अनुमोदित करा कर पृथक्-पृथक् आबंटियों द्वारा किया जाना है। यह निर्माण अनुमेय सीमा से अधिक अथवा भूमि तल पर यथा-निर्धारित से अधिक नहीं होना है।

(ग) स्वीकृति प्रदान करने से पहले भवन की संरचनात्मक दृढ़ता दिल्ली विकास प्राधिकरण के संरचनात्मक इन्जीनियरों अथवा इन्जीनियरी स्कन्ध द्वारा जांची जाती है जिसने मकानों का निर्माण किया।

कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र

4858. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **कृषि मंत्री** कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्रों के बारे में 5 मार्च, 1984 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1178 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशु आनुवंशिकी के स्रोतों के राष्ट्रीय ब्यूरो के अन्तर्गत सातवीं योजना के दौरान वर्ष-वार प्रस्तावित की तुलना में छठी योजना के दौरान केन्द्र स्थापना की तारीख, उसका स्थान, खेती योग्य भूमि का क्षेत्र और वर्षवार अनुमानित खर्च कितना है ;

(ख) अन्य देशों में कार्य कर रहे वैसे ही प्रत्येक पशु आनुवंशिकी के स्रोतों के राष्ट्रीय ब्यूरो के स्थलों की तुलना में उनके लिए मौजूदा स्थल का चुनाव करने का क्या आधार है तथा इनमें से प्रत्येक की अवधि, उनके आदेश ब्यूरो-वार क्या हैं

(ग) सरकार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अन्तर्गत वर्षवार उन नए संस्थापन बनाने का जिनको अभी तक इन संस्थानों/केन्द्रों के इस प्रकार के ब्यूरो के लिए प्रस्तावित कार्य नहीं सौंपा गया तथा छोटे आकार के बहु-वर्ग संगठन बनाने का किस तरह औचित्य सिद्ध करती है ; और

(घ) क्या सारे मामले की जांच कराने के लिए कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने का सरकार का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र, बंगलौर, कर्नाटक के परिसर में की जा रही है। विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति की तारीख 5 नवम्बर, 1983 है। वर्ष 1984-85 के लिए बजट आकलन 15 लाख रुपये हैं। चूंकि यह ब्यूरो समन्वयक ऐजेन्सी के रूप में कार्य करेगा इसलिए खेती के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं होगी। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिको संसाधन ब्यूरो के लिए सातवीं पंच वर्षीय योजना के प्रस्तावों का अभी निरूपण किया जाना है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने ब्यूरो के लिए उपयुक्त स्थान की सिफारिश करने

के लिए कार्य दल की स्थापना की थी । कार्यदल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को देखते हुए कि पशु विज्ञान पर भा० कृ० अ० प० के दो राष्ट्रीय संस्थानों, नामतः राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान के, दो प्रमुख केन्द्रों के अतिरिक्त कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान संस्थान भी बंगलौर में स्थित है ; यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान के बंगलौर स्थित दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र के परिसर में ब्यूरो की स्थापना की जाए ।

(ग) विद्यमान प्रजाति-वार संस्थानों को इन प्रजातियों के विकास के विभिन्न पहलुओं पर विशिष्ट अनुसंधान कार्य सौंपा गया है और ब्यूरो की कार्यप्रणाली से इनका कोई टकराव नहीं है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो प्रमुख पशुधन और कुक्कुटों की देशी नस्लों की पहचान, विवरण, मूल्यांकन और संभावित आर्थिक मूल्य निर्धारण और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है।

(घ) ऊपर दिए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी योजना के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजनाएं

4859. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या कृषि मन्त्री छठी योजना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजनाओं के बारे में 5 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1373 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भेड़ अनुसन्धान परियोजना के लिए स्थानों का दौरा करने वाले तथा उनका चयन/उन्हें मंजूर करने वाले सी० एस० डब्ल्यू० आर० आई० के भूतपूर्व निदेशक का विवरण क्या है प्रत्येक में भेड़ अनुसंधान कार्यक्रम प्रारम्भ करने का वर्ष, प्रारम्भ से 15 मार्च, 1984 तक प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल तथा 1 अक्तूबर को आयु, लिंग, और जातिवर्गानुसार जीवित भेड़ों की संख्या क्या थी और कार्यक्रम के वर्तमान कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) आरम्भ से 15 मार्च, 1984 तक सिक्किम भेड़ अनुसंधान केन्द्र के लिए वर्ष-वार बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया, कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कितनी राशि दी गई और केन्द्र को कितनी प्राप्ति हुई ; और

(ग) सी० एस० डब्ल्यू० आर० आई० के भूतपूर्व निदेशक के दौरे की तारीख और सिफारिशों सहित हिमाचल प्रदेश में ताल केन्द्र के सम्बन्ध में उपरोक्त (क) और (ख) में मांगी गई जानकारी का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में "ए० आई० सी० आर० पी०"

4860. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के "ए० आई० सी० आर० पी०"

कार्य चल रहे हैं, यदि हां, तो कब से, तथा इनके शुरू होने से 15 मार्च, 1984 तक उनमें वर्षवार हुआ कुल दुग्ध उत्पादन, दूध देने वाली गायों की संख्या, दूध न देने वाली गायों की संख्या तथा जातिवर्ग-वार मादाओं की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या किसी समिति और कार्यशाला द्वारा 1980 से अब तक इसके कार्यकरण की पुनरीक्षा की गई है, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और उन समितियों में कौन-कौन सदस्य थे और प्रत्येक कार्यशाला का समिति ने किन-किन तारीखों को दौरा किया तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने सिफारिश-वार 15 मार्च, 1984 तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या डी० जी० और डी० डी० जी० (एस) ने 1980 से अब तक इसका दौरा किया और 15 मार्च, 1984 तक एकक के कार्यनिष्पादन के बारे में रिपोर्ट दी, यदि हां, तो उनके द्वारा दी गई प्रत्येक दौरा रिपोर्ट का क्या ब्यौरा है ; और

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के शासी निकाय के सदस्यों में भी 1984 में आई० वी० आर० आई० केन्द्र का दौरा किया ; यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं, किन-किन तारीखों को दौरा किया और उसके क्या निष्कर्ष रहे ?

कृषि **मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) जी, हां, श्रीमान । अखिल भारतीय समन्वित गो पशु अनुसन्धान प्रायोजना की एक यूनिट तीसरी पंचवर्षीय योजना से ही उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर में कार्य कर रही है ।

दूध देने वाली गायों, दूध न देने वाली गायों की वर्षवार संख्या, इस यूनिट के प्रारम्भ से 15 मार्च, 1984 तक गायों की कुल संख्या, आनुवंशिक वर्गवार संख्या से संबंधित सूचना संलग्न विवरण II में दी गयी है । वर्षवार कुल दूध उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है ।

(ख) जी हां, श्रीमान । परिषद द्वारा इसके पत्र सं० 14-3/80-ए० एस० आर० II दिनांक 9 जून, 1980 के तहत गठित एक मध्यावधि पुनर्रीक्षण समिति द्वारा इस गोपशु प्रायोजना की कार्य-क्षमता का पुनर्रीक्षण किया गया था । इस समिति के निम्नलिखित सदस्य थे : —

1. डा० सी० कृष्ण राव	अध्यक्ष
2. डा० डी० सुन्दरेशन	सदस्य
3. श्री वी० एन० अम्बले	सदस्य
4. डा० पी भट्टाचार्य	सदस्य
5. डा० ओ० बी० टण्डन	सदस्य
6. डा० बी० जी० कटपातल	सदस्य सचिव

समिति ने भारतीय पशुचिकित्सा अनुसन्धान संस्थान की इस यूनिट का 28 जुलाई, 1981 से

30 जुलाई, 1981 तक दौरा किया। यूनिट की कार्यक्षमता संतोषजनक पायी गयी। समिति ने इस प्रायोजना यूनिट के कार्य में और सुधार लाने के लिए इसे स्टॉफ, आवास और वित्तीय सहायता आदि प्रदान करने के लिए अनेक उपाय सुझाये।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में 28 से 30 अगस्त, 1983 तक आयोजित अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसन्धान प्रायोजना की छठी कार्यशाला में इस यूनिट की कार्यक्षमता की पुनः जांच की गयी और इसे सन्तोषजनक पाया गया।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने मध्यावधि पुनर्रीक्षण समिति और गोपशु प्रायोजना की छठी कार्यशाला द्वारा की गयी सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए यूनिटों और प्रायोजना समन्वयकर्त्ता (ए० बी०) से कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है।

(ग) जी हां, श्रीमान। भा० कृ० अ० प० के महानिदेशक और उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) ने 6 जनवरी, 1983, 21 मई, 1983 और 15 मार्च, 1984 को अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसन्धान प्रायोजना की भारतीय पशुचिकित्सा अनुसन्धान संस्थान यूनिट का दौरा किया था। इन दौरों के दौरान इस बात पर बल दिया गया था कि चारा उत्पादन और पशुओं की स्थिति में काफी सुधार लाने की गुंजाइस है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री, महानिदेशक और उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) ने 15 मार्च, 1984 को इस यूनिट का दौरा किया था तथा इन्होंने कुल मिलाकर यूनिट की कार्यक्षमता और पशुओं के स्वास्थ्य पर संतोष व्यक्त किया था।

(घ) जी हां, श्रीमान। सांसद तथा भा० कृ० अ० प० के शासी निकाय के सदस्य, श्री मोहम्मद असरार अहमद ने दिनांक 14-3-1984 को इस यूनिट का दौरा किया था और उन्होंने भी इसकी कार्यक्षमता तथा पशुओं के स्वास्थ्य पर संतोष व्यक्त किया था।

विवरण I

कुल दूध उत्पादन (क्विंटल)

एकक : भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर

वर्ष	दूध उत्पादन (क्विंटल)
1	2
1970-71	उपलब्ध नहीं
1971-72	उपलब्ध नहीं
1972-73	उपलब्ध नहीं

1	2
1973-74	उपलब्ध नहीं
1974-75	1342.56
1975-76	2516.67
1976-77	4109.21
1977-78	4837.26
1978-79	4467.29
1979-80	5827.38
1980-81	6184.27
1981-82	6386.95
1982-83	6808.46
1983-84	7637.11*

* 15 मार्च 1984 तक

गेहूं की खरीद

4861. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गेहूं का कुल कितना उत्पादन होने की आशा है ;

(ख) क्या गेहूं और चावल की आवक कम होने की आशा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गेहूं के उत्पादन के अन्तिम अनुमान राज्यों से अभी देय नहीं हुए हैं। तथापि, वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर, यह अनुमान लगाया जाता है कि यदि मौसम के शेष भाग के दौरान मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो इस वर्ष गेहूं का उत्पादन गत वर्ष के 425 लाख मीटरी टन के रिकार्ड उत्पादन से अधिक हो सकता है।

(ख) चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों की चुनींदा मंडियों में अक्तूबर, 1983 से फरवरी, 1984 तक के दौरान चावल की आवक पहले के दोनों वर्षों की तदनुरूपी अवधियों की तुलना में अधिक हुई है। जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है देश के अधिकांश भागों में अभी फसल की कटाई की

विवरण-II

अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना

वर्ष के 31-3 को दूध देने वाली गायों, दूध न देने वाली गायों तथा मादा पशुओं की कुल संख्या

यूनिट : भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर

आनुवंशिकी ग्रुप/मादाओं की श्रेणी	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984*
हरियाणा																
दूध देने वाली गायें	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	22	37	17	3	—	—	—	—	—	—
दूध न देने वाली गायें	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	148	163	122	63	—	—	—	—	—	—
कुल मादा	395	393	412	381	388	317	171	200	139	66	—	—	—	—	—	—
1/2एफ० 1/2 एच०																
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	10	27	37	49	61	78	101	88	98	112	98	65
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	3	7	20	24	24	47	61	29	33	48
कुल मादा	—	—	27	43	68	86	104	131	178	198	203	196	184	145	132	136

1/2 बी० 1/2 एच०																
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	4	20	26	40	56	91	83	64	63	44	33	28
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—		5	7	12	25	28	42	25	16	24	19
कुल मादा	—	—	20	33	46	71	117	127	127	126	123	116	95	63	59	53
1/2 जे० 1/2 एच०																
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	7	27	25	44	71	63	68	70	63	40	31	18
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	7	3	14	30	28	20	9	7	5	9
कुल मादा	—	—	19	32	37	80	94	106	108	105	101	93	72	47	36	27
1/2 एफ० 1/4 बी० 1/4 एच०																
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	9	14	29	40	50	63
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	4	14	17	22
कुल मादा	—	—	—	—	—	4	13	25	42	62	99	125	120	113	89	132
1/2 एफ० 1/4जे० 1/4 एच०																
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9	13	40	51	78	66
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	8	3	13	14	23
कुल मादा	—	—	—	—	1	6	10	28	54	74	105	134	128	119	105	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1/2 बी० 1/4 एफ 1/4 एच०																
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	7	3	13	13	21	30
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	1	5	8	6
कुल मादाएं	—	—	—	—	1	4	12	20	34	39	52	59	68	65	55	70
1/2 जे० 1/2 एफ० 1/4 एच०																
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	2	5	6	8	10	16	17	49	40
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	9	5	16
कुल मादाएं	—	—	—	—	1	4	9	15	18	25	43	67	90	89	81	92
1/2 एफ० 1/4 बी 1/4 एच० (आई)																
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	एनए	—	1	3	—
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	एनए	—	—	2	—
कुल मादाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23**	22	36	47	—
1/2 एफ० 1/4 जे० 1/4 एच० (आई)																
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—

दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	
कुल मादा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	47	74	—	
1/2 बी० 1/4 एफ० 1/4 एच० (आई)																	
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
कुल मादा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	14	20	—	
1/2 जे० 1/4 एफ० 1/4 एच० (आई)																	
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	
कुल मादा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	16	21	—	
अन्य संकर																	
दूध देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	2	5	3	3	—	—	—	—	—	
दूध न देने वाली गायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
कुल मादा	—	—	—	—	4	19	24	31	12	4	4	—	—	1	6	—	

* 15-3-1984 को जैसा तथा अनुरूप परस्पर ग्रुप की मादाएं भी शामिल हैं।

** दूसरी पीढ़ी के संकर नस्ल के सभी चार परस्पर ग्रुपों में मादाओं की कुल संख्या। एन० ए०—उपलब्ध नहीं।

जानी है। तथापि, इस वर्ष अधिक अच्छी फसल की संभावना से गेहूं का आवक भी मंडी में अधिक होने की आशा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

'हुडको' योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आबंटन

4862. **श्री फूलचंद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'हुडको' 79' योजना के अन्तर्गत ऐसे कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं जिन्हें अभी तक फ्लैटों का आबंटन नहीं किया गया है ;

(ख) 'हुडको' फ्लैटों के निर्माण सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है तथा प्रतिवर्ष कितने फ्लैटों का निर्माण करने का विचार हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार एम० आई० जी०, एल० आई० जी० फ्लैटों के लिए निकट भविष्य में पंजीकरण पुनः खोलने का है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार 'रोहिणी' के अन्तर्गत फ्लैटों के लिए पंजीकरण पुनः खोलने का है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निम्नलिखित वर्गवार ब्यौरे के अनुसार 1,40,931 व्यक्ति :—

मध्ययम आय वर्ग	36167
निम्न आय वर्ग	59132
जनता	45632
	140931

(ख) हुडको योजना के अन्तर्गत 1982-83 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के 18,988 मकानों का निर्माण किया बताया गया है। इसके अलावा इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के लगभग 29,000 मकान निर्माणाधीन है और विभिन्न वर्गों के लगभग 22,000 मकानों की योजना जा रही है।

(ग) मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृतों को देखते हुए इन वर्गों के लिए भविष्य में पंजीकरण पुनः आरम्भ करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत प्लाटों के लिए नया पंजीकरण पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति

4863. **श्री ए० के० राय :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों की नवीनतम स्थिति क्या है और उनके मद-वार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितना "सेफ" स्टाक है ;

(ग) वर्ष 1983-84 में बिहार और पश्चिमी बंगाल की मांग क्या है और कितनी मात्रा की सप्लाई की गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि अच्छी फसल होने के बावजूद, वसूली करने वाले तंत्र राज्यों की मांगों को पूरा करने हेतु खाद्यान्नों का स्टाक रखने में असफल रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 1-3-1984 को अनुमानित खाद्यान्नों का स्टाक निम्न प्रकार था :—

		(लाख मीटरी टन में)
चावल	...	48.70
गेहूं	...	77.25
मोटे अनाज	...	00.03
	योग	125.98

(ख) सरकार की नीति के अनुसार सरकारी एजेंसियों द्वारा रखे जाने वाले खाद्यान्नों के स्टाक की अपेक्षित मात्रा वर्तमान आवश्यकताओं के लिए पहली अप्रैल को न्यूनतम 65 लाख मीटरी टन और वर्ष की पहली जुलाई को अधिकतम 114 लाख मीटरी टन के बीच के रेंज में परिचालन स्टाक के अलावा 100 लाख मीटरी टन बफर स्टाक की होनी चाहिए।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1983-84 के लिए बिहार और पश्चिमी बंगाल के बारे में मासिक मांग, आवंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है।

(घ) और (ङ) देश में सूखे की गम्भीर स्थिति होने के बावजूद, 1982-83 की फसल से 154.9

विवरण

वर्ष 1983-84 के दौरान बिहार और पश्चिमी बंगाल की खाद्यान्नों की मासिक मांग, उनको किए गए आवंटन और उनके उठान के ब्यौरे बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

	मांग				आबंटन				(उठान* 29-2-1984 तक)			
	चावल	गेहूं सा०वि०	गेहूं फ्लोर मिल्स	जोड़	चावल	गेहूं सा०वि०	गेहूं फ्लोर मिलें	जोड़	चावल	गेहूं सा०वि०	गेहूं फ्लोर मिलें	जोड़
1983					**I. बिहार**							
अप्रैल	50.0	100.0	33.0	183.0	15.0	60.0	15.77	90.77	15.0	37.5	16.5	69.0
मई	50.0	100.0	33.0	183.0	15.0	60.0	15.77	90.77	15.0	43.1	3.4	61.5
जून	50.0	100.0	33.0	183.0	20.0	60.0	15.77	95.77	21.3	43.1	15.5	79.9
जुलाई	50.0	100.0	33.0	183.0	20.0	60.0	15.77	95.77	18.0	56.9	13.0	87.9
अगस्त	50.0	100.0	33.0	183.0	20.0	60.0	15.77	95.77	19.4	47.5	14.6	81.5
सितम्बर	50.0	100.0	33.0	183.0	20.0	60.0	15.77	95.77	14.0	45.9	16.1	76.0
अक्टूबर	50.0	100.0	33.0	183.0	20.0	60.0	16.67	96.77	11.2	43.5	13.3	68.0
नवम्बर	50.0	100.0	33.0	183.0	20.0	60.0	15.77	95.77	11.8	38.9	10.8	61.5
दिसम्बर	50.0	100.0	33.0	183.0	20.0	60.0	15.77	95.77	14.5	38.9	12.8	66.2

1984												
जनवरी	50.0	100.0	33.0	183.0	20.0	72.0	20.77	112.77	14.1	43.2	17.4	74.7
फरवरी	50.0	100.0	33.0	183.0	20.0	72.0	20.77	112.77	14.4	53.6	15.9	83.9
मार्च	50.0	100.0	33.0	183.0	20.0	72.0	20.77	112.77		उपलब्ध		नहीं
जोड़	600.0	1200.0	396.0	2196.0	230.0	756.0	205.24	1191.24	168.7	392.1	149.3	810.1
1983					**II. पश्चिमी बंगाल**							
अप्रैल	200.0	145.0	55.0	400.0	110.0	105.0	35.0	250.0	128.6	82.6	33.3	244.5
मई	200.0	145.0	55.0	400.0	110.0	105.0	35.0	250.0	125.9	77.1	27.2	230.2
जून	200.0	145.0	55.0	400.0	110.0	105.0	35.0	250.0	115.8	68.8	34.2	218.8
जुलाई	200.0	145.0	55.0	400.0	110.0	105.0	35.0	250.0	128.9	83.1	35.9	247.9
अगस्त	200.0	145.0	55.0	400.0	110.0	105.0	35.0	250.0	127.7	101.2	36.6	265.5
सितम्बर	200.0	145.0	55.0	400.0	110.0	105.0	35.0	250.0	116.8	98.4	38.5	253.7
अक्टूबर	200.0	145.0	55.0	400.0	110.0	105.0	40.0	255.0	112.5	94.5	35.8	242.8
नवम्बर	200.0	145.0	55.0	400.0	110.0	105.0	35.0	250.0	85.5	78.8	24.4	198.7
दिसम्बर	200.0	145.0	55.0	400.0	110.0	105.0	35.0	250.0	84.0	73.2	34.0	191.2

1	2	3	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1984												
जनवरी	200.0	145.0	55.0	400.0	110.0	126.0	40.5	276.5	89.1	89.0	32.8	210.9
फरवरी	200.0	145.0	55.0	400.0	110.0	126.0	40.5	276.5	89.1	89.0	32.8	210.9
मार्च	200.0	145.0	55.0	400.0	110.0	126.0	40.5	276.5	उपलब्ध		नहीं	
जोड़	2400.0	1740.0	660.0	4800.0	1320.0	1323.0	441.5	3084.5	1203.9	935.7	375.5	2515.1

* अनन्तिम, इसमें संशोधन हो सकता है।

लाख मीटरी टन अनाजों की रिकार्ड वसूली की गई थी। 1983-84 में भी खरीफ के अनाज की वसूली जो कि अक्तूबर, 1983 में शुरू की गई थी, उत्साहवर्द्धक थी और 21 मार्च, 1984 तक 66.5 लाख मीटरी टन की मात्रा वसूल कर ली गई थी जबकि पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान 61.7 लाख मीटरी टन की मात्रा वसूल की गई थी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत धन का आबंटन

4864. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981-82 और 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए किए गए आबंटनों में कोई कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए आबंटन में उन कमियों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन धन का उपयोग

4865. **श्री हरीश रावत** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन परियोजनाओं के शेल्वस के अधीन कार्यों पर डी० आर० डी० ए० की स्वीकृति का बिना खर्च किए जा रहे धन के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम के अधीन परियोजनाओं के शेल्वस का पता लगाने के लिए विकास खण्डों से भी परामर्श किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय इस कार्यक्रम में लोगों के प्रतिनिधियों का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को कुछ कदम उठाने की सलाह देगा ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, जिला स्तर पर गठित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों जिनमें सांसदों एवं विधायकों को भी प्रतिनिधित्व दिया

जाता है, को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजना तथा निर्माण कार्यों के निष्पादन का कार्य सौंपा जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें "शेल्फ ऑफ प्रोजेक्टस" तैयार करनी होती है तथा उस आधार पर वार्षिक कार्रवाई योजना बनानी होती है। निर्माण कार्यों के चयन तथा शेल्फ ऑफ परियोजना तैयार करने के कार्य में खण्डों को भी शामिल किया जाता है।

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को मुआवजा

4866. **श्रीकृष्ण चन्द पांडे** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को आबंटित भूमि से "शापिंग सेन्टर्स" के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली प्रशासन द्वारा नीलाम की जाने वाली भूमि के लिए इन सोसाइटीज को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) शापिंग सेन्टर्स के निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि का ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को मुआवजे सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सहकारी सामूहिक आवास समितियों को आबंटित भूमि में से कोई विपणन केन्द्र का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नेशनल डेरी डेबलेपमेंट बोर्ड को आनन्द से करनाल ले जाया जाना

4867. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने नेशनल डेरी डेबलेपमेंट बोर्ड को आनन्द से करनाल ले जाए जाने का फैसला लिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को आनन्द से करनाल ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तिलहनों और दालों के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि

4868. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों और दालों के मूल्य हाल के महीनों में बढ़े हैं ;

(ख) क्या खाद्य तेलों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए तिलहनों और दालों की और अधिक एकड़ भूमि में खेती करने की बड़ी आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो खेती योग्य कुल भूमि में से कितने एकड़ भूमि में तिलहनों और दालों की खेती

होती है और तिलहनों तथा दालों को खेती की क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अभी हाल के महीनों में, विशेषकर जनवरी से, तिलहनों और दालों के थोक मूल्यों में सूचकांक में गिरावट का रुख नजर आया है।

(ख) दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि प्राप्त करने के लिए सरकार प्रति हैक्टार उत्पादकता बढ़ाने तथा खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दोहरी नीति अपना रही है।

(ग) 1982-83 के दौरान तिलहनों और दालों के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किया गया था :

(लाख हैक्टार)

वर्ष	दालें	तिलहन
1982-83	223.90	191.00

दालों और तिलहनों के अन्तर्गत क्षेत्र और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं—सिंचित क्षेत्रों में दाल की फसलों की शुरूआत, गर्मी के मौसम और रबी के मौसम में अवशिष्ट नमी के उपयोग द्वारा चावल की परती भूमि में मूंग और उड़द की अल्पकालीन किस्मों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को लाना, सोयाबीन, बाजरा कपास और अन्य फसलों के साथ अरहर की अंतर्वर्ती फसल, दालों के उन्नत बीजों का संवर्धन और उपयोग, फास्फेटयुक्त उर्वरकों और राइजोबियम कल्चर का उपयोग और वनस्पतिरक्षण उपायों, कटाई के बाद उन्नत प्रौद्योगिकी और समर्थन मूल्यों को अपनाना। इसी प्रकार, तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—क्षमता वाले क्षेत्रों (अर्थात सौराष्ट्र में मूंगफली, मध्य प्रदेश में सोयाबीन) में विशेष परियोजनाओं की शुरूआत करना, सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे परम्परागत तिलहनों के विकास पर जोर देना, सिंचित तिलहन फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि, बीजों, फास्फेटयुक्त उर्वरकों और वनस्पति रक्षण उपायों के उन्नत पैकेज पद्धतियों को अपनाना, संयुक्त प्रदर्शनों का आयोजन, मिनीकिटों का वितरण और समर्थन मूल्य परिचालन।

गुजरात के समस्याग्रस्त गांवों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था

4869. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली अप्रैल, 1983 को गुजरात में पीने के पानी की समस्या वाले गांवों की संख्या क्या थी ;

(ख) 1 अप्रैल, 1983 तक कितने समस्याग्रस्त गांवों को पीने का सुरक्षित जल उपलब्ध करा दिया गया था ;

(ग) 1 अप्रैल, 1983 को कितने ऐसे गांव से, जिन्हें पेयजल उपलब्ध कराया जाना था; और

(घ) बाकी के समस्याग्रस्त गांवों को जल उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना बनाई गई है प्रस्तावित परिव्यय कितना है।

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) इस मन्त्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार गुजरात में 1-4-80 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए 5,318 समस्याग्रस्त ग्रामों में से 1-4-1983 तक 1,818 ग्रामों को स्वच्छ पेय जल के कम से कम एक स्रोत से लाभान्वित किया गया था जिससे 3,500 समस्याग्रस्त ग्राम शेष रह गये थे।

(घ) गुजरात सरकार द्वारा 1983-84 के दौरान 1,000 समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 31 दिसम्बर, 1983 तक 625 ग्रामों को लाभान्वित किया गया था। 1983-84 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात सरकार को 413.61 लाख रु० की राशि का अनुदान दिया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार को निष्पादन पर आधारित नवीन केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1983-84 के दौरान 350 लाख रु० की अनुदान सहायता दी गई थी। राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में गुजरात राज्य के लिए 83-84 के लिए 1600 लाख रु० का परिव्यय भी उपलब्ध है।

सिंचाई के लिए राजस्थान को दी गई धनराशि

4870. **श्री बिरदा राम फुलवरिया** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान सिंचाई साधनों पर खर्च करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के लिए कितनी धन राशि की व्यवस्था की है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी जिलावार ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों एवं ब्लाक अनुदानों के रूप में देती है और यह किसी स्कीम, सेक्टर अथवा विकास शीर्षक से जुड़ी नहीं होती है। बहरहाल, राजस्थान नहर परियोजना पर अतिरिक्त योजना परिव्यय के लिए 1983-84 के दौरान राजस्थान सरकार को 15 करोड़ रुपए अग्रिम योजना सहायता के रूप में देने के लिए केन्द्रीय सरकार सहमत हो गई है।

राजस्थान नहर में टूट-फूट

4871. **श्री बिरदा रामफुलवारिया** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर में इसके निर्माण के केवल कुछ ही महीनों के बाद इधर-उधर से टूट-फूट रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस महत्वपूर्ण नहर में बहुत सा पानी बेकार जा रहा है और इसकी मरम्मत लागत भी अधिक होती जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या सरकार ने इस

टूट-फूट के कारणों का पता लगाया है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राजस्थान मुख्य नहर में ऐसी कोई दरार नहीं आई है। तथापि, नव-निर्मित कच्ची जल आपूर्ति चैनल में इसके प्रारम्भिक प्रवाह के दौरान दो स्थानों पर दरार आ गई थी जहां पानी बड़े जोरों से भर रहा था। मरम्मत का कार्य तत्काल आरम्भ कर दिया गया था और यह अब पूरा हो गया है।

राजस्थान में गांवों के लिए पेय जल की व्यवस्था

4872. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान राजस्थान में कितने गांवों के लिए पेय जल की व्यवस्था की गई थी और वर्ष 1983-84 के दौरान पेय जल योजना के अन्तर्गत कितने गांवों में व्यवस्था किए जाने का विचार है ; और

(ख) उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में समस्याग्रस्त गांवों की संख्या, 1982-83 के दौरान लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्राम तथा 1983-84 के दौरान लाभान्वित किए जाने वाले समस्याग्रस्त ग्रामों के लक्ष्य का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राजस्थान में लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों का विवरण

क्र०सं०	जिला	1-4-80 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए ग्रामों की संख्या	1982-83 के दौरान लाभान्वित	1983-84 के लिए लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	737	126	125
2.	अलवर	1278	166	163
3.	बांसवाड़ा	1087	286	220
4.	बाड़मेर	592	85	123
5.	भरतपुर	886	131	50

1	2	3	4	5
6.	धौलपुर	233	49	95
7.	भीलवाड़ा	988	407	34
8.	बीकानेर	300	80	100
9.	बंदी	361	75	92
10.	चित्तोड़गढ़	571	256	50
11.	चुरू	517	50	45
12.	हंगरपुर	346	92	36
13.	गंगानगर	1625	243	110
14.	जयपुर	1917	388	293
15.	जैसलमेर	309	32	35
16.	जालोर	262	74	45
17.	झालावाड़	528	76	145
18.	झुनझुनू	522	43	89
19.	जोधपुर	425	56	93
20.	कोटा	639	81	120
21.	नागौर	825	102	102
22.	पाली	416	81	93
23.	सवाई माधोपुर	927	192	214
24.	सीकर	444	96	81
25.	सिरोही	228	65	20
26.	टौंक	495	93	92
27.	उदयपुर	2345	375	535
	योग	19803	3800	3200

सुकाली चैलवाड़ा और बन्दी सांधरा सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था

4873. **श्री विरदा राम फुलवारिया : क्या सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में सुकाली चैलवाड़ा (सिरोहदी) और बन्दी सांधरा (जल्लौर) मध्य सिंचाई परियोजनाएं मन्जूर कर दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि धन के अभाव के कारण महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं आरंभ नहीं की जा रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा धन कब तक उपलब्ध कराया जाएगा और योजनाएं आरंभ होगी ; और

(घ) यदि धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो उसके क्या कारण हैं?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संभवत: राजस्थान की सुकली सैलवारा (सिरोही) तथा बन्दी सांधरा (जालोर) मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का जिक्र किया गया है। योजना आयोग की सलाहकार समिति ने 1-12-1981 को हुई अपनी बैठक में सुकली सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी थी बशर्ते राजस्थान की वित्त विभाग की सहमति इस पर प्राप्त हो जाए। राजस्थान सरकार (सिंचाई विभाग) ने सूचित किया है कि परियोजना उनके वित्त विभाग को 18-2-84 को प्रस्तुत कर दी गई थी।

बंदी सांधरा परियोजना की आशोधित परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में मार्च, 1983 में प्राप्त हुई थी। आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को उनके स्पष्टीकरण अनुपालना के लिए जून, 1983 में भेज दी गई थी। राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर उत्तर अभी भेजे हैं।

(ख) से (घ) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि क्योंकि ये परियोजनाएं अभी तक स्वीकृत नहीं की गई हैं अत: इनके लिए निधियां उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं। तथापि, स्वीकृति लाम्बित रहने तक, योजना आयोग के कार्यकारी दल ने इन दो परियोजनाओं के लिए वर्ष 1984-85 के लिए दस-दस लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित कर दिया है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

छठी पंचवर्षीय योजना में और अधिक भूमि की सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत शामिल करना

4874. **डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक भूमि पर कौन सी बड़ी और मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई ;

(ख) सिंचाई परियोजनाओं से अब तक कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की गई ; और

(ग) किसानों को और अधिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) छठी पचवर्षीय योजना के दौरान देश में अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 381 नई परियोजनाओं (115 बृहत् तथा 266 मध्यम) पर कार्य आरंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त, पहले से शुरु की गई 617 परियोजनाओं (176 बृहत् तथा 441 मध्यम) पर भी कार्य जारी रहा ;

(ख) ऐसा अनुमान है कि जून, 1983 के अन्त तक, बृहत्, मध्यम तथा लघु स्कीमों के कुल लगभग 63.3 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी जिनमें से 58.5 मिलियन हैक्टेयर का उपयोग हुआ।

(ग) सिंचाई को 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया गया है और सिंचाई क्षमता शीघ्र उपलब्ध कराने वाली परियोजनाओं के लिए पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछेक बृहत् परियोजनाओं की मानीटरिंग भी केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है, अड़चनों का पता लगाया गया है और उनको दूर करने के उपाय सुझाए गए हैं ताकि इन परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। चुनिंदा बृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोयनाओं में केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में एक कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

दिल्ली में भूमि के मूल्यों में वृद्धि

4875. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमि के मूल्य फिर बढ़ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

4876. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मे अनधिकृत निर्माण बेरोकटोक हो रहा है तथा सरकारी अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं ;

(ख) क्या कुछ मामलों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के पास जांच-पड़ताल करने के लिए भेजा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो मामलों का ब्यौरा क्या है तथा अपराधियों और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) स्थानीय निकायों ने अनधिकृत निर्माण में अधिकारियों की सांठ-गांठ का खण्डन किया है।

(ख) तथा (ग) दिल्ली प्रशासन के सर्तकता/भ्रष्टाचार निरोधी विभाग द्वारा जांच पड़ताल की जानी है और भ्रष्टाचार की केवल विशेष घटनाओं को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को भेजा जाना है।

ओखला औद्योगिक बस्ती में प्लाटों के लिए लाटरी निकालना

4877. **श्री बी०एस० विजयराघवन** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** ओखला औद्योगिक बस्ती में प्लाटों के लिए लाटरी निकालने के बारे में 19 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4209 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेष प्लाटों को प्रतीक्षा सूची के लोगों को आबंटित करने के संबंध में निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या प्रतीक्षा सूची के 25 व्यक्तियों के शेष 51 प्लाटों में से प्लाटों का आबंटन किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो प्लाट कब तक आबंटित किए जाएंगे ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि विशिष्ट वर्गों के लिए आरक्षण के कारण 227 प्लाटों में से केवल 176 प्लाटों को ही लाटरी निकालने के लिये शामिल किया गया है। शेष प्लाटों को छोड़ा जाना है जिनका अभी विकास किया जाना है। दिल्ली प्रशासन द्वारा इन अविकसित प्लाटों के आबंटन की पेशकश केवल उनके विकास करने के पश्चात् ही करने का निर्णय लिया गया।

प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को आवंटन के लिए केवल तभी विचार किया जायेगा जब सम्बन्धित वर्ग का कोई प्लाट छोड़ा जाए या आबंटन मनसूख किया जाए।

उर्वरकों के किस्म-नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना

4878. **श्री नवीन रावणी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, उर्वरकों को किसानों को इन्हें बेचे जाने के पूर्व उनको किस्म (क्वालिटी) की जांच करने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं ;

(क) यदि हां, तो भारत में इस तरह की कितनी प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं और वर्ष 1983 के दौरान कितने नमूनों की जांच की गयी ;

(ग) आयातित उर्वरकों को इन्हें बेचे जाने से पूर्व जांच करने के लिए व्यवस्थाएं की गई है ;

(घ) क्या देशी अथवा आयातित उर्वरकों के जांच के दौरान उनमें कोई घटिया उर्वरक पाये गये ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत नियुक्त किए गए निरीक्षक विभिन्न स्रोतों से नमूने लेते हैं और इन प्रयोगशालाओं में इनका विश्लेषण करते हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों में 41 उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद में एक केन्द्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान है। अब तक विभिन्न राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1983 के दौरान राज्य प्रयोगशालाओं में 23062 नमूनों और केन्द्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान में 2816 नमूनों की जांच की गई।

(ग) भारत सरकार की ओर से एम० एम० टी० सी० द्वारा विभिन्न देशों में नियुक्त निरीक्षण एजेंसियों द्वारा भारत के लिए जहाज में माल लदान से पहले आयातित उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। भारत में माल पहुंचने पर केन्द्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद द्वारा इस सामग्री की पुनः यादृच्छिक जांच की जाती है। इससे आयातित उर्वरकों की गुणवत्ता की दोहरी जांच सुनिश्चित हो जाती है।

(घ) उर्वरकों के 2469 नमूने घटिया किस्म के पाए गए थे।

(ङ) 143 मामलों में मुकदमें चलाए गये हैं, 37 मामलों में सजा दी जा चुकी है और शेष मामलों में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत और प्रशासनिक कार्यवाही की गई है।

भारतीय खाद्य निगम में नुकसान

4879. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (आज तक) के दौरान भारतीय खाद्य निगम को भण्डार हानि, चोरी और विलम्बन शुल्क के कारण कुल कितना नुकसान हुआ ;

(ख) भण्डारण हानि को न्यूनतम करने, चोरियों को रोकने और विलम्ब शुल्क से बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) चोरियों के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम के कितने कर्मचारियों को अब तक फटकारा गया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) वित्तीय वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान भण्डारण में खाद्यान्नों की चोरी के कारण हानि सहित भण्डारण में खाद्यान्नों की हानि तथा अदा किए गए डेमरेज प्रभारों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	भण्डारण के दौरान चोरी सहित भण्डारण में हानि (मात्रा लाख मीटरी टन में)	अदा किए गए डेमरेज प्रभार (करोड़ रुपयों में)
1981-82	2.42	6.19
1982-83	2.26	6.32

वर्ष 1983-84 के लेखों का अभी संकलन नहीं किया गया है ।

(ख) परिचालनों के स्वरूप और भारी मात्रा की दृष्टि में तथा ड्रायज आदि के कारण भण्डारण के दौरान कुछ हानि हो जाना एक सामान्य बात होती है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने हानियों को कम करने और चोरी को रोकने के लिए क्रय केन्द्रों पर गुण नियन्त्रण को सख्ती के साथ अपनाने, लदान और उतरान केन्द्रों पर प्रभावकारी देख-रेख करने, खरीदारी, परिवहन और खाद्यान्न प्राप्त करते समय बोरियों का वजन करने तथा उनकी गणना करने, सुरक्षा प्रबन्धों का कड़ा करने, वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने, खुले भण्डारण में कमी करने, मशीनों से सिलाई करने, लापरवाही अथवा दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों को उचित सजा देने जैसे कई एक पग उठाए हैं।

डेमरेज पड़ने की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से रेल-शीर्षों पर खाद्यान्नों को हैंडल करने के प्रबन्धों को सुदृढ़ कर दिया गया है। जहां हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदारों को जिम्मेदार पाया जाता है, वहां रिकवरियां की जाती हैं। जहां इन प्रभारों के पड़ने के लिए भारतीय खाद्य निगम को जिम्मेदार नहीं पाया जाता है वहां रेलवे से प्रभार वापस करने/छोड़ देने के लिए अनुरोध किया जाता है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के जिन कर्मचारियों को लापरवाही अथवा दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाया जाता है उनके विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। ऐसी कार्रवाई यथावश्यक जिला, क्षेत्रीय, जोनल जैसे सभी स्तरों पर की जाती है। तथापि, ऐसे मामलों के बारे में जहां भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की चोरी के कारण निभर्त्सना की गई हो बिल्कुल कोई अलग सूचना नहीं रखी गई है।

बारानी खेती के लिए "वाटर शेड्स" की स्थापना

4880. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं योजना के अन्तर्गत बारानी खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए सारे देश में 4000 "वाटर शेड्स" की स्थापना की जानी है ;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में कितने "वाटर शेड्स" स्थापित किए जायेंगे और इन वाटर शेड्स के लिए कौन-कौन से केन्द्रों का चयन किया गया है ;

कृषि-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) उन्नत बारानी खेती के लिए पनधारा विकास प्रमुख कार्य हैं। गत वर्ष देश में 4246 पनधारों का पता लगाया गया, जिसमें से

212 तमिलनाडु में हैं। यह कार्यक्रम सातवीं योजना में भी जारी रखा जाएगा, परन्तु संख्या तथा स्थान सम्बन्धी ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय खेल नीति

4881. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई राष्ट्रीय खेल नीति अपनाई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में खेल की गतिविधियों को विकसित करने के लिए क्या कार्यक्रम है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) खेल एक राज्य का विषय होने के नाते, राज्य सरकारें स्वयं राज्यों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से अवस्थापनों के सृजन में, पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में, युवा अवस्था में प्रतिभा की खोज करने में, वित्तीय तथा अन्य सहायता द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

पेकेज शुदा वस्तु अधिनियम के क्षेत्र में आतिशबाजी की वस्तुओं को छूट देना

4882. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतिशाबाजी के सामान को पेकेज शुदा वस्तु अधिनियम के क्षेत्र में छूट देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या आतिशबाजी के सामान को विशेष रूप से जो अब मौसमी मद नहीं रहा है और सारे वर्षवार एक अवसर अथवा दूसरे अवसर पर प्रयुक्त होता रहता है, सरकार का विचार छूट देने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं। कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आर० के० पुरम, नई दिल्ली में पेयजल की कमी

4883. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्ण, पुरम, नई दिल्ली में खास तौर पर सेक्टर एक में, पानी की जबर्दस्त कमी है तथा वहां प्रातः 8 बजे नलों में पानी नहीं आता ;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि गर्मियों में लोगों को पानी मिले जबकि सर्दियों में यह स्थिति है ; और

(ग) क्या दक्षिण दिल्ली को गंगा का पानी उपलब्ध कराने की योजना बुरी तरह असफल रही है, यदि नहीं, तो गंगा का पानी सप्लाई करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) दिल्ली जल पूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा नई दिल्ली नगर पालिका, जो कि रामकृष्ण पुरम क्षेत्रों को पानी की पूर्ति करते हैं, ने सूचित किया है कि उस क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुसार रेजीडेण्ट वैलफियर एसोसियेशन, सेक्टर-1, रामकृष्ण पुरम द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पानी की कमी की कोई शिकायत नहीं की गई है।

(ग) दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन, संस्थान के अनुसार शाहदरा जल शोधन संयन्त्र का प्रथम चरण फरवरी, 1984 के दौरान आरम्भ किया गया तथा दक्षिण दिल्ली की फीडरमैन प्रक्षालना-धीन तथा विसंक्रमणाधीन है तथा दक्षिण दिल्ली के लिए अतिरिक्त जल शीघ्र उपलब्ध हो जायेगा।

पेकेज शुदा वस्तु अधिनियम का संशोधन

4884. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैकेट में बन्द बिकने वाले बिस्कुटों के मामले में, उन्हें उपयोग करने की अन्तिम तारीख का पैकेटों पर उल्लेख करने का कोई प्रावधान नहीं है ताकि इसे तारीख के बीत जाने पर उनकी बिक्री को रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय का विचार इस प्रावधान को शामिल करने के लिए पैकेज शुदा वस्तु अधिनियम में संशोधन करने हेतु कोई कार्यवाही करने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) बाट तथा माप मानक अधिनियम 1976 के अन्तर्गत जारी बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम 1977 में बिस्कुटों या अन्य वस्तुओं के पैकेजों पर समाप्ति की तारीख इंगित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह उक्त अधिनियम की सीमा और कार्यक्षेत्र के बाहर है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत काम करने वाले व्यक्तियों के लिए चावल की व्यवस्था

4885. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना के अन्तर्गत काम करने वाले व्यक्तियों देश भर में 1.85 रुपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराए जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो चावल और गेहूं की किस्म का ब्यौरा क्या है तथा क्या उसमें कोई रियायत दी गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में उड़ीसा को आबंटित अतिरिक्त खाद्यान्न और चावल की मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में लिए गये निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत नियोजित मजदूरों को उनकी मजदूरी के भाग के रूप में खाद्यान्नों की अदायगी प्रति दिन प्रति व्यक्ति 1 किलोग्राम की दर से रियायती दरों पर की जायेगी। उन्हें गेहूं 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जायेगा। चावल के मामले में, साधारण चावल 1·85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जायेगा। यदि साधारण किस्म का चावल उपलब्ध नहीं है तो बढ़िया अथवा बहुत बढ़िया किस्म का चावल उपलब्ध कराया जायेगा, बढ़िया किस्म के चावल का मूल्य 1.95 रुपए प्रति किलोग्राम तथा बहुत बढ़िया किस्म के चावल का मूल्य 2.10 रुपए प्रति किलोग्राम होगा।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को आबंटित 25200 मीटरी टन खाद्यान्न की मात्रा के अतिरिक्त ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को 5571 मीटरी टन खाद्यान्नों की और मात्रा आबंटित की गयी है।

बहुउद्देश्य बांधों के विषय में नेपाल से बातचीत

4886. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई मन्त्री** 12 दिसम्बर, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 268 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक स्तर पर नेपाल के महामहिम से अब तक कोई बातचीत हुई है अथवा इसका कोई प्रयत्न किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके विषय में ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे ;

(ग) क्या इस प्रकार की बातचीत में करनाली, कोसी कमला, बागमती और पंचेश्वर नदियों पर बहुउद्देश्यीय बांधों को समझौते के लिए ध्यान में रखा गया है जिससे इनके शीघ्र निर्माण को सुनिश्चित किया जा सके ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या पश्चिमी कोसी नहर के लिए संशोधित समय अनुसूची को पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों का पालन किया जा रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या कमला नदी के पश्चिम में कोसी नहर के मार्ग-रेखा निर्धारण में अप्राकृतिक मोड़

का लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या अधिक क्षेत्र में सिंचाई के लिए धनुषाकार मोड़ में सुधार किया गया है?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बिहार सरकार नहर के निर्माण कार्य को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठा रही है। संशोधित समय अनुसूची के अनुसार पश्चिमी कोसी नहर को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर परियोजना की मानीटरिंग की जा रही है, तथा जो समस्याएं सामने आती हैं, उन पर काबू पाने के लिए, जहां आवश्यक होता है यथा संभव उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

बिहार के मख्य मन्त्री की अध्यक्षता में पुर्नगठित कोसी नियन्त्रण बोर्ड भी परियोजना के निर्माण कार्यों को जल्दी से पूरा करने से सम्बन्धित मामलों की ओर ध्यान दे रहा है। यह परियोजना भी उन प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं में से एक है, जिनको शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य द्वारा अभिनिर्धारण किया गया है।

(च) नहर के संरक्षण को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में विशिष्ट स्थानीय ब्यौरों पर बिहार की राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। तथापि, जहां तक स्थलाकृति को दृष्टि से अनुज्ञेय हो, संरक्षण को उत्तर की ओर वहां तक शिफ्ट करने के बारे में विचार करने हेतु राज्य सरकार को सलाह दी गई है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के सरकार प्रस्ताव

4887. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** बिहार में सम्पर्क सड़कों के निर्माण के बारे में 5 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1865 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार सरकार से इस बीच प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में, विशेषकर मधुबनी और दरभंगा जिलों के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या किसी संसद सदस्य ने भी कुछ परियोजनाओं का सुझाव दिया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सभी योजनाओं के कार्यान्वयन और वर्षा काल के शुरू होने से पूर्व उन्हें पूरा कर लेने के लिए स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। बिहार

में मधुवनी सहित कई जिलों से सम्बन्धित सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु कुछ परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकार से उनके दिनांक 21-1-84 तथा 17-2-84 के पत्रों के तहत प्राप्त हुए थे। प्राप्त हुई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गये हैं।

(ग) माननीय सदस्य ने अपने दिनांक 2-2-84 के पत्र में मधुवनी जिले के लिए परियोजना प्रस्ताव में 6 सड़कों को शामिल करने का प्रस्ताव किया था।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति ने अपनी 27-2-84 को हुई बैठक में इन परियोजनाओं पर विचार किया था। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि महानिदेशक (सड़क), नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय के परामर्श से इन परियोजनाओं में शामिल सड़कों के विनिर्देशन की पुनः जांच करें। नए विनिर्देशनों के आधार पर संशोधित सड़क परियोजनाओं की राज्य सरकार से प्राप्त होने की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण-I

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु बिहार सरकार से प्राप्त परियोजनाओं, जिन पर केन्द्रीय समिति द्वारा 27-2-84 को विचार किया गया था, की सूची

परियोजना का नाम	कुल अनुमानित परियोजना लागत (लाख रुपए में)
1	2
1. सारन जिले में सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत	137.41
2. समस्तीपुर जिले में सड़कों का निर्माण	70.16
3. पुरनिया जिले में सड़कों का निर्माण	200.96
4. माधोपुरा जिले में सड़कों का निर्माण	32.72
5. सिवान जिले में सड़कों का निर्माण	132.00
6. खगड़िया जिले में सड़कों का निर्माण	58.32
7. मधुवनी जिले में सड़कों का निर्माण	92.39
8. रोहतास जिले में कंकड़ को सड़कों का निर्माण	90.00
9. गोंडा तथा साहबगंज जिलों में कंकड़ की सड़कों का निर्माण	90.80

1	2
10. नालन्दा जिले में ग्रामीण सड़कों का निर्माण	59.40
11. हजारीबाग जिले में ग्रामीण सड़कों का निर्माण	104.55
12. मुंगेर जिले में कच्ची सड़कों का निर्माण	81.73
13. पटना जिले में सड़कों का निर्माण	66.86
14. मुजफ्फरपुर जिले में सड़कों का निर्माण	72.552
15. गोपालगंज जिले में ग्रामीण सड़कों का निर्माण	46.20
16. बेगूसराय जिले में ग्रामीण सड़कों का निर्माण	62.66
17. कटिहार तथा भागलपुर जिलों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत	115.84
18. सहरसा जिले में ग्रामीण सड़कों का निर्माण	124.20
19. सीतामढ़ी जिले में ग्रामीण सड़कों का निर्माण	93.49
20. पश्चिमी चम्पारन जिले में सड़कों का निर्माण	105.42
	1837.842

विवरण-II

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार सरकार से प्राप्त परियोजनाओं, जो पहले से ही अनुमोदित है, की सूची

1. रांची, गुमला, लोहारडागा तथा सिंहभूम जिलों में कंकड़ की सड़कों का निर्माण	368.79
2. गिरडीह जिले में ग्रामीण सड़कों का निर्माण	68.4

सामाजिक वानिकी का विकास

4888. **श्री मूलचंद डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से आज तक सामाजिक वानिकी के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं और उन राज्यों में सामाजिक वानिकी, के अंतर्गत कितना भू-क्षेत्र है और कहां-कहां पेड़, पौधे और वन लगाए गए हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है यदि हां, तो उन राज्यों के और नाम क्या हैं जिन्हें सहायता दी गई है और प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ग्रामीण जलावन लकड़ी के वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी की केंन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना सभी राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश दिल्ली, मिजोरम और गोवा, दमन तथा दीव के संघ राज्य क्षेत्रों के जलावन की लकड़ी की कमी वाले चुने गए 157 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है ।

(ख) तथा (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ग्रामीण जलावन की लकड़ी के वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी के तहत 1980-81 से 1982-83 तक निर्मुक्त की गई धनराशि तथा वास्तविक उपलब्धियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त की गई रकम (लाख रुपये)	लगाए गए जलावन के वृक्षारोपण (हैक्टार में)	वितरित की गई पौद (लाख में)
1 2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	147.24	9859	301.27
2. असम	44.83	4174	102.63
3. बिहार	127.19	7335	106.00
4. गुजरात	87.47	4391	314.00
5. हरियाणा	98.46	6669	113.00
6. हिमाचल प्रदेश	47.02	5698	44.00
7. जम्मू व कश्मीर	14.22	—	—
8. कर्नाटक	127.38	6472	377.67

1 2	3	4	5
9. केरल	74.23	2451	127.97
10. मध्य प्रदेश	334.93	13968	497.17
11. महाराष्ट्र	50.21	1020	44.10
12. मणिपुर	10.15	520	9.00
13. मेघालय	24.95	1260	13.39
14. नागालैण्ड	36.61	2419	27.25
15. उड़ीसा	94.50	10250	67.10
16. पंजाब	74.92	5000	150.34
17. राजस्थान	155.10	7900	120.50
18. सिक्किम	7.18	210	5.36
19. तमिलनाडु	81.15	13785	47.60
20. त्रिपुरा	7.18	1080	3.70
21. उत्तर प्रदेश	86.82	4925	—
22. पश्चिम बंगाल	43.21	2435	100.00
23. अरुणाचल प्रदेश	18.05	705	1.37
24. दिल्ली	—	—	—
25. गोआ, दमन तथा दीव	—	—	—
26. मिजोरम	83.44	6100	6.20
योग :	1886.44	118626	2579.62

सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण

4889. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह जानने के लिए कोई विवेचनात्मक विश्लेषण किया है कि राजधानी में अवैध कालोनियों की वृद्धि अवैध भवन निर्माण तथा सार्वजनिक भूमि पर अधिकार को रोकने के लिए

वर्तमान नियम कहां तक प्रभावी रहे हैं, जिनके कारण नागरिक तथा कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अवैध भवनों के धड़ाधड़ निर्माण के लिए अधिकारियों की किस हद तक मिलीभगत है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या उपाय करने का उपाय किया है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालयों में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर नियम अधिनियम, 1957, लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों के बेदखली) अधिनियम, 1971 तथा पंजाब पालिका अधिनियम 1911, (नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्रों में यथा लागू) में निम्नलिखित की दृष्टि से संशोधन करने का प्रस्ताव है :—

(i) अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमणों को संज्ञेय अपराध घोषित करना ;

(ii) अनधिकृत निर्माण के अन्तर्गत परिसरों तथा उक्त कार्यों के लिए प्रयुक्त की जा रही भवन निर्माण सामग्रियों तथा अन्य सहायता को रोकने के लिए प्रावधान ; तथा

(iii) ऐसे मामलों आदि से निपटने के लिए सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर के लिए ट्रिब्यूनल गठित करना।

संशोधित विधेयक पहले ही लोक सभा में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। स्थानीय निकायों ने अनधिकृत निर्माण में उनके कर्मचारियों की सांठ-गांठ से मना किया है।

राजधानी में जीवन स्तर, पर्यावरण और कानून और व्यवस्था में सुधार लाना

4890. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली महानगर क्षेत्र की जनसंख्या के सम्बन्ध में कोई अध्ययन शुरू किया गया और राजधानी के जन-जीवन स्तर, पर्यावरण, कानून और व्यवस्था तथा जीवनयापन की स्थिति में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए यहां जनसंख्या को सीमित किए जाने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री

मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के सन्दर्भ में अध्ययन किए जा रहे मामलों में से एक मामला दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में जनसंख्या को सीमित करना है। तथापि, ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि रिपोर्ट को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

यूरिया उर्वरक की किस्म में सुधार

4891. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उर्वरक उद्योग की क्षमता का पर्याप्त बचत करने हेतु उर्वरक की किस्म में सुधार लाने के लिए यूरिया पर नीम की खेती की परत चढ़ाने और नीम के तेल के उप-उत्पाद को साबुन बनाने के लिए बेचने का कोई प्रस्ताव हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस समय यूरिया पर नीम की खली की पर्त चढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान परिणामों से पता चलता है कि यूरिया का नीम की खली में मिश्रित करके उपयोग करने से इसकी सक्षमता में सुधार आता है। तदनुसार किसानों को यह सलाह दी गई है कि वे सक्षमता में वृद्धि करने के लिए यूरिया को नीम की खली में मिलाकर उपयोग करने को बढ़ावा दें।

सरकारी भवनों संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

4892. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्र के पर्यावरण और प्राकृतिक दृश्यों का उल्लंघन करने वाले सरकारी भवनों के बारे में जांच करने और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने देने के लिए वस्तुकारों की कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां। देश में सार्वजनिक भवनों के निर्माण हेतु मानदण्ड/मार्गनिर्देशन तथा डिजाइन के लिए स्तर निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुक की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया गया था ताकि भू-दृश्य की अवहेलना तथा पर्यावरण को रोका जा सके।

(ख) विशेषज्ञों के दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

वनों की कटाई से पर्यावरण को खतरा

4893. **श्री नारायण चौबे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सारे देश में वनों की कटाई तेजी से बढ़ती जा रही है ;

(ख) क्या इस प्रकार वनों की कटाई से पर्यावरण को खतरा पैदा होता है ;

(ग) वर्ष 1951, 1961, 1971 और 1981 में भूमि के कितने क्षेत्र में वन थे ;

(घ) पिछले दशक में वन रोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र में कितनी नई भूमि जोड़ी गई ; और

(ङ) सरकार ने गैर-कानूनी रूप से वनों की कटाई रोकने हेतु क्या कदम (दांडिक व्यवस्था सहित) उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार को मालूम है कि वनों की कटाई से वातावरण को खतरा पैदा होता है। फिर भी, 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम बनने के बाद वनों की कटाई की दर में कारगर रूप से कमी आई है।

(ग) इन वर्षों के सम्बन्ध में वन क्षेत्र नीचे दे दिया गया है :—

1950-51	708.0 लाख हैक्टर
1960-61	689.6 लाख हैक्टर
1970-71	749.3 लाख हैक्टर
1980-81	750.6 लाख हैक्टर

(घ) 1969-70 से वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया क्षेत्र नीचे दे दिया गया है :—

	सामाजिक वानिकी	वानिकी उत्पादकता	योग
चौथी योजना 1969-74	1,90,280 हैक्टार	5,23,990 हैक्टार	7,14,270 हैक्टार
पांचवीं योजना 1974-79	5,67,335 हैक्टार	6,53,861 हैक्टार	12,21,196 हैक्टार
वार्षिक योजना 1979-80	1,21,057 हैक्टार	1,01,301 हैक्टार	2,22,358 हैक्टार
छठी योजना (लक्ष्य)	15,23,870 हैक्टार	6,24,042 हैक्टार	21,47,912 हैक्टार

(ङ) भारत सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया है। कुछ राज्यों ने वनों की कटाई और वनों को अच्छी सुरक्षा प्रदान करने तथा सुरक्षा व प्रवर्तन तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए विशिष्ट कानून अपनाया है। वन संसाधनों पर दबावों को कम करने की दृष्टि से सामाजिक और फार्म वानिकी कार्यक्रमों का संवर्धन करने के लिए भी कदम उठाए है। प्रधानमन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण के एक वृहद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सरकार राष्ट्रीय वन नीति और भारतीय वन अधिनियम में संशोधन करने के लिए भी सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

महानगरों के लिए एकल शीर्ष यात्री परिवहन प्राधिकरण

4894. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों के लिए एकल शीर्ष यात्री परिवहन प्राधिकरण की स्थापन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके उद्देश्य और शर्तें क्या हैं और उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नियुक्त कार्यदल के कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह शीर्ष प्राधिकरण परिवहन सम्बन्धी योजना बनाने विभिन्न एजेन्सियों के बीच समन्वय स्थापित करने, किराया निर्धारित करने, प्रबन्ध और यातायात का पता लगाने से सम्बन्धित होगा ; और

(घ) कार्यदल को इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कितना समय दिया गय है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों को स्वीकारा कर लिया है कि सभी महानगरों में एक-एक एकाकी परिवहन प्राधिकरण का गठन किया जाए बशर्ते कि मुख्य रेल पथ संचालन पर चलने वाली उपनगरीय रेल सेवाएं रेल विभाग के प्रबन्धाधीन रहें। राज्य सरकारों द्वारा ऐसे प्राधिकरण गठित करने के लिए सिफारिश करने हेतु रूपात्मकता निश्चित करने के लिए निर्माण और आवास मन्त्रालय में एक कार्यकारी दल गठित किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) 26-4-1984 तक कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

कार्यकारी दल का गठन निम्नलिखित है :—

विवरण

(i)	संयुक्त सचिव (नगरीय विकास), निर्माण और आवास मन्त्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
(ii)	सलाहकार (परिवहन), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली	सदस्य
(iii)	निदेशक (एम०टी०पी०), रेलवे बोर्ड, रेलवे मन्त्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
(iv)	जहाजरानी तथा परिवहन मन्त्रालय, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
(vi)	सचिव, पर्यावरण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता	सदस्य
(vii)	सचिव, आवास तथा नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई	सदस्य

(viii) सचिव, परिवहन विभाग, तमिलनाडु सरकार, मद्रास — सदस्य

(ix) पुलिस उपायुक्त (यातायात), दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली — सदस्य

(x) आयुक्त, परिवहन विभाग, कर्नाटक सरकार, बंगलौर — सदस्य

(xi) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर — सदस्य

(xii) सचिव, आवास तथा नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ — सदस्य

(xiii) मुख्य आयोजक, नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन, नई दिल्ली — सदस्य

(xiv) निदेशक, नगरीय विकास विभाग, निर्माण और आवास मन्त्रालय, नई दिल्ली — सदस्य

कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(क) परिवहन आयोजना तथा विभिन्न महानगरों एवं बड़े शहरों में अन्तः प्रतिमान समन्वय तथा भाटक संरचना, यातायात प्रबन्ध, गतिविधियों आदि की अवस्थिति जैसे परिवहन से सम्बद्ध मामलों के वर्तमान प्रबन्ध की समीक्षा ।

(ख) महानगरीय स्तर पर एकाकी यात्री परिवहन प्राधिकरण के गठन के लिए आवश्यक सांस्थानिक एवं कानूनी उपाय तथा महानगरीय आयोजना प्राधिकरण के साथ इसके सम्बन्ध ।

(ग) एकाकी परिवहन प्राधिकरण के सौंपे जाने वाले उत्तरदायित्व एवं शक्तियां, इसके वित्तीय संसाधन, अन्य शहरी स्तर के अभिकरणों के साथ सम्बन्ध, परिवहन की विभिन्न प्रणालियों के वास्तविक संचालन के संचालनात्मक उत्तरदायित्व, रेलवे तथा अन्य केन्द्रीय निकायों आदि के साथ सम्बन्ध ।

(घ) महानगर रेलवे प्रणालियों के संचालन तथा प्रबन्ध हेतु सांस्थानिक रचना, विशेषतः कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली तथा अन्य नगरों में जहां कार्य प्रगति पर है अथवा निकट भविष्य में आरम्भ करने के लिए प्रस्तावित है ।

(ङ) प्राधिकरण की स्थापना के अनिर्णीत रहने तक परिवहन आयोजना, यातायात प्रबन्ध तथा सम्बद्ध मामलों के क्षेत्र में तालमेल के लिए प्रत्येक महानगर में अल्पकालीन प्रबन्ध ।

12.00 म०प०

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्रीमन्, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : पश्चिम बंगाल राज्य के साथ भेदभाव किया जा रहा है···

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : क्या इसी तरीके से देश को चलाया जाना है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुक्रवार को मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आपको दिया था···

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। यह स्थगन का मामला नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम पश्चिमी बंगाल सरकार से रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें अब सभी कागज (पेपर्स) मिल गए हैं। यह पक्षपातपूर्ण नीति है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है। इसकी अनुमति नहीं दी जाती। मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रक्रिया सम्बन्धी एक मुद्दा उठाना चाहता हूं जिससे व्यवस्था के प्रश्न के रूप में भी लिया जा सकता है। वित्त आयोग की सिफारिशें लम्बित पड़ी हैं। जबकि वे सिफारिशें लम्बित पड़ी हैं वित्त मन्त्री ने पश्चिमी बंगाल के मुख्यमन्त्री को ओवरड्राफ्टों का निपटान करने को कहने का दुस्साहस किया है। यह अत्यधिक तदर्थ नीति है। महोदय, आपको अपनी टिप्पणियां देनी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी टिप्पणी यह है कि यह स्थगन प्रस्ताव का मामला नहीं है। इस विषय पर स्थगन का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। यदि आप मुझे कुछ अन्य प्रस्ताव दें तो मैं उस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसका कोई आधार है तो मैं इस पर विचार करूंगा। इस विषय पर स्थगन का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह स्पष्टीकरण का एक मामला है।

ज्यादा जोर से बोलने का कोई अर्थ नहीं होता है। मैत्रा जी इतनी जोर से बोलते हैं कि मुझे डर लगता है।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : हम कभी जोर से नहीं बोलते।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए लाउड स्पीकर भी ला दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आपका विचार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा कि मैं डिस्कसन एलाऊ नहीं करूंगा या गौर नहीं करूंगा। यह मैंने नहीं कहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमन्, यह चर्चा का प्रश्न नहीं है। यह एक विरोध है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जब किसी महत्वपूर्ण मामले पर कोई स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, हम केन्द्र की निन्दा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई प्रश्न नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा कर सकते हैं। चर्चा की बात तो ठीक है लेकिन स्थगन प्रस्ताव के जरिए इसे रखने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, मैं आपसे सहमत हूं कि किसी स्थगन प्रस्ताव के जरिए आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते लेकिन यह पक्षपातपूर्ण तो नहीं होना चाहिए। जब केन्द्र सरकार ओवरड्राफ्टों के सम्बन्ध में कोई नियम लागू करती है तो सभी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए, सतीश जी, यदि आप चाहें तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हमने इसकी सूचना दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप चर्चा की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसे आप बार-बार क्यों दोहरा रहे हैं? मैंने इस विषय पर किसी चर्चा पर रोक नहीं लगाई है। यह एक खुला प्रश्न है और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें क्या है?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस विषय पर चर्चा की अनुमति दीजिए अब, हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा सोच सकते हैं। इसका कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमारी बातें सुनने के बाद आप हमसे सहमत हो जाएंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, क्या मैं यह मानूं कि आप चर्चा की अनुमति देने जा रहे है।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैंने कहा। आप मुझे कोई दूसरा प्रस्ताव दीजिए और हम उस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। मेरी अनुमति के बिना कोई बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न की जाय।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी हैं मैंने केवल श्री सैफुद्दीन चौधरी को अनुमति दी है। यदि वह अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं पढ़ेंगे तो अगले सदस्य को बुला लूंगा।

(व्यधधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, क्या आप इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि चर्चा होगी?

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर केवल विचार कर सकता हूं। मैंने अपनी राय हमेशा आपके समक्ष खुली रखी है और कोई व्यक्ति आपको चर्चा करने से रोक नहीं सकता। चर्चा करने में गलत बात क्या है ? आप ध्यानाकर्षण के अन्तर्गत अथवा नियम 193 अथवा 194 के अन्तर्गत मुझे कोई सूचना दीजिए।

12.09 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन में आ गई निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा-वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 7995/84]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ;

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ;

(एक) का० आ० 791, जो 17 मार्च 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिए "मध्य प्रदेश महिला कल्याण समिति भोपाल" को छूट देने के बारे में है।

(दो) का० आ० 792, जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिए "दि सी० पी० रामास्वामी अय्यर फाउन्डेशन" को छूट देने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 793, जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिए "इण्डो जर्मन सोशल सर्विस सोसाइटी नई दिल्ली" को छूट देने के बारे में है।

(चार) का० आ० 794 जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 तक की अवधि के लिए "नेशनल कौंसिल फार कोआप-रेटिव ट्रेनिंग" को छूट देने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 795 जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1984-85 से 1986-87 तक की अवधि के लिए "जे०एन० टाटा इन्डोमेंट बम्बई" को छूट देने के बारे में है।

(छः) का० आ 796, जो 17 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिए "ऐसेसिएशन आफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अन्डर टेकिंगस, नई दिल्ली" को छूट देने के बारे में है।

(सात) का० आ० 797, जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1978-79 से 1984-85 तक की अवधि के लिए "एक्यूमनीकल क्रिश्चियन सेंटर, बंगलौर" को छूट देने के बारे में है।

(आठ) का० आ० 798, जो 17 मार्च 1984 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 तक की अवधि के लिए "सैंट जोसफस एजूकेशन एण्ड मैडिकल रिलीफ सोसाइटी को छूट देने के बारे में है।

(नौ) का० आ० 799, जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिए "कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल सोसाइटी, नई दिल्ली" को छूट देने के बारे है।

(दस) का० आ० 800 जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अनिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 तक की अवधि के लिए "इण्डियन एसोसिएशन फार रिसर्च इन नेशनल इनकम एण्ड वैल्थ नई दिल्ली" को छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का० आ० 804, जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83, 1983-84 और 1984-85 की अवधि के लिए "दि सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेंटर, अजमेर (राजस्थान)" को छूट देने के बारे में है।

(बारह) का० आ० 805, जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था

तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिए "इण्डियन कौंसिल फार रिसर्च आन इन्टरनेशनल इकोनामिक रिलेशनस, नई दिल्ली" को छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का० आ० 806, जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 तक की अवधि के लिए "भारतीय मानक संस्था" को छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का० आ० 807, जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिए "कोचीन डाक लेबर बोर्ड" को छूट देने के बारे में हैं।

(पन्द्रह) का० आ० 808, जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1981 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1988-89 तक की अवधि के लिए "आयल कोआर्डिनेशन कमेटी आन पूल एकाउन्टस" को छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का० आ० 809, जो 17 मार्च 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिए "फैडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स" को छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का० आ० 810, जो 17 मार्च 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1981-82 से 1983-84 तक की अवधि के लिए "बोंगाल सोशल सर्विस लीग, कलकत्ता" को छूट देने के बारे में है।

1983-84 तक की अवधि के लिए "बोंगाल सोशल सर्विस लीग, कलकत्ता" को छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का० आ० 811, जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1981-82 से 1983-84 तक की अवधि के लिए "अखिल भारतीय गान्धर्व महाविद्यालय मण्डल, बम्बई" को छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का० आ० 812, जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1981-82 से 1984-85 तक की अवधि के लिए "सोसाइटी आफ दी हैल्पर्स आफ मेरी, बम्बई" को छूट देने के बारे में है।

(बीस) का० आ० 813, जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिए "वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन आफ साउथ इण्डिया, बंगलौर" को छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल जी 7996/84]

राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक महासंघ लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा, आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक महासंघ लिमिटेड बम्बई, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक महासंघ लिमिटेड बम्बई के वर्ष 19 2-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 7997/84)

(2) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखोपरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 7998/84)

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तरपूर्व) : महोदय, इस पत्र से आवास समितियों के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए विश्वासघात का पता चलता है। यह एक घोटाला है। निर्माण और आवास मंत्री को इस बारे में कुछ कहना चाहिए। महोदय, धनराशि ली गई है। उन्होंने 50 करोड़ रुपए जमा किए हैं। वे इस धनराशि पर ब्याज अदा कर रहे हैं। और लोग···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ नहीं है। इसकी अनुमति नहीं। आप मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या कुछ और दीजिये और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : धन्यवाद, महोदय।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, मेरी बात भी सुन लीजिए···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बता दीजिये । आपकी जायज बात है तो मान लेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, "समाचार भारती" और "हिन्दुस्तान समाचार"···

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं है, देख लेंगे । आज भी वह आ रहा है । नियम 377 में ।

12.10½ म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के विभिन्न भागों में नकली शराब पीने के कारण हुई मौतों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के कानपुर और फर्रुखाबाद जिलों में हाल ही में हुई मौतों के समाचार

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं गृह मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

> "देश के विभिन्न भागों में नकली शराब पीने के कारण हुई मौतें, विशेषकर उत्तर प्रदेश के कानपुर और फर्रुखाबाद जिलों में हाल ही में हुई मौतों के समाचार तथा उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ।"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : सरकार देश में नकली शराब के पीने से हुई मौतों की घटनाओं के बारे में बहुत चिन्तित है और इस सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्यों की तीव्र भावनाओं के साथ है।

राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 18 मार्च, 1984 को जिला फर्रुखाबाद के कन्नौज थाने के गांव तिख्वा में कुछ अवैध शराब के पीने से जो वे कानपुर कन्नौज राजपथ (जी० टी० रोड़) पर स्थित एक दुकान से खरीद कर लाए थे, कुछ व्यक्ति मर गए और कुछ बीमार पड़ गए । कुल मिलाकर 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 26 को कन्नौज और कानपुर स्थित अस्पतालों में दाखिल किया गया । इसके अलावा 32 और व्यक्तियों का प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र के एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा गांव में ही इलाज किया गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 328/304 तथा अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम की धारा 3 और 7 के अधीन एक मामला राम खेलावन और पप्पु के विरुद्ध जिन्होंने अवैध शराब बेची थी, दर्ज किया गया है । अभियुक्त फरार है, और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर गए । आबकारी आयुक्त ने भी घटना स्थल का दौरा किया । सम्बन्धित एक्साइज इन्स्पेक्टर और सप्लाई इन्स्पेक्टर को निलम्बित कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक, एक हैड कांस्टेबल और दस कांस्टेबलों को भी निलम्बित कर दिया गया है । घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराये जाने के आदेश दे दिये गए है ।

12-13 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

राज्य सरकार के अनुसार कानपुर जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है ।

राज्य सरकार द्वारा आबकारी विनियम लागू किए जाते हैं। राज्य सरकारों को अवैध शराब की समस्या से निपटने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय करने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने शराब के अवैध व्यापार से सम्बन्धित अपराधों पर अधिकार कारगर रोक लगाने की कुछ सिफारिशें की हैं। इनको राज्य सरकारों को उनके विचार करने के लिए भेज दिया गया है।

शराब का सेवन एक सामाजिक बुराई है और सरकार जन संचार के जरिये इसके सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित कर रही है। मैं सभी स्वयंसेवी और समाज कल्याण संगठनों से पुरजोर अपील करती हूं कि वे इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लोकमत तैयार करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक ऐसे मामले के बारे में है जिसके लिए हम सभी शर्मिंदगी महसूस करते हैं और यह एक बहुत गम्भीर मामला भी है। परन्तु मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है। इसमें वास्तव में समस्या के वास्तविक कारणों पर प्रकाश नहीं डाला गया है। यह कहा गया था कि राज्य सरकारों को अवैध शराब की समस्या से निपटने के लिए अल्पकालीन और दीर्घावधि उपाय खोजने की सलाह दी गई थी। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने शराब के अवैध व्यापार से जुड़े अपराधों पर और अधिक प्रभावपूर्ण नियन्त्रण के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। इन पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया है।

इसका पहला भाग था राज्य सरकारों को दी गई सलाह। परन्तु इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। चर्चा का विषय है, अवैध शराब का व्यापार और यह हमारे देश में कोई बहुत असाधारण बात नहीं है। यह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि लोग नकली शराब पीने से मर रहे हैं और इस विषय पर एक बहुत ही आप्रांसगिक वक्तव्य दिया गया है। अब हम इस सदन में यह जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के कार्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

मैं दिनांक 9 मई, 1982 के 'फ्री प्रेस जनरल' में प्रकाशित हुए लेख की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें इसका बड़ा जीवन्त ब्योरा दिया गया है कि किस प्रकार हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसमें कहा गया है कि :—

> "वर्ष 1981 में बंगलौर और दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में 400 से भी अधिक लोगों की मृत्यु कच्ची शराब पीने के कारण होने का विश्वास है। बंगलौर में लगभग 323 पुरुषों और महिलाओं, जवान और बूढ़ों की जहरीली शराब के पीने से मृत्यु हुई। दिल्ली में 1981 में जहरीली शराब के कारण हुई लगातार मौतों ने अधिकारियों को चौंका दिया। हरियाणा में दिसम्बर 1980 में कच्ची शराब पीने से 80 लोगों की जानें गईं। वर्ष 1979 में कच्ची शराब पीने से बहुत से लोग मरे। सबसे अधिक दुःखद घटना हैदराबाद में घटी जहां 275 लोगों की मृत्यु हुई, दूसरी बड़ी घटना लखनऊ में घटी जहां 30 लोग मरे।"

इस प्रकार की घटनाओं में हर वर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। कभी-कभी हम भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं। सरकार एक सामान्य वक्तव्य दे देती हैं जिसमें वास्तविक मुद्दे पर प्रकाश नहीं डाला जाता। इस सम्बन्ध में कई उदाहरण हैं। हमें यह कहते हुए शर्म आती है कि इस पर कोई नियंत्रण नहीं किया गया। सरकार इस प्रकार की शराब में हो रही वृद्धि को नहीं रोक सकी है। यही हम सबकी मुख्य चिन्ता है। नियंत्रण के अभाव में बहुत सी मौतें हो रही हैं।

मैं उन सभी घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता जो पहले हुई हैं। परन्तु हमारी चिन्ता यह है कि ये कम नहीं हो रही हैं बल्कि बढ़ रही हैं। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का क्या प्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम असफल क्यों हो रहे हैं? हमें इस समस्या के बारे में गहराई से सोचना है।

मैं मद्यनिषेध की वकालत नहीं कर रहा हूं। मद्यनिषध इस समस्या का समाधान नहीं है। बहुत से देशों ने मद्यनिषेध लागू करने का प्रयास किया है यहां भी अनेकराज्यों में मद्यनिषेध लागू करने के प्रयास किए गए हैं। परन्तु हमने देखा कि यह सब व्यर्थ था और इसके कोई परिणाम नहीं निकले। बल्कि उलटे इससे अवैध गतिविधियों और अवैध रूप से शराब बनाने के कार्य में वृद्धि ही हुई। अब, सरकार यह कह सकती है कि उनके पास पूर्ण मद्यनिषेध की स्वीकृत नीति है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या मद्यनिषेध के बारे में केवल नीति या निर्देशों से ही समाधान हो जाएगा या नहीं। हम सोचते हैं कि इनसे समाधान नहीं होगा।

हमारा कहना यह है कि इन सभी घटनाओं में जो लोग मर रहे हैं वे इस देश के गरीब लोग हैं औद्योगिक श्रमिक हैं, खेतिहर मजदूर हैं। वे अबैध शराब पीने के लिए मजबूर हैं। पूर्ण मद्यनिषेध के प्रश्न को अलग रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस देश में भारी संख्या में लोगों को यह नकली शराब पीकर मरने दिया जाएगा। हम इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहते कि क्या उसे यह अधिकार होना चाहिए कि वह शराब पीए या नहीं। यह दूसरा प्रश्न है। मेरा मुद्दा यह है कि क्या हम उन्हें यह अवैध शराब पीकर मरने की अनुमति देने जा रहे हैं या कि उन्हें बिना मिलावट वाली शराब मुहैया की जानी चाहिए? हमें इन दोनों विषयों पर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। हमने देखा है कि स्वतन्त्रता संघर्ष के दिनों में किस प्रकार शराब की दुकानों के सामने प्रदर्शन करने तथा अन्य प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हमारी राष्ट्रीय भावनाएं जुड़ी हुई थी और शराब की बिक्री के विरोध में भारी संख्या में गरीब लोगों ने आवाज उठाई थी। वे भी दिन थे। अब हम क्या देखते हैं? लोगों को शराब पीने से होने वाली हानियों के बारे में शिक्षित करने के लिए कोई वास्तविक शिक्षा या प्रभावकारी आन्दोलन नहीं है। अब कोई मद्य-निषेध नहीं है। हम यह नहीं चाहते हैं कि श्रमिक वर्ग, खेतिहर मजदूर और गरीब व्यक्ति शराब पीए। हम यह पसन्द नहीं करते। परन्तु हम उनके साथ यह जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वे शराब न पीएं। केवल प्रभावकारी शैक्षणिक उपायों से ही ऐसा कि जा सकता है। उन्हें इन चीजों के प्रति सचेत किया जाना चाहिए तथा शराब पीने की बुराई के बारे में उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। उनके सामने चाहे शराब की बोतलें ही बोतलें पड़ी हों परन्तु उन्हें उनकी ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छी शराब नकली शराब से सस्ती होती है। इसीलिए वे लोग वहां नहीं जाते। नकली शराब, अच्छी शराब से कम कीमत पर मिल जाती है। इसलिए, आपको सरकार से अच्छी शराब की कीमत घटाने के लिए कहना चाहिए।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : जीवन यापन भी महंगा है इसलिए आत्म हत्या करना बेहतर है।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छी शराब की कीमत कम होने दीजिये। उसके बाद नकली शराब की कोई मांग नहीं रहेगी।

श्री संफुद्दीन चौधरी : हमने देखा है कि कई कारखानों में, जहां पर मजदूरों में अपने अधिकारों

के बारे में जागरुकता नहीं है वे शराब पीने जाते हैं। जाहिर है कि यह सब शराब की दुकानें फैक्टरी के आस पास होती है। उन लोगों को वहां जाने की आदत पड़ जाती है। वहां जाने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। जबकि हमें इस बात की जानकारी है कि मजदूर एक जुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, वह लोग शराब पीने की आदत को भी छोड़ सकते हैं। यह सब जागरुकता द्वारा होना चाहिए। हम यह सब उन पर थोपना नहीं चाहते ।

किन्तु इस समय जो भी हो रहा है वह इस सबके विपरीत है। उच्चतम न्यायालय को धनबाद क्षेत्र में, बिहार सरकार को यह कहने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा है कि धनबाद क्षेत्र में शराब की दुकानें बनाने के लिए कोयला क्षेत्र के, दादाओं को लाइसेंस आप नहीं देते। मुझे यह कभी सुनने को नहीं मिला कि बिहार सरकार धनवाद क्षेत्र या कोयला खान क्षेत्र में स्कूल स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के क्या निदेश है। मैं चाहता हूं कि सरकार द्वारा कारखाना क्षेत्र में एक अध्ययन या सर्वेक्षण करना चाहिए कि वहां पर कितने स्कूल हैं, कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं और शराब की दुकानें कितनी हैं। केवल शराब बन्दी तथा इसी प्रकार के अन्य उपायों द्वारा आप इस समस्या पर काबू नहीं पा सकते। विभिन्न समाचार पत्रों में जहरीली शराब से होने वाली मौतों के अनेक शर्मनाक समाचार छपते हैं। मैं इन सब में नहीं जाना चाहता। इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि किस प्रकार हो रही है। आप इस समस्या पर किस प्रकार काबू पाने जा रहे हैं।

फर्रुखाबाद में हाल ही में एक घटना हुई है जिसमें होली के उत्सव के दौरान कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। उन्होंने यह शराब किस दुकान से ली थी। क्या यह लाइसेंस शुदा दुकान थी। यदि यह दुकान लाइसेंस शुदा नहीं थी तो वे शराब किस प्रकार बेच रहे थे। पुलिस क्या कर रही थी। हमें बताया गया है कि कुछ पुलिस कर्मी निलम्बित किए गए है। यह अच्छी बात है। किन्तु, कुछ अधिक ठोस कार्यवायी की जानी चाहिए। 1972 में बवेजा जांच समिति ने भी पुलिस कर्मियों तथा उत्पाद-शुल्क विभाग के अधिकारियों को दोषी ठहराया था। अवैध शराब का धन्धा करने वाले लोगों के साथ उनकी सांठ-गांठ थी। बाद में 1981 में, देसाई समिति ने भी पुलिस को दोषी ठहराया था। जब कभी भी जहरीली शराब से मौतों कीघटनाएं होती है, हमें यही सुनने को मिलता है कि इन सभी बातों को रोकने वाले पुलिस अधिकारी उनके साथ मिले हुए थे। इसी प्रकार के अभियोग लगाए जाते हैं। यह एक आम भावना है कि जिन पुलिस कर्मियों ने यह सब बातें रोकनी होती है वही लोग अपना काम ठीक प्रकार से नहीं करते।

पुलिस बल की यह अधोगति किस प्रकार हुई? नैतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक मूल्यों का क्या हुआ? इस बार में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। संविधान से कई बातें उद्धृत की जा सकती है। संविधान में नीति निर्देशक सिद्धान्त निहित है। अनुसूची 39 है जो कहती है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए राज्य को लोगों के पोषण का उचित ध्यान रखना होता है। इस सबका पालन नहीं किया जा रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि 1980 से, जब से इस सरकार से सत्ता सम्भाली है, क्या इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं अथवा घटी हैं और इन सभी घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन घटनाओं के साथ सम्बद्ध शराब की दुकानें लाइसेंस शुदा थीं या बिना लाइसेंस के थी। हमें बताया गया है कि कुछ पुलिस कर्मचारी भी निलम्बित किए गए हैं। किन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों को सजा दी गई? मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय यह जानकारी दें।

मैं लोगों को अच्छी शराब उपलब्ध कराने, जिसके अभाव में वह नकली शराब पीते हैं, के बारे में अधिक नहीं कहूंगा। विदेशी शराब पीकर कोई नहीं मरता। केवल गरीब लोग ही नकली शराब पीकर मरते हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिए निरीक्षक नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है। या राज्य सरकार को निदेश दिए जाने चाहिए। ताकि वे अंकुश लगाएं जिससे नकली शराब न बेची जाए। अन्य शिक्षात्मक और सांस्कृतिक उपाय भी काफी महत्वपूर्ण है। आपको निलम्बन जैसे उपाय भी अपनाने होंगे आपको देखना चाहिए कि वह बच कर नही निकलें।

सरकार द्वारा शिक्षात्मक अभियान और नकली शराब पीने के खतरों के बारे में लोगों में चेतना जगाने जैसे आपकी रिपोर्ट में उल्लिखित सभी उपायों को अपनाया जाना चाहिए।

किन्तु मैं जानना चाहूंगा कि जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोकने के लिए आप क्या ठोस उपाय कर रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा कई मुद्दे उठाए गए हैं। संवैधानिक दायित्वों को पूरा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है जैसा कि नशीले पेयों के उपभोग पर रोक लगाना संविधान में निहित राज्य नीति का नीतिनिदेशक सिद्धान्त में कहा गया है।

समरूपता के लिए, 1975 में भारत सरकार ने नशाबन्दी लागू करने के लिए एक 12 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा समय-समय पर मद्यनिषेध नीति की आवधिक समीक्षा करने तथा विभिन्न राज्यों में नशाबन्दी की प्रगति के लिए एक समिति का गठन कियागया जिसमें सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों में नशाबन्दी के प्रभारी मन्त्री तथा एक गैर-सरकारी सदस्य शामिल था।

शराब की बुराइयों के बारे में लोगों को शिक्षा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। लोगों को अवैध शराब न पीने के बारे में शिक्षित करने के लिए अनुसंधान अध्ययन भी किए गए हैं।

सरकार भी मद्य निषेध के सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित करने लिए शराब पीने और नशीली दवाओं के सेवन के बारे में शिक्षित करने के लिए "नया सवेरा" नामक प्रायोजित कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है।

माननीय सदस्य यह बात भली-भांति समझते हैं कि नशाबन्दी लागू करने की नीतियों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसलिए राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र के प्रशासनों से कई बार अनुरोध किया गया है कि वे शिक्षा संस्थाओं और छात्रावासों में शराब तथा नशीली दवाओं के उपभोग को रोकने तथा विद्यार्थियों और अन्य लोगों को नशीली दवाओं तथा शराब के प्रयोग करने से हतोत्साहित करने के लिए शिक्षा प्राधिकारियों से कहें।

माननीय सदस्य ने कहा है कि देश में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है।

विशेष रूप से 18 मार्च, 1984 को हुई घटनाओं के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को सूचित करती हूं कि दिल्ली में 1981 में जहरीली शराब में 23 मौतें हुईं। किन्तु 1982 में और 1983 में

आज तक दिल्ली में जहरीली शराब से कोई मौत नहीं हुई है ।

(व्यवधान)**

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : जैसाकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पहले ही बताया गया है कि प्राथमिक जांच से पता चलता है कि जहरीली शराब 17 मार्च, 1984 की शाम को राम खेलावन और पप्पू द्वारा टिखवा, लीलापुखा और साकारी के ग्रामीणों को बेची गई थी। इस शराब को पीने के बाद ग्रामीण बीमार और बेहोश होने शुरू हो गए। जहरीली शराब जी० टी० रोड पर कानपुर-कन्नौज में एक दुकान से जोकि कन्नौज से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, राम खेलावन द्वारा अपने भाई पप्पू उर्फ रामलखन की सहायता से बेची गई। रामखेलावन के पास शराब बेचने का लाइसेंस नहीं है। वह बिना किसी लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल, मिट्टी का तेल, पैट्रोल और सीमेंट भी बेचता है। जांच से पता चलता है कि उत्पाद शुल्क द्वारा 16 मार्च, 1981 को उसके कब्जे से अवैध शराब बरामद होने पर पकड़ा गया था। 14 मार्च, 1983 को उसे जे० एम० 7 के न्यायालय, फतेहगढ़ द्वारा एक वर्ष तक अच्छा आपरण रखने तथा 1000/- रूपए के व्यक्तिगत मुचलके की शर्त पर रिहा कर दिया गया। डीजल, पैट्रोल आदि की बिना लाइसेंस के बिक्री भी मोटर स्पिरिट, डीजल, अल्कोहल काराधान अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत भी दण्डनीय है। इसके परिणाम स्वरूप व व्यक्तियों की मृत्यु हुई—महोदय, क्या मैं उनके नाम बताऊं ?···

उपाध्यक्ष महोदय : आवश्यक नहीं है ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मृतक व्यक्तियों का **पोस्ट-मार्टम** किया है और उनका बायसेरा सुरक्षित रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैफुदीन सोज—उपस्थित नहीं है।

श्री हन्नान मोहलाद भी यहां नहीं हैं ।

श्री भीखा भाई।

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने इस बात को नहीं बताया है कि इस देश के अन्दर नाजायज तौर पर जो शराब बन रही है, उसके आंकड़े उपलब्ध हैं या नहीं हैं ? दूसरा जैसाकि इन्होंने कहा है यह राज्य सरकारों का विषय है, मैं भी इसको मानता हूं। लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं, जिन पर केन्द्र सरकार को भी ध्यान देना पड़ता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से राज्य हैं, जिन्होंने पहले प्रोहिबिशन को माना था और अब प्रोहिबिशन को खत्म कर दिया ?ऐसे कौन से राज्य हैं, जो प्रोहिबिशन को मानते हैं, फिर भी वहां पर इस प्रकार की शराब बिकती है ? इस प्रकार की शराब से गरीब आदमियों और मजदूरों की मृत्यु होती है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर पहले प्रोहिबिशन था, लेकिन अब स्क्रेप कर दिया है। केन्द्रीय सरकार की एक गाइड लाइन निकली है, जिसमें लिखा हुआ है कि आदिवासी लोग पीने के लिए शराब बना सकते हैं और पी सकते हैं। हमारे मध्यप्रदेश से आने वाले गृह मन्त्री जी जानते हैं, थान्दला, झाबूआ और

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

मेघनगर इत्यादि जो कि मध्य प्रदेश में हैं और इससे लगे क्षेत्र जैसे कुशलगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आदि जो राजस्थान के मध्य प्रदेश से लगे क्षेत्र हैं। इनमें एक जगह वह कानून लागू हैं और दूसरी जगह पर वह कानून लागू नहीं है। जिसका परिणाम यह होता है कि पुलिस वाले और एक्साइज वाले इस काम को कर रहे हैं। आप पीने वाले को नहीं रोक सकते हैं, मृत्यु को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम आप कर सकते हैं। जैसाकि आपने कहा कि इसको एजुकेशन के प्रोग्राम के तहत रोक दिया जाएगा, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। एजुकेटेड लोग जो शराब पीते हैं, वे फॉरन मेड शराब फौरन लिकर इण्डियन मेड होती है और बढ़िया से बढ़िया शराब पीते हैं, लेकिन बेचारे गरीब मजदूर और किसान आदिवासी जो ऊंचे रेट पर शराब नहीं खरीद सकते हैं, वे इस प्रकार की शराब को पीते हैं और मौत के शिकार बन जाते हैं। बागड़ी जी ने ठीक कहा है कि जिनके द्वारा स्फूरियस शराब बनाई जाती है, उनकी रोकथाम के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? मेरे से पूर्ववक्ता ने भी ठीक ही कहा है कि इसकी जांच की जानी चाहिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, केवल प्रोहिबिशन से ही काम नहीं चलेगा? मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर लीकर की कंजम्पशन बढ़ी है या नहीं है? यदि बढ़ी है या नहीं है? यदि बढ़ी है, तो उसके कारण कितनी मृत्यु हुई है? इस वजह से कितने अधिकारियों को आपने निलम्बित किया है? पुलिस वालों और एक्साइज वालों की मिलीभगत से ही हर गांव के अन्दर ठेके बने हुए हैं। पुलिस को जानकारी होते हुए भी वह इसको रोकती नहीं है। चुनाव आते हैं, एक आर्डर निकलता है कि शराब बन्दी कर दी जाएगी। लेकिन शराब स्टाक करके रख ली जाती है और बाद में वितरित होती है। यह दिल्ली में जो रोजमर्रा की घटना है इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इसका सर्वे किया जाना चाहिए कि प्रोहिबिशन के बावजूद भी कितने लोग शराब पीने लग गए हैं? मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की शराब से केवल गरीब आदमी, आदिवासी, हरिजन और इन्डस्ट्रीयल और एग्रीकल्चर वर्कर ही लोग मरते हैं। नजायज तरीके से जो शराब बनाई जाती है वह बिना परमिट के बनाई जाती है। जिसमें कि लोग स्प्रीट आदि मिलाते हैं। इस ओर सरकार को गम्भीरता से विचार करके ध्यान देना चाहिए। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो आपने शराब पीने की छूट दे दी है, लेकिन राजस्थान को क्यों नहीं दी है?

आखिर में, मैं यह पूछना चाहता हूं कि शराब खोरी कितनी प्रतिशत बढ़ी है और एजुकेटेड पिपल में कितनी बढ़ी है और गरीब लोगों में कितनी प्रतिशत बढ़ी है? कौन-कौन सी स्टेट में प्रोहिबिशन होने के बावजूद भी पिछले पांच सालों के अन्दर कितने लोग मरे हैं? मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय के पास इस समय उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन मन्त्री महोदया यदि सख्ती के साथ कोशिश करें, तो सारे आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं? मन्त्री महोदया ने दिल्ली के बारे में बताया है। लेकिन मैं नाजायज शराब और स्फूरियस शराब दोनों में भेद करके आंकड़े जानना चाहता हूं? जो स्टेटमेंट माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया है, वह अधूरा है, उस स्टेटमेंट को पूरा किया जाना चाहिए और एक बार इस मामले को सदन में लाना चाहिए।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मन्त्री महोदया से जो प्रश्न पूछे हैं, उनका मैं मन्त्री महोदया से उत्तर चाहता हूं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं उन्हें बतलाना चाहती हूं कि राजस्थान में आदिवासियों के लिए दूकान खोलने की मनाही है परन्तु वे अपने लिए शराब बना सकते हैं।

प्रोहिबिशन पालिसी इन ट्राइबल एरियाज का जहां तक सवाल है, मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहती हूं :—

आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपनाई गई नशाबन्दी नीति में निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल हैं।

1. जिन आदिवासी क्षेत्रों में नशाबन्दी लागू है, उन क्षेत्रों में कोई जल्दबाजी से कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

2. आदिवासी क्षेत्रों में शराब बेचने की ठेका-प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए।

3. जहां नशाबन्दी लागू नहीं है, वहां आदिवासी लोगों को व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयोजनों के लिए अपने पीने हेतु शराब तैयार करने की अनुमति दी जानी चाहिए, परन्तु वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं दी जानी चाहिए।

4. जिन आदिवासी क्षेत्रों में देशी शराब बेचने की प्रथा अभी तक प्रचलित है, उसे 1 अप्रैल, 1979 से समाप्त करने के लिए कदम उठायें।

5. शराब पीने के बुरे प्रभाव के बारे में आदिवासियों में शिक्षा का प्रसार तेज कर दें।

6. सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा स्वयंसेवी संगठनों को नशाबन्दी के मामले में शैक्षिक कार्य हेतु प्रोत्साहित करें।

जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि लीकर से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके लिए उन्होंने 5 वर्ष का हिसाब हमसे मांगा है, तो मैं उनको बताना चाहती हूं कि जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, 1979 में 3 मृत्यु हुई हैं और 1978 और 1980 कोई मृत्यु नहीं हुई है। मैं उनको यह भी बतलाना चाहती हूं कि आन्ध्र प्रदेश में 1979 में 1 की मृत्यु हुई, बिहार में 1978 में 248, 1979 में 10 और 1980 में 8 की मृत्यु हुई, हरियाना में 1980 में 70 की मृत्यु हुई गुजरात में एक भी डेथ नहीं हुई है, महाराष्ट्र में 1978 में 26 की मृत्यु हुई, 1979 में 31 और 1980 में 62 की मृत्यु हुई, राजस्थान में 1978 में 29 की मृत्यु हुई और 1979 में 1 की मृत्यु हुई।

दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने बतलाया था कि 1978 में 26, 1979 में 2 और 1980 में 14 की मृत्यु हुई और अन्य जो राज्य हैं और यूनियन टेरीटरीज हैं, उनमें 1978 से 1980 तक कोई इस तरह की डेथ की सूचना नहीं है।

जहां तक स्टेप्स लेने का सवाल है, इसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहती हूं कि आमतौर से राज्यों ने निम्न स्टेप्स लिए हैं :

दिनांक 28 अप्रैल, 1981 के पात्र के अनुसरण में :—

1. शराब की शुद्धता की जांच करने के लिए शराब की दुकानों का अचानक निरीक्षण किया जाता है और शराब के नमूने एकत्र किए जाते हैं।

2. जिन स्थानों पर अवैध शराब बनाये जाने की सम्भावना रहती है, उन क्षेत्रों की आकस्मिक जांच करने के लिए विशेष दस्ते बनाये गए हैं।

3. मिथाइल ऐल्कोहल के रूप में डिन्नेचर्ड स्पिरिट वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाती है जिससे कि वह अवैध शराब बनाने वालों के पास न पहुंचने पाये ।

4. कुछ राज्यों ने पड़ोसी राज्यों के सहयोग से अवैध शराब के अंतर्राज्जीय व्यापार को रोकने के लिए उस पर अधिक नियन्त्रण रखने के कदम उठाये है ।

5. उत्पाद-शुल्क और पुलिस विभाग के फील्ड कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

6. कुछ राज्यों ने मद्यनिषेध परिषदों का गठन किया है।

7. अवैध शराब पीने से होने वाली हानि के सम्बन्ध में जन संचार के माध्यम से प्रचार किया जाता है।

मैंने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में बतलाया है कि यह एक स्टेट सबजेक्ट है । अब जहां तक डाइरेक्टिव प्रिंसपिल्स का सवाल है और जहां तक पालिसी और प्रोग्राम्स का सवाल है, हम स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखते हैं कि उन्हें इन पर अमल करना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि खाली सरकारी कानूनों से और हमारी जोर-जबर्दस्ती से यह सब कुछ खत्म नहीं हो सकता । जब तक भारत के सामाजिक संस्थान और वालन्ट्री ऑर्गेनाइजेशन्स और खास कर इस पक्ष और उस पक्ष के माननीय सदस्य इसमें हमारा सहयोग नहीं करते हैं, तब तक तेजी से यह काम नहीं हो सकता है ।

श्री भीखा भाई : अभी माननीय मन्त्री जी ने यह बतलाया है कि उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के लिए ये निर्देश दिये हैं कि आदिवासी स्वयं पीने के लिए शराब बना सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी सूचना राजस्थान सरकार को दी है। राज्य सरकार को यह अगर दी गई है, तो उसने जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस तरह की कोई सूचना नहीं दी है, ऐसी हमारी जानकारी है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : इन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहती हूं इस सन्दर्भ में ट्राइबल एरियाज के बारे में पहले से ही निवेदन कर चुकी हूं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर मामला है और सरकार इसको लगातार हल्के ढंग से ले रही है। अभी मन्त्री महोदया ने कहा कि यह स्टेट का मामला है। मै सरकार से कहना चाहता हूं कि जब संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है और हमारे सामने पण्डित जी बैठे हुए हैं सबसे वयोवृद्ध, जिन्होंने कानून बनाया था कि कांग्रेस का वही सदस्य होगा जो कम से कम शराब नहीं पिएगा। गांधी जी ने कहा था कि एक दिन भी हमको राज्य करने का मौका मिला तो मैं पहला काम करूंगा कि शराब को बन्द करूंगा। शराब की ठेकेदारी को बन्द करूंगा। यह बात उस गांधी ने कही थी और दूसरी गांधी क्या कर रही हैं।

मन्त्री जी ने आंकड़े नहीं दिए हैं। न ही वे देंगे। मैं आंकड़े देता हूं। मन्त्री जी अगर इसको रेक्टीफाई कर दें तो मैं उनका आभारी होऊंगा।

1947 में हमारी आबादी थी 35 करोड़ और वार्षिक आय थी 50 करोड़। अब जनसंख्या बढ़कर हो गई है 68 करोड़ और राजस्व है 1200 करोड़। शराब के ठेकों में वृद्धि हुई है 12 गुना और

जनसंख्या में वृद्धि हुई है दो गुना। अगर यह बात गलत है तो मन्त्री जी बताएं।

मन्त्री जी ने कहा है कि यह राज्य सरकार का मामला है। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि ये बड़ी बड़ी कम्पनियां और बड़े-बड़े ठेकेदार किनके बलबूते पर पल रहे हैं। उनका पैसा इलेक्शन में किसके लिए जाता है। उनसे पैसा लेकर इलेक्शन करवाया जाता है। उनके लोग पोलीटीशियंस के यहां, आफीसर्स के यहां घूमते हैं। उनकी बहुत बड़ी लाबी है। उनसे टकराना बहुत मुश्किल है। अगर मन्त्री महोदय उनसे निपटने की कोशिश करें तो उल्टा इनसे ही निपटा जाएगा। इनको हटना पड़ेगा। इतनी बड़ी लाबी है।

मैं संविधान की धारा 47 के बारे में बताना चाहता हूं। नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें कहा गया है कि "राज्य अपने लोगों के पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोकस्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्त्तव्य मानेगी और मादक पदार्थ और स्वास्थ्य के हानिकारक औषधियों के प्रयोग को निषिद्ध करने का प्रयास करेगी।" यह निषेध हो रहा है। अभी हमारे साथी भीखाभाई ने बताया कि जो राज्य बन्द कर चुके थे, उनमें भी आपने फिर से शुरू कर दिया। जनता पार्टी का लक्ष्य था कि 1982 तक पूर्णतः शराब पर पाबंदी लगा दी जाएगी। सारे आर्डर रद्द कर दिए गए। क्या यह बात सही नहीं है। राजस्थान में कानून लागू हो गया था। उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी हो गई थी। लेकिन इन सब प्रतिबंधों को उठा लिया गया। सब जगह साइन-बोर्ड पर लिखा रहता है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन दूसरी तरफ रेडियो या टी० वी० आदि पर प्रचार किया जाता है कि विल्स की इतनी करामात है कि एक घूसे से सौ आदमी मर सकते हैं। उसी तरीके से शराब का भी प्रचार हो रहा है। आदमी, नशा नहीं खाता बल्कि नशा ही आदमी को खा लेता है। एक तरफ तो प्रचार करते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए और दूसरी तरफ राजस्व में वृद्धि करते जा रहे हैं। मैं, 28-29 तारीख को हजारीबाग गया हुआ था।...(**व्यवधान**) उसकी जानकारी आपको देता हूं और चाहता हूं कि आप उसकी इंक्वायरी कीजिये। वहां इतनी टैन्शन थी, लगता था कि गोली चल जाएगी।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : तारीख बताइए ?

श्री रामविलास पासवान : 28-29 जनवरी की बात है। एक तरफ चर्च, मन्दिर, विद्यालय और घर तथा बीच में सरकार द्वारा शराब का कारखाना बनाया जा रहा है। पुलिस के सांठ-गांठ से घर-घर में प्राइवेट भट्टियां अलग से चल रही हैं। एक रुपया राजस्व की आमदनी होती है लेकिन गरीब के पाकेट से पांच गुना पैसा निकल जाता है। मैं आपका आभार मानूंगा यदि आप बता सकें कि मन्त्रि-मण्डल में कितने लोग हैं जो शराब नहीं पीते हैं ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : कोई नहीं पीता या पीता है इसका कालिंग एटेंशन से कोई संबंध नहीं है। आप आगे बोलिए।

श्री रामविलास पासवान : महोदया, वह कहती हैं कि कोई नहीं पीता। उनकी बात रिकार्ड में आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न करें।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : महोदय, माननीय सदस्य से व्यवस्थित रहने का अनुरोध किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको संरक्षण दूंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जिन बातों को असंगत समझती हैं, बेशक उनका उत्तर नहीं दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह ऐसा नहीं है कि "जो आप असंगत समझती हैं," बल्कि वह उन बातों का उत्तर दें जो···संगत है।

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी। आप इन मुद्दों के सम्बन्ध में अलग सूचना दे सकते हैं। हम उस पर विचार कर सकते हैं। परन्तु कृपया अब सम्बन्धित विषय पर आइये ।

श्री रामविलास पासवान : आप कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या प्रश्न पूछूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह मैंने पहले ही आपको बता दिया है।

श्री रामविलास पासवान : पहले शराब पीना निन्दनीय माना जाता था। अब यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : कालिंग अटेंशन का सब्जेक्ट क्या था ? लेकिन इसमें सारी दुनिया की बातें यहां आ रही हैं ?

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मुझे ऐसा लगता है कि मन्त्रियों के नाम लेने से आपको बुरा लगता है। मेरे कहने का मतलब है आज शराब प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। हम लोगों ने 1971 में कहा था कि जो फारेन डेलीगेट्स यहां आते हैं, उनको फाइव स्टार होटलों में शराब नहीं मिलेगी। मुझे मालूम नहीं कि अब यह चालू है या नहीं।

1.00 म० प०

मैंने कई बार कहा है कि इस देश में नेता की कमी नहीं···

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : एक ढूंढ़ो हजार मिलते हैं।

श्री रामविलास पासवान : नीति की भी कमी नहीं है। सबसे बड़ी कमी नीयत की है। सरकार को चाहिए कि वह अपना मन इधर या उधर एक बार बना ले। या तो वह सीधे कह दे कि हम इंटरफीयर नहीं करेंगे या कहे कि हम शराबबन्दी लागू करेंगे। या तो कह दें कि राज्य सरकार जिस तरह से चाहे पैसा उपजायें, जिस किसी काम को करके पैसा मिल सकता हो, ले या कहे कि वह इफैक्टिव कदम इस दिशा में उठाएगी। अगर आपकी कुछ भी जिम्मेवारी है तो कम से कम लोगों को मारने का काम तो आप न करें। आपके पास ज्यादा इंटैलीजैंस के लोग हैं, आई०बी० है, सी०बी०आई० है, सी०आई० डी० है और आपको ज्यादा मालूम है कि शराब वाले, शराब के ठेकेदार कितने पावरफुल होते हैं और कैसे उनसे निपटा जा सकता है। कम से कम सरकार यह घोषणा तो कर दे कि शराब के जो ठेके हैं या

लाइसेंस हैं, आज की जनसंख्या में वे जितने हैं इससे आगे वे नहीं बढ़ेंगे बल्कि उनकी संख्या को वह कम करती चली जाएगी। आपको चाहिए कि संविधान की धारा 47 का आप आदर करें और आदर करते हुए आजादी के 36 साल के बाद ही सही लेकिन यह घोषणा करें कि सरकार शराबबन्दी के लिए कटिबद्ध है और नए लाइसेंस आगे से नहीं दिए जाएंगे। जहां आपका राज है वहां सबसे ज्यादा इस तरह की खराबियां चलती हैं। आप हमें फिगर बताएं कि आजादी के समय हमारे देश में कितनी शराब की दुकानें थीं या कितनी दुकानों के लाइसेंस दिए गए थे और आज उनकी संख्या कितनी है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : माननीय सदस्य विषय से हटकर बातें करते रहे हैं। जहां तक पापुलेशन की बाढ़ का सवाल है, हम उस पर बराबर रोक लगाना चाहते हैं और हमने जरा रोक लगाई तो आप लोग कतरा गए और आप लोगों ने क्या-क्या कहा, इसको आप जानें। यहां उसको कहने की जरूरत नहीं।

जहां तक आय बढ़ाने का सवाल है यह सही है कि राज्य सरकारें अपनी आय बढ़ाने के लिए लाइसेंसों की संख्या बढ़ाती हैं और बढ़ा रही हैं और उसी अनुपात में उनकी आय भी बढ़ रही है।

(व्यवधान)

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : हम उन्हें लिख चुके हैं कि उनको आय का जो इनसे घाटा होगा, उसका पचास प्रतिशत भुगतान करने के लिए हम तैयार हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : हम और आप सब तय कर लें तो यह सब खत्म हो सकता है। आप भी छिपकर और इधर भी छिपकर करें तो यह चल नहीं सकता है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुख्य बात यह है कि श्री मनीराम बागड़ी के कारण सभा में किसी भी चर्चा की गम्भीरता नष्ट हो जाती है। मुझे बहुत अफसोस है। उन्हें सभा में अच्छा बर्ताव करना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनके नियमों के विरुद्ध चलने के कारण चर्चा की गम्भीरता समाप्त हो जाती है। मुझे बहुत खेद है। आपको इस प्रकार का बर्ताव करना बन्द कर देना चाहिए। यह मेरा नम्र निवेदन है। आप अत्यन्त वरिष्ठ नेता हैं। मुझे आपकी पार्टी के नेता को भी बतलाना पड़ेगा।

(व्यवधान)**

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं एक पद्य कहना चाहती हूं :

हर एक यहां है अस्मि अचल अपने पथ पर,
फिर तू ही क्यों भटका फिरता है इधर-उधर।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मत बदल-बदलकर राह सफर तय कर अपना,
हर पथ मंजिल की दूरी नहीं घटाता है।
हर देहरी पर मत अपनी भक्ति चढ़ा पागल,
हर मन्दिर का भगवान न पूजा जाता है।
हर घट से प्यास बुझा मत ओ प्यासे,
प्याला बदले तो मधु ही विष बन जाता है।

श्री रामविलास पासवान : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जनता पार्टी के समय में शराब के ऊपर पाबन्दी लगाई गई थी, उसको आपने फिर जारी किया है ? क्या यह सही है कि कुछ राज्यों ने पहले शराबबन्दी की थी जिसको बाद में शुरू कर दिया है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : 1978 में जनता पार्टी के वक्त में जो गाइड लाइन्स इशू की गई थीं उसमें कोई तबदीली नहीं की है, बल्कि 1982 में आम तौर से उन्हीं गाइड लाइन्स को फिर से दोबारा राज्य सरकारों को भेज दिया है। यह बात सही है कि महाराष्ट्र, मद्रास तथा कुछ अन्य राज्यों में पहले प्रोहिबीशन था, अब उसको उन्होंने रिलैक्स किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रोफेसर सोज बोलें एक विशेष मामले के रूप में, मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। जब अपनी बारी आती है तो आपको सभा में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। अब आपको केवल प्रश्न पूछना चाहिए भाषण नहीं करना चाहिए। इस समझौते पर मैंने आपको अनुमति दी है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने जो शायरी की है, वह हमारी समझ में नहीं आई। उन्होंने खुद ही बोली और खुद ही समझी, मुझे हिन्दी अच्छी नहीं आती है। चूंकि वक्त कम है इसलिए दो पौइन्ट्स ही कहना चाहता हूं।

फर्रुखाबाद में या कानपुर में नाजायज तरीके से जो शराब बनाई गई या बनाई जा रही है, उससे मरने वालों की बात ही नहीं है, बल्कि यह एक लार्जर सवाल है। इसमें केन्द्रीय सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे मुल्क में जो शराब है यह आम हो रही है, और मेरी सूचना यह है कि दिल्ली और बड़े-बड़े शहरों में, क्लबों में और होटलों में औरतों में भी शाना-ब-शाना शराब चलती है। इंगलिस्तान में यह मामला बहुत ही घिनौना बन गया है और उन्होंने रिसर्च की है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, वहां की ताजा रिसर्च में बताया गया है, मेडिकल बुलेटिन शाया करनी पड़ी अगर औरतें पीना ही चाहेंगी, तो चूंकि यह जिम्मेदारी होती है किसी भी हुकूमत की कि वह लोगों की सेहत की हिफाजत करे, इसलिए इन्गलैण्ड में यह फैसला किया गया कि ऐल्कोहल तो खराब चीज है, लेकिन औरतें अगर पीयेंगी तो किस वक्त पीयेंगी। क्योंकि यह नेशन की जिम्मेदारी है और खसूसन वहां पर पाबन्दी लगाई गई कि प्रेगनेंसी में शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इससे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। मैं तो नहीं कहूंगा कि आप बुलेटिन शाया करें, मगर एक दर्खास्त करूंगा क्या आप हैल्थ मिनिस्ट्री को बताएंगे कि वह मुल्क में सर्वे करे कि औरतों का कौन सा परसेंटेज इस गलत बात से बावस्ता हो गया है।

दूसरी बात शराब की ही बात नहीं है, बल्कि बहुत सारी नारकोटिक्स दिल्ली में और बड़े शहरों

में मिल रही हैं। इनमें हीरोइन बड़ी खतरनाक चीज है। मेरी जानकारी है कि पहाड़गंज में, प्रेमनगर में, लाजपतनगर और जामा मस्जिद एरिया में यह खुलेआम बिक रही है, सिर्फ आपको टेक्नीकल वर्ड बताना है। इस चीज के लिए दिल्ली की एक प्राइवेट संस्था ने सर्वे का काम शुरू किया है, मैं नहीं कहूंगा कि आप उसको एड दीजिए जिससे वह काम करे, लेकिन मैं मन्त्री जी से कहूंगा सरकारी शोबों में अस्पतालों में इस आवारागर्दी में मुब्तला लोगों को वापस लायें। मुझे पता है दिल्ली में डेढ़ लाख ऐडिक्ट हो चुके हैं और उनकी जिन्दगी की तरफ जाना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है।

जहां तक गरीबों की बात है, उस पर मुझे जवाहर लाल जी की बात याद आ रही है····"लैटर फ्राम ए फादर टू हिज डाटर", एक छोटी सी किताब में, जब इन्दिरा जी छोटी बच्ची थीं, तो उन्होंने पूरा इतिहास सामने रख दिया। उस समय एक जगह श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि इस मुल्क में जो गरीब लोग उधार लेते हैं और बच्चों की शादी पर खर्च करते हैं, दरासल बात यह होती है कि उनकी जिन्दगी जो होती है, वह बिल्कुल रेगिस्तान है और वे मरुउद्यान चाहते हैं।

वही बात उन गरीब लोगों के लिए है जो हूच पीते हैं। उनकी जिन्दगी एक रेगिस्तान है, वह दरख्तों का झुण्ड और नखलिस्तान चाहते हैं। दरासल बात यह है कि इस मुल्क की गरीबी दूर होनी चाहिए और पावर्टी लाइन से जो नीचे करोड़ों लोग हैं, उनको ऊपर उठाना चाहिए लेकिन जब तक वह उस लाइन तक आयेंगे, वह कुत्तों की मौत मरते रहेंगे।

इसलिए होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वह हैल्थ मिनिस्ट्री के साथ राब्ता कायम करके उन लोगों की जिन्दगी मामूली सहूलियतों के लैवल तक लाये।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक दिल्ली के होटलों का ताल्लुक है, जितने भी सरकारी होटल हैं, उनमें अभी भी पब्लिकली शराब पेश नहीं की जाती है, लेकिन जो फारेनर या कुछ लोग अपने कमरे में मंगाकर पीना चाहते हैं, उनको वहां पर पीने की इजाजत है।

जहां तक माननीय सदस्य का सुझाव है, कि हैल्थ मिनिस्ट्री के साथ बैठकर इस बात का सर्वे किया जाए कि इस मुल्क में कितनी परसैंटेज उन महिलाओं की है, जिनकी यह आदत है, मैं जरूर हैल्थ मिनिस्ट्री के साथ दरख्वास्त करूंगा कि न केवल इसका सर्वे किया जाए, बल्कि सारे लोगों की आम हालत को उठाने के लिए मैं प्लानिंग कमीशन से भी निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाए कि लोग पावर्टी लाइन से ऊपर आयें।

1.11 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) और अन्य अभिकरणों द्वारा राजस्थान के डूंगरपुर-बांसवाड़ा जिलों में रहने वाले आदिवासियों के लिए छोटे मकानों की निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : यह अत्यन्त सन्तोष की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर

समाज के दलित और कमजोर वर्गों की आवासीय समस्या सरकार के ध्यान में है। हाल ही में सभी सन्तोष तथा खुशी के ऐसे समाचार मिले हैं कि जिससे हर कोई बेहद खुश हैं आवास तथा नगरीय विकास निगम (हुडको) ने दूसरे समतुल्य संगठनों और राजस्थान सरकार के सहयोग से अलवर जिले में ऐसे आवासीय एककों का निर्माण शुरू किया है। महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में डूंगरपुर-बांसवाड़ा में प्रमुखतया आदिवासी लोग रहते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। उनकी सामाजिक स्थिति उन्हें अपने क्षेत्रों से जाने नहीं देती और इसलिए इन क्षेत्रों में मकानों का निर्माण तत्काल आरंभ किया जाना चाहिए।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से इन आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय एककों का निर्माण कार्य तत्काल आरंभ करने तथा इस संबंध में 'हुडको' और अन्य संबंधित एजेन्सियों को निदेश जारी करने का आग्रह करूंगा। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इन मामलों पर तत्काल ध्यान दिया जा सकता है।

(दो) मिर्जापुर के बर्तन-उद्योग के विकास हेतु कदम उठाने की आवश्यकता

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन में निम्नलिखित विषय का उल्लेख करना चाहता हूं—

उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर शहर का बर्तन उद्योग वहां का एक पुराना गृह-उद्योग है। इस उद्योग से कई हजार लोगों की जीविका चलती है, किन्तु इधर इस उद्योग में अनेक कारणों से गिरावट आयी है। यहां के इस बर्तन उद्योग को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। इस उद्योग में लगे हुए लोग करों तथा जांचों से परेशान हैं। उद्योग को बचाने तथा बढ़ाने का एक ही उपाय है कि मिर्जापुर में निर्मित बर्तनों को भी मुरादाबाद के बर्तनों की तरह निर्यात की वस्तुओं में रखा जावे और इसे कर से मुक्त किया जाये। इसके साथ ही मिर्जापुर में बर्तन निर्माण की क्वालिटी के सुधार के लिए एक प्रावैधिक (टैक्नीकल) सलाहकार केन्द्र की स्थापना की जाए। आशा है केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रताप भानु शर्मा —उपस्थित नहीं हैं। श्री कृष्ण प्रताप सिंह— उपस्थित नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य नियम 377 के लिए अपने नाम देने के बाद क्यों अनुपस्थित रहते हैं। इससे उनकी अपनी पार्टी को कोई अन्य सदस्य भी बोलने की अवसर खो बैठता है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : जी, नहीं। उन्हें दोबारा मौका दिया जाता है। ऐसा मत कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आपकी मर्जी पर है। आप कार्य मन्त्रणा समिति में इसके सम्बन्ध में निर्णय लीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो यह कहता हूं कि जब सदस्यों के नाम नियम 377 के अधीन

विवरण में हैं और वे उपस्थित नहीं हैं और उन्हें बुलाया जाता है, तो उनकी पार्टी यह अवसर खो देगी। यदि वे अनुपस्थित हैं। अतः किसी को अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। मैं तो यही सुझाव दूंगा कि···(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसा मत कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि जब नाम सूची में है, तो किसी को अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। क्योंकि, यदि वे यहां नहीं आते हैं तो उनकी पार्टी यह मौका खो देती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ये प्रतियां केवल ऐसे सदस्यों को दी जाये, जो यहां उपस्थित हैं, यदि वे उन्हें प्राप्त करने के लिए यहां मौजूद नहीं होते, तो उनके नाम सूची में दर्ज नहीं किए जाने चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत अच्छा सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनीराम बागड़ी आप एक प्रक्रिया तैयार कीजिए। कोई भी प्रक्रिया अन्तिम नहीं होती है। अब, श्री मनीराम बागड़ी बोलें।

(तीन) दो कब्रिस्तानों को अन्यत्र ले जाने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण वाराणसी में व्याप्त तनाव

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मोहल्ला दोषीपुरा जिला वाराणसी शहर के अन्तर्गत कब्रगाह के मामले को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमानों में तनाव व्याप्त है। कई बटालियन पी० ए० सी० वहां पर अभी भी झगड़ा होने के अंदेशे से तैनात है। यह परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से उत्पन्न हुई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि दस हफ्ते के अन्दर दो मजारों को खोदकर दूसरी जगह रख दिया जाए। मुसलमानों का सुन्नी तबका कब्रों को खोदने का सख्त विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि जमीन शिया की है, मगर मजार हमारी है। उनका कहना है कि सरकार मजार को खुदवाए नहीं, बल्कि कोई ऐसी व्यवस्था करे, जिससे हम लोग परम्परागत रूप से कब्र पर चद्दर तथा इबादत वगैरह करते रहें। मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 12 अप्रैल, 1984 के पूर्व ही उसको हटा कर दूसरी जगह रखना लाजिमी है। शिया और सुन्नी सम्प्रदाय के लोग आपसी झगड़ा नहीं चाहते।

अधिकारियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमें मानना ही पड़ेगा। यह मामला लगभग 124 वर्ष पुराना है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वह राष्ट्रपति से निवेदन करे कि वह सर्वोच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों की एक बेंच को इस कब्रगाह के मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कहे, जिससे इस लोक महत्व के तात्कालिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूरा विचार हो सके और भविष्य में होने वाला दंगा-फसाद रुक जाए।

(चार) भारत कारपेट लि० के प्रबन्धकों द्वारा अपने कर्मचारियों को चार महीनों का वेतन न दिया जाना और कर्मचारियों से एकत्रित भविष्य निधि की राशि को भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा न कराना

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मोहतरम, भारत कार्पेट लिमिटेड के मुलजमीन, जिनकी

तादाद तकरीबन 400 के करीब है, पिछले कई महीने से अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन मुलाजमीन को पिछले चार पांच महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। यही नहीं, बल्कि मिल-मालिक प्राविडेंट फंड के मामले में भी बहुत गैर-कानूनी हरकात कर रहे हैं। इन मुलाजमीन से प्राविडेंट फंड बाकायदा तौर पर वसूल किया जाता है, जो इनकी तनख्वाह में से हर महीने कट जाता है। लेकिन मिल-मालिकों का जो हिस्सा प्राविडेण्ट फंड में जमा होना चाहिए, मिल-मालिक उसको जमा नहीं कर पा रहे हैं। जुलाई, 1980 से लेकर आज तक प्राविडेंट फंड कमिश्नर के यहां एक भी पैसा जमा नहीं किया गया है। चूंकि मामला मजदूर की रोजी-रोटी और उसके प्राविडेंट फंड का है, इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि भारत कार्पेट लिमिटेड, फरीदाबाद को फौरन हिदायत करे कि वह मजदूरों की शिकायत को दूर करके उनके प्राविडेंट फंड का रुपया फौरन प्राविडेंट फंड कमिश्नर के यहां जमा कर दें और चार महीने की तनख्वाह मजदूरों को फौरन दें।

(पांच) 'समाचार भारती' की तालाबन्दी उठाने हेतु उपाय करने तथा इसके कार्यकरण की अपेक्षित जांच करवाने की आवश्यकता

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : हिन्दी संवाद समिति 'समाचार भारती' की दयनीय स्थिति की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। स्वर्गीय प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री के परामर्श से गठित इस संस्था के अध्यक्ष पद पर स्वतन्त्रता सेनानी श्री श्रीप्रकाश और श्री जयप्रकाश जैसे व्यक्ति रह चुके हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारों से भरपूर आर्थिक सहायता के बावजूद खराब प्रबन्ध के कारण यह संस्था सही ढंग से नहीं चल सकी। 1978 में समाचार संवाद समिति के विघटन के बाद एक बार फिर केन्द्र सरकार ने इसे भारी अनुदान दिया और हर साल लाखों रुपये विभिन्न मदों में देती रही। इसके बावजूद आज स्थिति यह है कि इसके शाखा कार्यालयों के कर्मचारियों को एक वर्ष से वेतन नहीं मिला है। दिल्ली में तीन माह का वेतन बकाया हो गया है। डाक-तार विभाग और भविष्य निधि की लाखों रुपये की देनदारी है। भविष्य निधि के नाम पर काटा गया कर्मचारियों का पैसा जमा नहीं कराया गया है। अनेक कर्मचारियों के भविष्य निधि के पैसे काटे गए लेकिन उनका खाता तक नहीं खोला गया। अनेक शिकायतों के बावजूद सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की है।

प्रबन्धकों ने करीब आधा दर्जन सरकारी बैंकों से ओवर ड्राफ्ट ले रखा है जिसके लिए डाक-तार विभाग से किराये पर लिये गये टेलीप्रिन्टरों को गिरवी रखा गया है जो पूरी तरह गैरकानूनी है। प्रबन्धकों ने कम्पनी कानून का भी उल्लंघन किया है। पिछले पांच साल से हिसाब आडिट नहीं कराया गया है और साधारण सभा की बैठक नहीं बुलायी गयी है।

कर्मचारियों द्वारा अपने वेतन और बोनस के भुगतान की जायज मांग करने पर प्रबन्धकों ने गैरकानूनी तालाबन्दी कर दी है जिससे संस्था के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है।

अतः सरकार से मांग है कि इस संस्था में धन के दुरुपयोग और कुप्रबन्ध के आरोपों की निष्पक्ष जांच करायी जाये साथ ही इसकी तालाबन्दी खत्म कराने और कर्मचारियों को न्याय दिलाने की कार्रवाई की जाय।

(छः) डायमंड हार्बर और सियालदाह के बीच और अधिक रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता

श्री निर्मल सिन्हा (मथुरापुर) : डायमंड हारबर से सुबह के समय आने वाली रेलगाड़ियों की संख्या कम होने के कारण भीड़भाड़ होने से हजारों की संख्या में प्रतिदिन चलने वाले यात्रियों, जिनमें अधिकांशत कार्यालय जाने वाले लोग, छात्र और व्यापारी होते हैं, को भारी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। विशेष रूप से धमुआ, होटोर आदि के यात्री बहुत ही मुश्किल से डिब्बे में प्रवेश कर पाते है। उन्हें रोज जोखिम में यात्रा करनी पड़ती है। सुबह के समय महिलाएं और बच्चे आने वाली गाड़ियों का फायदा नहीं उठा सकते। डायमंड हारबर—बरूईपुर लाइन के ग्रामवासियों की यह समस्या है कि उन्हें बीमार पड़ने पर निकटवर्ती ग्रामीण कस्बे बरूईपुर में चिकित्सक से परामर्श करना पड़ता है। यह लगभग असम्भव ही है कि रोगी को नजदीकी अस्पताल में लाया जाए क्योंकि वहां कोई सीधी पक्की सड़क नहीं है। इन भारी कठिनाइयों और असुविधाओं को दूर करने हेतु मैं रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे डायमंड हारबर से सुबह के समय आने वाली रेलगाड़ियों और शाम के समय सियालदाह को जाने वाली रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करें। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि मग्राहाट लोकल गाड़ी चलाई जाए जो मग्राहाट से 6.30 से 7.30 के बीच चले और एस० बी० 70 तथा एस० बी० 80 बराईपुर लोकल को मग्राहाट लोकल में बदले। साथ ही कृपया सियालदाह से 17.15 बजे से 17.45 बजे के बीच कम से कम एक डाउन —रेलगाड़ी चलाने की भी व्यवस्था करें।

(सात) रायगुडा और झारसुगुडा के बीच एक और यात्री रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

***श्री रास बिहारी बहेरा** (कालाहंडी) : दक्षिण पूर्व रेलवे में रायगुडा और झारसुगुडा के बीच पिछले 20 वर्षों से केवल एक आने वाली गाड़ी और एक जाने वाली गाड़ी चल रही है। उड़ीसा राज्य के झारसुगुडा, सम्बलपुर, बाड़ागढ़, तितलागढ़, बोलंगीर और कालाहंडी क्षेत्रों में कई नये औद्योगिक एकक खुल गए हैं। हरकुण्ड बांध सिचाई का केन्द्रजाल होने के कारण सम्बलपुर जिले को उड़ीसा का अन्नभण्डार कहा जाता है। विभिन्न औद्योगिक संगठनों और फार्मों में काम करने वाले लोग पर्याप्त रेल सुविधाओं के न होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि एक्सप्रेस रेलगाड़ियां छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि रायगुडा और झारसुगुडा के बीच शीघ्र ही एक और पैसेन्जर रेलगाड़ी चलाई जाये।

(आठ) राजस्थान के बाड़मेर तथा जालोर जिलों में नहरी जल योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :

राजस्थान प्रान्त के रेगिस्तानी बाड़मेर एवं "लाहौर" जिलों में सिंचाई के लिए नर्मदा जल-

* उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विवाद न्यायाधिकरण ने अपने एवार्ड के द्वारा नर्मदा जल का 0.50 मिलियन एकड़ फुट आबंटित किया है।

राजस्थान सरकार ने उन जिलों में जल से भूमि के 99035 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र की सिंचाई करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है परन्तु परियोजना रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। अतः केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर प्रभाव डाले कि परियोजना रिपोर्ट तुरन्त तैयार कर प्रस्तुत करे।

वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान सीमा तक गुजरात में मुख्य नहर के सन् 1995-96 तक पूरी हो जाने की संभावना है। राजस्थान सरकार ने इसे जून 1991 तक पूरा किए जाने के वास्ते जोर डाला है।

मेरा उक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते आग्रहपूर्वक निवेदन है कि रेगिस्तानी एवं सीमावर्ती बाड़मेर एवं जालौर जिले जो पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं वहां सन् 1991 तक नर्मदा का पानी पहुंचाया जावे ताकि हजारों वर्षों से प्यासी जमीन में सिंचाई की जा सके।

उक्त बड़ी योजना के लिए उक्त पिछड़े सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों को देखते हुए केन्द्र सरकार भी राज्य सरकार को विशेष सहायता के राज्य सरकार भी सन् 84-85 की वार्षिक योजना एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त प्रावधान करे ताकि युद्ध स्तर पर कार्य किया जा कर सन् 1991 तक बाड़मेर एवं जालौर में सिंचाई के लिए पानी पहुंच सके।

1.26 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1984-85

गृह मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 50 से 60 पर चर्चा और मतदान आरम्भ करेगी, जिसके लिए 12 घंटे आबंटित किए गए हैं।

माननीय सदस्य जो सदन में उपस्थित हैं और अनुदानों की मांगों के लिए जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के अन्दर पटल को एक पर्ची भेजें, जिसमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या अंकित हो जिन पर वे प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किए गए रूप में माना जाएगा।

प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याएं दर्शाने वाली सूची सूचना पट्ट पर यथा शीघ्र लगा दी जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में असंगति पाता है तो वह इस बात की अविलम्ब पटल अधिकारी की जानकारी में लाए।

प्रस्ताव किया गया कि :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई गृह मन्त्रालय से सम्बन्धी मांग संख्या 50

से 60 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

अब श्री सोमनाथ चटर्जी चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गृह मन्त्रालय का सम्बन्ध है पुनरीक्षा वर्ष या तो निष्क्रिय या अभिप्रेरक कार्यवाही के रूप में प्रतीत होता है। देश की एकता तनाव-ग्रस्त है। पंजाब जल रहा है और असम का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। भारत सरकार चुप और मौन दर्शक बनी हुई है और उग्र स्थिति पर नियन्त्रण करने में असमर्थ है, जिसे इसने स्वयं पैदा किया है। समाज के कमजोर वर्ग के लोग अर्थात् हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा शोषण हो रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के अति महत्वपूर्ण, आवश्यक और कर्कश मसले के प्रति सरकार का रवैया न केवल दुविधापूर्ण है अपितु राष्ट्रीय एकता और संश्लेषण के लिए विनाशकारी है। सरकार के कार्यों की मुख्य बात भेदभाव और पक्षपात करना है और उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एकता की अवधारणा का बलिदान किया जा रहा है। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों का उपयोग बेढ़ंगे तरीके से पार्टी के कार्यों के लिए पहले की तरह अभी भी किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के अर्द्ध-सैनिक बलों का उपयोग उन कार्यों के लिए किया जा रहा है जो इन बलों के घोषित लक्ष्यों में से नहीं हैं और उनका उपयोग ट्रेड यूनियनों द्वारा उचित अधिकारों के प्रयोग के विरुद्ध भी किया जा रहा है।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के महत्त्वपूर्ण मसले के बारे में एक अच्छी बात यह है कि जनता इस महत्त्वपूर्ण मामले को निस्संदेह अच्छी तरह समझने लगी है और केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों तथा संसाधनों के समुचित वितरण के लिए उसकी इच्छा प्रबल हो रही है। हम देख रहे हैं एक सशक्त केन्द्र के बहाने से केन्द्रीय सरकार स्वयं अधिक से अधिक शक्तियां ग्रहण कर रही है और राज्य सरकारों का दर्जा घटा कर नगरपालिका के समान कर दिया गया है जैसाकि हाल ही में श्री पालखीवाला ने भी कहा है—कि ब्रिटिश राज के अधीन राज्य सरकारें द्वितीय श्रेणी के देसी राज्य थीं। आज राज्यों की स्थिति उस प्रकार की है। श्री पालखीवाला वामपंथी नहीं हैं और साम्यवादी भी नहीं हैं किन्तु वे कहते हैं—मैं उन्हीं के शब्दों में कहता हूं :—

"केन्द्र अधिक से अधिक शक्ति ग्रहण कर रहा है और राज्यों के प्राधिकार कम कर रहा है तथा राज्यों के विकास में रोड़े अटका रहा है। राज्य शक्तिहीन, संसाधनहीन हो गए हैं और निराश हो गए हैं। जब तक राज्य सशक्त न होंगे तब तक केन्द्र का सशक्त होना असंभव है।"

यह श्री ज्योति बसु का मत नहीं है। आज मैं यह देखकर खुश हूं कि पश्चिम बंगाल इस देश की मूल राजनीति में पैदा किए गए उस विकार को दूर करने की आवाज उठाने वाला अकेला राज्य नहीं है जिसने हमारे संवैधानिक ढांचे के उचित और प्रभावी कार्यकरण को लगभग अस्त-व्यस्त कर दिया है। अनेक अन्य राज्य अब केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का पुनः समायोजन के लिए उसी तरह बलपूर्वक मांग उठा रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राज्य भी, जहां मुख्य मन्त्री

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत गृह मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगें, 1984-85

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च, 1984 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
गृह मंत्रालय					
50	गृह मन्त्रालय	93,99,000	...	4,69,92,000	...
51	मन्त्रिमण्डल	1,19,53,000	...	5,97,63,000	...
52	कार्मिक और प्रशासिनक सुधार विभाग	2,19,28,000	...	10,96,43,000	...
53	पुलिस	76,88,71,000	4,28,16,000	384,43,57,000	21,40,77,000
54	अन्य प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाएं	29,30,43,000	5,89,07,000	146,52,40,000	29,45,32,000
55	गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय	63,96,48,000	31,92,89,000	298,37,76,000	133,49,12,000
56	दिल्ली	56,70,76,000	42,02,82,000	283,53,81,000	210,14,10,000
57	चण्डीगढ़	9,65,99,000	4,12,18,000	48,30,00,000	20,60,92,000
58	अण्डमान और निकोबार दीप समूह	8,96,96,000	5,24,09,000	44,84,79,000	26,20,47,000
59	दादरा और नगर हवेली	96,06,000	98,19,000	4,80,,31,000	4,90,94,000
60	लक्षद्वीप	2,35,50,000	53,93,000	11,77,48,000	2,66,69,000

कुछ बोल नहीं सकते और बंधे हुए हैं, संसाधनों का अधिक से अधिक हिस्सा लेने की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आठवें वित्त आयोग को दिए गए उनके ज्ञापनों में व्यक्त है। अत: ऐसा लगता है कि उनकी मांगें अधिक से अधिक गूंज कर रही हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि लोगों में इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न के लिए अधिकतम जागरूकता की स्पष्ट रेखा है। विपक्षी दल बैठकें कर रहे हैं। उनके बीच विचारों और कार्यों की बहुत अधिक एकता है, जनता में अधिक जागरूकता है और इस वर्ष जनवरी में कलकत्ता में हुई पिछली बैठक पूर्ण सफल रही थी। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह दीवार पर लिखी बात देखें और इन प्रश्नों को उचित महत्त्व दें ताकि उन्हें शीघ्र हल किया जा सके।

यह पता चला है कि हमारे संविधान में जन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों पर है जबकि वित्तीय संसाधन केन्द्र के पास रखे गए हैं। राज्य सरकारों का उचित अधिकार क्या होना चाहिए, वह अब नौकरशाही-नियंत्रित गैर-संवैधानिक निकाय जैसे योजना आयोग की काल्पनिक मनमौजी और केन्द्रीय प्रशासन की काल्पनिक मनमौजी रह गई है, जो इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्र निर्माण के उद्देश्यों के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करने में प्रवृत्त हैं।

इस सम्बन्ध में सत्तारूढ़ दल का क्या दृष्टिकोण है? यदि हम कलकत्ता में हुए पिछले कांग्रेस (आई) अधिवेशन में हुए हो-हल्ला और रुकावट को याद करें तो हमें सत्तारूढ़ दल के दृष्टिकोण का पता चलेगा। सत्तारूढ़ दल के एक महासचिव ने, जिन्हें कलकत्ता की दीवारों में चिपकाए गए पोस्टरों में आज का नेता और कल की आशा के रूप में दिखाया गया है, कह डाला कि "पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि भिक्षापात्र लेकर प्राय: दिल्ली आते हैं।" यह सुस्पष्ट रूप से यह बताने का समय आ गया है कि केन्द्र के पास जो राशि है वह कांग्रेस पार्टी अथवा किसी विशेष परिवार की नहीं है। यह राशि राष्ट्र की राशि है और इस दोषपूर्ण अर्ध-संघीय ढांचे में भी इस राशि पर राज्यों का पूर्ण हिस्सा बनता है। यह कोई उदार दान के रूप में नहीं है बल्कि इस पर उनका उचित अधिकार है। अत: कांग्रेस (आई) के महासचिव द्वारा जो भाषा प्रयोग की गई है वह अत्यन्त भद्दी तो है ही किन्तु ऐसा रवैया भी दिखाती है जिस रवैये से सत्तारूढ़ दल ज्वलंत समस्याओं की ओर देखता है।

मैं एक उदाहरण देता हूं। गत 6-1/2 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने आय कर, सीमाशुल्क और निगम शुल्क के रूप में केवल पश्चिम बंगाल से 6,932 करोड़ रुपए एकत्र किए किन्तु राज्य सरकार को उसके शेयर के रूप में केवल 1,533 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया जो कि वसूली के निर्धारित शेयर के 40 प्रतिशत से कम है।

अन्य राज्यों की भी यही स्थिति है। अन्य राज्यों के आंकड़े मेरे पास नहीं है। जहां तक वित्तीय संसाधनों का सम्बन्ध है स्थिति यह है कि बजाय इसके कि केन्द्र राज्यों को राज सहायता दे, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य केन्द्र को राज सहायता दे रहे हैं। कुछ दिन पहले हम यह देख चुके हैं और इस मामले को हमने छात्र सदन में उठाया है। राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट के इस प्रश्न पर केन्द्र या सत्तारूढ़ दल की ओर से काफी शोर मचाया गया है। और कहा गया है कि राज्य अपने वित्त को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। परन्तु महोदय, जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, आप जानते हैं कि इसने तीन वर्ष में अपने घाटे को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए वसूल किए हैं जबकि राज्यों ने केवल 25000 करोड़ रुपए का ओवर ड्राफ्ट किया है। किसका ड्राफ्ट अधिक है? यह स्थिति इस कारण पैदा हो गई है कि केन्द्र द्वारा राज्यों को पर्याप्त संसाधन और धनराशि आबंटन करने में उदासीनता दिखाई गई है। केन्द्र नोट छाप सकता है। केन्द्र द्वारा अपना घाटा पूरा करने के लिए करोड़ों रुपए के नोट छापे जा रहे

हैं। केन्द्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन लिया जा सकता है केन्द्र मूल्यों में वृद्धि करके बजट के अपने घाटे को पूरा कर सकता है। परन्तु सम्बन्धित राज्य के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि एक राष्ट्रीय बैंक है और किसी एक पार्टी का बैंक नहीं है, को संविधान के विपरीत चुपचाप अनुदेश दिए जाते हैं कि एक राज्य में जनता द्वारा संवैधानिक ढंग से चुनी हुई सरकार के चैक को वापस लौट दिया जाए। महोदय, यह प्रवृत्ति बहुत ही खतरनाक है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। यह राज्य सरकारों को अपमानित करने के अलावा कुछ नहीं है, यदि इस प्रवृत्ति को रोका नहीं जाता तो यह देश के टुकड़े-टुकड़े कर देगी। उन राज्यों की संख्या बढ़ रही है जहां गैर-कांग्रेस (आई) सरकारें हैं। यह ठीक ही है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि आगामी चुनावों में इस सदन की स्थिति भी अब से बेहतर होगी। परन्तु जब तक केन्द्र में कांग्रेस (आई) सत्तारूढ़ है, तब तक उन राज्यों के साथ राजनैतिक और वित्तीय स्तर पर पक्षपात नहीं किया जा सकता जिनमें गैर-कांग्रेस (आई) सरकारें हैं।

महोदय, सरकारिया आयोग की नियुक्ति की घोषणा करके एक प्रकार से इस महत्त्वपूर्ण मांग में रियायत दी गई। परन्तु उसके कार्यकारण के बारे में आशंका व्यक्त की गई और हमारी यह आशंका सच साबित हुई है कि सरकारिया आयोग का गठन इस समस्या के समाधान के लिए नहीं बल्कि इस समस्या को शांत करने के लिए किया गया है। इसलिए एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी इस आयोग के कार्यकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार की न तो प्रशासनिक स्तर पर और न ही राजनैतिक स्तर पर कोई इच्छा प्रतीत होती है। महीनों तक अध्यक्ष यह चिल्लाते रहे कि न तो न्यूनतम सुविधाएं हैं और न ही पर्याप्त कर्मचारी हैं। एक अपर्याप्त प्रश्नावली, क्योंकि इस पर सभी ने टिप्पणी की है, जारी करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया गया है, यद्यपि एक वर्ष बीत गया है, हम यह देखते हैं कि अन्य आयोग केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार बड़े उत्साह से कार्य कर रहे हैं और यह आयोग लुढ़कते हुए चल रहा है और इसने अपने कार्य में कोई प्रगति प्राप्त नहीं की है। यदि केन्द्रीय सरकार के विचार में यह महत्त्वपूर्ण और आवश्यक था कि उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाए, जिस देश का भविष्य निश्चित करना है तो इस बात की भी निगरानी रखी जानी चाहिए थी कि यह आयोग ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। केन्द्र और राज्यों बीच अधिकारों का वितरण पुनः निर्धारित करने की बड़े जोर-शोर से मांग की जा रही थी। स्वतन्त्रता के बाद लगभग चार दशक बीत चुके हैं और इस दौरान यह देखने में आया है कि जिस ढंग से संविधान लागू किया गया है उससे राज्यों और केन्द्र के बीच मतभेद बढ़े हैं। इससे राज्यों के बीच मतभेद बढ़े हैं और यहां तक कि एक क्षेत्र के लोगों के दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ मतभेद बढ़े हैं। हम देख चुके हैं कि माडा समीकरण नीति का किस प्रकार लागू किया गया है। इसका उपयोग करके देश के बड़े भागों को उन प्राकृतिक और भौगोलिक न्यूनतम सुविधाओं से वंचित किया गया है जो उन्हें प्राप्त थी और किस प्रकार कुछ लोगों को विशेष सुविधाएं दी गई हैं जो कि अन्य किसी देश में नहीं हो सकता था। संविधान को लागू करने का यह तरीका है। यदि सरकारिया आयोग वास्तव में सरकार की ओर से एक निष्कपट प्रयास होता तो सरकार द्वारा सरकारिया आयोग के कार्यकरण के लिए प्रभावशाली कार्यवाही की गई होती।

मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि इस मुद्दे को टालने में जितनी अधिक देर की जाएगी देश की एकता को उतना ही अधिक खतरा बढ़ेगा। यह नहीं सोचना चाहिए कि यह मुद्दा वर्षों तक पड़ा रहेगा।

महोदय, सत्तारूढ़ दल के एक महत्त्वपूर्ण कार्यकर्त्ता ने सदन में दावा किया है कि उन्हें प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई राज्य सरकारों को गिराने का भी अधिकार है। सत्तारूढ़ दल का एक महत्त्व-

पूर्ण कार्यकर्त्ता द्वारा सदन में सरकार गिराने की इस धमकी से पता चलता है कि केन्द्र सरकार की प्रवृत्ति अपने दल और अपने दल के उद्देश्यों के लिए संविधान के उपलब्धों का सहारा लेने की है। गैर-कांग्रेस (आई) दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों को गिराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संकेद्रित प्रयास किए गए हैं और उन्होंने चिंताजनक रूप धारण कर लिया है कर्नाटक में रिश्वत लेने सहित सभी अनुचित तरीके अपनाए गए हैं। विधायकों को खरीदने के लिए पाप की कमाई का उपयोग किया जा रहा है और यहां तक कि हेगडे सरकार को गिराने के लिए राज्यपाल के पद का भी सहारा लिया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में सरकार गिराने का अभियान आरम्भ किया गया है और जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक कांग्रेस (आई) सभी कार्यकर्त्ता धमकी दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सरकारों पर निरन्तर केन्द्र द्वारा हमला किया जाता रहा है। कलकत्ता में हाल ही में कांग्रेस (आई) के अधिवेशन का उपयोग राज्य की वामपंथी मोर्चा सरकार की निंदा करने के लिए किया गया और कलकत्ता में अधिवेशन के लिए राज्य की वामपंथी मोर्चा सरकार द्वारा की गई अच्छी व्यवस्था के लिए दिखावटी प्रशंसा की गई। अन्यथा यह अधिवेशन नहीं हो सकता था क्योंकि वे आपस में लड़ रहे थे और प्रत्येक व्यक्ति की निगाह में यह बात थी।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने सम्बन्धी पारित विधेयक को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति न देने के पीछे क्या सिद्धान्त हैं ? क्यों ? क्या यह निर्णय केन्द्र सरकार को करना है। महोदय, यह आन्ध्र प्रदेश द्वारा लोगों को विधान परिषद समाप्त करने के वायदे को पूरा करने में रुकावटें पैदा करने के लिए किया गया है। यहां बैठकर लोगों की इच्छा की अनदेखी की जा रही है। विधान सभा द्वारा किए गए निर्णय को कूड़े में डाल दिया गया। क्या यह एक व्यक्ति या एक राजनैतिक दल या सचिव या उप सचिव की इच्छा पर निर्भर करता है। हमें इस बात का नहीं पता। यह बहुत ही गम्भीर मामला है और हम चाहते हैं कि सरकार को राज्य सरकार के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सरकार को सार्वजनिक निर्णय की इस प्रकार अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यह बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है, आप देश को टुकड़ों-टुकड़ों में विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप स्वतन्त्र देश के उन नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं जिन्होंने राज्य की विधान सभा को चुना है, जिन्होंने सरकार बनाई है और जिन्हें लोगों के आदेशों का पालन करने के निदेश दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि प्रजातान्त्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को गिराने के लिए संविधान के उपबन्धों के दुरुपयोग के निरन्तर प्रयासों का भारत के लोगों तथा स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र को चाहने वाले लोगों द्वारा भविष्य में विरोध किया जायेगा। सरकार को विधिवत ढंग से चुनी गई राज्य सरकारों को अस्थिर बनाने के प्रयास नहीं करने चाहिए। दूसरी बात मंत्री महोदय को मैं राज्यों में राज्पाल के पद का दुरुपयोग करने के बारे में कहना चाहता हूं। ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकारों पर थोपा जाता है जो राज्य सरकार का अध्यक्ष होने के नाते सीमित संवैधानिक अधिकारों के उपयोग के बजाय दलगत राजनीति का खेल अधिक खेलते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को सूचित किए बिना और उसके परामर्श के बिना वर्तमान राज्यपाय की नियुक्ति जिसने केन्द्रीय सरकार की खतरनाक और निंदनीय प्रवृत्ति को दिखाती है।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : मैंने उन्हें सूचित किया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु नियुक्ति के बाद सेठी जी, क्या आप इसे पर्याप्त समझते हैं ? हम आपसे सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि राजभवन को दिल्ली में आवंटित राजनीतिज्ञों या आज्ञाकारी नौकरशाहों का आश्रय स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए। मैने अभी हाल ही में एक राज्यपाल का—मैं

उसका नाम नहीं लूंगा—सतारूढ़ दल के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता के पास सेन्ट्रल हाल में जाते हुए तमाशा देखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बात का उल्लेख न करें कि सेन्ट्रल हाल में क्या हो रहा है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : ऐसा कैसे हो सकता है ?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह राज्यपाल के शासन से सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु हम यहां ऐसा नहीं कह सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है, महोदय—संसद भवन के इस भवन के महत्वपूर्ण भाग में··· (**व्यवधान**) उन्हें संसद भवन के एक महत्वपूर्ण भाग में घूमते हुए देखा गया है। महोदय, यह एक बार नहीं कई बार समाचार-पत्र में छपा कि उन्हें सत्तारूढ़ दल के एक विशेष महासचिव, प्रधानमन्त्री और सत्तारूढ़ दल के अन्य नेताओं से मिलने की प्रतीक्षा में खड़े देखा गया है ताकि वह राज्यपाल होते हुए राज्य सभा के टिकट के लिए उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो सकें। अजीब तमाशा है।

श्री सी० सी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : वह सभा के भूतपूर्व सदस्य हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, 'द स्टेटसमैन' को हमसे कोई विशेष लगाव नहीं है। कोई भी यह कह सकता है कि 'स्टेट्समेन' वामपन्थी अथवा साम्यवादी समाचार पत्र है। इसने क्या कहा है ? मैं 'स्टेटसमेन' के सम्पादकीय से उद्धृत करता हूं।

> "श्री** के हाल के आचरण से उनके स्वतन्त्र और प्रभावी कार्य निष्पादन की क्षमता को असीमित क्षति पहुंची है ; अपने राजनीतिक सम्पर्क कायम रखने अथवा पुनः बनाने के उनके प्रयास ने उनके व्यवहार को सन्देहास्पद बना दिया है···यह जानने के बाद कि सक्रिय राजनीति में वापस आने से तुरन्त कोई लाभ नहीं होगा राजभवन में रहकर उन्होंने केवल अपने प्राधिकारों को क्षति ही नहीं पहुंचाई उन्होंने एक पद की गरिमा को भी कम कर दिया है, जिसका अवमूल्यन केन्द्र सरकार के रवैये और कार्यवाहियों से पहले ही हो चुका है।"

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : क्या आप यह समझते हैं कि वे इस प्रकार के अकेले ही व्यक्ति हैं ?

श्री चित्त बसु (बारसाट) : जी, नहीं ! सिक्कम भी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ शिकायतें आई हैं। यहां तक कि कांग्रेस (इ०) के मुख्य मन्त्री भी राज्यपालों की कारगुजारियों के बारे में शिकायतें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि चाहे जो भी राज्यपाल इससे सम्बद्ध हो, मैं यहां उनका नाम नहीं लेना चाहता, उसे वापस बुला लिया जाना चाहिए। इस देश में राज्यपाल के पद की भविष्य में छवि धूमिल नहीं की जानी चाहिए। ** राजभवन को काफी दूषित

** कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

कर दिया गया है। अब ही यह समय नहीं आया है बल्कि पहले ही गुजर गया है जब स्पष्ट रूप से यह कहा जाना चाहिए था कि राज्यपाल को विभिन्न राज्यों की राजधानियों में केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के एजेंट के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल के पद को अल्पमत में कांग्रेस (इ०) को चालाकी से सत्तारूढ़ करने अथवा अन्य दलों को सरकार गठित करने के अधिकार न देने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों में लोगों के विश्वास को राज्यपाल के माध्यम से बिगाड़ा नहीं जाना और उनकी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। और हमें संवैधानिक और राजनीतिक रूप से गलत उद्देश्यों के लिए इस पद का दुरुपयोग करने का विरोध करना चाहिए।

एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला जिससे इस मन्त्रालय का सम्बन्ध है और जिसका हमें उल्लेख और विरोध करना चाहिए। वह है विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं द्वारा पारित किए गए विधेयकों को रोके रखने और उन पर सहमति देने से इन्कार करने का खतरनाक और घातक खेल। लोगों की इच्छा चुनी गई लोकप्रिय विधान सभाओं के माध्यम से प्रकट होती है और इसको इस प्रकार की प्रक्रियाओं से कुचला नहीं जा सकता है। कैसे ? मुझे नहीं पता क्या हम इस बात को पसन्द करेंगे कि इस संसद द्वारा पारित कानून को किसी राजनीतिक एजेंसी द्वारा संवैधानिक अनुपयुक्तता अथवा संवैधानिक आधार पर जो केवल उच्चतम न्यायालय कर सकता है अन्य कोई नहीं—आस्थगित रखा जाए। क्या आप सुपर विधानमण्डल अथवा सुपर संसद बनाना चाहते हैं! क्या भारत के संविधान में यह उपबन्ध रखने का उद्देश्य यही था—कि सुपर विधान मण्डल बन सकें—केन्द्रीय सरकार सुपर विधान मण्डल है क्या उप सचिव और संयुक्त सचिव मेरे राज्य में मेरे लोगों के भाग्य का निर्णय करेंगे ?

राज्य सरकारों को कतिपय कार्यक्रमों और उनकी नीतियों के कारण चुना जाता है। राज्य सरकारों द्वारा लोगों की मांग के अनुसार बनाए गए कानूनों को प्रभावी न होने देकर इन कार्यक्रमों और नीतियों को निष्फल नहीं किया जा सकता है। यदि कानून संवैधानिक नहीं है अर्थात वे अधिकारातीत हैं, तो इसका निर्णय कौन करेगा? इस बात का निर्णय करने के लिए देश में न्यायालय हैं कि कानून अच्छा है या बुरा। इस बात का निर्णय केन्द्रीय सरकार और मन्त्री जो कोई कानून नहीं जानते हैं अथवा संयुक्त सचिव अथवा उप सचिव जो कोई कानून नहीं जानते अर्थात संविधान की बारीकी नहीं जानते हैं, के द्वारा नहीं किया जा सकता। यह कहना आसान मामला नहीं है कि कौन सा कानून अधिकारातीत है और कौन सा नहीं, उच्चतम न्यायालय के बीच न्यायालय और न्यायालय के बीच तथा न्यायाधीश और न्यायाधीश के बीच भी मतभेद होते हैं

किसी प्रगतिशील विधान को बिना किसी आधार पर, मैं आरोप लगाता हूं बिना किसी आधार' पर अथवा काल्पनिक आधार पर राष्ट्रपति की सहमति देने में अब तक विलम्ब करके विफल करने का अत्यन्त महत्वपूर्ण और भद्दा उदाहरण 1981 का पश्चिम बंगाल भूमि सुधार संशोधन विधेयक है। सहमति प्रदान करने के लिए असंख्य अभ्यावेदन दिए गए। जो स्पष्टीकरण मांगे गए वह दे दिए गए, यद्यपि स्पष्टीकरणों की आवश्यकता नहीं थी। प्रलेखों और पत्रों का असीमित आदान-प्रदान किया गया। तीन वर्ष तक केन्द्रीय सरकार को इस महत्वपूर्ण जन-कल्याणकारी भूमि सुधार विधान को अपनी सहमति देने के लिए समय नहीं मिला है। उनकी पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति प्रत्यक्ष रूप से कोई जवाब देही नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाब देही राज्य विधान सभा और राज्य सरकार पर है। आप यहां निर्णय नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में बैठे मन्त्री और नौकरशाह मेरे राज्य अथवा किसी भी राज्य में भूमि सुधार के ढांचे का निर्णय नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में कानून बनाना राज्य सरकारों का काम है। विधान सभा के समर्थन से कानून को पारित करवाना राज्य सरकार का

काम है और यदि वे संविधान के विरुद्ध हैं तो उनको रद्द करने का काम न्यायालयों का है। मैं आरोप लगाता हूं कि यह सरकार पश्चिम बंगाल भूमि सुधार संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति नहीं दे रही है क्योंकि इसका उद्देश्य जमींदारों को संरक्षण प्रदान करना है, जो उस राज्य में उनके मुख्य समर्थक हैं। हम केन्द्रीय सरकार के इस रवैये की निन्दा करते हैं और हम मांग करते हैं कि इस कानून को तुरन्त सहमति प्रदान की जाए। विभिन्न राज्यों से और पश्चिम बंगाल से अनेक अन्य विधेयक वर्षों से लम्बित पड़े हुए हैं। मैं इसे और कुछ नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य के लोगों को उनके द्वारा समुचित ढंग से गठित राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित विधानों के लाभों से वंचित करने की धृष्टता है। शक्तिशाली केन्द्र के तथाकथित तर्क से न केवल राज्य कमजोर हुए हैं बल्कि देश में तेजी से अवखण्डन बढ़ रहा है। इससे लोगों के बीच अलगाव को बढ़ावा मिल रहा है जिससे पूरे देश की अखण्डता पर प्रभाव पड़ रहा है हमने बार-बार इस बात को दोहराया है कि हम कि शक्तिशाली और संयुक्त भारत चाहते हैं जो केवल राज्यों को शक्तिशाली बना कर ही हो सकता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा 37 वर्षों से शक्तियां अनधिकार पूर्वक अपने पास रखने से इस देश की कोई भी भूल अथवा प्रमुख समस्या का समाधान नहीं हुआ है बल्कि इससे समस्याएं बढ़ी हैं अभाव बढ़े हैं, समानताएं बढ़ी हैं और देश के विशाल क्षेत्रों और लोगों की अपेक्षा बढ़ी हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से केन्द्र और राज्य के बीच शक्तियों के पुनर्समायोजन और पुनर्वितरण के इस मामले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में जांच करने का जोरदार अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी आपके दल को आबंटित समय के अनुसार आप 2 बजे कर 10 मिनट तक भाषण जारी रख सकते हैं। परन्तु आपके सूचनार्थ बता दूं कि इसके बाद अन्य सदस्य का नाम भी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पंजाब में 6 अक्तूबर, 1983 से राष्ट्रपति शासन चल रहा है। परन्तु वहां की स्थिति आज पहले से भी अधिक गम्भीर हो गई है आज हम साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का खतरनाक दृश्य देख रहे हैं। धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रीयता और देश भक्ति के मूल्य दांव पर लगे हुए हैं और इससे पूरे देश की एकता को खतरा हो सकता है। परन्तु हम सरकार का क्या करते हुए देख रहे हैं। ऐसा लगता हैं जैसे सरकार को स्थिति की गम्भीरता से कुछ लेना-देना नहीं है। यह समस्या को सुलझाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।

1.56 म० प० **(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : पिछले महीने सभा में पंजाब की स्थिति पर चर्चा के दौरान हमने अपने दल की स्थिति स्पष्ट कर दी थी और मैं समय की कमी के कारण उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। परन्तु मैं कुछ पहलुओं पर जोर देना चाहूंगा। महोदय, अब जब आप अध्यक्षपीठ में हैं, आप यह मानेंगे कि इस मामले के सम्बन्ध में प्रत्येक नागरिक को चिन्ता और दुःख है।

पहला तो सम्प्रदायों के बीच अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ने का खतरा है। हम देखते हैं, हरियाणा में जो कुछ हुआ है वह पंजाब में उग्रवादी गतिविधियों पर प्रतिक्रिया स्वरूप हरियाणा के मुख्य मन्त्री द्वारा अपनाई गई नीतियों की तर्क संगत चरमसीमा है। हरियाणा सरकार हरियाणा में हुई घटनाओं की जिम्मेदारी से स्वयं को मुक्त नहीं करा सकती है।

दूसरे, उग्रवादी गतिविधियों का तेजी से बढ़ते जाना है जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष लोगों की

निष्ठुर हत्याएं हो रही हैं। हमने संविधान के अनुच्छेद 25 को जलाने और बिगाड़ने के निर्णय की निन्दा की है। इससे केवल उग्रवादियों के नरम तत्वों पर अपना पंजा बढ़ाने की दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक प्रवृत्ति का पता चलता है। इसकी लोगों के सभी वर्गों द्वारा निन्दा की गई है।

तीसरे, सभी प्रगतिशील लोगों को इस नरसंहार को रोकने और सभी प्रकार की उग्रता तथा साम्प्रदायिकता को पूरी तरह से समाप्त करने में जुट जाना होगा, जो केवल प्रसासनिक उपायों से नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसमें लोगों का और वे भी ठीक ढंग से सोचने वाले लोगों का सहयोग न हो। वामपन्थी ताकतों ने सदैव मार्गदर्शन किया है। लोकतांत्रिक ताकतों को सक्रिय करना होगा। यदि यह सोचा जाता है कि पुलिस कार्यवाही करके अथवा प्रशासनिक कार्यवाही करके इस समस्या को सुलझाया जा सकता है, तो वे गलती पर हैं और यह देखा गया है कि इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं और इससे इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। केवल लोगों के शामिल होने ही से समस्या को सुलझाने में सहायता मिल सकती है और मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता है कि आपने कल ही लुधियाना में एक शान्ति सार्च का नेतृत्व किया था। जब तक जनता को इसमें शामिल नहीं किया जाता, तब तक इस बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता है।

चौथे, हमें अकाली दल के नरम तत्वों से अपील करनी चाहिए कि वे उग्रवादी तत्वों के शिकंजे में न फंसे बल्कि वे सिक्ख उग्रवादियों की गतिविधियों की राष्ट्र विरोधी के रूप में निन्दा करें और यह घोषणा करें कि उनके धार्मिक स्थानों को अपराधियों के शरणस्थल के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

पांचवें/ सभी साम्प्रदायिक ताकतों कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। कोई भी प्रशासनिक कमजोरी स्थिति को बिगाड़ देगी। जैसाकि मैंने पहले कहा था, उन मामलों में भी प्रशासनिक कड़ाई नहीं बरती जाती है जहां इसकी आवश्यकता है।

अन्त में लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, केन्द्रीय सरकार को स्थिति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसकी निष्क्रियता और आत्म सन्तोष के रवैये ने स्थिति को यहां तक पहुंचा दिया है। सरकार को अकालियों की तर्क संगत मांगों को स्वीकार करना चाहिए और विपक्ष पर दोष लगाने की बजाए उसे अपनी सही और सहायक भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। हमने पहले भी यह मांग की थी और अब भी मांग करते हैं, जो उग्रवादी तत्वों को अलग करने और उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक है कि सरकार बिना किसी बिलम्ब के उग्रवादियों की गतिविधियों पर श्वेत पत्र जारी करें और दोनों राज्यों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

हमने यह मांग भी की है कि हरियाणा की घटनाओं की एक न्यायिक जांच करवाई जाए और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाए और पंजाब में उग्रवादियों, जिनके पूर्ववृत की पहले से जानकारी है, से कड़ाई से पेश आना चाहिए।

2.00 म० प०

हम मांग करते हैं कि विरोधी दलों की सहायता से पंजाब समस्या को हल करने के लिए सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए और उग्रवादियों के प्रति नरमी नहीं होनी चाहिए। सही मांगों का पता लगाया जाना चाहिए और उग्रवादी गतिविधियों को प्रश्रय दिए बिना उनके लिए कार्यवाही करनी

चाहिए। जिस शैतान को इस सरकार ने खुला छोड़ रखा है, वह इस सरकार के नियन्त्रण से बाहर है, इस प्रकार की तथाकथित धार्मिक मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कैसे किया जा सकता है और किस प्रकार एक 'सन्त' विशेष इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न है जो राज्य के लिए खतरनाक हैं। हमने देखा है कि केन्द्र सरकार ने मूलस्तर इसे बढ़ावा नहीं दिया है तो इसके प्रति पूर्ण उदासीनता दिखाई है। जहां तक असम का सम्बन्ध है अभी भी वहां पर स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। अभी भी हिंसात्मक घटनाएं घट रही हैं। धार्मिक और भाषाई दोनों किस्म के अल्प-संख्यक-भय और अनिश्चय में जी रहे हैं। सरकार को वर्ष 1971 को निर्णायक वर्ष घोषित करना चाहिए और यह आश्वासन देना चाहिए कि जब तक किसी व्यक्ति को निर्धारित कानून और सभ्य ढंग से विदेशी नहीं करार दिया जाता है, तब तक उसे बाहर नहीं निकाला जायेगा। विघटनकारी ताकतों से सख्ती से निबटना होगा, मुझे आशा है कि इस पहलू पर मेरे माननीय दोस्त, उत्तरी बम्बई के भारतीय संसद सदस्य के दिमाग में मुझसे अधिक समझदारी होगी।

जहां तक असम के प्रश्न का सम्बन्ध है, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। फरवरी 1983 में बहुत बड़ी संख्या में लोग असम से पश्चिम बंगाल चले गए थे। हजारों लोग पश्चिम बंगाल आ गए हैं। 1980 में भी कुछ लोग आए थे। मानवीय आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार को उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी पड़ी थी और उनके लिए शिविर खोलने पड़े थे। जहां तक इसकी लागत का सम्बन्ध है, आपको मानना पड़ेगा कि किसी भी राज्य सरकार के लिए इतना भार लगातार वहन करते रहना बहुत कठिन है। यह सम्बन्धित राज्य सरकार की पैदा की हुई समस्या नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार असम की स्थिति पैदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। फिर भी उसे इसका आर्थिक बोझ वहन करना पड़ रहा है। भले ही असम से आये उन अभागे शरणार्थियों के, जो फरवरी 1983 में पश्चिम बंगाल आये थे, खर्चों के एक भाग का बोझ केन्द्रीय सरकार वहन कर रही है लेकिन फरवरी 1983 से पहले आये शरणार्थियों का खर्च केन्द्र सरकार वहन नहीं कर रही है।

जहां तक नए शरणार्थियों के सम्बन्ध में यद्यपि केन्द्र सरकार ने आर्थिक दायित्व स्वीकार किया है लेकिन कुल धनराशि को 30 प्रतिशत धनराशि ही दी है और 70 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार उस ऋण का दायित्व क्यों ग्रहण करे जिसके लिए उत्पन्न परिस्थितियों पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं है, केवल ऋण देकर ही उस दायित्व का वहन नहीं हो सकता है। जहां तक पहले से आये शरणार्थियों का सम्बन्ध है। उन पर राज्य सरकार द्वारा किए गए कुल दो करोड़ रु० के खर्च में से अब तक केवल 50 लाख रुपया, वह भी ऋण के रूप में, दिया गया है। उन लोगों को इस प्रकार राज्य से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। हम अपने कुछ दोस्तों से यह पूछते हैं कि जब स्थिति सामान्य नहीं, तो आप इन लोगों को कहां भेजना चाहते हैं। स्थिति निश्चित रूप से शांत नहीं है उनको पश्चिम बंगाल आना पड़ा।

मैं माननीय गृह मंत्री से गम्भीरतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार के वायदों से पूरा किया जाय और राज्य सरकार को पूरा अनुदान दिया जाना चाहिए। आप किसी राज्य विशेष को अपने आर्थिक बोझ में हिस्सेदारी निभाने के लिए नहीं कह सकते हैं। वे प्रशासनिक व्यवस्था कर रहे हैं, वे शिविर लगा रहे हैं, वे भोजन दे रहे हैं, वे राशन दे रहे हैं, वे उनके आशय का ख्याल रख रहे हैं। इस प्रकार का प्रशासनिक और भौतिक समर्थन उन्हें दिया जाना चाहिए और दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद यदि राज्यों के ऊपर इसका आर्थिक बोझ डाला जाता है।

यह बहुत अनुचित होगा और मैं माननीय मन्त्री से इस मामले में यह स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं कि वह कहें कि इसका सारा उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

जहां तक साम्प्रदायिक किस्म की घटनाओं का सम्बन्ध है, यह बड़े दुख का विषय है कि आजादी के 37 साल बाद भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख है कि वर्ष 1983 में 404 साम्प्रदायिक घटनाएं हुयीं। यद्यपि साम्प्रदायिक दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 238 से घटकर 202 रह गयी है। लेकिन 1982 के आंकड़ों की तुलना में घायलों की संख्या में 450 की वृद्धि हुई है और पिछले साल घायलों की संख्या 3,478 थी।

हमारे देश में धर्म और राजनीति के मिश्रण का संकट है, जब तक यह मिश्रण जारी रहेगा और लोग देखते हैं कि देश के बड़े और प्रमुख नेता मन्दिरों, गुरुद्वारों, चर्चों और मस्जिदों में जाते हैं और उसका प्रचार होता है—और प्रायः चुनावों से पहले इस प्रकार के नमूने पेश किए जाते हैं—राजनीति और धर्म के इस प्रकार के सम्मिश्रण से आप यहां पर धर्म निरपेक्षता की नींव नहीं डाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि धर्म को व्यक्तिगत मामला रखा जाना चाहिए। जो भी जिस व्यक्ति का धर्म हो उसकी अपनी बात है। आपको धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए। अन्यथा इस देश में वास्तविक धर्म-निरपेक्षता नहीं हो सकती।

रेडियो और टेलीवीजन पूर्णतया आपके नियन्त्रण में हैं। आप-20 सूत्री कार्यक्रम उजागर करने को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं और इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय और स्थान है। लेकिन राष्ट्रीय प्रसारण के इन माध्यमों से धर्मनिरपेक्षता के महत्व पर जोर देने और साम्प्रदायिक गतिविधियों की निन्दा करने के लिए आप कोई प्रचार और प्रसार तंत्र नहीं बना रहे हैं।

कुछ दिन पूर्व कलकत्ता के नजदीक एक दूर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी हमने देखा कि कांग्रेस (इ) के विधायकों का एक जुलूस वहां जा रहा है। इससे वहां पर साम्प्रदायिक दंगा हो सकता था और राज्य सरकार के लिए समस्या खड़ी हो सकती थी। हम चाहते हैं कि साम्प्रदायिक घटनाओं को दबाने के लिए कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए, और यह बड़ी चिंता की बात है कि अभी भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं।

भाग्यवश पश्चिम बंगाल इस प्रकार की घटनाओं से मुक्त हैं। एक या दो बार इस प्रकार की घटनाए हुई हैं परन्तु वहां पर प्रायः ऐसा नहीं होता है। दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है? वहां पर लगातार इस प्रकार की अनेक घटनाएं होती हैं। गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन में उन हत्याओं के आंकड़े शामिल नहीं हैं जो 1983 में असम में हुई थीं। असम में कितना विनाश हुआ था? इसे हर आदमी जानता है, लेकिन असम की हत्याओं के आंकड़ों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। असम के अलावा अनेक अन्य साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं और साम्प्रदायिक घटनाओं के कारण अनेक लोग हताहत हुए हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है, लेकिन हमें यह अहसास नहीं होता है कि स्थिति से निवटने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से इस मामले के महत्व के प्रति कोई वास्तविक जागरूकता दर्शायी गई हो।

जहां तक अनुसूचित जायियों और अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, इस बारे में क्या स्थिति है? हाल में 15 मार्च को राज्यसभा में केन्द्र सरकार ने कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया है। वर्ष 1983 के दौरान अनुसूचित जाति के 509 व्यक्तियों की हत्या की गई जिसमें 108 व्यक्ति मध्य प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश से 202 और बिहार से 59 व्यक्तियों की हत्या का उल्लेख था और हमें खुशी है कि तुल-

नात्मक रूप से पश्चिम बंगाल में केवल 3 व्यक्तियों की हत्या का उल्लेख था। यद्यपि हमें इस बात का बहुत अधिक खेद है कि पश्चिम बंगाल में 3 व्यक्तियों की हत्या हुई। लेकिन यह सच है कि उत्तर प्रदेश में 202 व्यक्तियों की हत्या हुई और पश्चिम बंगाल में केवल 3 व्यक्तियों की हत्या हुई। तुलनात्मक दृष्टि से देखिए। 1983 में अनुसूचित जनजाति के 155 लोगों की हत्याएं की गयी थीं जिसमें मध्य प्रदेश में 116 लोग मारे गए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : गृह मंत्री महोदय, आपके राज्य से।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रशन्नता का विषय है कि पश्चिम बंगाल में एक भी हत्या होने का उल्लेख नहीं है। ऐसे अन्य राज्य भी हैं जिनके आंकड़े शून्य हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के साथ बलात्कार का जहां तक सम्बन्ध है, वर्ष 1983 के दौरान अनुसूचित जातियों की 613 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। हमारे माननीय गृह मंत्री, गृह मंत्री पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उम्मीदवार हैं, उन्हें इस प्रकार के मामलों से निबटने का अनुभव है क्योंकि 613 बलात्कार के मामलों में से 183 बलात्कार के मामले उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश में हुए; उत्तर प्रदेश में 148 बलात्कार हुए थे और पश्चिम बंगाल में एक भी नहीं। बिहार और राजस्थान राज्यों में बलात्कार के 75-75 मामले हुये थे। 1983 में अनुसूचित जनजातियों की 151 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था···(**व्यवधान**)···यह उत्तर राज्य सभा में दिया गया है, मेरे आंकड़े नहीं हैं। मैं इस गम्भीर स्थिति को माननीय सदस्यों के ध्यान में लाने के लिए इसे पढ़ रहा हूं।···

श्री रामप्यारे पनिका : (रावर्ट्सगंज) : ये हमेशा राज्यों को अधिक अधिकार देने के लिए लड़ते रहते हैं ये नहीं चाहते हैं कि केन्द्र सरकार के पास कोई अधिकार रहें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दिल्ली का जहां तक सम्बन्ध है, यहां पर अपराध स्थिति क्या है? 1981 में हुई 200 हत्याओं की तुलना में 1983 में 247 हत्यायें हुई हैं। यद्यपि कुल अपराधों की संख्या में कमी हुई है, चोरियों की संख्या में कमी हुई है। लेकिन बलात्कार और हत्याओं के मामलों में वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में हुए कुल अपराधों में जून 1983 से पिछले 6 महीनों में 16 राज्यों में 4156 अपराध हुए थे जिनमें से 3228 अपराध केवल बिहार, मध्य-प्रदेश और राजस्थान में हुए हैं। जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है—मैं आपकी सलाह समझ रहा हूं और मैं केवल मुख्य मुद्दों का ही उल्लेख करूंगा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1980 में दहेज के कारण 16 मृत्यु हुयीं तथा वर्ष 1983 के पहले छः महीनों में 54 मृत्यु हुयीं। जहां तक बलात्कार के मामलों का सम्बन्ध है, मध्य प्रदेश में वर्ष 1981 में 1117 और 1982 में 1113 तथा जून 1983 तक 602 मामले हुए। यह औसत से अधिक है।

जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि अब वे अपने अधिकारों के बारे में अधिक से अधिक सजग होते जा रहे हैं। वे अपने अधिकारों के दावे कर रहे हैं। लेकिन निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति अब उनके विरुद्ध हैं। वे उनकी अधिक सजगता का विरोध कर रहे हैं। वे अपने जीवित रहने के लिए लड़ रहे हैं तथा उन वर्गों के लोगों की दशाओं को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे हैं जिन्हें लगातार लगभग चार दशकों तक सभ्य रहन-सहन की न्यूनतम सुविधाओं से वंचित किया गया है।

मण्डल आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार को तत्काल कोई निर्णय लेना चाहिए।

जहां तक केन्द्रीय पुलिस संगठनों केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल का सम्बन्ध है—इसी सदन में एक मन्त्री मण्डलीय मन्त्री, श्री शिवशंकर द्वारा यह बताया गया था, कि इस बल, को मजदूर संघों की गतिविधियों के सम्बन्ध में कभी भी उपयोग में नहीं लाया जायेगा और वह बल उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह आश्वासन मंत्रीमण्डलीय मंत्री द्वारा दिया गया था। लेकिन इस प्रकार के आश्वासन के बावजूद, कोयला क्षेत्र में, तालचेर हैवी वाटर प्रोजेक्ट, तथा पानीपत में सी० आई० एस० एफ० द्वारा बार-बार उस क्षेत्र के श्रमिकों के मजदूर संघ की सामान्य गतिविधियों में बार-बार हस्तक्षेप करने की घटनाएं हुई हैं। इस मामले को इस सदन में उठाया गया था लेकिन इस सदन में औपचारिक आश्वासन दिए जाने के बावजूद इस प्रवृत्ति में हमें परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास कागजात हैं। मैं उनको माननीय गृह मंत्री महोदय के पास भेज दूंगा। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि दोबारा इस सदन में स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया जाये कि इन बलों, जिनसे केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों के हितों तथा सम्पत्तियों की रक्षा की अपेक्षा की जाती है, उनका उपयोग किसी राजनैतिक अथवा मजदूर संघ गतिविधियों अथवा उनको दबाने के लिए नहीं किया जायेगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि अन्य सभी माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मेरा साथ देंगे।

महोदय, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं। एक बात अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के बारे में है। श्री सेठी जी इस बात की ओर ध्यान देंगे कि एक निर्वाचित विधान सभा का गठन करने अथवा स्थापित करने की जोरदार मांग है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक वहां पर जो प्रदेश काउन्सिल है उसका गठन प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा किया जाये—न कि अप्रत्यक्ष चुनावों अथवा नाम निर्देशन द्वारा, जैसा कि इस समय किया जाता है। जहां तक नगर पालिकाओं के चुनावों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में एक आशंका है कि इसको स्थगित किया जा रहा है क्योंकि शासक दल का भविष्य बहुत निश्चित नहीं है। इसको स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। हमने देखा है—मेरे पास, यहां पर कागजात मौजूद हैं—कि यह एक अद्वितीय बात है। कृपया मुझे यह कहने की एक सेकिण्ड की अनुमति दें। पार्ट ब्लेयर में उपभोक्ता सहकारी भण्डार, लिमिटेड के चुनाव के लिए कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार के पक्ष में छपे रूप में अपील की गई है। आप देखेंगे कि कांग्रेस (आई) के उम्मीदवारों में से एक का नाम श्री रघुबीर सिंह हैं। कांग्रेस (आई) के झोंपड़ी के चिह्न सहित उसको कांग्रेस (आई) का उम्मीदवार बताया गया है, जिस पर श्री मनोरंजन भक्त तथा कांग्रेस (आई) के अन्य कार्यकर्त्ताओं के हस्ताक्षर हैं। श्री रघुबीर सिंह पुलिस, सी० आई० डी० के इन्सपैक्टर हैं। वह अभी भी पुलिस इन्सपैक्टर हैं। पुलिस का इन्सपैक्टर होते हुए भी वह कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार के रूप में उपभोक्ता सहकारी भण्डार, लिमिटेड पोर्ट ब्लेयर के लिए चुनाव लड़ रहा है। हमारे मित्र श्री मनोरंजन भक्त तथा अण्डमान में उनकी पार्टी के उनके साथियों ने छपे हुए पर्चों में इस उम्मीदवार को वोट देने की अपील जारी की है। इस प्रकार प्रशासन का उपयोग किया जा रहा है और पुलिस इन्सपैक्टर कांग्रेस (आई) के एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है। इस प्रकार की स्थिति चल रही है। इस समय मेरे पास एक दस्तावेज है जिससे यह पता चलता है कि नगर पालिका के चुनाव के लिए वार्ड संख्या 10 के चुनाव के लिए कांग्रेस (आई) के नेताओं, श्री अशोक कुमार तथा प्रेम बिहारी लाल जो कांग्रेस (आई) के कार्यालय सचिव के पुत्र तथा भतीजे हैं, उनको वोटों के लिए गणनाकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अन्य भी नाम हैं। (व्यवधान) श्री रंगा जी, यदि आपके अन्दर अभी भी अन्तर्विवेक मौजूद है, क्योंकि आप उनके साथ बहुत

लम्बे असें से रहे हैं। क्या आप इस बात से दुःखी नहीं हैं कि इस प्रकार की बात हुई हैं ?

इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे इस मामले की ओर ध्यान दें। लोगों की आर्थिक सम्बन्धी मांगें हैं। उनके लिए आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध नहीं हो रही हैं। कोई उचित चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कराई गई है। वहाँ पर अभी भी मलेरिया चारों तरफ फैला हुआ है। इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अन्तिम बात जो कि कम महत्वपूर्ण नहीं है, यह है कि हम एक बार दोबारा नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग करते हैं। हमने बहुत से अवसरों पर यह मांग की है कि नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। दार्जिलिंग क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं तथा अनुरोधों की अब और अधिक उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अन्त में मैं यह मांग करता हूं कि विदेशी पर्यटकों के लिए, जो दार्जिलिंग का भ्रमण करना चाहते हैं, परमिट प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वे जम्मू तथा कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्रों में जा सकते हैं। वे दार्जिलिंग को छोड़कर कहीं भी किसी भी पर्वतीय स्थल को जा सकते हैं। आप इस प्रतिबन्ध को क्यों रखना चाहते हैं ? हमें अधिक पर्यटकों को आमन्त्रित करने के लिए कहा गया है। लेकिन जब वे जाते हैं, तो उन्हें दार्जिलिंग का भ्रमण करने के लिए एक विशेष परमिट लेना पड़ता है, यह बात किसी अन्य स्थान के मामले में लागू नहीं होती है। अतः ये ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस प्रकार के प्रतिबन्ध समाप्त कर देने चाहिए।

मैं यह मांग करता हूं कि सरकार को इन मामलों की ओर ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

कटौती प्रस्तावों का पाठ

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं ;

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[जाली हस्ताक्षरों पर पासपोर्ट प्राप्त करने वाले गिरोह को समाप्त करने में असफलता] (21)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[असम की समस्या का समाधान निकालने में विफलता।] (48)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पूर्वी-सीमान्त राज्यों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने में असफलता।] (49)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मणिपुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जुल्मों को रोकने में असफलता।] (50)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मणिपुर से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को हटाने में असफलता।] (51)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पंजाब में धार्मिक स्थानों में अपराधी कर्मियों एवं अस्त्रास्त्रों के एकत्र होने को रोकने में असफलता।] (52)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पंजाब की समस्या के समाधान के लिए त्रिपक्षीय वार्ता पुनः प्रारम्भ करने में असफलता।] (53)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस कर्मियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में असफलता।] (54)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस के सिपाहियों के लिए पर्याप्त मात्रा में आवासों की व्यवस्था करने में असफलता।] (55)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस प्रशासन में व्याप्त कदाचार का अन्त करने में असफलता।] (56)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस कमीशन की सिफारिश को पूर्णतः लागू करने में असफलता।] (57)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[सीमा सुरक्षा बल को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता।] (58)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[सी० आर० पी० एफ० के जवानों की कठिनाइयों को दूर करने में असफलता।] (59)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[देश में साम्प्रदायिक दंगे करवाने वाले तत्वष के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने में असफलता।] (60)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[अपराध कर्मियों के साथ पुलिस की मिली भगत को समाप्त करने में असफलता।] (61)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[सभी राज्यों में आदिवासियों, हरिजनों एवं कमजोर वर्गों के लोगों के कत्लेआम को रोकने में असफलता।] (62)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[अपराधकर्मियों और समाज विरोधी तत्वों को राजनैतिक संरक्षण देना रोकने में असफलता।] (63)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[देश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर काबू पाने में असफलता।] (64)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[बिहार, उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर की जा रही राजनैतिक हत्याओं को रोकने में असफलता।] (65)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[जनगणना विभाग के छंटनी किए गए कर्मचारियों को दूसरी सरकारी सेवाओं में लगाने में असफलता।] (66)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[जनगणना विभाग के कर्मचारियों की सेवा को स्थायी बनाने की आवश्यकता।] (67)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पंजाब की समस्या का निदान करने में असफलता।] (68)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पंजाब में उग्रवादियों, अलगाववादियों, हिंसक वारदातों में भाग लेने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही में असफलता।] (69)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[साम्प्रदायिक दंगों के समय शांति स्थापित करने हेतु मिले जुले पुलिस बल के गठन करने की आवश्यकता।] (70)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[साम्प्रदायिक प्रचार के विरुद्ध सक्रिय एवं जोरदार आन्दोलन चलाने की आवश्यकता।] (71)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पूर्वांचल के राज्यों के उग्रवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ-साथ राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान निकालने में असफलता।] (72)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[देश में गड़बड़ करने वाली विदेशी शक्तियों को बेनकाब करने में असफलता।] (73)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों को रोकने में असफलता।] (124)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा संचालित परीक्षाओं में हिन्दी की तरह अंग्रेजी को भी ऐच्छिक विषय घोषित करने की आवश्यकता।] (125)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित स्थानों को भरने में असफलता।] (126)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने में असफलता।] (127)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[दहेज के कारण बढ़ रही हत्याओं को रोकने में असफलता।] (128)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[सख्त से सख्त दहेज विरोधी कानून बनाने में असफलता।] (129)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों को समान दर्जा देने में असफलता।] (130)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[राजभाषा अधिनियम, 1963 को पूरी तरह से लागू करने में असफलता।] (131)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[हिन्दी को राजभाषा घोषित करने के बावजूद सरकारी कार्यालयों में अधिकांश कार्य अंग्रेजी में करते रहना।] (132)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[दो प्रतिशत अंग्रेजी भाषियों द्वारा राजकाज के काम को आम जनता की भाषा में न चलाकर अंग्रेजी में चलाना।] (133)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता।] (134)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यों पर विशेष जोर देने की आवश्यकता।] (135)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संगठन की कांगों को स्वीकार करने में असफलता।] (136)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[जाली स्वतन्त्रता सेनानियों की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें दी जा रही पेंशन को रद्द करने में असफलता।] (137)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन की राशि को तीन सौ से बढ़ाकर पांच सौ रुपए निर्धारित करने में असफलता।] (138)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया कियाजाए"

[सरकारी सेवक स्वतन्त्रता सेनानियों की सेवानिवृत्ति की वर्तमान सीमा अवधि में वृद्धि करने की आवश्यकता।] (139)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[गलत लोगों को सहबन्दी प्रमाण-पत्र देने वाले सेनानियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में विफलता।] (140)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[सरकार के स्वतन्त्रता सेनानी कार्यालयों में व्याप्त कदाचार का अन्त करने में विफलता।] (141)

"कि दिल्ली शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[दिल्ली के लिए विधान सभा का गठन करने में असफलता।] (142)

"कि दिल्ली शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था को ठीक करने में असफलता।] (143)

"कि दिल्ली शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[दिल्ली में बढ़ती हुई डकैतियों और हत्याओं को रोकने में असफलता।] (144)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[दिल्ली पुलिस कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष को दूर करने में असफलता।] (145)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुरानी दिल्ली में व्याप्त गन्दगी को दूर करने में असफलता।] (146)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[फरारी के नाम पर बड़ी संख्या में आवेदन करने वाले कथित सेनानियों के मामलों में ठीक प्रकार से जांच पड़ताल करने में असफलता।] (166)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए।"

[स्वतन्त्रता-सैनिकों को सी० जी० एच० एस० के दवाखानों से दवा लेने एवं चिकित्सा करने में असफलता।] (167)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए।"

[सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने में असफलता।] (168)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए।"

[भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठियों की भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने में असफलता।] (169)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए ।'

[संविधान की अष्टम अनुसूची में दर्ज सभी भाषाओं को राष्ट्रीयभाषा मानकर बराबर का दर्जा देने में असफलता ।] (170)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए ।"

[नेपाली भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करने में विफलता ।] (171)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए ।"

[मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में असफलता ।] (172)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए ।"

[बिहार में जनता सरकार द्वारा बनाये गये आरक्षण सम्बन्धी फार्मूले को लागू करने में असफलता ।] (173)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करने 1 रु० किया जाए ।"

[चण्डीगढ़ पंजाब को और अबोहर एवं फाजिल्का हरियाणा को सौंपने में असफलता ।] (174)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए ।"

[हरियाणा को पृथक राजधानी के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने में असफलता ।] (175)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए ।"

[देश के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए मारे गए पुलिस बल के कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी सेवा में नियुक्त करने में असफलता ।] (176)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए ।"

[देश के विभिन्न भागों में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं को रोकने तथा अपराधियों को कठोर सजा देने में असफलता ।] (177)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए ।"

[गोवा मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले सभी सेनानियों को पेंशन देने में असफलता ।] (178)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए ।"

[स्वतंत्रता सेनानियों सम्बन्धी गैर-सरकारी केन्द्रीय पेंशन सलाहकार समिति के फैसलों को पूर्णतः स्वीकार करने में असफलता ।] (179)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जायें।"

[देश में डाकुओं के गिरोहों का सफाया करने में असफलता।] (180)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जायें।"

[1946 के नौसैनिक विद्रोह में भाग लेने वालों, आजाद हिन्द फौज के सैनिकों, हैदराबाद और निजाम के विरुद्ध लड़ने वालों और केरल में प्रन्नापरा और ग्यलार के संघर्ष में भाग लेने वालों को स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने में असफलता।] (181)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण केन्द्र में कदाचार रोकने की आवश्यकता।] (182)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता।] (183)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में कम 100 रु० किए जायें।"

[पुलिस कर्मचारियों में लोगों की सेवा करने की भावना भरने की आवश्यकता।] (184)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों को नए सिरे से निर्धारित करने एवं राज्यों को अधिक आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता।] (185)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[पुलिस कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने की नीति बनाने की आवश्यकता।] (186)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 कम रु० किए जायें।"

[देश में बढ़ रहे साम्प्रदायिक एवं विघटनकारी तत्वों का दमन करने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता।] (187)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें"'

[भारत-बंगला देश सीमा पर अवैध घुसपैठियों को रोकने की आवश्यकता।] (188)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 कम रु० किए जायें।"

[1931 में गांधी-इर्विन पैक्ट के बाद जेलों से मुक्त किए गए स्वतन्त्रता सेनानियों को "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन" देने की आवश्यतता।] (189)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पृथक मन्त्रालय गठित करने की आवश्तकता।] (190)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 कम रु० किए जायें।"

[पांडिचेरी में अविलम्ब चुनाव करवा कर लोकप्रिय सरकार के गठन की आवश्यकता।] (191)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 कम रु० किए जायें।"

[राष्ट्रीय एकता की भावना से ओतप्रोत नौजवानों की सरकारी सेवा में नियुक्त करने की आवश्यकता।] (192)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 कम रु० किए जायें।"

[राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करके एकता सम्बन्धी मामलों का निपटाने करने की आवश्यकता।] (193)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाए।"

[जेलों में सुधार के सम्बन्ध में मुल्ला समिति की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता।] (267)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति करने में असफलता।] (268)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[जेलों में वर्षों से बन्द विचाराधीन कैदियों को शीघ्र न्याय दिलवाने में असफलता।] (269)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[केन्द्रीय जेलों में अधिक भीड़भाड़ को रोकने में असफलता।] (270)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[केन्द्रीय जेलों में सुधार करने में असफलता।] (271)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[केन्द्रीय जेलों में शौचालयों तथा पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता।] (272)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[नकली मुठभेड़ों से खेत मजदूरों, गरीब किसानों के नेताओं को बचाने हेतु कार्यवाही करने की आवश्यकता।] (307)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० किए कम जायें।"

[खेत-मजदूरों और गरीब किसानों के वर्ग संघर्ष को दबाने के लिए बिहार में गठित भूमि सेना के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा उसे गैर-कानूनी घोषित करने की आवश्यकता।] (308)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[किसानों, मजदूरों तथा दूसरे प्रकार के लोकतांत्रिक आंदोलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को राजबंदियों का दर्जा देने की आवश्यकता।] (309)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[राजबंदियों को 'उच्च श्रेणी' में रखने की आवश्यकता।] (310)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[राजनीतिक हत्याएं करने वाले नक्सलवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता।] (311)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[नक्सलवादी आंदोलनों में भाग लेने वाले बंदियों को राजबंदी का दर्जा देने की आवश्यकता।] (312)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[खेत मजदूरों द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलनों को कथित नक्सलवाद के नाम पर कुचलने की नीति का त्याग करने की आवश्यकता।] (313)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[नक्सलवादियों को मारने की बजाय उनके विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता।] (314)

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[आजाद हिन्द फौज तथा 1946 के नौसैनिक विद्रोह में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन देने की आवश्यकता।] (37)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[पंजाब और असम की समस्याओं को सुलझाने में असफलता] (293)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[धर्म के नाम पर किए जा रहे अपराधों को रोकने में असफलता।] (294)

'कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[केरल के कुदुम्बी (चित्तीज) समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने में असफलता।] (295)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[नेपाली, मैथिली, मणिपुरी, भोजपुरी तथा संथाली भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता।] (296)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित कोटे को प्रतिवर्ष भरने की आवश्यकता।] (297)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए'।"

[दिल्ली के लिए एक निर्वाचित विधानमंडल की आवश्यकता।] (298)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने तथा हरियाणा को नई राजधानी के लिए मुआवजा देने की आवश्यकता।] (299)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[स्वतन्त्रता सेनानियों की याचिकाओं पर शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता।] (300)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[वधुओं को जलाने की घटनाओं को रोकने के उपाय करने की आवश्यकता।] (301)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों का पक्षपातपूर्ण राजनैतिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने को रोकने की आवश्यकता।] (302)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांगें में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पुलिस सिपाहियों के रिहायशी मकानों की व्यवस्था करने के लिए राज्यों को धन देने की आवश्यकता।] (303)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[दिल्ली में पुलिस में व्याप्त कदाचार को रोकने की आवश्यकता।] (304)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और अन्य अर्द्ध-सैनिक कर्मचारियों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने की आवश्यकता।] (305)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[जातिगत तथा धर्मगत झगड़ों को दूर करने की आवश्यकता।] (306)

'कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

श्री निर्मल सिन्हा (मथुरापुर) मैं प्रस्ताव करता हूं:

[सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी को रोकने का काम सीमा सुरक्षा बल को सौंपने की आवश्यकता।] (39)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम आदि सीमावर्ती राज्यों में डकैती की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता।] (40)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठियों की भारत गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता।] (41)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

भारत-बंगलादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकने की आवश्यकता।] (42)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने की आवश्कता, जो भारत में गम्भीर अपराध करके बंगलादेश भाग जाते हैं।] (43)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं :"

[साम्प्रदायिक दंगों पर नियंत्रण करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता ।] (44)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पृथक् मन्त्रालय बनाने की आवश्यकता ।] (45)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[पुलिस को सम्प्रदाय, जाति और प्रांतीय पक्षपात से मुक्त रखने के लिए प्रशिक्षण देने और मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने की आवश्यकता ।] (46)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[अपराध रोकने, उनका पता लगाने और जांच करने के सम्बन्ध में पुलिस के कार्य में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों पर जोर डालने की आवश्यकता ।] (47)

"कि गृह शीर्षक मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[देश की संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से केन्द्र-राज्यों के बीच सम्बन्धों का पुनर्विलोकन की आवश्यकता ।] (113)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने, समाज के दुर्बल वर्गों को संरक्षण प्रदान करने में प्रशासन को सहायता देने के लिए होम गार्डों को कर्त्तव्यों के बारे में शिक्षा देने की आवश्यकता ।] (114]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं :"

[होमगार्डों को सामाजिक, आर्थिक कल्याणकारी गतिविधियों, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सफाई, विकास योजनाओं तथा अन्य सेवाओं में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता ।] (115)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[होमगार्डों की सेवा-शर्तों में सुधार करने के लिए और अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।] (116)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[होमगार्डों को शिक्षित करने के लिए और अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।] (117)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाए।"

"अस्वच्छ व्यवसायों" में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्र-वृत्ति देने के लिए शत-प्रतिशत आधार पर केन्द्रीय सहायता देने में असफलता।] (147)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[उन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के, जो "साधन" मानदण्ड को पूरा करते हैं बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्र-वृत्ति देने के लिए शत-प्रतिशत आधार पर केन्द्रीय सहायता देने में असफलता।] (148)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन बच्चों को, जो 'साधन' मानदण्ड को पूरा करते हैं, प्राथमिक शिक्षा के लिए छात्र-वृत्ति हेतु शत-प्रतिशत आधार पर केन्द्रीय सहायता देने में असफलता।] (149)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

["अस्वच्छ व्यवसायों" में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्र-वृत्ति हेतु अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।] (150)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कालेजों में जहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 30 प्रतिशत से अधिक छात्र पढ़ते हैं, छात्राओं के लिए छात्रावासभवन बनाने तथा पुस्तकालय स्थापित करने की आवश्यकता।] (151)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[अनुसूचित जातियों के छात्रों को विदेशों में अध्ययन करने के लिए प्रतिवर्ष 10 छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को 6 छात्रवृत्तियां देने में असफलता।] (152)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[अस्पृश्यता निवारण विधियों को पूरे देश में सख्ती से लागू करने की आवश्यकता।] (153)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सभी नागरिकों में, चाहे वे किसी भी धर्म को क्यों न मानते हों साम्प्रदायिकता विरोधी तथा भारत की ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विरासतों की उपयुक्त भावना भरने की आवश्यकता।] (154)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को वंचित करके उन्हें अनारक्षित पद नहीं बनाने की आवश्यकता, जैसाकि अधिकांश केन्द्रीय सरकार कार्यालयों, विशेषकर भविष्य निधि कार्यालयों में किया जाता है।] (155)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचारों को रोकने तथा उन्हें उनकी जमीन से बेदखल किये जाने को रोकने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग मन्त्रालय स्थापित करने की आवश्यकता।] (156)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[उन अनुसूचित जनजातियों के, जिन्हें "आदिम" कहा जाता है, त्वरित विकास करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता।] (157)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[उन अनुसूचित जातियों के, जिन्हें "आदिम" कहा जाता है, स्थाई पुनर्वास, शिक्षा तथा रोजगार के लिए अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।] (158)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पंजाब समस्याओं को हल करने के लिए वातावरण तैयार करने की आवश्यकता।] (194)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पंजाब में अतिवादियों तथा अन्य ऐसी ताकतों को कमजोर करने की आवश्यकता।] (195)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पंजाब में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में असफलता।] (196)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पंजाब में अतिवादियों और अन्य समाज-विरोधी तत्वों से लोगों के जीवन की रक्षा करने में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और पंजाब पुलिस की असफलता।] (197)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पंजाब और हरियाणा में अतिवादियों और अन्य समाज-विरोधी तत्वों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से की जाने वाली हत्याओं को रोकने में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और राज्य पुलिस की असफलता।] (198)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पंजाब में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने की आवश्यकता।] (199)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[अमीर किसानों, जोतदारों और महाजनों द्वारा निर्धन भूमिहीन श्रमिकों और अनुसूचित जातियों के छोटे किसानों पर अत्याचारों को रोकने की आवश्यकता।] (200)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता।] (201)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[विभिन्न हिन्दू जातियों के मन से जातिवाद की भावना हटाने की आवश्यकता।](202)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के मन से साम्प्रदायिकता की भावना हटाने की आवश्यकता।] (203)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[जाति विशेष के कल्याण के नाम पर जातीय आधार पर संगठन बनाने पर पाबन्दी लगाने हेतु कानून बनाने की आवश्यकता।] (204)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[देश में प्रान्तीयता समाप्त करने की आवश्यकता।] (205)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[दिल्ली में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की आवश्यकता।] (206)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[दिल्ली में समाज-विरोधी गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता।] (207)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[दिल्ली में समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों का डटकर मुकाबला करने वाले सिपाहियों को बेहतर सुविधायें देने की आवश्यकता।] (208)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[दिल्ली में अधिकारियों के कदाचार को रोकने की आवश्यकता।] (209)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[दिल्ली और पंजाब में कातिलों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता।] (210)

"कि मंत्रिमंडल शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[मन्त्रियों के यात्रा व्यय में कमी करने की आवश्यकता।] (276)

"कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[सरकारी अधिकारियों के यात्रा व्यय में कमी करने की आवश्यकता।] (277)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।'

[निजाम परिवार की पेंशनों को समाप्त करने की आवश्यकता।] (278)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[कालेजों में पुस्तक बैंकों के लिए अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता, जहां अधिकांश छात्र अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों से हैं।] (279)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाये।"

[उन स्कूलों और कालेजों के भवनों के लिए अधिक धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता, जिनमें 70 प्रतिशत से अधिक छात्र अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित हैं।] (280)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारियों के कार्यों का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता।] (281)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय एकता कक्ष के कृत्यों में विस्तार करने की आवश्यकता।] (282)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[होम गार्डों के लिए अधिक धनराशि के आबंटन की आवश्यकता।] (283)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[संसद तथा राज्य विधान सभाओं के चुनावों के दौरान होमगार्डों की तैनाती के लिए अधिक धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता।] (284)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[होम गार्डों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि करने की आवश्यकता।] (285)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[होम गार्डों को वेतन देने की दैनिक मजदूरी पद्धति को मासिक वेतन पद्धति में बदलने की आवश्यकता।] (286)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[होम गार्डों को महंगाई और यात्रा भत्ता देने की आवश्यकता।] (287)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[होम गार्डों को सेवा की सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता।] (288)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[ऐसे स्कूलों और कालेजों में, जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कियों के छात्रावासों के लिए धन स्वीकृत करने की आवश्यकता।] (289)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां देने के लिए और अधिक धन देने की आवश्यकता।] (290)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की आवश्यकता।] (291)

"कि गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता।] (292)

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[खटत्रे और तातमा जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की आवश्यकता।] (74)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, भोजपुरी, संथाली, अंगिका, वाज्जिका भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता।] (75)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[मैथिली, भोजपुरी, मणिपुरी, नेपाली, संथाली, अंगिका, वाज्जिका का बिहार राज्य के उन क्षेत्रों में, जहां वे बोली जाती हैं, राजभाषाओं के रूप में प्रयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता।] (76)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[पंजाब और पांडिचेरी में लोकतंत्रात्मक सरकार स्थापित करने की आवश्यकता।] (77)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[असम में विदेशियों के प्रश्न को वार्ता द्वारा शीघ्रातिशीघ्र हल करने की आवश्यकता।] (78)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[पंजाब की समस्याओं को वार्ता द्वारा शीघ्रातिशीघ्र हल करने की आवश्यकता।] (79)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के नौजवानों की आकांक्षाओं को समझने तथा उनके उत्थान के लिए और अधिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता।] (315)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[पुलिस तथा प्रशासनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता।] (316)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[सभी सेवाओं में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यों को निदेश देने की आवश्यकता।] (317)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[अनुसूचित जनजातियों को आदिम कालीन स्थिति से ऊपर उठाने की आवश्यकता।] (318)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्राथमिक विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन देने की आवश्यकता।] (319)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने की आवश्यकता।] (320)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों को प्रवृत्त करने की आवश्यकता।] (321)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रोत्साहित करने तथा उनके लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता।] (322)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने में असफलता।] (323)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[प्रशासनिक सेवाओं में अनुशासनहीनता, भाई-भतीजावाद, जातिवाद और राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने की आवश्यकता।] (324)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[बढ़ते हुए अपराधों के कारण स्थिति के बिगड़ने पर नियन्त्रण करने की आवश्यकता।] (325)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[सेना और अर्धसैनिक बलों का उपयोग नागरिक प्रशासन के लिए रोकने की आवश्यकता।] (326)

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[राष्ट्रीय एकता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए निष्ठावान कर्मचारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता।] (80)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए सहानुभूति रखने वाले और निष्ठावान अधिकारियों को नियुत करने की आवश्यकता।] (81)

"कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण केन्द्र में कदाचार रोकने की आवश्यकता।] (82)

"कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।"

[भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण केन्द्रों में व्यय कम करने की आवश्यकता।] (83)

"कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के नैतिक स्तर को उठाने की आवश्यकता।] (84)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[आपराधिक जांच और सतर्कता के मामले में पुलिस के स्तर में सुधार लाने की आवश्यकता।] (85)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध को समाप्त करने की आवश्यकता।] (86)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की मात्रा में वृद्धि करने की आवश्यकता।] (87)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[पुलिस कर्मचारियों को उनकी सेवा के दौरान उच्चतर शिक्षा देने की आवश्यकता।] (88)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[पुलिस कर्मचारियों के प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा करने के लिए राज्यों को अधिक सहायता देने की आवश्यकता।] (89)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[पुलिस के उच्चाधिकारियों के अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति व्यवहार में सुधार लाने की आवश्यकता।] (90)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए।"

[प्रादेशिक भाषाओं और राष्ट्र भाषा का उपयुक्त रूप से विकास करके अंग्रेजी के स्थान पर उनका प्रयोग करने में असफलता।] (105)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[डोगरी, मणिपुरी, संथाली औ नेपाली भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करने में असफलता।] (106)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[बंगला देश के घुसपैठियों द्वारा पूर्वी क्षेत्र में बारम्बार अचानक आक्रमणों से लोगों की सम्पत्ति को बचाने में असफलता।] (107)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[नागाओं की मांगों के सम्बन्ध में एक मान्य सूत्र बनाने में असफलता।] (108)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पंजाब में अकालियों की मांगों को हल करने में असफलता।] (109)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस प्रशासन में सुधार सुनिश्चित करने में असफलता।] (110)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में असफलता।] (111)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[देश में विघटनकारी तथा साम्प्रदायिक ताकतों की गतिविधियों को रोकने में असफलता।] (112)

"कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांगों को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[प्रशासनिक कार्मिकों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने, ताकि वे जनता की सेवा कर सकें, में असफलता।] (118)

"कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[सेवा कार्मिकों में गरीब तथा पिछड़े वर्गों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता की भावना पैदा करने में असफलता।] (119)

"कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के तरीके बदलने में असफलता।] (120)

"कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[लोक पाल और लोक आयुक्तों की नियुक्ति करने की असफलता।] (121)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा आसाम राइफल्स के कार्मिकों को देश की समस्याओं के आर्थिक तथा राजनीतिक पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित करने में आसफलता।] (122)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।'

[पुलिस कार्मिकों को एसोसिएशन तथा यूनियन बनाने की अनुमति देने में असफलता।](123)

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, अगर पंजाब की स्थिति को अलग रख दिया जाय तो देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही है। आसाम में स्थिति अपेक्षाकृत काफी सुधरी है। आज से एक साल पहले या उससे पहले जो आसाम की स्थिति थी वह आज नहीं है। इसी तरह उत्तर पूर्व के दूसरे राज्यों की स्थिति भी अच्छी हुई है। वहां की सिचुएशन भी काफी नार्मल हुई है

इसके लिए हम गृह मन्त्री जी को बधाई देना चाहते हैं। यह इस कारण हुआ है कि सरकार ने वहां कुछ सख्ती बरती है। खासकर असम के मामले में सख्ती के साथ चुनाव कराए गए हालांकि कुछ अनफार्चुनेट इंसीडेन्ट्स भी हुए लेकिन उसके बावजूद असम में सख्ती बरती गई और वहां पर लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ तो उग्रवादियों और आन्दोलनकारियों को यह बात महसूस होने लगी कि सरकार झुकने वाली नहीं और जबर्दस्ती उग्रवादी रास्ता अख्तियार करने सरकार को दबाया नहीं जा सकता है। इसीलिए वहां पर स्थिति सामान्य हुई हालांकि अभी भी कुछ-छुटपुट घटनायें असम और उत्तर पूर्व के दूसरे राज्यों में हो रही हैं लेकिन यदि सरकार का रवैया इसी तरह से कायम रहा तो मैं समझता हूं वहां पर जल्दी ही स्थिति ठीक हो जायेगी।

सभापति जी, आप पंजाब से आते हैं, आप पंजाब के एक महान सपूत हैं, आज पंजाब की स्थिति भी चिन्ताजनक बनी हुई है। मुझे खुशी है कि इधर कुछ दिनों से सरकार ने थोड़ी सख्ती शुरू की है और मैं सरकार की इस कार्यवाही को एप्रिशिएट करना चाहता हूं। सरकार पंजाब की स्थिति में शांतिपूर्ण ढंग से निपटना चाहती थी, उसने अकाली दल को बात-चीत करने के लिए कई मौके दिए, कई बार बात-चीत भी हुई जिसमें विरोधी दल के नेता भी शरीक हुए लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। जहां तक मुझे पता है, अकाली दल हमेशा बातचीत में परिवर्तन करते रहे, उन्होंने कभी ऐसी स्थिति नहीं आने दी जबकि जो विवाद है उसमें कोई कमी हो सके या डिफरेंसेज नैरो-डाउन किए जा सकें। जब भी सरकार उनकी कोई बात मान लेती तो वे अपनी दूसरी दो-तीन मांगें प्रस्तुत कर देते थे और इससे हमेशा उनका भी नुकसान हुआ, पंजाब का भी नुकसान हुआ और सारे देश का नुकसान हुआ। आज हालत यह है कि पंजाब में अकाली दल के हाथ से नेतृत्व खिसक गया है। कुछ ऐसे तत्व जो विघटनकारी हैं, जो पंजाब में अलगाव की राजनीति चलाना चाहते हैं उनके हाथ में नेतृत्व चला गया है। आज उग्रवादियों, समगलर्स एन्टी सोशल एलिमेन्टस के हाथ में आन्दोलन का नेतृत्व चला गया है और मैं देखता हूं कि अकाली दल के नेता भी इस स्थिति से खुश नहीं हैं क्योंकि आज उनको भी इस बात का कोई अधिकार नहीं रह गया है कि वे कोई समझौता कर सकें। आज वे लोग पंजाब में आतंक का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। केवल पंजाब में ही नहीं, हरियाणा में दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में भी उग्रवादी आतंक का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जोकि राजनीतिक नहीं हैं, जो उग्रवादी हैं जो देश में विघटन का सपना देख रहे हैं उनसे सरकार कैसे निपटेगी? अकाली दल तो एक जनतांत्रिक दल था जिसने पंजाब में शासन भी किया था, सरकार उनसे बातचीत करने के लिए भी तैयार थी लेकिन आज उनके हाथ में स्थिति नहीं है, वे उग्रवादियों के चंगुल में फंसे हुए हैं इसलिए आज पंजाब की स्थिति से कैसे निपटा जायेगा? मैं पहले भी इस माननीय सदन में कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि पंजाब की स्थिति में सुधार तभी हो सकता है जब उग्रवादियों को शक्ति के साथ कुचला जाए। यदि उन शक्तियों को नहीं कुचला जाएगा तो पंजाब का कोई राजनीतिक हल नहीं निकलेगा। राजनीतिक हल निकलने की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है मुझे खुशी है कि सरकार ने इधर कुछ कार्यवाही की है, खास तौर से विद्यार्थी संगठन पर कुछ पाबन्दी लगाई है और उन लोगों की पकड़-धड़क शुरू की है। इधर चार-पांच दिनों से कोई समाचार आ रहे हैं कि पंजाब में दरबारासिंह को गोली मारी गई और कई जगहों पर लोगों को मारा गया है, हत्यायें हुई हैं, लेकिन अपेक्षा की शान्ति का वातावरण है। फिर भी कहते हैं कि वहां पर स्थिति टेंस में है। जो समाचार आ रहे हैं, उनको देखने से यह प्रतीत होता है कि यह खामोशी किसी तूफान के आने की खामोशी है। जैसे कि तूफान के आने के पहले खामोशी हो जाया करती है, वैसे ही लगता है कि पंजाब में कोई तूफान आ रहा है। इस तूफान को रोकना सरकार का पहला कर्तव्य है।

मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा कि पंजाब में उग्रवादियों की गतिविधियों का केन्द्र स्वर्ण मन्दिर है। मैं उसकी इज्जत करता हूं। मैं एक धार्मिक आदमी हूं और सभी धर्मों के पवित्र स्थानों की मैं इज्जत करता हूं। मैं नहीं चाहता कि ऐसे पवित्र स्थानों को अपवित्र किया जाए, वहां पर असामाजिक तत्वों का केन्द्र बन जाए और लोगों की हत्याओं की योजना बनाई जाए। दूसरे वहां पर क्रिमिनल एन्टी सोशियल एलीमेंट्स लोग पनाह लें तो उसमें पुलिस को जाना चाहिए। ऐसी कोई भी कानून की किताब नहीं है, जिसमें यह लिखा हुआ हो कि पुलिस कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी धर्म स्थल में नहीं जा सकती है। यह किसी भी धर्म ग्रंथ में भी नहीं लिखा हुआ है। वे लोग भी जनता के हित में काम करते हैं, उनको वहां जाकर पकड़ सकते हैं। धर्म स्थलों पर पुलिस के जाने से वहां की पवित्रता खत्म नहीं होती है, उनकी पवित्रता वहां अपराधियों के छिपने से खत्म होती है। स्वर्ण मन्दिर को अपवित्र करने वाले लोग है, वे अपराधी वहां छिपे हुए हैं। सरकार स्वर्ण मन्दिर की पवित्रता को खत्म नहीं करना चाहती है, बल्कि वहां की पवित्रता को बरकरार रखना चाहती है।

इसलिए, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस समस्या के समाधान के लिए सख्ती करें। आज वहां सिक्खों का बहुमत उनके पक्ष में नहीं है। सिक्ख बहुत भले लोग हैं, मैं उनको जानता हूं। वे लोग देशभक्त, देशप्रेमी हैं। देशभक्त की भावना उनके अन्दर कूट-कूट कर भरी हुई है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश को बनाने के लिए, इस देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए, हरितक्रान्ति में अपना सहयोग देने के लिए, सिक्खों का बहुत बड़ा योगदान है। आज उनका बहुमत पंजाब में उग्रवादियों के साथ नहीं है। लेकिन उग्रवादी चाहते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो कि सिक्ख मासेस उनके साथ आ जाए। आज उनका निशाना साम्प्रदायिक लोग बाद में हैं, सिक्ख ही हिट-लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। खास कर वे जो इसका विरोध कर रहे हैं। सभापति जी, आप जानते होंगे आज पंजाब में सबसे ज्यादा संकट सिक्खों का है, हिन्दुओं का नहीं है। वे ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जिनसे पंजाब में ही नहीं बल्कि दूसरे भागों में भी साम्प्रदायिक दंगे हों। सिक्खों और हिन्दुओं के बीच में हों। इन दंगों की वजह से उत्तेजना भड़केगी तो लोग परेशान होंगे, घर-बेघर हो जायेंगे और पंजाब में उत्तेजना का वातावरण फैलेगा, जो उग्रवादियों के पक्ष में जाएगा। इसलिए उग्रवादियों को सख्ती से दबाना होगा। अगर देश की अखण्डता की रक्षा हमें करनी है तो उग्रवादियों के साथ कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। एक बार उग्रवादियों को आप सख्ती से दबा देंगे तो अकाली दल का पिण्ड उन उग्रवादियों से छूट जाएगा और अकाली दल वार्ता के लिए तैयार हो जाएगा। आज वे स्वतन्त्र नहीं हैं, उग्रवादियों से उनका नाता तोड़ाइये, उग्रवादियों से अकाली नेताओं की रक्षा कीजिये, तब वे वार्ता के लिए तैयार होंगे और तब ही पंजाब का हल निकल पायेगा।

अब मैं कुछ दूसरे मुद्दों की तरफ जाना चाहता हूं—जिनकी तरफ हमारे माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने इशारा किया है—केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध। सरकार ने सरकारिया कमीशन गठित किया है। हम सभी लोगों ने उस कमीशन का स्वागत किया था। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं, वह सरकार की तरफ से नहीं कह रहा हूं और मुझे उसका अधिकार भी नहीं है, सरकार की नीतियों की बात मन्त्री जी ही कह सकते हैं, लेकिन मैं इस बात के हक में हूं कि केन्द्र के पास अधिक पावर रहनी चाहिए, अधिक अधिकार रहने चाहिए। राज्यों को ज्यादा अधिकार देने का मतलब है देश की अखण्डता कमजोर करना, इन्टिग्रटि को कमजोर करना। हमारा देश अमरीका की तरह नहीं है। जब अमरीका एक देश बना, उस समय राज्यों ने अपने अधिकार केन्द्र को दिये थे, लेकिन हमारा देश जो एडमिनि-

स्ट्रेटिव कारणों से एक बड़ा देश था, इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से केन्द्र ने अपने अधिकार राज्यों को दिये थे। यहां बिलकुल उल्टा मामला है—यहां केन्द्र ने अपने अधिकार राज्यों को दिये थे, लेकिन अमरीका में राज्यों ने केन्द्र को अधिकार दे दिए थे। इस लिए जितने भी अधिकार राज्यों के पास हैं, वे केन्द्र में कांस्टीचूएन्ट असेम्बली के द्वारा, जो आबादी के हिसाब से चुनकर आई थी, उसने ये अधिकार राज्यों को दिये हैं। इसीलिए बहुत से मामलों में गड़बड़ हो रही है जैसे बिजली का मामला है। हम लोग बहुत दिनों से यह मांग कर रहे हैं कि बिजली को केन्द्र की सूची में रखा जाना चाहिए, सेन्ट्रल लिस्ट में होना चाहिए। बिजली के हालात रोज-बरोज खराब होते जा रहे हैं जिससे खेती का नुकसान हो रहा है, कारखाने नहीं चल रहे हैं।

अभी हमारे सम्मानित चैटर्जी साहब कह रहे थे कि रीजनलइम्बैलेंज हैं—ये कैसे दूर होंगे ? मैं पूछना चाहता हूं—आज सारे देश में जो कमाई हो रही है, जो रकम बम्बई में इकट्ठी हो रही है कलकत्ते में इकट्ठी हो रही है, दिल्ली में इकट्ठी हो रही है अगर यह सारा पैसा उन्हीं राज्यों को दे दिया जाय, तो देश के पास पिछड़े हुए राज्यों के विकास के लिए कहां पैसा बचेगा, जिस क्षेत्रीय असन्तुलन की बात वह कह रहे हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकेगा। इसलिए मैं तो इस हक में हूं कि केन्द्र को और ज्यादा अधिकार दिये जाने चाहिए।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं—आप चाहे कितने अधिकार उनको देते चले जाएं, लेकिन उनकी अधिकारों की भूख फिर भी समाप्त नहीं होगी। आप जानते हैं—कानून और व्यवस्था के सारे अधिकार राज्यों के पास होते है, लेकिन इसी पार्लियामेंन्ट के सम्मानित सदस्य अनेक बार उन मामलों को यहां पर उठाते हैं। जहां कहीं भी कानूनी व्यवस्था कमजोर पड़ती है, हरिजनों और आदिवासियों के प्रति अत्याचार होते हैं, जब अल्पसंख्यकों को दंगों में दबाया जाता है या किसी औरत को जलाया जाता है या कहीं-कहीं आपसी संघर्ष होते हैं तो इसके लिए केन्द्र के पास आकर दुहाई देते हैं और बाध्य होकर उनको दुहाई देनी पड़ती है। ऐसा इस लिए होता है कि जितने भी इस देश में गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं वे राज्यों की बनिस्बत केन्द्र की तरफ ज्यादा भरोसे से देखते हैं. केन्द्र की जो पुलिस है वह ज्यादा जल्दी आकर उन को कन्ट्रोल करती है, राज्यों की पुलिस उन दंगों और अत्याचारों को कन्ट्रोल नहीं कर पाती है। इसलिए अगर आप ज्यादा अधिकार उनको देंगे, तो वे कहेंगे कि हमें और सारे अधिकार रहने चाहिए। विदेश का अधिकार आप के पास रहना चाहिए और करेन्सी का अधिकार आप के पास रहना चाहिए और बाकी सब अधिकार राज्यों के पास होने चाहिए। अगर ऐसा होगा, तो इससे देश एक कैसे रह सकेगा। इसलिए देश की अखण्डता के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र ज्यादा मजबूत हो।

अब मैं पुलिस बल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० ने बहुत अच्छा काम किया है। जब भी देश में कहीं भी दंगे होते हैं, कहीं भी फिसाद होते हैं, कहीं भी कोई ज्यादती होती है, आन्दोलन छिड़ते हैं, सत्याग्रह छिड़ते हैं, हिंसक घटनाएं होती हैं, हमारे ये पुलिस बल उन जगहों पर पहुंच जाते हैं और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जहां भी ये पुलिस बल गये हैं, वहां इनकी बहुत तारीफ हुई है लेकिन एक बात दुःख की है और वह यह है कि सुविधाएं जितनी इन पुलिस बलके लोगों को दी जानी चाहिएं, उतनी हमारी सरकार नहीं दे रही है। उनकी तन्ख्वाहों में जितनी बढ़ोतरी की जानी चाहिए, उतनी नहीं की जा रही है और जितनी तरक्की उनको दी जानी चाहिए, उतनी तरक्की नहीं दी जा रही है। आज सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० में जो रैंकर्स हैं और दूसरे कर्मचारी हैं, वे बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके लिए

तरक्की के मौके नहीं हैं। आज उच्च पदों पर आई० पी० एस० अफसरों को रख दिया जाता है।

सभापति महोदय : अब आप खत्म कीजिए। बहुत सारे मेम्बर आप की पार्टी के बोलने वाले हैं और अगर आप ज्यादा समय लेंगे, तो दूसरों का नम्बर कट जाएगा।

श्री जैनुल बशर : मैं पहला स्पीकर इस पार्टी से हूं और पहले स्पीकर को ज्यादा समय मिलता है। वह आधा घंटे से ज्यादा बोलता है और आप भी जब पहले स्पीकर होते हैं, तो आधा घंटे से ज्यादा समय लेते हैं। जो अपने लिए करते हैं, वह दूसरों के लिए भी करें।

सभापति महोदय : मेरे पास यहां ले डाऊन है कि कितना समय किसको दिया जाना है। आप जल्दी-जल्दी अपने प्वायन्ट्स कह लीलिए।

श्री जैनुल बशर : मुझे अपनी बात कहनी है। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं। मुझे पूरी बात कहने दीजिए। हमारी पार्टी का बहुत समय है और हमारे माननीय सदस्यों को एतराज नहीं है। मैं आधा घंटे से कम में अपनी बात नहीं कह पाऊंगा, इसलिए आप मुझे इतना समय तो दीजिए ही।

मैं यह कह रहा था कि केन्द्रीय पुलिस बल में जो कर्मचारी हैं, जो रैंकर्स हैं, वे स्टेगनेट रहते हैं और आई० पी० एस० अफसरों को डी० आई० जी० और आई० जी० की जगहें मिल जाती हैं। मेरा सुझाव यह है कि कम से कम डी० आई० जी० की जो पोस्ट है, वह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और बी० एस० एफ० के अधिकारियों के लिए सुरक्षित कर देनी चाहिए। सी० आर० पी० एफ में 40 परसेन्ट उन्हीं में से लिए जाते हैं और 60 परसेन्ट बाहर से आते हैं, तो यह जो चीज है, यह खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि सी० आर० पी० एफ० में जो कमांडर होते हैं वे तजुर्बेकार होते हैं और वे फील्ड में रह चुके होते हैं और इसलिए सारी स्थिति से अवगत होते हैं। वे किसी भी तरह से आई० पी० एस० अफसरों से कम नहीं हैं और कार्य-कुशलता में किसी प्रकार से उनसे कम नहीं हैं। इसलिए डी० आई० जी० स्तर तक की जो पोस्टें हैं, वे कम से कम बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० एफ० के लोगों से भरी जानी चाहिए।

मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि इस साल बड़े साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए और यह सरकार की नीतियों का ही नतीजा है। इस साल 404 इंसीडेंट्स जरूर हुए हैं लेकिन वे छोटे-मोटे हैं। हैदराबाद में जो कम्युनल रायट्स हुए थे, वह ही एक मेजर इंसीडेंड नहीं हुए हैं और इसके लिए मैं मंत्री जी को मुबारक बाद देना चाहता हूं और इसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री जी ने एक समिति गठित की थी और उसमें अल्पसंख्यकों को सुविधाएं दिये जाने की बात शामिल थी। उप समिति के चैयरमैन हमारे गृह मंत्री जी स्वयं थे। उस उप समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के पर आधार प्रधान मंत्री ने एक डायरेक्टिव इशू किया केंद्रीय सरकार के सभी विभागों की और राज्य सरकारों को भी। होम मिनिस्ट्री में भी इस डायरेक्टिव को इम्प्लेमेंट करने के लिए एक सैल बनाया गया। मुझे प्रसन्नता है कि जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है उस डायरेक्टिव के अनुसार काम हो रहा है लेकिन जहां तक राज्य सरकारों का ताल्लुक है वे उसको इगनोर कर रही है। पुलिस फोर्स में तथा दूसरे विभागों में अल्पसंख्यकों की ज्यादा भरती के लिए, जहां उनकी आबादी ज्यादा है मैकेनिकल इन्स्ट्रीट्यूट्स वहां खोलने के लिए उन डायरेक्टिव्ज में बातें कही गई थी। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं वहां इसको इगनोर किया जा रहा है, बिहार में भी यही हालत है। दूसरे राज्यों से भी हमें सूचना मिली है कि इसको वे इगनोर कर रही है।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : केन्द्र के बहुत से विभागों में भी उस पर अमल नहीं हो रहा है।

श्री जैनुल बशर : वह आप बता दें जब आपको मौका मिले। एक विभाग की तो मैं जानता हूं। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में अच्छी भरती हुई है। जो भी अधिकारी है और जिस ने उनकी भरती की है वह बधाई के मुस्तहिक हैं। बी० एस० एफ० में इस पर अमल नहीं हो रहा है हांलाकि बी० एस० एफ० में एक ऐसे अधिकारी डायरेक्टर जनरल हैं जिन्होंने सी० आर० पी० एफ० में इस सूत्र को इनिशिएट किया था और उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन जब वह स्वयं बी० एस० एफ० में पहुंच गए तो पता नहीं क्यों उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि बी० एस०एफ० में भी अल्पसंख्यकों की भरती के मामले में ज्यादा तवज्जह बी जानी चाहिए।

बनारस में बड़ी विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि एक स्थान से जिस पर पिछले 34 साल से मुसलमानों के दो सम्प्रदायों, शिया और सुन्नियों में विवाद चला आ रहा था, उस भूमि पर जो दो कबरें हैं सुन्नियों की, उनको हटाकर दूसरी जगह तबदील कर दिया जाए। मैं इस फैसले की मैरिट्स में जाना नहीं चाहता। मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। लेकिन इतना मैं अवश्य जानता हूं कि इसलाम धर्म के अनुसार, इसलाम शरियत के अनुसार कबरों को हटाया नहीं जा सकता। इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अगर इन कबरों को हटाया जाएगा तो बनारस ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई भागों में खून खराबे हो सकते हैं, वायोलेस हो सकती है। इसलिए सरकार को कोई ऐसा काम करना पड़ेगा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा, जिससे वहां शान्ति बनी रहे। अब कौन सा तरीका सरकार अख्तयार करेगी, मैं नहीं जानता। यह सरकार के ऊपर है। गृह मंत्री जी ईससे भली भान्ति अवगत हैं। मैं आशा करता हूं कि वह इस मामले में कोई न कोई हल जरूर निकालेंगे ताकि शान्ति और व्यवस्था पूरे क्षेत्र में बनी रह सके।

हिन्दी के बारे में मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। यह हमारी राज भाषा है। इसके लिए हम वचनबद्ध भी है। लेकिन दुख है कि हिन्दी को जिस प्रकार सम्पर्क भाषा बनाने का काम होना चाहिए नहीं हो रहा है। आखिर को इस देश की किसी एक भाषा को तो सम्पर्क भाषा बनना ही है। मैं सभी भाषाओं का बड़ा आदर करता हूं। अंग्रेज का भी करता हूं। उससे मेरी दुश्मनी नहीं है। अपनी भाषाओं से तो बहुत ही मैं प्रेम करता हूं। लेकिन एक भाषा तो देश में होनी ही है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाया था। जहां तक जन साधारण का सवाल है हिन्दी सम्पर्क भाषा बन चुकी है। बंगलोर की दूकानों पर आप चले जाएं, त्रिवेद्रम के होटलों में चले जाएं, मद्रास की दूकानों पर चले जाएं या हैदराबाद में चले जाएं देश के किसी भी कोने में आप चले जाएं, टैक्सी वाले, दूकान वाले, होटल वाले सभी हिन्दी समझते हैं हिन्दी में जवाब देते हैं। अंग्रेजी वह नहीं समझते हैं। केवल 2 परसेंट ऐलीट ही अंग्रेजी में काम करने की कोशिश करते हैं और नौकरी पेशा बड़े अधिकारी और उद्योगपतियों का एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है हिन्दी को रोकने के लिए और अंग्रेजी को चालू रखने के लिए इसको दूर करना होगा। मैं नहीं कहता कि हिन्दी को थोप दीजिए, लेकिन सरकार को ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए, उपाय निकालने चाहिए जिससे हिन्दी को प्रसारित और प्रचारित किया जा सके। उसको लादा न जा सके, बल्कि ऐसी स्थिति बनायी जाय ताकि लोग खुद-ब-खुद हिन्दी को अपना सकें। जब तक हिन्दी देश की सम्पर्क भाषा नहीं होगी तब तक राष्ट्रीय एकता में आपको मदद नहीं मिलेगी। इसलिए हिन्दी के विकास के लिए मन्त्री जी पूरी तवज्जह दें।

यह बहुत ही शर्म की बात है कि आज हमारे देश में नेशनल प्रैस हिन्दी भाषा में नहीं हैं। अंग्रेजी भाषा में है। पाकिस्तान में उर्दू भाषा का प्रैस नेशनल प्रैस बन चुका है, उर्दू के अखबारात नेशनल अखबार बन चुके है। लेकिन हमारे देश में अभी तक हिन्दी के अखबारात नेशनल अखबार नहीं बन सके और आज अंग्रेजी का ही उस पर डोमीनेशन है। इसलिए हिन्दी की नजरदाज नहीं करना चाहिए और मेरी अपील है गृह मन्त्री जी से हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा प्रसार और प्रचार करें।

धन्यवाद।

श्रीमती शालिनी पाटिल (सांगली) : सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में, जिन पर लोक सभा आज विचार कर रही है, मैं कुछ कहना चाहती हूं, वर्ष 1984-85 के लिए पेश की गयी मांगों के अनुसार विभिन्न अनुदानों के लिए 2017·23 करोड़ रुपए की मांग रखी गयी है, मैं मांगों का पूरा समर्थन करती हूं और कुछ मुझे उठाने के लिए आपकी अनुमति चाहती हूं।

कानून और व्यवस्था, जो कि गृह मन्त्रालय का मूल उत्तरदायित्व है, के बारे में चर्चा करते हुए मैं यह अवगत करना चाहती हूं कि देश में कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई जिसके प्रति हम सभी लोग चिंतित हैं। ये घटनाएं किसी की गल्तियों से नहीं हुई हैं, बल्कि इस काम पर लगें कुछ तत्वों के कारण हुई हैं। स्थिति में सुधार लाने और जन जीवन को सामान्य जनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सार्थक प्रयासों के बारे में हमें पता है और हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार को अपने काम में सफलता मिले। इस सन्दर्भ में एक प्रश्न सुसंगत है। तीन दशक से अधिक समय पूर्व 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उस समय हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी। आज हमारी जनसंख्या 70 करोड़ से अधिक है। जनसंख्या में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, बेरोजगारी की समस्या जटिलतर होती गयी है। इस कारण धार्मिक पागलपन, साम्प्रदायिक उन्माद, गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में हमारे नौ जवानों की उर्जा नष्ट हो रही है। इसके कारण देश भर में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हुई है, और इससे भी बड़ी चुनौतियों और सदस्याओं का आने वाले समय में सामना करना है। पहली दृष्टि में कानून और व्यवस्था की समस्या है इसलिए इसे मजबूत करने की जरूरतों है ताकि वर्तमान स्थिति से निबटने के लिए यह सक्षम हों सके। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विभिन्न स्तरों पर कुछ संख्या में वृद्धि हुयी है परन्तु मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मन्त्री इसमें पर्याप्त वृद्धि करने पर विचार करेंगे।

एक और मामला है मैं जिसका उल्लेख करना चाहती हूं, सदन को मालूम है कि केन्द्र सरकार ने स्वतन्त्रता संग्राम में जिन व्यक्तियों और महिलाओं ने भाग लिया था, उनको सहायता देने के लिए सराहनीय योजना लागू की है। ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों या उनके परिवारों की संख्या बहुत कम है और उन लोगों को जल्दी से जल्दी प्रस्तावित मदद उपलब्ध कराना जरूरी है। मेरे पास ऐसा मानने के कारण है कि ऐसे अनेक मामलों में अन्तिम आदेश होने अभी बाकी है। केवल महाराष्ट्र राज्य में ही ऐसे 1190 मामले लम्बित हैं, ऐसे मामलों में शीघ्र निर्णय करने की दृष्टि से मैं माननीय गृहमन्त्री से इस प्रकार के सभी मामलों की जांच करने के लिए अधिकारियों के एक विशेष दल का गठन करने हेतु अनुरोध करती हूं जो एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत लम्बित मामलों के बारे में तुरन्त फैसला देना सुनिश्चित करे। मुझे पूर्णविश्वास है कि इस बारे में सदन के सभी सदस्यों का समर्थन मुझे मिलेगा।

सभापति महोदय, एक और महत्वपूर्ण मामले की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना

चाहती हूं। हमारे लोकतन्त्रात्मक ढांचे में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर गृह मंत्रालय निगरानी रखता है। राष्ट्र के लिए अपनाई गई राजनीतिक प्रणाली में ऐसी स्थिति का निर्माण करना जरूरी है जिसके अन्तर्गत जनहित में केन्द्र और राज्य दोनों प्रभावी ढंग से काम कर सकें, हमारे देश की स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा के लिए भी यह जरूरी है कि केन्द्र मजबूत और प्रभावी हो।

आप को मालूम है कि मैं महाराष्ट्र राज्य के सांगली क्षेत्र की प्रतिनिधि हूं, मेरे चुनाव क्षेत्र के आखरी गांव का नाम म्हेसाल है जो महाराष्ट्र के कर्नाटक से लगी सीमा के केवल दो कि० मी० दूर है। हमारे क्षेत्र से लगी सीमा पर कर्नाटक के पांच विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके नाम उचगांव, बागेवाड़ी, खानपुर, निपानी और वेलगांव है। इन क्षेत्रों के निवासियों, जिनके महाराष्ट्र के लोगों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य सम्बन्ध हैं, की हार्दिक आकांक्षा है कि इन्हें हमारे राज्य से जोड़ दिया जाय जो इतने लम्बे समय से पूरी नही हुई है इस सदन को महाराष्ट्र एकीकरण समिति के बारे में मालूम है जो बहुत पहले से इस मामले पर जोर दे रही है। इस क्षेत्र के मराठी भाषी इलाकों को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग को लेकर समिति के झण्डे तले चुनाव जड़े गये हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अब तक हुए छः विधानसभा चुनावों में इन सभी चुनाव क्षेत्रों में महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा समर्पित पांचों उम्मीदवार चुनाव जीते हैं।

हाल में, वेलगांव नगर निगम के दिसम्बर, 1983 में चुनाव हुए थे। जो 14 वर्षों के बाद हुए कुल 50 पार्षदों में से 33 सदस्य, जो कुल संख्या के दो तिहाई हैं, महाराष्ट्र एकीकरण समिति के हैं। इस स्थानीय निकाय का रिकार्ड पिछले सौ वर्षों से अधिक समय से मराठी में रखा जाता है। अब मालूम हुआ है कि कर्नाटक सरकार का विचार रिकार्ड की। इस भाषा को बदल कर कन्नड़ में करने का है। कर्नाटक सरकार इस क्षेत्र में मराठी माध्यम के स्कूलों को बन्द करने और उनके स्थान पर कन्नड़ माध्यम के स्कूलों के खोलने की भी कोशिश कर रही है, इसके अलावा मेरे ध्यान में कुछ और तथ्य हैं जिन्हें मैं इस सम्मानीय सभा के सामने प्रस्तुत करती हूं। कर्नाटक के इन पांच मराठी भाषी विधायकों को अपनी विधानसभा में मराठी अथवा हिन्दी में बोलने की अनुमति नहीं मिली है, ये लोग कन्नड़ नहीं जानते हैं, यदि कोई विधायक मराठी अथवा हिन्दी में बोलता भी है तो उसके वक्तव्य को को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में यद्यपि क्षेत्र के लोगों ने इन लोगों को चुना है फिर भी ये लोग अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को राज्य विधानसभा में रखने में असफल रहते हैं। जिस कारण जनहितों को चोट पहुंचती हैं, उनकी स्वतन्त्रता दबाई जाती हैं और उनके मूलभूत अधिकारों तथा संवैधानिक सुरक्षा को कुचला जा रहा है।

इस माहौल के विरोध में वेलगांव नगर निगम ने चुनावों के तुरन्त बाद महाराष्ट्र में शामिल किए जाने के पक्ष में एक संकल्प पारित किया था। यह संकल्प जो लोगों की भावना का प्रतीक है, के कारण कर्नाटक सरकार ने 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया है कि क्यों न निगम को निरस्त किया जाय।

मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से इस बात पर जोर देती हूं कि वेलगांव और अन्य सीमावर्ती इलाकों के 12 लाख लोगों को, जिनके महाराष्ट्र के लोगों के साथ परम्परागत, ऐतिहासिक, भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक सम्बन्ध हैं, न्याय मिलना चाहिए जो बहुत समय से उन्हें नहीं मिला है, पिछले 28 वर्षों के दौरान, चुनावों, मोर्चों, विधानसभाओं और अन्य सुलभ लोकतन्त्रात्मक तरीकों के माध्यम से ये लोग अपना वांछित हक प्राप्त करने के लिए शान्तिपूर्ण और लोकतन्त्रात्मक आन्दोलन में

लगे हुए हैं । जैसा कि मैंने पहले भी कहा है चुनावों में लोकमत हर बार महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा समर्पित उम्मीदवार के पक्ष में गया है। जनभावना और महाराष्ट्र में अपने भाइयों के साथ जुड़ने की इनकी इच्छा जानने के लिए चुनाव परिणामों से बड़ा और बेहतर कोई प्रमाण नहीं हो सकता है।

मेरे विचार से बेलगांव नगर निगम के मेम्बर और इन क्षेत्रों के 5 विधायक हाल में माननीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, गृह मन्त्री श्री पी० सी० सेठी से अपनी इस मांग को रोकने के लिए मिले थे । प्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री ने उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुना । मैं माननीय गृह मन्त्री से शीघ्र इस समस्या को हल करने का अनुरोध करती हूं ताकि इन लोगों के साथ समुचित न्याय हो सके। मैं इसमें यह बात भी जोड़ देना चाहती हूं कि मेरे राज्य के लोग सीमान्त क्षेत्र के सम्बन्धित लोगों की इस मांग का पूरा समर्थन करते हैं।

अन्त में मैं गृहमन्त्री द्वारा सदन में रखी गई अनुदानों की मांगों का पूरा समर्थन करती हूं और अनुरोध करती हूं कि सारा सदन इसका समर्थन करें ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : आरम्भ में मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए तैयार विशेष घटक योजना से चर्चा शुरू करता हूं। इस योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु को जो धनराशि आबंटित की गयी है उसकी तरफ माननीय मन्त्री का ध्यान में पहले ही दिला चुका हूं। मेरे सामने आए हुए मामलों में से एक मामला यह भी है। राज्य इस योजना के लिए निर्धारित की गई धनराशि का उपयोग नही कर रहा है, इस बारे में मैंने माननीय गृहमन्त्री के पास टिप्पणी भेजी है, लेकिन मैं उनसे मामूली सी शुद्धि करने का अनुरोध करता हूं। टिप्पणी में शायद मैंने 81 और 82 लिखा है लेकिन इसे 80 और 81 होना चाहिए। केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 9.5 करोड़ रुपए दिए थे। जब केन्द्र सरकार ने इस योजना को क्रियान्वयन की रिपोर्ट के बारे में राज्य सरकार से पूछा तो राज्य सरकार ने तुरन्त इस धनराशि को तमिलनाडु हरिजन हाउसिंग कारपोरेशन को सौंप दिया और कारपोरेशन ने यह धनराशि एक राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कर दी। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को यह रिपोर्ट भेज दी कि इस धनराशि को इस विशेष योजना के अन्तर्गत खर्च कर दिया गया है। वस्तुस्थिति यह है। राज्य सरकार ने पुन: 12 करोड़ रुपयों की मांग की। और मन्त्री महोदय ने इन 12 करोड़ रुपयों को आबंटित करने में भी उदारता दिखायी। लेकिन मेरा विश्वास है कि इस धनराशि का भी वही परिणाम निकलेगा। ऐसी स्थिति में हरिजनों के लिए एक विशेष घटक योजना बनाने का क्या प्रयोजन है। इस प्रकार यह एक ऐसी वित्तीय सहायता बन गयी है जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गयी निधि पर राज्य को कुछ ब्याज कमाने को मिल गया है और केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम को बिल्कुल भी क्रियान्वित किया गया है। लेकिन जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है उसमें अनेक उपलब्धियों का उल्लेख है, मैं मन्त्री महोदय से इस मामले में जांच करने का अनुरोध करूंगा, यह कोई साधारण मामला नहीं है । यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित मामला है जिसके प्रति सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

3.00 म० प० **(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)**

अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों के विषय में मेरे माननीय मित्र, जो अब सभापति है, ने बताया है कि हरिजनों पर किस प्रकार से अत्याचार किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में मुझे मध्यप्रदेश में

भोपाल में एक समाचार देखने को मिला जिसमें बताया गया है ;

"होली के दिन हरिजनों पर अत्याचार"

मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक गांव में दो हरिजनों की हत्या कर दी गयी, बहुत से अन्यों को बुरी तरह पीटा गया और उनमें से 15 के घरों को आग लगा दी गई क्यों-कि "अछूतों" ने यह मांग की थी कि होली के त्यौहार पर उनके साथ समान बर्ताव किया जाए। कुछ स्वर्ण हिन्दुओं ने "अछूतों" के साथ समान व्यवहार करने से मना कर दिया और हरिजनों पर हमला किया जिससे रंगों का त्यौहार खून खराबे में बदल गया।"

इस प्रकार होली के दिनों, त्यौहारों पर भी हरिजनों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। मैं इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि हरिजन हिन्दू हैं या नहीं ?

प्रो० ए० जी० रंगा (गुंटूर) : वे लोग हिन्दू हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : यदि वह हिन्दू हैं, तो उन्हें हिन्दुओं का प्रत्येक त्यौहार मनाने का अधिकार है। जब उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जाते तो कुछ न कुछ निजी स्वार्थ होंगे जो यह कहते है कि वे हिन्दू नहीं है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

मैं क्षेत्रीय दलों के बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहता। आजकल यह फैशन बनता जा रहा है। ···(**व्यवधान**)···

श्री राम प्यारे पनिका : क्षेत्रीय दलों पर रोक लगा दी जानी चाहिए।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : यदि आप इन पर रोक लगाते है तो आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। मेरे से पहली वक्ता, जो कि एक महिला सदस्य हैं कांग्रेस की ओर से क्षेत्रीय हितों के पक्ष में बोली। वह कांग्रेस की सदस्या है।

श्री राम प्यारे पनिका : मुझे क्षेत्रीय हित की बात तो समझ आती है किन्तु क्षेत्रीय दल की बात समझ नहीं आती।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) : कृपया उन्हें रोक नहीं वह हाल ही तक हमारे मित्र थे।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं तो प्रत्येक का मित्र हूं। इसलिए, मैं कह रहा था कि आजकल क्षेत्रीय दलों को राष्ट्र विरोधी कहना एक फैशन सा बन गया है। क्षेत्रीय दलों के बिना बहुत से राष्ट्रीय दल भी समाप्त हो जाएंगे। 1969 की ही बात है जब कांग्रेस दल का विघटन हुआ था। श्री वेंकट सुब्बैया इस बारे में जानते हैं, श्री प्रकाश चन्द्र सेठी भी वहीं थे। 1969 में डी० के० के 25 सदस्य यहां पर थे। इसी सदन में आपका केवल नौ सदस्यों से बहुमत था। इसलिए हमने कांग्रेस सरकार का समर्थन करने का निर्णय लिया, इसलिए नहीं कि हमें इससे कोई लाभ होना था बल्कि इसलिए उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्प्रदायिक ताकत थी और हमने सोचा यदि केन्द्र कमजोर होता है तो साम्प्रदायिक

शक्तियां केन्द्र में सत्ता हथिया सकती है। इसीलिए हमने कांग्रेस सरकार का समर्थन किया, हमने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया और प्रिवीपर्स को समाप्त करने का समर्थन किया। उस समय भी हमारा दल क्षेत्रीय था और अब भी क्षेत्रीय ही है। मुझे यह कहने में गर्व महसूस होता है कि हमारा दल क्षेत्रीय है। 1969 में जब कांग्रेस दल का विघटन हुआ, तो राष्ट्रपति पद के लिए सरकारी उम्मीदवार श्री संजीवरेड्डी थे और श्री वी० वी० गिरी स्वतन्त्र उम्मीदवार थे। डी० एम० के० पहला क्षेत्रीय दल था जिसने श्री वी० वी० गिरी के नाम की घोषणा की। यदि उस समय डी० एम० के० ने अलग भूमिका निभायी होती तो स्थिति कुछ और ही होती। प्रो० रंगा जी, आप यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि यदि हमने कांग्रेस का समर्थन न करने का निर्णय लिया होता, श्री वी० बी० गिरी का समर्थन न करने का निर्णय लिया होता तो स्थिति कुछ और ही होती। आप कितने बहुमत से चुनाव जीते हैं? केवल, 10,000 वोटों से। इसका अर्थ हुआ केवल 20 संसद सदस्यों से। डी०एम०के० 25 सदस्य यहाँ लोकसभा में बैठे थे और 184 सदस्य विधानसभा में हमारे कारण ही कांग्रेस दल, जोकि एक राष्ट्रीय दल है सत्ता में रह सका। यह स्थिति थी। श्री पनिका शायद यह सब बातें न जानते हों क्योंकि वह इस सदन में नए हैं। इसीलिए मैं उन्हें यह सब बता रहा हूं। उस समय क्या हुआ था। प्रत्येक मौके पर हम सरकार का समर्थन किया करते थे, उस समय डी०एम०के० किसी और की दया पर नहीं था, बहुत से लोग कहते हैं और श्री लंका के मामले के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु में बड़े-बड़े पोस्टर लगवाए और समाचार पत्रों में भी इस बात का प्रचार किया कि डी०एम०के० एक कुण्ठित राजनैतिक दल हैं और उसने श्रीलंका के तमिलों में मामले को लेकर एक अलग राष्ट्र की मांग की है। उन्होंने यह कहा और मैं नहीं जानता कि यह उच्च कमान की जानकारी में है या नहीं। 1962 में हमारे स्वर्गीय नेता श्री अन्ना ने राज्य सभा में स्पष्टरूप से कहा कि डी० एम० के० के द्राविड़ों के लिए चार राज्य—आन्ध्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के एक अलग राज्य के भाग का विचार छोड़ दिया है क्योंकि हमारी सीमाओं पर दुश्मन हैं और पहले हमें उनका सामना करना होगा। किन्तु यह हमारा आन्तरिक मामला है और हम इसे अब नहीं निपटा सकते हैं। इसलिए हमने वह विचार त्याग दिया। आप राज्य सभा की कार्यवाही का रिकार्ड देखा सकते हैं और आपको उनके यह विचार आज भी वही मिलेंगे। श्रीपनिका मैं आपको बता रहा हूं कि विशेषकर तमिलनाडु में कांग्रेस दल या तो हमारे साथ चल सकता है या आल इण्डिया द्रविड़ मुनेत्र कणगम के साथ चल सकता। वह अकेला वहां नहीं ठहर सकता। यह स्थिति है वहां पर जिसका मैं बयान कर रहा हूं। न केवल यही, बल्कि 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तमिलनाडु सरकार ने युद्ध के लिए 6 करोड़ रुपए एकत्र किए। किसी भी अन्य राज्य ने इतना धन नहीं दिया। उत्तर प्रदेश राज्य भी इतनी बड़ी राशि नहीं दे सका। केवल डी० एम० के० को 6 करोड़ रुपए दिए। राजनैतिक कारणों से आजकल हम राष्ट्रीय धारा में है। सेठी जी अच्छी तरह जानते हैं। मैं यह नहीं कहता कि गृहमन्त्री को कुछ भी नहीं पता, वह इसे भलीभांति जानते हैं। किन्तु मैं अन्यों के लिए या तलिनाडु के सदस्यों के लिए यह सब बातें बता रहा हूं। इसलिए हमारे दल डी० एम० के० का यह इरादा बिल्कुल नहीं है कि हम भारत से अलग हो जाएं। यह हमारा इरादा नहीं है। मेरे मित्र ने हिन्दी तथा गैर-हिन्दी प्रश्नों, जो हमने कई बार उठाए हैं, के विषय में भी कहा। हमें विशेषकर, तमिलों की कुछ समस्याएं और कठिनाइयां हैं। अब भी राजभाषा के सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय के टिप्पण में कहा गया है कि एक लिपिक फाइल में या तो अंग्रेजी या हिन्दी में टिप्पणी लिख सकता है। जहां तक तमिलों का सम्बन्ध है हमें यह दोनों ही भाषाएं नहीं आती। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के बहुत से स्कूलों में दसवीं कक्षा तक केवल तमिल सिखायी जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि तमिलनाडु के व्यक्ति का केन्द्रीय सचिवालय में कोई स्थान नहीं है। उस स्थिति में वह क्या सोचेगा? यकीनन वह यही सोचेगा कि हमारा देश है या नहीं। जब उसकी अपनी भाषा ही स्वीकार नहीं की जाती उसे कोई महत्व नहीं दिया जाता तो वह यही सोचेगा कि यह हमारा

देश है या नहीं। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह मेरी मांग पर विचार करें। अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इस स्थान पर मैं अनुरोध करूंगा कि तमिल को भी सहायक भाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

मद्रास से आने वाला एक सरकारी कर्मचारी जिसकी दस, पन्द्रह या बीस साल की सेवा हो चुकी है, महाराष्ट्र में स्थानान्तरित होने पर अपने बच्चों को तब तक महाराष्ट्र में किसी स्कूल में दाखिल नहीं करवा सकता जब तक वह दस वर्ष से महाराष्ट्र का निवासी न हो। उसे दाखिला नहीं मिलेगा। मैं एक क्षेत्रीय दल से सम्बन्धित हूं। आप मद्रास आइए। आप हिन्दी, गुजराती, मलयालम कुछ भी सीख सकते हैं। आप अपने बच्चे को वहां पर किसी भी स्कूल में दाखिल करवा सकते हैं क्योंकि वहां पर कई राज्यों के लोग रह रहे हैं। आप एक भी उदाहरण नहीं बता सकते जिसमें तमिलनाडु में तमिलों द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति को परेशान किया गया हो। किन्तु हमारी स्थिति भिन्न है। मैं यह कहूंगा कि इस बारे में विचार किया जाना चाहिए।

बहुत से लोग राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। राष्ट्रवाद के बारे में अधिक शोर मचाने से फासिस्टवाद फैलता है। वे लोग राष्ट्रवाद की बहुत बातें करते हैं। 1950 से पहले भारत एक नहीं था। इसे 1950 से मिला कर एक किया गया। उससे पहले बहुत से राज्य थे। इसलिए, यह राष्ट्रवाद किसी दल विशेष या समूह की बपौती नहीं है। भारत में बहुत सी राष्ट्रीयताएं हैं। श्री करुणानिधि भी राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य हैं। बेशक, वे इस बार बैठक में भाग नहीं ले सके क्योंकि श्री सेठी, रामचन्द्रन के हथकंडों से परिचित हैं। आपने यह कार्यसूची 18 तारीख को श्री करुणानिधि को भिजवाई। इसे रोक लिया गया। यह 24 तारीख को दी गई। बैठक 21 तारीख को थी। यह कवर गृह मंत्रालय द्वारा भेजा गया था। वह बैठक में भाग नहीं ले सके। वास्तव में पिछली बैठक में उन्होंने भाग लिया था। तो, यह बात हुई थी। आपको इसकी जांच भी अवश्य करनी चाहिए।

मैं केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में अधिक कुछ नहीं कहता। आपने इस पर काफी विस्तार से चर्चा की है। बहुत से लोग, विशेषकर कांग्रेस पक्ष की ओर से यह सोचते है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्ध का का अर्थ है कि यह कमजोर हो, अथवा केन्द्र से कुछ शक्तियां हथिया ले या केन्द्रीय नेतृत्व का आदर न करे यह अनादर करे। कांग्रेस के लोग इस प्रकार सोचते हैं। यह ठीक नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में पीने के पानी का प्रस्ताव था। एक पाईप डाला जाना था जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग पार करना था। स्थानीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लोगों ने कहा कि अनुमति नहीं दी जाएगी। यह तो हुई पीने के पानी की सप्लाई की योजना की बात। श्री पनिक को चाहिए कि वह इस बात को समझें। यह प्रशासनिक कठिनाईयां हैं। दूसरे, वाणिज्य है और फिर उद्योग है। कुछ वस्तुएं जिनका निर्यात नहीं किया जाना है, कुछ कच्चे माल का स्थानीय रूप से उपभोग किया जाना है और बिना केन्द्र की अनुमति प्राप्त किए उसे आरम्भ किया जाना है। वे इसे शुरू कर सकते हैं। किन्तु प्रत्येक को केन्द्र सरकार के पास जाना पड़ता है उसे सचिवालय और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसीलिए हमने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की बात की थी। केवल विरोधी दल ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी इस बारे में बात करते हैं। प्रो० डी० आर० गाडगिल, जो योजना आयोग के सदस्य थे, ने यहां बताया है :

"सभी कार्य कलापों पर केन्द्र तथा इसकी एजेंसियों और अधिकारियों की वर्तमान सख्ती और प्रभुत्व वास्तविक प्रगति को असम्भव बनाता है।"

किसी अन्य सज्जन ने अति-केन्द्रीकरण के बारे में कहा है :

"अति-केन्द्रीकरण हमारी आर्थिक प्रगति की धीमी दर, जो कि विश्व में सबसे कम है, का मुख्य कारण है। 1950 से, वास्तविक अर्थों में प्रति व्यक्ति आय में केवल 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है।"

यह स्थिति है।

महोदय, सभी विरोधी दलों की श्री नगर में बैठक हुई। हमने केवल केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में विचार किया, अन्य किसी बारे में नहीं। किन्तु उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया। यह कहा गया कि कि वे सब राष्ट्र विरोधी हैं। उन्होंने कहा, कि वह सब मिल कर केन्द्र के विरुद्ध कुछ कहने जा रहे हैं। उस मामले में आपने सरकारिया आयोग की नियुक्ति क्यों की थी ? उसका क्या कारण था ?

"भारत सरकार केन्द्र तथा राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता पर पिछले कुछ समय से विचार कर रही थी।"

गृह मंत्रालय में भारत सरकार की यह रिपोर्ट है। मैं नहीं जानता क्या मंत्रालय ने इस पर विचार किया है या नहीं। उसका मतलब है कि कुछ ऐसी समस्यायें हैं जिन्हें केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बातचीत के जरिए से या किसी अन्य तरीके से हल किया जाना है। यह स्थिति है। अतः मात्र यह कहना कि विपक्षी दल सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा, विशेष रूप से डी० एम० के० पार्टी का ऐसा इरादा नहीं है। हम केवल मतदान पर विश्वास रखते हैं गोलियों में नहीं। इसलिए मैं उन कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों, जो वहां गए थे और जिनके विरुद्ध बातें कहीं गईं, के विरुद्ध दोषारोपण का खंडन करता हूं।

आपने 'रे आयोग' की नियुक्ति की है। अब इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक दिया गया है। भारत सरकार ने अब रोकादेश का वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही नही की है। यह आयोग जून, 1981 में नियुक्त किया गया था। तीन वर्ष बीत गए हैं। साथ-साथ हम तमिलनाडु सरकार के मुख्य मंत्री की कुछ अन्य गतिविधियों, विशेष रूप से "स्प्रिट घोटाले" में भ्रष्टाचार के बारे में जानना चाहते हैं। इस आयोग को अन्य आरोपों की जांच करने का कार्य भी दिया जाना चाहिए। जो भी हो, इस मामले में आपने विलम्ब किया है। शीघ्र ही स्थानीय सरकार ने रामामूर्ति आयोग के नाम से एक आयोग नियुक्त किया। न्यायमूर्ति रामामूर्ति को तमिलनाडु सरकार द्वारा यह कहकर हटा दिया गया कि उन्हें स्वास्थ्य के कारणों के आधार पर हटा दिया गया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा वह अधिसूचना जारी की गई थी। उन्होंने न्यायामूर्ति रामाप्रसाद राव को नियुक्त किया। वास्तव में इस सभा से कई अग्रणी अधिवक्ता मुख्य मंत्री के आमंत्रण पर मद्रास गए।**.....प्रश्न यह था कि दोषी व्यक्ति से जिरह की जानी चाहिए थी, महोदय, आप वकील है आप कानूनी प्रक्रिया जानते हैं। आयोग द्वारा दोषी व्यक्तियों से जिरह नहीं की जा सकती। हम चाहते हैं दोषी व्यक्तियों अर्थात् दो मंत्री, मुख्यमंत्री

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

और मुख्य मन्त्री के भाई से जिरह की जानी चाहिए। मामला यह था कि पुलिस के एक भूतपूर्व महा-निरीक्षक ने ***के(सभापति महोदय)आपको आरोपों के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहिए। यह काम आयोग का है।

श्री पी० वेंकट सुब्बया :महोदय, उन्होंने कहा है कि इस सभा से कुछ सदस्य मद्रास गए थे ***इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये।

सभापति महोदय : मैं इसे देखूंगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : आप इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल सकते हैं। जब मैंने यह कहा तो मैंने स्वयं यह महसूस किया कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यद्यपि यह सच है फिर भी मुझे यह नहीं कहना चाहिए।

श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या : आप फिर यही कह रहे हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : इसे कार्यवाही वृतान्त में रिकार्ड करने की जरूरत नहीं है। मैं रिकार्ड से बाहर बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : आप सभा में रिकार्ड से बाहर की कोई बात नहीं कह सकते। मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : यह बात केवल उस पक्ष पर लागू नहीं होती, यह बात इस पक्ष पर ही लागू होती है।

सभापति महोदय : वे वहाँ सभा के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि वहां व्यवसायी वकील के रूप में गए थे।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : संयोग से, वे संसद सदस्य हैं। वे वहाँ संसद सदस्य की हैसियत से नहीं गए बल्कि व्यवसायी वकील की हैसियत से गए। वे सभा के दोनों पक्षों में से थे।

हुआ यह था कि आयोग विरुद्ध स्थगन आदेश दिया गया था कि आयोग को रिपोर्ट पेश नहीं करनी चाहिए क्योंकि दोषी व्यक्तियों से जिरह नहीं की गई थी। छः माह के बाद एक न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती थी···

सभापति महोदय: आपको विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : उच्च न्यायालय द्वारा प्रातः 11.40 बजे निर्णय दिया गया था। 400-500 पृष्ठों की रिपोर्ट, जो 6 भागों में थी, सरकार को सौंप दी गई थी···(**

सभापति महोदय : आप इन बातों की उल्लेख नहीं कर सकते।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या : उन्हें यह सब नहीं कहना चाहिए।

सभापति महोदय : मैंने उन्हें रोक दिया है।

श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या : मैं समझता हूं वे भी एक अच्छे वकील हैं।

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए। आखिर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। यह स्थान रिपोर्ट के गुण-दोषों को निर्धारित करने का नहीं है।

श्री वेंकट सुब्बैय्या : न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करना उचित नहीं है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : वे सेवारत न्यायाधीश हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या : चाहे वह जो भी हों।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कर ली है। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें, इस आयोग को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था। इसलिए यह सभा उस पर चर्चा नहीं कर सकती।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : इसे जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किया गया था।

सभापति महोदय : इसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : इसे केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किया गया था।

**...

सभापति महोदय : इसे रिकार्ड न किया जाए। कृपया उस सबका उल्लेख मत कीजिए।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : महोदय, जब आप गृह मंत्रालय की मांगों पर बोल रहे थे तो आपने 'स्टेटमैन' का उल्लेख किया था। मैं भी उसी 'स्टेट्समैन' का उल्लेख करना चाहता हूं।

> "श्री एम० जी० रामचन्द्रन की ए० आई० ए० डी० एम० के० सरकार ने 15 मार्च को अपनी असाधारण प्रशासनिक कुशलताओं का निरूपण किया है जिसे स्वतंत्रता के बाद देश में कभी नहीं देखा गया और यह 'गिनेस बुक ऑफ रिकार्ड्स' में प्रविष्टि के लिए उचित है।"

ये वे बातें वहां हो रही हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात जिसका मैं अन्त में उल्लेख करना चाहूंगा। वह कानून और व्यवस्था की समस्या के बारे में है। निस्सन्देह, कानून और व्यवस्था की समस्या हर जगह है। मन्दिर प्रशासनिक का कार्य समवर्ती सूची में है। यदि कोई राज्य सरकार अपने दायित्वों में विफल हो जाती हैं तो केन्द्रीय सरकार को उस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। हम

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

केन्द्रीय सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे। विधि मंत्री भी यहां पर बैठे हैं। हम चाहते हैं वे इस मामले में हस्तक्षेप करें।

एक मामले में श्री तिरूचन्दर सुब्रह्मण्यम पिल्लई की हत्या की गई थी। पाल आयोग ने इसकी रिपोर्ट दी।

इसी तरह, श्रीरंगम मन्दिर में एक अन्य अधिकारी को कुछ लोगों द्वारा जान से मारा गया था। मैं यह नहीं कहता कि वे कौन हैं।

इसी तरह, कई स्थानों में कई हरिजनों की, विशेष रूप से, पुलिस की हिरासत में हत्या की गई। इस सम्बन्ध में अब तक कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की नहीं गई है।

सभापति महोदय : आप मुझे कठिनाई में डाल रहे हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : अतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि आपके पास शक्ति है और आपको इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आपको राज्य सरकार के अधिकार समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह विषय समवर्ती सूची का है।

सभापति महोदय : आप दुगुना समय ले चुके हैं। कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मुझे कई बातें कहनी हैं।

सभापति महोदय : मैं आपकी कई बातों को जानता हूं। लेकिन अब समय की नितांत कमी है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : प्रधान मन्त्री ने भी सभी राज्य सरकारों तथा मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखे हैं कि भ्रष्ट कार्यों को रोका जाना चाहिए। अतः आपको भी इस मामले में रुचि लेनी चाहिए।

सभापति महोदय : मैं आपको 17 मिनट के बजाय 30 मिनट दे चुका हूं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैंने 'आन लुकर' में एक बड़ा शीर्षक देखा है कि तमिलनाण्डु सरकार 200 करोड़ रुपए की लागत का मध्याह्न भोजन दे रही है।

"200 करोड़ रुपए का घोटाला—

मध्यान्ह भोजन का घोटाला।"

सभापति महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं उन बातों में न जायें।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : ये ऐसी बातें हैं जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। ये तथ्य हैं, सच्चाई है, यह सरकारी धन है, लेकिन इस धन को सरकारी एजेन्सी के माध्यम से खर्च नहीं किया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं। ये 200 करोड़ रु० एक प्राइवेट एजेन्सी को दिए गए हैं।

सभापति महोदय : इसका यहां गृह मन्त्रालय से कोई मतलब नहीं है। हस्तक्षेप करने के लिए मुझे दुःख है। लेकिन मैं यहां बैठा हूं। मेरे भी कुछ दायित्व हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यह एक खतरा है। इसलिए इसको दूर करने के लिए आपको रुचि लेनी चाहिए।

सभापति महोदय : मुझे पूर्ण विश्वास है आप जोरदार बात कह रहे हैं किन्तु मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे समाप्त करें।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मुझे दुःख है, मैंने समय मांगने के लिए अध्यक्ष पीठ पर कभी जोर नहीं डाला। जैसे ही मैं अपना समय पूरा करता हूं वैसे ही मैं अपना स्थान ग्रहण कर लेता हूं। किन्तु यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

सरकार द्वारा सरकारी एजेन्सी के माध्यम से धनराशि खर्च नहीं की जा रही है। यह धनराशि किसी प्राइवेट एजेन्सी को दी गई है। महालेखापरीक्षक को लेखों की जांच अथवा संवीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। यह सरकारी कोष का मामला है।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। मैं गम्भीरता से अर्ज करता हूं कि आप इसे समाप्त करें।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : अन्त में, मैं यह कहूंगा कि यह बेहतर होगा कि आप श्री रामचन्द्रन के विरुद्ध कोई अन्य आयोग गठित करें। यदि आप ऐसा करें, तो यह बेहतर होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप लोक सभा में और अधिक स्थान प्राप्त करेंगे।

श्री अरविन्द नेताम (काकेर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपनी बात श्री वेंकटसुब्बैया से शिकायत से शुरू करूंगा। अगर 1980-81 की रिपोर्ट और अबकी रिपोर्ट को देखा जाए, तो हम पाएंगे कि हर साल रिपोर्ट बहुत छोटी होती जा रही है। 118 पेज की रिपोर्ट थी सन् 1980 में और अब यह 72 पेज की रिपोर्ट रह गई है। पता नहीं, होम मिनिस्ट्री इतनी कंजूस क्यों हो गई है। हालांकि कोई विषय छूटा नहीं है और सब चीजों का इसमें उल्लेख किया गया है परन्तु जितने विस्तार से चीजों को देना चाहिए था, ये दे नहीं पाए हैं।

सभापति महोदय, समय कम है इसलिए मैं केवल ट्राइबल डेवलपमेंट से सम्बन्धित बात ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास जो ट्राइबल मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट के नाम हैं उनमें से बहुत से अनुपस्थित हैं इसलिए ट्राइबल डेवलपमेंट से सम्बन्धित ही बात कहूंगा।

चौथी योजना के बाद ट्राइबल डेवलपमेंट के आउट ले में काफी वृद्धि हुई है। जहां चौथी योजना में 75 करोड़ रु० थे, टोटल आउटले का 5 परसेंट था, वह छठी योजना में 5 परसेंट इनक्रीज हुआ। मिड टर्न ऐप्रेजल में कहा गया है कि छठी प्लान में आकर के 5,000 करोड़ रु० ट्राइबल डेवलपमेंट पर खर्च होगा जिसमें सारे स्टेट प्लांस, फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स और सेण्ट्रल सेक्टर, तीनों शामिल हैं और तीनों मिलाकर 5,000 करोड़ रु० खर्च होंगे। परन्तु मुझे चिन्ता है कि जहां 75 करोड़ चौथी योजना में आज 5,000 करोड़ रु० खर्च करने जा रहे हैं तो इसका कुछ न कुछ इम्पैक्ट तो ट्राइबल एरियाज के डेवलपमेंट पर होना चाहिए।

मिडटर्म ऐप्रेजल में बात कही गई है :

"इस आदिवासी संकल्पना के लागू होने के बाद, पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के आरम्भ के समय से ही, भौतिक और वित्तीय संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। परन्तु आरोप लगाया जाता है कि इसके लाभ लक्षित वर्ग को नहीं मिल रहे हैं। इसका कारण आवश्यक प्रशासनिक तन्त्र का अभाव बताया गया है।"

यह जो बात आपने यहां लिखी है यह सही है। इतने हजार करोड़ खर्च करने के बाद मैं समझता हूं कि आपके ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैटअप की वजह से भी इसमें कमी आ सकती है। इसकी मुझे भी शंका है और इसके लिए आपके मन्त्रालय ने कुछ उपाय किए हैं। इसके पहले भी मैं कहता रहा हूं ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैटअप के बारे में होम मिनिस्ट्री जितनी जल्दी एक निष्कर्ष पर पहुंचे पहुंचना चाहिए।

आपने ट्राइबल सब-प्लान में आई० टी० डी० पी० को एक यूनिट माना है और उसके नीचे जो लोवेस्ट इकाई है डेवलपमेंट ब्लाक की, ब्लाक, आई०टी०डी०पी० और डिस्ट्रिक्ट लेविल कमेटी, इनको अगर आप देखेंगे तो आज कलैक्टर के पास इतना समय नहीं है कि जिले में आई०टी०डी०पी०के वर्क को देखे। इसमें आपने लिखा है कि आई०टी०डी०पी० का केवल सुपरवाइजरी और फारमुलेटिव रोल है। और जो यूनिट है ट्राबल सब-प्लान में लोवेस्ट यूनिट ब्लाक है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। हालांकि हायरार्की में स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को गम्भीरता से लिया, लेकिन लोवेस्ट यूनिट पर ध्यान नहीं दिया। आज ब्लाक की स्थिति यह है कि 1956 में जो ब्लाक बने करीब-करीब वही हैं। तो इनकी संख्या बढ़ाइए। और सातवीं योजना बन रही है, ब्लाक की संख्या बढ़ाने के लिए इसलिए कह रहा हूं। बहुत से ऐसे ब्लाक हैं, जिसमें दण्डकारण्य का इलाका भी मेरी कांस्टीट्यूऐंसी में आता है, ब्लाक हेड-क्वार्टर पर पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। और हर ब्लाक 50 किलोमीटर की दूरी पर हैडक्वार्टर से है। वी०डी०ओ० के पास कोई साधन नहीं है, लिमिटेड स्टाफ है। ऊपर लेविल का स्टाफ तो बढ़ाया गया, लेकिन जो फील्ड में काम करने वाले हैं उन पर ध्यान नहीं दिया। और यही कारण है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव तरीके पर जितना रिजल्ट मिलना चाहिए, ट्राइबल सब-प्लान में इतना पैसा इनवैस्ट करने के बाद भी, वह नहीं मिल रहा है। इसलिए सातवीं योजना में आपको ब्लाक के एरिया को सीमित करना चाहिए और ब्लाक्स की संख्या को बढ़ाइए इससे कुछ हद तक आपको मदद मिल सकती है। वही बात आपने पर्सनल पालिसी के बारे में मिड-टर्म ऐप्रेजल में कही है। महाराष्ट्र और गुजरात की बात भी कही है जहां काफी हद तक एक अच्छा सिस्टम है। जिन राज्यों में जिला परिषद सिस्टम है, वहां तो बहुत अच्छा है परन्तु जहां नहीं है, वहां काफी सोचने की बात है।

आपने मध्यप्रदेश का इसमें जिक्र किया है कि वहां रीजनल ट्राइबल डेवलपमेंट अथौरिटी कांस्टीट्यूट की गई है, उसमें बिहार भी शामिल है। अगर इन अथौरिटी को देखें तो आप महसूस करेंगे कि ये बिना दांत के शेर हैं। गवर्नमेंट आफ इण्डिया से या स्टेट गवर्नमेंट से जो डिस्क्रीशनरी फण्ड इन्हें मिलता है, सिवाय उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के और कोई काम इनके पास नहीं है। यह काम तो कलैक्टर या कमिश्नर भी कर सकता है रूटीन-वे में। अलग से डेवेलपमेंट अथौरिटी बनाने की जो इंटेन्शन थी, वह अभी तक पूरी नहीं हुई।

मेरे जिले बस्तर में डेवलपमेंट अथौरिटी बनी और कलैक्टर चीफ सेक्रेटरी, भोपाल के पास अपनी मीटिंग में गए और जो कैबिनेट डिसीजन हुआ, वह बात कहने लगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि :—

"आप नेता की तरह बात कर रहे हैं। एक राज्य के अन्दर एक और राज्य कैसे हो सकता है?"

यानी एक व्यवस्था में दूसरी व्यवस्था कैसे हो सकती है? यह सोचने का ढंग है और ऊपर के लेबल पर।

आपने जो इसमें महेश्वर प्रसाद रिकमैंडेशन के बारे में जिक्र किया है, उसमें खुद कहा है कि इसको इम्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। इसको तो कम-से-कम इम्पलीमेंट करने की मेहरबानी करें।

7वीं पंचवर्षीय योजना ड्राफ्टिंग स्टेज में है, इसलिए कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है। इसमें दो बातें अवश्य इन्क्लूड होनी चाहिए, जो कि मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है। ट्राइबल कल्चर में जो फोक-डांसेज और सांग्ज हैं, वह धीरे-धीरे मिटते जा रहे हैं। इनके बारे में अपनी मिनिस्ट्री में आप कहीं-न-कहीं एक अलग स्कीम बनायें ताकि देश की यह सबसे पुरानी कल्चर और आर्ट बना रहे। कल्चर प्रोग्राम खासतौर से नार्थ-ईस्ट और प्लेन एरिया के बीच में ही होने चाहिएं जो नेशनल इन्टेग्रेशन नार्थ-ईस्ट के ट्राइबल को देखे। यह दिल्ली तक ही कन्फाइन रखते हैं। इससे नेशनल इंटेग्रेशन इन्मर्जेंसी प्राबलम काफी हद तक दूर हो सकती है, यह प्रोग्राम आप शुरू करें।

आपकी मिनिस्ट्री में स्पोर्ट्स का भी कहीं-न-कहीं 7वीं प्लान में हिस्सा होना चाहिए।

देश में भविष्य में अगर खिलाड़ी निकलेंगे तो केवल आदिवासी क्षेत्रों से। जो स्पोर्ट एक्टिविटीज, जैसे बिहार में छोटा नागपुर में दिखाई दे रही हैं, वहां जो विस्तार हुआ है, उसका श्रेय गवर्नमेंट आफ इण्डिया या स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाता है बल्कि वहां के लोकल लीडर लेट जयपाल सिंह जी को जाता है जिन्होंने उसे शुरू किया था। यह उसी का रिजल्ट है। इसलिए और बहुत से इलाके हैं, जहां नेशनल टेलेन्ट हो जायेंगे आप स्पोर्ट्स को 7वीं प्लान में अपनी मिनिस्ट्री में शामिल कर सकते हैं।

कोडिफिकेशन आफ सोशल लाज को आप जानते हैं कि आजकल न्यायालयों में बहुत से झगड़े बढ़ते जा रहे हैं या लिटिगेशन बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि कस्टमरी ला आपके स्टैटुअरी ला से ऊपर होता है, फिर भी लिटिगेशन काफी बढ़े हैं। मेरी राय है कि कोडिफिकेशन आफ सोशल लाज कहीं-न-कहीं जल्दी होना चाहिए इससे लिटिगेशन कम होंगे। स्टैटुअरी लाज हर साल बदलते रहते हैं। कस्टमरी लाज को डिफाइन करने से इसमें काफी मदद मिल सकती है। सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत 75 प्रतिशत पापुलेशन को कवर करने का लक्ष्य रखा है। मैं समझता हूं कि अगर इस आखिरी साल में प्रयत्न किया जाए, तो 90 प्रतिशत पापुलेशन को कवर किया जा सकता है।

इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 72 प्रिमिटिव ट्राइब्ज का सिलेक्शन किया गया है। और भी बहुत से ट्राइब छूटे हुए हैं। आदिवासियों में वे सबसे पिछड़े हुए समुदाय हैं, अतः उनके विकास के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए।

सेण्ट्रल सेक्टर में बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं। उनमें दो और प्रोग्राम इनक्लूड करने चाहिए। देश में करीब-करीब दो हजार फारेस्ट विलेज हैं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 150 विलेज फौरेस्ट विलेज हैं, जो सब रिजर्व फारेस्ट में हैं। पिछली छः पंचवर्षीय योजनाओं में उनको विकास का लाभ नहीं मिल पाया है। फारेस्ट डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट उनके डेवेलपमेंट के काम में मदद नहीं करते। इस कारण वे आज तक विकास के लाभों से वंचित रहे हैं। मैंने इस बारे में होम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी है। मेरा निवेदन है कि उनके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में अलग से योजना बनाई जाए।

इसी तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लगे हुए लोगों की पापुलेशन सात लाख है। इनके लिए भी अलग से योजना बनाई जानी चाहिए।

छठी पंचवर्षीय योजना में 50 प्रतिशत पापुलेशन और 23 लाख परिवारों को पावर्टी लाइन से ऊपर उठाने की बात कही गई है। इसके लिए आई०आर०डी०पी० और एन०आर०ई०पी० के माध्यम से बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मेरा विचार है कि अगर एक आइटम "माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस" पर कानसेन्ट्रेट किया जाए, तो ट्राइबल्ज की बहुत बड़ी जनसंख्या को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में बहुत मदद मिलेगी। मैं कमेटी आन फारेस्ट्स एण्ड ट्राइबल्ज इन इण्डिया की रिपोर्ट के पेज 22 से उद्धृत करना चाहता हूं :—

> "बस्तर में किए गए सर्वेक्षण (1981) से पता चलता है कि एक औसत परिवार (जिसमें दो वयस्क सदस्य, कम से कम एक बच्चा और बूढ़ा हो) कोई प्रारम्भिक पूंजी न लगाकर और कोई जोखिम न उठाकर छोटे वन-उत्पादों (एम० एफ० पी०) की बिक्री से प्रतिवर्ष औसतन 1,500 रुपये (1750 रु० की कुल वार्षिक आय के स्थान पर) कमाता है। किसी पारिवारिक आय में इस मात्रा का जुड़ना महत्वपूर्ण है और देश में ग्रामीण स्थिति तथा बस्तर के आदिवासी क्षेत्र की निर्वाह अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस आमदनी में छोटे वन-उत्पादों एम० एफ० पी० की बिक्री और स्थानीय रूप से व्यवस्था उन्हें परिस्कृत करने के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि की जा सकती है।"

केवल इस आइटम के लिए बस्तर में 15, 20 करोड़ रुपए ट्राइवल्ज में बांटे जाते हैं। और योजनाओं से उनको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, लेकिन इस योजना से उनको डायरेक्ट बेनिफिट होता है। इससे फारेस्ट्स में ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की हमारी मंशा भी पूरी हो जाएगी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा जो काम्प्रिहेंसिव फारेस्ट पालिसी बनाई जाएगी, उसमें गृह मन्त्रालय का क्या रोल होगा? गृह मन्त्रालय में भी उसमें आधा भागीदार है और इसलिए उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पालिसी बने, उसमें ट्राइवल्ज के हितों की रक्षा हो।

हम लोग यह मांग करते रहे हैं कि सातवीं पंच-वर्षीय योजना नार्थ-ईस्ट्रर्न कौंसिल की तरह सैंट्रल इण्डिया कौंसिल भी बनाई जाए। चीफ मिनिस्टरों के पास इतना टाइम नहीं है कि वे डेवेलपमेंट के काम पर ठंडे दिमाग से विचार कर सकें। इसलिए यह जरूरी है कि सैंट्रल इण्डिया कौंसिल का निर्माण हो। ताकि समय समय पर इस पर रिव्यू किया जा सके।

प्लानिंग कमीशन के विशेष सहयोग या उनकी इच्छा से मध्य प्रदेश सरकार ने बस्तर जिले की अलग से योजना बनाने की बात सोची है। मैं चाहूंगा कि जो भी योजना या प्रारूप बनकर आपके या गवर्नमेंट आफ इण्डिया के पास आए सातवीं पंच वर्षीय योजना के लिए बस्तर जिले के लिए अलग से जो प्लान बनना है उसमें जितना भी हो सके आप मदद करने की कोशिश करेंगे।

आदिवासी क्षेत्र में काफी एक्सट्रीमिस्ट ऐक्टिविटीज भी हैं। मन्त्री जी के स्वयं के स्टेट में है और मैं उस स्टेट के बोर्डर पर हूं। मैं चाहूंगा कि इस ओर भी बहुत गंभीरता से सोचकर राज्य सरकारों के द्वारा जो भी कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। वह उठाए जायं ताकि इस प्रकार की ऐक्टिविटीज कम हों और प्रशासन स्वच्छ ढंग से चले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं गृह मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : सभापति महोदय, गृह मन्त्रालय के अनुदानों पर चर्चा हो रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देश का जो सबसे बड़ा विधान था, वह संविधान और विधान चाहे सरकार ने बदला हो या न बदला हो, प्रेक्टिकली. उसमें हर जगह संशोधन हो गया है और ईश्वर का विधान भी बदला है। उस विधान को भी गृह मन्त्रालय ने अपने हाथ में ले लिया है। आज तक सुरक्षा की जिम्मेदारी थी अपने गृह मन्त्रालय पर, पुलिस पर, प्रशासन पर लेकिन मालूम यह होता है कि पुलिस काम डाकुओं ने ले लिया है और डाकुओं का काम पुलिस ने ले लिया है। दोनों ने अपने अपने विभाग औरकामों को बदल लिया है।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री जयपाल कश्यप : आपके भी क्षेत्र में हत्याएं हो रही हैं। बिहार में बहुत ज्यादा हत्याएं हो रही है।

भगवान का भी विधान बदल गया है। लोगों के प्राण लेने का काम कभी भगवान का रहा होगा आज तो पुलिस प्रशासन का काम यह हो गया है लोगों का प्राण लेने का। फर्जी एकाउन्टर और मुठभेड़ दिखा कर लोगों की जान ले ली जाती हैं। आज आपके स्वयं के अधिकारी और कर्मचारी भी अपनी सुरक्षा के लिए आपके पास नहीं जाते हैं। आज वह जाते हैं भिण्डरावाले के सामने, उनकी पत्नियां जाती हैं और कहती हैं कि हमारे पति फलां जगह अधिकारी हैं, उनकी जान बख्स दें या वह अधिकारी स्वयं जाते हैं उनके सामने। आपके गृह मन्त्रालय पर और प्रशासन पर अब उनको विश्वास नहीं रह गया है। तो संविधान में प्रैक्टिल संशोधन और ईश्वरीय विधान में संशोधन बहुत गंभीरता का विषय बन गया है और देश का कोई भी व्यक्ति चाहे ट्रेन पर चले, बस में चले, अच्छा संवाददाता हो, समाज की सेवा करने वाला हो, अच्छा ऐडवोकेट हो, राजनीतिज्ञ हो, सरकारी कर्मचारी हो या व्यापारी हो, कोई भी अपने को सुरक्षित नहीं पा रहा है। किसी क्षेत्र में उसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : आपकी क्या दशा है ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप : आपसे ज्यादा अच्छी है। आज संविधान को जलाया जा रहा है, लेकिन संविधान को जलाने की प्रक्रिया तो आपके सत्तारूढ़ दल ने यहां पर बैठकर शुरू की। एक तरफ तो वे उग्रवादी लोग आर्टिकल (25) को जला रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर—वह मांगें सही हैं या गलत उस पर मैं नहीं जाता—और दूसरी तरफ यहां जो संविधान में गारन्टी दी गई थी, जो निर्देशक सिद्धान्त रखे गए थे, यहां के गरीब पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों एवं आदिवासियों को जो गारन्टी दी गई थी उन आर्टिकल्स की पूर्ण उपेक्षा करके आपने भी संविधान का दहन किया है उसको जलाया है। यह कार्य आपकी सरकार कर रही है जिसके लिए आप उत्तरदायी हैं। दूसरे लोग जो कुछ कर रहे हैं उनका दहन तो रुकेगा लेकिन आप कर रहे हैं, जो आप इस देश के लोगों से मजाक कर रहे हैं उससे हमको बहुत बड़ा कष्ट पहुंच रहा है। आपका यह मजाक कितना भयंकर साबित होगा यह तो समय ही बतायेगा। इस देश के पिछड़े लोगों को आगे बढ़ने के लिए विशेष अवसर चाहिए। संविधान के आर्टिकल (340) के अन्तर्गत पहले काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक बैकवर्ड कलासेज कमीशन की स्थापना की गई थी लेकिन उनकी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने मण्डल आयोग की स्थापना की और उस रिपोर्ट पर भी आप दांव-पेंच खेल रहे हैं जैसे कि

किसी दंगल में पहलवान सोचते हैं कि कौन सा दांव मारा जाए। अगर बैकवर्ड क्लास के लोग भी कुछ बलवान होते और दांव चलाना जानते तो आज शक्ति संतुलन दूसरी जगह ही होता। इसलिए आप उनके साथ दांव-पेंच मत चलाइए। कभी आप कहते हैं कि मण्डल की कमीशन की सिफारिशों पर मुख्य मन्त्रियों की राय ली जा रही है, कभी कहते हैं कि सचिवों के पास इसको भेजा गया है और कभी कहते हैं कि मन्त्रिमण्डल की सब-कमेटी के पास भेजा गया है। मतलब यह कि किसी न किसी प्रकार से आप उसको टालते जा रहे हैं ताकि चुनाव आए और उसमें इसको आप कोई मुद्दा बनाएं जिससे कि आपको वोट मिल सकें। यदि सरकार में हिम्मत है तो वह मण्डल कमीशन की सिफारिशों पर खुलकर सामने आए और बताए कि वह सही हैं या गलत हैं और अगर सही हैं तो उनको पूरा कीजिए। आपको चाहिए कि आप साफ साफ बतायें कि किस सीमा तक आप इनको पूरा कर सकते हैं, किस सीमा तक पूरा नहीं कर सकते हैं और कहां तक आप पूरा करना चाहते हैं। आप इस संसद को साफ साफ बताइए। इस के 50-60 फीसदी लोगों के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। देश के लोग आपसे इस बारे में साफ साफ जानना चाहते हैं। इसको बहुत लम्बा टालना अच्छा नहीं होगा। (**व्यवधान**) आप हंस लीजिए। आप पिछड़े लोगों पर हमेशा हंसे हैं लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग भी अब आपको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। (**व्यवधान**)

मैं गृह मन्त्री जी से बड़े ही विनम्र शब्दों में आग्रह करूंगा कि मण्डल की कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार की क्या नीति है और क्या आप उसे लागू कर रहे हैं, वह स्पष्ट कर दें। देश इसको चाहता है और हम भी जानना चाहते हैं कि पिछड़ों के लिए आप के दिल में कितना दर्द है और कितनी हमदर्दी है। यही बात हमारे हरिजन और आदिवासियों के साथ भी है।

3.55 म० प० (**श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए**)

उत्पीड़न की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। सामूहिक हत्याएं और किस तरह से उनको झूठे मुकद्मों में फंसाकर परेशान किया जाता है। आज स्थिति यह हो गई है कि आपके प्रशासन में भी उनके साथ जांत-पांत का व्यवहार किया जाता है। अधिकारियों और पुलिस से लेकर चाहे कोई भी आपका प्रशासनिक अधिकारी है। चाहे प्रोमोशन का मामला हो, चाहे रिक्रूटमेंट का मामला हो और चाहे न्याय की बात हो—हर जगह पर जांत-पात के नजरिए से देखा जाता है। उत्तर प्रदेश की बात जानता हूं। उत्तर प्रदेश में बहुत से जिले हैं, जहां पर पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति के बहुत से काबिल अधिकारी रहे हैं, लेकिन उनको नीचे पटका गया और एक विशेष जाति के लोग को, चाहे वह एस० एच० ओ० या किसी भी पद पर हो, एक जाति के लोगों को रखा जाता है। जो बैकवर्ड शैड्यूल्ड कास्ट लोग हैं, दूसरी भी जाति के लोग हैं, जो उस वर्ग में नहीं आते हैं, उनके साथ भी अन्याय होता है। बदायुं जिले के एस० एच० ओ० को ही ले लीजिए। किसी भी थाने को उठाकर देख लीजिए। एक विशेष जाति के लोगों के सारे खून माफ हैं, सारी गलतियां माफ हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है। सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए, जिससे लोगों के अन्दर न्याय के प्रति विश्वास पैदा हो, देश के संविधान के प्रति विश्वास पैदा हो, इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाता है।

अब मैं आपका ध्यान फिशरमैन कम्यूनिटी की तरफ दिलाना चाहता हूं। धीवर, मल्लाह, कहार, निषाद, माझी, कीट, मोछी, गोंड, कोली आदि जो मछुआ समुदाय के लोग हैं और बहुत बड़ी संख्या में हैं। इन लोगों के साथ देश में कभी न्याय नहीं होता हैं. उन्होंने मांग की है कि मण्डल कमीशन

पार्ट-1 के पेज-54 पर जो रिपोर्ट है, विविध 13.37 पार्ट-1—देश के कुछ भागों में मछुआरों, बनजारों, बांसफोब खटवे आदि जैसे व्यावसायिक समुदाय अभी भी छुआछूत के कलंक से पीड़ित है। उन्हें आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सूची बद्ध किया गया है, किन्तु उनको अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है।

1. उनके उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक-शैक्षणिक और आर्थिक उपाय केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर किए जाने के किए पिछड़ा वर्ग विकास निगम स्थापित किए जाने चाहिए।

2. उनके हितों की रक्षा के लिए केन्द्र तथा राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पृथक् मन्त्रालय विभाग स्थापित किया जाना चाहिए।

3. अन्य पिछड़े वर्गों के कुछ बहुत पिछड़े हुए वर्गों को जैसे हिमाचल प्रदेश में गद्दी, महाराष्ट्र में नव-बौद्ध, तटीय क्षेत्रों में मछियारे, जम्मू-व-काश्मीर में गूजर आदि को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि परिसीमन के समय उनके गहन क्षेत्रों को पृथक् क्षेत्रों को पृथक् क्षेत्र के रूप में निर्मित किया जाए।

4. आज जो सामाजिक, शैक्षणिक आदि रूप से पिछड़ गए हैं, उनके धन्धे भी पिछड़े हैं। उनको किसी भी प्रकार की सुविधायें नहीं मिलती हैं। उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने के लिए सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जा रहा है। गृह मन्त्री जी ने भी संसद में, प्रश्नों के उत्तर के समय भी आश्वासन दिया है, लेकिन यह सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है।

4.00 म० प०

उन्हीं की तरह अन्य दस्तकार समाज भी हैं, जैसे कुम्हार, गडरिया, माली, बढ़ई, लोहार, नाई, आदि। इन्होंने सच्चे मन से समाज की सेवा की है, लेकिन आर्थिक रूप से इसलिए पिछड़े है कि उन्होंने इन जातियों में जन्म लिया है, सामाजिक रूप से इसलिए उनको सम्मान नहीं मिलता है कि उन्होंने इन जातियों में जन्म लिया है, शिक्षा के अवसर इसलिए नहीं मिलते हैं कि वे गरीब हैं और पददलित समाज में पैदा हुए हैं। आपने कभी भी इनके लिए गम्भीरता से विचार नहीं किया है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में नायक साहब ने इनके लिए डिसेन्टिंग नोट लिखते हुए अतिरिक्त विशेष अवसरों की मांग की है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न को गम्भीरता से लें और इनकी परेशानी को दूर करने के लिए जो भी सुविधाएं इनको दी जा सकती हैं उन पर जल्द से जल्द निर्णय लें ताकि देश का भाग्य बनाने में ये भी हिस्सा ले सकें।

हमारे अनुसूचित जातियों तथा असूचित जनजातियों के भाइयों के लिए जो आरक्षण हैं वे आप के कुछ निर्देशों पर आधारित हैं, जिनको कहीं पर माना जाता है और कहीं पर नहीं माना जाता है। वे निर्देश इतने दुर्लभ हैं कि जिन कर्मचारियों को वह आरक्षण दिया जाना चाहिए या जिनको प्रमोशन मिलना चाहिए, उनको वे निदेश प्राप्त ही नहीं होते हैं और अगर किसी को मिल गए तो अधिकारी लोग उन निर्देशों की अवहेलना करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन निर्देशों को कोडिफाई करें, इनका एक्ट बनाया जाय कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए जो आरक्षण निर्धारित किया गया है उसका इम्प्लीमेन्टेशन किस ढंग से होगा। उसका पूरा प्रोसीजर बना दिया जाय और जो लोग उसकी

उपेक्षा करते हैं या जो संस्थाएं उसकी उपेक्षा करती हैं, उनको लागू करने से कतराती हैं या किसी तरह से भेदभाव करती हैं उनके लिए पीनल ला होना चाहिए, आप कानून में इस तरह की व्यवस्था कर दीजिए कि वह दण्डनीय हो ताकि संविधान में जो व्यवस्था हमने इन क्लासेज के लिए की है उन अधिकारों की रक्षा सही रूप से हो सके। यह इसलिए आवश्यक है कि जब कभी कोई प्रमोशन का मामला आता है और यह देखा जाता है कि इसमें कोई शेडयूल्ड कास्ट या शेडल्यूड ट्राइब का अधिकारी इन्वाल्व है, तो पहले से ही उसकी सी० आर० में बैड-एन्ट्री कर दी जाती है जिसको उस अधिकारी को पता तक नहीं होता है। जब प्रमोशन का मामला लिया जाता है तो बैड एन्ट्री सामने आ जाती है और उसको उस प्रमोशन से वंचित कर दिया जाता है। बिना कोई एक्सप्लेनेशन मांगे, उसको सफाई देने का कोई अवसर दिए बिना ही उस बैड एन्ट्री के आधार पर उस प्रमोशन से वंचित कर दिया जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम वीकर सैक्शन्ज के लिए या जिनके लिए आरक्षण है उनकी सी०आर० में बैड-एन्ट्री करने से पहले उनको शो-काज नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि उनको भी उसकी जानकारी मिल सके और उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिल सके। मैं तो यह चाहता हूं कि इस तरह का व्यवहार सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ होना चाहिए। गृह मन्त्री जी मेरा आपसे अनुरोध है—आप इस तरह की कार्यवाही के लिए आदेश दें ताकि उन लोगों को यह विश्वास हो सके कि हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है।

जहां तक आपके पुलिस प्रशासन की बात है मैं तो यह कहूंगा कि इसका केन्द्रीकरण कर दो। आज जो शिकायतें आ रही हैं, चाहे एन्काउन्टर की हों, फाल्ज प्रासीक्यूशन की हों—इस ओर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। मैं अभी एक गांव में गया था। वहां के एक बहुत ही बुजुर्ग सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं, वे कहते हैं कि थाना तो आज अपराधों का अड्डा बन गया है। अगर वहां पर मां-बहन चली जाएं तो वहां से सही सलामत वापिस नहीं लौटतीं। दिल्ली में 5-6 महीने के अखबार उठाकर देख लीजिए, थानों की शिकायतें देख लीजिए। अभी तो सारी घटनाएं अखबारों में आ नहीं पातीं। लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। आपके पास कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है जिससे आप जांच करा सकें। आप मुल्जिम से, पुलिस वालों से पूछते हैं कि क्या तुमने यह अपराध किया है। वे कहते हैं कि हमने नहीं किया है। उल्टा शिकायत करने वाले को फंसा दिया जाता है। आपके पास कोई इंडिपेंडेंट मशीनरी नहीं है जिससे आप जानकारी प्राप्त कर सकें। कितने ही नौजवान आज पुलिस कस्टडी में मारे जा रहे हैं। उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, बताया जाता है। इसी प्रकार गोली चलाने के आपने पूरे अधिकार पुलिस वालों को दे रखे हैं। किसी भी प्रदर्शन को वे नाजायज करार दे दें और गोली चला दें। इस तरीके को आप बदलिए। 303 की जगह दूसरी गोलियां दीजिए जिससे आदमी घायल हो, मरे नहीं। जिनको दूर से मारा जा सकता हो।

प्रो० एन० जी० रंगा (गंटूर) : यदि आपके पास कोई विशिष्ट उदाहरण है, उसे राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाइए। यदि आप आम वक्तव्य देते हैं, तो कोई उस पर कैसे कार्यवाही कर सकता है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मन्त्री महोदय को सारी जानकारी है, मैं वह भी यहां बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत समय देना पड़ेगा। दो चार सौ शिकायतें तो एक साल के अन्दर मैंने आपको भेजी होंगी।

अभी कुछ महीने पहले आपको एक पत्र भेजा था, बदायूं जिले के थाना बिनावर के थानाध्यक्ष

ने एक व्यक्ति को बुलाकर जो कि बैंक से रुपए लेकर आ रहा था, उससे रुपए छीन लिए। डी० आई० जी०, आई० जी० को पत्र लिखा, मुख्यमन्त्री को और आपको पत्र लिखा। आपका भी एक प्यारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें प्रदेश सरकार को कार्यवाही करने के लिए लिखा गया है। लेकिन आज तक मौके पर पहुंच कर किसी ने जांच तक नहीं की। डी० आई० जी० साहब का पत्र भी आ गया है, मुख्य मन्त्री जी का भी आ गया है। कई महीने हो जाने के बाद भी घटना स्थल पर जांच करने के लिए भी कोई नहीं गया।

बदायूं जिले में थाना काबरचौक में हरिजनों ने कथा कराई और वहां पर मल्लाह दावत खाने पहुंच गए खाना मिलकर खाया। थानेदार ने जाकर पंचायत कर दी और इनका बिरादरी में हुक्का पानी बन्द कर दो। उन लोगों ने अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत एस० एच० ओ० कादरचौक के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज कराई है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, बल्कि उनको धमकियां दी जाती हैं। मैं उन घटनाओं पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं मन्त्री महोदय को उनसे बराबर अवगत कराता रहा हूं। आज भी मुझे जो सूचनाएं मिलती हैं वह मैं आपकी ओर भेजता हूं। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था कराई जाए।

एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि आज देहात में आर्म्स लायसेंस सुरक्षा की दृष्टि से कम और स्टेट्स की दृष्टि से लोग अधिक लेते हैं। बंदूक लेकर बारात में जाएंगे तो हमारी इज्जत होगी। रायफल लेकर निकल जाएंगे तो लोग हमको सलाम करेंगे। अगर कोई गरीब आदमी सुरक्षा के लिए लायसेंस चाहता है तो उसके लिए लिख दिया जाता है कि इसका स्टेट्स इस लायक नहीं है कि इसको लायसेंस दिया जाए। शेडयूल्ड कास्ट्स या बैकवर्ड क्लास के आदमी को चाहते हुए भी लाइसेंस नहीं मिलता। इसलिए, गरीब लोगों को लाइसेंस देने में वरीयता देनी पड़ेगी। कारतूस की शक्ति को कम कर दीजिए लेकिन लाइसेंसों की संख्या बढ़ा दीजिए जिससे स्टेटस का चिन्ह न रहे। इस पर आपको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। इलाहाबाद में गरीबों की फसल बलपूर्वक काटने की व्यवस्था इसलिए कर ली गई क्योंकि जो काटने गए थे, उनके पास बंदूकें थी और जिन्होंने बोई थी उनके पास सिर्फ लाठियां थीं। पांच मार्च को कालिंग अटेंशन के समय हमने सुझाव रखा था कि कारतूस का प्रयोग क्राइम्स में अधिक होता है इसलिए उस पर नम्बर डाल दिया जाए तो उससे स्रोत का पता लग जायेगा कि यह कहां से आया है। ऐसा अगर हो जाए तो डाकुओं के हथियार रखे रह जायेंगे और गांव वाले उनका अच्छी तरह से मुकाबला कर लेंगे। पुलिस पर लोगों का अधिक विश्वास नहीं है कि होना चाहिए। अच्छा यही होगा कि देहात में सुरक्षा समिति बनाएं या स्वयं सेवक तैयार करें जो गांव वालों की सुरक्षा कम से कम क्रिमिनल्स से तो कर सकें। हर गांव में दस-दस या पन्द्रह-पन्द्रह लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, जो मौका पड़ने पर सुरक्षा कर सकें। दिल्ली या बाहर की स्थिति देख लीजिए। जहां पर थाने कम हैं वहां पर क्राइम्स भी कम है और जहां पर थाने ज्यादा हैं वहां पर क्राइम्स भी ज्यादा हैं। जहां पर थाने कम हैं, वहां पर लोग डाकुओं से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं इसलिए क्राइम्स कम होते हैं। पुलिस के काम को दो हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। इसमें इन्वेस्टीगेशन के लिए एजेंसी अलग होनी चाहिए। आजकल तो थानेदार ही कम्पलेन्ट नोट करता है, इन्वेस्टीगेट करता है, चार्जशीट देता है और विटनेस का भी काम करता है। झूठे मुकदमें जो आज चल रहे हैं, वे चलते रहेंगे अगर उनको चैक नहीं किया जाय। सिविल या रेवेन्यू कोर्ट में जो पार्टी हारती है, उसके खिलाफ डिक्री बनाकर पैसा वसूल कर लिया जाता है। चार-पांच साल तक जो जेल में रहता है उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता। इसलिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे एडवोकेट की फीस, पेपर और टिकट आदि पर जो

खर्चा होता है, उसका मुआवजा कम्पलसरी मिल सके। जो फाल्स प्रासीक्युशन होता है, उसका कम्पन-सेशन मिलना चाहिए। यह ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए सहनी पड़ती हैं, और जरूरत से ज्यादा लोग परेशान होते हैं।

कुछ जातियां कुछ स्टेटस में शेडयूल्ड कास्ट्स में हैं और कुछ में उनको नहीं रखा गया। उन्हें सभी राज्यों में एक सा स्टेटस मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में माझी, दिल्ली में मल्लाह और बंगाल में केवट को ले लीजिए। एक ही जाति है, शादी विवाह होते हैं, एक जैसा स्टेटस है, लेकिन कहीं बैकवर्ड माना गया है, कहीं ट्राइब्स माना गया है और कहीं पर शेडयूल्ड कास्ट में इनको रखा गया है। इस तरह की सारी जातियों को समान स्टेटस दिया जाना चाहिए ताकि लोगों में विश्वास हो सके और इस बारे में गृह मन्त्रालय को 1, 2 महीने में निर्णय ले लेना चाहिए।

अब मैं पंजाब के बारे में कहना चाहता हूं। देश की निगाहें पंजाब पर हैं। हर जगह यही चर्चा है कि पंजाब का मामला किस तरह से हल होगा। मंत्री जी, आपकी नीयत पर मुझे शक नहीं है क्योंकि मैं आपको जानता हूं, लेकिन सरकार की नीयत पर सन्देह है। आप जो आदेश देते हैं, आपने कहा जो भी क्रिमिनल्स गुरुद्वारे में छिपे हुए हैं अगर उनको एक सप्ताह के अन्दर पुलिस के हवाले नहीं किया जायेगा तो हमारी पुलिस वहां घुस जाएगी। लेकिन 24 घंटे बाद ही उसका कट्राडिक्शन आता है। यह क्यों कंट्रा-डिक्शन हुआ। भिण्डरवाला क्यों पकड़ा गया और बाद में छोड़ा गया ? आप साथ बैठकर बातचीत करके इसका निर्णय कर लें और उनके दिमाग में जो गलतफहमियां हैं वह दूर होनी चाहिए। क्योंकि पूरे राष्ट्र की एकता का प्रश्न है। अन्यथा विदेश भी उसका फायदा उठा सकते हैं, पड़ोसी देश जो हमें नुक्शान पहुं-चाने पर लगे हुए हैं वह उसका ज्यादा फायदा उठायेंगे। हमको अपने भाइयों को समझा बुझाकर साथ ले लेना चाहिए और सरकार को सख्ती भी बरतनी चाहिए। प्रशासन सख्ती से चलता है। जब पुलिस अधिकारी अपने प्राणों की रक्षा के लिए जायेगा हत्यारों के पास वहां जाकर अगर भीख मांगेगा प्राणों की तो ऐडमिनिस्ट्रेशन से लोगों का विश्वास उठ जायेगा।

असम में बाहरी लोग आ रहे हैं, देश में और जगहों पर भी आ रहे हैं, आखिर इनका खर्चा कैसे उठाया जायेगा। असम का मामला हो, या ला ऐंड आर्डर की हालत हो, हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे बिहार की बात जहां 12, 14 बच्चों का मर्डर होता है, अपहरण होता है, फर्जी एन्काउन्टर्स में लोगों को मारा जाता है। इसके लिए आपको ट्राइब्यूनल बना देना चाहिए ताकि जहां भी ऐसा केस रजिस्टर हो वह ट्राइब्यूनल जाकर जांच करे और जो ऐनकाउन्टर्स हुए हैं जिनमें हजारों लोग मारे गए हैं उनके प्रति कार्यवाही की जाय। ऐसा करने से लोगों की जानमाल की सुरक्षा होगी।

बरेली की बार एसोसियेशन ने आपको लिखा, हमने लिखा, सारे एडवोकेट्स ने मांग की, वहां पुलिस किस तरह से असामाजिक तत्वों को बुलाकर जलूस निकलवाती है और एस० पी० आफिस में उनको चाय पिलाई जाती है, वकीलों की पैरवी करने से रोका जाता है, इस तरह की स्थिति वहां महीनों रही। वहां की जनता और एडवोकेट परेशान रहे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। एडवोकेट्स आज भी चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। लेकिन सरकार उनको न्याय नहीं दे पायी। डाक्टर, एडवोकेट, प्रोफेसर, संवाददाता, समाज के सामाजिक कार्यकर्त्ता हों···माननीय अध्यक्ष जो ने कहा कि हमारे सांसदों को और विधायकों को एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव पर निगरानी रखनी चाहिए। हम एग्जीक्यूटिव को भी वेजा रूप से दबाना चाहते हैं, ट्रांस्फर के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं, गलत काम

कराने के लिए पहुंच जाते हैं लेकिन हमारा यह काम न होकर निगरानी का और सतर्कता का काम होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव पर हमें वाच रखनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी ने जो कुछ कहा है, वह आज अखबारों में निकला है। मैं उसका स्वागत करता हूं और मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि इसको गम्भीरता से सोचें। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मोतरम सदर साहब, मैं आपका शुग्रगुजार हूं कि आपने मुझे होम मिनिस्ट्री की डिमांडज पर बोलने का मौका अता फरमाया। मैं इन डिमांडज की पूरी ताइद करता हूं और चन्द बात अपनी और अपने दोस्तों की तरफ से कहना चाहता हूं।

कांस्टीट्यूशन इस मुल्क में 1950 में लागू हुआ और 1952 में पहली बार अडल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर इलैक्शन हुए और उसके बाद अब तक होते चले आ रहे हैं और हर साल कांस्टीट्यूशन के आधार पर यहां बजट पेश होते हैं और हम लोग राजी-खुशी उन्हें पास कर देते हैं।

कांस्टीट्यूशन के मुताविक हम लोगों की, और सदर साहब आपकी जिन्दगी भी यहां 5 बरस की है और इस एवान की जिन्दगी भी 5 बरस की है। सारे मेम्बर्स इस बात की यहां शिकायत करते चले आ रहे हैं कि जो कुछ भी बात यहां होती है, उसका एग्जीबयूशन ठीक तरह से नहीं होता। हम लोग पालिसी फ्रेमर हैं, पालिसी बनाते हैं। हम लोग पब्लिक एक्सचैकर के जामिन हैं और हम उसे खर्च करने की इजाजत भी देते हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव वाडी इसकी कहां तक पूरा करती है, यह गौर-तलब बात है और यह डेमोक्रेसी पर क्वैश्चन मार्क है।

हर साल यह बात होती है कि हमने फलां-फलां योजना के तहत फला-फलां डिपार्टमेंट को इतने हजार करोड़ रुपए दिए और इस काम के लिए दिए, लेकिन जब उसकी समीक्षा होती है तो देखते हैं कि वह रुपया अन-यूटिलाइज्ड है और अगर यूटिलाइज भी हुआ है तो उसमें सैकड़ों केसेज गवन के हैं। उसकी एक वजह मेरी समझ में आ रही है। समझा जाता है कि जो इस हाउस के नुमाइन्दे हैं या असेम्बलीज के नुमाइन्दे हैं वही इसके एकाउन्टेबल हैं। मेरा कहना यह है कि जिस तरह से हम नुमाइन्दे इसके एकाउन्टेबल हैं, उसी तरह से एग्जीक्यूटिव पर भी इसकी एकाउन्टेबलिटी है। यहां के मेम्बर की या असेम्बली के मेम्बर की 5 साल की जिन्दगी होती है। कांस्टीट्यूशन में वक्त के मुताविक, जरूरत के मुताविक अमेंडमेंट होते रहते हैं। मेरी छोटी सी राय है कि सर्विसेज के लोगों का भी 4 वरस के लिए कांट्रेक्ट होना चाहिए। अगर वे अच्छा काम करेंगे और इस सदन या असेम्बली की मर्यादा को बनाए रखेंगे, तो उनके अच्छे काम से खुश होकर उन्हें और चार वर्ष की एक्सटेंशन दे दी जाएगी। अगर यह कदम नहीं उठाया जाएगा, तो हर साल पार्लियामेंट में बजट और मिनिस्ट्रीज की डिमांड्ज पास होंगी, हम लोग ही एकाउन्टेबल माने जाएंगे, हम लोग जीतेंगे और हारेंगे, और वे लोग 58 वर्ष की उम्र तक राज करते रहेंगे। इस लिए मुल्क की जरूरियात और समाज की भलाई के लिए आर्टिकल 310, 311 और दूसरे आर्टिकल्ज में तब्दीयी की जाए। इसमें हम लोग सरकार के साथ हैं। इस तरह एक्सीक्यूटिव पर यह बंधन होगा कि पार्लियामेंट जो पास करती है, वह उसे लागू करे। इससे मुल्क और समाज ऊपर उठेंगे।

होम मिनिस्ट्री कस्टोडियन है सारे मुल्क की। यह वही इम्पार्टेन्ट मिनिस्ट्री है और यह बहुत मजबूत मिनिस्टर के हाथ में हैं। इसके तहत नेशनल इनटेग्रेशन कौंसिल का भी काम होता है। इसकी

पहली मीटिंग काश्मीर में हुई थी और हाल ही में दिल्ली में हुई है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, नेशनल इनटेग्रेशन कौंसिल का एक अहम रेजोल्यूशन यह है कि ऐसी कोई बात अखबारों और स्कूल-कालेजों की किताबों में न आए, जिससे मुल्क में मुनाफरत और एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावना फैले। सवाल पैदा होता है—और यह भी इस मिनिस्ट्री के लिए एक क्वेस्चन मार्क है—कि 1952 से लेकर आज तक रेजोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है, अगर नहीं हुआ है, तो उसके लिए कौन रेसपोंसिवल है, यह ऐवान रेसपांसिवल है या ब्यूरोक्रेट्स रेसपांसिवल हैं, अगर वे लोग रेसपांसिवल है, तो यह ऐवान इस सिलसिले में क्या कार्यवाही करने जा रहा है अगर कोई फेल्युर होती है, तो किसी पर उसकी जिम्मेदारी डालनी होगी कि फलां आदमी या फलां विभाग की वजह से यह त्रुटि या कमी रही है और उसके खिलाफ मुनासिव कार्यवाही होनी चाहिए।

जहां तक मुझे याद है, दूसरा फैसला यह हुआ था कि अकलियत के इलाकों में, जहां मुसलमानों की आबादी है, वहां उनका कांफिडेंस गेन करने के लिए एक्सीक्यूटिव के अफसर मुसलमान रखे जाएं, ताकि वे तहफ्फुज महसूस करें। इस सिलसिले में कितना काम हुआ है? जिस जिले से मैं आता हूं, मेरे विचार में वहां पर शायद कोई एक्सीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मुसलमान नहीं है, हालांकि वहां पर 48 परसेंट मुसलमान हैं और 52 परसेंट नान-मुस्लिम हैं।

नेशनल इनटेग्रेशन कौंसिल हमारी सुप्रीम बाली है, जो पूरे मुल्क को एक सूत्र में बांधने वाली है। तो फिर उसका रेजोल्यूशन फ्लाउट क्यों होता है, क्यों उस पर अमल-दरामद नहीं होता है। इसी लिए मैंने कहा है कि यह होम मिनिस्ट्री के लिए क्वेस्चन मार्क है कि यह कैसे लागू हो, उस पर कैसे अमल हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है।

अगर आपकी इजाजत हो, तो मैं एक अखबार की कटिंग में से चन्द अलफाज पढ़ कर सुना दूं।

इससे जाहिर होगा कि अगर इस किस्म के अल्फाज छपते रहे तो हम सेक्युलरिज्म की सारी बातें करते रहें, डेमोक्रेसी की सारी बातें करते रहें और इंटीग्रेशन की सारी बातें करते रहें, दूसरी तरफ इनको छूट देते रहें तो मेरे ख्याल से यह मकसद पूरा होने वाला नहीं है। यह एक बुलेटिन आई है, इसमें मिस्टर नरिन्दर ने अपने 'एडिटोरियल एकात्मता थ्रू बुक्स' जो कि 1-2-84 के डेली प्रताप में निकला है, में यह कहा है कि मुसलमान तलवार की ताकत पर विलीव करता है। एक मुसलमान किसी गैर-मुसलमान सरकार के प्रति निष्ठावान रहना पसन्द नहीं करता?

अगर इस किस्म के अल्फाज छपते रहे और इस किस्म का प्रचार होता रहा तो मुलाहिजा फरमाइए कि कहां तक कामयाबी होगी? ऐसी चीजों पर पाबन्दी होनी चाहिए।

भाई जैनुल वशर साहब कर रहे थे कि पंजाब को छोड़कर बाकी सब जगह स्थिति सामान्य है। ···(व्यवधान)···मैं भाई जैनुल वशर की बात कोट कर रहा था। बात भी कुछ ऐसी है, लेकिन उतनी बात नहीं है। कुछ स्टेट्स में गड़बड़ियां है, उनको दूर किया जाना चाहिए।

अभी एक भाई ने कुछ रेफरेंस दिया है मेरे स्टेट की तरफ और कहा है कि वहां कुछ हरिजन जलाए गए। मैं अर्ज करूंगा कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा फिरकेवाराना जहन जो रहते थे और जिन्होंने वहां फिरकेवाराना फसाद फैलाया था विहार शरीफ में, उनको कानून ने कड़ी से कड़ी सजा दी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं।

अभी भाई सोमनाथ चैटर्जी फरमा रहे थे, इत्तफाक से यह अखबार मेरे हाथ में आ गया है, तो उसको मैं जरा कह दूं तो अच्छा रहेगा। आप को याद होगा कि जब वाउन्ड्री कमीशन का एवार्ड हुआ तो किशनगंज पार्लियामेंट्री कांस्ट्रीच्यूएंसी का पूरवी हिस्सा, यानी करन्दगी, दलकोला, इस्लामपुर और चोपड़ा, इनको विहार से काटकर वेस्ट बंगाल को दे दिया गया। उस वक्त यह अन्डरस्टैन्डिग दी गई थी कि यह इलाका चूंकि उर्दू का इलाका है और बिहार का हिस्सा है, इसलिए इसकी सोशल, एकोनामिक और कल्चरल पोजीशन की पूरी तहफ्फुज होगी, इनकी तालीम की पूरी तहफ्फुज होगी। यह उस वक्त की अन्डरस्टैंडिग थी। यह एक फैक्ट है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस्लामपुर एक असेम्बली हलका है वेस्ट बंगाल का। यह मेरी कांस्टीच्यूएंसी के पूरव पड़ता है। यह एक अखबार है उर्दू वीक्ली "हमारा परचन" उसमें कुछ खबर आई है कि जो वहां पर उर्दू एजूकेशन हुआ करती थी जब वह बिहार का हिस्सा हुआ करता था, वह करीब-करीब खत्म कर दिया गया है। यह उस अखबार 'हमारा परचन' में छपा है :

"इस्लामपुर जिला भगरिवी दीनाजपुर वेस्ट बंगाल में उर्दू तालीमयाफ्ता बेरोजगारों का नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज में दर्ज है। इत्तफाक से उन्हें इन्टरव्यू के लिए भी तलब किया जाता है तो उन्हें मुश्किल मरहलों का सामना करना पड़ता है। एकुम जनवरी 1984 को वेटरनरी इन्सपेक्टर के तहरीरी इम्तहान के लिए वालूरघाट और मालदा में तलब किया जाता है तो उन्हें मुश्किल मरहलों का सामना करना पड़ता है। एकुम जनवरी 1984 को वेटरनरी इन्सपेक्टर के तहरीरी इम्तहान के लिए वालूरघाट और मालदा में तलब किया गया जिसके सवालमुमा का कुल नम्बर 40 था। अंग्रेजी का बंगला या नेपाली में तर्जुमा-15 नं०, हिसाब 16 नम्बर और जनरल नौलेज 9 नम्बर। सवालात बंगला में थे।"

···आप बताइये कि उर्दू दमां उम्मीदवार अंग्रेजी का बंगला या नेपाली में तर्जुमा कैसे कर सकता है ? इसी तरह दो बरस पहले वालूरघाट, मगरिवी दीनाजपुर में के पी० एस० के लिए तहरीरी इम्तहान हुआ था जिसमें एक सवाल ऐसा भी था कि मजमून निकारी बंगला जवान में करनी पड़ेगी जिसके नतीजे में उर्दू दां उम्मीदवार अपना वक्त हाल में गुजार कर नामुराद वापिस हो गए।

अगर सोशियो एकोनामिक और एजूकेशनल बचाव का यह नतीजा हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। एक सवाल यह पैदा होता है कि जो कमिटमेंट वाउन्ड्री कमीशन के वक्त पर हुआ था उसको अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो हमारा दिल अभी भी खुला हुआ है हम उस हिस्से को लेने के लिए तैयार हैं, आप वापिस कर दीजिए अगर आप तहफ्फूज नहीं दे सकते है।···(**व्यवधान**)···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) माननीय सदस्य किस बात का हवाला दे रहे हैं। मेरे विचार में आप सत्ताधारी दल के एक अत्यन्त जिम्मेदार सदस्य हैं।

श्री जमीलुर्रहमान : हां, मैं हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या आप जो कह रहे हैं, उसे समझते हैं ?

श्री जमीलुर्रहमान : हां।

(**व्यवधान**)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या आप उन क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल से वापिस लेना चाहते है ?

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : गृह मंत्री यहां है (**व्यवधान**) आप सत्ताधारी दल के एक जिम्मेदार सदस्य हैं। (**व्यवधान**) आप कहते हैं कि आप क्षेत्र को वापिस लेना चाहते हैं।

श्री जमीलुर्रहमान : आप पहले समझिए कि मैंने क्या कहा था ! मैंने यह कहा था कि अगर आप इन चीजों को बरकरार नहीं रख सकते है, तहफ्फज नहीं दे सकते है तो हमारा हिस्सा वापिस कर दीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वापिस क्या ? इसका अर्थ क्या है ? वापिस लौटाना ? यदि आप वादा पूरा नहीं कर सकते···(**व्यवधान**)

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्टसगंज) : वह सदस्य की बात नहीं समझ पा रहे हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मेरे विचार में वह बेकार ही दो बातें कह रहें (**व्यवधान**) बहुत कुछ बातें हैं (**व्यवधान**) परन्तु हम प्रांतवाद की भावना में नहीं बहते। कृपया ये मामले मत उठाइये। प्रांतवाद में लिप्त न होइये। पत्र फेंक दीजिए। आप की पार्टी समूचे देश को नष्ट कर रही है। आप की पार्टी विघटन के लिए जिम्मेदार है (**व्यवधान**) संसद का उपयोग इस तरह से क्यों होने देना चाहिए ? (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही जो अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि यदि आप चला नहीं सकते, तो हम वापिस लेने को तैयार हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हम चला सकते हैं, अथवा नहीं, उसका निर्धारण पश्चिम बंगाल की जनता करेगी, आप कहने वाले कौन है (**व्यवधान**)। आप प्रांतीय···(**व्यवधान**)

***···(**व्यवधान**) कृपया इसे वापस लीजिए, (**व्यवधान**)

क्या यह आप की जिम्मेदारी है ?

ये वे लोग हैं जो प्रांतवाद की भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित मत कीजिये।

(**व्यवधान**)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, में व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं। महोदय, हम संविधान का संरक्षण करने और संविधान के अनुसार चलने के लिए बचनवद्ध हैं।

(**व्यवधान**)**

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

गृह मंत्री (प्रकाश चन्द्र सेठी) : उन्होंने कहा "यदि आप अनुमति दें तो" (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : राज्यों की सीमाओं का निर्धारण होता है। क्या यहां कोई सदस्य इस ढंग से संविधान के अन्तर्गत बनाए गए कानून से किसी राज्य को नष्ट करने किसी राज्य का विभाजन ···करने के लिए प्रचार कर सकता है।···(**व्यवधान**)। कोई नहीं कर सकता। यह राष्ट्र विरोधी तथा असवैधानिक है। यह संविधान के प्रतिकूल है। ऐसा किसी सदस्य द्वारा नहीं किया जा सकता।

···(**व्यवधान**)···आप बोलिए, गलत हो गया, विदड्रा करता हूं।···(**व्यवधान**)···

प्रो० सत्यदेव सिंह : बिल्कुल सही है।···(**व्यवधान**)···

श्री मनीराम बागड़ी : सभापति जी, आप हिन्दी समझते है।

सभापति महोदय : मैं हिन्दी समझता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : आप और मैं दो ही समझते हैं। आप इनको समझा दीजिए। देखिए, यह कोई मुगलशाही तो है नहीं। यह किसी को दे दो और वह किसी को दे दो। चुनकर यहां लोग आए हैं। इस तरह से कोई कुछ होने वाला नहीं है। भाषण का संतुलित रखना चाहिए।···(**व्यवधान**)···

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : इन बातों की कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आप अपना फैसला दे रहे है।

सभापति महोदय : आपने क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

(**व्यवधान**)**

श्री जैनुल बशर : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं। ये बातें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं इन बातों को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित करने की अनुमति कैसे दे सकता हूं।

(**व्यवधान**)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जमीलुर्रहमान : मोहतरिम चेयरमैन, साधन चक्रवर्ती साहब ने मेरी उर्दू की बात पर गौर नहीं फरमाया। मैंने यह कहा था कि बाउण्ड्री कमीशन के एवार्ड में यह शामिल था कि जो एरिया हमको मिला है उसकी कल्चर और एजूकेशन को बरकरार रखेंगे। अखबार में खबर छपी है कि वहां ऐसा हुआ है, इसी पर मैंने कहा कि आप उसको सुरक्षित कीजिए, उनको जस्टिम दीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो अगर आप वापस करेंगे तो हम ले लेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, आप वकील हैं। उन्होंने अब इसे स्पष्ट कर दिया है। क्या इसकी अनुमति है।

सभापति महोदय : अनुमति तो नहीं है। परन्तु इसमें गलती क्या है ? संभव है वह जो कहते हैं आप उससे सहमत नहीं हों। यदि वह ऐसा कहते हैं, यदि कोई ऐसा कहता है तो उसमें गलती क्या है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह असंगत बात है ; यह अनिष्टकारी बात है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने केवल इसलिए विरोध किया था कि आज भारत में हमारे सामने अनेक परेशानियां हैं। मान लो इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर दिया जाता है और समाचार पत्र इसे प्रकाशित कर देते हैं तो इससे प्रांतवाद भड़क उठेगा। इसीलिए मैंने इसे उठाया है। उन्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। यदि आज बिहार के कुछ भाग मांगते हैं, क्योंकि आप उसे चलाने में विफल रहे हैं, तो आप क्या समझेंगे (व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि यदि आप उसे नहीं चला सकते, तो यदि आप चाहें, तो आप उस क्षेत्र का वह भाग वापिस कर सकते हैं।

श्री सोम नाथ चटर्जी : यदि आप समूचे देश का प्रबन्ध नहीं कर सकते, तो क्या आप इसे अंग्रेजों को वापिस कर देंगे या उसी तरह का कोई काम करेंगे ?

श्री राम प्यारे पनिका : आप बात को नहीं समझ रहे हैं।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं अर्ज कर रहा था कि होम मिनिस्ट्री में एक माइनारिटी सेल बनाया गया है जिसका ब्यौरा रिपोर्ट में शामिल है। जिसके चेअरमैन हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, उसमें एन० डी० तिवारी साहब हैं, बूटा सिंह जी हैं, जाफर शरीफ साहब हैं। मैं इस सिलसिले में एक बात अर्ज करना चाहता हूं—माइनारिटीज कमीशन की रिपोर्ट सरकार के आगे जेरे-तजबीज है, मण्डल कमीशन की रिपोर्ट सरकार के आगे जेरेतजवीज है, जितना जल्द हो सके उन पर कदम उठाया जाय तो बेहतर होगा। हमारी एक ठोस राय यह है कि इसको मजबूत बनाने के लिए जिस तरह से पार्लियामेंट की दूसरी कमेटियां हैं उसी तरह से पार्लियामेंट्री रूल्ज एण्ड प्रोसीजर्स के तहत, रूल 253-256 के तहत लोक सभा की एक कमेटी बना दी जाय जो इस बात को देखे कि माइनारिटीज की बेबहूदी के लिए जो फोर्सेज काम कर रही हैं, प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने मई, 1983 में जो इंस्ट्रक्शन्ज इशू की थी, जिसके तहत जिला लेवल से सूबाई लेवल तक और सबाई लेवल से हिन्द सरका के लेवल तक जो काम करना था, उसका पूरा एक्सीक्यूशन हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो वह ऐवान को मालूम होना चाहिए कि इतना काम हुआ है—अकलियतों के लिए, मुसलमानों के लिए, ताकि उसका परपंज है वह सोलहो-आना पूरा हो सके।

रिड्रेसल आफ पब्लिक ग्रीवेन्सेज के लिए भी एक कमेटी होम मिनिस्ट्री के मातहत है। इस सिलसिले में एक बात और कहना बहुत जरूरी है और हमारे दूसरे साथियों ने भी इस बारे में कहा है कि जिस अफसर के खिलाफ या जिस विभाग के खिलाफ कोई शिकायत की दरख्वास्त दी जाती है, उसकी इंक्वायरी होने के लिए घूम-फिर कर उसी के पास पहुंच जाती है। तो मैं यह समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। जिसके खिलाफ कोई आरोप है और यह जानने के लिए कि यह आरोप सही है या गलत है, एक देखभाल की कमेटी बननी चाहिए और जो रिपोर्ट आए, उसकी मोनीटरिंग के लिए एक सेल होना चाहिए, जिससे सही माइनों में पब्लिक की ग्रीवान्सेज की सुनवाई हो सके और कार्यवाही की जा सके।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं। हम लोग शुक्रगुजार हैं कि पंजाब की प्राब्लम को सोल्व करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। हम प्राइम मिनिस्टर साहिबा के शुक्रगुजार हैं कि उनके इनिशियेटिव पर बातचीत के दरवाजे जो बन्द हो गये थे वे खुल गये हैं और हमें उम्मीद है कि यह मसला जल्दी सोल्व हो जायेगा क्योंकि हिन्दुस्तान के लोगों की ख्वाहिश है कि इसका हल जल्दी निकले।

आसाम का जो प्राब्लम था, उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस काम में तेजी लाई जाए। यह मसला काफी दिनों से लिंगर कर रहा है और दूसरे सूबों को भी इफेक्ट कर रहा है। पिछले सेशन में श्री इन्द्रजीत गुप्त बोले थे और उन्होंने कहा था कि इनफिलट्रेशन जो हुआ है वह करीब 9 लाख 44 हजार लोगों का हुआ है और इसका असर वेस्ट बंगाल और आसाम पर पड़ रहा है। जो फीगर श्री इन्द्रजीत गुप्त ने दिए थे, उसके मुताबिक इन लोगों 44 हजार मुसलमान थे और बाकी नान-मुस्लिम थे। अब जो ट्रिब्यनलों के पास दरख्वास्तें आई हैं, उनको निपटाया जाए और इस मसले पर और देर करने की गुंजाइश नहीं है।

सेण्टर-स्टेट रिलेशनशिप का जहां तक सवाल है, उस पर काफी रोशनी पड़ चुकी है। यह यत बात है कि सेण्टर को मजबूत होना चाहिए और ये मजबूत होनी ही है। मैं हिन्दुस्तान की मिसाल एक गुलदस्ते से देता हूं, जिसमें सारे किस्म के रंग-बिरंगे फूल लगे हुए हैं। अब अगर सारे फूलों को फेंक दिया जाए, तो गुलदस्ता बिखर जाएगा। इसलिए सेण्टर का मजबूत होना निहायत लाजमी है और हर हाल में इसको मजबूत होना है और इसके लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए, वे उठाने चाहिए।

जहां तक रीजनलइज्म की बात है, श्री दण्डपाणि जी कह रहे थे कि हम लोगों ने इसमें बहुत मदद की है। सवाल यह है कि इसमें जो मदद की थी, तो उस वक्त वक्त का तकाजा था लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इसको बढ़ावा देना मुल्क के डिसइन्टेग्रेशन के लिए बड़ा भारी खतरा है। मैं आगाह करना चाहता हूं कि होम मिनिस्ट्री को इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए।

एक आखिरी बात कहकर मैं बैठ जाऊंगा। यह मसला मेरी कांस्टीटुएन्सी से ताल्लुक रखता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने यह कहा था कि 1981-82 में 9 लाख लोग बाहर से आकर पूर्णिया में बस गये और उनको निकाला जाए। फिर यह फीगर 12 लाख तक पहुंच गई और अब करते-करते 15 लाख तक यह फीगर पहुंच गई है और लोगों का इतना दबाव पड़ा चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे होम मिनिस्टर हो और चाहे बिहार सरकार हो कि करीब 18,978 खानदानों को नोटिस इशू हुए और उनमें से अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, अभी मैं और कलेक्ट कर रहा हूं, उसके अनुसार 10,504 नाम खारिज हो गए, जो कि सही नहीं है और हमारी यह ग्रीवांस है। मैं कुछ लोगों को जाती तौर पर जानता हूं। वे 1932 से गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायर्ड

मास्टर हैं और हैल्थ विभाग में काम कर चुके हैं। इन लोगों के नाम बिना सबूत के खारिज कर दिए गए। इस समय ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं इस मसले पर रोशनी डालूं। फिर कभी वक्त मिला, तो मैं इसके बारे में तफसील से बताऊंगा।

आखिर में यह कहना चाहता हूं कि यह बात कही गई कि डा० गोपाल सिंह की यह रिपोर्ट है। गोपाल सिंह कमीशन है, मण्डल कमीशन है, इन पर जल्दी से अमलदरामद हो। अभी जैनुल बशर जी ने कहा कि सी०आर०पी० ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई शुबहा नहीं है। बी०एस०एफ० ने भी अच्छा काम किया है। इंडस्ट्रियल सेक्यूरिटी फोर्स के लिए जो माइनारिटी सेल बना है, होम मिनिस्ट्री के मातहत बना है. इसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाए जो इसके कार्य को देख सके। इससे हर तबके के लोगों को उसमें रेप्रेजेन्टेशन मिल सकेगा। क्लास फोर में पियन आते हैं, माली आते हैं, पुलिस के कई कर्मचारी आते हैं। उसमें मुसलमान, हरिजन, शेड्यूल ट्राइब्स, सबको फायदा होता। मैं गुजारिश करूंगा कि पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में ऐसी कमेटी फौरन बन जानी चाहिए। प्रधानमन्त्री जी के इंस्ट्रक्शंस भी हैं और इस पर अमल होना चाहिए।

अन्त में मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, सभा को तथा माननीय गृहमंत्री को विगत कुछ वर्षों में मेरे पिछले रिकार्ड की जानकारी है कि मैं संसद में रहा हूं और मैंने प्रशंसा के लायक मामलों में प्रशंसा करने से अपने को नहीं रोका है और प्रशंसनीय कोई बात, जब कभी होती है, तो मैं प्रशंसा करने से नहीं रुका।

4.56 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

और मैं यह जानते हुए भी कि मेरी आलोचना का सरकारी मीडिया में प्रचार नहीं किया जाता, और जब मैं प्रशंसा का एक शब्द भी उच्चारण करता हूं, तो मैं देखता हूं कि मेरे प्रत्येक शब्द का बढ़िया प्रचार किया जा रहा है। परन्तु सभी सरकारों की यही स्थिति है, और इसी प्रकार लोकतन्त्र जैसे-तैसे काम कर रहा है। इस निराशाजनक जानकारी के बावजूद भी मैं, गृह मन्त्री, जो यहां पर मौजूद हैं और अन्य दो व्यक्ति जो सभा में अनुपस्थित हैं, की प्रशंसा में कुछ बोलूंगा।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : वे कौन हैं ?

श्री राम जेठमलानी : एक नाम तो ऐसा है कि उसे लेते उनका दिल खुश हो जायेगा और वह है मेरे मित्र और सत्ताधारी पार्टी के महासचिव, श्री राजीव गांधी···

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : आप लोगों को नाम लेते रहने की बीमारी है। मैंने सोचा था आप अपने दोस्तों का नाम लेंगे।···(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : परेशानी यह है कि इस विश्व में, विशेषकर हमारे देश में परस्पर समझ-बूझ की कमी है और इसलिए यह सब होता है। जो पिछला विस्फोट देखा गया था, उस समय महोदय आप यहां नहीं थे, वह भी परस्पर समझ-बूझ न हो पाने के कारण था, एक तरह प्रोफेसर और दूसरी तरफ हमारे कुछ साथियों के बीच परस्पर समझ-बूझ न हो पाने के कारण···

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह किसी और वजह से था।

श्री राम जेठमलानी : राष्ट्रपति द्वारा बताए गए कार्य आबंटन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत गृह मन्त्रालय की स्थिति एक धुरी के समान रही है। इस मन्त्रालय से बीच का कार्य अर्थात अन्य मन्त्रालयों के साथ समन्वय का कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। वास्तव में कहने का तात्पर्य यह है कि इसका काम देश में ऐसी स्थिति पैदा करना है जिसमें अन्य मन्त्रालय कार्य कर सकें। यदि यह अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं करता है तो कोई भी अन्य मन्त्रालय ठीक से कार्य नहीं कर सकता और मेरा विश्वास है कि किसी भी अन्य मन्त्रालय की तुलना में, चाहे वह रक्षा मन्त्रालय हो या आर्थिक मन्त्रालयों में से कोई हो या विदेश मन्त्रालय हो, गृह मन्त्रालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण मन्त्रालय है। और भारत जैसे विकासशील देश में, भारत जैसे गरीब देश में, गृह मन्त्रालय का सबसे प्रमुख कार्य है। इस देश के कानूनों को लागू करना तथा कार्य-नियमों के अन्तर्गत इस देश के दांडिक कानून को विशेष रूप से गृह मन्त्रालय को सौंपा गया है।

5.00 म० प०

यह इस देश का दांडिक कानून ही है जो कि भ्रष्टाचार के कैंसर से निपटता है जिसने हमारे जैसे थोड़े दुर्भाग्यशाली देश सहित विश्व के सभी विकासशील देशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मुझे यह कहना चाहिए कि हम बहुत से अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में हैं परन्तु फिर भी भ्रष्टाचार एक प्रकार का कैंसर है जो हमारे प्रशासन को चौपट कर रहा है और यही हमारी लगभग सभी व्याधियों का कारण है। जब मैं यह कहता हूं कि मैं गृह मन्त्री की प्रशंसा करना चाहता हूं तो यह इसलिए कि इस देश में भ्रष्टाचार को रोकने वाले कानूनों पर गम्भीर प्रहार किए जा रहे थे या करने की तैयारी की जा रही थी और मेरा यह पक्का विश्वास है कि जो लोग इस प्रकार किए जा रहे प्रहार के पक्ष में थे उन्होंने गृह मन्त्रालय पर भारी दबाव डाला होगा और आज मैं सार्वजनिक रूप से गृह मन्त्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करने की इच्छा व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसके लिए काफी दबाव झेला तथा भ्रष्टाचार विरोधी कानून में पूरे देश में संशोधन कराके यह व्यवस्था की कि भविष्य में कभी भी हमारे सांविधिक पुस्तक की अवमानना न होने पाए। यह एक महानतम श्रद्धांजलि है जो मैं गृह मन्त्री और गृह मन्त्रालय को अर्पित कर सकता हूं। आपने देश को एक महान विपदा से बचा लिया है जिसके आने पर भावी पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करती और मैं इस कार्य का उल्लेख केवल इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं इसे विशेष महत्व का समझता हूं बल्कि यह कार्य अन्धेरे में टिमटिमाते एक प्रकाश बिन्दु की तरह है। मैं इस नए अधिनियम का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं यह आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस अधिनियम के पीछे जो सिद्धांत है वह सरकार का सामान्य और आदतन व्यवहार बन जाएगा तथा इसे सदा के लिए अपना लिया जाएगा और सांस्थानिक बना दिया जाएगा। जैसाकि मैंने कहा है मैं अपने अनुपस्थित साथी, युवा राजीव गांधी के लिए भी प्रशंसा के दो शब्द कहना चाहता हूं, जो आज यहां उपस्थित नहीं हैं। समाचारपत्रों की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने भी इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह एक सामुहिक प्रयास था।

श्री राम जेठमलानी : यदि यह एक सामूहिक प्रयास है तो मुझे इसकी बड़ी खुशी होगी कि यह एक सामूहिक प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है कि कम-से-कम मेरे मित्र, प्रो० रंगा ने जरूर उस कार्य में

भाग लिया होगा क्योंकि मैंने पहले ही उन्हें इस विपदा के बारे में चेतावनी दे दी थी परन्तु, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि उनके और मेरे बीच क्या बात हुई। परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि जिस स्थिति से युवा राजीव गांधी निपट रहे थे उसे सहने के लिए उन्होंने (प्रो० रंगा) ही अपना नैतिक प्रभाव छोड़ा होता।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उन्हें भी श्रेय देना चाहिए।

श्री राम जेठमलानी : मैं प्रत्येक उस आदमी को श्रेय देने को तैयार हूं जो श्रेय लेने को तैयार हो।

अब मैं एक तीसरे व्यक्ति का जिक्र करना चाहता हूं जिनके प्रति मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहता हूं। श्री राजीव गांधी, जिन्हें सदन में उपस्थित होना चाहिए था परन्तु वे उपस्थित नहीं हैं। तीसरे भद्र पुरुष एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सदन में नहीं हो सकते और वे हैं महोदय, हमारे देश की महानतम ताकतों में से एक व्यंग्य चित्रकार श्री आर० के० लक्ष्मण। वे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यंग्य चित्रकार और कलाकार हैं···

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, ये आपका जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये व्यंग्य चित्रकार लक्ष्मण का जिक्र कर रहे हैं। आप इतने गम्भीर क्यों दिखाई देते हैं, महोदय ?

श्री राम जेठमलानी : मुझे आशा है कि इस बारे में मैंने आपको किसी सन्देह में नहीं रखा।

प्रो० मधु दण्डवते : दोनों को एक समान ही समझिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कम-से-कम एक कलाकार तो रहा हूं, परन्तु, मैं व्यंग्य चित्रकार कभी नहीं रहा।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप व्यंग्य चित्रकार के एक चरित्र हैं।

श्री राम जेठमलानी : क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि आप इस मामले में अपनी टांग मत अड़ाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : या कम-से-कम विषय है। चरित्र कहना तो बुरा है।

श्री राम जेठमलानी : इस महान व्यंग्य चित्रकार ने एक व्यंग्य चित्र प्रकाशित और मुद्रित किया है। वह लगभग प्रतिदिन एक व्यंग्य चित्र बनाते हैं जो कि विश्व में कोई दूसरा व्यंग्य चित्रकार नहीं करता। यह एक साहसिक कार्य है जिसकी बराबरी पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। मुझे इस महान व्यंग्य चित्रकार तथा इस अवसर पर उसके द्वारा बनाए गए व्यंग्य चित्र पर गर्व है। यह व्यंग्य चित्र मार्च के शुरू में छपा था। यही व्यंग्य चित्र सम्पादकीय लेखों का विषय बना और यह व्यंग्य चित्रों और टिप्पणियों की भी विषय वस्तु बन गया है। उसमें एक बच्चा गाड़ी दिखाई गई है जिसे राजीव गांधी पीछे से धकेल रहा है और उस बच्चा गाड़ी में वह स्वयं अपनी माता को बैठा कर ले जा रहा है। यह एक महान सबक है क्योंकि यह व्यंग्य चित्रकार ऐसी चीजें कभी नहीं दिखाता जिनका कोई उद्देश्य न हो या जिनका कोई गहरा अर्थ न निकलता हो। इस मामले में वेटा प्रशंसा पाने का हकदार है।

मैं विस्तार से कोई बात कहना या उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता था काश कि माता अवसर के अनुसार खड़ी हुई होती और इस प्रकार का चरित्र और एकता प्रदर्शित की होती जैसी कि ऐसे मौके पर की जानी चाहिए थी। महोदय, यदि मैं गलत सिद्ध हो जाऊं, तो मैं प्रधानमन्त्री से क्षमा मांग लूंगा। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : क्या मैं उन्हें यह बता सकता हूं कि उनकी (प्रधानमन्त्री) अनुमति या निर्देश के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता था ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : पहले का निर्णय किसने लिया था ? (**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : मेरे मित्र एक साथ चिल्ला रहे थे। मैंने भी यहां चिल्लाते हुए यह कहा कि यह प्रधानमन्त्री ही थीं जो सहमत नहीं हुई थीं। मैंने ऐसा तीन बार कहा। परन्तु प्रेस वालों ने यह नोट नहीं किया। (**व्यवधान**)

श्री राम जेठमलानी : मैं प्रो० रंगा के प्रति आभारी हूं जैसाकि मैं सदा उनके प्रति आभारी रहा हूं। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि उन्होंने यह वक्तव्य दिया। आखिरकार मुझे इस बात का पता नहीं चलता कि परिषद के भीतर क्या घटित हुआ। मैं समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार चलता हूं। जैसाकि आपने ठीक ही कहा, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। परन्तु, आप मुझे दोष नहीं दे सकते। (**व्यवधान**) यहां तीन-तीन बार चिल्लाने की बजाय यदि आपने केवल मेरे कानों में ही फुसफुसा दिया होता तो मैं इसका उल्लेख नहीं करता। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जेठमलानी जी, आपके दल को 22 मिनट दिए गए हैं।

श्री राम जेठमलानी : मैं पूरे 22 मिनट लूंगा और साथ में आपकी कृपा से जो समय मिलेगा वह भी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक ही बात पर बहुत अधिक समय खर्च कर रहे हैं। आपको बहुत सी बातें कहनी हैं।

श्री राम जेठमलानी : इस स्थिति पर भारी सन्तोष व्यक्त करते हुए मैं आशा करता हूं कि प्रो० रंगा और गृह मन्त्री किसी उपयुक्त अवसर पर मेरी गलतफहमियां दूर करेंगे। मैं तो केवल समाचारपत्रों में छपे समाचारों के अनुसार बात करता हूं। एक बार फिर एक घोषणा की गई थी कि हाई कमान के निर्देश पर बम्बई में महाराष्ट्र सरकार उस मामले में अभियुक्त का पक्ष लेने के लिए सहमत हो गई है। महोदय, मैं किसी भी व्यक्ति का समर्थन किए जाने के पूरे पक्ष में हूं। प्रत्येक व्यक्ति, उसके द्वारा चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध किया गया हो। जहां तक सम्भव हो वह अपना अच्छे-से-अच्छे ढंग से बचाव करने का हकदार है। जितना अधिक गम्भीर अपराध होगा उतनी ही गम्भीरता से उसका बचाव किया जाना चाहिए। मुझे सत्ताधारी पक्ष के किसी सदस्य के प्रति कोई दुर्भावना या शिकायत नहीं है। बाद में मेरे एक बहुत ही प्रतिष्ठित साथी, श्री अशोक सेन इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए हैं। परन्तु, महोदय, मेरी गलतफहमी उस बारे में नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : अब लड़ाई विवेक और अविवेक के बीच में है ।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि आपने कानून को बदलने को छोड़कर बाकी उन्हें सभी प्रकार की सहायता देने का निर्णय कर लिया है, तो मैं इस वक्तव्य से भावी प्रभाव को समझना चाहता हूं क्योंकि यदि वे अपराध सिद्ध हो जाएं तो उसके प्रभाव बहुत खतरनाक और दुःखदायी हैं । महोदय, मेरे विचार से इस मामले में अधिकांश साक्षी या तो मन्त्री हैं या विधायक या सरकारी अधिकारी और अधिकांश दस्तावेजी साक्ष्य, जिन पर कि मुकद्दमा निर्भर करेगा, सरकार के पास हैं । क्या इसका यह अर्थ है कि अभियुक्त को सहायता पहुंचाकर आप न्यायालय से सच्चाई छुपाने के लिए अपने साक्षियों को डराना या उन पर दबाव डालना या उन्हें विश्वास में लेना चाहते हैं ? क्या आप दस्तावेजों को गायब करना चाहते हैं ? क्या आप चाहते हैं कि न्यायालय को मुकद्दमा चलाने वाले अभिकरण से या साक्षी से पूरा सहयोग नहीं मिलेगा ? यह आश्वासन है जो हम चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जेठमलानी जी, क्या आप इसके बारे में मुझे सन्तुष्ट करेंगे कि जो मामला उठाया जा रहा है आप उसके बारे में वाद-विवाद कर सकते हैं ? क्या हम किसी न्यायिक मामले के गुणों और दोषों पर चर्चा कर सकते हैं?

श्री राम जेठमलानी : मैं मामले के गुणों-दोषों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं ।

श्री राम प्यारे पनिका : यह न्यायालय में विचाराधीन है । मेरा विचार है कि हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वे एक महान अधिवक्ता हैं । क्या जो मामला न्यायालय में है हम उस पर चर्चा कर सकते हैं ? आप इस बारे में मेरा ज्ञानवर्द्धन करिए । (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिए ।

श्री राम जेठमलानी : मैं मामले के किसी भी गुण-दोष की चर्चा नहीं कर रहा हूं । मैं तो अभियुक्त के प्रति सरकारी रवैये की चर्चा कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कह रहे हैं कि मन्त्रीगण हाजिर होंगे और सरकारी अधिकारी हाजिर होंगे ।

कुछ माननीय सदस्य : इसमें गलत क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में जानना चाहूंगा कि क्या वे (श्री जेठमलानी) इस मामले के बारे में सदन में चर्चा कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा विचार है कि अपराध इतना गम्भीर है कि हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। व्यवस्था का मेरा मुद्दा यह है कि जब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है तो संसद में वाद-विवाद के दौरान आप उसकी गुण-दोषों की चर्चा नहीं कर सकते। परन्तु किए जा रहे बचाव के बारे में सरकार की कार्रवाई के तरीके पर चर्चा करने का मतलब मामले के गुण-दोषों के बारे में चर्चा करना नहीं है। इसलिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो आपत्ति उठाई गई है वह पूरी तरह से अस्वीकृत कर दी जानी चाहिए क्योंकि वह मामले के गुण-दोषों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु (नगर कुरनूल) : महोदय, श्री अंतुले इस सदन के सदस्य नहीं है। फिर उनके बारे में सदन में चर्चा क्यों होनी चाहिए ? इसकी कुछ सीमा होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, मैं अपने 30 वर्ष के कानूनी अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि ऐसे मामले की अच्छाइयों और बुराइयों पर चर्चा नहीं की जा सकती और निर्णय नहीं किया जा सकता जो उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ा हो। जहां तक सम्बन्धित मामले की अच्छाइयों और बुराइयों का सम्बन्ध है, वह बिल्कुल एक अलग मामला है, परन्तु जहां तक सरकारी रवैया, उसके दृष्टिकोण और उसके मत का सम्बन्ध है, वह एक अलग बात है। मेरे मित्र श्री जेठमलानी मामले के गुण और अवगुणों की चर्चा नहीं कर रहे हैं अपितु वह इस मामले में सरकार के दृष्टिकोण और सरकार के रुख की चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, वह इस आधार पर आपत्ति कर रहे हैं कि यह एक दलगत मामला है। क्या यह पार्टी मामला न्यायालय में विचाराधीन है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जाने वाला है और अब मुकदमा दायर करने से पूर्व उन्होंने कहा है कि किस प्रकार का साक्ष्य पेश किया जाएगा और किस तरह चर्चा अथवा बहस अथवा दलीलें होंगी। वह ये सब बातें बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि मामले पर विचार किया जाता है तो मन्त्री महोदय उपस्थित होंगे। क्या वह मामले के गुणों की चर्चा नहीं कर रहे हैं ?

श्री राम जेठमलानी : कृपया, जो मैं कह रहा हूं। उसे समझें।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि मन्त्री महोदय उपस्थित होंगे। कुछ अन्य अधिकारी भी उपस्थित होंगे। कृपया इन बातों से बचिए। आपको इस विषय पर बोलने का पूरा अधिकार है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उन्होंने कहा है कि सहायता देने का यह अर्थ नहीं उस किसी मंत्री पर दबाव डाला जाए जो मुकदमे में साक्ष्य के रूप में उपस्थित होता है। दूसरे, किसी भी सरकारी रिकार्ड को छिपाया नहीं जाय अथवा बदला नहीं जाए अथवा उसमें हेरफेर नहीं किया जाए। मैं माननीय सदस्य जेठमलानी महोदय को इस बात का आश्वासन देता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कल अखबारों में श्री जेठमलानी की चर्चा होगी—श्री राम जेठमलानी की एक और प्रशंसा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। उन्होंने बात को अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है। श्री जेठमलानी अपना भाषण जारी रखिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज दूरदर्शन पर अकेले जेठमलानी की चर्चा होगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं। सरकार ने स्थिति को अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है।

अब श्री जेठमलानी, कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

श्री राम जेठमलानी : जहां प्रशंसा करनी है वहां तो प्रशंसा करने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज तो दूरदर्शन पर उनका एकाधिकार है।

श्री राम जेठमलानी : मैं माननीय गृहमंत्री द्वारा आज सदन में दिए गए इस स्पष्ट आश्वासन के लिए उनको धन्यवाद देता हूं कि न्याय के सहज मार्ग में हस्तक्षेप करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई प्रयास नहीं किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस आशा के साथ कि वह अपनी नौकरी न खो बैठें!

श्री राम जेठमलानी : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट तौर पर जो कहा है उससे मैं यह समझता हूं कि जो कुछ भी कहा गया है उसे सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से यह घोषणा नहीं मानी जानी चाहिए कि मुकदमे की मंजूरी होने और प्रत्यक्षतः कोई मुकदमा बनाने में राज्यपाल की कार्यवाई उचित नहीं थी। इसके साथ ही मैं संतुष्टि की भावना के साथ इस विषय को यहीं समाप्त करता हूं।

अब मैं उन दूसरे विषयों के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में मुझे दो शब्द कहने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस विषय को यहीं समाप्त करिए और न्यायालय में उनका सामना कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार को उन्हें प्रसन्न मनःस्थिति में बनाए रखना है। वह उन सभी को साक्षी के रूप में बुलाएंगे।

श्री रामजेठमलानी : मैं उन सभी को साक्षी के रूप में बुलाऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री सेठी उन्हें प्रसन्नता की मनःस्थिति बनाए हुए हैं ताकि न्यायालय में उनको परेशान न किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेठमलानी, अब आप अगले विषय पर बोलिए ।

श्री राम जेठमलानी : अब मैं एक अन्य विषय पर बोलूंगा कि भारी परेशानी तथा सरकार एवं गृहमंत्री के रवैये के बारे में गलतफहमी पैदा कर रहा है। 29 जनवरी 1982 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुकदमे पर विचार किया था जिसके बारे में मैंने प्रश्न पूछकर खासतौर पर ध्यान आकर्षित किया और वह है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम स्वप्न कुमार गुहा के मुकदमे में, जोकि अब प्रसिद्ध हो चुका है—सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय । मैंने प्रश्न पूछा था ; मैंने इसे गृहमंत्रालय को भेजा ; अन्ततः यह वित्तमंत्रालय में भेज दिया गया, मैं इसका बुरा नहीं मानता, आखिरकार सभी मंत्रालय भारत सरकार के हैं और मेरे लिए यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन इसका उत्तर देता है ।

मेरा प्रश्न यह था । इसका उत्तर 5 नवम्बर, 1982 को दिया गया था ।

मैं उसे यहां उद्धृत करता हूं।

"क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य तथा अन्य बनाम स्वप्म कुमार गुहा तथा अन्य, ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 949 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय खासतौर पर उक्त निर्णय के पैरा 37 और 38 पर सावधानी पूर्वक विचार किया है ;

(ख) क्या उक्त निर्णय के अनुसार, सरकार ने फर्म के मामलों में जांच कराने और भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराधियों को दण्ड देने पर विचार किया है ;

(ग) क्या इस बीच इस मामले में कोई कार्यवाही की गयी है और न्यायालय की, अभिरक्षा (कस्टडी) में रखे गए दस्तावेजों को जांच के प्रयोजन हेतु के लिया गया है ; और

(घ) क्या सरकार द्वारा की गयी किसी जांच से अपराधियों का पता लगा है। यदि हां तो उनके नाम तथा उनका ब्यौरा क्या है।"

यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में पूछा गया था। मैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उद्धृत करता हूं :

"32, फर्म के कार्यालय की तलाशियों के परिणामस्वरूप चौंका देने वाला यह रहस्योद्-घाटन हुआ कि 1 सितम्बर 1980 को फर्म के पास 73,51,23,500 रुपए (तिहत्तर करोड़ इक्यावन लाख, तेईस हजार पांच सौ रुपए) की धनराशि जमा थी । ये जमा धनराशि इस फर्म को कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास और हैदराबाद जैसे स्थानों के व्यक्तियों से प्राप्त हुई थी···"

"33, 'अपीयर आबंटन' के जाली नाम के खाते से सम्बद्ध दस्तावेजों से यह प्रकट होता

है कि उस नाम के कथित व्यक्ति का फर्म के भागीदार शम्भू प्रसाद मुखर्जी द्वारा सिंडीकेट बैंक, गरियाहट शाखा, कलकत्ता में परिचय कराया गया था···उस खाते से 11 नवम्बर 1980 से नियमित रूप से लगभग 28 करोड़ रुपए की धनराशि निकाली गयी। 13 दिसम्बर 1980 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से एक सप्ताह पूर्व अर्थात् 6 दिसम्बर 1980 को यह खाता बन्द कर दिया गया।"

इसके बाद न्यायाधीश ने कहा—

"37. इन तथ्यों से मामलों की चौंका देने वाली स्थिति का रहस्योद्घाटन होता है। 7,000/- रुपए की सांकेतिक धनराशि से पांच वर्षों की थोड़ी सी अवधि में ही करोड़ों रुपये मूल्य की सम्पत्ति पैदा कर ली गई है। फर्म द्वारा एक जाली नाम से खोले गए एक बैंक खाते में 28 करोड़ रुपये की धनराशि थी जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से एक सप्ताह पूर्व निकाल लिया गया। जमाकर्त्ताओं को 48 प्रतिवर्ष की अविश्वसनीय दर से ब्याज का भुगतान किया जा रहा था। फर्म के पास आय का ऐसा कोई प्रत्यक्ष स्रोत नहीं था जिससे इतनी अधिक धनराशि का भुगतान किया जा सकता हो और इसके मुख्यालय से जब्त की गई खाता-पुस्तकों से इसकी आय के अथवा इसकी परिसम्पत्तियों के कोई संकेत नहीं मिलते। फर्म के भागीदार रातों-रात करोड़पति हो गये हैं। वे और उनके कुछ एजेंट जो 1975 में क्लर्क और कैमिस्ट थे, आज इतनी सम्पत्तियों के स्वामी हैं। जिन्हें देखकर कोई राजकुमार भी लज्जित हो जाए। शीघ्र और आसानी से धनी बन जाने की इस कहानी को "रैग्स टू रिचेस" का ही शीर्षक दिया जा सकता है। इस बात का कोई शक नहीं है कि फर्म द्वारा यह विशाल सम्पदा काला धन पैदा करके और उसका परिचालन करके प्राप्त की गई है। फर्म की ओर से उपस्थित होकर श्री अशोक सेन ने सचमुच ठीक ही कहा था कि वह इस पूर्वानुमान पर आगे कार्यवाही करें कि ब्याज की इतनी अधिक धनराशि का भुगतान हमारी बिना खाते की धनराशि से किया जा रहा था।"

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अन्तिम पैरा में कहा कि यद्यपि यह अभियोजना तकनीकी दृष्टि से खराब है, हम चाहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार इस बात पर विचार करें और देखें कि क्या इस फर्म के कार्यों और इस बड़ी धोखाधड़ी की जांच करायी जा सकती है। लेकिन श्रीमन्, कुछ बात और भी है। इसके बाद 'सन्डे' पत्रिका में यह स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया गया था कि यह धनराशि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री की है और वह सीधे इसमें सम्मिलित हैं और यह एक राजनीतिक दल का पैसा है।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, उन्हें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि वह गृहमंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोल रहे हैं। यह कोई राजनीतिक भाषण नहीं होना चाहिए। **(व्यवधान)**। श्रीमन् उन्होंने··· मंत्री × × का उल्लेख किया। यह बात महत्व नहीं रखती कि उन्होंने नाम का उल्लेख किया है अथवा

× × कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि सदन इस प्रकार की बातों को सहन नहीं कर सकता। (व्यवधान)।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि वह आपत्ति क्यों कर रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री मल्लिकार्जुन : यदि आप नहीं समझ सकते तो मैं आपको समझा दूंगा। (व्यवधान)।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने × × ···मंत्री के नाम का उल्लेख नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया है।

श्री मल्लिकार्जुन : उन्होंने × × ···मंत्री के नाम का उल्लेख नहीं किया है अथवा नहीं, यह बात महत्व नहीं रखती। लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी को सदन द्वारा सहन नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)।

श्री रामजेठमलानी : महोदय, इस सदन में कोई भी मौका आने पर हमें भ्रष्टाचारों की अवश्य चर्चा करनी चाहिए और आप हमें बात करने से रोक नहीं सकते···(व्यवधान) सच्चाई को सामने लाया जाना है। अन्यथा संसद किसलिए है और विपक्ष किस लिए है?

श्री मल्लिकार्जुन : आपको प्रमाणों सहित बात करनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने किसी मंत्री का कोई उल्लेख नहीं किया है। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेठमलानी, आपने किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया है। आपको कहना चाहिए था···

श्री राम जेठमलानी : उससे आपका क्या मतलब है? 'मुझे क्या कहना चाहिए' यह बताने वाले आप कोई नहीं हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कहना चाहिए था—केन्द्रीय मंत्रि मंडल के एक मंत्री···अब आप खासतौर पर उल्लेख कर रहे हैं।

इसके लिए आपको मुझे लिखना चाहिए था और मेरी अनुमति लेनी चाहिए थी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको वह नहीं कहना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था 'एक मंत्री' यदि आपने मुझे लिखा होता तो आप उस बात का उल्लेख कर सकते थे। आपको वह बात मुझे लिखित में देनी चाहिए थी। (व्यवधान)

× × कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप किस नियम के अन्तर्गत यह मांग करते हैं ?···(**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल : क्या आप अपनी अन्तर्निहित शक्तियों के अन्तर्गत आप × × शब्दों के स्थान पर 'केन्द्रीय सरकार में मन्त्री' शब्द रखवाना चाहते हैं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वह उस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रहे हैं।

मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि आप 'एक मन्त्री' कह सकते हैं लेकिन यदि आप वह बात कहते है तो आप सदस्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रहे हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि आपको मुझे लिख कर देना चाहिए···(**व्यवधान**) मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं कार्यवाही को संचालित कर रहा हूं। वह इसका उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मुझे लिखकर देना चाहिए था···यह ठीक नहीं है···मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैंने अपनी टिप्पणी दे दी है। यह अन्तिम है, कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता।···(**व्यवधान**) क्योंकि आप वह कह रहे हैं, आपको लिखकर देना चाहिए था।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने 'कुओ' सौदे पर बहस शुरू की थी। उस चर्चा के दौरान मैंने— × × शब्दों का स्पष्ट उल्लेख किया था और इसे कार्यवाही से नहीं निकाला गया था।···और इसे कार्यवाही वृतांत ने नहीं निकाला गया था। आप इसकी जांच कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को उपाध्यक्ष महोदय निरस्त नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था नहीं, मेरी टिप्पणी है।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या मुझे बतलायेंगे कि वह केन्द्रीय सरकार में एक मन्त्री कह सकते हैं और यह नहीं। × ×

क्या यह उचित है·····(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा, यदि उन्होंने किसी केबिनेट मन्त्री, अथवा किसी राज्य मन्त्री, या किसी उप मन्त्री का उल्लेख नहीं किया होता, तो मैं अनुमति दे देता। उनको केन्द्रीय सरकार में एक मन्त्री कहना चाहिए था···(**व्यवधान**)···मैं मंजूरी नहीं दूंगा···मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं···मैंने अपनी कोई टिप्पणी दी है।

श्री राम जेठमलानी : क्या मैं अपने पिछले दावे को बदल सकता हूं ? आपकी भावनाओं से मुकाबला करने के लिए अल्प मैं इसे बदलूंगा, 'सन डे' पत्रिका ने समाचार दिया है कि वह कोष सरकार के एक बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी का है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसका ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। मेरा मुद्दा तो यह है कि आप उसका विशेष ब्यौरा दे रहे थे। आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने में कोई हानि नहीं है।

× × कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम जेठमलानी : मेरी आलोचना का मुद्दा बिल्कुल ही अलग था, लेकिन आपके पास सुनने के लिए समय नहीं था, आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, भले ही उन्होंने इसे नहीं उठाया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया था। मैंने अपनी टिप्पणी दी है, यदि आपने मुझे उसे लिखित रूप में दिया था तो आप भी उल्लेख कर सकते हैं।

श्री राम जेठमलानी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक प्रमुख अखबार ने एक ऐसा महत्वपूर्ण आरोप लगाया था, गृह मंत्रालय द्वारा जांच के काम को अपने हाथ में लेना आवश्यक था और किसी उत्तरदायी एजेंसी से जांच-कार्य करवाने की अनुमति देनी चाहिए थी। और मुझे मेरे प्रश्न का जो उत्तर मिला है उसमें कहा गया है; "हमने पश्चिम बंगाल सरकार को वह जो कुछ करना चाहती है, उसे करने की अनुमति दी है।" केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक ने कानून लागू करने के लिए देश के सामने अपने उत्तरदायित्व रख दिए हैं। (**व्यवधान**) मेरे आरोप की मुख्य बात यही है कि विशेष रूप से सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी के पास यदि कोष है, तो गृह मंत्रालय को ऐसे मामले में अवश्य जांच करनी चाहिए और पश्चिम बंगाल में कुछ अधिकारियों को इस काम को करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इसे सीमित ढंग से कर रहे हैं।

श्री राम जेठमलानी : वे इसे अपने सीमित संसाधनों से कर रहे हैं, लेकिन जब तक इस जांच का काम आप अपने हाथों में नहीं लेते हैं, ऐसा होगा कि·····

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनके पास आयकर अधिनियम है, उनके पास विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम है, वे यह सब कर सकते हैं, राज्य सरकार केवल भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार काम कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेठमलानी कृपया आगे के मुद्दे पर चर्चा करें,

श्री राम जेठमलानी : मैं जब इसे पूरा कर लूंगा उसके बाद अगले मुद्दे पर चर्चा करूंगा। गृह मंत्रालय को चौकाने वाला दूसरा तथ्य यह है कि ब्याज दर 12 प्रतिशत है। इसका भुगतान किया जा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 30 में यही कहा था :—

> "1980 में विधान सभाओं के आगामी चुनावों से ब्याज दर में कमी आ सकती है, इस बीच राजनैतिक दलों को फर्म की परिचालित पूंजी की जरूरत थी।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह उच्चतम न्यायालय का फैसला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने न्यायालय में उस दस्तावेज को पेश किया था।

(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता-दक्षिण) महोदय वे फैसले का मजाक उड़ा रहे हैं।

श्री राम जेठमलानी : उच्चतम न्यायालय के फैसले में आगे कहा गया है, "मुझे दलों के बारे में

जानकारी नहीं है लेकिन हमारे सामने आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि राजनैतिक दलों के उपयोग के लिए फर्म के पास उपलब्ध कोष का अबाध रूप से उपयोग किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने इस मामले में जांच करवाने की मांग की थी।

श्री राम जेठमलानी : एक होशियार गृह मंत्री, एक समझदार और ईमानदार सरकार के लिए इतना पर्याप्त है। केन्द्रीय सरकार के गृह विभाग द्वारा जांच कार्य शुरू न किए जाने के तथ्य से यह स्पष्ट है कि इस मामले में सरकार जांच नहीं करना चाहती थी। मैं इस सरकार पर, सार्वजनिक कानून लागू करने और हजारों गरीब जमाकर्त्ताओं—विधवाओं और पेन्शन पाने वालों, जिनके धन को यह फर्म खा गयी है, के हितों को सुरक्षित रखने के मामले में सार्वजनिक दायित्व के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगता है, ये लोग धनवान हो गए हैं। जिन गरीब विधवाओं और जमाकर्त्ताओं ने 1,000/- रु० और 2,000/- रुपए जमा किए थे, उनकी कीमत पर ये लोग मोटे हो गए हैं और उन्होंने करोड़ों रुपये बना लिए हैं जिसको इस प्रकार परिचालित किया जा रहा है, मेरे दोस्त जो गरीबों के हामी होने का दम भरते हैं, अल्प ईर्ष्या से लगातार हंसे जा रहे हैं क्योंकि गरीब विधवाओं के धन का नुकसान हुआ है। उनके धन का नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने आरोप लगाया है।

श्री राम जेठमलानी : यह तो पहला आरोप है। आजकल देश भर में गरीब लोगों के धन के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। यह उसी का प्रतीक है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका : जहां तक श्री जेठ मलानी का सम्बन्ध है, हर आदमी जानता है कि वे धनी लोगों के प्रतिनिधि हैं।

श्री राम जेठमलानी : मेरे 95 प्रतिशत मुवक्किल आप जैसे कांग्रेस (इ) के आदमी हैं, क्या आप सूची चाहते हैं? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की कार्यवाही किस प्रकार चलानी है मुझे मालूम है, मैं चाहता हूं कि हर सदस्य ईमानदारी बरते।

प्रो० मधु दण्डवते : किसी के नाम का उल्लेख नहीं होना चाहिए, वह कांग्रेस 'इ' के आदमियों का विवरण दे सकते हैं, लेकिन·····

श्री राम जेठ मलानी : सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया भी हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक है। इससे लन्दन में व्यापार करने की अपेक्षा की जाती है। लन्दन में किसी गरीब भारतीय बैंक के पास कितनी पूंजी हो सकती है? एक आदमी ने 34 मिलियन पौण्ड लिए थे और उस बैंक को ठगा था। उसका कर्मचारी जेल में है। ब्रिटिश पुलिस मालिक को ढूंढ़ रही है क्योंकि वह लन्दन से भाग गया था। लन्दन से गायब हो जाने के बाद, भारतीय धन के लिए ब्रिटिस पुलिस ने ज्यादा रुचि ली है लेकिन वह आदमी हमारे मन्त्रियों और रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा है। और आज अखबारों की खबरों में कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने अन्तिम रूप से इस सज्जन को आगे से अग्रिम ऋण न देने का फैसला किया है। इससे यह स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक पर कुछ लोग दवाब डाल रहे थे। ये लोग कौन

हैं ? मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय को इसमें आपत्ति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम आपत्ति करेगा ।

श्री राम जेठमलानी : एक धोखेबाज को धन देने के लिए रिजर्व बैंक पर कौन लोग दबाव डाल सकते हैं, यह एकदम साफ है । वह धोखेबाज यहां भारत में था और ब्रिटिश पुलिस उसे खोज रही थी, और वह यहां पर एक सम्माननीय व्यक्ति की तरह घूम रहा था, आपने उसका क्या कर लिया है ? मैं उस शरीफ आदमी का नाम नहीं लूंगा । लेकिन मैं गृह मन्त्री से यहां पर उसके जो सम्बन्ध हैं, उनका पता लगाने का अनुरोध करता हूं, अखबार में उसका नाम छपा है। लेकिन अखबार में छपे नाम से अनेक सन्देह पैदा हो रहे हैं अखबार में छपे शरीफ व्यक्ति का नाम** हैं । मैं चुनौती देता हूं कि वह निर्मल सेठिया नहीं है । निर्मल सेठिया एक अलग आदमी है, जिस निर्मल सेठिया ने संजय न्यास में बहुत अधिक योगदान दिया है, यह शरीफ आदमी वह नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई गलतफहमी बाकी न रहे । लेकिन यह वह व्यक्ति है जिसने सेन्ट्रल बैंक से 34 मिलियन पौण्ड लिए थे और हम यहां पर सो रहे हैं और इस ढंग से बात कर रहे हैं मानो हम इस देश के गरीब लोगों के न्यासी हैं जो इनके हितों की रक्षा कर रहे हैं ।**नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सेन्ट्रल बैंक सहित और अन्य राष्ट्रीय बैंकों से 7 करोड़ रु० लूटे हैं क्योंकि सेन्ट्रल बैंक राष्ट्रीय कृत बैंकों में से एक है और अन्य बैंक विदेशी बैंक हैं । केवल एक व्यक्ति ने 7 करोड़ रुपए लूटे हैं, वह आदमी सर्वोत्तम लिबास में घूम रहा है और उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा रहा है, उसके साथ केवल यह हो रहा है कि हाल में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सेन्ट्रल बैंक पर दबाव डाला था कि गैर सरकारी वकीलों के माध्यम से वह उस पर अभियोग क्यों नहीं चला रहा है, जांच कार्य आप हमें क्यों नहीं सौंपते हैं, हम आपके लिए कुछ करेंगे। जब सेन्ट्रल बैंक पीछे हट गया तो कुछ नहीं हुआ और सेन्ट्रल बैंक अब चुप है। भाग्यवश, कुछ बैंकों के ईमानदार लोग अभी भी हैं जिन्हें गरीबों के धन की चिन्ता है; और उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अपने यहां के मामलों के बारे में हम जांच नहीं कराना चाहते हैं । मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री इस शरीफ आदमी का पता लगायें कि वह कौन हैं और इसके राजनैतिक सम्बन्धों और अन्य सम्बन्धों के बारे में वह जांच करवायें ।

अगर आप चण्डीगढ़ जायें तो आपको वहां पर एक पंजाब नेशनल बैंक मिलेगा** नाम का एक 34 लाख रुपए खा गया । उसका चण्डीगढ़ शहर में कुछ राजनैतिक प्रभाव भी है । इस बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है । कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, एक साल पहले एफ-आई-आर दायर की गयी थी । बैंकों में जमा राशि को कांग्रेस पार्टी की निजी सम्पत्ति के बतौर समझा जा रहा है, और लोगों की सम्पत्ति की कोई भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य लूट-पाट कर सकता है और गृह मंत्रालय ऊंघ रहा है या फिर यह सो गया है, यहां पर ऐसा हो रहा है । गृह मंत्रालय के विरुद्ध इतना कहना बहुत कम है ।

विदेशों से आने वाले लोगों को वीसा देना गृह मन्त्रालय से सम्बद्ध है । इस देश में ईरान से आए हुए कितने व्यक्तियों को सम्मान दिया गया है । ईरान से कितने लोग आये हैं ? इस देश में रुकने के लिए इस देश में काम करने के लिए या इस देश में जीवनयापन करने के लिए कितने लोगों को वीसा जारी किए गए हैं । फिर भी हमारी सरकार क्या कर रही है । आज हमारी सरकार के सामने सारे ईरान में रह रहे उन 200 परिवारों का भविष्य समाया है और यह सरकार आज उन 200 परिवारों को परेशान कर रही है। आज उन्हें काम करने के परमिट नहीं दिए जाते हैं और वे अपनी सम्पत्ति भी देश से बाहर

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

नहीं ले जा सकते हैं। उन्हें देश से केवल इसलिए निकाला जा रहा है कि वे ईरान के शासक खुमेनी की बातों को नहीं मानते हैं। हम यहां पर क्यों बैठे हुए हैं और ईरान के हजारों लोगों को अपने यहां क्यों छिपाए हुए हैं। मुझे बताया गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक से उसके रहने के लिए हर तीसरे महीने 10,000 रुपए का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है। हम किसी ईरानी नागरिक से कुछ नहीं लेते। आप देश के मामलों को देख रहे हैं अथवा केवल अपनी पार्टी के मामलों को देख रहे हैं और भारतीय नागरिकों को भगवान के भरोसे पर छोड़ दिया गया है। इस बारे में कुछ करें। यह सबसे बड़ा धोखा है।

आज ईरानी लोग हमारे सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी कर दी है। एक ईरानी युवक, जिसे बहुत पहले निकाल दिया गया था एक पत्तन में घुसा था। इस देश में वह एक लड़की के साथ भाग गया।

उसके माता पिता पुलिस सहायता के लिए इधर-उधर गए, परन्तु कोई भी उनकी सहायता के लिए तैयार नहीं था। ये लोग आते हैं और हमारे आतिथ्य की निन्दा करते हैं और आप चुपचाप स्थिति को देखते रहते हैं तथा हमारे नागरिकों के हित की रक्षा के सम्बन्ध में कुछ नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : अब आप आखिरी मुद्दे पर आइये।

श्री राम जेठमलानी : अन्त में मैं पंजाब के सम्बन्ध में अवश्य कहूंगा। मैं पंजाब के सम्बन्ध में अवश्य कहूंगा। पंजाब के सम्बन्ध में बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है। हंसिये मत।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मैं आप पर नहीं हंस रहा हूं। मैं आपके कहने के ढंग पर हंस रहा हूं···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेठमलानी, कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए। आप उनकी ओर क्यों देखते हैं ?

श्री राम जेठमलानी : वह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस तरफ क्यों देखते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मुझे और उत्तेजित मत कीजिए।

श्री राम जेठमलानी : मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं।

प्रो० मधु दन्डवते (राजापुर) : घबड़ाइए मत अगली बार वह इस तरफ होंगे।

श्री राम जेठमलानी : जब आप पंजाब के सम्बन्ध में सोचते हैं, किसी दुःखद घटना के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं, जो हंसते हैं। उन्हें रोना चाहिए। उन्हें कुछ आंसू बहाने चाहिए। परन्तु वे नहीं करेंगे। आज पंजाब गृह मन्त्रालय के रिकार्ड में काला धब्बा है। आज देश में जिस चीज की आवश्यकता है। वह यह है कि हमें एक जगह बैठना चाहिए और अपने अन्दर झांकना चाहिए। आप ने पंजाब के लिए जो कुछ समाधान तैयार किए। उसमें से कोई भी कामयाबी नहीं हुआ।

आप समस्या को सुलझाने में समर्थ नहीं हो पाये। और पंजाब की स्थिति कैंसर का घाव जैसा बनती जा रही है और उसके समाधान के लिए आपको वही करना चाहिए, जो गांधी जी, इस स्थिति का सामना करने पर करते। आज पंजाब के लिए गांधीवादी विचार की आवश्यकता है आज पंजाब को एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो देश में स्नेह और प्रेम की वाणी का प्रचार कर सके। मैंने प्रधान मन्त्री से कहा था कि उन्हें गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष बनकर अपना समय बर्बाद करने के बजाए, पंजाब जाना चाहिए और वहां गुट-निरपेक्षता का प्रचार करना चाहिए तथा दोनों समुदायों के बीच स्नेह और प्रेम की बात करनी चाहिए। आज हम वही चाहते हैं जोकि पंजाब के हिन्दू उस समय चाहते थे जब कि पंजाब में एक समय गडबड़ी फैल गई थी। उस समय जिस चीज की आवश्यकता थी। वे अपने नवें सिख गुरु तेगबहादुर के पास गए और गुरु ने आखिर कार निर्णय कर लिया है कि उन्हें हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए अपने आपको न्यौछावर कर देना चाहिए। वह पवित्र आत्मा थे, जो उस समय उपलब्ध थे और आज हमें ऐसी एक या दो शुद्ध आत्माओं की आवश्यकता है जो एक साथ सम्मिलित होकर उस गड़बड़ी वाले स्थान को खतरनाक और नाजुक स्थल में शान्ति उत्पन्न करेंगी। कुछ लोगों को सचिवालयों के गलियारों में बैठे रहने की बजाय वहां जाना चाहिए और उसके सम्बन्ध में कोई समाधान अथवा पता ढूंढना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेठमलानी, मुझे क्षमा कीजिये, आप कभी पंजाब गये ?

श्रीराम जेठमलानी : हां, मैं गया, मैं कई बार जा चुका हूं और फिर किसी भी के साथ मैं पंजाब जाने को तैयार हूं जो पंजाब में पैदल मार्च करना चाहता है। गांधीजी ने नोआखाली में जो कुछ किया था, आज पंजाब में भी किसी यथार्थ गांधी वादी द्वारा उसी प्रकार के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते, तो देश प्रगति नहीं कर सकता। आज देश बड़ी खराब स्थिति में है।

गृह मन्त्रालय की रिपोर्ट के अनुसार असम दूसरा शर्मनाक धब्बा है। आपने उस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं किया है। आप इस देश की जनता पर एक ऐसी सरकार थोपते रहते हैं जो लोकतन्त्र के लिए मजाक है। जितनी जल्दी आप इस धब्बे को समाप्त करेंगे, और समझदारी तथा लोकतन्त्र के रास्ते पर आयेंगे, आप मेरी प्रशंसा के भागीदार होंगे। मैं कभी भी प्रशंसा करने से अपने आपको नहीं रोकता। मैंने अत्यधिक प्रशंसा की है और यदि आप राजनैतिक ईमानदारी के रास्ते पर लौट आयेंगे, तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मशकूर हूं, आखिरकार आपने वक्त निकाला और मुझे बोलने का टाइम दिया। दूसरी बातों की तरफ जाने से पहले मैं श्री सोमनाथ चटर्जी साहब ने जो मसले उठाये हैं उनके मुताल्लिक कुछ बातें कहना चाहता हूं। उन्होंने ओवर-ड्राफट का जिक्र किया, चूंकि ओवर-ड्राफट उनकी स्टेट को नहीं मिलता है इसलिए हर मसला सही तरीके से उनको नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने फाइनेन्सेज के बारे में कहा—वाकई यह किसी पार्टी की जायदाद नहीं है और न ही किसी इण्डिविजुअल की है, बल्कि सबका साझी है, इसलिए सेण्ट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह देखे कि उसका इस्तेमाल गलत तरीके से तो नहीं हो रहा है। मैं कोई पर्सनल बात नहीं कहना चाहता हूं और यह भी नहीं चाहता हूं कि आपको मेरी बात से कोई तकलीफ हो, लेकिन आप एक बात को भूल जाते हैं, शायद यह आपका सब्जैक्ट नहीं है, हर पांच साल के बाद एक फाइनेन्स कमीशन मुकर्रिर होता है जो हर स्टेट के फाइनेन्सेज को देखता है, उसके

रेवेन्यूज को देखता है, उसके एक्सपेण्डिचर को देखता है और उसके मुताबिक रेवेन्यूज एलाट करता है। स्टेट रेवेन्यूज से वह डील नहीं करता है और सेन्ट्रल रेवेन्यूज को कैसे तकसीम करना है, इसका फैसला वह कमीशन करता है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है। स्टेट्स की रिसोर्सज और एक्सपेंडीचर को देख कर वह ग्रान्ट भी देता है। यह एक दफा नहीं बल्कि हर पांच साल के बाद होता है। इसलिए सेन्टर और स्टेट्स में फाइनेन्शियल रिलेशन्स का जहां तक सवाल है, इससे बेहतर एजमेंट नहीं हो सकता। अब यह दूसरी बात है कि कोई स्टेट जितनी रिसोर्सेज हैं, उनसे ज्यादा खर्च करे—मैं यह नहीं कहता कि स्क्वेन्डर करते हैं, पब्लिक वैनीफिट की एक्टिविटीज के लिए खर्च करते होंगे और इस किस्म के कामों में खर्च करते होंगे, जिनसे अवाम को फायदा पहुंचता है—मगर हद से गुजरना कहां तक सही है। यह हद है, जिसको मुकर्रर किया गया है और फाइनेन्स कमीशन कायम करता है। मैं इसको और ज्यादा डैवलप कर सकता था लेकिन टाइम नहीं है। मेरा कहना तो सिर्फ यही है कि फाइनेन्स कमीशन एक ऐसी बोडी है, जिसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। वही रिपोर्ट करता है और उसकी रिपोर्ट एक्सेप्ट की जाती है। और हर स्टेट में जाकर वह हालात देखने के बाद और सबका आमदन खर्च देखने के बाद रिपोर्ट करता है।

इसी तरह से प्लानिंग कमीशन के बारे में कहा है। प्लानिंग कमीशन प्लान जरूर बनाता है लेकिन वह हर स्टेट को कन्सल्ट करके बनाता है। उनसे मश्विरा करके वह प्लान बनाता है मगर उसकी जो फाइनल आथोरिटी है, वह नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल है, जिसमें सब चीफ मिनिस्टर होते हैं और प्रधान मन्त्री जी और फाइनेन्स मिनिस्टर और प्लेनिंग मिनिस्टर भी उसके मेम्बर हैं। हर साल उसकी मीटिंग होती है और जब भी प्लान बनता है, तो मीटिंग करके उसको एक्सेप्ट किया जाता है और सारे उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब इधर-उधर कोई एक्सपेंडीचर हो जाता है, तो उसके लिए यह कहना कि कांस्टीट्यूशन में नुक्स है, कांस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग में नुक्स है, यह कहना कहां तक ठीक है। यह तो इसी तरह की बात हुई कि अपनी बीमारी के दूसरे में नजर आ रही हो, जैसे यारकान वाले को हर चीज पीली दिखाई देती है।

इन्होंने यह भी कहा कि एक कमीशन बना दिया सरकारिया कमीशन यह शायद इसलिए कहा गया है कि इस मसला पर विधान में तबदीली की गुंजाइश कम है। और वह टाल-मटोल करने के लिए बनाया है। मैं समझता हूं कि अगर कोई गुंजाइश है, तो वह यह है कि काआपरेशन और एजूकेशन, ये दोनों सब्जेक्ट्स कान्करेन्ट लिस्ट में होने चाहिए। बाकी सब ठीक है। वैसे इस चीज को री-एगजामिन कर लिया जाए और अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको दूर किया जाए मगर ओवर ड्राफ्ट की जो बात है, तो उसमें यह नहीं हो सकता कि जितना किसी स्टेट्स ने कह दिया, उतना रुपया देना मान लिया। सेन्टर पर आपने नुकताचीनी की कि उनका डिफिसट बजट है सेन्टर की हर बात पार्लियामेंट में आती है और डिस्कस होती है और पार्लियामेंट उसको एप्रूव करती है।

दूसरी बात इन्होंने जम्मू व काश्मीर के मुत्ताल्लिक कही। अब ये तशरीफ ले जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे संजीदा इन्सान एक दफा कम अज कम काश्मीर जा कर देखते कि वहां क्या हो रहा है और उनको वहां पर जाना चाहिए था और वहां जाकर वे यह देखते कि हमने जो कहा है कि गलत है या दुरुस्त है। अगर ऐसा होता तो कोई दिक्कत न होती। मैं कहता हूं कि अब एक दफा जाकर आप देख आइए। 14 जनवरी को जो वाकयात वहां पर हुए, उनके बारे में आप मालूम कीजिए। आप कांग्रेस की बात करते हैं। वहां जाकर देखिए कि प्रथा हो रहा है। लोगों को न तेल मिलता है और न खांड मिलती है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो जरूरी चीजें हैं, जो वहां के लोगों को मिलनी चाहिए, वे नहीं मिलती। अब अगर लोग उनके लिए डिमांड करते हैं और जलसे करते हैं,

तो आप कांग्रेस को कोसने लगते हैं। मेरी समझ में उनकी यह बात नहीं आई। अपोजीशन की कहीं भी कोई गवर्नमेंट है और अगर वह कोई काम गलत करती है, तो उसको आप गलत कहने को तैयार नहीं हैं। यह कौन-सी दियानतदारी है। पालीटीकल ओनेस्टी की बात भी होनी चाहिए। जहां गलत बात है, उसको गलत कहिए। जितनी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की चीजें हैं, वे काआपरेटिव के पास हैं या फेडरेशन के पास हैं और वे ब्लैक-मार्केटिंग कर रही हैं और इससे लोग सफर कर रहे हैं। आर कांग्रेस के बेनर के नीचे इन चीजों की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि ये चीजें हमें दो, तो आप इसको कन्डेम करेंगे।

मैं आपको एक बात और बताता हूं। काश्मीर में सुनवारी बलाकयें में एक जगह पर एक दिन में 40 दुकानों को जला दिया गया। जिन लोगों को गवर्नमेंट काम नहीं देती थी, एक आदमी ने 40 दुकानें बनवा कर 40 नौजवानों को दुकान पर बैठाया। उन गरीब कारीगरों को काम नहीं मिलता था। उसने एक कालीन का कारखाना लगाया ताकि उन लोगों को काम मिल सके। उन लोगों को उसने वहां पर रख लिया लेकिन उस कारखाने को भी जलवा दिया गया। जो लोग बागवानी करते थे, जिनका अपना बाग था, वहां से लकड़ी लेकर उसने आरा लगा कर पेटी सप्लाई करने का काम शुरू किया। ये सारा काम सरकार को करना चाहिए था, लेकिन उसने यह काम किया मगर वह आरा भी जला दिया। उसने दूकानें खुलवाई जिससे लोगों को उचित दर पर सामान मिल सके। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया। एस० एच० ओ० ने लाठी चार्ज करके पहले तो दूकानें लुटवाई और फिर जला दी गयीं। और कहा गया कि हिन्दुस्तान का नाम लेने वाले आदमी की लड़की को लाओ, मैं सड़क के ऊपर उसके साथ बेहूदगी करूंगा। इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है। फारुख अब्दुल्ला से हमें भी प्यार है, हमने जिंदगी उनके बाप के साथ गुजारी है लेकिन उनको इन बातों पर कंट्रोल करना चाहिए।

जहां तक मुसलमान अवाम का ताल्लुक है, 1947 में हिन्दुस्तान को पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए उसने पूरी मदद की। 1965 में तीन दिन तक हमारी फौज नहीं आई थी। मैं उस समय वहां पर थी। अनवर करीम, एडीशनल चीफ सेक्रेटरी वहां थे। उस वक्त कश्मीर में मुस्लिम अवाम ने इन्फल्ट्रेटर्स का मुकाबला किया। तीसरे दिन फौज आई। 1971 में भी वहां फौज कम थी। जब तक फौज नहीं आई ईस्टर्न फ्रन्ट से तब तक उन लोगों ने पुंछ राजौरी से इन्फल्ट्रेटर्स को भगाया। आज एंटी इण्डियन एक्टीविटीज करने वालों को पूरी छूट दी गई है। चाहे जमायतेइस्लामी हो, चाहे जमीतुलतुलबा हो। जो हिन्दुस्तान का नाम लेने वाले नौ आदमी थे, उनमें से दो 18-19 साल के नौजवान थे, वे सब मुसलमान थे। उनको शहीद किया गया। जो गिरफ्तार किए गये, जो जख्मी किए गये, जलती हुई सिगरेट लगाई गई, उनमें से कोई हिन्दू या सिक्ख नहीं था, वे सब मुसलमान थे।

एक जमाना था जब शेख अब्दुल्ला साहब की व्यक्तिगत रूप से लोग इज्जत करते थे, उनका लिहाज करते थे, उनका लिहाज करते थे। जम्मू शहर के बारे में वाजपेयी जी जानते हैं कि पं० प्रेमनाथ जी डोगरा थे जिनकी अपनी इज्जत थी। उन्होंने अब्दुल रहमान को कामयाब कराया और ये दो सीटें उनको मिल जाती थीं। इस बजह से कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन फारूख साहब को इन गतिविधियों को वहां पर रोकना चाहिए। वे रोक सकते हैं, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन रोक सकता है। मैं यहां पर यह नहीं कहना चाहता कि आज प्राइवेट तौर पर वहां पर लोग क्या कहते हैं, उनके आदमी क्या कहते हैं।

1965 के जिब्राल्टर आपरेशन के बारे में जनरल मूसा ने एक किताब लिखी है जो पाकिस्तान में छपी है। उसमें उसने लिखा है कि 1965 में हम इसलिए नाकामयाब हुए कि कश्मीरियों ने, वहां के मुसलमानों ने हमारा साथ नहीं दिया। आज वे इस बात की कोशिश कर रहे हैं मुखतलिफ एजेंसियों के जरिए कि इनके रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जाए। आज बंगाल के अन्दर ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता इसलिए

बगैर सोचे समझे ये कश्मीर का सपोर्ट करें, यह बात ठीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि सी० पी० एम० का कोई भी मैम्बर इम्पीयरलिज्म को बढ़ावा देने की बात करेगा। लेकिन उनके अन्दर जो दिल में जलन है, उसको किसी न किसी तरह से वे निकालना चाहते हैं। यह नहीं होना चाहिए कि बहु का गुमान तोड़ने के लिए बेटे का कतल कर दिया जाए। ऐसी बात कोई नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि वहां सिचुएशन बहुत खराब है। काश्मीर में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो अपोजीशन का रोल कर रही है।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सुरजीत साहब वहां गए थे, उनसे पूछ सकते हैं।...(**व्यवधान**)

श्री गिरधारी लाल डोगरा : नेशनल सक्योरिटी के क्वेश्चन को अगर आप वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप कन्ट्री को बिट्रे कर रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि जहां तक रक्षा का सवाल है, वह डिफेन्स मिनिस्ट्री के पास है लेकिन जब तक लोगों में यूनिटी और कंटेन्टमेंट नहीं होगा तब तक आप डिफेन्ड नहीं कर सकते। मैंने पाकिस्तान के खिलाफ तीन जंग देखी हैं। जहां लोग ठीक तरह से रहते हैं वहां पर आर्मी काम कर सकती हैं लेकिन जहां तक लोग उखड़ जाये, वहां आर्मी काम नहीं कर सकती। इसलिए, यह जरूरी है कि बार्डर पर जो लोग हैं, उनको ठीक तरह से बसाने का काम किया जाए। जेठमलानी जी ने कहा कि होम मिनिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, यह बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जो बुनियादी बातें कहीं उनकी तरफ तबज्जुह दी जानी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि एजुकेटेड और अन-एजुकेटेड एम्पलायमेंट की स्कीम ठीक तरह से लागू हो रही है या नहीं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट को सभी राज्यों की तरफ एक-सा ध्यान देना चाहिए। यह नहीं कि यू० पी० को देख लिया और बंगाल को छोड़ दिया। शेड्यूल्ड कास्ट्स के मामले में जो इकोनामिकली वीकर हैं, उनको प्रिफरेंस मिलना चाहिए। इसमें कुछ लोग तो आगे बढ़ गये हैं लेकिन बाकी पीछे रह गये हैं। इसलिए उन लोगों को भी अपना हक मिलना चाहिए। प्रधान मन्त्री और चीफ मिनिस्टर के कहने के बावजूद भी लद्दाख और कारगिल के बारे में जो फैसला हुआ है, वह रुका हुआ है। वे कहते हैं कि सेन्टर कुछ नहीं कर रहा है और सेन्टर की तरफ से कहा जाता है कि स्टेट कुछ नहीं कर रहा है। इसके लिए एक मीटिंग बुलानी चाहिए जिससे कुछ हल निकल सके।

6.00 म० प०

पैरा मिलिटरी फोर्सिस का काम बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे यहां पर बदकिस्मती से जो रिक्रूटमेंट सटेट के महकमों में होता है बहुत ज्यादा कुरप्शन चलती है। जम्मू काश्मीर में हजारों रुपया चपड़ासी की भी जब भरती होती है तो खर्च करना पड़ता है। आई० ए० एस० और आई० पी० एस० जो सीधे भरती होते हैं उनका काम तो बहुत अच्छा हुआ करता था लेकिन उनको वहां पर एक तरफ रख दिया जाता है और अपने आदमियों को पोस्टों पर रख दिया जाता है। कुछ दूसरे लोगों को प्रोमोट करके बिठा दिया गया है। आई० ए० एस० और आई० पी० एस० जो डायरेक्ट भरती होते है उनको अपनी पोस्टों पर रहने नहीं दिया जाता है। अपने एम्प्लायीज को ले लिया जाता है। नतीजा यह है कि हजारों रुपया चपड़ासी की पोस्ट तक की नौकरी पाने के लिए लोगों को खर्च करना पड़ता है। बड़ी नौकरियों की बात को तो आप जाने दें पैरा मिलट्री फोर्सेज जे० एण्ड के० से काफी भरती करनी चाहिए। करप्शन की बात जेठमलानी जी कर रहे थे। यह एटीट्यूड की बात है। यह उसी वक्त मालूम हो गया जो एटीट्यूड एमेंडमेंट के मुताल्लिक हमारी पारटी ने एडाप्ट किया। बाकी तकरीर में तो पालिटिक्स था। जेठमलानी जी की इज्जत करता हूं, कूद्र करता हूं। उनमें औरों की तरह से कमजोरी भी है और सिफ्त भी है। लेकिन यह एटीट्यूड की बात है। कुरप्शन जहां कहीं है खराब है। इसमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए। इस मामले में डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जम्मू काश्मीर में इस किस्म

की बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए।

पंजाब का जहां तक ताल्लुक है होम मिनिस्ट्री ने जो वहां पर एडवाइजर रखे हैं, उनके काम का असर हुआ है। समस्या हल तो नहीं हुई है। लेकिन एक्सटरीमिस्ट्स खास कर स्टूडेंट्स में जो थे, उनकी बैंक ब्रेक हुई है। इसको और भी ज्यादा ब्रेक दिया जा सकता है। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। पुलिस ने भी अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जम्मू काश्मीर और पंजाब में पुलिस की स्क्रीनिंग की जरूरत है और जगह भी हो सकती है और वहां भी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ट्रेंड अनडिजायरेबल एलीमेंट्स जम्मू काश्मीर की पोलीस में आ .ए है। कम्युनल माइंडिड पंजाब पुलिस में भी हो सकते हैं। उनको देखना चाहिए। पुलिस फोर्स अच्छी हो तो सब ठीक हो सकता है। स्क्रीनिंग कराने की जरूरत है। पौलिटिक्ल पार्टीज भी काम कर रही हैं। बी० जे० पी० ने, कांग्रेस आदि ने भी काम करना शुरू कर दिया है। अलग-अलग या मुस्तरका तौर पर पोलिटिक्ल स्क्टीविटी शुरू कर दीजिए तो इस चीज को आसानी से फाइट किया जा सकता है। और कोई इसका तरीका नहीं है। एक बात मैं इन बेचारे स्टेनो के बारे में कहना चाहता हूं। इन बेचारों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, नाइन्साफी हो रही है, क्रूअलटी इनके साथ हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप कोई बात लोकसभा के सम्बन्ध में करना चाहते हैं, तो आप उसे यहां नहीं उठा सकते।

श्री गिरधारी लाल डोगरा: मैं लोकसभा के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं। यह भारत सरकार के सम्बन्ध में है इनकी तीन कैटेगरीज है। पब्लिक सर्विस कमिशन इनकी रिक्रूटमेंट करता है। क्लार्क्स से डिफ्रेंट इनके लिए रुल्ज है। अंग्रेजों के जमाने में ये मैट्रिकुलेट हुआ करते थे। आज डबल-ग्रेजुएट आ रहे हैं। कम से कम इनको क्लरकों एट पार तो आप ट्रीट करें। इनकी तीन केटेगरीज हैं। प्रमोशन एडहाक की जाती है। कई सालों तक ये एडहाक चलते रहते हैं। इनके वास्ते कोई प्रोमोशन का चांस नहीं। मैं चाहता हूं कि नये सिरे से इनके बारे में सोचा जाना चाहिए और रिट्रोस्पेक्टिवली इनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। एट पार विद क्लार्क्स तो आप इनको लायें।

वक्त की किल्लत के होते हुए अपने मुझे वक्त दिया इसके लिए मैं आपका मशकूर हूं। मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि जम्मू और काश्मीर, पंजाब नार्थ ईस्टर्न जितनी भी वोर्डर स्टेट्स हैं इनमें इम्पीरियलिस्ट पावर्ज जैसे अमरीका हमारे खिलाफ अड्डे बनाती है, वहां हथियार देती हैं और जब चाहती हैं वहां लोगों की लड़वा देती हैं और जब चाहती हैं लड़ाई बन्द करवा देती हैं। हमको बहुत होशियार रहना चाहिए। हमें अपने अन्दर मजबूती पैदा करनी चाहिए। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबर्दस्त निगाह सर हिंद पार जो कार्रवाइयों पर रखनी चाहिए। अपने अन्दर मजबूती करने का जहां तक ताल्लुक है होम मिनिस्ट्री उसकी तरफ तवज्जह दे सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

उत्तम राठौर (हिंगोली): महोदय, मैंने श्री जेठमलानी का भाषण बड़े ध्यान से सुना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राठौर, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। सभा कल प्रा 11 बजे तक स्थगित होती है।

18.06

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 27 मार्च, 1984
7 चैत्र, 1906 (शक) के म० प० ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पलक्क. मित्तल प्रिण्टर्स. के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित